पंचदश माला, खंड 32, अंक 16

शुक्रवार, 15 मार्च, 2013
24 फाल्गुन, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 88
Dated 11 Feb. 2016

(खंड 32 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी. के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

देवेन्द्र सिंह
अपर सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

इन्दु बक्शी
सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 32 तेरहवां सत्र, 2013/1934 (शक)]

अंक 16, शुक्रवार, 15 मार्च, 2013/24 फाल्गुन, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 261	3-14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 262 से 280	15-124
अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220	125-760
सभा पटल पर रखे गए पत्र	760-768
संसदीय समितियां (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को छोड़कर)-कार्य सारांश	768
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र की समीक्षा के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री हरीश रावत	769
सभा का कार्य	
श्री पबन सिंह घाटोवार	770-774
कार्य मंत्रणा समिति 46वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	774
सदस्यों द्वारा निवेदन	775-799
(एक) संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य बनाए जाने की कथित अधिसूचना के बारे में	775-798
(दो) अफ़ज़ल गुरू को फांसी देने के लिए भारत की निंदा करते हुए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा पारित किए गए कथित संकल्प के बारे में	798-799

विषय	कॉलम

भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के संबंध में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा पारित संकल्प को अस्वीकार करने के बारे में संकल्प........ 799-800

झारखण्ड बजट (2013-14) - सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (झारखण्ड), 2013-14

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (झारखण्ड), 2012-13........ 803

श्री निशिकांत दुबे........ 815-831

श्री जगदम्बिका पाल........ 831-837

श्री शैलेन्द्र कुमार........ 837-840

श्री भूदेव चौधरी........ 840-843

श्री पुलीन बिहारी बासके........ 843-845

श्री भर्तुहरि महताब........ 845-847

श्री कामेश्वर बैठा........ 847-849

श्री इन्दर सिंह नामधारी........ 849-854

श्री अजय कुमार........ 854-856

श्री पी. चिदम्बरम........ 856-858

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

राज्य के संबंध में पूरे वर्ष के लिये विनियोजन को अधिकृत करने हेतु विनियोग विधेयकों को अधिनियमित करने में संसद की सक्षमता........ 806-807

झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2013........ 859

पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव........ 860

विचार करने के लिए प्रस्ताव........ 860

खंड 2, 3, और 1........ 860

पारित करने के लिए प्रस्ताव........ 860

विषय	कॉलम
झारखण्ड विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2013	861-862
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	861
विचार करने के लिए प्रस्ताव	862
खंड 2, 3, और 1	862
पारित करने के लिए प्रस्ताव	862
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 32वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	862-863
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	
(एक) पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कार्य योजना तैयार करना	
श्री राजेन्द्र अग्रवाल	863-868
प्रो. सौगत राय	868-870
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	870-871
श्री सतपाल महाराज	871-872
श्री अशोक तंवर	873
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	873-880
श्री अर्जुन राम मेघवाल	880-888
संकल्प-अस्वीकृत हुआ	889
(दो) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर नियंत्रण रखने हेतु कदम	
श्री महेन्द्र कुमार राय	889-896
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	897-899
श्री सतपाल महाराज	899-902
श्री शैलेन्द्र कुमार	905
प्रो. सौगत राय	907-911

विषय	कॉलम
श्री जगदम्बिका पाल	911-916
श्री भर्तृहरि महताब	916-918
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	937-938
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	938-948
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	949
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	950-952

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

शुक्रवार, 15 मार्च, 2013/24 फाल्गुन, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण) : मैडम, अंग्रेजी को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* यह गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.00½ बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद, श्री धर्मेंद्र यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। इसे 12 बजे कर लेंगे।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय श्री आर. थामराईसेलवन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल चलने दीजिए, उसके बाद जीरो आवर में इस मामले को लेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण) : यू.पी.एस.सी. से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की जाए...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.30½ बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री चन्द्रकांत खैरे, श्री हंसराज गं. अहीर तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए। कृपया अपने स्थान पर जाइए। हम प्रश्न काल के पश्चात् इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया वापस अपने स्थान पर जाइए। श्री लालू जी सरकार जवाब देगी। कृपया मेरी बात सुनिए। आप अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सरकार आपके उस प्रश्न का जवाब देगी जिसे आपने पूछा है। लेकिन आपको अपने स्थान पर जाना होगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम प्रश्न काल शुरू करेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि आप सभी अपने-अपने स्थानों पर जाएंगे तभी सरकार जवाब देंगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपको रिस्पांस मिलेगा। आप अपनी सीट्स पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.32 बजे

इस समय श्री आर. थामराईसेलवन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप अपने-अपने स्थान पर जाएं। हम प्रश्न-काल शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 261।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.32½ बजे

प्रश्न का मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न संख्या 261 । श्री रवनीत सिंह।

बैंकिंग सुविधाएं

***261. श्री रवनीत सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आम आदमी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सुविधाओं के लाभ पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कितने बैंक खाते खोले गए हैं तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने प्रतिशत परिवार बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं;

(ग) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आज की तारीख के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी शाखाएं हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी शाखाएं खोली गई हैं; और

(ङ) देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ड.) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार का लक्ष्य पूरे देश में बैंकिंग सेवाओं की सुविधा का विस्तार चरणबद्ध रूप में करना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 58.7% परिवारों ने बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त करने की सूचना दी है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 67.8% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 49.5% परिवार शामिल हैं। तुलनात्मक रूप से वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 35.5% परिवारों, 49.5% परिवार शहरी क्षेत्रों में तथा 30.10% परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में, ने बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त करने की सूचना दी थी। 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस.सी.बी.) की 100,277 शाखाएं हैं, इनमें से 36,972 (36.9%) बैंक शाखाएं क्षेत्रों में तथा 26,595 (26.5%) शाखाएं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। शाखाओं की कुल संख्या का 63 प्रतिशत से अधिक शाखाएं देश के ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।

(ख) दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के जमा खातों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त करने

वाले परिवरारों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी तथा महानगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंक शाखाओं का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। गत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष में दिसम्बर, 2012 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में खोली गई बैंक शाखाओं की संख्या भी संलग्न अनुबंध-II में दी गई है।

(ङ) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यान्तिव करने के सरकार के निर्णय में पूरे देश में बैंकिंग सेवाओं का चरणबद्ध रूप से विस्तार करने अी अभिकल्पना की गई है। बैंकिंग सेवाओं का विशेष रूप से ग्रामीण दूर-दराज के क्षेत्रों तक विस्तार करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर कई पहल कर रहा हैं। इनमें निम्नलिखित हैं:-

(i) 'स्वाभिमान ' के अंतर्गत वर्ष 2010-12 के दौरान (2001 की जनगणना के अनुसार) 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 74,000 से अधिक वास स्थलों तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं।

(ii) 'स्वाभिमान' अभियान को पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों में (2001 की जनगणना के अनुसार) 1000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले वास स्थलों तक तथा (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) 2000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले वास स्थलों तक बढ़ाया गया था।

(iii) दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न बैंकों द्वारा 152,328 ग्राहक सेवा केन्द्र (सी.एस.पी.)/ व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंटों को कार्य पर लगाया गया जिसके जरिए अप्रैल-दिसम्बर, 2012 के दौरान 16,533 करोड़ रुपए का लेन-देन किया गया था।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आर.आर.बी. को छोड़कर) को (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 99,999 तक जनसंख्या वाले) टीयर-2 से टीयर-6 तक के केन्द्रों में प्रत्येक मामले में आर.बी.आई. से अनुमति लिए बिना, रिपोर्ट करने के अध्यधीन शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है।

(v) आर.बी.आई. ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आर.आर.बी. को छोड़कर) को पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में ग्रामीण, अर्ध-शहरी तथा शहरी केन्द्रों में प्रत्येक मामले में आर.बी.आई. से अनुमति लिए बिना, रिपोर्ट करने के अध्यधीन शाखाएं खोलने की अनुमति भी प्रदान कर दी है।

(vi) घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह सलाह दी गई है कि अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना (ए.बी.ई.पी.) तैयार करते समय उन्हें वर्ष के दौरान खोली जाने वाली शाखाओं की कुल प्रभावित संख्या में से कम से कम 25% शाखाएं (9999 तक की जनसंख्या वाले) बैंकिंग सुविधा रहित टीयर-5 और टीयर-6 केन्द्रों, जहां ग्राहक आधारित बैंकिंग लेन-देन के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कोई स्थायी संरचना नहीं है, के लिए आबंटित करना चाहिए।

(vii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी प्रत्येक मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करने की अनिवार्यता के बिना, रिपोर्ट करने तथा कुछेक शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 99,999 तक की जनसंख्या वाले) टीयर-2 से टीयर-6 केन्द्रों में शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

(viii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) को भी यह सलाह दी गई हैं कि वे वर्ष के दौरान खोली जाने हेतु प्रस्तावित संख्याओं की कुल संख्या का कम से कम 25% शाखाएं बैंकिंग सुविधा रहित (टीयर-5 और टीयर-6) केन्द्रों में खोलें।

(ix) निजी क्षेत्र के नए बैंकों के लिए यह अपेक्षित है कि उनकी शाखाओं की कुल संख्या का 25 सतत् आधार पर 1,00,000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण तथा आर्ध-शहरी केन्द्रों में हों।

अनुबंध-I

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा खाताओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा तथा 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों की प्रतिशतता

क्र.सं.	राज्य	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा खातों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों संख्या	शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा प्राप्त कर रहे परिवारों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	128	90.01	88.02
2.	आन्ध्र प्रदेश	20,543	50.42	58.71
3.	अरुणाचल प्रदेश	361	43.14	82.40
4.	असम	7,302	38.24	75.18
5.	बिहार	16,372	42.26	61.40
6.	चंडीगढ़/संघ राज्य क्षेत्र	178	66.56	80.51
7.	छत्तीसगढ़	5,288	46.15	58.20
8.	दादरा और नगर हवेली/संघ राज्य क्षेत्र	47	39.26	73.06
9.	दमण और दीव	1	67.73	64.83
10.	दिल्ली	835	84.85	88.02
11.	गोवा	1,227	51.29	66.09
12.	गुजरात	9,139	65.92	71.87
13.	हरियाणा	5,219	89.10	89.25
14.	हिमाचल प्रदेश	4,951	65.42	83.27
15.	जम्मू और कश्मीर	4,029	47.39	74.68

1	2	3	4	5
16.	झारखण्ड	7,218	58.92	64.35
17.	कर्नाटक	14,525	73.86	74.68
18.	केरल	2,406	86.64	84.85
19.	लक्षद्वीप	35	40.75	63.54
20.	मध्य प्रदेश	11,060	62.86	76.02
21.	महाराष्ट्र	12,118	23.47	41.54
22.	मणिपुर	169	28.20	71.26
23.	मेघालय	561	35.93	71.26
24.	मिजोरम	141	23.09	64.12
25.	नागालैण्ड	142	73.54	77.79
26.	ओडिशा	12,036	41.02	66.58
27.	पुदुचेरी	274	61.81	64.95
28.	पंजाब	8,290	62,84	68.97
29.	राजस्थान	10,387	68.21	67.42
30.	सिक्किम	220	63.54	77.63
31.	तमिलनाडु	14,045	45.19	60.37
32.	त्रिपुरा	930	78.19	81.93
33.	उत्तर प्रदेश	55,137	73.58	66.68
34.	उत्तराखंण्ड	3,674	80.26	81.80
35.	पश्चिम बंगाल	21,265	39.77	68.71
	अखिल भारत	**2,50,254**	**54.44**	**67.77**

स्रोत: जनगणना 2011

अनुबंध-II

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कार्यरत तथा खोली गई शाखाओं का राज्य-वार ब्यौरा

		31.12.2012 की स्थिति के अनुसार कार्यरत शाखाएं				के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गए शाखाएं			
क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23	27			2		3	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	2901	2084	1720	1628	88	143	236	54
3.	अरुणाचल प्रदेश	54	41			1		3	
4.	असम	823	435	358		11	8	12	6
5.	बिहार	2608	1162	558	308	58	58	91	53
6.	चंडीगढ़/संघ राज्य क्षेत्र	11	0	299				1	1
7.	छत्तीसगढ़	795	408	460		16	30	68	24
8.	दादरा और नगर हवेली/ संघ राज्य क्षेत्र	12	31			2	3	1	1
9.	दमन और दीव	2	33				2		
10.	दिल्ली	78	49	1	2647	1	5	16	
11.	गोवा	207	301			7	13	22	2
12.	गुजरात	1767	1425	771	1557	53	69	128	44
13.	हरियाणा	988	753	1133	173	51	80	121	43
14.	हिमाचल प्रदेश	865	230	71		41	46	37	9
15.	जम्मू और कश्मीर	647	247	304		7	25	49	16
16.	झारखण्ड	1107	506	431	114	25	40	62	14
17.	कर्णाटक	246	1575	1451	1594	50	82	191	37
18.	केरल	360	3457	1217		14	13	14	7
19.	लक्षद्वीप	8	4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	मध्य प्रदेश	1882	1330	917	604	23	32	72	33
21.	महाराष्ट्र	2435	1983	1 433	3591	53	71	121	57
22.	मणिपुर	46	25	32			1	6	4
23.	मेघालय	136	41	66		1	3	5	2
24.	मिजोरम	58	19	32			1	2	
25.	नागालैण्ड	43	69			2	1	4	2
26.	ओडिशा	1831	824	657		55	48	60	20
27.	पुदुचेरी	36	45	87		5	2	2	
28.	पंजाब	1529	1423	837	587	69	135	123	82
29.	राजस्थान	2035	1467	958	474	35	65	115	74
30.	सिक्किम	64	29			3	6	6	2
31.	तमिलनाडु	2099	2677	1580	1228	71	76	227	62
32.	त्रिपुरा	139	74	63		6	4	11	4
33.	उत्तर प्रदेश	713	450	303		148	187	375	103
34.	उत्तराखंण्ड	5630	2508	2140	1747	23	37	59	21
35.	पश्चिम बंगाल	2573	863	1168	1411	67	76	93	23
	अखिल भारत	36972	26595	19047	17663	988	1362	2336	801

टिप्पणी:

1. एम.ओ.एफ. आंकड़ा परिवर्तनीय स्वरूप का है। बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर इसे अद्यतन किया गया है।

*वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए आंकड़े 1 अप्रैल, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक की अवधि के हैं।

स्रोत : बैंक संबंधी मास्टर आफिस फाइल, 01.01.2013 की स्थिति के अनुसार डी.एस.आई.एम., आर.बी.आई.

श्री रवनीत सिंह : आदरणीय सभापति, महोदय, यद्यपि संप्रग सरकार ने उल्लेखनीय प्रयास किया है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार बहुत कम हुआ है जो गंभीर चिंता का विषय है। ...*(व्यवधान)* सरकारी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में से एक बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच की कमी है। ..*(व्यवधान)*

मैं माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ क्या सरकार के पास अपने उन 1.5 लाख डाकघरों के माध्यम से आम लोगों तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना है जो पहले से ही पैसे के लेन-देन के कार्य में क्रियाशील है...*(व्यवधान)* चूंकि वे कम खर्च में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकती है, उनके लिए कोई नई अवसंरचना स्थापित करने की जरूरत नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री नमो नारायन मीणा : महोदय, देश में डाक विभाग का व्यापक नेटवर्क है तथा देश में डाकघरों की संख्या 1,50,000 है। ...*(व्यवधान)* डाक विभाग ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सी.बी.एस.) शुरू किया है जिसका उद्देश्य डाकघर बचत बैंक खाता धारकों को ए.टी.एल. बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तथा फोन बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है। ...*(व्यवधान)* महोदय, यह प्रक्रिया कोर बैंकिंग से संबंधित है और यह इस वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगी।...*(व्यवधान)* भारतीय डाक बैंक की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और यह तभी शुरू होगी जब भारतीय रिजर्व बैंक इसके लिए लाइसेंस प्रदान कर देगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सभी को मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा और सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपने स्थान पर वापस जाइए और इस मुद्दे को उठाइए, सरकार की ओर से आपको उत्तर मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली

***262. डॉ. बलीराम :**
श्री गोपीनाथ मुंडे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बैंक और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उन व्यक्तियों/कंपनियों को स्वीकृत ऋणों का ब्यौरा क्या है, जिनके विरुद्ध एक करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक के ऋण वसूली हेतु लंबित हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वसूल की गई और बट्टे खाते में डाली गई गैर-निष्पादनकारी अस्तियों का बैंक और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक का विचार बैंकों को और अधिक प्रशासनिक/वित्तीय शक्तियां प्रदान कर गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में बैंक में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के स्तर को कम करने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक के ऋण जो कि वसूली हेतु लंबित हैं और वसूल की गई तथा बट्टे खाते डाली गई अनर्जक आस्तियों का सरकार क्षेत्र के बैंक (पी.एस.बी.)-वार ब्यौरा, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा एकत्रित एवं उसके पास उपलब्ध है, क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है। आर.बी.आई. की डाटा रिपोर्टिंग प्रणाली में ऐसी जानकारी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा तैयार नहीं होता है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र की स्थिति में सुधार लाने, एन.पी.ए. को कम करने, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने तथा चूकों को रोकने के लिए अनुदेश जारी किए हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक बैंक में समस्या के संकेत की आरम्भ में ही पहचान करने के लिए सुदृढ़ तंत्र होने चाहिए जिसमें सभी व्यवहार्य खातों के मामले में त्वरित पुनर्संरचना; एक ऋण वसूली नीति, जिसमें बकाया की वसूली की पद्धति निर्धारित हो, कमी के लक्षित स्तर (अवधि-वार) अनुमत त्याग/छूट के लिए मानदण्ड, माफी पर विचार करने से पूर्व विचारणीय मदें,

निर्णय स्तरों एवं उच्च प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना, बट्टे खाते डालने/माफी के मामलों की निगरानी, अपनी जोखिमों के लिए स्वीकार किए गए जमानतों सहित संपत्तियों का मूल्यांकन; सरफारसी अधिनियम, 2002, डी.आर.टी. तथा लोक अदालत जैसे विधिक तंत्रा का सहारा लेना शामिल हो। अनुपयोज्य आस्ति प्रबंधन के मामले के समाधान के लिए विद्यमान मार्गनिर्देश पर्याप्त हैं।

सरकारी ने वूसली की गति को बढ़ाने तथा एन.पी.ए. के प्रबंधन के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कई नए कदम उठाने की सलाह दी है, जिनमें वसूली के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, हानि वाली आस्तियों की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाना, पूर्व चेतावनी प्रणाली लगाना, उत्तरदिनांकित चैक प्रणाली के स्थान पर इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली (ई.सी.एस.) लागू करना और वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति गठित करना शामिल है।

संसद ने अशोधय ऋणों की वसूली में कतिपय अवरोधों को दूर करने के लिए हाल ही में "प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 को अधिनियमित किया है। यह संशोधन अधिनियम दिनांक 15.01.2013 से लागू हुआ है।

सरकार तथा आर.बी.आई. द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप अनुपयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) की वर्षानुवर्ष वसूली में सुधर हुआ है।

विवरण-I

एक करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक के एन.पी.ए. खातों का पी.एस.बी.-वार ब्यौरा

क्र.सं.	बैंक का नाम	(राशि करोड़ में)					
		मार्च 2010		मार्च 2011		मार्च 2012	
		खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद बैंक	129	11	13	53	103	292
2.	आन्ध्रा बैंक	36	233	58	421	71	820
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	167	845	160	1496	196	2498
4.	बैंक ऑफ इंडिया	350	2809	236	2522	507	4268
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	62	339	61	305	77	598
6.	केनरा बैंक	176	1054	198	1435	272	2485
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	179	882	137	1159	222	4349
8.	कार्पोरेशन बैंक	14	142	39	291	72	799
9.	देना बैंक	32	243	40	440	58	416

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	आई.डी.बी.आई. बैंक लि.	234	1598	371	2125	579	3682
11.	इंडियन बैंक	49	345	294	239	284	1113
12.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	269	2942	214	2250	262	2934
13.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	105	645	112	929	190	2187
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	17	96	43	228	71	521
15.	पंजाब नैशनल बैंक	188	826	133	1803	709	5295
16.	सिडिकेट बैंक	109	504	147	833	129	1556
17.	यूको बैंक	147	664	168	1834	222	2747
18.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	116	977	148	1385	218	2359
19.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	126	575	136	526	164	1246
20.	विजया बैंक	61	413	27	291	47	786
21.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	38	350	37	525	54	805
22.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	30	304	83	716	189	1302
23.	भारतीय स्टेट बैंक	1262	8553	1527	11406	2419	23320
24.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	47	307	0		0	
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	36	251	42	289	36	446
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	87	499	134	698	91	850
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	33	223	31	435	53	587
	सरकारी क्षेत्र का बैंक	4099	26629	4589	34633	7295	68262

स्रोत: बैंक द्वारा यथा सूचित वैश्विक प्रचालन संबंधी ऑफ-साइट तुलन-पत्र विवरणी (वार्षिक ब्यौरा)। अत:, वर्तमान में आर.बी.आई. के पास वर्ष 2012-13 हेतु आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

विवरण-II

वसूल की गई तथा बट्टे खाते डाली गई एन.पी.ए. का सरकारी क्षेत्र बैंक-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक	अवधि	वास्तविक वसूलियां	बट्टे खाते डाली गई (समझौता खाते में बट्टे खाते में डाली गई सहित) राशि
1	2	3	4
इलाहाबाद बैंक	2009-10	241.4	642.7
	2010-11	2759	719.9
	2011-12	364.7	1003.2
	दिस.-12*	352.6	831.1
आन्ध्रा बैंक	2009-10	74.2	192.3
	2010-11	89.9	149.8
	2011-12	172.4	169.4
	दिस.-12*	211.2	207.6
बैंक ऑफ बड़ौदा	2009-10	372.2	465.2
	2010-11	436.7	431.3
	2011-12	537.0	928.8
	दिस.-12*	384.2	649.9
बैंक ऑफ इंडिया	2009-10	603.7	743.0
	2010-11	872.1	821.4
	2011-12	1182.2	2333.3
	दिस.-12*	969.5	1127.6
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2009-10	174.0	235.8

1	2	3	4
	2010-11	277.7	349.8
	2011-12	248.9	394.6
	दिस.-12*	147.4	503.9
केनरा बैंक	2009-10	688.1	1289.7
	2010-11	1019.6	1049.6
	2011-12	1470.0	1459.8
	दिस.-12*	755.2	1139.1
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2009-10	419.3	293.5
	2010-11	736.0	554.1
	2011-12	754.3	629.2
	दिस.-12*	1068.1	592.1
कार्पोरेशन बैंक	2009-10	81.8	266.6
	2010-11	68.4	5427
	2011-12	104.3	565.4
	दिस.-12*	82.0	614.2
देना बैंक	2009-10	195.4	184.9
	2010-11	191.1	196.3
	2011-12	222.6	193.9
	दिस.-12*	142.8	114.3
आई.डी.बी.आई. बैंक लि.	2009-10	302.3	476.9
	2010-11	230.2	837.7
	2011-12	79.1	313.4

1	2	3	4
	दिस.-12*	163.0	11.2
इंडियन बैंक	2009-10	133.9	383.2
	2010-11	1125	554.3
	2011-12	220.8	488.2
	दिस.-12*	236.4	339.6
इण्डियन ओवरसीज बैंक	2009-10	575.2	388.6
	2010-11	1030.2	970.5
	2011-12	703.1	1140.6
	दिस.-12*	401.4	87.2
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	2009-10	2663	389.0
	2010-11	333.1	6957
	2011-12	6227	932.9
	दिस.-12*	542.8	1118.3
पंजाब नैशनल बैंक	2009-10	950.4	852.6
	2010-11	1170.0	1591.8
	2011-12	1675.4	126.3
	दिस.-12*	1499.2	90.1
पंजाब एंड सिंध बैंक	2009-10	481	81.0
	2010-11	50.1	66.0
	2011-12	114.7	38.9
	दिस.-12*	77.0	22.3
सिडिकेट बैंक	2009-10	464.5	419.3

1	2	3	4
	2010-11	527.5	3506
	2011-12	8380	890.8
	दिस.-12*	679.8	957.3
यूको बैंक	2009-10	399.3	278.6
	2010-11	430.1	586.4
	2011-12	652.4	390.6
	दिस.-12*	466.9	169.9
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2009-10	401.0	5130
	2010-11	578.0	1126.0
	2011-12	732.8	938.0
	दिस.-12*	842.0	625.0
युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	2009-10	261.7	1736
	2010-11	300.2	414.1
	2011-12	331.1	232.9
	दिस.-12*	245.0	308.5
विजया बैंक	2009-10	257.4	491.5
	2010-11	438.0	327.3
	2011-12	458.6	214.2
	दिस.-12*	97.9	808
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	2009-10	192.8	22.6
	2010-11	153.2	165.8
	2011-12	227.5	275.1

1	2	3	4
	दिस.-12*	166.2	458.0
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2009-10	133.2	82.5
	2010-11	199.6	201.7
	2011-12	5088	210.7
	दिस.-12*	360.1	176.2
भारतीय स्टेट बैंक	2009-10	2059.0	1994.0
	2010-11	38450	4007.0
	2011-12	3971.0	744.0
	दिस.-12*	3733.6	2890.0
स्टैट बैंक ऑफ मैसूर	2009-10	78.1	19.8
	2010-11	139.7	311.3
	2011-12	204.7	165.4
	दिस.-12*	158.1	102.4
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2009-10	181.1	4.9
	2010-11	212.7	410.2
	2011-12	317.4	120.2
	दिस.-12*	207.3	0.1
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2009-10	172.1	123.7
	2010-11	222.8	152.5
	2011-12	328.3	181.7
	दिस.-12*	282.3	68.8

[अनुवाद]

जेनरेटर सेटों में डीजल की खपत

***263. श्री अनंत कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में सेल्यूलर टेलीफोनी टावरों को विद्युत आपूर्ति करने हेतु उपयोग में लाए जाने वाले डीजल जेनरेटर सेटों में डीजल की खपत का कोई अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में डीजल की खपत की मात्रा का वर्ष और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन डीजल जेनरेटर सेटों द्वारा डीजल के उपयोग के लिए सरकार द्वारा वर्ष-वार कुल कितनी राजसहायता वहन की गई; और

(घ) सेल्यूलर टेलीफोनी टावरों को विद्युत आपूर्ति हेतु राजसहायता प्राप्त डीजल के उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज.) ने बताया है कि सेल्यूलर टेलीफोनी टावरों हेतु पावर के लिए प्रयुक्त डीजल जेनरेटर सेट्स को बिक्री सहित खुदरा बिक्री केन्द्रों पर विभिन्न क्षेत्रों को की जाने वाली डीजल की बिक्री के संबंध में कोई अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है। मैसर्स ए.सी. निलसन ओ.आर.सी.-एम.ए.जी. (प्रा.) लि. द्वारा किए गए सर्वेक्षण के चल रहे दूसरे दौर के अनुसार मोबाइल टावरों द्वारा डीजल खपत की हिस्सेदारी डीजल की कुल खपत की 1.68 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ग) सरकार द्वारा वहन की जा रही राजसहायता के क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 1.3.2013 से प्रभावी मूल्यों के आधार पर डीजल पर कुल अनुमानित अल्पवसूली 92,793 करोड़ रूपए होने की उम्मीद है।

(घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओ.एम.सीज. को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश हाल ही में दोहराए हैं कि खुदरा बिक्री केन्द्र से एक ड्रम में ईंधन ले जाने वाले ग्राहकों को डीजल की बिक्री ऐसे अनुमोदित कंटेनर में की जाए जिसकी क्षमता 200 लीटर से अधिक न हो। सेल्यूलर टेलीफोनी टावरों हेतु पावर के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों से खरीदे गए इस राजसहायता प्राप्त डीजल का उपयोग रोकना संभव नहीं है।

गैस का आदान-प्रदान

***264. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विद्युत और उर्वरक उत्पादन कंपनियों के बीच गैस के आदान-प्रदान हेतु कोई नीति बनाई गई है अथवा बनाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इसके परिणामस्वरूप गैस आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) क्या आदान-प्रदान से गैस की कीमतों में वृद्धि होगी;

(घ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) उक्त नीति को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैर मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) गैस का आदान-प्रदान एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा 'प्रथम पक्षकार' दूसरे पक्षकार को' उसके द्वारा प्रथम पक्षकार अथवा प्रथम पक्षकार के प्रतिनिधि को अनय स्थल पर गैस की ऊर्जा समतुल्य मात्रा की आपूर्ति करने (सीधे अथवा परिवहनकर्ताओं के जरिए) के कारण किसी भी अतिरिक्त वित्तीय देयता से प्रथम पक्षकार की क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होने के बदले में' दूसरे पक्षकार का उसके द्वारा बताए गए स्थल पर गैस की आपूर्ति करता है। गैस के आदान-प्रदान के लिए सामान्य दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। केवल उर्वरक और विद्युत कंपनियों के लिए कोई विशिष्ट नीति विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

क्षय रोग नियंत्रण

***265. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :**
श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या प्रमुख क्रियाकलाप शुरू किए गए और कितनी धनराशि आबंटित की गई/उपयोग में लाई गई;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के निष्पादन का आकलन और निगरानी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे और इसमें क्या-क्या खामियां पाई गई;

(ग) क्या संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संयुक्त निगरानी मिशन ने बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान क्षय रोग के शीघ्र निदान और प्रभावी उपचार हेतु सार्वभौमिक पहुंच संबंधी कतिपय रणनीतियों की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो सिफारिश की गई रणनीतियों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) के तहत शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

- 13,000 से अधिक निर्दिष्ट माइक्रोस्कोपी केन्द्रों में स्प्यूटम स्मियर माइक्रोस्कोपी परीक्षय से क्षय रोग का पता लगाने संबंधी क्रियाकलाप।
- डॉट्स के तहत, 0.5 मिलियन से अधिक डाट केन्द्रों में गुणवत्तायुक्त क्षयरोग रोधी औषधियों से नैदानिक क्षय रोगियों का उपचार।
- औषधी प्रतिरोधी-क्षयरोग के निदान और उपचार के लिए सेवाओं को शुरूआत तथा विस्तार करना।
- क्षयरोग-एच.आई.बी. सहयोग क्रियाकलापों का विस्तार।
- क्षयरोग नियंत्रण के लिए समर्थन, संप्रेषण, सामाजिक संघटन और गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता।

11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आर.एन.टी.सी.पी. के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आबंटित/निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आर.एन.टी.सी.पी. में सुपरिभाषित निगरानी तथा पर्यवेक्षण कार्यनीति है, जिसमें आर.एन.टी.सी.पी. परियोजना क्षेत्रों की रिपोर्टों का स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के राज्य और केन्द्रीय क्षय रोग प्रभाग में नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है। जिलों में आर.एन.टी.सी.पी. के कार्यनिष्पादन की राज्य और केन्द्र स्तर पर समीक्षा की जाती है। बाह्य एजेंसियों, वित्तपोषक एजेंसियों तथा तकनीकी भागीदारों द्वारा प्रति तीन वर्षों में किया जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यक्रम की उपलब्धियां इस प्रकार है:

- एन.एस.पी. के 70 प्रतिशत से अधिक रोगियों के मामले के पता लगाने की दर में ठोस उपलब्धि।
- 85 प्रतिशत से अधिक उपचार सफलता दर की ठोस उपलब्धि।
- देश भर में क्षयरोग-एच.आई.वी. सहयोग में विस्तार।
- औषध प्रतिरोधी क्षयरोग की नैदानिक और उपचार सुविधाओं का विस्तार।
- 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 29.65 मिलियन के योजनागत लक्ष्य की तुलना में जांच किए गए संदिग्ध क्षयरोगियों की कुल संख्या 35.5 मिलियन थी।
- 6.3 मिलियन के योजनागत लक्ष्य की तुलना में 7.55 मिलियन रोगियों का उपचार किया गया।
- क्षयरोग में अनुमानित वार्षिक व्याप्तता प्रति लाख जनसंख्या पर 299 से घटकर 250 रह गई है।

11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्रमुख कमियां इस प्रकार हैं:-

- एक तिहाई से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को (पी.एच.सी.) निर्दिष्ट माइक्रोस्कोपी केन्द्रों (डी.एम.सी.) को साथ ही स्थापित किया गया है।
- फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन क्षयरोग रोधी औषधियों अनुसूची 'एच' की औषध होने के बावजूद देश में उक्त औषधियों की कांउटर पर बिक्री (ओ.टी.सी.) पर धडेल्ले से होती है।
- अधिक भीड़-भाड़ वाली, कम हवादार मलिन बस्तियों में क्षयरोग से अधिक व्याप्तता स्तर के कारण शहरी क्षयरोग नियंत्रण को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से शहरी प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्रों की लचर प्रणालियां तथा प्रबल निजी स्वास्थ्य केन्द्र समस्या का मूल है।
- डॉट्स स्ट्रेटजी के कार्यान्वयन में प्रगति के बावजूद क्षयरोग और मृत्यु-दर अभी भी अधिक है और 2009 में क्षय रोग अनुमान में 280,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

संयुक्त निगरानी मिशन की अंतिम रिपोर्ट जो अगस्त, 2012 में तैयार की गई थी अभी प्राप्त होनी है।

विवरण

संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य/संघ राज्यवार निधि आबंटन और निधि उपयोगिता
(नगद अथवा अनुदान के रूप में)

(रू. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		आवंटन	उपयोगिता	आवंटन	उपयोगिता	आवंटन	उपयोगिता	आवंटन	उपयोगिता	आवंटन	उपयोगिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	2206.70	2319.58	2068.79	1779.36	2149.20	1992.86	2258.40	2370.37	2367.60	2002.4
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.63	17.47	7.76	14.27	22.10	24.84	26.33	40.86	46.96	42.92
3.	अरुणाचल प्रदेश	50.94	151.44	33.96	167.02	190.08	213.99	237.60	223.86	279.88	321 .67
4.	असम	1209.91	553.85	806.60	553.54	620.32	616.86	775.40	796.19	740.63	710.88
5.	बिहार	2289.83	1593.73	2262.15	1247.50	1444.03	1652.12	1597.50	2019.07	2319.22	1783.91
6.	चंडीगढ	21.57	62.75	19.38	66.92	75.59	71ए09	87.81	91.46	107.84	90.92
7.	छत्तीसगढ़	613.90	781.57	575.52	607.71	790.50	517.09	830.00	699.25	1143.40	885.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	दादरा और नगर हवेली	6.47	29.80	5.82	28.62	31.45	31.01	35.20	36.53	43.79	35.87
9.	दमन और दीव	4.31	14.76	3.87	15.86	22.03	19.85	24.65	25.75	35.24	23.7
10.	दिल्ली	345.02	731.90	310.17	775.30	821 .46	987.4	941.68	1152.64	1217.02	1215.22
11.	गोवा	28.48	41.23	31.55	56.63	63.54	64.32	71.24	85.74	108.87	120.75
12.	गुजरात	1117.25	1260.37	1237.70	1582.60	1663.58	1942.67	1854.36	2088.94	2028.48	2270.82
13.	हरियाणा	200.00	505.68	525.29	507.82	507.15	522.78	661.10	597.32	692.91	607.35
14.	हिमाचल प्रदेश	132.28	262.57	146.54	283.42	392.58	285.85	437.94	328.27	513.48	457.64
15.	जम्मू और कश्मीर	227.93	300.62	252.50	313.28	567.16	408.91	634.14	426.61	615.54	643.87
16.	झारखण्ड	807.47	828.49	757.00	644.19	832.30	595.49	874.00	820.1	1030.00	879.56
17.	कर्नाटक	1143.70	957.63	1267.01	1312.31	1333.12	1512.45	1486.96	1841.77	2030.60	1970.97
18.	केरल	671.57	674.31	743.97	606.43	749.77	720.92	835.30	1042.27	1090.71	993.69
19.	लक्षद्वीप	2.15	10.26	1.94	8.37	22.05	10.24	24.67	1234	27.50	17.63
20.	मध्य प्रदेश	1341.11	1121.56	1485.69	1259.47	1514.40	1387.86	1689.73	1672.5	2042.96	2022.84
21.	महाराष्ट्र	1341.11	1121.56	1485.69	1259.47	1514.40	1387.86	1689.73	1672.5	2042.96	2022.84
22.	मणिपुर	114.62	172.66	76.42	204.55	204.32	208.37	255.40	274.44	265.19	308.37
23.	मेघालय	110.38	104.92	73.58	130.37	157.28	125.39	196.60	163.93	159.67	166.86
24.	मिजोरम	42.45	109.83	28.30	119.49	107.04	118.9	133.80	129.31	162.03	200.18
25.	नागालैण्ड	101.89	165.68	67.92	178.35	168.00	214.95	210.00	201.48	204.98	200.26
26.	ओडिशा	1075.70	1235.79	1008.47	935.85	1225.60	912.77	1287.05	985.91	1513.65	1081.08
27.	पुदुचेरी	21.57	28.58	19.38	25.19	45.62	50.28	52.66	89.40	111.01	96.95
28.	पंजाब	531.15	508.36	588.42	621.02	751.83	625.13	839.10	896.85	981.70	833.71
29.	राजस्थान	1269.89	1169.84	1406.78	1164.13	1548.64	1439.14	1727.64	1627.64	1914.54	1629.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	सिक्किम	25.47	57.73	16.99	67.47	64.64	67.69	80.80	82ए66	75.25	125.54
31.	तमिलनाडु	1318.73	1202.90	1460.90	1356.23	1651.61	1363.97	1841.55	1536.67	1661.46	1664.95
32.	त्रिपुरा	144.34	58.09	96.23	75.33	88.32	94.64	110.40	103.57	112.37	109.02
33.	उत्तर प्रदेश	4082.08	4157.66	4278.22	4258.10	4794.70	4292.69	5594.22	4727.54	5234.35	4889.49
34.	उत्तराखण्ड	251.64	353.19	235.91	272.62	325.70	307.81	342.00	359.04	449.07	346.46
35.	पश्चिम बंगाल	1744.05	1657.63	1932.08	1947.40	2015.51	2420.85	2249.26	2476.8	2770.10	2677.08
	कुल	25400.00	25291.14	26200.00	25870.73	29825.00	28843.54	33500.00	33531.19	38100.00	35583.81

[हिन्दी]

तंबाकू उत्पादों की खपत

***266. श्री तकाम संजय :**
श्री ताराचन्द भगोरा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लोगों को धूम्रपान करने तथा धुआं रहित तम्बाकू उत्पादों का सेवन करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं और उनके अंतर्गत क्या-क्या क्रियाकलाप शरू किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्व राज्यों सहित देश के विभिन्न भागों में धूम्रपान और धुआं रहित तम्बाकू उत्पादन के सेवन कर उक्त कार्यक्रमों के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई आकलन/सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्रा-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे तथा पूरे देश में तम्बाकू प्रयोक्ताओं की संख्या और तम्बाकू उत्पादों की खपत में कितनी वृद्धि अथवा कमी पाई गई;

(घ) देश में तम्बाकू से संबंधित रोगों पर प्रतिवर्ष अनुमानतः कितना खर्च किया जाता है। और विभिन्न तम्बाकू उत्पादों में कितने राजस्व संग्रहण होता है; और

(ङ) देश में तम्बाकूरोधी उपायों और जगरूकता कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाए किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) लोगों को तंबाकू सेवन से रोकने के लिए वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन.टी.सी.पी.) शुरु किया गया था जिसके उद्देश्य (i) तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरुकता पैदा करना, (ii) तंबाकू उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति में कमी लाना, (iii) "सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003" (सी.ओ.टी. पी.ए.) के तहत बनाए गए उपबंधों का प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और (iv) लोगों को तंबाकू नशा मुक्ति केन्द्रों के जरिए तंबाकू की लत्त छोड़ने में मदद पहुंचाना था। इस समय यह कार्यक्रम 21 राज्यों के 42 जिलों में चलाया जा रहा है।

इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम (2006) तथा उसके तहत जारी दिनांक 1 अगस्त 2011 के खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री निवारण एवं निषेध) विनियम, 2011 में उल्लेख है कि तंबाकू और निकोटीन का उपयोग किन्हीं खाद्य उत्पादों के आवश्यक तत्वों के रुप में उपयोग नहीं किया जाएगा।

अब तक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के कारण 28 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों ने तंबाकू अथवा निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के विनिर्माण, बिक्री एवं भंडारण पर रोक लगाते हुए खाद्य सुरक्षा विनियमों के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी किए हैं। (मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मिजोरम, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, उत्तराखंड, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, गोवा सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा असम)।

(ख) और (ग) सरकार ने घूम्रपान और धुंआ रहित तंबाकू उत्पादों के सेवन पर उपर्युक्त कार्यक्रम का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, तंबाकू के प्रचलन को मॉनीटर करने तथा तंबाकू नियंत्रण के मुख्य संकेतकों को पता लगाने के लिए स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 15 वर्ष तथा इससे अधिक आयु समूह में वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण (जी.ए.टी.एस.) भारत-2010 आयोजित किया गया था। इससे तंबाकू नियंत्रण के मुख्य संकेतकों से संबंधित बेस लाइन अनुमान आंकड़े प्राप्त हुए हैं। जी.ए.टी.एस. भारत 2010 के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार है:-

- किसी भी रूप में तंबाकू का वर्तमान सेवन : 34.6 प्रतिशत वयस्क; 47.9 प्रतिशत पुरूष एवं 20.3 प्रतिशत महिलाएं।
- वर्तमान में घूम्रपान करने वाले : 14.0 प्रतिशत वयस्क; 24.3 प्रतिशत पुरूष एवं 2.9 प्रतिशत महिलाएं।
- वर्तमान में धुंआ रहित तंबाकू का सेवन करने वाले: 25.9 प्रतिश वयस्क; 32.9 प्रतिशत पुरूष एवं 18.4 प्रतिशत महिलाएं।
- तंबाकू का सेवन शुरू करने की औसत आयु 17.8 थी। 25.8 प्रतिशत महिलाओं ने 15 वर्ष की आयु से पहले ही तंबाकू का सेवन शुरू किया था।
- नाबालिगों (15-17 वर्ष की आयु) में 9.6 प्रतिशत ने किसी न किसी रूप से तंबाकू का सेवन किया था और उनमें से अधिकांश में तंबाकू उत्पाद खरीदने की क्षमता थी।

(घ) हमारे पास तंबाकू संबंधी रोगों पर हुए वार्षिक व्यय के आंकड़े नहीं है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) द्वारा वर्ष 1998-99 में किए गए स्वास्थ्य लागत अध्ययन (2002-03 की दरों के हिसाब से) के अनुसार, भारत में तंबाकू से होने वाले कैंसर, चिरकालिक फेफड़े की बीमारियों) के कारण प्रत्यक्ष एवं परोक्ष 30,833 करोड़ रुपये थी जो उस अवधि के दौरान स्वास्थ्य पर किए गए कुल सरकारी व्यय की 25 प्रतिशत थी। उपचार व्यय चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा दोनों संस्थगत व्यय और वर्ष 1990-1992 में उपचार के दौरान अथवा मृत्यु पर्यन्त अथवा रोगमुक्त होने तक मजदूरी पर व्यय से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए।

वर्ष 1998-99 में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त कुल राजस्व, 5,768 करोड़ रुपए था। वर्ष 2011-12 में यह राशि 17,414 करोड़ रुपए है।

(ङ) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पाद, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 (सी.ओ.टी.पी.ए.) के उपबंधों को लागू करने के लिए अधिनियम के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियम अधिसूचित किए गए हैं:

- सार्वजनिक स्थानों पर घूम्रपान निषेध से संबंधित संशोधित नियमों को दिनांक 30 मई, 2008 के सा.का.नि. 417(ङ) द्वारा अधिसूचित तथा दिनांक 2 अक्टूबर, 2008 से लागू किया गया।
- सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) संशोधित नियमों को दिनांक 15 मार्च, 2008 के सा.का.नि. 182(ङ) द्वारा अधिसूचित और दिनांक 31 मई, 2009 से लागू किया गया। इन नियमों द्वारा समस्त तंबाकू उत्पादों पर चित्रसहित स्वास्थ्य चेतावनियां प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाया गया।
- सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों को (शैक्षिक संस्थाओं द्वारा बोर्ड का प्रदर्शन) दिनांक 19 जनवरी, 2010 के सा.का.नि. 40 (ङ) द्वारा अधिसूचित और उसी तारीख से लागू किया गया। इसमें शैक्षिक संस्थाओं से 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री को निषेध किया गया है।
- सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) संशोधन नियमावली, 2011 को दिनांक 11 अगस्त, 2011 के सा.का.नि. 619 (ङ) द्वारा अधिसूचित और उसी तारीख से लागू किया

गया। इस नियमों द्वारा 18 वर्ष की कम उम्र के किशोरों को और उनके द्वारा तंबाकू उत्पादों की बिक्री को निषेध बनाना तथा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उन पर जुर्माने की वसूली को अनिवार्य बनाया गया है।

- सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) संशोधन नियमावली, 2012 को दिनांक 27 सितंबर, 2012 के सा.का.नि. 724 (ङ) द्वारा अधिसूचित किया गया। धूम्रपान और धुंआरहित तंबाकू के सेवन के लिए अलग-अलग तीन-तीन चेतावनियां अधिसूचित की गई हैं। नई चेतावनियों को 1 अप्रैल, 2013 से लागू किया जाएगा।

- सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 को दिनांक 27.10.2011 के सा.का.नि. 786(ङ) द्वारा अधिसूचित और दिनांक 14 नवंबर, 2011 से लागू किया गया। इसमें नियमों तथा टी.वी. कार्यक्रमों में सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पादों को विनियमित करने के उपबंध हैं। इसके कार्यान्वयन में होने वाली कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 7 एवं 8 में आगे संशोधन किया है। संशोधित नियमों को दिनांक 21 सितंबर, 2012 के सा.का.नि. 708 (ङ) द्वारा अधिसूचित और दिनांक 2 अक्टूबर, 2012 से लागू किया गया है।

इस संबंध में मंत्रालय द्वारा किए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

- वयस्कों में तंबाकू सेवन को व्यवस्थित ढंग से मॉनीटर करने तथा तंबाकू नियंत्रण के मुख्य संकेतकों का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर घर घर किया जाने वाला सर्वेक्षण वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण भारत (2010) आयोजित किया गया। उसके निष्कर्षों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के सेमिनारों के जरिए प्रचारित-प्रसारित किया गया है।

- तंबाकू निर्भरता उपचार के संबंध में राष्ट्रीय दिशा-निर्देश तैयारकर उनका प्रचार-प्रसार किया गया है।

- तंबाकू नियंत्रण पर डॉक्टरों, शिक्षकों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/आशा के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए।

- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) द्वारा तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थाओं के लिए दिशा-निर्देश विकसित और अंगीकृत किए गए। सी.बी.एस.ई. ने इन दिशा-निर्देशों को सी.बी.एस.ई. से संबंद्ध सभी स्कूलों को परिचालित कर उन्हें कार्यान्वित करने का निदेश दिया है।

- तंबाकू रोधी कानून के तहत बनाए गए उपबंधों के विनिर्दिष्ट उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन स्थापित की गई है।

- सी.ओ.टी.पी. अधिनियम (तंबाकू रोधी कानून) की विभिन्न धाराओं के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए और उन्हें सभी राज्यों तथा प्रवर्तन एजेंसियों को जारी भेजा गया।

- भिन्न-भिन्न विभागों (कृषि, सीमा, शुल्क एवं उत्पाद, श्रम, शिक्षा, वन, जनजातीय, स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन, रेलवे, पुलिस, न्यायालय, सूचना एवं प्रसारण आदि) के कानून प्रवर्तकों/स्टेकहोल्डरों को तंबाकू नियंत्रण कानूनों के कार्यान्वयन तथा तंबाकू नियंत्रण के अन्य उपायों में उनकी भूमिका के संबंध में संवेदनशील बनाने के लिए दिल्ली एवं अन्य विभिन्न केन्द्रों पर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर एडवोकेसी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

- राष्ट्रीय स्तर पर फोकस बिन्दुओं की सहायतार्थ राष्ट्रीय स्तर पर (राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ) तथा राज्य स्तर पर 15 राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठों (दिल्ली, तमिलनाडु, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड और कर्णाटक) में राज्य-स्तरीय कंसल्टेंटों के जरिए मानव-संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।

- **राष्ट्रीय स्तर पर जन-संचार माध्यम अभियान:-** सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों के लिए तंबाकू रोधी सामग्री तैयार की गई है और तंबाकू के सेवन से होने वाले जोखिम, धूम्रपान, करने वालों के आस-पास रहने वाले लोगों को जोखिम, बच्चों तथा गर्भवती माताओं पर उसके हानिकारक प्रभावों के संबंध में जन-जागरुकता बढ़ाने के लिए और रेड़ियों, टी.वी. तथा बाह्य प्रचार अभियानों के माध्यम से उनका व्यापार प्रचार-प्रसार किया गया है।

- फिल्मों एवं टी.वी. कार्यक्रमों में तंबाकू-सेवन के प्रदर्शन से संबंधित दृश्यों के विनियमन-संबंधी नए नियमों में, तंबाकू-उपयोग के दृश्यों को दिखाने वाली ऐसी फिल्मों तथा टी.वी. कार्यक्रमों के शुरु में एवं बीच में स्वास्थ्य-विज्ञापनों एवं डिस्क्लेमर्स प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाया गया।

- रोकथाम संबंधी रणनीतियों का विवेचन करने और चबाने वाले में तंबाकू के सेवन तथा स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव से निपटने के लिए सहमति निर्माण हेतु अप्रैल, 2011 में धुंआरहित तंबाकू पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया।

- फिल्मों तथा टी.वी. कार्यक्रमों में तंबाकू उत्पादों, धूम्रपान और धुंआरहित दोनों, के उपयोग को सीमित करने की आवश्यकता के संबंध में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) और उसके क्षेत्रीय केन्द्रों के सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए डब्ल्यू.एच.ओ. के सहयोग से दिनांक 28.09.2011 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- जनवरी, 2012 में, एन.टी.सी.पी. के राज्य एवं जिला नोडल अधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया।

- दिसंबर, 2012 में नई दिल्ली में 'तंबाकू के अर्थशास्त्र' विषय पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया।

- 1 मार्च, 2013 को असम में तंबाकू-मुक्त पूर्वोत्तर के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया।

- मंत्रालय ने सभी राज्यों को जिला स्तर पर मासिक अपराध समीक्षा बैठकों के माध्यम से तंबाकू-रोधी कानून के उपबंधों के प्रवर्तन को मुख्य धारा में लाने के लिए पत्र लिखा गया है। मंत्रालय तंबाकू रोधी कानून को 'सोशियल पोलिसिंग' एजेंडा में शामिल करने का भी प्रयास कर रहा है।

[अनुवाद]

विशेष क्षेत्र निदर्शन परियोजना कार्यक्रम

*267. **श्रीमती अन्नू टन्डन** : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष क्षेत्र निदर्शन परियोजना कार्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम को जारी रखने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं को अब तक दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन कार्यक्रमों में स्थानीय सामुदायिक संसाधनों को शामिल करने पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कुछ और स्थानों की पहचान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विशेष क्षेत्र निदर्शन कार्यक्रम (एस.ए.डी.पी.) का कार्यान्वयन जागरूकता का सृजन करने हेतु ऐसे स्थानों, जहां बड़ी संख्या में लोगों और पर्यटकों का आना-जाना होता है, में नवीन और अक्षय ऊर्जा स्रोतों (एन.आर.एस.ई.) का निदर्शन करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। एस.ए.डी.पी. के दो घटक हैं, नामत: ऊर्जा पार्क, और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में अक्षय ऊर्जा प्रणालियों का निदर्शन।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित की गई धनराशि क्रमशः 4.03 करोड़ रू., 8.25 करोड़ रू. 10.00 करोड़ रू. और 6.00 करोड़ रू. है।

(ख) जी, हां।

(ग) एस.ए.डी.पी. को वर्ष 2013-14 के दौरान जारी रखा जा रहा है जिसके लिए 8.00 करोड़ रू. का आबंटन किया गया है। अब तक जिन परियोजनाओं को सहायता दी गई है, का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) मंत्रालय द्वारा विशेष क्षेत्र निदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थापित एन.आर.एस.ई. प्रणालियों की संस्थापना और अनुरक्षण की लागत के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जबकि शेष धनराशि राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, संगठनों आदि सहित लाभार्थी संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

(ङ) मंत्रालय द्वारा एस.ए.डी.पी. के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु देश के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विश्व विरासत स्थलों, पर्यटन तथा धार्मिक स्थलों की पहचान की गई है।

विवरण

विशेष क्षेत्र निदर्शन कार्यक्रम (एस.ए.डी.पी.) के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजनाओं और राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्कों (एस.एल.ई.पी.) के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित किए गए केन्द्र/राज्य सरकार
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	राजभवन, हैदराबाद
2.	अरूणाचल प्रदेश	राजभवन, ईटानगर राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क (एस.एल.ई.पी.), ईटानगर
3.	असम	राजभवन, गुवाहाटी एस.एल.ई.पी. श्रीमती शंकरदेवा कालाक्षेत्रा, गुवाहाटी
4.	चंडीगढ़	यू.टी. सचिवालय एस.एल.ई.पी. बोटेनिकल गार्डन, चंडीगढ़
5.	छत्तीसगढ़	राजभवन, रायपुर विधानसभा, रायवपुर रायपुर, बिलासपुर, नारायणपुर, राजनन्दगांव, सरगुजा, कबीरधाम, बीजापुर, राजगढ़, कंकेर, दांतेवाडा, जसपुर, कोरिया, जंजगिर, चम्पा, महासामुद्र, दुर्ग, जगदलपुर, कोरबा के कलेक्टरेट एस.एल.ई.पी. राजीव स्मृत वैन, रायपुर एस.एल.ई.पी. बिलासपुर
6.	दिल्ली	संसद भवन जंतर मंतर सफदरजंग का मकबरा

1	2	3
		दिल्ली सचिवालय अक्षर धाम मन्दिर तिहाड़ जेल परिसर एस.एल.ई.पी., गार्डन ऑफ फाइव सेंसेंज, नई दिल्ली
7.	गोवा	राजभवन, गोवा एस.एल.ई.पी. मारगांव, जिला साउथ गोवा, गोवा
8.	गुजरात	सैफी विला कॉम्प्लैक्स, डांडी एस.एल.ई.पी. साइंस सिटी सैंटर, अहमदाबाद
9.	हरियाणा	हरियाणा राज भवन, चंडीगढ़ अम्बाला, जिंद, कुरूक्षेत्र, रेवाड़ी, फतेहाबाद, हिसार, फरीदाबाद, सोनीपत, नारनौल, पंचकुला के कलेक्टरेट एस.एल.ई.पी. - गुड़गांव
10.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति, शिमला, सिमौर, मंडी, सोलन और उना के कलेक्टरेट एस.एल.ई.पी. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.), हमीरपुर एस.एल.ई.पी. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलर
11.	जम्मू और कश्मीर	राजभवन जम्मू राजभवन, श्रीनगर जियारत शरीफ दरगाह, हजरतबल, श्रीनगर जियारत शरीफ ऑफ हजरत नूर दीन वली चरार-ए-शरीफ राज्य विधान सभा और परिषद, जम्मू राज्य विधान सभा और परिषद, श्रीनगर श्री माता वैष्णों देवी श्राइन, कटरा एस.एल.ई.पी., लेह एस.एल.ई.पी. बोटेनिकल गार्डन, चश्मे शाही, श्रीनगर
12.	झारखंड	राजभवन, रांची एस.एल.ई.पी. रांची सिटी होवार, रांची
13.	कर्नाटक	हाम्फी में स्मारकों का समूह, डब्ल्यू.एच.एस., हम्फी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर एस.एल.ई.पी. इंदिरा गांधी म्यूजिकल फाउंटेन, बंगलौर

1	2	3
14.	केरल	एस.एल.ई.पी. कोचीन
15.	महाराष्ट्र	राजभवन मुंबई
		बीबी का मकबरा, औरंगाबाद
		दौलताबाद किला, दौलताबाद
		सिद्धि विनायक मंदिर, मुम्बई
		विट्ठल रूक्मिणी मंदिर, पंढरपुर
		योगेश्वरी देवस्थान, बीड
		तुलिजा भवानी मंदिर, उस्मानाबाद
		पांडुलेना गुफाएं
		एस.एल.ई.पी. पेशवा पार्क, पुणे
16.	मध्य प्रदेश	राजभवन, भोपाल
		विधानसभा, भोपाल
		मंत्रालय, भोपाल
		ग्वालियर का किला, ग्वालियर
		रानी रूपमती पवेलियन, मांडु
		डेली कॉलेज, इंदौर
17.	मणिपुर	राजभवन, इम्फाल
18.	मेघालय	राजभवन, शिलांग
		एस.एल.ई.पी. लुम नेहरू, बारापानी, शिलांग
19.	मिज़ोरम	एस.एल.ई.पी. आइजोल
20.	नागालैंड	एस.एल.ई.पी. छुकुकेडिमा, दीमापुर
21.	ओडिशा	राजभवन, भुवनेश्वर
		जगन्नाथ पुरी मंदिर
		एस.एल.ई.पी. बीजू पटनायक एनर्जी पार्क, खांडागिरी
22.	पंजाब	पंजाब राज भवन, चंड़ीगढ़
		स्वर्ण मंदिर, अमृतसर,
		राज्य विधान सभा, चंड़ीगढ़
		दुर्गियाना तीर्थ मंदिर, अमृतसर
		पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़
		अनन्तपुर साहिब किला

1	2	3
		वाघा बार्डर स्थित बी.एस.एफ. शिविर वर्ल्ड सिख हैरिटेज सैंटर, तख्त आनन्दपुर साहिब, रोपड़, एस.एल.ई.पी. पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, कपूरथला
23.	पुदुचेरी	एस.एल.ई.पी. पोनाईमान
24.	राजस्थान	राजभवन, जयपुर कियोलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर चितौड़गढ़ किला, चितौड़गढ़ हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह, अजमेर
25.	सिक्किम	राज्य विधानसभा, गंगटोक एस.एल.ई.पी.-बंझारकी फॉल्स, रंगका गंगटोक
26.	तमिलनाडु	राजभवन, चैन्नई रामेश्वरम, श्राइन एस.एल.ई.पी. - पेरियार साइंस एंड टेक्नोलोजी सैंटर, चैन्नई
27.	त्रिपुरा	राजभवन, अगरतला एस.एल.ई.पी. त्रिपुरा यूनिवर्सिटी कैम्पस, अगरतला
28.	उत्तराखंड	राजभवन, देहरादून राजभवन, नैनीताल केदारनाथ श्राइन बद्रीनाथ श्राइन एस.एल.ई.पी. पटेल नगर, देहरादून
29.	उत्तर प्रदेश	राजभवन, लखनऊ मुजफ्फरनगर, बागपत, बलरामपुर, गाजीपुर, सहारनपुर, कानपुर के कलेक्टरेट एस.एल.ई.पी. बोटेनिक गार्डन, लखनऊ
30.	पश्चिम बंगाल	राजभवन, कोलकाता शान्ति निकेतन राज्य असेम्बली, कोलकाता शरीद मिनार, कोलकाता राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता एस.एल.ई.पी. दुर्गापुर
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	महात्मा गांधी पार्क, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

[हिन्दी]

विषाक्त और हानिकारक रसायनों वाले खाद्य पदार्थ

***268. श्री जगदानंद सिंह :**
श्री इज्यराज सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य पदार्थों में विषाक्त और हानिकारक रसायनों का उपयोग देश में रुग्णता और मौतों का एक कारण बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विषाक्त और हानिकारक रसायनों वाले खाद्य पदार्थ तैयार किए जाने, बनाए जाने और उनकी बिक्री किए जाने पर रोक लगाने संबंधी उपबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कड़ी कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) कुछ राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से ऐसे मामलों की रिपोर्ट मिली है, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 में असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए दण्ड का प्रावधान निम्नवत् है:-

कोई भी व्यक्ति जो, स्वयं अथवा स्वयं की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी खाद्य सामग्री, जो असुरक्षित है, का मानव उपयोग के लिए बिक्री हेतु विनिर्माण या भण्डारण अथवा विक्रय अथवा वितरण अथवा आयात करेगा, तो वह-निम्नलिखित दंड का भागीदार होगा:

(i) जहां ऐसी विफलता अथवा उल्लंघन के फलस्वरूप किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचती है, वहां छः माह तक की कारावास की सजा के साथ-साथ तीन लाख रुपये तक का जुर्माना:

(ii) जहां ऐसी विफलता करने अथवा उल्लंघन करने के फलस्वरूप साधारण क्षति होती है, वहां एक वर्ष तक के कारावास की सजा के साथ-साथ तीन लाख रुपये तक का जुर्माना:

(iii) जहां ऐसी विफलता अथवा उल्लंघन करने के फलस्वरूप गंभीर क्षति होती है, वहां छः वर्ष तक के कारावास की सजा के साथ-साथ पांच लाख रुपये तक का जुर्माना:

(iv) जहां ऐसी विफलता अथवा उल्लंघन करने के फलस्वरूप मौत हो जाती है, वहां कम से कम सात वर्ष की कारावास की सजा, जिसे बढ़ाकर उम्र कैद तक कीया जा सकता है, के साथ-साथ कम से कम दस लाख रुपये तक का जुर्माना:

(घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के कार्यान्वयन का दायित्व मुख्यत: राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों का है। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन खाद्य-उत्पादों की नियमित निगरानी, मौनिटरिंग की जाती है और नमूने एकत्र किए जाते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) समय-समय पर राज्य/संघ-राज्य सरकारों को खाद्य-उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए निर्देशिकाएं जारी करता है। एफ.एस.एस.ए.आई., गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.), इस क्षेत्र में काम करने वाले एवं अनुभव रखने वाले राज्य सरकार के जन-स्वास्थ्य विभाग को शामिल करते हुए, खाद्य सुरक्षा पर जागरूकता कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। विनियामकों, अन्य सरकारी एजेंसियों, विनिर्माण संघों, म्युनिसिपल निकायों, गैर-सरकारी संगठनों, उपभोक्ताओं आदि सहित खाद्य श्रृंखला में आने वाले सभी स्टेक-होल्डरों के साथ सीधा संपर्क/संचार सूत्र स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हेल्पलाइन (1800 11 21 00) भी शुरू की गई है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्य वाहित रोगों और मौतों के मामले

क्र.सं.	राज्य का नाम	बीमारी	मौत
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य
2.	आन्ध्र प्रदेश	22	शून्य
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
4.	असम	शून्य	शून्य
5.	बिहार	शून्य	शून्य
6.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य
7.	छत्तीसगढ़	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य
9.	दमन और दीव	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
10.	दिल्ली	शून्य	शून्य
11.	गोवा	शून्य	शून्य
12.	गुजरात	724	1
13.	हरियाणा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
14.	हिमाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
15.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
16.	झारखण्ड	शून्य	शून्य
17.	कर्नाटक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
18.	केरल	शून्य	1
1	2	3	4
19.	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
20.	मध्य प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
21.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य
22.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
23.	मेघालय	शून्य	शून्य
24.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
25.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य
26.	ओडिशा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
27.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य
28.	पंजाब	शून्य	शून्य
29.	राजस्थान	65	4
30.	सिक्किम	शून्य	शून्य
31.	तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
32.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
33.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य
34.	उत्तराखंण्ड	663	शून्य
35.	पश्चिम बंगाल	4898	1

[अनुवाद]

बच्चों में एच.आई.वी./एड्स

*269. **श्री सुशील कुमार सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मां से बच्चे में संचरण देश में एच.आई.वी. संचरण का एक प्रमुख माध्यम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों

में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुमानित ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित और उपचार प्राप्त कर रहे बच्चों की संख्या के बीच अंतर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) मां से बच्चे में एच.आई.वी. के संचरण को रोकने तथा साथ ही देश में ऐसी माताओं और बच्चों से जुड़े कलंक को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी नहीं। माता से बच्चे में संचरण (एम.टी.सी.टी.) देश में एच.आई.वी. संचरण का प्रमुख माध्यम नहीं हैं। इस समय एम.टी.सी.टी. का भाग देश में पता लगाए गए कुल एच.आई.वी. के रोगियों का 5.03% है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। एच.आई.वी./एड्स के साथ जी रहे बच्चों और उपचार प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में असमानता है। यह इस तथ्य के कारण है कि दिशा-निर्देशों के अनुसार ए.आर.टी. केन्द्रों में पंजीकृत एच.आई.वी. के साथ जी रहे सभी बच्चों पर ही ए.आर.टी. शुरू की जाती है, जो आयु के अनुसार सी.डी.4 कट-आफ थ्रेशोल्ड पर होते हैं।

(ङ) इस विभाग ने देश में एम.टी.सी.टी. एच.आई.वी. संचरण को नियंत्रित करने व ऐसी माताओं व बच्चों के साथ जुडे कलंक को कम करने के लिए निम्नलिखित पहलें की है:-

- गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क एच.आई.वी. परामर्श व परीक्षण सेवाओं की व्यवस्था।
- भागीदार व परिवार परामर्श तथा जांच।
- माता से बच्चे में एच.आई.वी. संचरण के जोखिम को कम करने के लिए प्रसव के समय माता व शिशु को एकल खुराक नेविरापाइन की व्यवस्था।
- माता से बच्चे में संचरण को चरणवार ढंग से रोकने के लिए और अधिक प्रभावकारी औषध विधान शुरू करना।
- एच.आई.वी. पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं को परिचर्या, सहायता व उपचार सेवाओं से जोड़ना।
- राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के क्षेत्राधिकार के भीतर डॉक्टरों, नर्सों , अर्धचिकित्सीय कर्मचारियों, आशाओं, सहायक नर्स धात्रियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं व महिला स्वयं सहायता समूहों जैसे स्वास्थ्य से संबंधित कार्मिकों के साथ परामर्शी व सुग्राहीकरण करने का कार्य शुरू किया गया ताकि माताओं व बच्चों में भेदभाव, उनको कलंकित अथवा उनको सेवाएं प्रदान करने से इंकार न किया जा सके। जागरूकता बढ़ाने व कलंक का कम करने के लिए कलंक व भेदभाव के मामले तथा माता से बच्चे में एच.आई.वी. संचरण रोकने के लिए सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के बारे में जन प्रचार के साधनों व अन्य तरीकों के माध्यम से नियमित रूप से अभियान चलाए जाते हैं।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी का तेल दिया जाना

*270. **श्री नरेन्द्र सिंह तोमर** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिट्टी के तेल का कोटा कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष का तत्संबंधी मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली)

: (क) और (ख) जी, हां। घरेलू एल.पी.जी./पी.एन.जी. कनेक्शनों में वृद्धि, पी.डी.एस. मिट्टी तेल का कोटा नहीं उठाने और गैर एल. पी.जी. आबादी के लिए प्रति पी.डी.एस. मिट्टी तेल के आबंटन हेतु अधिकतम सीमा जैसे घटकों के आधार पर पी.डी.एस. मिट्टी तेल के कोटे को युक्तिसंगत बनाया जाता है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में पी.डी.एस. मिट्टी तेल के कोटे के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वर्ष 2012-13 से प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान विशेष आवश्यकताओं के लिए गैर राजसहायता प्राप्त दरों पर पी.डी.एस. मिट्टी तेल का एक माह का कोटा प्राप्त कर सकते हैं। घरेलू एल.पी.जी./पी.एन.जी. कनेक्शनों में भी वृद्धि हुई है।

विवरण

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पी.डी.एस. मिट्टी तेल आबंटन

(किलोमीटर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7236	7248	7248	7272
2.	आन्ध्र प्रदेश	465996	530808	595800	664476
3.	अरुणाचल प्रदेश	11556	11628	11736	11783
4.	असम	328152	330708	331176	331392
5.	बिहार	817212	820320	824760	827265
6.	चंडीगढ़	3960	7332	9168	9227
7.	छत्तीसगढ़	186240	186600	186972	187382
8.	दादरा और नगर हवेली	2280	2484	3036	3579
9.	दमन और दीव	912	2016	2328	2663
10.	दिल्ली	53904	61380	138900	173777
11.	गोवा	5460	19776	22680	24684
12.	गुजरात	673584	673584	920556	954329
13.	हरियाणा	95076	157260	172632	186107

1	2	3	4	5	6
14.	हिमाचल प्रदेश	25140	32472	40260	58424
15.	जम्मू और कश्मीर	94698	95082	95082	96794
16.	झारखण्ड	269988	270276	270852	271089
17.	कर्नाटक	522888	539544	562812	592822
18.	केरल	125196	197124	225096	277959
19.	लक्षद्वीप	1008	1020	1020	1022
20.	मध्य प्रदेश	625980	626412	626412	626881
21.	महाराष्ट्र	945720	1258812	1564176	1640416
22.	मणिपुर	25344	25344	25344	25370
23.	मेघालय	25944	26064	26136	26162
24.	मिजोरम	7836	7836	7920	7942
25.	नागालैण्ड	17100	17100	17100	17113
26.	ओडिशा	399768	400944	403140	403919
27.	पुदुचेरी	4668	10440	15732	15740
28.	पंजाब	103884	272556	285396	301590
29.	राजस्थान	510960	511404	511644	511984
30.	सिक्किम	6348	6588	6600	7153
31.	तमिलनाडु	482244	551352	633648	717580
32.	त्रिपुरा	39180	39264	39300	39501
33.	उत्तर प्रदेश	1592148	1592700	1593768	1594413
34.	उत्तराखंण्ड	37932	107520	111060	115451
35.	पश्चिम बंगाल	964464	964728	965388	965724
	कुल आबंटन	9480006	10365726	11254878	11698985

[अनुवाद]

पर्यटन परिपथ/पार्क और ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर्स

***271. श्री वैजयंत पांडा :**
श्री पी.के. बिजू :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सरकार द्वारा नियुक्त किए गए राष्ट्रीय स्तर के सलाहकार द्वारा एकीकृत विकास हेतु चिन्हित किए गए पर्यटन परिपथों पर्यटन पार्कों और ग्रामीण पर्यटन क्लस्टरों की राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र-वार सूची क्या है;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गईं तथा उनके अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गई और इनके कार्यान्वयन की परियोजना-वार स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों विशेषकर ओडिशा और बिहार से ऐसे और अधिक पर्यटन परिपथों/पार्कों और क्लस्टरों को शामिल करने हेतु अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) पर्यटन मंत्रालय ने 12वीं योजनावधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर एकीकृत विकास के लिए प्रत्येक राज्य (उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर) एवं संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.) में पर्यटन परिपथों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के एक कंसलटेंट (एन.एल.सी.) की नियुक्ति की है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एन.ई.आर.) में पर्यटन परिपथों की पहचान/विकास के लिए उत्तर-पूर्वी परिषद उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा शुरू करवाया गया एक अध्ययन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा किया गया है।

उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एन.एल.सी. द्वारा पहचान किए गए पर्यटन परिपथों, पर्यटन पार्कों और ग्रामीण पर्यटन क्लस्टरों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राज्यों के लिए अनंतिम रूप से पहचान किए गए पर्यटन परिपथों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) पर्यटन मंत्रालय ने 12वीं योजना अवधि के दौरान पहचान की गई पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप करने हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर) के लिए राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एस.एल.पी.एम.ए.) की नियुक्ति की है।

वर्तमान में, परियोजना प्रस्ताव अर्थात् पहचान की गई परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की जा रही हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दिए गए परियोजना प्रस्ताव योजना दिशा-निर्देशों, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर मंजूर किए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय को एकीकृत विकास के लिए पहचान किए गए परिपथों की सूची में और गंतव्यों को शामिल करने के लिए जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। ओडिशा और बिहार राज्यों से इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अनुरोधों पर योजना निर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एकीकृत विकास के लिए पहचान की गई परियोजनाओं के पूरा होने की प्रत्याशित तारीख इंगित नहीं की जा सकती क्योंकि विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-I

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एन.एल.सी. द्वारा पहचान किए गए राज्य-वार ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर्स, पर्यटन पार्क और पर्यटन परिपथ एवं गंतव्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण पर्यटन कलस्टर्स	पर्यटन पार्क	पहचान किए गए पर्यटन परिपथ/गंतव्य
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	कार निकोबार	रूटलैंड द्वीप समूह (दक्षिण अण्डमान)	1. दक्षिण अण्डमान जिला : पोर्टब्लेयर - नील - हेवलॉक-लिटिल अण्डमान परिपथ 2. दक्षिण अण्डमान, मध्य एवं उत्तर अण्डमान जिले : पोर्टब्लेयर-रंगत-मायाबुन्डेर-डिग्लिपुर परिपथ
2.	आन्ध्र प्रदेश	1. पोचमपल्ली (नालगोंडा) 2. श्री कालहस्ती (चित्तूर)	विजयवाड़ा	1. विशाखापट्टनम-विजयनगरम-श्रीकाकुलम 2. हैदराबाद-नालगोन्डा-वारंगल 3. चित्तूर-अनंतपुर-कड़ापा (तिरूपति) 4. पूर्वी गोदावरी-पश्चिमी गोदावरी-कृष्णा-खम्मम
3.	बिहार	मिथिला	बोध गया	1. बौद्ध परिपथ : बोध गया-नालंदा-राजगीर-पटना-वैशाली 2. रामायण परिपथ : वैशाली-सीताकुंड-अहिल्या स्थान-सीतामढ़ी-अहिरौली-वाल्मिकी नगर 3. सुफी परिपथ : मानेर शरीफ-दरगाह शरीफ-बिहार शरीफ-हाजीपुर-फुलवारी शरीफ 4. जैन परिपथ : वैशाली-राजगीर-पावापुरी-पारसनाथ-नवादा
4.	चण्डीगढ़			चण्डीगढ़ में गंतव्य विकास : कॉपीटाल परिसर-रॉक गार्डन-सुखना लेक एवं वन्य जीव अभ्यारण्य-कलाग्राम-रामगढ़ किला-कला प्रदर्शन के लिए नेहरू सेन्टर-सरदार बेअंत सिंह मेमोरियल-रोपर वैटलैण्ड्स (किकार लॉज)
5.	छत्तीसगढ़	सिरपुर, ब्रारनवापारा, बिलासपुर, रायगढ़,	1. कोड़ार बांध (प्राथमिकता)	1. रायपुर-सिरपुर-शिवरीनारायण-बिलासपुर

1	2	3	4	5
		जशपुर, अम्बिकापुर, अचानकमार, कवर्धा, दुर्ग, कांकेर, कोंडागांव, बारसूर	2. माना टूटा (नया रायपुर)	2. रायगढ़-जशपुर-अम्किापुर-चिरमिरी-गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 3. रायपुर-धमतरी-कांकेर-बलौदा-राजनंदगांव-दुर्ग-रायपुर 4. जगदलपुर-चित्रकोट-कोंडागांव-कुटुमसर गुफाएं-कांकेर घाटी एन.पी.-कैलाश गुफा-तीरथगढ़ झरने
6.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	दीव में पावती ग्राम/ नागोआ ग्राम तट के निकट (50 एकड़+)	दीव-नागोआ समुद्र	1. सिलवासा-खानवेल-दुधानी-दमन 2. दीव में गंतव्य विकास
7.	दिल्ली		एन.डी.एम.सी. क्षेत्र सिगनेचर ब्रिज के नजदीक (वजीराबाद), नजफगढ़ ड्रेन (पश्चिम बिहार), सैयद-उल-अजायब, गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस, कांगन हेड़ी और छावला	दिल्ली के प्रमुख स्मारकों को जोड़ने वाला विरासत परिपथ, दिल्ली में प्रमुख धार्मिक केन्द्रों को जोड़ने वाले धार्मिक परिपथ
8.	गोवा	कांकोना, सेनजियम	कोई नहीं	पूरे गोवा के गंतव्य
9.	गुजरात	पोरबंदर	नालसरोवर	1. डाकोर-फागवेल-उत्कंठेश्वर-बालासिनोर-पावागढ़ 2. गिर-सोमनाथ-द्वारिका-अहमदपुर मांडवी 3. बिचारजी-पाटन/सिद्धपुर-अहमदाबाद 4. भावनगर-राजकोट-जूनागढ़
10.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र	रोहतक	1. कालका-पंचकूला-नारायणगढ़-यमुनानगर-पेहुवा-थानेश्वर-कुरूक्षेत्र-पिंजोर

1	2	3	4	5
				2. रोहतक-मेहाम-हांसी-हिसार-देबवली 3. सूरजकुंड-दमदमा लेक-फरीदाबाद (बड़कल लेक)-पलवल 4. महेन्द्रगढ़-माधोगढ़-नारनौल-शेखावटी की ओर निर्गम
11.	हिमाचल प्रदेश	कल्पा, संगला, नग्गड	सोलन	1. व्यास परिपथ : स्वर्गहाट-बिलासपुर-मन्डी-कुलु- मणीकरण-मनाली-नग्गर-रोहतांग 2. सतुलज परिपथ : कालका-सोलन-शिमला-चैल-कुफरी-नालडेहरा 3. धौलाधार परिपथ : चण्डीगढ़-रूपनगर-मुबारकपुर- चिंतापूर्णी-ज्वालाजी-धर्मशाला-चम्बा 4. जनजातीय परिपथ : सरहान-कल्पा-संगला-नाको-ताबो-काजा-किब्बर-लोसर-केलोंग-उदयपुर
12.	जम्मू और कश्मीर	1. लद्दाख ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर 2. (आल्ची,लिकिर, बास्गो)*	श्रीनगर	1. श्रीनगर-सोनमार्ग-वुलर 2. जम्मू परिपथ: जम्मू-कटरा-मानसबल-लोलाब-बुंगस-गुरेज-तंग मर्ग-गुलमर्ग-दूधपत्री-पटनीटॉप-लखनपुर-बाशोली-सुरीनसार-मानसर- शिवखोड़ी-शुद्धमहादेव 3. योसमार्ग-आहारबल-पहलगांव-वेरीनाग-कोकेरनाग-किश्तवाड़-भदरवाह 4. लेह परिपथ : लेह-न्योमा-तांगस्ते-बासगो-हुंडेर (नुबड़ा)-टुरटुक (नुबड़ा)-मांगुई-टेमिसगंग-खालत्सी
13.	झारखण्ड	सराईकेला जिले में जानुमडीह और अमाडुबी (पूर्वी सिंहभूम), देवरीडीह, माकुलकोचा एवं पिंड्राबेड़ा	रांची	1. हजारीबाग-रांची-जमशेदपुर 2. धनबाद-पारसनाथ-राजगीर-पावापुरी 3. देवघर-गिरिडीह-पारसनाथ 4. रांची-बेटला-नेतरहाट

1	2	3	4	5
14.	कर्नाटक	1. अनेगुन्डी* बानावसी, कोक्कारेबेलूर 2. चन्नापटना और इल्लेकल	पर्यटन विभाग स्थल की पहचान करने की प्रक्रिया में है	1. तटीय कर्नाटक : मंगलौर-बप्पानाड (मुल्की)-कौफ-माणिपाल- माल्पे-सेंट मेरिस आईलैण्ड-मट्टू-बारकूर-गंगोली-राजडी-मारावन्थे/ त्रासी- मुरूदेश्वर-नेत्राणी आईलैण्ड-कुम्टा-याना-गोकर्णा-अप्सराकोन्डा-दांडेली-कोली नदी-करवाड़ 2. दक्षिणी कर्नाटक : बंगलौर-नदी हिल्स-बन्नेरघट्टा-अनेकल-बिदाडी-रामनगरम-चन्नापटना-कोक्कारेबेलूर पेलीकानरी-भीमेश्वरी-मेकेडाटू-शिवनासामुंद्रम फाल्स-तालाकाड-सोमनाथपुर-मेलकोट-श्रीरांगपटना रंगानाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य-मैसूर-नंजानगुड-बी. आर. हिल्स-बंदीपुर-काबिनी-नागरहोल-तालाकावेरी-बागमंडला-माडीकेरी- दुबारे-बाइलाकुप्पे 3. उत्तरी कर्नाटक : बंगलौर/हुबली-हम्पी-बादामी-पट्टडकल-आईहोल-बीजापुर-बिदार-गुलबर्ग 4. हिन्दू, बौद्ध और जैन परिपथ सहित धार्मिक परिपथ
15.	केरल	1. पायीपाद ग्राम	1. वागामोन (इडुक्की) में पर्यटन विभाग की 100 एकड़ भूमि उपलब्ध 2. करप्पुझा डेम के नजदीक 300 एकड़ सार्वजनिक भूमि उपलब्ध	1. उत्तरी क्षेत्र परिपथ : कोझीकोड-मालाप्पुरम-नीलाम्बुर-वायानाड-कन्नूर-बेकल-कोझीकोड 2. केन्द्रीय क्षेत्र परिपथ : कोच्चि-कुमाराकोम-वागामोन-थेक्कडी-मुन्नर-कालाडी-त्रिशूर-गुरूवायूर -पलक्काड-कोच्चि (या कोझीकोड) 3. दक्षिणी क्षेत्र परिपथ : तिरूवनन्तपुरम-कोवालम-पोनमुडी-थेनमल-वरकाला-कोल्लम-पाथनामिट्टा-अलप्पुझा-कोच्चि
16.	लक्षद्वीप	मिनीकाय द्वीप समूह		निम्नलिखित द्वीप समूहों में गंतव्य विकास : मिनीकाय, कावारत्ती, अगत्ती, बानगरम, काडमाथ, कालपेनी

1	2	3	4	5
17.	मध्य प्रदेश	बेहाट	खजुराहो	1. ग्वालियर-शिवपुरी-ओरछा-झांसी-खजुराहो 2. जबलपुर-बांधवगढ़-अमरकंटक-बिलासपुर 3. भोपाल-सांची-भोजपुर-इटारसी-भीमबेटका-सतपुड़ा-पचमढ़ी 4. उज्जैन-इंदौर-ओंकारेश्वर-महेश्वर-माण्डू
18.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर, औरंगाबाद, धामनेर (सतारा) और नागपुर जिले में प्रत्येक में एक ग्राम	1. मुम्बई (गोराई)	1. गोवा के मुम्बई तक समुन्द्र तट
			2. नासिक	2. विदर्भ-ईको-पर्यटन परिपथ
			3. पुणे	3. औरंगाबाद-बौद्ध विरासत परिपथ
			4. भांडरपुले	4. सहयाद्री पर्वत श्रेणी परिपथ
19.	ओडिशा	1. रघुराजपुर 2. डंडाशाही	कोणार्क	1. भुवनेश्वर-कोणार्क-पुरी-चिल्का झील-मोपालपुर-ऑन-सी 2. धौलीगिरी-रत्नागिरी-ललितगिरि-उदयगिरि-लांगुडी-मनियाबंध 3. चांदीपुर-तलसारी-सिमिलीपाल-भीतरकणिका-पंचलिंगेश्वर-नीलगिरी-कुलडीह 4 कोरापुट-जेपोर-रायागाड-नवरंगपुर-मलकानगिरि-गुप्तेश्वर-दारिंगीबाड़ी-चंद्रागिरि-तप्तापानी
20.	पुदुचेरी	अलनकुप्पम ग्राम	मानापेट	पुदुचेरी में पर्यटक स्थल, पुदुचेरी और कराईकल के बीच के पर्यटक स्थल (कुड्डालोरे-पीचावरम-चिदंबरम-सिरकाझी-थिरूकाडीपुर-पूम्बाकर-ट्रंक्वेबार-कराईकल)
21.	पंजाब	1. मसानिया एवं किशनकोट (गुरदासपुर जिला)	लुधियाना	1. पुंज तख्त (अमृतसर में अकाल तख्त, आनंदपुर में श्री केशगढ़ साहिब और तालवांडी साबो में श्री दमदमा साहिब
		2. तिब्बा टपारियन और ख्वासपुरा (रोपड़ जिला)		2. ईको-पर्यटन परिपथ : चण्डीगढ़-रोपड़-होशियारपुर-तलवाड़ा- रंजितसागर-बांध का मार्ग

1	2	3	4	5
		3. घारौन (मोहली जिला)		3. विरासत परिपथ : नाभा-पटियाला-सांगरूर-भटिंडा-फरीदकोट-कपूरतला
		4. झांसला और खेड़ा जट्टू (पटियाला जिला)		4. फ्रीडम ट्रेल : पटियाला-मालेरकोटला-लुधियाना- फरीदकोट-फिरोजपुर-अमृतसर
22.	राजस्थान	शेखावटी में गांव का समूह	पोखरण के नजदीक	1. जोधपुर-जैसलमेर-बीकानेर
				2. जयपुर-अजमेर-पुष्कर
				3. चित्तौरगढ़-उदयपुर-माउंट आबू (सिरोही)
				4. उदयपुर-रानकपुर-कुंबलगढ़-नाथद्वार
23.	तमिलनाडु	1. सिवनाग-चेट्टीनाड क्षेत्र : कराईकुडी पिल्लीआरपट्टी कनाडुकाथन, आथनगुडी	चेन्नई (वास्तविक भूमि पार्सल की पहचान अभी की जानी है)	1. त्रिची-तंजावुर-कुम्बाकोणम-मईलादुथुराई-बेथेश्वरनकोइल-सिरखाजी-चिदंबरम-वीरूदाचलम-थोलुडूर
		2. तंजावुर : कुम्बाकोणम, स्वामीमलाई, धारासुरम, पट्टेश्वरम, नाचियारकोविल क्षेत्र		2. चेन्नई-त्रिची (चेन्नई, कांचीपुरम, तिरूवन्नामलाई, वेल्लोर, धर्मपुरी, सालेम, नामक्कल-त्रिची)
				3. त्रिची-पुडुक्कोट्टाई-शिवगंगा-रामेश्वरम-तूतीकोरिन-ति रूचेन्डूर-तिरूनवेली-कन्याकुमरी
				4. मदुराई-डिंडीगुल-कोयम्बटूर-ऊटी
24.	उत्तर प्रदेश	1. हरिहरपुर-मुबारकपुर-निजामाबाद (आजमगढ़ जिला)	1. मथुरा	1. ब्रज (मथुरा-वृंदावन-गोवर्धन-बरसाना-गोकुल)-आगरा
		2. कोकारी ग्राम (लखनऊ)	2. ग्रेटर नोएडा	2. बौद्ध परिपथ (कपिलवस्तु, सारनाथ, वाराणसी, श्रावस्ती, संकिता, कौशाम्बी, कुशीनगर)
			3. वाराणसी	3. अवध-अयोध्या परिपथ : लखनऊ, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण, वाराबंकी (देव शरीफ), अयोध्या
				4. इलाहाबाद-वाराणसी परिपथ : इलाहाबाद, विंध्यांचल, वाराणसी, चुनार, सारनाथ
25.	उत्तराखंड	1. रानी चावड़ी	कोई नहीं	1. देहरादून-मसूरी-केम्प्टी-यमुना बृज-चकरता-कालसी-डाकपत्थर

1	2	3	4	5
		2. न्यू चकरता		2. कार्बेट-नैनीताल
				3. आदि बद्री-सिमली-कर्णप्रयाग-चामोली-पीपलकोटी-उरगम-वृधा बद्री-जोशी मठ-भविष्य बद्री-तपोवन-मलारी-नीति ग्राम
				4. नानकमाता-टनकपुर-पूर्णगिरि-चम्पावत-लोहाघाट-आबोट माउंट-पिथौरागढ़-जौल जीबी-माडकोट-मुंशीयारी- श्यामा-कामकोट-बागेश्वर-ताकुला-वाणासुर की ओर जाने वाला अल्मोड़ा का मार्ग
26.	पश्चिम बंगाल	1. काल्ना-समुन्द्रगढ़-फुलिया	1. मांडरमणि	1. दिघा-शंकरपुर-मांडरमणि
		2. पुरूलिया-बांकुरा-कूचबिहार-जलपाईगुड़ी	2. गाजलडोबा (जलपाईगुड़ी)	2. गंगासागर-वीरभूम (तारापीठ, बकरेश्वर, नालहाटी, फुल्लुरा, सैथिया, कंकालीतला)-तारकेश्वर-फुरफुरा शरीफ
				3. डूअर्स एवं दार्जिलिंग परिपथ
				4. सुन्दरवन, परिपथ : गड खाली, झारखाली, कैखाली, फ्रेजर द्वीप समूह

क

विवरण-II

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए अंतिम रूप से पहचान किए गए पर्यटन परिपथों की सूची

क्र.सं.	राज्य	अनंतिम रूप से पहचान किए गए पर्यटन परिपथ
1.	अरूणाचल प्रदेश	गुवाहाटी-बोमडिल्ला-तवांग-तेजपुर/गुवाहाटी
2.	असम	डिब्रूगढ़-शिबसागर-जोरहाट-माजुली-काजीरंगा-गुवाहाटी
3.	मणिपुर	सिल्चर-इम्फाल-लोकटक-इम्फाल-मोरेह-इम्फाल
4.	नागालैंड	दीमापुर-कोहिमा-वोखा-मोकुकचंग-मोम-जोरहट
5.	मेघालय	गुवाहाटी-तुरा-बालपकरम-तुरा-मानस-गुवाहाटी
6.	मिजोरम	सिल्चर-आइजवाल और आसपास (रेजेक सहित)-चम्फाई-जोखावतार-आइजवाल
7.	सिक्किम	गंगटोक (बौद्ध सांस्कृतिक व्याख्यान केन्द्र)
8.	त्रिपुरा	अगरतला-उदयपुर-अगरतला-जम्फाई हिल्स-आइजवाल

समेकित बाल विकास सेवा योजना का कार्यान्वयन

***272. श्री नवीन जिन्दल :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार समेकित बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन में सरकार निजी भागीदारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या धनराशि का अपर्याप्त आवंटन के कारण समेकित बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन में बाधा आ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है तथा समेकित बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु क्या तंत्र बनाया गया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी. एस.) केन्द्र सरकार की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक प्रमुख योजना है। इस योजना के उद्देश्य छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के समग्र विकास करना और गर्भवती तथा धात्री माताओं के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सहायता उपलब्ध कराना है। योजना में छह सेवाओं द्वारा पूरक पोषण, प्रतिरक्षा, रैफरल सेवाएं, स्वास्थ्य जांच, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी शिक्षा उपलब्ध कराने का पैकेज है। छह में से तीन सेवाएं यथा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और रैफरल सेवाएं जन स्वास्थ्य तंत्र के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराने की अवधारणा प्राथमिक रूप से इस विचार पर आधारित है कि विभिन्न सेवाओं के एकीकृत रूप से विकसित किया जाए तो समग्र प्रभाव अति व्यापक होगा क्योंकि किसी विशेष सेवा की प्रभावकारिता विभिन्न सेवाओं से प्राप्त समर्थन पर निर्भर करती है। आई.सी.डी.एस. योजना के अंतर्गत सेवाएं आंगनवाड़ी केन्द्र (ए.डब्ल्यू.सी.) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। आई.सी.डी.एस.एफ. सर्व सामान्य लेकिन चयनित योजना है और यह बच्चों और महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से निरपेक्ष छह वर्ष से कम की आयु के सभी बच्चों और गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए खुली है।

योजना पूरक पोषक (एस.एन.पी.) के लिए 50:50 के अनुपात में लागत आबंटन आधार पर और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में जहां केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का अंश एस.एन.पी. सहित सभी घटकों के लिए 90:10 के अनुपात में है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

योजना का ही वर्ष 2005-06, 2007-08 और 2008-09 में तीन चरणों में विस्तार किया गया है। यह योजना आज लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों और 'मांग पर आंगनवाड़ी' सहित समग्र रूप से अनुमोदित कुल 7076 परियोजनाओं और 14 लाख आंगनवाड़ियों की तुलना में जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार 7025 पूर्णरूप से परिचालनात्मक परियोजनाओं और 13.31 लाख आंगनवाड़ी केन्दों के माध्यम से चल रही है। वर्तमान में 2.98 करोड़ लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जिनमें से 7.48 करोड़ छह वर्ष की आयु से कम के बच्चे हैं और 1.80 करोड़ गर्भवती और धात्री माताएं हैं। 3-6 वर्ष की आयु के 3.5 करोड़ बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराई है जिनमें से 1.80 करोड़ बालक तथा 1.70 करोड़ बालिकाएं हैं।

पिछले कुछ वर्षों में योजना में आई तीव्र सर्वव्यापीकरण और व्यावधानों तथा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,23,580 करोड़ रुपये की कुल बजट आबंटन से आई.सी.डी.एस. योजना के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ख) और (ग) आई.सी.डी.एस. योजना में सामुदायिक समर्थन जुटाने के प्रयोजन से स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, समाज कल्याण बोर्ड (जहां ये प्रभावकारी रूप से कार्यकर रहे हैं) के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है। राज्यों को गैर सरकारी संगठनों जिनको अनुदान संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य के क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे सहित किसी स्वैच्छिक संगठन को परियोजनाएं सौंपने के लिए आई.सी.डी.एस. योजना के समग्र ढांचे के अंतर्गत ही स्वायत्ता प्रदान की गई है।

आई.सी.डी.एस. योजना का सुदृढ़ीकरण करने के प्रयोजन से, पुनर्गठित आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं/ गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को 10% परियोजनाओं का प्रबंधन और परिचालन सौंपने का निर्णय लिया गया है।

(घ) जी, नहीं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10,391 करोड़ रुपये के आबंटन की तुलना में सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई.सी.डी.एस. योजना के लिए 44,400 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, योजना के लिए 1,23,580 करोड़ रुपये का कुल आबंटन अनुमोदित किया गया है। आई.सी.डी.एस. योजना के अंतर्गत निधियों की कोई अतिरिक्त आवश्यकता पूरक सहायतानुदान और बचतों के माध्यम से पूरी की जा सकती हैं।

(ङ) विद्यमान मानीटरन तंत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आंगनवाड़ी और परियोजना स्तर पर मासिक और अर्द्ध वार्षिक आधार पर प्रगति रिपोर्टों का प्रावधान है। इसके अलावा, सरकार के राष्ट्रीय/राज्य, जिला, ब्लॉक और आंगनवाड़ी स्तर पर पांच स्तरीय मानीटरन और पुनरीक्षा प्रणाली शुरू की है जिसके लिए दिनांक 31.03.2011 को दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत जिला और ब्लॉक स्तरीय समितियां, अन्य बातों के साथ-साथ, आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण की नियमितता आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों की मानीटरिंग और पर्यवेक्षण दौरों इत्यादि की गहन निगरानी करती हैं और आंगनवाड़ी केन्द्रों की मानीटरिंग और पर्यवेक्षण दौरों इत्यादि की गहन निगरानी करती हैं और आंगनवाड़ी स्तर की समिति से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सेवाओं की सुपुर्दगी की समीक्षा करने, तथा कार्रवाई करने के लिए सुझाव देने की अपेक्षा की जाती है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए आई.सी.डी.एस. के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के अंतर्गत संशोधित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.), वेब आधारित एम.आई.एस. और आई.सी.टी. के प्रयोग का प्रावधान शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

औषधियों और सौन्दर्य प्रसाधन उत्पादों की गुणवत्ता

***273. श्री जगदीश सिंह राणा :**

श्री जयवंत गंगाराम आवले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बनाई जा रही और बेची जा रही औषधियों, टूथपेस्ट, क्रीम और अन्य सौन्दर्य प्रसाधन उत्पादों के लिए कतिपय गुणवत्ता मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में औषधियों, टूथपेस्ट, क्रीम और अन्य सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों की गुणवत्ता और उनके सुरक्षित होने की आवधिक जांच के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र और अवसंरचना बनाई गई है;

(घ) देश में औषधियों, टूथपेस्ट, क्रीमों और अन्य सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों की गुणवत्ता और उनका सुरक्षित होना सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना बढ़ाने तथा निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) देश में उक्त उत्पादों के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर दिए जाने वाले तथा भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार द्वारा अग्रेतर क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी, हां। देश में बिक्री के लिए आयातिक अथवा विनिर्मित औषधों द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत विहित मानकों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। प्रसाधन सामग्रियों द्वारा भी औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अंतर्गत विहित मानदंडों का अनुपाल करना अपेक्षित होता है। उपर्युक्त नियमों की अनुसूची एस. के अंतर्गत शामिल तैयार अवस्था में प्रसाधन सामग्रीं भारतीय मानक ब्यूरो/(बी.आई.एस.) द्वारा समय-समय पर निर्धारित भारतीय मानक विनिर्देशनों के अनुरूप होनी चाहिए। तैयार अवस्था में प्रसाधन सामग्रियों की 29 श्रेणियों की मंजन (टूथ पेस्ट) और लेप (क्रीम) सहित अनुसूची एस के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

(ग) देश में विनिर्मित औषधों और प्रसाधन सामग्रियों की गुणवत्ता तथा उनका संवितरण लाइसेंसिंग सिस्टम तथा राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के जरिए विनियमित किया जाता है। अनुज्ञाप्ति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए

इस प्रयोजनार्थ नियुक्त औषध निरीक्षकों द्वारा लाइसेंस प्राप्त परिसरों का निरीक्षण किया जाता है। देश में बाजार में भेजने से पहले औषधों तथा प्रसाधन सामग्रियों के नमूने भी लिए जाते हैं तथा उनकी गुणवत्ता के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में जांच की जाती है।

(घ) सरकार ने वर्ष 2008 से केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) में 216 अतिरिक्त पदों का सृजन किया है। केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशालाओं को नए परिष्कृत जांच उपकरण भी प्रदान किए गए हैं। सी.डी.एस.सी.ओ. के दो उप-मंडलों (हैदराबाद और अहमदाबाद) का पूर्ण मंडलों के रूप में अद्यतन (अपग्रेड) किया गया है तथा तीन नए उप-मंडल (बंगलौर, चंडीगढ़ और जम्मू) बनाए गए हैं। विदेश स्थित विनिर्माण सुविधा केन्द्रों की नियमित विदेशी निरीक्षण स्कीम शुरू की गई है ताकि औषधों के आयात के लिए उनका पंजीकरण करने से पहले उत्तम विनिर्माण दिशानिर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। चीन में ऐसे दो निरीक्षण पहले ही किए जा चुके हैं। लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिकूल औषध प्रतिक्रिया के अभिग्रहण के लिए राष्ट्रीय औषधसतर्कता कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारतीय भेषजकोश आयोग, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय समन्वय केन्द्र तथा सी.डी.एस.सी.ओ. (मुख्यालय) में औषध सतर्कता प्रकोष्ठ के अलावा पूरे देश में ए.डी.आर. अनुवीक्षण केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी कार्मिक शक्ति और अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करें। केन्द्र सरकार ने भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य औषध नियंत्रण विभागों के सुदृढ़ीकरण करें। केन्द्र सरकार ने भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य औषध नियंत्रण विभागों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए अपनी तरफ से एक नई स्कीम शुरू की है। तथापि, अवसंरचना का उन्नयन/सृजन एक सतत और प्रतिशील प्रक्रिया है।

(ङ) औषधों का विज्ञापन औषध और चम्मकारी उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के अंतर्गत विनियमित होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों को किए गए दावों के बारे में अनिवार्य जांच करने के उपरांत उपर्युक्त अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार होता है। औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 148ख के अनुसार प्रसाधन सामाग्रियों के गलत अथवा भ्रामक दावे करना मना है।

[अनुवाद]

संबद्ध स्वास्थ्य व्यवसायी

***274. प्रो. रंजन प्रसाद यादव :**
श्रीमती भावना पाटील गवली :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में संबद्ध स्वास्थ्य व्यवसायियों की संख्या 64. 1 लाख कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) वर्तमान में कार्यरत विभिन्न संबद्ध स्वास्थ्य व्यवसायियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या देश में उनकी आवश्यकता की तुलना में कितनी है;

(ग) क्या देश में पैरामेडिकल कार्यबल की संख्या बढ़ाने के लिए पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा कोई सिफारिश की गई है/सुझाव दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) देश में इनकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पैरामेडिकल/संबद्ध स्वास्थ्य पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां। दिसंबर, 2012 में जारी भारतीय लोक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान की रिपोर्ट के अनुसार देश में विभिन्न स्वास्थ्य संवर्गों में लगभग 64 लाख संबद्ध स्वास्थ्य व्यावसायिकों (ए.एच.पी.) की कमी है। ए.एच.पी. की कमी का संवर्ग-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। संबद्ध स्वास्थ्य व्यावसायिकों की कमी के मुख्य कारणों में प्रशिक्षण क्षमता का अभाव, खराब अवसंरचना, व्यावसायिक क्षमताओं का अभाव, संबद्ध स्वास्थ्य व्यावसायिकों के लिए विनियामक निकाय की अनुपस्थिति इत्यादि शामिल हैं।

(ख) ए.एच.पी. की राज्य-वार उपलब्धता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) देश में पराचिकित्सा कार्यबल में वृद्धि करने हेतु अन्य बातों के साथ-साथ पी.एच.एफ.आई. द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों/सुझाव में निम्नलिखित शामिल है:—

(i) संबद्ध स्वास्थ्य शिक्षा का मानकीकरण।

(ii) शैक्षिक संस्थानों, शिक्षण पद्धतियों, नैदानिक प्रोटोकालों, कार्यबल प्रबंधन तथा अन्य संबद्ध मुद्दों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र स्थापित करना।

(iii) पाठ्यचर्या के मानकीकरण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पूरे भारत में संबद्ध स्वास्थ्य विषयों में संकाय तैयार करने हेतु अंतरिम विनियामक तंत्र की स्थापना।

(iv) संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्रों में प्रतिभा को विकसित करने तथा बनाए रखने हेतु समर्पित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संबद्ध विज्ञान संस्थानों की स्थापना।

(v) राष्ट्रीय, राज्य और सांस्थानिक स्तरों पर प्रबंधन ढांचे की स्थापना

एक राष्ट्रीय पराचिकित्सा विज्ञान संस्थान (एन.आई.पी.एस.) और आठ क्षेत्रीय पराचिकित्सा विज्ञान संस्थान (आर.आई.पी.एस.) की स्थापना के लिए प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है।

विवरण-I

*स्वास्थ्य/सहायक स्वास्थ्य व्यवसायियों की कमी**

क्र. सं.	स्वास्थ्य कार्यबल श्रेणी	मांग	आपूर्ति	असमायोजित अंतर	कार्यक्षमता पहुंच समायोजित अंतर
1.	नेत्र विज्ञान से संबंधित	145236	17,678	127558	136039
2.	पुनर्वास संबंधित	1862584	40,265	1822319	1841637
3.	शल्य चिकित्सीय व उपचार से संबंधित	205088	7,215	197873	208618
4.	चिकित्सा प्रयोगशाला से संबंधित	76884	15,214	61670	70603
5.	रेडियोग्राफी व छवि-चित्रण से संबंधित	23649	4,352	19297	20971
6.	श्रवण विज्ञान व वाक भाषा रोग विज्ञान से संबंधित	10599	3,263	7336	8901
7.	चिकित्सा प्रौद्योगिकी से संबंधित	239657	3587	236070	237791
8.	दंत चिकित्सा सहायता से संबंधित	2048391	6,243	2042148	2045143
9.	शल्य चिकित्सा व संवेदनाहरण विज्ञान से संबंधित	862193	4,050	858143	860086
10.	विविध	1074473	181,511	892962	980045
	कुल	6548754	283378	6265376	6409834

*स्रोत-पी.एच.एफ.आई. रिपोर्ट नवम्बर, 2012

विवरण-II

सहायक स्वास्थ्य व्यवसायियों की राज्य-वार उपलब्धता

क्र. सं.	राज्य	नेत्र विज्ञान से संबंधित	पुनर्वास संबंधित	शल्य चिकित्सीय व उपचार प्रौद्योगिकी से संबंधित	चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी से संबंधित	रेडियो व छवि-चित्रण प्रौद्योगिकी से संबंधित	श्रवण विज्ञान व वाक भाषा रोग विज्ञान से संबंधित	दंत चिकित्सा सहायता से संबंधित	शल्य चिकित्सा व संवेदनाहरण विज्ञान से संबंधित	चिकित्सा प्रौद्योगिकी से संबंधित	कुल विविध	कुल एएचपी (राज्य-वार)	जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अरूणाचल प्रदेश	36	83	15	31	9	7	13	8	7	374	585	1382611
2.	असम	844	1923	345	727	208	156	298	193	171	8669	13534	31169272
3.	बिहार	843	1919	344	725	207	156	298	193	171	8653	13509	103804637
4.	झारखंड	595	1355	243	512	146	110	210	136	121	6108	9536	32966238
5.	मणिपुर	88	199	36	75	22	16	31	20	18	899	1403	2721756
6.	मेघालय	72	163	29	62	18	13	25	16	15	735	1147	2964007
7.	मिज़ोरम	57	130	23	49	14	11	20	13	12	587	916	1091014
8.	नागालैंड	76	173	31	65	19	14	27	17	15	779	1217	1980602
9.	ओडिशा	676	1540	276	582	166	125	239	155	137	6942	10837	41947358
10.	सिक्किम	24	55	10	21	6	4	8	5	5	246	385	607688
11.	त्रिपुरा	37	85	15	32	9	7	13	9	8	385	601	3671032
12.	पश्चिम बंगाल	1197	2727	489	1030	295	221	423	274	243	12292	19191	91347736
13.	गोवा	22	50	9	19	5	4	8	5	4	225	351	1457723
14.	गुजरात	594	1352	242	511	146	110	210	136	120	6097	9519	60383628
15.	महाराष्ट्र	1617	3683	660	1392	398	298	571	370	328	16602	25920	112372972
16.	आन्ध्र प्रदेश	2044	4656	834	1759	503	377	722	468	415	20990	32770	84665533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	कर्नाटक	1392	3172	568	1198	343	257	492	319	283	14298	22322	61130704
18.	केरल	385	878	157	332	95	71	136	88	78	3956	6177	33387677
19.	तमिलनाडु	930	2117	379	800	229	172	328	213	189	9544	14900	72138958
20.	छत्तीसगढ़	276	628	113	237	68	51	97	63	56	2831	4420	25540196
21.	दिल्ली	4	9	2	3	1	1	1	1	1	41	64	16753235
22.	हरियाणा	416	948	170	358	102	77	147	95	84	4273	6671	25353081
23.	हिमाचल प्रदेश	158	360	64	136	39	29	56	36	32	1621	2531	6856509
24.	जम्मू और कश्मीर	191	434	78	164	47	35	67	44	39	1957	3055	12548926
25.	मध्य प्रदेश	1226	2793	501	1055	302	226	433	281	249	12592	19659	72597565
26.	पंजाब	370	843	151	319	91	68	131	85	75	3801	5934	27704236
27.	राजस्थान	1485	3383	606	1278	366	274	525	340	301	15250	23809	68621012
28.	उत्तर प्रदेश	1774	4040	724	1526	437	327	626	406	360	18211	28431	199581520
29.	उत्तराखंड	202	461	83	174	50	37	71	46	41	2078	3244	10116752
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	45	8	17	5	4	7	5	4	203	317	379944
31.	चंडीगढ़	3	6	1	2	1	1	1	1	1	28	44	1054686
32.	दादरा और नगर हवेली	7	17	3	6	2	1	3	2	1	75	117	342853
33.	लक्षद्वीप	1	3	1	1	0	0	0	0	0	13	21	64429
34.	दमन और दीव	4	8	2	ज	1	1	1	द्य	.?	38	59	242911
35.	पुदुचेरी	11	26	5	10	3	2	4	3	2	118	184	1244464
36.	भारत	17678	40265	7215	15214	4352	3263	6243	4050	3587	181511	283378	1210193465

*स्रोत-पी.एच.एफ.आई. रिपोर्ट नवम्बर, 2012

वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन

***275. श्री खगेन दास :**
श्री वरूण गांधी :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन में बाधक कारकों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अधिनियम में किए गए संशोधनों सहित सरकार द्वारा इस पर क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं;

(ग) अधिनियम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार लंबित स्वामित्वों के वितरण हेतु दावों का ब्यौरा क्या है और इनका कब तक निपटान किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रति चिंता दर्शाई है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधरात्मक उपाय किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क) और (ख) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 इस उद्देश्य के लिए बनाया गया था कि वन निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर किया जा सके। यह अधिनियम 01.01.2008 को नियमावली अधिसूचित करने पर लागू हो गया था। इस अधिनियम को अक्षरशः कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय में अनेक समस्याएं देखने में आई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पंचायत स्तर पर (कुछ मामलों में) ग्राम सभा की बैठकें, आयोजित करने, जिसके परिणामस्वरूप लघु निवासियों, किसी गांव का औपचारिक रूप से हिस्सा नहीं बन सका; वन निवासियों के लघु वन उत्पाद (एम.एफ.पी.) व्यापार में राज्य वन निगमों के निरंतर एकाधिकार; बिना कोई कारण बताए दावों की नामंजूरी; दावेदारों को दावों के नामंजूरी के संबंध में में सूचित न करना, इस प्रकार उन्हें नामंजूरी के विरुद्ध अपील करने का अवसर न देना; दावों को स्वीकृत करने के लिए विशेष सबूत के लिए जोर देना; नियम के तहत आवश्यक सबूतों द्वारा विधिवत समर्थित नामंजूर दावों; जैसे कड़े सबूतों को प्रस्तुत करना; राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों आदि में सामुदायिक अधिकारों: अधिकारों की गैर-मान्यता के संबंध में जागरूकता का अभाव शामिल हैं।

मंत्रालय अधिनियम के कार्यान्वयन को शीघ्रता से लागू करने के लिए कुछ प्रावधानों और उपायों तक पहुंचा है, मंत्रालय ने अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए 12.07.2012 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को व्यापक दिशानिर्देश जारी किये हैं और इसके बाद 06.09.2012 को वन अधिकार नियमावली को संशोधित किया है ताक एफ.आर.ए. के अक्षरशः कार्यान्वयन में आने वाली रुकावटों को दूर किया जा सके। इस समय अधिनियम में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।

(ग) अधिनियम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लंबित अधिकार पत्रों के संवितरण के दावे अनुलग्नक में दिए गए हैं। अधिनियम के अनुसार अधिनियम के प्रावधान के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों ने एफ. आर.ए. के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजनाएं तैयार की हैं जिनमें लंबित दावों को समयबद्ध रूप से निपटना शामिल है।

(घ) और (ङ) अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मेघालय, और सिक्किम राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में एफ.आर.ए. को लागू करने की सीमाओं के बारे में सूचित किया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कुछ वन्य जीव अभ्यारण्यों और आरक्षित वनों के तहत भूमि को छोड़कर, राज्य में अधिकतर भूमि सामूहिक भूमि है अतः, इस राज्य में एफ.आर.ए. की कोई ज्यादा प्रासंगिकता नहीं है। मणिपुर राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जनजातीय समूह और जनजातीय मुख्या वन भूमि के पहले से स्वामी हैं अतः, एफ.आर.ए. का कार्यान्वयन न्यूनतम समझा जाता है। मेघालय राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वन भूमि का 96% वंशों/समुदायों/व्यक्तियों के स्वामित्व में है अतः, एफ.आर.ए. के कार्यान्वयन को लागू करने की सीमित गुंजाइश है। नागालैण्ड राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वहां सही माइनों में वन निवासी अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी

नहीं हैं, क्योंकि सिक्किम की अधिकांश जनजातियां राजस्व भूमि निर्धारण करती हैं और वे अपनी आजीविका के लिए केवल वनों पर निर्भर नहीं होते हैं।

मंत्रालय ने एफ.आर.ए. पर 19.11.2012 को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक क्षेत्रीय कार्यशाला सहित 5 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया है। मंत्रालय ने इन राज्यों से कहा है कि वे एफ. आर.ए. दर्ज की गई वन भूमि पर सभी पारंपरिक अधिकार पाने का अवसर, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों/समुदायों/वंशों की पहले से परंपरागत अधिकारों को कानूनी मान्यता मिल सके। उपर्युक्त राज्यों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत लंबित दावों के राज्य वार ब्यौरे

(28.02.2013 तक)

क्र. सं.	राज्य	दावों की संख्या	संवितरित अधिकार पत्रों की संख्या	अस्वीकृत दावों की संख्या	निपटाए गए दावों की कुल सं./प्राप्त दावों की प्रतिशतता	लंबित दावों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,30,479	1,61,191	1,53,438	3,21,235(97.20%)	9,244
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
3.	असम	1,31,911	36,267	37,669	73,936(56.04%)	57,975
4.	बिहार	2,930	28	1,644	1,672(57.06%)	1,258
5.	छत्तीसगढ़	4,92,068	2,15,443	2,72,664	4,88,107(99.19%)	3,961
6.	गोवा	—	—	—	—	—
7.	गुजरात	1,91,592	42,752	1 8,399	61,151(31.91%)	1,30,441
8.	हिमाचल प्रदेश	5,688	7	2,144	2,151(37.81%)	3,537
9.	झारखंड	42,003	15,296	16,958	32,254(76.78%)	9,749
10.	कर्नाटक	1,63,370	6,301	1,56,027	1,62,328(99.36%)	1,042
11.	केरल	37,535	23,777	4,252	28,029(74.67%)	9,506
12.	मध्य प्रदेश	4,72,108	1,72,684	2,79,334	4,52,018(95.74%)	20,090
13.	महाराष्ट्र	3,44,330	99,368	2᠐34,242	3,33,610(96.88%)	10,720

1	2	3	4	5	6	7
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—
16.	मिज़ोरम	—	—	—	—	—
17.	ओडिशा	5,32,464	3,01,200	1,31,970	4,33,170(81.35%)	99,294
18.	राजस्थान	64,422	32,080	30,914	62,994(97.78%)	1,428
19.	सिक्किम	—	—	—	—	—
20.	तमिलनाडु*	21,781	(3,723 अ. पत्र तैयार)	—	—	—
21.	त्रिपुरा	1,82,617	1,20,473	21,384	1,41,857(77.68%)	40,760
22.	उत्तर प्रदेश	92,433	17,705	73,028	90,733(98.16%)	1,700
23.	उत्तराखंड	182	—	1	1(0.54%)	—
24.	पश्चिम बंगाल	1,37,278	29,532	78,627	1,08,159(78.78%)	29,119
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—
26.	दमन और दीव	—	—	—	—	—
27.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—
	कुल	32,45,191	12,80,710	15,12,695	27, 93,405(86.07%)	4,51,786

*मद्रास उच्च न्यायालय के प्रतिबंधात्मक आदेश के कारण अधिकार पत्रों का संवितरण रोक दिया गया।

किशोरियों का कौशल विकास

***276. श्री भक्त चरण दास :** क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना-सबला के अंतर्गत किशोरियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम की व्यवस्था करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सबला के अंतर्गत गैर-पोषण घटक को देश के अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त कार्यक्रम को शुरू नहीं किया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं अथवा किए जाने की प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना सबला के दो मुख्य घटक पोषण और गैर पोषण घटक हैं। गैर पोषण घटक में विद्यालय न जाने वाली किशोरियों (ए.जी.) 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को आई.एफ.ए. पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, रैफरल सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण पर परामर्श/मार्ग दर्शन, किशोरावस्था प्रजनन यौन स्वास्थ्य (ए.आर.एस.एच.) बाल देखरेख पद्धतियां, जीवन कौशल शिक्षा, लोक सेवाओं का मूल्यांकन और विद्यालय न जाने वाली 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

16 वर्ष से ऊपर की आयु की बालिकाओं के कौशल विकास के लिए विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वी.टी.पी.) द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के विभिन्न मोड्यूलों के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूचना के अनुसार वर्ष 2011-12 और 2012-13 में (दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार) (1.51 लाख और 2.01 लाख लाभार्थियों के प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ग) और (घ) स्कीम नवंबर, 2010 में शुरू की गई थी और निधियां वर्ष 2010-11 की चौथी तिमाही में जारी की गई थी। अत: वर्ष 2010-11 में राज्यों द्वारा कोई उल्लेखनीय प्रगति सूचित नहीं की गई। वर्ष 2011-12 स्कीम के कार्यान्वयन का पहला पूर्ण वर्ष था और गैर पोषण घटक के अंतर्गत प्रगति धीमी थी क्योंकि अत्यधिक मात्रा में प्रारंभिक कार्य किया गया था। वर्ष 2012-13 में अधिकतर राज्यों में गैर पोषण घटक स्थापित हो गया है। कुछ राज्यों में प्रगत धीमी क्योंकि गैर पोषण घटक के कार्यान्वयन में राज्य सरकार स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ सामंजस्य की आवश्यकता होती है। सबला के अंतर्गत गैर पोषण घटक के अंतर्गत जारी की गई/उपयोग में लाई गई निधियों और कवर किए गए लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक तिमाही में वास्तिविक और वित्तीय प्रगति प्रस्तुत करनी होती है और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है। दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप ने स्कीम के शुरू होने से ही गैर पोषण घटक के अंतर्गत कोई रिपोर्ट नहीं दी है। योजना के निष्पादन की सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है। मंत्रालय ने इन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को मामले की अपने स्तर पर समीक्षा करने के लिए तथा योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए भी लिखा है।

विवरण-I

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में सबला के गैर पोषण घटक के अंतर्गत जारी निधियां/उपयोग में लाई गई निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर पोषण घटक (लाख रुपये)					
		जारी	उपयोग में लाई गई	जारी	उपयोग में लाई गई	जारी	उपयोग में लाई गई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	444.6	सूचित नहीं	222.3	410.4	188.1	222.3
2.	अरूणाचल प्रदेश	106.4	0	53.2	159.6	106.4	0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	296.4	0	148.2	444.6	148.2	121.73
4.	बिहार	668.8	0	334.4	668.8	0	127.48
5.	छत्तीसगढ़	269.8	0	134.9	249.45	179.15	11.9
6.	गोवा	41.8	0	20.9	8.91	0	1.23
7.	गुजरात	509.2	0	254.6	32.78	0	सूचित नहीं
8.	हरियाणा	155.8	3.99	77.9	109.29	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	121.6	0	60.8	98.72	98.23	55.08
10.	जम्मू और कश्मीर	167.2	सूचित नहीं	83.6	185.19	17.99	65.61
11.	झारखण्ड	307.8	सूचित नहीं	153.9	268.956	0	0
12.	कर्णाटक	216.6	0	108.3	171.98	137.63	134.16
13.	केरल	319.2	1.98	159.6	250.33	0	0
14.	मध्य प्रदेश	581.4	सूचित नहीं	290.7	561.14	349.68	151.54
15.	महाराष्ट्र	786.6	सूचित नहीं	393.3	231.2	0	सूचित नहीं
16.	मणिपुर	53.2	सूचित नहीं	26.6	79.8	26.6	सूचित नहीं
17.	मेघालय	83.6	83.6	41.8	41.8	41.8	सूचित नहीं
18.	मिज़ोरम	45.6	45.6	22.8	20.48	21.64	0
19.	नागालैण्ड	72.2	72.2	36.1	36.1	72.2	36.1
20.	ओडिशा	482.6	सूचित नहीं	241.3	380	0	0
21.	पंजाब	205.2	0	102.6	5.46	0	5.71
22.	राजस्थान	433.2	सूचित नहीं	216.6	642.76	209.56	161.18
23.	सिक्किम	30.4	1.12	15.2	23.42	0	0
24.	तमिलनाडु	528.2	0	264.1	525.17	0	0
25.	त्रिपुरा	106.4	0	53.2	158.52	52.12	21.28
26.	उत्तर प्रदेश	972.8	सूचित नहीं	486.4	455.5	0	सूचित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	उत्तराखंड	133	125.24	66.5	66.5	125.24	सूचित नहीं
28.	पश्चिम बंगाल	357.2	सूचित नहीं	178.6	0	343.29	124.77
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15.2	15.2	7.6	5.01	10.85	0
30.	चंडीगढ़	11.4	0	5.7	9.24	0	0.23
31.	दमण और दीव	7.6	सूचित नहीं	3.8	1.26	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	7.6	0	3.8	0	0	सूचित नहीं
33.	दिल्ली	114	सूचित नहीं	57	24.25	0	2.65
34.	लक्षद्वीप	3.8	सूचित नहीं	1.9	सूचित नहीं	0	सूचित नहीं
35.	पुदुचेरी		0	1.9	1.89	1.89	0
	कुल	8656.4	348.93	4.00.1	6328.51	2130.57	1242.95

विवरण-II

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में सबला के गैर पोषण घटक के अंतर्गत शामिल लाभार्थी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(2011-12) में शामिल लाभार्थी						
		आईएफए	स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं	पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (एनएफई),	परिवार कल्याण, एआरएसएच बाल देखरेख प्रथाएं	स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं	पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (एनएफई)	परिवार कल्याण, एआरएसएच बाल देखरेख प्रथाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	279089	367848	192813	36819	55049	40281	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	14226	14226	14226	14226	14226	7039	2010
3.	असम	129254	10397	26089	10132	4442	0	16827
4.	बिहार	277025	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	314179	262007	322823	197235	169393	32479	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	गोवा	1967	493	335	316	163	232	47
7.	गुजरात	247474	373268	326211	201092	149241	74575	82562
8.	हरियाणा	55413	52767	29985	8314	8354	3302	963
9.	हिमाचल प्रदेश	111292	143964	229917	136040	126229	8965	1591
10.	जम्मू और कश्मीर	21034	50461	77095	58224	47019	5962	1923
11.	झारखण्ड	157363	146989	129219	122065	51639	51639	2759
12.	कर्णाटक	80851	87445	118013	84086	55519	6780	1899
13.	केरल	148289	155505	276501	144795	195256	91438	3950
14.	मध्य प्रदेश	201506	98329	110100	110100	110100	96041	15602
15.	महाराष्ट्र	0	0	4656	4656	4656	4656	0
16.	मणिपुर	27550	28120	20185	32733	32733	32733	252
17.	मेघालय							
18.	मिज़ोरम	3836	17815	25856	596	2900	500	2500
19.	नागालैण्ड	28087	27200	1136	1136	1136	1136	1136
20.	ओडिशा	571114	571114	571114	164808	0	0	1980
21.	पंजाब	187080	162338	27542	22373	24480	11777	75
22.	राजस्थान	508606	207420	216229	98054	88706	28527	10023
23.	सिक्किम	18227	18227	18227	18227	18227	18227	200
24.	तमिलनाडु	454227	454227	4170	49821	4170	4170	4170
25.	त्रिपुरा	6203	6203	0	0	0	0	
26.	उत्तर प्रदेश		1934000	1934000	1934000	195000	195000	
27.	उत्तराखंड	0	1665	123040	123040	123040	3389	135
28.	पश्चिम बंगाल	103438	51801	53384	12051	21115	15704	337
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1022	4372	2853	139	50	0	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	चंडीगढ़	1164	1164	1164	1164	1430	1534	256
31.	दमण और दीव	—	—	—	—	—	—	—
32.	दादरा और नगर हवेली	2166	2166	2166	2166	2166	2166	25
33.	दिल्ली	4684	6588	24630	4098	8051	3342	64
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	3956376	5258119	4883679	3592506	1514490	741594	151403

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13 (दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार)						
		आईएफए	स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं	पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (एनएफई),	परिवार कल्याण, एआरएसएच बाल देखरेख प्रथाएं	स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं	पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (एनएफई)	परिवार कल्याण, एआरएसएच बाल देखरेख प्रथाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	384033	348197	330934	146323	126382	1115	600
2.	अरूणाचल प्रदेश	5780	4321	1231	697	0	1607	0
3.	असम	0	38573	9122	0	0	0	0
4.	बिहार	705548	765131	765131	765131	765131	765131	129594
5.	छत्तीसगढ़	228513	140418	171512	131637	69818	42666	8004
6.	गोवा	1185	560	3993	148	38	25	6
7.	गुजरात							
8.	हरियाणा	84666	95760	88474	59893	56987	4395	830
9.	हिमाचल प्रदेश	58246	41396	38216	17645	8884	1520	813
10.	जम्मू और कश्मीर	55241	24017	38816	39024	20833	1450	898

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	झारखण्ड	22706	29013	123981	129658	113487	101090	750
12.	कर्णाटक	80318	205983	201653	210479	186110	19639	11628
13.	केरल	24575	50481	148770	68569	69721	20902	202
14.	मध्य प्रदेश	203805	110105	113400	113400	113400	112000	29594
15.	महाराष्ट्र							
16.	मणिपुर							0
17.	मेघालय	3441	3704	5911	3176	2416	95	220
18.	मिज़ोरम	3356	3155	32271	32271	3356	3356	2100
19.	नागालैण्ड	35000	34200	1136	1136	1136	1136	3408
20.	ओडिशा	960851	960851	960851	960851	960851	960851	1980
21.	पंजाब	115249	69506	25340	19291	18185	17175	815
22.	राजस्थान	590825	410403	333493	206327	135686	3917	7554
23.	सिक्किम	777	909	1282	72	2	0	19
24.	तमिलनाडु							0
25.	त्रिपुरा	44837	44768	5376	5376	4807	3625	362
26.	उत्तर प्रदेश	256624	408985	1934000	1934000	1934000		
27.	उत्तराखंड							0
28.	पश्चिम बंगाल	159946	79196	94734	33532	34607	3431	821
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	920	4273	4351	526	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	1059	1300	1653	1653	1653	1542	247
31.	दमण और दीव	—	—	—	—	—	—	—
32.	दादरा और नगर हवेली	555	2132	2132	2132	2132	2132	916
33.	दिल्ली	11365	17743	18349	5189	9349	6248	267
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	पुदुचेरी	0	2377	60	1065		50	0
	कुल	4039421	3897457	5456172	4889201	4638971	208138	201628

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

*277. **श्री निशिकांत दुबे :** क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक जिलों को शामिल करने के लिए उनकी पहचान करने तथा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने और जिलों को शामिल करने तथा कतिपय जिलों, जिनका पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत पहले ही विकास किया जा चुका है, को हटाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से क्या-क्या अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों की पहचान करने और उन्हें शामिल करने/हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क), (ख) और (ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षों (वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक) के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) के जिला घटक को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है, परन्तु इस प्रयोजनार्थ किसी प्रकार का सर्वेक्षण कराए जाने का प्रस्ताव नहीं है। जिलों को शामिल करना अथवा हटाना, यदि कोई हो, उपर्युक्त क्रियाकलाप के परिणाम पर निर्भर करेगा। वर्ष 2012-13, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है, के दौरान 22 जिले विवरण-I बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

(ग) और (घ) बी.आर.जी.एफ. के तहत अतिरिक्त जिलों को शामिल किए जाने हेतु प्राप्त विभिन्न अनुरोधों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। किसी भी जिले को हटाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-I

22 नये जिलों की सूची

राज्य	जिला का नाम
1	2
असम	1. चिरांग
	2. बक्सा
बिहार	3. अरवल
	4. सिवान
छत्तीसगढ़	5. नारायणपुर
	6. बिजापुर
जम्मू और कश्मीर	7. रामवन
	8. किश्तवार
झारखंड	9. खूंटी
	10. रामगढ़
कर्णाटक	11. यादगिरी
मध्य प्रदेश	12. अशोकनगर
	13. बुरहानपुर
	14. अनुपपुर
	15. छिंदवाड़ा

1	2
	16. अलिराजपुर
	17. सिंगरौली
नागालैंड	18. लांगलेंग
	19. किफरी
ओडिशा	20. बारगढ़
राजस्थान	21. प्रतापगढ़
उत्तर प्रदेश	22. कांशीराम नगर

विवरण-II

बी.आर.जी.एफ. के तहत अतिरिक्त जिलों, क्षेत्रों इत्यादि को शामिल किए जाने हेतु निवेदन के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	जिला/क्षेत्र
1	2	3
1.	असम	चिरांग*, बक्सा*, उदलगुरी/असम के पूरे राज्य
2.	छत्तीसगढ़	जंगजीर-चंपा
3.	हरियाणा	मेवात और झझजर
4.	जम्मू और कश्मीर	रामवान*, खूंटी* और प. सिंहभूम
6.	मध्य प्रदेश	दतिया, छिंदवाड़ा*, विदिशा, रायसेन, सियोर, देवास, शाहजहापुर और सागर
7.	महाराष्ट्र	अकालकोट तलुका का सोलापुर और सभी जिला विदर्भ और मराठवाड़ा एक्सपेट नागपुर, कोकण रिजन
8.	मणिपुर	सेनापति/सभी नौ जिले1
9.	मिज़ोरम	ममीत
10.	नागालैंड	पेरेन
11.	पंजाब	अमृतसर, जालंधर, नवानशहर और मुक्तास्वर
12.	राजस्थान	प्रतापगढ़*
13.	तमिलनाडु	धर्मपुरी, कृष्णागिरी और वेल्लोर
14.	पश्चिम बंगाल	कुच, बिहार

*वर्ष 2012-13 के दौरान बी.आर.जी.एफ. के तहत शामिल किए गए जिले।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस का मूल्य

*278. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राकृतिक गैस के लिए विभिन्न प्रमुख मूल्य निर्धारण क्षेत्रों की तुलना में प्रत्येक मूल्य निर्धारण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के मूल्यों के निर्धारण हेतु उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मूल्य निर्धारण क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस मूल्यों में असमानता के कारण क्या हैं और विभिन्न राज्यों में औद्योगिक उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव है; और

(ग) पूरे देश में सभी राज्यों में प्राकृतिक गैस की एक समान दरों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रेलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) और (ख) वर्तमान में, घरेलू गैस के लिए देश में मोटे तौर पर चार प्रमुख मूल्य निर्धारण व्यवस्थाएं हैं- प्रशासनिक मूल्य निर्धारण (ए.पी.एम.) व्यवस्था के तहत निर्धारित गैस मूल्य, पूर्व एन.ई.एल.पी., गैस-ए.पी.एम. तथा एन.ई.एल.पी. (नई अन्वेषण लाइसेंस नीति)। ए.पी.एम. और गैर-ए.पी.एम. गैस का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। जहां तक एन.ई.एल.पी. और पूर्व-एन.ई.एल.पी. गैस का संबंध है, इसका मूल्य-निर्धारण सरकार और संविदाकार के बीच हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) के अनुसार अभिशासित होता है। जहां तक आयातित गैस का संबंध है, आवधिक संविदाओं के तहत आयातित एल.एन.जी. का मूल्य, एल.एन.जी. विक्रेता और क्रेता के बीच हस्ताक्षरित विक्रय और क्रय करार (एस.पी.ए.) द्वारा अभिशासित होता है, स्पाट कार्गो की खरीद

पारस्परिक रूप से सहमत वाणिज्यिक शर्तों पर की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में नीचे बताए अनुसार गैर-ए.पी.एम. गैस मूल्य निर्धारित किए गए हैं, जो उस क्षेत्र में नीचे बताए अनुसार गैर-ए.पी.एम. गैस मूल्य निर्धारित किए गए हैं, जो उस क्षेत्र में प्रभावी गैर-ए.पी.एम. गैस के सुपुर्द मूल्य के आधार पर हैं:—

(i) पश्चिमी और उत्तरी अंचर - 5 अमरीकी डीलर/एमएमबीटीयू

(ii) दक्षिण अंचल - के जी बेसिन -4.5 अमरीकी डीलर/एमएमबीटीयू

(iii) कावेरी बेसिन - 4.75 अमरीकी डीलर/एमएमबीटीयू

(iv) पूर्वोत्तर क्षेत्र - 4.2 अमरीकी डीलर/एमएमबीटीयू

इसके अलावा, अपतटीय क्षेत्रों से उत्पादन के लिए 0.25 अमरीकी डालर/एम.एम.बी.टी.यू. के प्रीमियम की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्यों में ए.पी.एम. उपभोक्ताओं के लिए ए.पी.एम. गैस आपूर्ति के मूल्य पर 40 प्रतिशत तक की राजसहायता दी जाती है।

(ग.) डॉ. सी. रंगराजन, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (ई.ए.सी.) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी ताकि अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के आधार की समीक्षा की जा सके।

समिति की सिफारिशों को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की कार्यालयी वेबसाइट *http://eac.gov.in./* पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी केन्द्र

***279. श्री के. जयप्रकाश हेगड़े :**
श्री एम.आई. शानवास :

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में शहरी/ग्रामीण/पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में छत्तीसगढ़, गुजरात और कर्णाटक सहित राज्य-वार कितने आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे;

(ख) क्या सरकार का विचार दानककर्ताओं और अनय संगठनों के वित्त पोषण से आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, विशेषकर सोलर पी.वी. मॉडयूल्स के माध्यम से इन आंगनवाड़ी केन्द्रों का विद्युतीकरण किए जाने पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने और पहुंच सुलभ करने हेतु इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में एस.टी.डी. बूथ, कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि जैसे ऊर्जा आधारित उद्यम अथवा कार्यकलाप शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम 7076 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं और 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों (ए.डब्ल्यू.सी.) के अनुमोदन के साथ पूरे देश में वर्ष 2008-09 में चलाई गई थी। अनुमोदित 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों की तुलना में, 13.72 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संस्वीकृत किए गए हैं। ये सभी 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रहेंगे और राज्य/संघ क्षेत्र योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार नए केन्द्रों के लिए मांग कर सकते हैं।

संस्वीकृत 13.72 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में से दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2013 तक 13.40 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के परिचालन लक्ष्य के साथ कुल 13.31 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को परिचालित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़, गुजरात और कर्णाटक सहित दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत और परिचालित आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं/आंगनवाडी केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) केन्द्रीय स्तर पर इस पर विचार नहीं किया गया है। आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण, प्रबंधन और उन्हें चलाना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। राज्य ऐसी अभिनव पहलों पर विचार कर सकते हैं।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती और धात्री माताओं (पी.एंड.एल.एम.) की संख्या) की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या		आंगनवाडी केन्द्रों की संख्या		पूरक पोषण के लाभार्थी					स्कूल पूर्व शिक्षा का लाभार्थी		
		संस्वीकृत	परिचालनात्मक	संस्वीकृत	परिचालनात्मक	बच्चे (6 माह से 3 वर्ष)	बच्चे (3 से 6 वर्ष)	कुल बच्चे (6 माह से 6 वर्ष)	गर्भवती एवं धात्री माताएं (पी एंड एलएम)	कुल लाभार्थी (बच्चे 6 माह से 6 वर्ष) (पी एंड एलएम)	बालक (3-6 वर्ष)	बालिकाएं (3-6 वर्ष)	कुल (3-6 वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	406	387	91307	88005	2631226	1615230	4246456	1311341	5557797	800866	807466	1608332
2.	अरूणाचल प्रदेश	98	93	6225	6028	112264	113819	226083	29789	255872	57175	56644	113819
3.	असम	231	231	62153	58699	1015405	1195597	2211002	400115	2611117	612120	602280	214400
4.	बिहार	545	544	91968	91677	1786099	1721778	3507877	710378	4218255	981475	955923	1937398
5.	छत्तीसगढ़	220	220	64390	49317	1168980	881299	2050279	473773	2524052	437781	447459	885240
6.	गोवा	11	11	1262	1262	17528	35029	52557	17115	69672	9257	9208	18465
7.	गुजरात	336	136	52137	50226	1799438	1319703	3119141	788789	3907930	680595	641646	1322241
8.	हरियाणा	148	148	25962	25245	701684	392159	1093843	325844	1419687	206483	185745	392228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	हिमाचल प्रदेश	78	78	18925	18651ए	260746	167487	428233	99773	528006	75469	73757	149226
10.	जम्मू और कश्मीर	141	141	28577	28577	251810	190787	442597	126611	569208	138510	128648	267158
11.	झारखण्ड	224	204	38432	38432	840312	1156819	1997131	662987	2660118	600500	675468	1275968
12.	कर्णाटक	204	204	64518	64513	1986565	1669195	3655760	914590	4570350	838827	888035	1726862
13.	केरल	258	258	33115	33110	421540	464249	885789	195927	1081716	266363	224808	491171
14.	मध्य प्रदेश	453	453	92230	90999	3535797	3367269	6903066	1412698	8315764	1423618	1378423	2802041
15.	महाराष्ट्र	553	553	110486	106231	3084125	3162119	6246244	1222861	7469105	1626803	1498620	3125423
16.	मणिपुर	43	42	11510	9883	175636	17954ठ	355176	75010	430186	90343	89179	179522
17.	मेघालय	41	41	5156	5156	167428	1886ळ	356028	63755	419783	75493	75222	150715
18.	मिज़ोरम	27	27	1980	1980	71637	57200	128837	37476	166313	27377	26793	54170
19.	नागालैण्ड	60	59	3515	3455	118133	106567	224700	53922	278622	64741	63209	127950
20.	ओडिशा	338	338	72873	71134	1988773	1851288	3840061	806058	4646119	721730	708839	1430569
21.	पंजाब	155	154	26656	26656	600830	460668	1061498	288318	1349816	239791	220877	460668
22.	राजस्थान	304	304	61119	61100	1719760	1078349	2798109	863405	3634515	563476	554752	1118228
23.	सिक्किम	13	13	1233	1233	5883	13387	19270	2191	21461	6701	6686	13387
24.	तमिलनाडु	434	434	55542	54439	1119700	666847	1786547	664121	2450668	568780	550920	1119700
25.	त्रिपुरा	56	56	9911	9906	143235	159212	302447	81946	384393	84849	79475	164322
26.	उत्तर प्रदेश	897	897	187517	187347	10491712	8211478	18703190	4940615	23643805	4453669	4092798	8546467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	उत्तराखंड	105	105	23159	18427	91044	259192	35023	5681	355917	159983	137532	297515
28.	पश्चिम बंगाल	576	574	117170	116390	3414775	3266415	6681190	1337366	8018556	1649331	1611639	36260970
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	5	5	720	699	9379	4613	13992	3521	17513	2343	2270	4613
30.	चण्डीगढ़	3	3	500	420	2227	16287	38514	8689	47203	8141	8146	16287
31.	दिल्ली	95	94	11150	10615	523829	373606	897435	170961	1068396	192297	181309	373606
32.	दादरा और नगर हवेली	2	2	267	267	8453	6677	15130	2941	18071	3314	3363	6677
33.	दमण और दीव	2	2	107	102	3258	2481	5739	1451	7190	1195	1274	2469
34.	लक्षद्वीप	9	9	107	107	2503	2362	4865	1812	6677	1178	1184	2362
35.	पुदुचेरी	5	5	788	788	26398	5512	31910	9760	41670	2788	2724	5512
	कुल	7076	7025	1372667	1331076	40318112	34362820	74680932	18084590	92765522	17673362	16992321	34665683

राज्य सरकार द्वारा भेजी गई राज्य स्तरीय संकलित रिपोर्टों पर आधारित और राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा नमूने में भेजी गई सूचना।

डाउन स्ट्रीम गैस बाजार में अवसंरचना

*280. **श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के डाउन स्ट्रीम गैस बाजार में अल्पविकसित अवसंरचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा डाउन स्ट्रीम गैस बाजार में निवेश लाने के लिए किस प्रकार के नीतिगत प्रोत्साहन की आवश्यकता है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : (क) से (ग) सरकार ने देश में पाइपलाइन अवसंरचना और सी.जी.डी. नेटवर्क के विकास को प्राधिकार देने और उस पर निगरानी रखने के उद्देश्य से पी.एन.जी.आर.बी. अधिनियम, 2006 के तहत एक विनियामक निकाय के रूप में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी.एन.जी.आर.बी.) की स्थापना की है। संपूर्ण देश में प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए, देशभर में एक राष्ट्रपारीय पाइपलान बिछाई जा रही है। इस समय पूरे देश में लगभग 11500 कि.मी. लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है और दूसरा 12650 किलोमीटर पाइपलाइन की अवसंरचना कार्यान्वयन क विभिन्न चरणों में है। विभिन्न निर्माणाधीन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बार्ड (पी.एन.जी.आर.बी.) ने बोर्ड को प्रस्तुत रूचि की अभिव्यक्तियों (ई.ओ.आई.) और स्वत: स्फूर्त आधार पर 300 से अधिक शहरों/कस्बों को शामिल करते हुए विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में नगर गैस वितरण (सी.जी.डी.) नेटवर्क की एक चरणबद्ध रोल-आऊट योजना की परिकल्पना की है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संबद्धता/गैस उपलब्धता पर निर्भर करते हुए पी.एन.जी.आर.बी. इन जीएज को सी.जी.डी. नेटवर्क के विकास के लिए प्राधिकार की मंजूरी प्रदान करने हेतु बोली दौरों में एक चरणबद्ध ढंग से शामिल करता हैं।

विवरण

निर्माणाधीन प्राकृतिक गैस पाइपालन परियोजनाएं

क्र.सं.	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (प्राधिकार प्रदाता)	कंपनी का नाम
(1)	दादरी-बवाना-नांगल पाइपलाइन (केन्द्र सरकार)	गेल (इंडिया) लिमिटेड
(2)	चैनसा-झझर-हिसार पाइपलाइन (केन्द्र सरकार)	गेल (इंडिया) लिमिटेड
(3)	दाभोल-बंगलोर पाइपलाइन (केन्द्र सरकार)	गेल (इंडिया) लिमिटेड
(4)	कोच्चि -कूटानाड-बंगलोर-मंगलोर पाइपलाइन (केन्द्र सरकार)	गेल (इंडिया) लिमिटेड
(5)	जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन (केन्द्र सरकार)	गेल (इंडिया) लिमिटेड
(6)	मल्लावरम-भोपाल-भीलवाड़ा-विजयपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (पी.एन.जी.आर.बी)	जी.एस.पी.एल. इंडिया ट्रांसको लिमिटेड
(7)	मेहसाणा-भठिण्डा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (पी.एन.जी.आर.बी)	जी.एस.पी.एल. इंडिया गैसनेट लिमिटेड
(8)	भठिण्डा-जम्मू-श्रीनगर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (पी.एन.जी.आर.बी)	जी.एस.पी.एल. इंडिया गैसनेट लिमिटेड
(9)	सूरत-पारादीप प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (पी.एन.जी.आर.बी)	गेल (इंडिया) लिमिटेड

बर्ड फ्लू

2991. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूटान में पोल्ट्री में एवियन इन्फ्लुएंजा फैलने के बाद सीमावर्ती राज्यों से कड़ी चौकसी बरतने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ सीमावर्ती राज्यों को कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) भूटान में अत्यंत रोगमूलक एवियन इन्फ्लूएंजा (एच.पी.ए.आई.) के प्रकोप की रिपोर्ट के मद्देनजर पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने भुटान के सभी सीमावर्ती राज्यों को 22.01.2013 को निर्देशिका जारी की है। निर्देशिका की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए विशेष रूप से कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। तथापि, 'पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता' (ए.एस.सी.ए.डी.) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत विदेशों से आने वाले और नए रोगों, जिनमें एवियन इन्फ्लुएंजा भी शामिल हैं, पर निगरानी रखने के लिए राज्यों को निधि उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण

सं. 50-326/2009-एल.डी.टी. (एक्यू)
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
पशुपालन, डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 22 जनवरी, 2013

विषय : **भूटान में बर्ड फ्लू के मद्देनजर किए जाने वाले उपाय।**

कृपया डागना, भूटान में अत्यंत रोगमूलक एवियन इन्फ्लुएंजा (एच.पी.ए.आई.) के प्रकोप की सूचना देने के लिए प्रस्तुत ओ.आई.ई. रिपोर्ट का अवलोकन करें।

2. एवियन इन्फ्लुएंजा पार से आने वाला सीमा पशु रोग है। अत: अपने राज्य में रोग के प्रवेश को रोकने और अपने राज्य में रोग को फैलने से रोकने के लिए सभी संभव उपाय करने/सावधानियां बरतने और पूरी तरह तैयार रहने की तत्काल आवश्यकता है।

3. किसी आपदा से निपटने के लिए, यह परम आवश्यक है कि राज्य को सतर्क रहते हुए निम्नलिखित उपाय करें:—

(i) कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों की सीमा पार आवाजाही की अनुमति दी जाए।

(ii) एवियन इन्फ्लुएंजा और इसे रोकने के लिए की जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सूचना, शिक्षण और संप्रेषण अभियान चलाए जाएं और यदि कोई लक्षण दिखाई देता है तो संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब इसकी सूचना दी जाए।

(iii) सभी सीमावर्ती जिलों में गहन निगरानी की जाए।

(iv) सीमावर्ती क्षेत्रों में पशु रोग अधिकारियों को जीवित कुक्कुट बाजारों की विशेष निगरानी करनी चाहिए।

(v) किसी प्रकार की आपदा को रोकने के लिए जिला स्तरीय तैयारी, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और अपेक्षित उपकरण और रसायन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(vi) किसी पक्षी की किसी असामान्य मौत की घटना की सूचना तत्काल इस विभाग को दी जाए।

(आर.एस. राणा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

वितरण :

मुख्य सचिव/, सचिव, पशुपालन और पशु रोग सेवाएं, पश्चिम बंगाल, असम, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम और बिहार राज्य। (संलग्न सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि :

निदेशक, पशुपाल व पशु रोग सेवाएं, असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल राज्य।

रायपुर में सी.जी.एच.एस. अस्पताल

2992. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ में रायपुर स्थित कुष्ठरोग केन्द्र, लालपुर में पूरी तरह से सज्जित 300 बिस्तरों वाले मल्टी सुपर स्पेशियलिटी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा (सी.जी.एच.एस.) का अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.जी.एच.एस. निदेशालय सिद्धान्तः प्रस्ताव को पेश करने तथा सभी वित्तीय एवं अन्य अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो जनहित में उक्त प्रस्ताव को अब तक लागू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आम आदमी बीमा योजना

2993. श्रीमती मौसम नूर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आम आदमी बीमा योजना की क्या स्थिति है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत कितने परिवारों का पंजीकरण किया गया है;

(ख) क्या देश में उक्त योजना समुचित तरीके से लागू की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के लिए आवेदन करने हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) सरकार ने 01.01.2013 से पूर्ववर्ती सामाजिक क्षेत्र की दो जीवन बीमा योजनाओं अर्थात जनश्री बीमा योजना (जे.बी. वाई.) तथा आम आदमी बीमा योजना (ए.ए.बी.वाई.) को एक योजना में समेकित कर दिया है और उसका नाम बदलकर आम आदमी बीमा योजना कर दिया है। 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार समेकित ए.ए.बी.वाई. के अंतर्गत कवर किए गए जीवन सहित पिछले तीन वर्षों एवं 31.12.2012 तक के दौरान देश में पूर्ववर्ती जनश्री बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए जीवन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) ए.ए.बी.वाई. योजना का क्रियान्वयन देश के लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के माध्यम से किया जा रहा है। 31 जनवरी तक की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष के लिए ए.ए.बी.वाई. के अंतर्गत राज्य-वार कवरेज का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

ए.ए.बी.वाई. स्कीम के लिए आवेदन करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नोडल एजेंसी (नोडल एजेंसी का अभिप्राय केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार/भारत के संघ राज्य क्षेत्र/पंजीकृत एन.जी.ओ. अथवा कोई अन्य संस्थागत व्यवस्था है) कवर किए जाने वाले सदस्यों की पहचान करेगी तथा सदस्य के प्रीमियम के हिस्से सहित नामोदिष्ट एल.आई.सी. यूनिट के लिए स्कीम के तहत कवर किए जाने वाले जीवन की कुल संख्या की सूचना देगी। नोडल एजेंसी इस स्कीम के अंतर्गत मुख्य पालिसीधारक होगी और सदस्य के लिए उसकी ओर से कार्य करेगी। वह स्कीम के संचालन के संबंध में सदस्यों के सभी संगत यथापेक्षित विवरण जैसे नई सदस्यों का ब्यौरा, बीमित सदस्यों की मृत्यु तथा ए.ए.बी.वाई. के अंतर्गत पात्रता शर्तों के सत्यापन हेतु अन्य ब्यौरा एल.आई.सी. को भेजेगी।

विवरण-I

वर्ष-वार कवर किया गया जीवन

योजनाएं	2009-10	2010-11	2011-12 (31.12.2012 तक)	2012-13	2012-13 31.01.2012 की स्थिति के अनुसार
जनश्री बीमा योजना (पूर्ववर्ती)	18443217	20978825	22056435	28994424	—
आम आदमी बीमा योजना (पूर्ववर्ती)	10929570	14045470	16268289	17867455	—
समेकित आम आदमी बीमा योजना	—	—	—	—	47515760
योग	29372787	35024295	38324724	4686179	47515760

विवरण-II

राज्य	समेकित ए.ए.बी.वाई. के अंतर्गत कुल जीवन (31.01.2013 की स्थिति के अनुसार)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	11503451
असम	242478
बिहार	254384
चण्डीगढ़	38736
छत्तीसगढ़	2960216
दिल्ली	78858
गोवा	48342
गुजरात	1624480
हरियाणा	28189
हिमाचल प्रदेश	44267
जम्मू और कश्मीर	104211
झारखण्ड	160720
कर्णाटक	2353829
केरल	1324312
मध्य प्रदेश	5897616
महाराष्ट्र	6746929
मणिपुर	3078
मेघालय	1361
मिज़ोरम	1814
नागालैण्ड	3611
ओडिशा	789136
पुदुचेरी	14358
पंजाब	51134

1	2
राजस्थान	3257143
सिक्किम	17272
तमिलनाडु	2036990
त्रिपुरा	677511
उत्तर प्रदेश	1351462
उत्तराखण्ड	677511
पश्चिम बंगाल	1351462
सह-आंगनवाड़ी	239934
सह-के.वी.आई.सी.	274256
कुल जीवन	47515760

बाल अधिकार पैनल

2994. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बाल अधिकार पैनल द्वारा सरकार को कोई रिपोर्ट सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो पैनल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक प्रत्येक रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) ऐसा कोई बाल अधिकार पैनल नहीं है जो सरका को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तथापि, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आ.र.) अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जो संसद में प्रस्तुत की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) से वर्ष 2010-11, 2009-10 तथा 2008-09 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं और इन्हें संसद के दोनों सभा पटलों पर रख दिया गया था। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) ने वर्ष 2010-11 की अपनी रिपोर्ट में कोई सिफारिश नहीं की है, तथापि, उन्होंने वर्ष 2009-10 तथा 2008-09 की वार्षिक रिपोर्टों में बच्चों से संबंधित मामलों पर कुछ सिफारिशें की और इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट को एन.सी.पी.सी.आर. की वार्षिक रिपोर्टों के साथ संसद में प्रस्तुत कर दिया गया था।

लिंग संबंधी समानता

2995. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश सहित अनेक देश लिंग संबंधी समानता के संदर्भ में हमारे देश से आगे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने तथा देश में लिंग-संबंधी समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट-2011 के अनुसार महिला-पुरुष संसूचक में भारत 129वें स्थान पर है।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से बहुत सी योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। अन्य योजनाओं के साथ-साथ इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार को प्रोन्नत करना शामिल है। लिंग संबंधी समानता को प्रोन्नत करने के लिए सरकार द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, प्रस्तूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और स्थानीय प्रशासन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश देते हुए संविधान में 73वां-74वां संशोधन जैसे उपाय किए गए हैं।

विद्यालयों को नाबार्ड की सहायता

2996. श्री पी. विश्वनाथन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा देश में विभिन्न विद्यालयों को कोई वित्तीय सहायता/सुविधा प्रदान की गई/प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु सहित गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सहायता/सेवाएं कब तक प्रदान करने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत स्कूलों के निर्माण ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) ने विभिन्न राज्य सरकारों को ऋण मंजूर किए हैं। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आर.आई.डी.एफ. — स्कूलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को मंजूर किए गए ऋण

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2009-10				वर्ष 2010-11			
		प्राथमिक स्कूल		माध्यमिक स्कूल		प्राथमिक स्कूल		माध्यमिक स्कूल	
		परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	173	409.24	0	000	0	0.00	29	9372
2.	कर्णाटक	0	0.00	44	160.01	104	25.45	83	53.89
3.	केरल	0	000	12	33.14	0	0.00	7	13.87
4.	मध्य प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	6	123.98	0	0.00
6.	पुदुचेरी	24	10.53	0	0.00	0	0.00	30	17.36
7.	पंजाब	0	0.00	1504	65.08	0	0.00	351	12.24
8.	राजस्थान	0	0.00	147	31.64	0	0.00	0	0.00
9.	सिक्किम	11	3.50	15	5.86	0	0.00	0	0.00
10.	तमिलनाडु	0	0.00	303	210.01	0	0.00	259	195.01
11.	पश्चिम बंगाल	1805	29.10	1	0.78	6	10.26	1	0.44
	अखिल भारतीय योग	2013	452.37	2466	506.52	116	159.69	760	386.53

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2011-12				वर्ष 2012-13			
		प्राथमिक स्कूल		माध्यमिक स्कूल		प्राथमिक स्कूल		माध्यमिक स्कूल	
		परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	000	29	93.72	0	0.00	162	146.02
2.	कर्णाटक	104	25.45	83	53.89	0	0.00	4	21.25
3.	केरल	0	0.00	7	13.87	0	0.00	11	169.55
4.	मध्य प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	40	160.75
5.	मणिपुर	6	123.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6.	पुदुचेरी	0	0.00	30	17.36	0	0.00	0	0.00
7.	पंजाब	0	0.00	351	12.24	0	0.00	0	0.00
8.	राजस्थान	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9.	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.	तमिलनाडु	0	0.00	259	195.01	0	0.00	231	200.67
11.	पश्चिम बंगाल	6	10.26	1	0.44	0	0.00	5	5.80
	अखिल भारतीय योग	116	159.69	760	386.53	0	0.00	453	704.04

नेपाल में निवेश

2997. **श्री पी. आर. नटराजन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में किसी पड़ोसी देश के साथ कोई द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन तथा संरक्षण करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ सेक्टर-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) उक्त करार का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) सरकार ने हाल ही में किसी पड़ोसी देश के साथ कोई द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन तथा संरक्षण करार नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजना हेतु गैस

2998. **श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :**
श्रीमती दर्शना जरदोश :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव विद्युत उत्पादन के लिए अधिक प्राकृतिक गैस आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जी.एस.पी.सी. पीपावव पावर कंपनी लिमिटेड, जी.एस.ई.जी. विस्तार परियोजनाओं और ध्रुवरण सी.सी.पी.पी.- सहित देश में लगायी जाने वाली कुछ गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए कंपनी आधार पर गैस का आबंटन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गैस की प्रमात्रा की कमी हेतु आवंटन के लिए अनुरोधों तथा गैस आधारित विद्युत आपूर्ति करने वाले संयंत्रों के बीच गैस को एकत्रित करने/अन्यत्र उपयोग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) ऊर्जा क्षेत्र को घरेलू प्राकृतिक गैस आबंटन के लिए तीसरी प्राथमिकता प्रदान की गई है और जब कभी गैस उपलब्ध होगी तो प्रचलित गैस उपयोग नीति के अनुसार उसका आबंटन किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक ही स्वामी के विद्युत संयंत्रों के बीच गैस की क्लबिंग/विपथन पर दिनांक 01.01.2013 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि बिजली के कुछ उत्पादन में तदनुरूपी वृद्धि के साथ पी.एल.एफ. में सुधार करने के उद्देश्य से घरेलू गैस का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने में समर्थ हो सके।

स्टेरिन बुटाडाईन रबड़ संयंत्र

2999. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम पानीपत में एक स्टेरिन बुटाडाईन रबड़ विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना में किए गए निवेश को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एस.बी.आर. का अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना है और इससे रोजगार के कितने अवसरों का सृजन होने की आशा है; और

(घ) उक्त संयंत्र के कब तक शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आई.ओ.सी.एल.) पानीपत में इंडियन सिंथेटिक रबर लि. नामक अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से स्टेरिन बुटाडाईन रबर (एस.बी.आर.) मेनुफेक्चरिंग संयंत्र स्थापित कर रही है। दिनांक 11.03.2013 की स्थिति के अनुसार आई.ओ.सी.एल. द्वारा किया गया इक्विटी निवेश 175.78 करोड़ रूपए है।

(ग) एस.बी.आर. का अनुमानित वार्षिक उत्पादन 1,20,000 टन होगा। इससे 250 कर्मचारियों (स्थानी और संविदागत कर्मचारियों सहित) को रोजगार का अवसर मिलने की उम्मीद है।

(घ) अनुमान है कि यह अगस्त, 2013 में चालू हो जाएगा।

[हिन्दी]

एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज

3000. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित लघु और मध्यम स्टॉक एक्सचेंजों/ट्रेडिंग प्लेटफार्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे एक्चेंजों/प्लेटफार्मों में सरकार का कोई हिस्सा है; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने अपने दिनांक 18 मई, 2010 के परिपत्र द्वारा लघु और मध्यम उद्यमों (एस.एम.ई.) के लिए देशव्यापी कारोबार टर्मिनल वाले मान्यताप्राप्त

स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्टॉक एक्सचेंज/कारोबार प्लेटफार्म की स्थापना करने से संबंधित दिशानिर्देश निर्धारित किए थे।

तत्पश्चात बी.एस.ई. लिमिटेड (बी.एस.ई.) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.एस.ई.) के आग्रह पर, सेबी ने बी.एस.ई. और एन.एस.ई. में एस.एम.ई. प्लेटफार्मों की स्थापना के लिए क्रमश: 27 सितम्बर, 2011 और 14 अक्तूबर, 2011 को मंजूरी दी। उसके पश्चात 13 मार्च, 2012 को बी.एस.ई. और एन.एस.ई. दोनों में एस.एम.ई. प्लेटफार्मों की शुरूआत की गई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर भाग (ख) का उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रम

3001. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोई सरकारी निजी भागीदारी मॉडल अपनाने का है जिसके अंतर्गत केन्द्र, राज्य और गैर-सरकारी संगठन तथा व्यक्ति संयुक्त रूप से जनजातीय क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रमों हेतु संसाधन जुटाएंगे तथा कार्यनीति बनाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह) : (क) सरकार के पास जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु सरकारी-निजी-भागीदारी (पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनशिप) मॉडल हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऐतिहासिक स्थलों में अधिष्ठापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली

3002. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में ऐतिहासिक/धार्मिक महत्व के स्थलों तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली अधिष्ठापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देने तथा परम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने हेतु कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी हां। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम (एस.ए.डी.पी.) के अंतर्गत देश के 12 राज्यों मं धार्मिक/ऐतिहासिक महत्व के 29 स्थानों में तथा 23 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्र/राज्य सरकार के 78 प्रतिष्ठानों में अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की संस्थापना की गई है। इन अधिष्ठापनों की सूची क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण-II पर दी गई है।

(ग) और (ङ) मंत्रालय द्वारा पूरे देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों, जैसे पवन, लघु पनबिजली, बायोमास और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कई अक्षय ऊर्जा योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। मंत्रालय द्वारा नवीन एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों की संस्थापना को बढ़ावा देने के लिए कई राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे पूंजी/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, रियायती उत्पादन एवं सीमा शुल्क दिए जाते हैं। ऊर्जा के अक्षय स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे अन्य प्रयासों में विद्युत की खरीद के लिए अधिमान्य शुल्क-दर, अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्रों और अक्षय ऊर्जा खरीद संबंधी बाध्यता की शुरूआत करना शामिल हैं। देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों से लगभग 27295 मेगावाट अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता की संस्थापना की गई है।

विवरण-I

ऐतिहासिक/धार्मिक स्थानों की सूची, जहां विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा प्रणालियां लगाई गई हैं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऐतिहासिक/धार्मिक स्थान
1	2	3
1.	दिल्ली	जंतर मंतर, नई दिल्ली
		सफदरजंग मकबरा, नई दिल्ली
		स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, नई दिल्ली
2.	गुजरात	सेफी विला, डांडी
3.	जम्मू और कश्मीर	श्रीमाता वैष्णो देवी श्राइन, कटरा
		जियारत शरिफ दरगाह, हजरतबल, श्रीनगर
		जियारत शैरीफ ऑफ हजरत नूर दीन वली चराए-ए-शरीफ, श्रीनगर
4.	कर्णाटक	हम्फी में स्मारकों का स्मूह, डब्ल्यू.एच.एस., हम्फी
5.	महाराष्ट्र	बी.बी. का मकबरा, औरंगाबाद
		दौलताबाद किला, दौलताबाद, औरंगाबाद
		पांडुलेना गुफाएं, नासिक
		सिद्धि विनायक मंदिर, मुम्बई
		विट्ठल रूक्मिणी मंदिर, पंढरपुर, सोलापुर
		योगेश्वरी देवस्थान, अम्बाजोई, बीड
		तुलिया भवानी मंदिर, तुलिजा, उस्मानाबाद
6.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर का किला, ग्वालियर
		रानी रूपमती पवेलियन, मांडु
7.	ओडिशा	श्री जगन्नाथ श्राइन, पुरी

1	2	3
8.	पंजाब	वर्ल्ड सिख हैरिटेज सैंटर, तख्त आनन्दपुर साहिब, रूपनगर (रोपड़)
		दुर्गियाना तीर्थ मंदिर, अमृतसर
		आनन्दपुर साहिब किला, रूपनगर (रोपड़)
		स्वर्ण मंदिर, अमृतसर
9.	राजस्थान	कियोलादेव नेशनल पार्क, डब्ल्यू.एच.एस., भरतपुर
		हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह, अजमेर
		चितौड़गढ़ किला, चितौड़गढ़
10.	तमिलनाडु	रामेश्वरम श्राइन, रामनाथापुरम
11.	उत्तराखंड	बद्रीनाथ श्राइन, चमोली
		केदारनाथ श्राइन टाउन, रूद्रप्रयाग
12.	पश्चिम बंगाल	शान्ति निकेतन, बीरभूमि

विवरण-II

केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्रतिष्ठापनों की सूची, जहां विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों की संस्थापना की गई है

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित किए गए केन्द्र/राज्य सरकार
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	राजभवन, हैदराबाद
2.	अरूणाचल प्रदेश	राजभवन, इटानगर
3.	असम	राजभवन, गुवाहाटी
4.	चंडीगढ़	यू.टी. सचिवालय
5.	छत्तीसगढ़	राजभवन, रायपुर

1	2	3
		रायपुर, बिलासपुर, नारायणपुर, राजनन्दगांव, सरगुजा, कबीरधाम, बीजापुर, राजगढ़, कंकेर, दांतेवाडा, जसपुर, कोरिया, जांजगीर, चम्पा, महासामुंद, दुर्ग, जगदलपुर, कोरबा के कलेक्टरेट
6.	दिल्ली	संसद भवन
		दिल्ली सचिवालय
		तिहाड़ जेल परिसर
7.	गोवा	राजभवन, गोवा
8.	हरियाणा	हरियाणा राज भवन, चंडीगढ़
		अम्बाला, जिंद, कुरूक्षेत्र, रेवाड़ी, फतेहाबाद, हिसार, फरीदाबाद, सोनीपत, नारनौल, पंचकुला के कलेक्टरेट
9.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला
		बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति, शिमला, सिमौर, मांडी, सोलन, उना के कलेक्टरेट
10.	जम्मू और कश्मीर	राजभवन जम्मू और कश्मीर
		राज्य विधान सभा एवं परिषद, जम्मू और कश्मीर
11.	झारखंड	राजभवन, रांची
12.	महाराष्ट्र	राजभवन, मुम्बई
13.	मध्य प्रदेश	राजभवन, भोपाल
		विधान सभा भवन, भोपाल
		मंत्रालय, भोपाल
14.	मणिपुर	राजभवन, इम्फाल
15.	मेघालय	राजभवन, शिलोंग
16.	ओडिशा	राजभवन, भुवनेश्वर

1	2	3
17.	पंजाब	पंजाब राज भवन, चंड़ीगढ़
		राज्य विधान सभा, चंडीगढ़
		पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़
18.	राजस्थान	राजभवन, जयपुर
19.	सिक्किम	सिक्किम राज्य असेम्बली
20.	तमिलनाडु	राजभवन, चैन्नई
21.	त्रिपुरा	राजभवन, अगरतला
22.	उत्तराखंड	राजभवन, देहरादून और नैनीताल
23.	उत्तर प्रदेश	राजभवन, लखनऊ
		मुजफ्फरनगर, बागपत, बलरामपुर, गाजीपुर, सहारनपुर, कानपुर के कलेक्टरेट
24.	पश्चिम बंगाल	राजभवन, कोलकाता
		राज्य असेम्बली, कोलकाता
		राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा हाइड्रोकार्बन की खोज

3003. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा की गई हाइड्रोकार्बन संबंधी खोजों का ब्लॉक और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन कंपनियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें प्रशासित मूल्य तंत्र (ए.पी.एम.) आधार पर उक्त तेल ब्लॉकों से गैस प्रदान की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त कंपनियों को कितनी गैस प्रदान की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) ओ.एन.जी.सी. ने पिछले तीन वर्षों (2009-12) के दौरान 68 हाइड्रोकार्बन खोजें और दिनांक 1.3.2013 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष के दौरान 18 हाइड्रोकार्बन खोजें की हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैस की अधिप्राप्ति नए खोजे गए क्षेत्रों से की जा रही है जिनमें बी-22, वसई (पू), सी-सीरीज, बांद्रा फार्मेशन, उत्तर ताप्ती (पश्चिमी अपतट में) और जी.एस.-15, जी.एस.-49 और कविताम (के.जी. बेसिन में) शामिल हैं। इन क्षेत्रों से ओ.एन.जी.सी. गेल को लगभग 5.82 मिलियन मीट्रिक स्टेंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) गैस की आपूर्ति कर रही है जिसमें से 1.35 एम.एम.एस.सी.एम.डी. प्राकृतिक गैस ए.पी.एम. दर पर और शेष गैस गैर ए.पी.एम. दर पर है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार खोजें

राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (1.3.2013)
असम	2		3	1
आन्ध्र प्रदेश	5	4		4
बिहार			1	
गुजरात	4	8	5	4
मिज़ोरम			1	
तमिलनाडु	1	3	2	3
त्रिपुरा	1	1	1	
पश्चिमी अपतट	5	4	5	5
पूर्वी अपतट	3	4	5	1
	21	24	23	18

ओ.एन.जी.सी. द्वारा गत तीन वर्षों (2009-2012) और वर्तमान वर्ष (2012-13, 01.03.2013 तक) की गई खोजों की सूची

क्र. सं.	बेसिन (राज्य)	संभाव्यता का नाम	खोज कूप	प्रकार
1	2	3	4	5
		2009-10		
1.	पश्चिमी स्थलीय (गुजरात)	कारवान	कारवान-1 (के.वी.ए.ए.)	तेल एवं गैस
2.		साऊथ कडी	साऊथ कडी-155	तेल
3.		अहमदाबाद	अहमदाबाद-124 (ए.एम.बी.सी.)	तेल एवं गैस
4.		उत्तरी कुराल	उत्तरी कुराल-1	तेल एवं गैस
5.	ए एवं एए (असम)	कासोमारीगांव	कसोमारीगांव-2 (के.एस.ए.बी.)	तेल एवं गैस

1	2	3	4	5
6.		नाथ गेलेकी	नार्थ गेलेकी-1 (एन.जी.ए.ए.) (रंगाईगांव-1)	तेल एवं गैस
7.	ए एवं एए (त्रिपुरा)	सुंदलबारी	सुंदलबारी-4 (एस.डी.ए.सी.)	गैस
8.	के.जी. स्थल (आन्ध्र प्रदेश)	कमापेलम	कमापेलम (के.एम.पी.ए.ए.)	गैस
9.		पेनुगोंडा-1ए	पेनुगोंडा-1ए (पी.जी.ए.बी.)	गैस
10.		साऊथ महादेवपट्नम	साऊथ महादेवपट्नम-1	गैस
11.		केसानपल्ली वेस्ट	केसानपल्ली वेस्ट-30	तेल एवं गैस
12.		ईस्ट रंगापुरम	ईस्ट रंगापुरम-3	गैस
13.	कावेरी अभितट (तमिलनाडु)	नानीलम	नलीलम-3	तेल
14.	पश्चिमी अपतट (एस.डब्ल्यू.)	पी.ई.आर.-1	पी.ई.आर-1 (पी.ई.आर.-ए)	तेल एवं गैस
15.		जी.के.-28-1	जी.के.-28-1 (जी.के.-28-ए)	गैस
16.		एस.डी.-1-5	एस.डी.-1-5 (एस.डी.-बी)	तेल एवं गैस
17.		बी.एफ.-1	बी.एफ.-1	गैस एवं संघनित
18.		बी-121-7	बी-121-7(बी-121-बी)	गैस एवं संघनित
19.	के.जी. अपतट	जी.एस.-69-1	जी.एस.-69-1 (जी.एस.-69-एए)	तेल एवं गैस
20.	(एस.डब्ल्यू.)	जी.एस.-के.डब्ल्यू.-6	जी.एस.-के.डब्ल्यू.-6 (जी.एस.-के.डब्ल्यू.-ए.एफ.)	तेल एवं गैस
21.	के.जी. अपतट (डी.डब्ल्यू.)	जी.डी.-7-1	जी.डी.-7-1 (जी.डी.-7-ए.ए.)	गैस
		2010-11		
1.	पश्चिमी स्थलीय (गुजरात)	विरगोविंदपुरा	विरगोविंदपुरा-3 (वी.आर.ए.ए.)	गैस
2.		करननगर-1	करननगर-1 (डब्ल्यू.जे.ए.एच.)	तेल
3.		वडातल-1	वडातल-1 (वी.डी.ए.ए.)	तेल एवं गैस
4.		लिम्बोरा ईस्ट-1	लिम्बोरा ईस्ट-1 (एल.एम.सी.टी.)	तेल

1	2	3	4	5
5.		वेमार्डी-1	वेमार्डी-1 (के.वी.ए.डी)	तेल एवं गैस
6.		अलियाबेट-2	अलियाबेट-2 (ए.बी.ए.ई.)	तेल एवं संघनित
7.		वडातल-3	बडातल-3 (ए.एच.ए.)	तेल एवं गैस
8.		मातर	मातर-2 (एम.आर.ओ.)	तेल एवं गैस
9.	ए एवं एए (त्रिपुरा)	अगरतला डोम	अगरतला डोम-30 (ए.डी.ए.के.)	गैस
10.	के.जी. स्थलीय	लक्ष्मीनरसिंहपुरम	लक्ष्मीनरसिंहपुरम-1	तेल
11.		वेस्ट केसूवदासपेलम	वेस्ट केसूवदासपेलम-1	तेल
12.		वेग्रेस्वरम साऊथवेस्ट	वेग्रेस्वरम साऊथवेस्ट-1	गैस
13.		मलेस्वरम	मलेस्वरम (एम.एस.ए.ए.)	तेल एवं गैस
14.	कावेरी स्थलीय (तमिलनाडु)	नार्थ कोविकालपल	नार्थ कोविकालप-1 (के.के.ए.पी.)	तेल
15.		कुठानलूर	कुठानलूर-12 (के.एन.ए.जी.)	तेल
16.		पुंडी	पुंडी-2 (पी.यू.ए.ए.)	तेल
17.	पश्चिमी अपतट (एस.डब्ल्यू.)	सी-1-6	सी-1-6 (सी-1-जी)	गैस
18.		जी.के.-28-3	जी.के.-28-3 (जी.के.-28-डी.)	तेल एवं गैस
19.		सी-23-9	सी-23-9 (सी-23-1ए)	गैस
20.		जी.के.-28-2	जी.के.-28-2 (जी.के.-28-सी)	तेल
21.	के.जी. अपतट (एस.डब्ल्यू.)	जी.एस.-के.वी.-1	जी.एस.-के.वी.-1 (जी.एस.-के.वी.-ए.ए.)	गैस
22.		जी.एस.-29-6	जी.एस.-29-6 (जी.एस.-29-एच.)	तेल एवं गैस
23.		जी.एस.-21-3	जी.एस.-21-3 (जी.एस.-21-ए.सी.)	गैस
24.	महानदी अपतट (डी.डब्ल्यू.)	एम.एन.-ओ.एस.एन.-2000/2-डी	एम.डी.डब्ल्यू.-10	गैस
		2011-12		
1.	पश्चिमी स्थलीय (गुजरात)	पूर्वी लिंच	पूर्वी लिंच (एल.एन.बी.यू.)	तेल
2.		यूबेर-2	यूबेर-2 (यू.बी.ए.सी.)	गैस

1	2	3	4	5
3.		नार्थ कडी	नार्थ कडी-472 (एन.के.एक्स.वी.)	तेल
4.		विराज	विराज-58 (वी.जे.ई.पी.)	तेल
5.		नार्थ कडी	नार्थ कडी-461 (एन.के.पी.आई.)	तेल
6.	ए. एवं ए.ए. (असम)	गेलेकी	गेलेकी-354 (जी.के.ए.पी.)	तेल एवं गैस
		खोराघाट	खोराघाट-31 (के.एच.ए.वी.)	तेल
8.	ए. एवं. ए.ए./कछार (असम)	पथारिया	पथारिया-5 (पी.टी.ए.ए.)	गैस
9.	ए. एवं. ए.ए. (त्रिपुरा)	गोजालिया	गोजालिया-13 (जी.ओ.ए.बी.)	गैस
10.	ए.ए.एफ.बी.-मिजोरम	होरोतिका	होरोतिका-1 (एच.ओ.ए.बी.)	गैस
11.	कावेरी स्थलीय (तमिलनाडु)	पेरियाकुडी	पेरियाकुडी-1 (पी.डी.ए.ए.)	तेल एवं गैस
12.		नार्थ कोवीकालाप्पा	नार्थ कोवीकालाप्पा-3 (एन.के.के.ए.ए.)	तेल एवं गैस
13.	सीमांत बेसिन (बिहार)	नोहटा	नोहटा-2	गैस
14.	कैम्बे की खाड़ी (पश्चिमी अपतट)	अलियाबेट-3	अलियाबेट-3 (ए.बी.ए.एफ.)	गैस
15.	पश्चिमी अपतट (एस.डब्ल्यू.)	बी.एच.-67	बी.एच.-67 (बी.एच.-एफ.)	गैस
16.		बी.-127ई-1	बी-127ई-1 (बी-127ई-ए)	तेल एवं गैस
17.		जी.एस.एस.04 एन.ए.ए.-1	जी.एस.एस.04 एन.ए.ए.-1	गैस
18.		जी.के.-42-1	जी.के.-42-1 (जी.के.-42-ए)	गैस
19.	के.जी. अपतट (एस.डब्ल्यू.)	जी.एस.-07-01	जी.एस.-70-1(जी.एस.-70-ए.ए.)	तेल एवं गैस
		चंद्रिका साऊथ	चंद्रिका साऊथ-1	गैस
		के.जी.ओ.एस.एन. 041 एन.ए.ए.एल.	के.जी.ओ.एस.एन. 041 एन.ए.ए.एल.-1	गैस एवं संघनित
22.	महानदी अपतट (डी.डब्ल्यू.)	एन.ई.सी.-डी.डब्ल्यू.एन.-2002/2	एम.डी.डब्ल्यू.-13	गैस
23.	अंडमान अपतट (डी.डब्ल्यू.)	ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2002/1-सी	ए.एन.-डी.डब्ल्यू.-1	गैस

1	2	3	4	5
		2012-13		
1.	ए एवं एए (असम)	फुलानी	फुलानी-1 (ई.एल.ए.बी.-स्थानांतरित)	तेल
2.	के.जी. स्थलीय (आन्ध्र प्रदेश)	कोरावका	कोरावका-1 (के.आर.वी.-ए.ए.)	तेल एवं गैस
3.		बंटीमली साऊथ	बंटीमली साऊथ-1 (बी.टी.ए.-ए.ए.)	गैस
4.		मुक्कामाला	मुक्कामाला-1 (एम.यू.के.-ए.ए.)	गैस
5.		मंडापेटा वेस्ट	मंडापेटा वेस्ट-12 (एम.डब्ल्यू.ए.ओ.)	गैस
6.	कावेरी स्थलीय (तमिलनाडु)	पंडानालूर-7	पंडानालूर-7 (पी.एन.-7)	गैस
7.		मडानम-3	मडानम-3 (एन.एम.ए.बी.)	तेल एवं गैस
8.		पंडानलूर-8	पंडानलूर-8	तेल एवं गैस
9.	पश्चिमी अभितट (गुजरात)	वडातल-5	वडातल-5 (वी.डी.ए.सी.)	तेल एवं गैस
10.		अंकलाव	अंकराव-9 (ए.वी.डी.बी.)	तेल
11.		मोटेरा	मोटेरा-36 (एम.ओ.डी.यू.)	तेल
12.		मनसा	मनसा-36 (एम.एस.बी.क्यू.)	तेल
13.	कैम्बे की खाड़ी (पश्चिमी अपतट)	अलियाबेट	अलियाबेट-4 (ए.बी.ए.जी.)	तेल एवं संघनित
14.	पश्चिमी अपतट	सी-39	सी-39-14(सी-39-वी)	तेल एवं गैस
15.		बी.एच.-68	बी.एच.-68	तेल एवं गैस
16.		डी1-डी-1	डी1-डी-1	तेल
17.		एम.बी.एस.ओ. 51 एन.बी.ए.-ए	एम.बी.एस.ओ.51 एन.बी.ए.-ए	गैस
18.	पूर्वी अपतट	केजीओएसएनओ 41 एनएएसए-1 (सवेरी)	केजीओएसएनओ 41एनएएसए-1	गैस

गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की सहायता

3004. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा गरीबी उन्मूलन

योजनाओं के कार्यान्वयन के पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दी गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसमें से उपयोग की गई सहायता राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। गरीबी उन्मूलन हेतु विशिष्ट रूप से आशयित एशियाई विकास बैंक की सहायता प्राप्त कोई परियोजना नहीं है।

विवरण

गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	दाता	हस्ताक्षर करने की तारीख	समाप्ति की तारीख	क्रेडिट ऋण राशि	28.02.2013 तक संवितरण
2009-10							
1.	मध्य प्रदेश जिला गरीबी-पहल परियोजना चरण-	मध्य प्रदेश	आई.डी.ए.	20.07.2009	31.12.2014	100	56.50
2.	आन्ध्र प्रदेश गरीबी न्यूनीकरण परियोजना हेतु अतिरिक्त वित्तपोषण	आन्ध्र प्रदेश	आई.डी.ए.	29.12.2009	31.01.2009	100	97.64
2010-11							
3.	तमिलनाडु अधिकारिता तथा गरीबी न्यूनीकरण "वझंधु काट्टूवोम" परियोजना हेतु अतिरिक्त वित्तपोषण	तमिलनाडु	आई.डी.ए.	23.12.2010	30.09.2014	154	22.04
2011-12							
4.	राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना	राजस्थान	आई.डी.ए.	24.05.2011	31.10.2016	162.7	13.89
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना	केन्द्रीय	आई.डी.ए.	18.07.2011	31.12.2016	1000.00	13.50
6.	उत्तर-पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना	नागालैण्ड, मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम	आई.डी.ए.	20.01.2012	31.03.2017	130.00	0.78
2012-13							
7.	बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण	बिहार	आई.डी.ए.	09.07.2012	31.10.2015	100.00	1.28

[अनुवाद]

पवन ऊर्जा क्षेत्र में पी.एस.यू.

3005. श्री हरिभाऊ जावले : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जैसे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) को पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने के लिए कुछ राज्य सरकारों के साथ करार करने हेतु प्रोत्साहित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पवन ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करने में स्थानीय लोगों को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) जी हां। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) सहित अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) ने पवन ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करने में रूचि दिखाई है।

(ख) एन.टी.पी.सी. ने केरल में 200 मेवा. की पवन ऊर्जा क्षमता संस्थापित करने हेतु वर्ष 2011-12 में केरल सरकार के साथ कर्णाटक में 100 मेवा. की पवन ऊर्जा क्षमता संस्थापित करने के लिए वर्ष 2009-10 में कर्णाटक सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय पवन टरबाइन विनिर्माता संघ (आई.डब्ल्यू.टी.एम.ए.) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पी.एस.यू. द्वारा देश में 812 मेगावाट की कुल पवन ऊर्जा क्षमता पहले ही संस्थापित कर दी गई है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। देश में पवन विद्युत परियोजनाएं निजी क्षेत्रों द्वारा संस्थापित की जाती हैं। परियोजना की संस्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संदर्भ में परियोजना स्थल के क्षेत्र वाले स्थानीय लोग शामिल हैं। परियोजनाओं से संबंधित अनेक कार्यकलापों में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है।

विवरण

पूर्ण की गई पी.एस.यू. पवन परियाजनाएं

कंपनी का नाम	राज्य	मेगावाट
1	2	3
ओ.एन.जी.सी.	गुजरात	52
एच.पी.सी.एल.	राजस्थान/महाराष्ट्र	50.50
आई.ओ.सी.एल.	गुजरात	21
एस.बी.आई.	तमिलनाडु/गुजरात/महाराष्ट्र	15
पी.टी.सी.	महाराष्ट्र/कर्णाटक	12
इंटेग्रल कोच फैक्टरी	तमिलनाडु	10.5
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोरपोरेशन (एन.एम.डी.सी.)	कर्णाटक	10.5

1	2	3
न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन (एन.पी.सी.एल.)	तमिलनाडु	10
भारत अर्थ मूवर्स (बी.ई.एम.एल.)	कर्णाटक	5
बी.पी.सी.एल.	कर्णाटक	5
द हट्टी गोल्ड माइन्स कंपनी लि.	कर्णाटक	9.3
जी.ए.आई.एल.	गुजरात/तमिलनाडु/कर्णाटक	118
भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	कर्णाटक	3
टाइड वाटर ऑयल कंपनी इंडिया लि.	तमिलनाडु	3
मैग्नीज ओर इंडिया लि.	मध्य प्रदेश	20
मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कोरपोरेशन लि.	कर्णाटक	15
चैन्नई पेट्रोलियम लि.	तमिलनाडु	17.6
मैग्नीज ऑयल इंडिया लि.	मध्य प्रदेश	14
राजस्थान माइन्स एंड मिनरल्स	राजस्थान	22.5
राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कोरपोरेशन	राजस्थान	20
राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटस लि.	राजस्थान	1.2
ऑयल इंडिया लि.	राजस्थान	13.6
एन.आर.ई.डी.सी.ए.पी. (आन्ध्र प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी नोडल एजेंसी)	आन्ध्र प्रदेश	5.95
एन.ए.एल.सी.ओ.	आन्ध्र प्रदेश	50.4
गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कोरपोरेशन	गुजरात	100.5
गुजरात एल्कालीज एंड कैमिकल लिमिटेड	गुजरात	84
गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलइजर्स लि. एंड जी.एस.एफ.सी.	गुजरात	123.4
कुल		811.95

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

3006. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कोई राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत देश में बाल स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किए जा रहे हैं:-

(1) जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना: कुशल जन्म परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु को कम करने का उपाय है। जननी सुरक्षा योजना संस्थागत प्रसवों को चुनने के लिए गर्भवर्ती महिलाओं को प्रोत्साहन देती है और नगद सहायता प्रदान करती है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहन देती है और नगद सहायता प्रदान करती है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन सहित पूर्ण रूप से निशुल्क एवं शून्य व्यय की प्रसव सुविधा का पात्र बनाता है और उन्हें आने जाने का निशुल्क यातायात, खाना, औषधियों एवं निदान प्रदान करता है। इसी प्रकार की पात्रताएं बीमार नवजात शिशु के लिए भी निर्धारित की गई है। देश में सभी नवजातों को शामिल करने के लिए अब इस योजना का विस्तार किया गया।

(2) सुविधा केन्द्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या को सुदृढ़ करना: सभी नवजात शिशुओं को जन्म के समय आवश्यक नवजात शिशु परिचर्या प्रदान करने के लिए ऐसे सभी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में नवजात शिशु परिचर्या कोर्नरों (एन.बी.सी.सी.) को स्थापित किया गया है जहां प्रसव होते हैं, बीमार नवजात शिशुओं की परिचर्या के लिए जिला अस्पतालों में नवजात शिशु परिचर्या एककों (एस.एन.सी.यू.) और प्रथम रेफरल एककों में नवजात शिशु स्थिरीकरण एककों (एन.बी.एस.यू.) की स्थापना की जा रही है। आज की स्थिति के अनुसार पूरे देश में 401 एस.एन.सी.यू., 1542 एन.बी.एस.यू. और 11508 एन.बी.सी.सी. कार्य कर रहे हैं।

(3) गृह आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एच.बी.एन.सी.) : सामुदायिक स्तर पर नवजात शिशु परिचर्या कार्यकलापों को उन्नत करने और बीमार नवजात शिशुओं को शीघ्र पता लगाने और उनके रेफरल के लिए आशा के माध्यम से गृह आधारित नवजात शिशु परिचर्या को हाल ही में आरम्भ किया गया है। संस्थागत प्रसवों के मामलों में आशा द्वारा किए जाने वाले घर के दौरों की सारणी में कम से कम 6 दौरे, 3,7,14,21,28 और 42वां दिन और घर पर हुए प्रसवों के मामलों में जन्म के 24 घंटे के भीतर एक अतिरिक्त दौरा शामिल है। अलग से दौरे उन शिशुओं के लिए किए जाते हैं जो समय पूर्व जन्में हैं, जन्म के समय कम वजन के हैं या बीमार हैं।

(4) स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों का क्षमता निर्माण: बच्चों की आम बीमारियों के जल्द निदान और रोग प्रबंधन और जन्म के समय नवजात शिशु की परिचर्या के लिए चिकित्सकों, नर्सों और सहायक नर्सधात्रियों की कुशलताओं का निर्माण और उन्नयन करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षणों में एकीकृत नवजात शिशु और बाल रोग प्रबंधन और नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शामिल हैं। 505 जिलों में एकीकृत नवजात शिशु और बाल रोग प्रबंधन में कुल 5.8 लाख स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों को

प्रशिक्षत किया गया है और नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में 89,962 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षत किया गया है।

(5) कुपोषण का प्रबंधन: कुपोषण, जो कि बल मृत्यु का एक मुख्य कारण है, की कमी पर बल दिया जा रहा है। गहन तीव्र कुपोषण (एस.ए.एम.) के प्रबंधन के लिए 605 पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। एनिमिया की रोकथाम के लिए बच्चों को लौह एवं फोलिक अम्ल भी प्रदान किया जाता है। हाल ही में किशोर जनसंख्या के लिए भी साप्ताहिक लौह एवं फोलिक अम्ल का प्रस्ताव भी आरम्भ किया गया है। चूंकि स्तनपान शिशु मृत्यु दर को कम करता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से पहले 6 महीने तक विशेष स्तनपान और छोटे बच्चों के समुचित पोषण कार्यकलापों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

(6) माताओं को पोषण परामर्श प्रदान करने और बाल परिचर्या कार्यकलापों को उन्नत करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वी.एच.एन.डी.) भी आयोजित किए जा रहे हैं।

(7) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम : व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी बच्चों को 7 रोगों के लिए टीकाकरण प्रदान किया जाता है। भारत सरकार वैक्सीनों एवं सुईयों, कोल्ड चेन उपकरणों की आपूर्ति और संचालनात्मक लागतों के प्रावधान के द्वारा वैक्सीन कार्यक्रमों को सहायता देती है। व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम प्रति वर्ष वैक्सीन से निवारण किए जा सकने वाले 7 रोगों के विरूद्ध 2.7 करोड़ शिशुओं को रोग प्रतिरक्षण करने का लक्ष्य रखता है। 80 प्रतिशत से अधिक कवरेज वाले 21 राज्यों ने अपने रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में खसरे की दूसरी खुराक को भी शामिल कर लिया है। पेंटावेलेंट वैक्सीन को केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों में आरम्भ कर दिया गया है और उसे और 6 राज्यों में बढाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2012-13 को ''नेमी रोग प्रतिरक्षण सुग्राहीकरण वर्ष'' घोषित किया गया है। भारत ने इस बार पूरे वर्ष पोलियों मुक्त रहने के द्वारा एक ऐतिहासिक उपलब्धता हासिल की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियों महामारी के देशों की सूची में से भारत का नाम हटा दिया है।

(8) माता एवं बाल ट्रेकिंग प्रणाली : सभी गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं की ट्रेकिंग को सक्षम बनाने के लिए नाम आधारित माता एवं बाल ट्रकिंग प्रणाली स्थापित की गई है ताकि उन्हें सम्पूर्ण सेवा प्रदानगी सुनिश्चित की जा सके, जो कि वेब आधारित है। लाभार्थियों को उन तिथियों के बारे में याद दिलाने के लिए जब सेवाएं दी जाएगी, एस.एम.एस. अलर्ट भेजने और साप्ताहिक आधार पर सहायक नर्सधात्रियों हेतु लम्बित तिथियों के साथ सेवाओं की लाभार्थी वार सूची जारी करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है।

(9) हाल में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक नया राष्ट्रीय कार्यक्रम: "राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम" को शुरू किया गया है। इस पहल का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) आर.बी.एस.के. का उद्देश्य जन्म के समय अपंगता, उपयुक्त प्रबंधन तथा उपचार, यदि आवश्यक हो (चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया) के लिए अनुवर्ती उपचार सहित रोग, कमियां, विकास में विलंब के माध्यम से 0 से 18 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की उत्तरजीविता, विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। आर.बी.एस.के. में शीघ्र पहचान तथा निःशुल्क उपाय एवं उपचार के लिए बच्चों में व्याप्त 30 सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं को शामिल करने विचार किया गया है।

(ख) बाल स्वास्थ्य जांच सेवाएं वर्तमान विद्यालय स्वास्थ्य मजबूती देती है और प्रत्येक ब्लॉक में नियुक्त समर्पित मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा मुहैया कराई जाएगी। ब्लॉक स्तर पर समर्पित

मोबाइल चिकित्सा स्वास्थ्य टीमों में प्रशिक्षित चिकित्सक और पराचिकित्सक होंगे।

(ग) महिला और बाल विकास, समाजिक न्याय और अधिकारिता एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली वर्तमान सेवाओं का भी इष्टतम उपयोग किया जाएगा।

[अनुवाद]

रसोई गैस के वितरक

3007. श्री एस. सेम्मलई :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तरलीकृत गैस (एल.पी.जी.) वितरकों की नियुक्ति को शासित करने वाले मानदंड क्या हैं;

(ख) देश में कंपनी-वार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने रसोई गैस वितरक हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में रसोई गैस के वितरकों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) विजन-2015 के अनुसार, देश की एल.पी.जी. आबादी की कवरेज 50% से 75% तब बढ़ाने के लक्ष्य के साथ देश में एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर स्थापित किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए मोटे तौर पर रीफिल बिक्री संभाव्यता के आधार पर स्थलों का पता लगाया गया है कि जो किसी एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप के व्यवहार्य प्रचालन को बनाए रखेगा। रीफिल बिक्री संभाव्यता कई घटकों जैसे आबादी, आबादी की वृद्धि दर, स्थल की आर्थिक संपन्नता आदि पर निर्भर करता है।

दिनांक 01.01.2013 की स्थिति के अनुसार, देश में कंपनी-वार/राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की कुल संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिनांक 1.1.2013 की स्थिति के अनुसार वितरकों की राज्यवार संख्या

(आंकड़ें संख्या में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.ओ.सी.एल.			बी.पी.सी.एल.			एच.पी.सी.एल.			अखिल भारत		
	नियमित डिस्ट्रीब्यूटर-शिप	आरजीजी एलवी	कुल	नियमित डिस्ट्रीब्यूटर-शिप	आरजीजी एलवी	कुल	नियमित डिस्ट्रीब्यूटर-शिप	आरजीजी एलवी	कुल	नियमित डिस्ट्रीब्यूटर-शिप	आरजीजी एलवी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चण्डीगढ़	18	0	18	4	0	4	5	0	5	27	0	27
दिल्ली	193	0	193	77	0	77	48	0	48	318	0	318
हरियाणा	148	17	165	88	5	93	67	7	74	303	29	332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हिमाचल प्रदेश	98	7	105	12	0	12	17	1	18	127	8	135
जम्मू और कश्मीर	84	0	84	17	0	17	65	0	65	166	0	166
पंजाब	278	13	291	104	9	113	84	8	92	466	30	496
राजस्थान	228	88	316	129	43	172	145	47	192	502	178	680
उत्तर प्रदेश	770	126	896	292	70	362	216	88	304	1278	284	1562
उत्तराखंड	140	1	141	23	5	28	19	0	19	182	6	188
योग उत्तर	1957	252	2209	746	132	878	666	151	817	3369	535	3904
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
अरूणाचल प्रदेश	32	2	34	1	0	1	0	0	0	33	2	35
असम	245	4	249	29	0	29	18	2	20	292	6	298
बिहार	221	70	291	97	62	159	74	66	140	392	198	590
झारखंड	97	23	120	30	21	51	33	22	55	160	66	226
मणिपुर	39	7	46	0	0	0	0	0	0	39	7	46
मेघालय	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
मिज़ोरम	28	11	39	0	0	0	0	0	0	28	11	39
नागालैंड	33	0	33	1	0	1	0	0	0	34	0	34
ओडिशा	91	42	133	43	19	62	84	28	112	218	89	307
सिक्किम	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
त्रिपुरा	35	3	38	0	0	0	0	0	0	35	3	38
पश्चिम बंगाल	322	54	376	86	21	107	120	22	142	528	97	625
कुल पूर्व	1192	216	1408	288	123	411	329	140	469	1809	479	2288
छत्तीसगढ़	90	18	108	27	4	31	50	16	66	167	38	205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
गोवा	7	0	7	17	0	17	29	0	29	53	0	53
गुजरात	315	15	330	119	4	123	127	7	134	561	26	587
मध्य प्रदेश	313	55	368	137	22	159	156	16	172	606	93	699
महाराष्ट्र	252	55	307	388	73	461	433	70	503	1073	198	1271
कुल पश्चिम	977	143	1120	688	103	791	799	109	908	2464	355	2819
आन्ध्र प्रदेश	445	86	531	235	46	281	369	34	403	1049	166	1215
कर्णाटक	228	36	264	124	9	133	177	18	195	529	63	592
केरल	224	5	229	112	1	113	86	7	93	422	13	435
लक्षद्वीप	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
पुदुचेरी	10	0	10	4	0	4	7	0	7	21	0	21
तमिलनाडु	456	52	508	180	14	194	161	12	173	797	78	875
कुल दक्षिण	1364	179	1543	655	70	725	800	71	871	2819	320	3139
अखिल भारत	5490	790	6280	2377	428	2805	2524	471	3065	10461	1689	12150

[हिन्दी]

सेवा कर जमा न करना

3008. श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्री हर्ष वर्धन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा तथा उत्पाद शुल्क के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से सेवा कर आधार पर केन्द्रीय कोष में नगरपालिकाओं/नगर परिषदों द्वारा कितनी धनराशि जमा कराई गई है;

(ख) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उन नगरपालिकाओं/नगर परिषदों की संख्या कितनी है जिन्होंने वे सेवा कर के रूप में एकत्रित किए गए धन को अब तक केन्द्रीय कोष में जमा नहीं कराया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रसोई गैस सिलेण्डर का मूल्य

3009. श्रीमती राजकुमारी चौहान : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रति सिलेण्डर उपभोक्ताओं से कौन सी दर वसूली गई है;

(ख) सरकार द्वारा आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए बनाई जा रही मूल्य नियंत्रण की योजना क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना प्रत्येक परिवार की हकदारी को बढ़ाकर 12 सिलेण्डर करने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) दिल्ली में दिनांक 1.4.2009 से राजसहायता प्राप्त घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडर के खुदरा बिक्री मूल्य (आर.एस.पी.) में संशोधन के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सरकार 'पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी. जी. राजसहायता योजना, 2002' के तहत राजसहायता प्राप्त घरेलू एल.पी.जी. पर 22.58 रू. प्रति सिलेंडर की औसत राजसहायता उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा, चूंकि सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्यों में वृद्धि और घरेलू स्फीतिकारी दशाओं के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए राजसहायता प्राप्त घरेलू एल.पी.जी. के खुदरा बिक्री मूल्य (आर.एस.पी.) को आवश्यकतानुसार लगातार घटा-बढ़ा रही है, अत: सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज.) को दिनांक 01.03.2013 से प्रभावी रिफाइनरी द्वार मूल्य (आर.जी.पी.) के आधार पर राजसहायता प्राप्त घरेलू एल.पी.जी. पर 439.00 रूपए प्रति 14.2 किग्रा. सिलिंडर की अल्प वसूली हो रही है।

(ग) और (घ) सरकार ने 14.2 किग्रा. राजसहायता प्राप्त घरेलू एल.पी.जी. सिलिंडरों की आपूर्ति प्रत्येक उपभोक्ता के लिए 6 सिलिंडर प्रति वर्ष तक सीमित करने का निर्णय लिया था, जिसे अंतत: दिनांक 17/18-01-2013 से बढ़ाकर 9 सिलिंडर प्रति वर्ष कर दिया गया है।

वर्तमान में सरकार के समक्ष प्रत्येक उपभोक्ता की हकदारी को बढ़ाकर 12 राजसहायता प्राप्त सिलेंडर प्रतिवर्ष करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

दिल्ली में दिनांक 1.4.2009 से राजसहायता प्राप्त घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडर के खुदरा बिक्री मूल्य (आर.एस.पी.) में संशोधन

दिनांक	14.2 किग्रा. सिलेंडर का खुदरा बिक्री मूल्य (आईएनआर रू. में)	कारण
1	2	3
01.04.2009	279.70	दिनांक 01.04.2009 की स्थिति के अनुसार मूल्य
02.07.2009	281.20	मूल्य में वृद्धि
01.04.2010	310.35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा घरेलू एल.पी. जी. पर राजसहायता समाप्त करना

1	2	3
26.06.2010	345.35	मूल्य में वृद्धि
25.06.2011	395.35	मूल्य में वृद्धि
01.07.2011	399.00	साइडिंग और शंटिंग प्रभारों/डीलर कमीशन में वृद्धि
07.10.2012	410.50	एल.पी.जी. वितरक कमीशन में वृद्धि
	410.50	वर्तमान खुदरा बिक्री मूल्य

[अनुवाद]

निर्वाचन न्यास योजना

3010. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्वाचन न्यास योजना को अधिसूचित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के माध्यम से सरकार निर्वाचन वित्त पोषण में पारदर्शिता को किस प्रकार सुनिश्चित करती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, हां। सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ 309 (अ) दिनांक 31 जनवरी, 2013 के माध्यम से निर्वाचक न्यास योजना अधिसूचित की है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13ख के प्रयोजन हेतु निर्वाचक न्यासों की कार्यप्रणाली संबंधी नियम 17गक की दिनांक 31 जनवरी, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 308(अ) के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

(ख) और (ग) योजना एवं नियमों में यह प्रावधान है कि निर्वाचक न्यास, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के प्रयोजनों हेतु पंजीकृत एक कम्पनी होगा। यह प्रावधान है कि निर्वाचक न्यास द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त किए गए अंशदानों का 95 प्रतिशत हिस्सा, उसी वित्त वर्ष में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अन्तर्गत पंजीकृत राजनैतिक दलों में वितरित किया जाएगा। यह भी प्रावधान है कि कोई अंशदान नकद में नहीं लिया जाएगा। यह भी प्रावधान है कि किसी भी अंशदान को लेते समय निर्वाचक न्यास द्वारा एक अंशदाता जो कि एक निवासी है, की स्थायी खाता संख्या तथा ऐसे अंशदाता के मामले में जो भारत का नागरिक है किन्तु निवासी नहीं है, की पासपोर्ट संख्या ली जाएगी।

विदेशी आयकर

3011. श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री ई. जी. सुगावनम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्थापित विदेशी आयकर एककों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विदेशी व्यापार बढ़ाने में ये एकक किस प्रकार सरकार की सहायता करते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य देशों में और ज्यादा ऐसे एकक स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन एककों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) महोदया, प्रथम सचिव के स्तर के कर अधिकारियों द्वारा प्रबंधित आयकर समुद्रपारीय एककों (आई.टी.ओ.यू.) को मॉरिशस और सिंगापुर में मई/जून 2010 में स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, साइप्रस, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, यू.ए.ई.यू.के. और यू.एस.ए. के भारतीय मिशनों में

नई सृजित आई.टी.ओ.यू. में तैनात किए जाने वाले अधिकारियों के संबंध में तैनाती आदेश जारी किए गए हैं। संबंधित आई. टी.ओ.यू. में कार्यभार संभालने के लिए इन 8 अधिकारियों को कार्यमुक्त करना विदेश मंत्रालय द्वारा इनकी तैनाती की निबंधनों और शर्तों को अन्तिम रूप दिए जाने के अध्यधीन है।

(ख) आई.टी.ओ.यू. में तैनात अधिकारियों को मुख्यत: कर मामलों संबंधी सूचनए के आदान-प्रदान सहित दोहरे कराधान परिहार करार (डी.टी.ए.ए.) से संबंधित कार्यों को सुपुर्द किया जाता है। डी.टी.ए.ए. पूंजी के प्रवाह, माल और सेवाओं, प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करती है और भारत व संधि पार्टनर देश के बीच व्यापार और निवेश को सुगम बनाती है:-

(ग) और (घ) ऐसी आवश्यकता के परीक्षण के लिए अन्तर विभागीय परामर्श जारी हैं।

तेल की चोरी

3012. श्री ए. के. एस. विजयन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रास्ते में तेल की चोरी के मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है; और

(घ) देश में तेल की चोरी रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाए किए गए/करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। जैसा कि तेल कंपनियों द्वारा बताया गया है, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मार्ग में तेल की चोरी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	गुजरात	36	20	20	17
2.	राजस्थान	9	8	7	10
3.	हरियाणा	22	19	4	5
4.	उत्तर प्रदेश	6	5	2	1
5.	दिल्ली	1	-	-	-
6.	बिहार	5	-	-	1
7.	पश्चिम बंगाल	7	-	1	1
8.	उत्तराखंड	1	-	-	-
9.	पंजाब	1	1	-	-
10.	महाराष्ट्र	8	-	-	1

1	2	3	4	5	6
11.	मध्य प्रदेश	2	-	-	-
12.	आन्ध्र प्रदेश	6	-	3	-
13.	गोवा	-	-	-	-
14.	तमिलनाडु	-	-	1	-
15.	कर्णाटक	-	-	-	-
16.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-
17.	असम	1	-	2	-
	योग	105	53	40	36

(ग) यह बताया गया है कि चोरी/चारी के प्रयास के प्रत्येक मामले में संबंधित पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। कुछ मामलों में दोषियों को चोरी स्थल पर ही पकड़ा गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस की हिरासत में रखा गया है। इन मामलों में संबंधित तेल कंपनियों द्वारा राज्य प्रशासन और पुलिस प्राधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जाती है।

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी रोकने के लिए तेल कंपनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- सभी पाइपलाइनों के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वीजीशन सिस्टम (एस.सी.ए.डी.ए.) के जरिए पाइपलाइन बहाव और दबाव की 24 घंटे निगरानी।
- लाइन पेट्रोलमैन (एल.पी.एम.) और डी.जी.आर. गार्डों द्वारा प्रतिदिन पैदल गश्त।
- पाइपलाइन राइट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) आदि के अगल-बगल के ग्रामीणों के साथ निरंतर बातचीत और उन्हें इसके प्रति संवेदनशील बनाना।
- सी.सी.टी.वी. आधारित निगरानी प्रणाली के माध्यम से आर.सी.पी. (रिपीटर कम कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम) की लगातार निगरानी।
- सभी राज्यों में चोरी के मुद्दे को पुलिस अधिकारियों के उच्चतम स्तर पर उठाता गया है। सिविल प्रशासन के साथ भी निरंतर बात-चीत की जाती है।
- इलैक्ट्रानिक निगरानी; और
- स्थानीय पुलिस द्वारा गश्त।

इसके अलावा, सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 को संशोधित कर दिया है ताकि चोरी और पेट्रोलियम और गैस पाइपलाइनों की तोड़फोड़ में लिप्त दोषियों के लिए प्रतिवारक दंड के प्रावधानों से इस अधिनियम को और अधिक कड़ा बनाया जा सके।

राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना

3013. **श्री कौशलेन्द्र कुमार :**
श्री मानिक टैगोर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना (आर.जी.ई.एस.एस.) में कितना निवेश किया गया;

(ख) क्या आर.जी.ई.एस.एस. के संबंध में कोई शिकायत/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) 8 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना (आर.जी.ई.एस.एस.) के लिए निर्दिष्ट डीमैट खातों के जरिए सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड और राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) में निवेशित राशियां क्रमशः 75.11 लाख रूपए तथा 79.87 लाख रूपए हैं।

(ख) और (ग) आज तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) या सरकार को आर.जी.ई.एस.एस. से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, योजना का दायरा विस्तृत करने हेतु कई सुझाव प्राप्त हुई हैं। तदनुसार, केन्द्रीय बजट 2013-14 में, आर.जी.ई.एस.एस. में आवश्यक संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, सेबी ने आर.जी.ई.एस.एस. पात्र म्युचुअल फंड योजनाओं के लिए आरंभिक पेशकश अवधि को पन्द्रह दिन से बढ़ाकर तीस दिन करने तथा यूनिटों के आवंटन, धन की वापसी और लेखा-विवरण को जारी करने की समय-सीमा को आर.जी.ई.एस.एस. पात्र म्युचुअल फंड योजनाओं के प्रारंभिक अभिदान के बंद होने की तारीख से पांच कार्य-दिवस से बढ़ाकर पन्द्रह कार्यदिवस करने के लिए 06 फरवरी, 2013 को एक परिपत्र जारी किया है।

सागर रत्ना के साथ भारतीय पर्यटन विकास निगम का समझौता ज्ञापन

3014. श्री मानिक टैगौर : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने सागर रत्ना रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा विचारार्थ विषय क्या है; और

(ग) उक्त समझौता ज्ञापन किस प्रकार तथा किस सीमा तक युवकों हेतु रोजगार अवसर सृजन में सहायक होगा?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के चिरंजीवी) : (क) जी, हां भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) ने सागर रत्ना रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) और (ग) इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सागर रत्ना के साथ रोजगार अवसर और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं में नियुक्ति योग्य क्षमता सृजित करने उद्देश्य से इस समझौता ज्ञापन के दोनों पक्षों की अपनी-अपनी शक्तियों, संसाधनों, विशेषज्ञता और सदभाव को एक साथ मिलाना है।

निबंधन और शर्तों का विवरण निम्नवत् है:

- प्रारंभ में यह समझौता ज्ञापन एक वर्ष की अवधि के लिए है और पारस्परिक रूप से सहमत निबंधन एवं शर्तों पर इसका एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए इसका नवीकरण किया जा सकता है।
- समझौता के अनुसार दोनों संगठनों की प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।
- यह समझौता ज्ञापन किसी भी पक्ष द्वारा कभी भी दूसरे पक्ष को दो महीने का लिखित नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।
- विवाद का समाधान आपसी परामर्श से किया जा सकता है अन्यथा भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार विवाचन किया जाएगा।

कृषि को सहकारी बैंकों का ऋण

3015. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों द्वारा कृषि को प्रदान किए गए ऋणों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित किसी पैनल में सहकारी बैंकों से अपने ऋण पोर्टफोलियो का कम से कम 70 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को देने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों के अंतर्गत बुनियादी स्तर पर ऋण के संवितरणों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने विद्यमान अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जो ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली में ढांचागत बाधाओं पर ध्यान केन्द्रित करती है और उन्हें मजबूत करने के लिए विभिन्न उपाय खोजती है। समिति की सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि के लिए ऋण पोर्टफोलियों के सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी करना भी शामिल है, जो यह सुझाव देती है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों को कृषि के लिए उनके ऋण पोर्टफोलियों का कम से कम 70% ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए।

विवरण

2009-2010, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (नवम्बर, 2012 तक) कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों के अंतर्गत बुनियादी स्तर ऋण का राज्य-वार संवितरण

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	चण्डीगढ़	0	0	0	0
2.	नई दिल्ली	104	297	676	330
3.	हरियाणा	507604	680817	660750	490776
4.	हिमाचल प्रदेश	62853	57633	48027	39567
5.	जम्मू और कश्मीर	3042	3435	1051	926
6.	पंजाब	1085920	1129403	1281251	1151679
7.	राजस्थान	401547	594258	781242	882110
	उत्तरी क्षेत्र	2061070	2465843	2772996	2565389
8.	अरुणाचल प्रदेश	0	50	162	151

1	2	3	4	5	6
9.	असम	2777	2330	3102	793
10.	मणिपुर	371	536	223	126
11.	मेघालय	695	1252	1017	604
12.	मिज़ोरम	95	832	1473	872
13.	नागालैण्ड	380	605	1941	589
14.	त्रिपुरा	503	2576	4751	3198
15.	सिक्किम	226	941	665	249
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	5047	9122	13334	6583
16.	बिहार	35255	42192	38685	24281
17.	झारखण्ड	0	0	0	0
18.	ओडिशा	261666	385698	453068	331445
19.	पश्चिम बंगाल	211557	309862	191199	134808
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	317	2795	2524	537
	पूर्वी क्षेत्र	508795	740547	685475	491071
21.	मध्य प्रदेश	391584	506411	755258	824735
22.	छत्तीसगढ़	88966	107574	142156	171064
23.	उत्तर प्रदेश	319197	387981	414583	316077
24.	उत्तराखण्ड	52078	57201	108701	82301
	मध्य क्षेत्र	851825	1059167	1420699	1394178
25.	दादरा और नगर हवेली	0	70	648712	745045
26.	दमन और दीव	0	330	0	0
27.	गुजरात	458843	545379	0	0

1	2	3	4	5	6
28.	गोवा	1305	1469	2438	1990
29.	महाराष्ट्र	801604	839519	1291244	1227245
	पश्चिमी क्षेत्र	1261752	1386767	1942394	1974280
30.	आन्ध्र प्रदेश	460081	591910	868169	572784
31.	कर्णाटक	326267	466329	420649	369294
32.	केरल	658464	701086	314705	229074
33.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
34.	पुदुचेरी	1123	1024	1078	742
35.	तमिलनाडु	215261	390299	356780	288453
	दक्षिणी क्षेत्र	1661196	2150648	1961380	1460347
	कुल	6349685	7812094	8796279	7891847

स्रोत: नाबार्ड।

[हिन्दी]

निगमित उधार पुनर्गठन के क्रियान्वयन के पश्चात बैंकों का लाभ

3016. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में निगमित उधार पुनर्गठन को शासित करने वाले कोई नए दिशानिर्देश तैयार/क्रियान्वित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के सरकारी क्षेत्र के बैंक तथा रुग्न कंपनियों के निवल लाभ पर इन नए दिशानिर्देशों का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि उन्होंने पणधारकों की टिप्पणियों के लिए अग्रिमों के पुनर्गठन संबंधी विद्यमान विवेकपूर्ण मार्गनिर्देशों की समीक्षा के लिए दिनांक 31.01.2013 को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों के पुनर्गठन संबंधी प्रारूप विवेकपूर्ण मार्गनिर्देश जारी किए हैं। आर.बी.आई. के मसौदा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में पुनर्गठित मानक आस्तियों के लिए उच्च प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं की परिकल्पना की गई है, जिसमें शेयरधारकों को संवितरित करने के लिए उपलब्ध लाभ के अनुक्रम में बैंकों की लाभप्रदता आरम्भ में कम हो सकती है। तथापि, संभावना है कि आने वाले समय में बैंकों के तुलन-पत्रों में लचीलापन बढ़ेगा और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच करने के बाद आर.बी.आई. द्वारा अंतिम दिशानिर्देशों को जारी किया जाएगा। आर.बी.आई. की वेबसाइट www.rbi.org.in पर मसौदा दिशानिर्देश उपलब्ध हैं।

इनर्जी/साफ्ट ड्रिक्स में कैफीन

3017. **श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तत्संबंधी कानूनों/आदेशों के अंतर्गत इनर्जी/सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले कैफीन की अनुमत्य मात्र कितनी है;

(ख) क्या विनिर्माता उक्त कानूनों का पालन करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ विनिर्माताओं ने उक्त पेयों में कैफीन मिलाने की मात्र को बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी मात्र में कैफीन लाने की अनुमति प्रदान करने की मांग तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य भोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.10.6 ने पेय/गैर अल्कोहोलिक कार्बोनेट पेय में मिलाए जाने के कैफिन (145 पी.पी.एम. से अधिक नहीं) की सीमा निर्धारित की है एफ.एस.एस.-अधिनियम/नियमावली/विनियम के तहत, खाद्य व्यावसाय प्रचालकों को इस मानक का अनुपालन करना अनिवार्य है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 320 पी.पी.एम. की अधिकतम सीमा तक कैफिन की सीमा को निर्धारित करते हुए कैफिनयुक्त पेय (इनर्जी ड्रिंक) हेतु मानक मसौदा तैयार किया है। तथापि, इनर्जी ड्रिंक्स के खाद्य व्यवसाय प्रचालकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है जिसमें कैफिन और लैबलिंग आवश्यकताओं की सीमा निर्धारित की गई है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नियमित रूप से नमूने लिए जाते हैं और अपराधियों के विरूद्ध उन मामलों में कार्रवाई की जाती है यदि नमूने निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं।

(घ) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मिलावटी/घटिया औषधियां

3018. **श्री उदय सिंह :**
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में/से मिलावटी तथा घटिया औषधियों के उत्पादन, बिक्री तथा आयात/निर्यात को रोकने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई वित्तीय तथा प्रशासनिक योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) उन दवा कंपनियों के नाम तथा उनके कारोबार का ब्यौरा क्या है जिनके देश में अपनी एक भी विनिर्माण इकाई नहीं है;

(ग) क्या उन तैयार दवाओं के आयात की भी, औषधि महानियंत्रक द्वारा अनुमति प्रदान की गई हैं जिनका कम मूल्य पर देश में उत्पादन हो रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कितने मूल्य तथा कितनी मात्र में ऐसी तैयार दवाओं का आयात किया गया; और

(घ) भारत से कुछ अफ्रीकी देशों को मिलवटी तथा घटिया औषधियों के कथित निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/उपाय करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) देश में घटिया औषधियों विनिर्माण आयात या निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और विनियामक नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु 12वी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर औषधि विनियामक प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने का प्रावधान है। योजना में राज्यों को अपने प्रवर्तन तंत्रों को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता देना पर विचार है।

(ख) औषधि के विनिर्माण की लाइसेंसिंग और विनियामक नियंत्रण लाइसेसिंग प्राधिकरण और राज्य औषध नियंत्रण विभागों का विषय है। अत:, विनिर्माताओं के विवरण में के बारे में केन्द्रीय स्तर पर सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में मूल्य के विचार में औषधियों के आयात हेतु कोई प्रावधान शामिल नहीं हैं।

(घ) भारतीय भूमि से अफ्रीकी देशों में नकली दवाइयों का निर्यात नहीं होता है। देश से केवल उत्तम औषधियों का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त विनियामक प्रावधान हैं।

एल.पी.जी. सिलेण्डरों की कमी

3019. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री रवनीत सिंह :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सहित देश के विभिन्न भागों में रसोई गैस सिलेंडर रिफिलों की गंभीर कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लंबे समय से पंजीकृत व्यक्तियों को भी नए रसाई गैस कनेक्शन नहीं जारी किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज.) नामत: इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आई.ओ.सी.एल.), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बी.पी.सी.एल.) और हिन्दुस्तान कार्पोरेशन लि. (एच.पी.सी.एल.) ने रिपोर्ट दी है कि पंजाब राज्य सहित देश में एल.पी.जी. की कोई कमी नहीं है और ओ.एम.सीज. द्वारा अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को एल.पी.जी. की आपूर्तियां एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की मांग के अनुसार स्वदेशी उत्पादों और आयातों के माध्यम से की जा रही हैं।

(ग) से (ङ) ओ.एम.सीज. ने बताया है कि नए एल.पी.जी. कनेक्शन जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और नया एल.पी.जी. कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को पूरे भरे हुए "नो योर कस्टमर" (के.वाई.सी.) फार्म के साथ डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना नाम पंजीकृत कराना हाता है। संबंधित ग्राहक के आंकड़ों का सत्यापन तथा उसके नाम में एक से अधिक कनेक्शन न होने की जांच पूरी होने के बाद उसे राजसहायता प्राप्त एक नया एल.पी.जी. कनेक्शन जारी कर दिया जाता है।

पोषण संसाधन प्लेटफॉर्म (एन.आर.पी.)

3020. श्री गजानन ध. बाबर :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पोषण योजनाओं पर डिजिटल संसाधन के रूप में कार्य करने वाली एक पोषण संसाधन प्लेटफार्म स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या एन.आर.पी. विभिन्न अग्रणी सेवा नेटवर्कों को मित्रतापूर्ण सेवाएं प्रदान करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित पोषण स्वच्छता पर जागरूकता तैयार करने पर सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ङ) पोषण संसाधन प्लेटफार्म (एन. आर.पी.) विभिन्न भागीदारों को पोषण और बाल विकास पर पारस्परिक ज्ञान संसाधनों और सामग्रियों के एकत्र करने, उनका मिलान करने और उपलब्ध कराने के प्रयोजन से महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है।

यह सूचना के चर्चापरक फोरम, उसका प्रसार और आदान-प्रदान के प्रावधान सहित पोषण पर एक डिजीटल संसाधन के रूप में काम करता है। एन.आर.पी. के तीन आयाम हैं जो परस्पर वार्तालापी अनुक्रिया प्रणाली (आई.वी.आर.एस.) आदि के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों (ए.डब्ल्यू.सी.) से विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का आनलाइन खजाना, ऑनलाइन फोरम और वास्तविक आंकड़ा एकत्रण जैसे विभिन्न उद्देश्य पूरे करता है। यह प्लेटफार्म पर लागत पर अधिकतम सूचना उपलब्ध कराने के लिए वेब से जुड़ा है और www.poshan.nic.in, ww.akshayaposhan.gov.in पर देखा जा सकता है। एन.आर.पी. पूर्ण रूप से स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में है और इस अभी अध्यतन बनाया जा रहा है। एन.आर.पी. की योजना ज्ञान के सृजन, नीति निर्माण और पोषण और बाल देखरेख में व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए अच्छी प्रथाएं अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सहायता हेतु पोषण पर राष्ट्रीय कार्ययोजना में अभिचिन्हित क्षेत्रों में एकत्र सूचना के भंडार के रूप में बनाई गई है। इसमें नीति, कार्यक्रम शिक्षा, क्षमता निर्माण सामग्री इत्यादि से जुड़े पोषण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर संदर्भ उपलब्ध है।

एन.आर.पी. में अग्रणी सेवा नेटवर्कों सहित सभी को मित्रतापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना है। महिलाओं में स्वच्छता सहित पोषण संबंधी जागरूकता लाने के एि प्रिंट, दृश्य श्रव्य आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की संसाधन सामग्री के अलावा, हाल ही में शुरू किया गया सूचना शिक्षा और संचार अभियान भी देखा जा सकता है और आगे और जानकारी के लिए सामग्री डाउनलोड भी की जा सकती है।

[हिन्दी]

गैस का आबंटन

3021. श्री राजेन्द्र अग्रवाल :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आज तक रियायती दरों पर आबंटित गैसों का आबंटी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रियायती दरों पर गैस खरीदने वाली किसी व्यावसायिक कंपनी ने लाभ के साथ बाजार दर पर विद्युत बेचा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में कोई नीति तैयार करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) अभी तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विभिन्न स्रोतों से लगभग 239 एम. एम.एम.सी.एम.डी. घरेलू प्राकृतिक गैस आबंटित है (लगभग 193 एम.एस.एम.एस.सी.एम.डी. पुष्ट आधार पर और 46 एम. एम.एस.सी.एम.डी. फाल बैक आधार पर)।

(ख) से (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि घरेलू गैस आबंटन लेने वाली विद्युत कंपनियां, निर्धारितमात्रा से उत्पादित विद्युत विनियमित प्रशुल्क पर बेचती हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निदेश दिया है कि ए.पी.एम. गैस की आपूति ए.पी.एम. दर पर और गैर ए.पी.एम. गैस की आपूर्ति उन ऐसी विद्युत कंपनियों को ही की जाएगी जो विद्युत की आपूर्ति सार्वजननिक वितरण कंपनियों को विनियमित प्रशुल्क पर करती है। इसके अतिरिक्त, ई.जी.ओ.एम. ने दिनांक 24.02.2012 की अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि विद्युत संयंत्रों को एन.ई. एल.पी. गैस का मौजूदा और भावी आबंटन इस शर्त के अधीन किया जाए कि आबंटित गैस से उत्पादित पूरी विद्युत विद्युत संयंत्र के प्रशुल्क विनियामक द्वारा (बोली के मामले में) निर्धारित या अपनाए गए प्रशुल्कों पर वितरण लाइसेंस धारकों को ही बेची जाए। गैस की आपूर्ति, विद्युत खरीद करार (पी.पी.ए.)

की अवधि के लिए ही की जाएगी और गैस की आपूर्ति पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर करने के बाद ही आरंभ की जाएगी। आरंभ में पी.पी.ए. एक वर्ष (अल्पावधि पी.पी.ए.) के लिए किया जा सकता है जिसके दौरान विनियामक द्वारा निर्धारित प्रशुल्क पर विद्युत बेची जाएगी और बाद की पी.पी.ए. मध्यम अवधि या लम्बी अवधि के लिए की जानी चाहिए। ई.जी.ओ.एम. ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्राधिकृत किया गया कि ऐसे विद्युत संयंत्र जो उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहा/रहे हैं उनके वर्तमान आबंटन रद्द कर दिये जाएं।

[अनुवाद]

चिकित्सा अध्ययन हेतु मानव शव

3022. श्री शिवकुमार उदासी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सा अध्ययन हेतु मानव शवों की कमी का सामना कर रहे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने गृह मंत्रालय तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से संबद्ध अधिकारियों से शिक्षण उद्देश्यों के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों को बिना दावे वाले मृत शरीरों को प्रदान करने का अनुदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर गृह मंत्रालय एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) देश में चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव शवों की कमी से संबंधित ऐसे कोई केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे गए हैं। लावारिस मानव शवों को बॉडी डोनेशन बैंकों वाली संस्थाओं में जमा किया जाता है, जहां से मेडिकल कॉलेज शैक्षिक प्रयोजनों तथा शिक्षण अपेक्षाओं के लिए शव प्राप्त करते हैं।

(ख) संघ सरकार ने गृह मंत्रालय के साथ इस विषय पर परामर्श किया है और सभी राज्य/संघ राज्य सरकारों को भी पत्र लिखा है कि वे शैक्षिक एवं शिक्षण संबंधी प्रयोजनों हेतु मेडिकल कॉलेजों/संस्थाओं को लावारिश शव उपलब्ध कराने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस विषय में परामर्श करें।

(ग) गृह मंत्रालय से कोई विनिर्दिष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कर्णाटक और केरल सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

कैंसर की औषधियों हेतु अनिवार्य लाइसेंस

3023. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में तीन कैंसर रोधी औषधियों को जेनेरिक रूप से उत्पादन हेतु अनिवार्य लाइसेंस जारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किस प्रकार कैंसर के मरीजों को इससे लाभ मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) भारत में औषधियों की अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान लागू करने हेतु औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को प्रस्तावों की सिफारिश करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने दिनांक 20.12.2012 को संपन्न बैठक में उक्त विभाग को निम्नलिखित तीन औषधियां नामत: (i) ट्रांसप्यूजूमेब (ii) इक्साबेपीलोन तथा (iii) दसाटिनीब को भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 92 के खंड (ii) तथा (iii) में प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य लाइसेंसिंग की सिफारिश की है। इस प्रयास से अन्तोगत्वा औषधियों के मूल्यों में काफी भारी कमी आएगी, जिसके फलस्वरूप देश में कई रोगियों का लाभ होगा।

[हिन्दी]

प्रिंटिंग प्रेसों का आधुनिकीकरण

3024. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नासिक तथा देवास स्थित करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रसों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार इन प्रिंटिंग प्रेसों को प्रतिस्पर्धी तथा विश्वस्तरीय बनाने का है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ङ) भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एस.पी.एम.सी.आई.एल.) ने सूचित किया है कि जनवरी, 2012 में प्रतिस्थापन आधार पर 183 करोड़ रुपये की कुल लागत से बैंक नोट प्रेस, देवास में एक बैंक नोट मुद्रण इकाई चालू की गई है। भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड बोर्ड द्वारा लगभग 400 करोड़ रुपये की कुल लागत से प्रतिस्थापन आधार पर बैंक नोट प्रेस (बी.एन.पी.), देवास और करेंसी नोट प्रेस, (सी.एन.पी.), नासिक प्रत्येक में एक बैंक नोट मुद्रण इकाई स्वीकृत की गई है। सी.एन.पी., नासिक में कम्प्यूटर से ऑफ-सेट प्लेट बनाने की एक मशीन लगाई गई है। लगभग 33 करोड़ रुपये की लागत से दो नग बैंक नोट प्रक्रियान्वयन प्रणाली (बी.पी.एस.-2000)-सी.एन.पी, नासिक और बी.एन.पी., देवास प्रत्येक में एक स्थापित की गई है। लगभग 12 करोड़ रुपये की कुल लागत से सी.एन.पी., नासिक में एक मिनी फिनीशिंग मशीन स्थापित की जा रही है। करेंसी नोट प्रेस, नासिक और बैंक नोट प्रेस, देवास प्रत्येक में एक नग संख्यांकन मशीनों की आनलाईन निरीक्षण प्रणालियां स्थापित की गई हैं। सी.एन.पी., नासिक में तीन नग इलेक्ट्रानिक संख्यांकन नियंत्रण प्रणाली लगाई गई है। सी.एन.पी., नासिक और बी.एन.पी., देवास में आई.पी. आधारित निगरानी प्रणाली चालू की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला कोष

3025. श्री सोमेन मित्रा : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय महिला कोष में परिवर्तन/संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) आर.एम.के. किस सीमा तक देश में महिलाओं के जीवन-यापन स्थितियों में सुधार लाने में सहायक हुई है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आर.एम.के. द्वारा व्यक्तियों/समूहों को कितनी धनराशि मंजूर तथा संवितरित की गई; और

(ड.) योजना के क्रियान्वयन तथा ऋण वसूली की निगरानी हेतु विद्यमान तंत्र क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) अखिल भारत कार्यालय नेटवर्क के साथ कम्पनी अधिनियम की धारा 617 के तहत विद्यमान एकल कार्यालय सोसाइटी से सरकार के स्वामित्व वाली सिस्टेमैटिकली इंपोर्टेंट (जमा न रखने वाली तंत्रबद्ध रूप से महत्व वाली) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (एन.बी.एफ.सी.-एन. डी.-एस.आई.) से राष्ट्रीय महिला कोष का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है।

(ग) वर्ष 2007-08 में, गरीब महिलाओं पर आर.एम. के. ऋणों के प्रभाव पर किए गए अध्ययन ने दर्शाया कि :

- 86 लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं।
- मासिक आय 2000/- रूपये से बढ़कर 4000/-रूपये हो गई ।
- 54 प्रतिशत गरीब महिलाओं ने घर के खर्चे में वृद्धि की सूचना दी।
- खाद्यान्न उपयोग पैटर्न में अधिसंख्य लाभार्थियों ने सुधार किया।
- 87 प्रतिशत से घरेलू संपत्तियों टी.बी. फ्रिज, पंखे, टेलीफोन इत्यादि में वृद्धि सूचित की।
- अधिकांश लाभार्थियों के मामले में चिकित्सा सुविधा में वृद्धि हुई।

- आर.एम. के ऋणों की सहायता से किए गए कार्यों के माध्यम से बढ़ी आय के परिणामस्वरूप उनके आत्मविश्वास और सुरक्षा में वृद्धि हुई।
- उन कई लाभार्थियों ने अपने जीवन स्तर में सुधार की सूचना दी।
- अधिकतर लाभार्थियों का मत था कि सूक्ष्मवित्त में महिलाओं की सहभागिता के परिणामस्वरूप घरेलू हिंसा में कमी आई।

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आर. एम.के. के पृथक-पृथक समूहों के संस्वीकृत और प्रतिपूर्ति की गई निधियों का परिणाम अनुलग्नक में दिया गया है।

(लाख रूपये)

वर्ष	संस्वीकृत ऋण	संवितरित ऋण	लाभार्थियों की संख्या
2009-10	1471.00	1563.03	15,404
2010-11	1278.00	1249.15	13,362
2011-12	1985.00	1631.00	18,182
2012-13 (दिनांक 28.02.2013 तक)	1553.00	1126.50	13,827

(ड.) ऋणों की मॉनीटरिंग और वसूली के लिए संगठनों को दी गई धनराशि की मांग. करते हुए शुरूआत में त्रैमासिक आधार पर मांग पत्र और अनुस्मारक भेजे जाते हैं। एक वर्ष या इससे ज्यादा की निरंतर चूक के मामले में चूककर्ता मध्यस्थ सूक्ष्म वित्त पोषण कर्ता संगठनों (आई.एम.ओ.) को पहले चेतावनी दी जाती है और ऋण खाते में अधिक देनदारियों को समाप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो, 30 दिन के बाद अंतिम चेतावनी दी जाती है। यदि तब भी ऋण वापस नहीं किया जाता है, तब चूककर्ता मध्यस्थ सूक्ष्म वित्त पोषण संगठनों (आई. एम.ओ.) को काली सूची में डाल दिया जाता है आई.एम. ओ. द्वारा ऋणों की अदायगी के मामले में, इसे आर.एम.के. की काली सूची से हटा दिया जाता है। आर.एम.के. देनदारियों की वसूली के लिए चूककर्ता संगठनों के विरूद्ध सिविल और आपराधिक मुकद्दमा भी दायर करता है।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल हेतु निर्धारित मूल्य

3026. श्री जोस के. मणि : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपभोक्ताओं को किस खुदरा मूल्य पर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेची जाती है;

(ख) क्या उत्पादन के मूल्य निर्धारण पर कोई विवाद खड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री उसी मूल्य पर की जाती है जिस पर पेट्रोल की बिक्री की जाती है।

(ख) जी, नहीं। पेट्रोल एक नियंत्रणमुक्त उत्पाद है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैस का मूल्य

3027. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गैस की बिक्री मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धारित मानदंड से विपथन देखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन

वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कंपनी-वार इस पर क्या कार्रवाई की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) प्रशासित मूल्य व्यवस्था (ए.पी.एम.) और गैर ए.पी.एम. गैर का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। जहां तक नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) और एन.ई.एल.पी.-पूर्व गैस का संबंध है, इसका मूल्य सरकार और संविदाकार के बीच हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) की शर्तों के तहत पी. एस.सीज. के प्रावधानों के अंतर्गत संविदाकार संविदागत क्षेत्र से उत्पादित और बचाई गई पूरी प्राकृतिक गैस और सी.बी. एम. गैस की बिक्री संविदा के पक्षकारों के लाभ के लिए आर्म्स लेंथ मूल्यों पर करने के प्रयास करेगा। सरकार एन.ई. एल.पी. और सी.बी.एम. संविदाओं के प्रावधानों के तहत उस सूत्र अथवा आधार को अनुमोदित करेगी जिस पर प्राकृतिक गैस और सी.बी.एम. गैस के मूल्य निर्धारित किए जाएंगे।

पी.एस.सी. व्यवस्था के तहत के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लाक के संविदाकार ने एक मूल्य प्रस्ताव सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया था। इस मूल्य प्रस्ताव पर डा. रंगराजन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ई.ए. सी.) द्वारा विचार किया गया था और इसने सिफारिश की कि प्रस्तावित मूल्य छोटे मोटे संशोधन के बाद पी.एस.सी. के अनुरूप है सरकार ने गैस आपूर्ति और मूल्य निर्धारित संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) का भी गठन किया था जिसने सिफारिश की कि सरकार मूल्य प्रस्ताव पर विचार करने से पहले एक गैस मूल्य निर्धारण और गैस उपयोग नीति तैयार करे। विभिन्न पणधारकों द्वारा अनेक अभ्यावेदन और प्रस्तुतीकरण दिए गए थे जिन्हें अपनी रिपोर्ट देते समय इन दोनों समितियों द्वारा ध्यान में रखा गया था।

नई अन्वेषण और लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) के तहत उत्पादित गैस के उपयेाग और मूल्य निर्धारण संबंधी मुद्दों के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ई. जी.ओ.एम.) गठित किया गया था। ई.जी.ओ.एम. ने ई.ए.सी. और सी.ओ.एस. की सिफारिशों पर विचार किया और मूल्य सूत्र को अनुमोदित कर दिया जिसके आधार पर उपर्युक्त ब्लाक से उत्पादित प्राकृतिक गैस का वर्तमान मूल्य 60 अमरीकी डालर प्रति बैरल से अधिक अथवा इसके समतुल्य कच्चे तेल के मूल्य पर 4.2 अमरीकी डालर प्रति एम.एम.बी.यू. बैठता है।

ई.जी.ओ.एम. ने नई अन्वेषण और लाइसेंस नीति (एन.ई. एल.पी.) के तहत उत्पादित गैस के उपयोग और मूल्य निर्धारण संबंधी मुद्दों के बारे में निर्णय लेने के लिए पी.एस.सी. में शामिल मूल्य निर्धारण संबंधी सिद्धांतों/मानदंडों का पालन किया और मूल्य निर्धारण सूत्र पी.एस.सी. के प्रावधानों के अनुसार तय नहीं किया गया था।

एन.ई.एल.पी.-पूर्व पी.एस.सीज. के मामले में प्राकृतिक गैस की बिक्री संबंधित पी.एस.सीज. में दिए गए मूल्य निर्धारण सूत्र के आधार पर की जाती है।

(ग) सरकार की जानकारी में कोई विपथन नहीं आय है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ब्याज दरों में कमी

3028. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए ब्याज दर में कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति के तहत दरें निर्धारित करता है जो अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को प्रभावित करती है।

(घ) देश की औद्योगिक वृद्धि में सुधार लाने के लिए

सरकार द्वारा उठाए गए /उठाए जा रहे मुख्य कदम निम्नानुसार है:-

(i) जी.डी.पी. में निर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% तक करने तथा दशक में 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एन.एम.पी.)-2011 की घोषणा की गई है।

(ii) एन.एम.पी. के अंतर्गत यथा परिकल्पित अभी तक आठ राष्ट्रीय निवेश एवं विनिमार्ण क्षेत्रों (एन.आई. एम.जेड.) की घोषणा की गई है और यह चार अन्य एन.आई.एम.जैड. को 'सिद्धान्त': स्वीकृति दे दी गई है।

(iii) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) नीति को सरलीकृत एवं तर्कसंगत बनाया गया है।

(iv) दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डी.एम.आई. सी.) परियोजना, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान के तहत दि ई-बिज मिशन प्रणाली परियोजना; और समर्पित एजेंसी के रूप में फिक्की के सहयोग से एक संयुक्त उद्यम 'इन्वेस्ट इंडिया' सृजित करना।

(v) सरकार में सेक्टोरल मंत्रालय/विभाग भी विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहे हैं तथा संबंधित क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.एस.एम.ई.) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है जिसका लक्ष्य पारम्परिक शिल्पकरों तथा बेरोजगार युवकों की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना एवं ऋण, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं विपणन के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के सहायतार्थ कार्यक्रमों के जरिए विशेष रूप से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है।

सामाजिक दायित्वों पर व्यय

3029. **श्री भूपेन्द्र सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों पर अपनी वार्षिक आय का कुछ प्रतिशत व्यय करने वाली तेल कंपनियों को कोई निदेश/दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के बीना में भारत-ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड (बी.ओ.आर.एल.) द्वारा किए गए समाज कल्याण कार्यों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां लोक उद्यम विभाग (डी.पी. ई.), भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों (सी. पी.एस.ई.ज.) द्वारा नैगम सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस. आर.) के कार्यान्वयन के लिए अप्रैल 2010 में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए जिन्हें दिसम्बर, 2012 में संशोधित किया गया है।

(ख) सी.एस.आर. के संबंध में डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अनुसार सी.पी.एस.ईज. द्वारा एक वित्त वर्ष में निम्नानुसार पिछले वित्त वर्ष के निवल लाभ की एक निश्चित प्रतिशत धनराशि सी.एस.आर. कार्यकलापों के लिए आबंटित करना अपेक्षित है:

पिछले वर्ष में सी.पी.एस.ई. का करोपरांत लाभ (पी.ए.टी.)	सी.एस.आर. और दीर्घकालिक कार्यकलापों के लिए बजटीय आबंटन (पिछले वर्ष के पी.ए.टी. के प्रतिशत के रूप में)
100 करोड़ रूपए से कम	3% - 5%
100 करोड़ रूपए से 500 करोड़ रूपए से	2% - 3% (न्यूनतम 3 करोड़ रूपए)
500 करोड़ रूपए और उससे अधिक	0.5%-2%

दिनांक 1.4.2013 से 100 करोड़ रूपए से 500 करोड़ रूपए का करोपरांत लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.ईज. के संबंध में न्यूनतम 3 करोड़ रूपए की शर्त हटा दी गयी है और 500 करोड़ रूपए और इससे अधिक निवल लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.सीज. के लिए सी.एस.आर. अवसंरचना की रेंज को 0.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत के स्थान पर बढ़ाकर 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ग) भारत-ओमान रिफाइनरीज लि. (बी.ओ.आर.एल.) बीना में रिफाइनरी के निकटवर्ती गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास जैसे विभिन्न समाज कल्याणकारी कार्यकलाप कर रही है। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. नाममात्र के शुल्क पर (क) 65 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों (ख) गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य योजना का विकास।
2. नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन।
3. वर्ष 2012-13 (फरवरी, 2013 तक) के दौरान बी.ओ.आर.एल. द्वारा आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविरों में 6427 रोगी लाभान्वित हुए।
4. वर्ष 2011-12 के दौरान बी.ओ.आर.एल. द्वारा आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविरों में 1500 से अधिक रोगी लाभान्वित हुए।
5. बी.ओ.आर.एल. ने शिक्षा संवर्धन योजना के तहत विद्यार्थियों को 600 स्कूल किट वितरित किए।
6. बी.ओ.आर.एल. ने शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 131 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की है।
7. स्कूल में बुनियादी सुविधाओं में सुधार हेतु 14 स्कूलों में डैस्कें/बैंचें उपलब्ध करवाई गई हैं।
8. बी.ओ.आर.एल. ने सर्दी के दौरान (दिसम्बर, 2012) आस-पास के ग्रामीणों को उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए 1000 कंबल भी वितरित किए हैं।
9. बी.ओ.आर.एल. ने वर्ष 2011-12 में बीना टाउन से गुजरने वाली और आगासोद को कुरवई से जोड़ने वाली बाईपास सड़क का निर्माण कार्य भी पूरा कर दिया है।

सौर ऊर्जा परियोजनाएं

3030. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सौर ऊर्जा परियोजनाएं पर्याप्त निधि के अभाव में रूक गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की संख्या और उनकी अधिकतम क्षमता, जिस पर वे राजसहायता प्राप्त कर सकती है, पर उच्चतम सीमा अधिरोपित की गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उच्चतम सीमा अधिरोपित करने के परिणामस्वरूप सौर ऊर्जा परियोजनाएं हतोत्साहित हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं की संख्या की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। तथापि, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर अनुप्रयोग स्कीम के तहत मंत्रालय 100 किलोवाट पी. की अधिकतम पी.वी. मॉड्यूल मिनी/माइक्रो ग्रिड एस.पी.वी. संयंत्रों की संस्थापना हेतु सब्सिडी उपलब्ध कराता है।

(घ) जी नहीं, क्योंकि स्कीम लघु परियोजनाओं के लिए है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्थाओं को निधियां जारी किया जाना

3031. **श्री निलेश नारायण राणे :** क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत की गई निधियां पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) को जारी नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उचित कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) पंचायती राज संस्थाओं को आवंटन के अनुरूप निधियां कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क) से (ग) पंचायती राज मंत्रालय ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) के तहत राज्यों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को निधियां संस्वीकृत एवं जारी की हैं। पिछले तीन वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्य-वार निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) बी.आर.जी.एफ. निधियां, कार्यान्वयक इकाइयों (पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों आदि) को राज्यों के समेकित निधि में जारी करने के 15 दिनों के भीतर स्थानांतरित करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर राज्यों द्वारा शास्ति ब्याज का भुगतान करना होगा।

विवरण

बी.आर.जी.एफ. निधियों की राज्य-वार निर्मुक्ति

(राशि करोड़ रू.)

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त निधियां			
		वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13 (दिनांक 28.02.2013 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	357.39	348.34	366.59	196.08
2.	अरूणाचल प्रदेश	14.67	12.70	10.70	0.00
3.	अमस	56.03	139.12	59.39	92.22
4.	बिहार	518.99	740.25	408.58	327.40

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	216.06	280.90	259.94	178.05
6.	गुजरात	96.64	103.16	109.64	37.84
7.	हरियाणा	19.35	39.53	18.67	24.20
8.	हिमाचल प्रदेश	27.41	30.50	23.62	35.19
9.	जम्मू और कश्मीर	9.00	41.26	30.40	28.21
10.	झारखंड	209.18	331.02	183.60	117.70
11.	कर्नाटक	103.27	118.48	92.74	61.01
12.	केरल	24.21	31.59	34.66	0.67
13.	मध्य प्रदेश	315.65	535.80	403.37	298.35
14.	महाराष्ट्र	228.19	290.95	255.09	217.20
15.	मणिपुर	27.71	54.32	32.16	16.37
16.	मेघालय	23.50	50.42	24.60	34.21
17.	मिज़ोरम	21.28	28.68	24.90	19.16
18.	नागालैंड	43.04	40.04	41.48	38.81
19.	ओडिशा	223.67	385.20	325.95	179.11
20.	पंजाब	15.08	18.22	15.50	12.04
21.	राजस्थान	141.42	304.68	286.15	149.62
22.	सिक्किम	11.59	15.92	14.21	0.53
23.	तमिलनाडु	62.09	113.28	106.03	73.49
24.	त्रिपुरा	8.58	13.21	13.66	11.58
25.	उत्तर प्रदेश	579.87	668.09	540.81	201.13
26.	उत्तराखंड	0.00	37.66	29.54	34.32
27.	पश्चिम बंगाल	181.10	276.68	205.02	192.75
	कुल	3534.97	5050.00	3917.00	2577.24

[हिन्दी]

सेवा कर जमा नहीं किए जाने से संबंधित सूचना

3032. श्री हर्ष वर्धन : क्या **वित्त** मंत्री 30 नवम्बर, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1306 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा उक्त प्रश्न के भाग 'क' से 'ग' में मांगी गई वांछित सूचना शीघ्र उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सूचना कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय ने दिनांक 30.11.2012 को उत्तरार्थ पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1306 में मांगी गई जानकारी पहले ही दे दी है और इसके उत्तर में दिये गये आश्वासन को दिनांक 07.02.2013 को पूरा कर दिया गया है (विवरण संलग्न है)।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

विवरण

कार्यान्वयन रिपोर्ट
15वीं लोक सभा का 12वां सत्र
पूरा किये जाने की तारीख. 07.02.2013

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

प्रश्न सं. तथा तारीख	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
सेवाकर जमा न करने के बारे में श्री हर्ष वर्धन और जगदीश ठाकोर, संसद सदस्य (लोकसभा) द्वारा दिनांक 30.11.2012 को पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1306	सेवाकर जमा न करना जिसमें पूछा गया था कि:- (क) क्या केन्द्रीय उत्पाद, सीमाशुल्क और सेवाकर आयुक्त को सेवा कर के संग्रहण के संबंध में गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न नगर निगमों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और (ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?	(क) से (ग) जनकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	संलग्न अनुबंध के अनुसार दिनांक 07.02.2013 को पूरा किया गया।	वांछित जानकारी को क्षेत्रीय कार्यालयों से मंगाया जाना था। अत: इसके संग्रहण और संकलन में समय लग गया।

अनुबंध

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क और सेवाकर आयुक्त को सेवाकर के संग्रहण के संबंध में गाजियाबाद, उ.प्र. सहित विभिन्न नगर निगमों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वर्ष 2012-13 (अक्टूबर, 2012 तक) में इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का मामलों का ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट

(करोड़ रूपये में)

जोन	नगर निगम का नाम	शामिल मुद्दा	शामिल राशि	की गई कार्रवाई	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
		2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)			
अहमदाबाद	भुज नगर निगम	विज्ञापन हेतु स्थान की बिक्री किए जाने और अचल सम्पत्ति के किराए पर दिए जाने की कर योग्य सेवाएं प्रदान करना। किंतु पंजीकृत नहीं और सेवाकर न देना	0.46	कारण बताओ नोटिस जारी	विभाग के अपने प्रयासों के आधार पर दर्ज किया गया मामला
भुवनेश्वर	बालासोर नगर निगम	अचल सम्पत्ति का किराए पर दिए जाने और विज्ञापन (सेवा) हेतु स्थान का विक्रय	0.05	निर्धारिती से वसूल की गई कुल धनराशि	विभाग के अपने प्रयासों के आधार पर दर्ज किया गया मामला
	भुवनेश्वर नगर निगम	एस.टी.-3 विवरणी का न भरा जाना	शून्य (तकनीकी अपराध)	कारण बताओ नोटिस जारी	
	राऊरकेला नगर पालिका	विज्ञापन हेतु स्थान बिक्री पर सेवाकर की गैर अदायगी	0.12	फा.सं.वी.(15)21/ एस.टी./ए.डी.जे.एन./ बी.-II/2012 द्वारा 6.7.2012 को जारी कारण बताओ नोटिस	
चंडीगढ़	नगर निगम मण्डी (हि.प्र.)	अचल सम्पत्ति का किराए पर दिए जाने/ विज्ञापन हेतु स्थान बिक्री किये जाने पर सेवाकर की गैर अदायगी	0.18	कारण बताओ नोटिस जारी	विभाग के अपने प्रयासों के आधार पर दर्ज किया गया मामला

1	2	3	4	5	6
	भटिंडा नगर निगम (पंजाब)	अचल सम्पत्ति का किराए पर दिए जाने की गैर अदायगी	0.42	कारण बताओ नोटिस जारी	
	मोगा नगर निगम (पंजाब)	अचल संपत्ति का किराए पर दिए जाने तथा विज्ञापन हेतु स्थान की बिक्री के सेवाकर की गैर आदायगी	0.25	कारण बताओ नोटिस जारी	
	डोराबासी नगर निगम (पंजाब)	अचल सम्पत्ति का किराए पर दिए जाने की गैर अदायगी	0.07	कारण बताओ नोटिस जारी	
चेन्नई	वेल्लोर सिटी नगर निगम	अचल सम्पति का किराए पर दिए जाने के गैर अदायगी	1.31	कारण बताओ नोटिस जारी	विभाग के अपने प्रयासों के आधार पर दर्ज किया गया मामला
	चेन्नई-III केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के 11 नगर निगम	अचल सम्पत्ति का का किराए पर दिए जाने की गैर अदायगी	4.15	कारण बताओ नोटिस जारी	
कोचीन	मुवाट्टूपूझा नगरपालिका	विज्ञापन (बी.एस.एस.) हेतु स्थान अथवा समय की बिक्री	0.01	उपायुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी	विभाग के अपने प्रयासों के आधार पर दर्ज किया गया मामला
	थोडूपूझा		0.004	उपायुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी	
	त्रिपुनिथुरा नगरपालिका		0.016	उपायुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी	
	कोथामंगलम नगरपालिका		0.006	उपायुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी	

1	2	3	4	5	6
	एलुवा नगरपालिका		0.015	कारण बताओ नोटिस जारी	
	एलुवा नगरपालिका	अचल सम्पत्ति के किराए पर सेवाकर	0.003	कारण बताओ नोटिस जारी	
	कालामसेरी नगरपालिका	अचल सम्पत्ति/मंडपकीपर सेवा के किराए पर सेवाकर	0.13	एस.आई.वी. एकक सेवाकर प्रभाग का एई II ओ.आर.सं. 03./2012 एस.टी.	
	थ्रिक्करा नगरपालिका	अचल सम्पत्ति के किराए पर सेवाकर, विज्ञापन और व्यवसाय समर्थन सेवा हेतु स्थान अथवा समय की बिक्री	0.16	मुख्यालय निकवारक इकाई का एई II ओ.आर. सं. 05/2012 एस.टी.	
कोयम्बटूर	इरोड नगर निगम	''विज्ञापन-स्थान अथवा समय सेवा की बिक्री'' के अंतर्गत सेवाकर की गैर अदायगी	0.001	कारण बताओ नोटिस जारी तथा ओ-इन-ओ पारित। निर्धारितियों ने 121339/- रू. की धनराशि अदा की जुर्माना अदा नहीं किया।	विभाग के अपने प्रयासों के आधार पर दर्ज किया गया मामला
	इरोड नगर निगम	अचल सम्पत्ति की बिक्री सेवा के अंतर्गत सेवाकर की गैर अदायगी	0.91	कारण बताओ नोटिस जारी	
	इरोड नगर निगम	मंडपकारी सेवा के अंतर्गत सेवा कर की कम अदायगी, विध्वंसक सेवा और सफाई सेवा हेतु सेवा कर की गैर अदायगी	0.08	कारण बताओ नोटिस जारी	

1	2	3	4	5	6
	कंगयम नगरपालिका	अचल सम्पत्ति के किराए पर गैस पंजीयन, सेवाकर की गैर अदायगी	0.35	कारण बताओ नोटिस जारी	
	धारापुरम नगरपालिका	अचल सम्पत्ति के किराए पर गैस पंजीयन, सेवाकर की गैर अदायगी	0.39	कारण बताओ नोटिस जारी	
	अत्तुर नगरपालिका	अचल सम्पत्ति के किराए पर सेवाकर की गैर अदायगी	0.02	कारण बताओ नोटिस जारी	
	नगर निगम, ऊटी	अचल सम्पत्ति के किराए पर (सेवाकर)	0.03	शीघ्र ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाएगा	
	नगर निगम, कूनूर एवं कोटा गिरी	अचल सम्पत्ति के किराए पर (सेवाकर)	0.02	सेवाकर की राशि का भुगतान	
	नगर पंचायती कार्यकारी अधिकारी, कारामडाई	अचल सम्पत्ति के किराए पर (सेवाकर)	0.01	सेवाकर की राशि का भुगतान	
	कोयम्बटूर निगम (केन्द्रीय)	विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत सेवाकर की गैर अदायगी तथा एस.टी.-3 विवरणियों का गैर-पंजीयन तथा गैर दाखिली	6.24	कारण बताओ नोटिस जारी	विभाग के अपने प्रयासों के आधार पर दर्ज किया गया मामला
	कोयम्बटूर निगम (उत्तर)	विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत सेवाकर की गैर अदायगी तथा एस.टी.-3 विवरणियों का गैर-पंजीयन तथा गैर दाखिली	6.24	कारण बताओ नोटिस जारी	
	कोयम्बटूर (पूर्व)	विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत सेवाकर की गैर अदायगी तथा एस.टी.-3 विवरणियों का गैर-पंजीयन तथा गैर दाखिली	6.24	कारण बताओ नोटिस जारी	

1	2	3	4	5	6
	कोयम्बटूर निगम (दक्षिण)	विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत सेवाकर की गैर अदायगी तथा एस.टी.-3 विवरणियों का गैर-पंजीयन तथा गैर दाखिली	6.24	कारण बताओ नोटिस जारी	
	कोयम्बटूर निगर (पश्चिम)	विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत सेवाकर की गैर अदायगी तथा एस.टी.-3 विवरणियों का गैर-पंजीयन तथा गैर दाखिली	5.87	कारण बताओ नोटिस जारी	
	विरुद्धुनगर नगरपालिका, विरुद्धुनगर	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	0.07	कारण बताओ नोटिस जारी	
	ओड्डानचट्रम नगरपालिका ओड्डानचट्रम	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	0.53	कारण बताओ नोटिस जारी	
	कुम्बुम नगरपालिका, कुम्बुम	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	0.02	कारण बताओ नोटिस जारी	
	परियाकुलम नगरपालिका, पेरियाकुलम	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	0.01	कारण बताओ नोटिस जारी	
	चिन्नामन्नूर नगरपालिका, चिन्नामन्नूर	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	0.01	कारण बताओ नोटिस जारी	
	बोडीनायकानूर नगरपालिका, बोडी	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	0.02	कारण बताओ नोटिस जारी	
	तिरुवाररूर नगरपालिका	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	0.56	कारण बताओ नोटिस जारी	
	सिरखली नगरपालिका	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	0.26	कारण बताओ नोटिस जारी	

1	2	3	4	5	6
	मन्नारगुडी नगरपालिका	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	0.31	कारण बताओ नोटिस जारी	
	नागापट्टनम नगरपालिका	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	0.28	कारण बताओ नोटिस जारी	
	मइलाडुथुराई नगरपालिका	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	0.41	कारण बताओ नोटिस जारी	
	तंजावूर नगरपालिका	विज्ञापन सेवा के लिए स्थान की बिक्री की श्रेणी के अंतर्गत गैर पंजीकरण तथा गैर अदायगी	0.06	न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया जारी है	
	पुडुकोट्टई नगरपालिका	विज्ञापन सेवा के लिए स्थान की बिक्री की श्रेणी के अंतर्गत गैर पंजीकरण तथा गैर अदायगी	0.04	न्यायनिणर्झयन की प्रक्रिया जारी है	विभाग के अपने प्रयासों के आधार पर दर्ज किया गया मामला
	तेनकासी नगर निगम	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	मात्रा निर्धारित की जानी है	नोटिस अभी जारी की जानी है	
	पडनाबापुरम नगर निगम	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	मात्रा निर्धारित की जानी है	नोटिस अभी जारी की जानी है	
	कुझिथुराई नगर निगम	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	मात्रा निर्धारित की जानी है	नोटिस अभी जारी की जानी है	
	क्लैकेल नगर निगम	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	मात्रा निर्धारित की जानी है	नोटिस अभी जारी की जानी है	
	नागेरकोयल नगर निगम	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	मात्रा निर्धारित की जानी है	नोटिस अभी जारी की जानी है	

1	2	3	4	5	6
	सिवाकासी नगर निगम	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	मात्रा निर्धारित की जानी है	नोटिस अभी जारी की जानी है	
जयपुर	नगर परिषद श्रीगंगानगर	''विज्ञापन सेवा के लिए स्थान या समय की बिक्री'' तथा 'अचंल सम्पत्ति का किराए पर देना' की श्रेणी के तहत सेवा कर की गैर अदायगी	0.08	21.10.2012 को कारण बताओ नोटिस जारी किया	
	नगर परिषद हनुमानगढ़	''विज्ञापन सेवा के लिए स्थान या समय की बिक्री'' तथा 'अचंल सम्पत्ति का किराए पर देना' की श्रेणी के तहत सेवा कर की गैर अदायगी	0.04	30.05.2012 को कारण बताओ नोटिस जारी किया	
	बीकानेर नगर निगम	''विज्ञापन सेवा के लिए स्थान या समय की श्रेणी के तहत सेवाकर की गैर अदायगी	0.05	12.04.2012 को कारण बताओ नोटिस जारी किया	
कोलकाता	बंकुरा नगरपालिका विष्णुपुर नगरपालिका सोनामुखी नगरपालिका	सेवाकर पंजीकरण नहीं लिया गया	0	कराधान के अंतर्गत उन्हें लाए जाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्रवाई पहले ही प्रारम्भ कर दी गई है।	
मैसूर	करवार सिटी नगर निगम	अचल सम्पत्ति के किराए पर सेवाकर की गैर अदायगी	0.02	मामला न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया के अधीन है।	विभाग के अपने प्रयासों के आधार पर दर्ज किया गया मामला

1	2	3	4	5	6
पुणे	पिम्पपरी चिंचवाड़ नगर निगम	अचल संपत्ति के किराए पर देने, ठोस माल की पूर्ति करने तथा कारोबार समर्थन सेवाएं प्रदान करने पर	0.12	कारण बताओ नोटिस अक्तूबर, 2012 में जारी किया गया है और यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा लंबित है।	विभाग के अपने प्रयासों के आधार पर दर्ज किया गया मामला
	मपूसा नगर परिषद	अचल सम्पत्ति के किराए पर सेवाकर की गैर अदयगी	0.83	कारण बताओ नोटिस जारी	
	मार्गो नगर परिषद	अचल सम्पत्ति के किराए पर सेवाकर की गैर अदयगी	0.03	कारण बताओ नोटिस जारी	
	पुणे नगर निगम	"विज्ञापन सेवा के लिए स्थान या समय की बिक्री" तथा 'अचंल सम्पत्ति का किराए देने संबंधी सेवा' की श्रेणी के तहत सेवाकर की गैर अदायगी	4.48	23.10.12 को कारण बताओ नोटिस जारी	
	पुणे महानगर परिवहन महामंडाल लि.	"विज्ञापन सेवा के लिए स्थान या समय की बिक्री" की श्रेणी के अंतर्गत सेवा कर की गैर अदायगी	0.42	23.10.2012 कारण बताओ नोटिस जारी	
वड़ोदरा	आनन्द नगर निगम	"अंचल संपत्ति किराए पर देने संबंधी सेवाएं" के तहत सेवाकर की गैर अदायगी	0.38	मांग नोटिस सभी नगर निगमों को जारी कर दिया गया है। न्यायनिर्णयन हेतु लंबित।	
	अंकलाव नगर निगम	"अंचल संपत्ति किराए पर देने संबंधी सेवाएं" के तहत सेवाकर की गैर अदायगी	0.0063		

1	2	3	4	5	6
	पेटलैड नगर निगम	''अंचल संपत्ति किराए पर देने संबंधी सेवाएं'' के तहत सेवाकर की गैर अदायगी	0.16061		
	खम्भात नगर निगम	''अंचल संपत्ति किराए पर देने संबंधी सेवाएं'' के तहत सेवाकर की गैर अदायगी	0.0651		
	बोरसाड नगर निगम	''अंचल संपत्ति किराए पर देने संबंधी सेवाएं'' के तहत सेवाकर की गैर अदायगी	0.1302		
	बोरिवाई नगर निगम	''अंचल संपत्ति किराए पर देने संबंधी सेवाएं'' के तहत सेवाकर की गैर अदायगी	0.001		
	ओ.डी.डी. नगर निगम	''अंचल संपत्ति किराए पर देने संबंधी सेवाएं'' के तहत सेवाकर की गैर अदायगी	0.003		
	सोजित्रा नगर निगम	''अंचल संपत्ति किराए पर देने संबंधी सेवाएं'' के तहत सेवाकर की गैर अदायगी	0.0192		
	उमरेथ नगर निगम	''अंचल संपत्ति किराए पर देने संबंधी सेवाएं'' के तहत सेवाकर की गैर अदायगी	0.05508		
विशाखापत्तनम	ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम	अचल सम्पत्ति का किराए पर देना	निर्धारित नहीं किया	कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया	
	ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम	विज्ञापन एजेंसी सेवा	निर्धारित नहीं किया	कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया	
	विजयनगरम नगरपालिका	विज्ञापन के स्थान पर की बिक्री	निर्धारित नहीं किया	कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया	
	श्रीकाकुलम नगरपालिका	विज्ञापन के स्थान पर की बिक्री	निर्धारित नहीं किया	कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया	

1	2	3	4	5	6
	विजयनगरम नगर पालिका	अचल सम्पत्ति के किराए पर देना	निर्धारित नहीं किया	कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया	
	श्री काकुलम नगर पालिका	अचल सम्पत्ति के किराए पर देना	निर्धारित नहीं किया	कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया	
	विजयवाड़ा	विज्ञान सेवा के लिए स्थान या समय की बिक्री पर सेवाकर की गैर अदयगी	1.16	कारण बताओ नोटिस जारी	
	अदोनी नगरपालिका	अचल सम्पत्ति के किराए पर देने पर सेवाकर की गैर अदायगी	0.05	कारण बताओ नोटिस जारी	
	नांदयाल नगरपालिका	अचल सम्पत्ति के किराए पर देने पर सेवाकर की गैर अदायगी	0.06	कारण बताओ नोटिस जारी	
	नागरी नगरपालिका	सेवाकर की गैर अदायगी	0.03	नोटिस जारी किया और दिनांक 04.04.2012 के ओ.आई.ओ. सं. 10/2012 द्वारा मांग सुनिश्चित की गई। शुल्क की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं	
	तिरुपति नगर निगम	सेवाकर की गैर अदायगी	0.07	नोटिस जारी किया और दिनांक 29.05.2012 के ओ.आई.ओ. सं. 58/2012 द्वारा मांग सुनिश्चित की गई। पार्टी ने आयुक्त (ए) के समक्ष अपील दायर की	

1	2	3	4	5	6
	पालमनेर नगरपालिका	सेवाकर की गैर अदायगी	0.06	नोटिस जारी किया और दिनांक 19.04.2012 के ओ.आई.ओ. सं. 50/2012 द्वारा मांग सुनिश्चित की गई। पार्टी ने आयुक्त (ए) के समक्ष अपील दायर की	
	पुंगनूर नगरपालिका	सेवाकर की गैर अदायगी	0.08	नोटिस जारी किया और दिनांक 25.04.2012 के ओ.आई.ओ. सं. 49/2012 द्वारा मांग सुनिश्चित की गई। पार्टी ने आयुक्त (ए) के समक्ष अपील दायर की	
	अनंतपुर नगर निगम	अचल सम्पत्ति के किराए पर सेवाकर की गैर अदायगी	0.12	मांग सुनिश्चित की गई अपील की अवधि के भीतर	
	गुंतकल नगरपालिका	अचल सम्पत्ति के किराए पर सेवाकर की गैर अदायगी	0.09	धारा 87 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है	
	धरमावरम नगरपालिका	अचल सम्पत्ति के किराए पर सेवाकर की गैर अदायगी	0.01	मांग सुनिश्चित की गई अपील की अवधि के भीतर	

1	2	3	4	5	6
	कादिरी नगरपालिका	अचल सम्पत्ति के किराए पर सेवाकर की गैर अदायगी	0.01	सेवाकर की राशि वसूल कर ली गई। ब्याज और शास्ति रहित भुगतान किया	
डीजीसीईआई	कटक नगर निगम	कटक नगर निगम क्षेत्राधिकार वाले सेवाकर प्राधिकरण के पास बिना पंजीकरण कराए तथा उनके सेवाकर दायित्वों को बिना चुकाए 'विज्ञापन के लिए स्थल अथवा समय की बिक्री', 'कारोबार तथा वाणिज्य के प्रोत्साहन के लिए अचल सम्पत्ति को किराए पर देना' के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने में लगा था	0.44	कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया	
	भुवनेश्वर नगर निगम	भुवनेश्वर नगर निगम क्षेत्राधिकार वाले सेवाकर प्राधिकरण के पास बिना पंजीकरण कराए तथा उनके सेवाकर दायित्वों को बिना चुकाए 'विज्ञापन के लिए स्थान अथवा समय की बिक्री', 'कारोबार तथा वाणिज्य के प्रोत्साहन के लिए अचल सम्पत्ति को किराए पर देना' के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने में लगा था।	1.93	कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया	

[अनुवाद]

बहुराज्यीय सहकारी समितियों को सुविधा

3033. श्रीमती ज्योति धुर्वे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण क्षेत्र में कार्य कर रही बहुराज्यीय सहकारी समितियों को दिए जाने 'नेशनल क्लीयरिंग हाऊस' की उप-सदस्यता की अनुमति दिए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के पास बहुराज्यीय सहकारी समितियों को ए.टी.एम. और आर.टी.जी. एम./एन.ई.एफ.टी. सम्पर्क मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, देश में इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली को लोकप्रिय बनाने हेतु तथा देश की बड़ी जनसंख्या को निधि अंतरण हेतु इलेक्ट्रानिक चैनल उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने देश में तत्काल सकल निपटान (आर.टी.जी.एस.); राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एन. ई.एफ.टी.); समाशोधन घरों की सदस्यता; इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (ई.सी.एस.); राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एन. ई.सी.एस.) तथा क्षेत्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (आर.ई. सी.एस.) इत्यादि सहित केन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों में भाग लेने सक्षम बनाने के लिए उप-सदस्यता मार्ग को और बढ़ा दिया है। आर.बी.आई. तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान कारपोरेशन (एस.पी.सी.आई.) के पहुंच मापदण्ड तथा अन्य विनिर्धारणों के अनुरूप अंतर बैंक ए.टी.एम. लेन-देन करने हेतु लाइसेंसधारी बैंक भी राष्ट्रीय वित्तीय स्विच का उपयोग कर सकते हैं।

एच.आई.वी./एड्स मरीजों हेतु समुदाय परिचर्या केन्द्र

3034. श्री जयंत चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एच.आई.वी. से पीड़ित लोगों (पी.एल.एच. आई.वी.) को परिचर्या, सहायता और उपचार मुहैया कराने वाले समुदाय परिचर्या केन्द्रों (सी.सी.सी.) की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान समुदाय परिचर्या केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण हेतु राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधियां जारी की गई है कितनी निधियों का उपयोग किया गया तथा कितने समुदाय परिचर्या केन्द्र स्थापित किए गए;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों में देश में अनेक समुदाय परिचर्या केन्द्रों को बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पूरे देश में पी.एल.एच.आई.वी. से पीड़ित लोगों को समुचित परिचर्या, सहायता और उपचार सुविधाएं मुहैया कराने हेतु समुदाय परिचर्या केन्द्रों में प्रयोक्त सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु कौन-से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एच.आई.वी. परिचर्या, मानसिक सहायता और किया भी समय होने वाले अलपसंक्रमण के उपचार के लिए लिंकेज प्रदान करने के लिए समुदाय परिचर्या केन्द्रों (सी.सी.सी.) की स्थापना की गई है। इन समुदाय परिचर्या केन्द्रों (सी.सी.सी.) की स्थापना एन.जी.ओ./पी.एल.एच.आई.वी. नेटवर्क द्वारा की गई थी। दिनांक 1 मार्च, 2003 तक भारत में 239 समुदाय परिचर्या केन्द्र कार्य कर रहे हैं। राज्यवार समुदाय परिचर्या केन्द्रों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सी.सी.सी. के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जारी और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार

समुदाय परिचर्या केन्द्रों की जांच करने के लिए विभाग और अन्य स्टेकहोल्डरों द्वारा प्रति वर्ष इन केन्द्रों का आंकलन किया जाता है। आंकलन के परिणामों के आधार पर संतोषजनक निष्पादन वाले समुदाय परिचर्या केन्द्रों की संविदा को अगले वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। 'ग' के रूप वर्गीकृत समुदाय परिचर्या केन्द्रों को एक माह का नोटिस देकर बंद कर दिया जाता है। बंद किए गए समुदाय परिचर्या केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ड.) संबंधित ए.आर.टी. केन्द्र में पंजीकृत पी.एल.एच. आई.वी. रोगियों को एच.आई.वी. परिचर्या के लिए नियमित रूप से अनुवर्ती उपचार मिले, यह सुनिश्चित करने हेतु सभी ए. आर.टी. केन्द्रों को इन समुदाय परिचर्या केन्द्रों से जोड़ा जाना है।

विवरण-I

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत समुदाय परिचर्या केन्द्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	2012-13 सी.सी.सी. की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	36
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	अमस	2
4.	बिहार	9
5.	चंडीगढ़	1
6.	छत्तीसगढ़	5
7.	दिल्ली	5
8.	गोवा	2
9.	गुजरात	9
10.	हरियाणा	1
11.	हिमाचल प्रदेश	3
12.	जम्मू और कश्मीर	0
13.	झारखंड	2
14.	कर्नाटक	27
15.	केरल	7
16.	मध्य प्रदेश	7
17.	महाराष्ट्र	26
18.	मणिपुर	10
19.	मेघालय	0
20.	मिज़ोरम	3
21.	नागालैंड	4
22.	ओडिशा	6
23.	पुदुचेरी	1
24.	पंजाब	7
25.	राजस्थान	7
26.	सिक्किम	1
27.	तमिलनाडु	30
28.	त्रिपुरा	2
29.	उत्तर प्रदेश	11
30.	उत्तराखंड	2
31.	पश्चिम बंगाल	12
	कुल भारत	239

विवरण-II

विगत तीन वर्षों में समुदाय परिचर्या केन्द्रों (सी.सी.सी.) को जारी तथा उपयोग की गई निधि

(रू. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2009			2010-11			2011-12			2012-13*		
		सी.सी.सी. की संख्या	आबंटन	व्यय	सी.सी.सी. की संख्या	आबंटन	व्यय	सी.सी.सी. की संख्या	आबंटन	व्यय	सी.सी.सी. की संख्या	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	26	304.36	852.24	26	737.50	463.10	36	641.98	754.22	36	641.98	614.92
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	12.75	10.22	1	17.50	16.40	1	9.38	11.20	1	16.38	19.99
3.	असम	3	52.50	57.16	3	52.50	49.32	3	48.24	44.04	2	34.70	25.70
4.	बिहार	9	399.98	118.80	9	76.80	72.90	9	75.80	76.80	9	70.70	65.80
5.	चंडीगढ़	1	17.50	8.36	1	17.50	9.83	0	000	0.00	1	16.30	4.18
6.	छत्तीसगढ़	6	141.54	133.98	6	124.90	115.03	7	13502	130.47	5	7858	8449
7.	दिल्ली	6	157.50	56.25	6	12250	140.48	4	96.48	65.48	5	63.36	8667
8.	गोवा	2	35.60	34.59	2	35.00	20.10	2	32.17	24.35	2	34.33	20.41
9.	गुजरात	13	198.90	150.10	13	198.90	16780	15	176.90	1 56.80	9	154.70	134.80
10.	हरियाणा	1	17.50	10.01	1	17.50	10.38	1	1608	9.72	1	16.08	9.14
11.	हिमाचल प्रदेश	3	39.00	29.36	3	47.06	23.41	3	48.24	41.77	3	48.24	41.11
12.	जम्मू और कश्मीर	1	27.00	9.83	1	30.25	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
13.	झारखंड	3	78.00	11.27	3	40.67	46.93	2	38.90	34.67	2	34.56	3456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	कर्नाटक	33	779.64	68093	33	356.70	345.80	27	534.80	436.80	27	498.89	435.80
15.	केरल	5	30.60	30.60	5	121.50	108.72	7	125.18	110.16	7	125.18	67.11
16.	मध्य प्रदेश	7	337.24	292.26	7	15.67	43.67	7	46.70	42.60	7	40.80	39.70
17.	महाराष्ट्र	43	921 17	696.57	43	484.20	432.50	31	234.98	234.80	26	145.67	2567
18.	मणिपुर	10	191.00	89.00	10	144.49	181.49	11	160.84	130.24	10	176.88	113.70
19.	मेघालय	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
20.	मिज़ोरम	2	34.78	31.40	2	43.38	23.23	3	50.24	41.57	3	54.55	39.85
21.	नागालैंड	2	130.50	88.50	2	8750	80.30	4	117 10	69.66	4	76.94	5394
22.	ओडिशा	5	128.60	110.36	5	128.60	120.80	5	128.70	12080	6	134.80	123.60
23.	पुदुचेरी	1	17.50	18.57	1	17.50	18.95	1	16.08	16.16	1	1608	1206
24.	पंजाब	6	95.50	43.28	6	9988	50.29	6	96.48	6418	7	370.40	306.68
25.	राजस्थान	8	51.78	13.45	8	51 78	43.70	8	47.80	45.70	7	43.80	41 90
26.	सिक्किम	1	17.50	4.54	1	17.50	12.58	1	16.08	15.33	1	1608	12.05
27.	तमिलनाडु	28	704.30	799.76	28	612.50	853.07	29	62949	23604	30	53288	53528
28.	त्रिपुरा	2	35.00	30.68	2	35.00	32.25	2	32.16	31.94	2	3216	2330
29.	उत्तर प्रदेश	11	176.80	130.52	11	176.80	145.80	11	156.80	145.60	11	13470	12390
30.	उत्तराखंड	2	30.25	22.84	2	35.00	18.81	2	30.76	32.88	2	30.90	28.90
31.	पश्चिम बंगाल	14	201.20	160.36	14	201.20	189.90	15	214.00	207.90	12	189.90	156.80
	कुल भारत	255	5365.49	4725.79	255	4177.78	3837.54	253	3957.38	3331.88	239	3830.52	3282.01

(*दिसम्बर, 2012 के अनुसार)।

राज्य जहां व्यय आबंटन से अधि है इसका कारण विगत वर्ष में सी.सी.सी. को जारी और उसी वर्ष समायोजित की गई अग्रणी राशि के कारण है।

विवरण-III

विगत तीन वर्षों में आंकलन के पश्चात बंद किए गए समुदाय परिचर्या केन्द्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	बंद किए गए समुदाय परिचर्या केन्द्रों की संख्या
1.	2010	34
2.	2011	39
3.	2012	22

[हिन्दी]

कपड़ा क्षेत्र को ऋण

3035. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा और कपड़ा उद्योग में कार्य करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों तथा निम्न आय वर्ग के समूहों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राजसहायता प्राप्त दरों पर कोई ऋण प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन पर प्रभारित ब्याज दर सहित तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उद्योगों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी सहायता दिए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया है। 1 जुलाई, 2010 से बैंकों के लिए अपने संबंधित बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित आधार दर से जुड़े अपने ऋण उत्पादों का मूल्य निर्धारण करना अपेक्षित है। बैंकों को आधार दर से कम पर कोई भी उधार देने की अनुमति नहीं है। तथापि, भारत सरकार ऋण संबंधित मध्यवर्ती उपलब्ध करा रही है जैसे (i) बुनकर क्रेडिट कार्ड को जारी करना (ii) मंजूर किए गए नए ऋणों पर 3 वर्ष के लिए 3 % की दर से ब्याज सहायता (iii) प्रत्येक हैण्डलूम बुनकर को 4200 रुपए की मार्जिन धन सहायता और (iv) 3 वर्षों के लिए ऋण गारंटी। रियायती सूत की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार हैण्डलूम बुनकरों को घरेलू सिल्क और कॉटन हस्त सूत पर 10% की मूल्य सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। तकनीकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र उद्योग के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के उद्यमियों के लिए कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए पावरलूम और हैण्डलुम क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।

(ग) वर्ष 2013-14 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ब्याज सहायता प्रदान करके हैण्डलूम बुनकरों को कार्यशील पूंजी और 6% की रियायती ब्याज दर से आवधिक ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

आवासीय क्षेत्र में गोदाम

3036. **श्रीमती कमला देवी पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवासीय क्षेत्रों में चल रहे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) गोदामों की संख्या का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आवासीय क्षेत्र से एल.पी.जी. गोदामों को स्थानांतरित करने हेतु की गई/की जा रही कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सी.जी.) ने बताया है कि उन्होंने रिहायशी क्षेत्रों में प्रचालन कर रहे एल.पी.जी. गोदामों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, एल.पी.जी. डिस्ट्रब्यूटरशिप्स तभी चालू की जाती हैं जब चयनित उम्मीदवार पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पी.ई.एस.ओ.) से विस्फोटक लाइसेंस प्राप्त कर लेता है।

[अनुवाद]

महिलाओं संबंधी कानूनों को सुदृढ़ बनाया जाना

3037. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महिला संबंधी कानूनों को सुदृढ़ बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में पर्याप्त संशोधन किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का देश में उक्त अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन किस प्रकार से सुनिश्चित करने का विचार है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) मंत्रालय ने महिलाओं संबंधी कानून जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 और स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 लागू किए हैं। इन विधानों के कार्यान्वयन की नियमित संमीक्षा की जाती है और यदि आवश्यक हो तो प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनमें आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 महिलाओं के हितों की सुरक्षा और उन्हें प्रोन्नत करने का आदेश देता है। आयोग ने महिलाओं के स्तर को सुधारने के लिए बहुत से उपाय किए हैं और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्य करता है जैसे महिलाओं के साथ किए गए अत्याचारों के विभिन्न मामलों की जांच पड़ताल करना, परिरक्षक संस्थानों जैसे जेलों का दौरा कराना, महिलाओं के कानूनी अधिकारों की जागृति के लिए अभियान चलाना इत्यादि। सरकार निधियों के प्रावधान तथा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों इत्यादि की समय पर नियुक्ति करके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है।

महाराष्ट्र हेतु जापान से ऋण

3038. श्री राजू शेट्टी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने जापान की सहायता से मेट्रो लाइन 3 (कोलाबा-बांद्रा-एस.ई.ई.पी.जेड. मेट्रो) के कार्यान्वयन हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) मुंबई मेट्रो लाइन 3 (कोलाबा-बांद्रा-एस.ई.ई.पी.जेड.) के लिए जापानी आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डी.ए.) प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र सरकार का 24,430 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत का प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त हुआ था। वित्त वर्ष 2012 जे.आई.सी.ए. ओ.डी.ए. ऋण पैकेज के अंतर्गत 5000 करोड़ रूपए के जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जे.आई.सी.ए.) के ऋण हेतु ऋण प्रस्ताव की पहली ट्रांश जापान सरकार को प्रस्तुत की गई है। वित्त मंत्रालय ने जापान सरकार को सूचित किया है कि यह भारत सरकार के लिए प्राथमिकता-प्राप्त परियोजना है।

पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान

3039. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (पी.एम.ई.वाई.एस.ए.) के अंतर्गत क्या उपलब्धि हासिल की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु पी.एम.ई.वाई.एस.ए. को संशोधित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क) पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (पी.एम.ई.वाई.एस.ए.) के अंतर्गत अनुमत गतिविधियों के अनुसार 12 राज्यों में ई.डब्ल्यू.आर./ई.वाई.आर. ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य सहायता केन्द्रों की स्थापना की गई है, योजना के तहत 24 राज्य स्तरीय सम्मेलनों तथा 131 डिवीजन स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया है, 10 राज्यों में राज्य स्तरीय संगठनों का निर्माण किया गया है।

(ख) और (ग) पी.एम.ई.वाई.एस.ए. योजना को वर्ष 2013-14 से राजीव गांधी पंचयत सशक्तिकरण अभियान (आर.जी.पी.एस.ए.) नामक नई योजना में विलय कर लिया गया है,

जिसमें पी.एम.ई.वाई.एस.ए. के लक्ष्यों को पूरा करने संबंधी गतिविधियां शामिल हैं।

[हिन्दी]

नक्सल/माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम, 1996

3040. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 को देश के नक्सल/माओवादी प्रभावित राज्यों में प्रभावपूर्ण रूप से कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यह मानती है कि इन राज्यों में 'पेसा' के प्रभावी कार्यान्वयन से उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में सही कदम है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क) और (ख) पेसा अधिनियम, 1996 को कतिपय आशोधनों एवं अपवादों के साथ संविधान के भाग ix को 9 राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं राजस्थान के अनुसूची v के क्षेत्रों तक विस्तार देने के लिए अधिनियमित किया गया था जिससे कि ग्राम सभा को केन्द्रीय भूमिका प्रदत्त किए जाने के साथ-साथ जनकेन्द्रित शासन प्रदान किया जा सके एवं परंपरागत नियम, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं एवं सामुदायिक संसाधनों के परंपरागत पबंधन प्रथाओं को सुरक्षित एवं संरक्षित करने में, लोगों को समर्थ बनाया जा सके। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु नियमों को प्रतिपादित करने के लिए सभी नौ पेसा राज्यों को पेसा के लिए प्रारूप मॉडल नियम तैयार कर परिचालित किया गया। इसके अतिरिक्त पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, सभी नौ अनुसूची v के राज्यों को सरकार द्वारा दिशा-निर्देश एवं परामर्शिकाएं जारी की गई हैं। संबंधित राज्य सरकारों को कार्रवाई तेज करने के लिए अनुस्मारक भेजा गया है।

(ग) और (घ) जी, हां।

[अनुवाद]

किसान क्रेडिट कार्ड

3041. श्री पी. करूणाकरन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में सभी पात्र किसानें को किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा के.सी.सी. योजना के अंतर्गत किसानों को स्वीकृत किए गए ऋण का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने के.सी.सी. धारकों की संख्या बढ़ाने हेतु बैंकों को निदेश दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंकों द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या देश में योग्य लाभार्थी के.सी.सी. योजना का लाभ वांछित सीमा तक नहीं उठा पा रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) किसानों को समय से ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजना आरंभ की गई है। वर्ष 1998 में इसके आरंभ से, 11.55 करोड़ से अधिक के.सी.सी. जारी किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा जारी किए गए के. सी.सी. की संख्या और मंजूर की गई उधार सीमा का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II, III में दिया गया है।

(ङ) से (ज) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) और नाबार्ड ने संशोधित के.सी.सी. योजना को कार्यान्वित करने के लिए बैंकों/सहकारी ऋण संस्थाओं को सलाह देते हुए के.सी.सी. के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने नई योजना के अनुसार बैंकों को के.सी.सी. जारी करने की सलाह भी दी है ताकि प्रत्येक पात्र परिवार तक के.सी.सी. की कवरेज का विस्तार किया जा सके।

वर्ष 2009-10 में जारी के.सी.सी. की संख्या 9,006,123 से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 11,757,659 हो गई है।

वर्ष 2009-10 में कृषि को ऋण का प्रवाह 3,84,514 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 5,11,029 करोड़ (अनंतिम) हो गया है।

विवरण-I

के.सी.सी. का विवरण - वर्ष 2009-10 के दौरान 31 मार्च, 2010 तक प्रगति

(राशि लाख रूपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहकारी बैंक			क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			वाणिज्यिक बैंक		कुल	
		सं.*	जारी किए गए कार्ड	मंजूर की गई राशि	सं.*	जारी किए गए कार्ड	मंजूर की गई राशि	जारी किए गए कार्ड	मंजूर की गई राशि	जारी किए गए कार्ड	मंजूर की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश**	22			5	214978	66568	934757	470271	1149735	536839
2.	असम	1	1622	327	2	31181	10149	72272	20980	105075	31456
3.	अरूणाचल प्रदेश#	1	0	0	1	31181	111	3504	1240	4316	1351
4.	बिहार	22	37071	6278	4	270674	113097	369028	195591	676773	314966
5.	गुजरात	18	24011	7963	3	6474	5331	166215	182991	196700	196285
6.	गोवा	1	301	121				1260	851	1561	972
7.	हरियाणा	19	14492	10103	2	36171	45573	93384	156000	144047	211676
8.	हिमाचल प्रदेश	3	126201	19480	2	14234	9385	37160	31742	177595	60607
9.	जम्मू और कश्मीर	4	1548	594	3	9861	5069	3752	2447	15161	8110
10.	कर्णाटक	21	190120	32406	6	158040	75845	276136	236111	624296	344364
11.	केरल	14	187099	61 584	2	48348	21156	106625	57310	342072	140050
12.	मध्य प्रदेश	38	270927	91001	8	100948	62535	254332	279554	626207	433090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	महाराष्ट्र	30	178585	135390	4	53824	8030	545473	273739	777882	417159
14.	मेघालय#	1	961	163	1	1145	307	9158	2457	11264	2927
15.	मिज़ोरम#	1	8	5	1	196	1184	3126	1073	3330	2262
16.	मणिपुर#	1	37	16	1	123	17	3583	1460	3743	1433
17.	नागालैंड#	1	795	79	1	458	89	5178	1033	6431	1201
18.	ओडिशा	17	323482	73573	5	107779	22331	187308	66764	618569	162568
19.	पंजाब	19	12772	17008	3	20624	42551	134507	340356	167903	400415
20.	राजस्थान	29	109124	52804	6	59023	113944	294948	399739	463095	566487
21.	सिक्किम#$	1	519	136				1446	899	1965	1035
22.	तमिलनाडु##	22	0	25174	2	29809	8627	482866	272334	512675	306135
23.	त्रिपुरा#	1	336	65	1	11394	3145	12761	3935	24491	7145
24.	उत्तर प्रदेश	51	206301	166771	12572687	315254	911168	771805	1690156	1253830	
25.	पश्चिम बंगाल	20	72100	28731	3	64411	45658	200275	77028	336786	151417
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह#$	1	397	168				542	133	939	301
27.	चंडीगढ़#$						261	464	261	464	
28.	दमण और दीव@#$						0	0	0	0	
29.	दिल्ली#$	1	30	24				1711	12196	1741	12220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	दादरा और नगर हवेली@$						32	10	32	10	
31.	लक्षद्वीप@#						49	23	49	23	
32.	पुदुचेरी#	1	42	10	1	133	38	11442	5825	11617	5873
33.	झारखंड**	8			2	86916	15589	89122	47045	176038	62634
34.	छत्तीसगढ़	7	133671	21778	3	45059	16589	54862	40193	233592	78560
35.	उत्तराखंड	10	16028	8879	2	4483	4976	44842	39927	65353	53782
	कुल	386	1743253	760633	86	1949785	1013148	5313085	3994026	9006123	5767807

टिप्पणी: # एस.सी.बी. का सी.एफ.ए. के रूप में कार्यकलाप।

@ इन संघ-राज्य क्षेत्रों में सहकारी बैंकों की संख्या।

$ इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई आर.आर.बी. नहीं

* इन योजना को क्रियान्वित कर रहे बैंकों की संख्या।

** मिलान के अधीन आंकड़े।

वर्ष के दौरान तमिलनाडु में सहकारी द्वारा जारी कार्डों की संख्या 72105 है और मंजूर की गई राशि 25174 लाख है।

तथापि, त्रिरूचिरापल्ली द्वारा जारी किए गए कार्डों की संचयी संख्या में 237432 की कमी को दर्शाने के लिए इसे अमान्य किया जाता है।

विवरण-II

के.सी.सी. का विवरण - वर्ष 2010-11 के दौरान 31 मार्च, 2011 तक प्रगति

(राशि लाख रूपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहकारी बैंक			क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			वाणिज्यिक बैंक		कुल	
		सं.*	जारी किए गए कार्ड	मंजूर की गई राशि	सं.*	जारी किए गए कार्ड	मंजूर की गई राशि	सं.*	जारी किए गए कार्ड	मंजूर की गई राशि	सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश**	22	548656	37809	5	285827	75099	1062819	755570	1897504	868478
2.	असम	1	337	46	य	38058	16841	78720	28239	117115	45126
3.	अरूणाचल प्रदेश#	1			1			2194	991	2194	991
4.	बिहार	22			4	262092	142743	305201	186479	567293	329222
5.	गुजरात	18	61444	38927	3	11354	10026	170551	183988	243349	232941
6.	गोवा	1	774	138				1053	1023	1827	1161
7.	हरियाणा	19	14101	9136	2	35954	49024	93068	187461	148123	245621
8.	हिमाचल प्रदेश	3	11391	16178	2	15492	13953	23702	31940	56585	62071
9.	जम्मू और कश्मीर	4	319	117	3	10326	5820	5705	6009	16350	10946
10.	कर्नाटक	21	123955	54003	6	155760	99712	370535	407770	650250	561485
11.	केरल	14	101115	56717	2	20679	29996	178736	178031	300530	264744
12.	मध्य प्रदेश	38	311383	271438	8	75317	71785	239222	230731	626522	573954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	महाराष्ट्र	30	117958	105338	4	8116	6219	600101	324650	726175	436207
14.	मेघालय#	1			1			4248	2152	4248	2152
15.	मिज़ोरम#	1			1	43	244	3654	1292	3697	1536
16.	मणिपुर#	1			1			2401	1056	2401	1056
17.	नागालैंड#	1	547	55	1	46	11	2608	788	3201	854
18.	ओडिशा	17	317610	52383	5	76797	20858	176640	76466	571047	149707
19.	पंजाब	19	31591	31322	3	22697	75892	159164	465450	213452	572664
20.	राजस्थान	29	449579	191996	6	82217	198629	311246	426983	843042	817608
21.	सिक्किम#$	1	294	38				1022	1065	1316	1103
22.	तमिलनाडु##	22	187606	73367	2	26549	6393	613566	577584	827721	657349
23.	त्रिपुरा#	1	5458	756	1	13023	2503	13243	4713	31724	7972
24.	उत्तर प्रदेश	51	231084	42357	12	368513	217879	748296	709154	1347893	969390
25.	पश्चिम बंगाल	20	96823	33626	3	155973	67501	195847	92905	448643	194032
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह#$	1	33	11				450	241	483	252
27.	चंडीगढ़#$							4101	2232	4101	2232
28.	दमण और दीव@#$							16	183	16	163
29.	दिल्ली#$	1	69	74				1772	2716	1841	2790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	दादरा और नगर हवेली@$							76	527	76	527
31.	लक्षद्वीप@#							67	35	67	35
32.	पुदुचेरी#	1	366	97	1			9284	8629	9650	8726
33.	झारखंड**	8			2	61065	10594	103532	51458	154597	62052
34.	छत्तीसगढ़	7	177533	48594	3	53166	20535	41608	34172	272307	103301
35.	उत्तराखंड	10	21022	7373	2	5188	4969	47027	62117	73237	74059
	कुल	386	2ठ118ठ०	1071896	86	1774252	1146831	ऽ82475	5043780	10168577	7262507

टिप्पणी: # एस.सी.बी. का सी.एफ.ए. के रूप में कार्यकलाप।

@ इन संघ-राज्य क्षेत्रों में सहकारी बैंकों की संख्या।

$ इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई आर.आर.बी. नहीं

* इन योजना को क्रियान्वित कर रहे बैंकों की संख्या।

** मिलान के अधीन आंकड़े।

विवरण-III

के.सी.सी. का विवरण - वर्ष 2011-12 के दौरान 31 मार्च, 2012 तक प्रगति

(राशि लाख रूपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहकारी बैंक			क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			वाणिज्यिक बैंक		कुल	
		सं.*	जारी किए गए कार्ड	मंजूर की गई राशि	सं.*	जारी किए गए कार्ड	मंजूर की गई राशि	सं.*	जारी किए गए कार्ड	मंजूर की गई राशि	सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश**	22	27319	17351	5	142892	51923	1244342	820030	1414553	889304
2.	असम	1	6722	1016	2	84425	23001	159997	54019	251144	78036
3.	अरूणाचल प्रदेश#	1			1	35	29	6955	2377	6990	2406
4.	बिहार	22	34561	7590	4	204488	129353	345016	234016	584065	370959
5.	गुजरात	18	125821	32722	3	36881	20135	199775	289684	362477	342541
6.	गोवा	1	510	228				1336	1558	1846	1786
7.	हरियाणा	19	26241	17673	2	47202	62147	118380	256999	191823	336819
8.	हिमाचल प्रदेश	3	12915	19402	2	16166	17071	3323	36297	62604	72770
9.	जम्मू और कश्मीर	4	815	445	2	7540	48[illegible]1	5285	4413	13640	9659
10.	कर्नाटक	21	109289	42262	6	93136	60032	427254	496045	629679	598339
11.	केरल	14	128729	69662	2	50956	41220	161582	242841	341267	353723
12.	मध्य प्रदेश	38	473065	335708	8	79072	80547	289379	367492	841516	843747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	महाराष्ट्र	31	206333	69135	3	46315	21171	694285	638340	946933	728646
14.	मेघालय#	1	2510	277	1	2234	425	19674	7102	24418	7804
15.	मिज़ोरम#	1	139	149	1	515	215	5182	2894	5836	3258
16.	मणिपुर#	1			1	9	1	2581	1005	2590	1006
17.	नागालैंड#	1			1			10557	3859	10557	3859
18.	ओडिशा	17	673708	79941	5	83646	15314	250335	83645	1007689	178900
19.	पंजाब	20	24217	22704	3	25453	54036	164666	595392	214336	672132
20.	राजस्थान	29	124534	38077	6	91661	122660	415623	615980	831713	776717
21.	सिक्किम#$	1	34	10				1759	1263	1793	1273
22.	तमिलनाडु##	23	153508	43154	2	65482	23979	661364	861927	880954	929060
23.	त्रिपुरा#	1	20682	1703	1	43363	405	28134	6812	92179	13320
24.	उत्तर प्रदेश	50	476457	94337	10	520748	322393	946229	987535	1943434	1404265
25.	पश्चिम बंगाल	17	76835	20685	3	203281	60917	331090	140263	611206	221865
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह#$	1	583	346				724	260	1307	606
27.	चंडीगढ़#$							1983	5865	1983	5865
28.	दमण और दीव@#$							9	264	9	264
29.	दिल्ली#$	1	87	81				5175	13304	5262	13385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	दादरा और नगर हवेली@$							110	94	110	94
31.	लक्षद्वीप@#							637	266	637	266
32.	पुदुचेरी#	1	204	77	1			12632	10871	12836	10948
33.	झारखंड**	8	9693	961	2	68960	10784	143037	50587	221690	62332
34.	छत्तीसगढ़	6	196033	77214	3	73500	20006	33701	28489	302234	125709
35.	उत्तराखंड	10	48499	11342	2	7705	4655	80140	89980	136344	105977
	कुल	384	2959043	1064252	82	1995565	1151620	6803051	6951767	11757659	9167639

टिप्पणी: # एस.सी.बी. का सी.एफ.ए. के रूप में कार्यकलाप।

@ इन संघ-राज्य क्षेत्रों में सहकारी बैंकों की संख्या।

$ इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई आर.आर.बी. नहीं

* इन योजना को क्रियान्वित कर रहे बैंकों की संख्या।

** मिलान के अधीन आंकड़े।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन I और II

3042. श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जे.एन.एन.एस.एम.) के चरण I और II में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गईं;

(ख) इस मिशन के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं का नेशनल पावर ग्रिड में अब तक क्या योगदान है;

(ग) क्या गैर सौर माध्यम में उत्पादित विद्युत को सौर सेलों द्वारा उत्पादन किए जा रहे विद्युत के रूप में दर्शाने जैसे उदाहरणों की सूचना सरकार को मिली है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे अनुचित कार्यव्यवहार को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जे.एन.एन.एस.एम.) के प्रथम चरण के बैच-I एवं II में मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस मिशन के अंतर्गत लगाई गई परियोजनाओं से नेशनल पावर ग्रिड में अब तक लगभग 420 एम.यू. कुल विद्युत का उत्पादन किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क. जे.एन.एस.एस.एम. के बैच-I, चरण-I के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मंजूर की गई परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	परियोजना की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	15
2.	छत्तीसगढ़	2
3.	गुजरात	1
4.	हरियाणा	9
5.	झारखंड	8
6.	कर्नाटक	2
7.	मध्य प्रदेश	3
8.	महाराष्ट्र	7
9.	ओडिशा	9
10.	पंजाब	9
11.	राजस्थान	49
12.	तमिलनाडु	8
13.	उत्तर प्रदेश	6
14.	उत्तराखंड	3
	कुल	131

ख. जे.एन.एस.एस.एम. के बैच-II, चरण-I के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मंजूर की गई परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	परियोजना की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	महाराष्ट्र	2
3.	राजस्थान	24
4.	तमिलनाडु	1
	कुल	28

निकेल उत्प्रेरक-पी.बी.आर. संयंत्र

3043. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) ने देश में प्रस्तावित निकेल उत्प्रेरक आधारित हाई-सिस पोलीबुटाडाईन रबर (निकेल-पी.बी.आर.) ग्रेड संयंत्र हेतु एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गेल ने उक्त संयंत्र हेतु प्रौद्योगिकी की पसंद सहित विभिन्न सिफारिशों को अपनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त संयंत्र हेतु नियोडाइमियम पोलीबुटाईन रबर (एन.डी.-पी.बी.आर.) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है जो पोलीबुटाडाईन रबर (निकेल-पी.बी.आर.) से बेहतर है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। गेल (इंडिया) लिमिटेड ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) को नीचे दिए गए चरण-वार तरीके को अपनाते हुए दाहेज, गुजरात में निकेल उत्प्रेरक कैटालिस्ट आधारित पोलीबुटाडाईन रबर (एन.आई.-पी.बी.आर.) संयंत्र स्थापित करने के लिए एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डी.एफ.आर.) तैयार करने के लिए नियुक्त किया है:

(i) चरण-I — रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) को प्रारंभ करना और मूल्यांकन करना।

(ii) चरण-II — निविदा को जारी करना और प्रौद्योगिकी लाइसेंसर का मूल्यांकन/चयन करना।

(iii) चरण-III — डी.एफ.आर. तैयार करना।

(ग) वर्तमान उपभोग तरीकों, वायदा बाजार रुझानों, अनुमानित मांग वृद्धि, भारत में नई क्षमताओं को स्थापित करने, वर्तमान और भविष्य में आयातों उत्पाद का मूल्य निर्धारण, निवेश पर लाभ आदि के विश्लेषण पर आधारित बाजार अध्ययन करने के लिए एक प्रतिष्ठित परामर्शदाता को नियुक्त किया गया था। परामर्शदाता ने भारतीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एन.आई.-पी.बी.आर. संयंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रस्ताव

3044. श्री हरिश्चंद चव्हाण : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विशेषकर पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में सौर और पवन ऊर्जा के व्यापक उत्पादन हेतु कोई प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव से महाराष्ट्र में पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में अनुमानित कितना विद्युत उत्पादन होगा?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आवासीय क्षेत्र में सौर विद्युत प्रतिष्ठान

3045. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आवासीय क्षेत्रों में सौर विद्युत प्रणाली की प्रतिष्ठापना के संबंध में इसकी प्रतिष्ठापना की उच्च लागत की वजह से उत्साहहीन प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी नहीं। मंत्रालय ने वर्ष 2012-13 के दौरान देश में व्यक्तिगत घरों पर संस्थापित किए जाने वाली 13.25 मेवा. पी. की कुल क्षमता के 15780 ऑफ-ग्रिड सौर प्रकाशवोल्टीय (एस.पी.वी.) संयंत्रों को मंजूरी दी है।

(ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जे.एन.एन.एस.एम.) की ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रिकृत सौर अनुप्रयोग स्कीम के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में व्यक्तिगत घरों की छतों पर 1 किलोवाट पी. तक की मॉड्यूल क्षमता वाले स्टैंडअलोन विद्युत संयंत्रों की संस्थापना के लिए 72/- रू. प्रति डब्ल्यू. पी. तक सीमित, परियोजना लागत की 30% सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है।

[हिन्दी]

शिशु सदन

3046. श्रीमती मीना सिंह : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में नवजात शिशुओं हेतु शिशु सदन स्थापित करने की योजना शुरू की गई है/शुरू किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान देश में राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने शिशु सदन स्थापित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक शिशु सदन स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कितनी निधियां स्वीकृत की गई, जारी की गई और उपयोग की गई?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय में शिशु सदनों की स्थापना नामक स्कीम की शुरूआत नहीं की गई है। हालांकि, किशोर न्याय (बाल देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जे.जे. अधिनियम) अनाथ, परित्यक्त या दत्तक ग्रहण के लिए सौंपे गए बच्चों के स्थानापन के लिए प्रत्येक जिले में विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों के रूप में राज्य सरकार द्वारा एक या उससे अधिक उपयुक्त संस्थानों या स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार देता हैं। जे.जे. अधिनियम के इस उपबंध में कार्यान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आई.सी.पी.एस.) के नाम से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चला रहा है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों की स्थापना तथा उसके रखरखाव के साथ ही साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों के गठन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों पर संबंधित आवश्यकता आधारित मूल्यों का तथा संबंधित प्रस्ताव भी प्रक्षेपित आवश्यकताओं के आधार पर विचार करने तथा अनुमोदन देने के लिए समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत गठित अंतर मंत्रालयी परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा नए विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों के गठन का निर्णय किया जाता है। विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों के गठन और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संस्वीकृत तथा निर्मुक्ति राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को संस्वीकृत तथा निर्मुक्त निधियों का साधारणतः उपयोग उनके द्वारा किया जाता है। तथापि, अव्ययित राशि, यदि कोई हो तो, अगले वर्ष में देय अनुदान से समायोजित कर दी जाती है।

विवरण

विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों के गटन और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संस्वीकृत तथा निर्मुक्ति राशि

क्र. सं.	राज्यों के नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (दिनांक 12.03.2013 तक)	
		निर्मुक्त राशि (लाख रुपये)	दत्तक ग्रहण एजेंसियों की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपये)	दत्तक ग्रहण एजेंसियों की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपये)	दत्तक ग्रहण एजेंसियों की संख्या	निर्मुक्त राशि (लाख रुपये)	दत्तक ग्रहण एजेंसियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	65.35	23	119.48	23	142.88	23	126.79	23
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	14.35	1
3.	असम	4:54	1	15.15	5	-	5	24.30	4
4.	बिहार	-	-	10.80	3	13.59	2	13.23	2
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	1.82	1
6.	गुजरात	37.06	8	17.13	9	44.23	9	60ए96	14
7.	हरियाणा	5.13	1	6.43	1	2.29	1	1.92	2
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	4.12	1	-	1
9.	झारखण्ड	-	.	-	-	11.90	3	-	5
10.	कर्णाटक	21.79	4	26.29	9	133.25	23	123.04	22
11.	केरल	16.42	2	24.30	3	62.30	14	-	14
12.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	52.92	14	126.44	24
13.	महाराष्ट्र	-	-	172.17	17	112.45	17	54.50	17
14.	मणिपुर	32.21	6	39.70	6	8.10	1	-	6
15.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	3.33	1
16.	मिज़ोरम	-	-	21.56	4	26.47	4	26.46	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	नागालैंड	–	–	–	–	19.26	4	12.26	2
18.	ओडिशा	44.14	12	61.22	19	63.02	18	79.38	12
19.	पंजाब	–	–	–	–	19.83	9	–	5
20.	राजस्थान	10.94	2	22.17	5	24.44	5	67.75	24
21.	सिक्किम	–	–	–	–	1.80	1	–	1
22.	तमिलनाडु	–	–	41.85	16	106.14	18	91.93	15
23.	त्रिपुरा	–	–	6.80	3	36.52	9	54.62	9
24.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	62.49	5	25.62	5
25.	पश्चिम बंगाल	5.47	1	59.98	20	80.43	14	46.04	14
26.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	9.98	2
27.	पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–	–	2
	कुल	243.05	60	645.03	143	1028.43	196	964.72	232

[अनुवाद]

राज्य रैंकिंग प्रणाली

3047. श्री धनंजय सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और आवंटित निधियों के उपयोग आधार राज्यों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु कोई रैंकिंग/ग्रेडिंग प्रणाली विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) क्या अभीष्ट परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, इसका निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्कीमों के दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीमों का समय-समय पर मूल्यांकन किया गया जाता है।

सी.जी.एच.एस. पैनलबद्ध अस्पताल

3048. श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री रमेश राठौड़ :
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कतिपय निजी अस्पतालों को सी.जी.एच.एस. पैनलबद्ध अस्पतालों की सूची से निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन मरीजों के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं जो पहले से ही ऐसे अस्पतालों में इलाज करा रहे थे और जिन्हें इन अस्पतालों को सी.जी.एच.एस. पैनलबद्ध अस्पतालों की सूची से हटा दिए जाने के पश्चात अस्पताल के प्रत्येक विजिट पर और प्रत्येक डायग्नोस्टिक परीक्षण/मेडिकल उपचार पर भारी प्रभार का भुगतान करना होगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कुछ निजी अस्पताल अब काफी दिनों से केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सूचीबद्ध निजी अस्पतालों की सूची में शामिल नहीं है। ब्यौरा निम्नवत् है:-

1. निम्नलिखित अस्पतालों ने, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के साथ अपनी सूचीबद्धता दो वर्ष पूरी होने के पश्चात इसका नवीकरण नहीं कराने का निर्णय लिया है। तदनुसार, उन्हें 13.02.2013 से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सूची से निकाल दिया गया है:

   (i) एस्कोर्ट्स हृदय रोग संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली

   (ii) मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल, नई दिल्ली

2. निम्नलिखित दो अस्पतालों की सूची से निकाल दिया गया है:

   (i) मैक्स देवकी देवी हृदय एवं रक्तवाहिका संस्थान, नई दिल्ली (13.02.2013 से) क्योंकि अस्पताल में पात्र केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को उधार इलाज सुविधा देना बंद कर दिया था।

   (ii) बापू प्राकृतिक निदान अस्पताल एवं योगाश्रम, नई दिल्ली को सेवाओं में कमी के कारण (12.09.2012 से)

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के साथ सूचीबद्ध होने की नियम एवं शर्तों का अनुपालन न करने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में निम्नलिखित अस्पतालों को 18.12.2012 से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सूची से हटा दिया गया है।

(i) गर्ग मल्टीस्पेश्यलिटी डेंटल रिसर्च सेन्टर, गाजियाबाद

(ii) जैन अस्पताल, जागृति एन्क्लेव, नई दिल्ली

(iii) कालरा अस्पताल, नई दिल्ली

(iv) ओर्थोनोवा अस्पताल, नई दिल्ली

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वे लाभार्थी, जो अस्पताल को सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची से हटा दिए जाने के समय पूर्व अनुमति सहित अस्पताल दाखिल थे और इलाज करा रहे थे उन्हें उन अस्पतालों में अपना उपचार पूरा कराने की अनुमति दी गई है।

सामान्य परिस्थितियों में किसी गैर सूचीबद्ध निजी अस्पताल से नियमित उपचार की अनुमति का कोई प्रावधान नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत पात्र अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए दिनांक 14.02.2013 को सरकार ने सतत सूचीबद्धता योजना को फिर से लागू कर दिया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अस्पष्टता को दूर करना

3049. श्री आधि शंकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो पदों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) और विदेशी संस्थागत निवेश (एफ.आई.आई.) के बीच अस्पष्टता को दूर करने की संभावना की जांच करने हेतु एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त समिति कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मामले की छानबीन करने के लिए 13.03.2013 को एक समिति का गठन किया गया है जिसमें आर्थिक कार्य विभाग औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, राजस्व विभाग, प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

अवैध धन का अंत:प्रवाह

3050. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अवैध धन के अंत: प्रवाह को रोकने के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सृजित मामलों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक मामले में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या कुछ देशों ने गोवा जैसे कुछ राज्यों में संपत्तियों की खरीद की है या उन्हें खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो इन देशों के नाम और उनके द्वारा खरीदी गई संपत्ति का ब्यौरा क्या है और इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में विद्यमान कानूनों/अधिनियमों का आकलन किया है/करने का विचार किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा और परिणाम क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 'अपने ग्राहक को जानो' (के.वाई.सी.) के मानदंडों/धन शोधन विरोधी (ए.एम.एल.) मानकों/आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने/धन शोधन निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.), 2002 के तहत बैंकों की प्रतिबद्धताओं पर व्यापक अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी किया हैं।

पी.एम.एल.ए. 2002 के अंतर्गत भी, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और प्रतिभूति बाजार के मध्यस्थों, भुगतान प्रणाली प्रचालकों और प्राधिकृत व्यक्तियों जिनमें धन अंतरण सेवा प्रदाता, प्राधिकृत धन परिवर्तक इत्यादि भी शामिल हैं, सहित रिपोर्टिंग निकाय भारत-वित्त आसूचना एकक को संदिग्ध लेन-देन संबंधी रिपोर्टें (एस.टी.आर.) दर्ज कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एस.टी.आर. का विश्लेषण करने के बाद, संबंधित मामलों में, सूचना को और अधिक जांच-पड़ताल के लिए उपयुक्त विधि प्रवर्तन एजेंसियों के पास प्रसारित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त सरकार विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 2010 और इसके तहत बनी नियमावली के अनुसार देश में गैर-सरकारी संगठनों सहित किसी भी 'व्यक्ति' द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी अंशदान की प्राप्ति और इसके उपयोग पर निगरानी रखती है।

विदेशों से प्राधिकृत मार्गों से भिन्न माध्यमों से प्राप्त निधियों के मामलों में, प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई करता है।

(ख) वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (28.02.2013 तक) के दौरान की गई जांचों के आधार पर, फेमा के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों ने लगभग 2530 करोड़ रू. तक की निधियों के अप्राधिकृत रूप से अंतरण के संबंध में फेमा के संबंधित उपबंधों के कथित उल्लंघनों के लिए 945 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्राप्त शिकायतों पर की गई पूछताछ के आधार पर, 24 मामले सी.बी.आई. के पास भेजे गए हैं, 10 मामले राज्य पुलिस को दिए गए है, 35 गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को 'पूर्व अनुमति' श्रेणी में रखा गया है, 32 एन.जी.ओ. के खातों को बंद कर दिया गया है, 72 एन.जी.ओ. को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया

गया है और गृह मंत्रालय द्वारा 4138 एन.जी.ओ. का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 02.07.2012 के प्रमुख परिपत्र के अनुसार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण) विनियम 2000 के विनियम 5 ए के अंतर्गत विदेशी दूतावास/राजनयिक/महा-वाणिज्य दूत को विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विदेश से प्रेषित निधियों में से प्रतिफल राशि के भुगतान के अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अध्यधीन, भारत में अचल संपत्ति (कृषि भूमि/पौधारोपण संपत्ति/फार्म हाऊस से इतर) खरीदने/बेचने की अनुमति है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग सुविधाएं

3051. डॉ. थोकचोम मैन्या :
श्री दिलीप सिंह जूदेव :
श्री एम. कृष्णास्वामी :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा सहित विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए किसी योजना को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को कितनी राशि प्रदान की गई है और इसके लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) विशेष रूप से सिविल परीक्षा के संबंध में इस योजना की उपलब्धियां/सफलता दर क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह) : (क) जी, हां।

(ख) यह मंत्रालय देश में "अनुसूचित जनजातियों हेतु कोचिंग" संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/पंजीकृत निजी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों को अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कोचिंग देने हेतु सहायता दी जाती है। अनुसूचित जनजाति के वे विद्यार्थी जिनकी वार्षिक आय (स्वयं की आय और/अथवा माता-पिता की आय, यदि उन पर आश्रित हो) 2.50 लाख रू. प्रतिवर्ष की कम है, इस योजना के तहत कवर होते हैं। इस स्कीम में निम्नलिखित पाठ्यक्रम समाविष्ट हैं:-

(1) सिविल सेवा परीक्षा/राज्य सिविल सेवा परीक्षा।

(2) मेडिकल, इंजीनियरिंग, एम.बी.ए. और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाएं।

(3) यू.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाएं जैसे सी.डी.एस., एन.डी.ए. आदि/कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाएं/अधीनस्थ/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आदि।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित पी.ई.सी. की राज्यवार संलग्न विवरण-I में दी गई है। समाविष्टि लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) इस योजना का उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में बैठने से पहले अच्छे कोचिंग संस्थानों में कोचिंग सुविधा प्राप्त कर सकें। यह मंत्रालय सिविल सेवा परीक्षा सहित परीक्षा-विशिष्ट सफलता दर संबंधी आंकड़े नहीं रखता है।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग संबंधी योजना के तहत निर्मुक्त अनुदान

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/ निजी संस्थानों के नाम		2009-10 निर्मुक्त राशि	2010-11 निर्मुक्त राशि	2011-12 निर्मुक्त राशि	2012-13 (13.03.2013 तक) निर्मुक्त राशि
1	2		3	4	5	6
1.	छत्तीसगढ़	कैरियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी, 302-ए-37-38-39, अंसाल बिल्डिंग, तृतीय तल, निकट बतरा सिनेमा, डा. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 (छत्तीसगढ़ के लिए)	41.41	0.00	0.00	
2.	दिल्ली	कैरियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी, 302-ए-37-38-39, अंसाल बिल्डिंग, तृतीय तल, निकट बतरा सिनेमा, डा. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 (दिल्ली के लिए)	38.41	0.00	0.00	
		दिल्ली एजुकेशन सेंटर, 28ए/11, जय सराय, निकट आई.आई.टी., हॉज खास, दिल्ली-10016 (दिल्ली के लिए)	14.62	2.81	25.50	
3.	गुजरात	माउंट एजुकेयर प्रा.लि. 101/102 सत्यम माल, निकट कामेश्वर हाई स्कूल, स्टारल्लिटे अहमदाबाद-380015	0.00	0.00	35.97	
4.	झारखण्ड	झारखण्ड विकास संस्थान, एल-104, अग्रोरा हॉउसिंग कॉलोनी, रांची, झारखण्ड	10.50	12.8	12.62	
		निखिलेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड मैनेजमेंट (एन.आई.बी.एम.), 210, हरिओम टॉवर, सिर्कुलर रोड, रांची, झारखण्ड	4.20	0.00	5.13	

1		2	3	4	5	6
		हंस स्टडी सेंटर, 76, सिर्कुलर रोड, रांची, झारखण्ड	10.59	13.4	0.00	
5.	केरल	शेषन्स अकादमी पट्टम, तिरुवनंतपुरम, केरल	0.00	0.00	10.32	13.95
6.	महाराष्ट्र	एम.टी. एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, 2201, द्वितीय तल, फ्लाईंग कलर्स, पं. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, ओपोजिट एल.बी.एस. क्रोस रोड, मुलुंड (वेस्ट) मुम्बई, महाराष्ट्र	0.00	0.00	9.80	
7.	मणिपुर	वल्टियर फॉर रुरल हैल्थ एण्ड ऐक्सन (वोहरा), एच.ओ. लामडोंग, जिला-थाउबाल, मणिपुर	6.20	14.9	0.00	
		कम्मुनिटी डिवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर, एम.आई. रोड, थाउबाल अचुउबा, जिला-थाउबाल, मणिपुर	0.00	6.1	15.20	12.20
8.	मध्य प्रदेश	क्रेस्टार एजुकेजशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, द्वितीय तल, यमुनोत्तरी अपार्टमेंट 96, नेहरू कॉलोनी, शातिपुर, ग्वालियर, पिन- 474011, म.प्र.	30.44	42.77	35.14	
		कोठारी इंस्टीट्यूट, 7, शिवविलास पालस, रजवाडा चौक, इंदोर, म.प्र.	36.82	0.00	0.00	
		कुंदन कल्याण समिति (कोटिल्य एकेडमी), बिरला नगर, ग्वालियर, म.प्र.	11.00	13.00	0.00	
		सोशली एडवांसेड हेल्प ऐज रेसोलवर एसोशिएशन, नपियर टॉन, जबलपुर, म.प्र.	8.60	0.00	0.00	
		जवाहर लाल नेहरू चरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट, वी.बोरावान, दी. कसारवाड, जिला खारगांव, म.प्र.	0.00	9.5	0.00	
9.	ओडिशा	सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन फॉर स्ट्रैंग्थानिंग टूडेस इंडिया (स्वोस्ति), एट/पो. -झारपोखिरिया, जिला-मयूरेभांज, ओडिशा	9.32	12.7	0.00	

1	2	3	4	5	6
10. राजस्थान	एन.एस.ए. कृषि समिति, डी-23 जगन पथ, चोमू हाऊस, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-30200, राजस्थान	13.10	0.00	25.84	
	उत्कर्ष विकास समिति, 265 विश्व कर्मन नगर, महारानी फर्म, दुर्गापुर, जयपुर-302018, राजस्थान	1298	13.16	10.18	
	सन सिस्टम ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी, 53, तेल मंद, सदार थान रोड, अलवर, राजस्थान	9.08	0.00	0.00	
11. त्रिपुरा	स्कूल ऑफ साइंस, एट-कुंगावन, जिला-वेस्ट त्रिपुरा, त्रिपुरा	9.00	0.00	0.00	
12. तमिलनाडु	माउंट एजुकेयर प्रा.लि. पुराना न. 176, नया न. 212, रामकृष्णा मठ रोड, मनडावेल्ला, चैन्नई, तमिलनाडु	0.00	9.80	0.00	
13. पश्चिम बंगाल	नॉर्थ बंगाल सुखंता पाल्ली फॉउन्डेशन ऑफ ग्लोबल एनविरोमेंट, एट-पाउल भवन, शिवमंदिर, प्रो. कदमतला, जिला-दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल	9.00	2.3	13.31	
	कुल योग	300.00	152.74	249.93	26.15

विवरण-II

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग संबंधी योजना के तहत 2009-10 से 2012-13 के दौरान समाविष्ट लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2009-10 लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2010-11 लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2011-12 लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2012-13 (13.03.2013 तक) लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	छत्तीसगढ़	160	0	0	

1	2	3	4	5	6
2.	दिल्ली	160	40	40	
3.	गुजरात	0	0	80	
4.	झारखंड	120	80	80	
5.	केरल	0	0	40	80
6.	महाराष्ट्र	0	40	40	
7.	मध्य प्रदेश	310	160	160	
8.	मणिपुर	40	80	40	
9.	ओडिशा	40	40	0	
10.	त्रिपुरा	40	0	0	
11.	राजस्थान	226	40	200	
12.	पश्चिम बंगाल	40	40	40	
	कुल	1136	520	720	120

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति

3052. **डॉ. संजय सिंह :**
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री रतन सिंह :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जैव-ईंधन समन्वय समिति की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं;

(ग) क्या इस समिति की बैठक नियमानुसार आयोजित की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और इन सुझावों के निष्पादन के बाद से अब तक सरकार को कितनी सफलता मिली है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) जी हां।

(ख) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बायोईंधन समन्वय समिति (एन.बी.सी.सी.) का गठन बायोईंधन विकास के विभिन्न पहलुओं पर उच्च-स्तरीय सहयोग और नीतिगत दिशा-निर्देश/समीक्षा उपलब्ध कराने हेतु किया गया है।

(ग) और (घ) अब तक राष्ट्रीय बायोईंधन समन्वय समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है।

जीवाश्मों का अध्ययन

3053. श्री मकनसिंह सोलंकी : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ में पाए गए जीवाश्मों के संरक्षण और अध्ययन के लिए किसी केन्द्रीय दल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जीवाश्मों को सुरक्षित रखने के लिए कोई प्रावधान/व्यवस्था है और क्या जीवाश्मों के संरक्षण के लिए किसी संग्रहालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी नहीं, खान मंत्रालय ने पश्चिमी नीमड, मध्य प्रदेश में पाए गए जीवाश्मों के संरक्षण और अध्ययन के लिए कोई टीम नहीं बनाई है।

(ग) और (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने अपने मध्य क्षेत्र, नागपुर कार्यालय और भोपाल स्थित प्रचालन कार्यालय के माध्यम से मध्य प्रदेश के धार जनपद में मालवा ट्रेप्स पर मांडू-धार रोड पर स्थित अशमध जीवाश्म संग्रहालय की अवस्थापना करने के लिए समय-समय पर किए गए यथा अनुरोध पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार को अपना सहयोग दिया है। अशमध जीवाश्म संग्रहालय भारत में श्रेष्ठ क्षेत्र संग्रहालय में से एक उभरता हुआ संग्रहालय है जहां नीमड से प्राप्त वनस्पति जीवाश्म और बाघ संरचना से अन्य संबद्ध जीवाश्म तथा लामेटा संरचना से डायनासोर के अंड और अस्थियां भलीभांति संरक्षित है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) अपने नागपुर मध्य क्षेत्र, मुख्यालय के एक संग्रहालय का अनुरक्षण करता है जहां प्रदर्शनी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए संग्रहीत नमूने संरक्षित है।

[अनुवाद]

दवा-लाइसेंस जारी करना

3054. श्री अब्दुल रहमान :

श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राज्य लाइसेंस प्राधिकरणों (एस.एल.ए.) द्वारा भारत के औषधि महानियंत्रक के अनुमोदन के बिना कतिपय औधियों को लाइसेंस प्रदान करने की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सरकार ने क्या कार्रवाई की है/करने पर विचार किया है;

(ग) डी.जी.सी. (आई.) और राज्य लाइसेंस प्रधिकरणों के बीच औषधियों के अनुमोदन देने के संबंध में समन्वय करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का औषधियों के निर्माण तथा बिक्री हेतु लाइसेंसों का केन्द्रीयकृत जारीकरण करने के लिहाज से केन्द्रीय औषधि प्राधिकरण की स्थापना करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 में राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (एम.एल.ए.) को देश के दवाओं के विनिर्माण एवं बिक्री हेतु लाइसेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तथापि, नई दवाओं की श्रेणी में आने वाली दवाओं को राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंस प्रदान किए जाने के पहले औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावाली 1945 के नियम 21 (ख) के तहत परिभाषित लाइसेंसिंग प्राधिकरण अर्थात् महानियंत्रक (भारत) [डी.सी.जी.(I)] से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। नई दवा के रूप में विचारित नए नियत खुराक वाले सम्मिश्रणों, के तेईस मामलों में राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा औषध महानियंत्रक (भारत) [डी.सी.जी.(आई)] के अनिवार्य अनुमोदन के बिना लाइसेंस प्रदान किए हैं। इन सभी मामलों में राज्य औषध नियंत्रकों से औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन, अधिनियम 1940 के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त,

1 अक्टूबर, 2012 को, केन्द्रीय सरकारों ने "नई दवा" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली दवाओं के लिए विनिर्माण लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में राज्यों को अपने संबंधित दवा लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमों के तहत निर्धारित प्रवधानों का अनुपालन करने और उक्त नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अर्थात् औषध महानियंत्रक (भारत) [डी.सी.जी. (आई)] के पूर्व अनुमोदन के बिना इस प्रकार की दवा के निर्यात या वितरण या बिक्री हेतु विनिर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान न करने के लिए निर्देश देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे।

औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 में उल्लिखित दवा सलाहकार समिति यह सुनिश्चित करती है कि सांविधिक कार्यप्रणाली, अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बने नियमों के समान कार्यान्वयन हेतु राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों और केन्द्रीय औषधि विनियामक के बीच नियमित परस्पर संवाद होता रहे।

(घ) और (ङ) 21 अगस्त, 2007 को राज्य सभा में प्रस्तुत औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन (संशोधन) विधेयक, 2007 में अन्य बातों के साथ-साथ एक केन्द्रीयकृत दवा लाइसेंसिंग के गठन हेतु प्रावधानों का पहले से समावेश है।

भू-स्खलन सूचना प्रणाली का विकास

3055. श्री प्रेम दास राय : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूर-संवेदी और भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित भू-स्खलन सूचना प्रणाली का विकास करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी सरकारी अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा इस संबंध में कोई समनुरूप प्रौद्योगिकी विकसित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके व्यापक कार्यान्वयन के लिए योजना है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी हां, भूस्खलन आपदा सूचना प्रबंधन प्रभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, नई दिल्ली द्वारा क्षेत्र कार्यसत्र 2002-13 में (अप्रैल, 2012 से मार्च 2013 तक) भूगौलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) प्लेटफार्म पर तैयार एक परियोजना "वेब आधारित राष्ट्रीय भूस्खलन घटना सूची मानचित्र सेवा (एन.एल.आई.आई.एमस.)" शुरू की गई है।

(ख) जी.एस.आई. अपनी परियोजना 'वेब आधारित राष्ट्रीय भूस्खलन घटनासूची मानचित्रण सेवा (एन.एल.आई.आई.एम.एस.)' के माध्यम से जी.एस.आई. पोर्टल अर्थात www.gsi.gov.in पर उपलब्ध अन्य भूवैज्ञानिक मानचित्रण डाटासेटों के अनुरूप स्टेट-ऑफ-आर्ट प्लेटफार्म पर एकीकृत एक राष्ट्रीय एक भूस्खलन घटनासूची बनाने की प्रक्रिया में है। परियोजना का निम्नलिखित उद्देश्य है:

1. रिपोर्टों, पिन्ट मीडिया और सुदूरवर्ती संवेदित डाटा स्रोतों से भूस्खलन घटनाओं पर उपलब्ध सूचना के डाटाबेस/सूची को मानक प्रपत्र में संकलित और अद्यतन करना।

2. मानकीकृत पैमाने पर आधारित देश के भूस्खलन घटना मानचित्र का निर्माण करना और रिपोर्टों एवं मानचित्रों से प्राप्त सूचनाओं (इनपुट) के माध्यम से आपदा विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन के लिए टूल सहित एक राष्ट्रीय भू-डेटाबेस का निर्माण करना।

3. जी.एस.आई. प्लेटफार्म में देशभर में भूवैज्ञानिक डेटाबेस और भूस्खलन घटनासूची के समेकित द्वारा भूस्खलन घटना मानचित्र सेवा का विकास करना और इसे जी.एस.आई. पोर्टल में उपलब्ध कराना।

(ग) और (घ) कुछ अन्य सरकारी संगठन/अभिकरण भी जी.एस.आई. आधारित भूस्खलन अध्ययन कर रहे है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.), भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आई.आई.आर.एस.), केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आर.आई.) भारतीय राष्ट्रीय समुंद्र सेवा केन्द (आई.एन.सी.ओ.आई.एस.) इत्यादि भी जी.एस.आई. प्लेटफार्म पर भूस्खलन अध्ययन

कर रहे है। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) ने जी.एस. आई. प्लेटफार्म में सिक्किम भूस्खलन, 2011 का अध्ययन करने के लिए सुदूर संवेदन डाटा का उपयोग किया है।

अपजल से विद्युत उत्पादन

3056. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर :** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी देशों में अपजल को शुद्ध करने के लिए साथ-साथ उसके विद्युत उत्पादन करने की एक प्रौद्योगिकी के प्रयोग की ताजा खबर पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में भी अपजल से विद्युत उत्पादन करने की ऐसी ही प्रविधियां अपनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अपजल सहित शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संवर्धित किए जा रहे ऊर्जा प्राप्ति हेतु प्रौद्योगिकी विकल्पों में बायोमिथेनेशनल शामिल है, जिसमें इसके सुरक्षित निपटान अथवा उपयोग हेतु अपजल का उपचार भी किया जाता है।

(ग) मंत्रालय शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति कार्यक्रम के तहत विद्युत के उत्पादन हेतु अपजल बायोमिथेनेशन के माध्यम से उत्पादित बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है।

(घ) इस कार्यक्रम में अपशिष्ट के प्रकार और परियोजना विन्यास, अनुसंधान एवं विकास और सूचना के प्रसार पर निर्भर करते हुए परियोजनाएं स्थापित करने हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केरोसीन तेल के थोक विक्रेता

3057. **श्री सज्जन वर्मा :**
श्री कमलेश पासवान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सुपीरियर केरोसीन तेल के थोक विक्रेताओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से उनके यहां सुपीरियर केरोसीन के थोक विक्रेताओं की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त प्रस्तावों को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) सुपीरियर मिट्टी तेल (एम. के.ओ.) के थोक विक्रेताओं की राज्य/संघ शासित प्रदेश वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) रिकार्ड के अनुसार सरकार को केवल एक प्रस्ताव झारखंड राज्य से प्राप्त हुआ है और इसे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज.) को अग्रेषित कर दिया/भेज दिया गया है। नये एस.के.ओ. थोक बिक्री केन्द्रों को खोलने के ऐसें प्रस्तावों पर ओ.एम.सीज. मौजूदा व्यवहार्यता मानकों के अनुरूप व्यवहार्यता अध्ययन करती हैं और यदि इसे व्यवहार्य पाया जाता है तो उनके द्वारा थोक विक्रेताओं के चयन के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ओ.एम.सीज. द्वारा नये एस.के.ओ. थोक विक्रेताओं का चयन किया जाता है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर का ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सुपीरियर मिट्टी तेल के विक्रेताओं की राज्य क्षेत्रवार संख्या

राज्य	आई.ओ.सी.एल.	बी.पी.सी.एल.	एच.पी.सी.एल.	उद्योग
1	2	3	4	5
हरियाणा	82	22	41	145
हिमाचल प्रदेश	18	5	3	26
जम्मू और कश्मीर	35	4	8	47
पंजाब	138	34	71	243
राजस्थान	117	31	103	251
उत्तर प्रदेश	408	149	138	695
उत्तराखंड	46	14	12	72
चंड़ीगढ़	7	2	3	12
दिल्ली	81	12	22	115
उत्तरी क्षेत्र	932	273	401	1606
अरूणाचल प्रदेश	33	0	0	33
असम	359	0	0	359
बिहार	285	51	37	373
झारखंड	57	16	13	86
मणिपुर	36	0	0	36
मेघालय	35	0	0	35
मिज़ोरम	19	0	0	19
नागालैंड	19	0	0	19
ओडिशा	105	25	47	177
सिक्किम	10	2	0	12
त्रिपुरा	40	0	0	40

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	314	66	89	469
पूर्वी क्षेत्र	1312	160	186	1658
गोवा	8	6	8	22
गुजरात	280	86	127	493
मध्य प्रदेश	164	52	63	279
छत्तीसगढ़	61	9	43	113
महाराष्ट्र	306	210	256	772
दादरा और नगर हवेली	1	1	0	2
दमन और दीव	3	2	0	5
पश्चिमी क्षेत्र	823	366	497	1686
आन्ध्र प्रदेश	282	77	244	603
कर्नाटक	184	47	94	325
केरल	135	35	72	242
तमिलनाडु	270	56	139	465
लक्षद्वीप	0	0	0	0
पुदुचेरी	3	0	5	8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	1
दक्षिणी क्षेत्र	875	215	554	1644
अखिल भारत	3942	1014	1638	6594

राजकोषीय घाटा

3058. श्री राम सिंह कस्वां :

श्री रामसिंह राठवा :

श्री संजय निरूपम :

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

श्री जोस के. मणि :

श्री सी. शिवासामी :

श्रीमती श्रुति चौधरी

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कोई नवीन विधि अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पूर्व में राजकोषीय घाटे को रोकने में असफल रहे मानक उपायों के चालू वर्ष में किस प्रकार सफल होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) वर्तमान वित्त में, राजकोषीय घाटा स.घ.उ. के 5.1 प्रतिशत के स्तर पर होने का अनुमान लगाया गया है। तथापि, कच्चे तेल की लगातार ऊंची बनी रही अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और वर्ष के दौरान स.घ.उ. वृद्धि दर में हुई मंदी से राजस्व तथा व्यय पक्षों पर दबाव बना रहा। अतएव सरकार ने बढ़ते हुए राजकोषीय अंतर को नियंत्रित करने के लिए मध्य-वर्षीय सुधार लागू किए। तदनुसार, सरकार ने वृहद आर्थिक माहौल में सुधार लाने की दृष्टि से व्यय को युक्तिसंगत बनाने और उपलब्ध संसाधनों को इष्टतम बनाने जैसे मितव्ययिता के उपाय लागू किए हैं।

इसमें वर्तमान वित्त वर्ष और गैर आयोजना व्यय में 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती, पांच-सितारा होटलों में बैठकें एवं सम्मेलन आयोजित करने पर रोक, योजना एवं गैर योजनागत मदों के सृजन पर रोक, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध, निधियों के पुनर्विनियोजन पर प्रतिबंध, राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों को किए जाने वाले वित्तीय अंतरणों में अनुशासन रखना, अर्थात किसी संस्था को निधियों का अंतरण उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही हो सकेगा, ऐसे अंतरणों (अनुरूप वित्तपोषण) आदि से जुड़ी शर्तों में छूट देकर कोई निधियां जारी नहीं की जाएंगी। इसी प्रकार, सरकार ने कर और कर-भिन्न राजस्व से संसाधन जुटाने के उपाय किए। परिणामस्वरूप, राजकोषीय घाटे को सं.अ.2012-13 में 5.2 प्रतिशत पर नियंत्रित कर लिया गया। सरकार नपे-तुले ढंग से विस्तारकारी उपायों से धीरे-धीरे हटते हुए राजकोषीय समेकन के मार्ग पर वापस आ गई है। सरकार ने व्यय संकेतकों के लिए तीन वर्षीय चल लक्ष्य निर्धारित करते हुए "मध्यावधिक व्यय ढांचा व्यय विवरण" शुरू किया है ताकि प्राथमिकता-प्राप्त स्कीमों के लिए आबंटन हेतु नए सिरे से पहल की जाए तथा जो स्कीमें उपादेय नहीं हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। इससे व्यय प्रबंधन में कुशलता को बढ़ावा मिलेगा। वित्त वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटे को 4.8 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री ने हाल ही में राजकोषीय रूपरेखा की भी घोषणा की है जिसका उद्देश्य राजकोषीय घाटे को 2016-17 तक घटाकर सं.घ.उ. के 3 प्रतिशत तक लाना है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य बीमा का मानकीकरण

3059. श्री संजय धोत्रे :

श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा धारकों को नकदी रहित सुविधा प्रदान करने का विस्तार करने के संबंध में अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच विवादों सहित स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रक में विभिन्न व्याख्याओं के कारण पालिसी धारकों की ओर से मिल रही नियमित शिकायतों पर सरकार ने ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कंपनी-वार प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पालिसियों में स्वास्थ्य कवरेज पद्धतियों और परिवर्तनों में एकसमानता लाने को ध्यान में रखते हुए देश में स्वास्थ्य बीमा के मानीकरण के संबंध में दिर्शानिर्देश जारी करने का बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप पालिसी धारकों को क्या लाभ मिलने की संभावना है और इस संबंध में सरकार/आई.आर.डी.ए. द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (इरडा) में एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आई.जी.एम.एस.) है जो कि पॉलिसीधारकों की शकायतों का उद्योग-वार निक्षेपागार का सृजन करती है।

(ख) स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र से संबंधित शिकायतों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण ने दिनांक 20.02.2013 के परिपत्र आर.ई.एफ.: आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./036/02/2013 के तहत स्वास्थ्य बीमा मानकीकरण पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ गंभीर बीमारियों हेतु मानक पारिभाषिक शब्दावली, दावों हेतु पूर्व प्राधिकार तथा दावा फार्म, अस्पताल में छोड़े गए (एक्स्कल्यूडिड) खर्चों की मानक सूची, क्षतिपूर्ति पॉलिसियां इत्यादि हैं तथा यह स्वास्थ्य उत्पादों में अस्पष्टता को कम करने में मददगार होगी तथा सभी पणधारकों अर्थात् बीमाकत्ताओं, टी.पी.ए., पॉलिसीधारकों इत्यादि हेतु जानकारी होगी।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान स्वास्थ्य बीमा-गैर-जीवन उद्योग में विभिन्न व्याख्याओं के कारण पॉलिसीधारकों के शिकायतें

क्र. सं.	बीमाकर्ता का नाम	मुख्य शर्तों को जानबूझकर छोटे आकार से दर्शाना	बीमाकर्ता द्वारा भ्रामक विज्ञापन जारी किया गया, उत्पाद विज्ञापित से भिन्न था	बीमित को प्राप्त उत्पाद (पॉलिसी) बिक्री के समय चर्चानुसार अनुरूप नहीं था	टी.पी.ए. के साथ आई.टी./ नेटवर्क कनैक्टिविटी का मुद्दा	नेटवर्क अस्पताल का द्वारा स्वास्थ्य कार्डों को अस्वीकार करना	टी.पी.ए. द्वारा अस्पताल को पूर्व-प्राधिकार न भेजना	दावों में विवाद	नकदी रहित दावे को मना करना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अपोला म्युनिख हैल्थ इंश्योरेंस कं. लि.	0	1	43	3	0	0	211	11
2.	भारतीय एक्सा जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	1	3	0	0	1	49	5
3.	बजाज एलाइंज जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	9	8	0	0	0	0	92	1
4.	चोलामंडल एम.एस. जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	5	0	0	1	66	0
5.	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	फ्यूचर जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	2	1	1	0	16	0
7.	एच.डी.एफ.सी. इरगो इंश्योरेंस कं. लि.	0	1	1	0	1	0	128	6
8.	आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	1	5	376	152	1	1	235	3
9.	इफ्को टोकियों जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	1	0	0	0	25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	एल एंड टी जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	लिबर्टी वीडियोकान जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	1	0	0	0
12.	मैक्स बूपा हैल्थ इंश्योरेंस कं. लि.	0	13	195	5	34	0	16	13
13.	मैग्मा एच.डी.आई. जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	नैशनल इंश्योरेंस कं. लि.	0	1	1	0	0	0	272	11
15.	रहेजा क्यू.बी.ई. जेनरल इंश्योरेंस कं.लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	रिलायन्स जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	1	0	83	112	17	149	353	13
17.	रॉयल सुंदरम एलाइंस, इंश्योरेंस कं. लि.	0	2	10	5	1	3	258	13
18.	रेलिगेर हैल्थ इंशयोरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	एस.बी.आई. जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	श्रीराम जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	1	0
21.	स्टार हैल्थ एंड एलाईड इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	220	2
22.	टाटा ए.आई.जी. जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	13	0
23.	दि. न्यू. इंडिया एशोरेंस कं. लि.	0	0	1	1	0	1	263	8
24.	दि ओरियंटल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	1	14	0	2	388	17
25.	यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	5	5	0	2	418	0
26.	यूनिवर्सल सोम्पो जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	1	3	9
	कुल	11	32	727	298	55	161	3027	112

दिनांक 01.04.2012 से 28.02.2013 तक की अवधि के दौरान स्वास्थ्य बीमा - गैर-जीवन उद्योग में विभिन्न व्याख्याओं के कारण पॉलिसीधारकों के शिकायतें

क्र. सं.	बीमाकर्ता का नाम	मुख्य शर्तों को जानबूझकर छोटे आकार से दर्शाना	बीमाकर्ता द्वारा भ्रामक विज्ञापन जारी किया गया, उत्पाद विज्ञापित से भिन्न था	बीमित को प्राप्त उत्पाद (पॉलिसी) बिक्री के समय चर्चानुसार अनुरूप नहीं था	टी.पी.ए. के साथ आई.टी./ नेटवर्क कनैक्टिविटी का मुद्दा	नेटवर्क अस्पताल का द्वारा स्वास्थ्य कार्डों को अस्वीकार करना	टी.पी.ए. द्वारा अस्पताल को पूर्व-प्राधिकार न भेजना	दावों में विवाद	नकदी रहित दावे को मना करना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अपोला म्युनिख हैल्थ इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	34	1	0	0	310	2
2.	भारतीय एक्सा जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	3	3	0	0	1	46	10
3.	बजाज एलाइंज जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	6	1	3	0	2	4	62	2
4.	चोलामंडल एम.एस. जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	6	0	0	0	11	2
5.	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	फ्यूचर जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	1	1	0	0	0	16	5
7.	एच.डी.एफ.सी. इरगो इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	1	0	1	0	132	8
8.	आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	6	0	34	39	0	0	402	2
9.	इफ्को टोकियों जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	28	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	एल एंड टी जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	लिबर्टी वीडियोकान जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	मैक्स बूपा हैल्थ इंश्योरेंस कं. लि.	0	34	212	5	2	0	65	7
13.	मैग्मा एच.डी.आई. जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	नैशनल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	4	0	1	0	284	6
15.	रहेजा क्यू.बी.ई. जेनरल इंश्योरेंस कं.लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	रिलायन्स जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	11	157	28	374	148	16
17.	रॉयल सुंदरम एलाइंस, इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	2	1	2	4	154	11
18.	रेलिगेर हैल्थ इंशयोरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	एस.बी.आई. जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	श्रीराम जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	1	0
21.	स्टार हैल्थ एंड एलाईड इंश्योरेंस कं. लि.	0	1	0	0	0	0	251	2
22.	टाटा ए.आई.जी. जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	1	0	0	0	7	1
23.	दि. न्यू. इंडिया एशोरेंस कं. लि.	0	1	0	0	0	1	243	4
24.	दि ओरियंटल इंश्योरेंस कं. लि.	0	2	0	9	0	0	269	6
25.	यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	4	1	5	14	0	2	528	11
26.	यूनिवर्सल सोम्पो जेनरल इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	2	0	0	0	6	0
	कुल	16	44	319	226	36	386	2963	95

[हिन्दी]

अपतटीय अन्वेषण/खनन लाइसेंस

3060. श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अपतटीय अन्वेषण/खनन के लिए लाइसेंस दिए जाने में बड़े स्तर पर हुई अनियमितताओं की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कथित अनियमितअों के आलोक में अपतटीय अन्वेषण/खनन लाइसेंसों को निरस्त कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में लाइसेंस निरस्तीकरण की तारीखों सहित तत्संबंधी ब्लॉक-वार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने अपटीय खनन लाइसेंसों को दिए जाने में तथाकथित अनियमितअों के लिए प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।

(ग) और (घ) अपटीय क्षेत्रों में दिनांक 07.06.2010 की अधिसूचना के द्वारा कुल 83 खनिज धारी उपखंडों को अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचना के संबंध में 53 आवेदकों से प्राप्त कुल 377 आवेदनों में से गवेषण लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए 62 उपखंडों हेतु दिनांक 05.04.2011 को 16 आवेदकों को आदेश जारी किए गए। तथापि अभी तक कोई गवेषण लाइसेंस निष्पादित नहीं किया गया है क्योंकि यह मामला आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और बंम्बई (नागपुर बेन्च) के उच्च न्यायालयों में विचाराधीन है।

[अनुवाद]

कैंसर/टीबी नियंत्रण के लिए विदेशी सहायता

3061. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में कैंसर और टीबी के मामलों को रोकने के लिए मांगी गई और प्राप्त हुई अंतर्राष्ट्रीय सहायता और सहयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त प्रयोजनार्थ कतिपय गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और आधात (एन.पी.सी.सी.डी.सी.एस.) निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम/राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (एन.सी.सी.पी.) के तहत न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांगी गई थी और न ही प्राप्त हुई है।

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) के अंतर्गत, क्षयरोग के लिए बजट अनुमान के अनुसार पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के लिए आबंटित अंतर्राष्ट्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

परियोजना	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
विश्व बैंक	127.80	150.80	173.00	230.00
जी.एफ.ए.टी.एम.*	80.00	95.00	110.00	351.00
डी.एफ.आई.टी.**	40.00	40.00	40.00	-
यूएनआईटीआईएडी	-	-	-	36.00
कुल	247.80	285.80	323.00	618.00

* जी.एफ.ए.टी.एम.- एड्स, टीबी और मलेरिया हेतु वैश्विक निधि।

**डी.एफ.आई.डी.-अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, यूनाइटेड किंगडम।

(ख) और (ग) क्षयरोग के लिए, भारतीय चिकित्सा संघ (आई.एम.ए.) और भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन (सी.बी. सी.आई.) को निधि आबंटित की गई है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(लाख रू. में)

परियोजना	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आई.एम.ए.	372.08	450.00	749.42	-
सी.बी.सी.आई.	292.38	450.00	280.16	293.00
कुल	664.46	900.00	1029.58	293.00

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य पेशेवर

3062. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री एम.के. राघवन :
श्री हेमानंद बिसवाल :
श्री प्रहलाद जोशी :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री कपिल मुनि करवारिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा करने के लिए चिकित्सकीय और परा-चिकित्सकीय वर्गों के छात्रों/पेशेवरों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम. सी.आई.) द्वारा किए गए संशोधनों और घोषित किए गए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त उपायों से राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कहां तक वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार साढ़े छह वर्ष की अवधि के एम.बी. बी.एस. पाठ्यक्रम को शुरू करने पर विचार कर रही है जिसमें एम.बी.बी.एस. स्त्रातकों के लिए एक वर्ष की ग्रामीण सेवा अनिवार्य होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य/परा-चिकित्सकीय पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एन.सी.आई.) परा-चिकित्सा शिक्षा को विनियमित नहीं करता है। जहां तक चिकित्सा छात्रों का संबंध है, चिकित्सा स्नातकों को दूरवर्ती एवं कठिन क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 में संशोधन किया है, जिसमें निम्नलिखित व्यवस्था हैं।

(i) सरकारी सेवा में जिन चिकित्सा अधिकारियों ने कम से कम तीन वर्ष तक दूरवर्ती एवं कठिन क्षेत्रों में सेवा की है, उन्हें स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत आरक्षरण; और

(ii) दूरवर्ती अथवा कठित क्षेत्रों में की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए प्राप्त अंकों के 10 प्रतिशत या स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अधिकतम 30 प्रतिशत तक के हिसाब से प्रोत्साहन।

(ख) केन्द्रीय स्तर पर इस प्रकार के आंकडे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार एम.बी.बी.एम. स्नातककों के लिए ग्रामीण सेवा की अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है।

(ङ) देश में स्वास्थ्य/परा-चिकित्सा व्यवसायियों की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पहले ही कई उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) खास तौर पर अल्पसेवित/पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में भूमि, बिस्तर/बिस्तर क्षमता आदि की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के मानकों में छूट देना।

(ii) बैचलर ऑफ साइंस (सामुदायिक स्वास्थ्य) पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय।

(iii) खास तौर पर अल्पसेवित क्षेत्रों में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना।

(iv) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा आधार पर स्टाफ के नियोजन के लिए वित्तीय सहायता।

(v) नर्सों तथा परा-चिकित्सा कार्मिकों के लिए शिक्षण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता।

[अनुवाद]

दोहरा कराधान परिहार समझौता

3063. श्री रूद्रमाधव राय :
श्री किशनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने दोहरा कराधान परिहार संशोधन करने और आय और पूंजी पर करों के संबंध में वित्तीय अपवंचन के निवारण के लिए स्वीडन सहित कुछ देशों के साथ कोई समझौता किया है/समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) ऐसे समझौतों से देश को क्या लाभ होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) भारत सरकार नये दोहरे कराधान परिहार संबंधी करार (डी.टी.ए.ए.) पर बातचीत कर रही है और बैंकिंग सूचना तथा घरेलू हित के बिना सूचना के अदान-प्रदान के लिए विशेष रूप से अनुमति देने के लिए मौजूदा डी.टी.ए.ए. में सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित अनुच्छेद को अद्यतन करने के लिए उपाय भी किये हैं। भारत ने प्राथमिकता वाले देशों/क्षेत्राधिकारों के साथ कर सूचना के आदान-प्रदान संबंधी करारों (टी.आई.ई.ए.) पर बातचीत करने का निर्णय भी लिया है। दिनांक 7 फरवरी, 2013 को भारत का स्वीडन ने मौजूदा दोहरे कराधान के परिहार संबंधी समझौते (डी.टी.ए.सी.) तथा आय तथा पूंजी पर करों के बारे में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य तथा स्वीडन साम्राज्य के बीच प्रोतोकोल को संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकोल (संशोधनकारी प्रोटोकोल) पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) स्वीडन के साथ संशोधनकारी प्रोटोकोल की मुख्य विशेषताएं हैं:-

(i) भारत तथा स्वीडन के बीच मौजूदा डी.टी.ए.सी. में सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित अनुच्छेद को बैंकिंग सूचना के आदान-प्रदान तथा घरेलू हित के बिना सूचना के आदान-प्रदान सहित इसे अन्तरराष्ट्रीय मानकों पर लाकर अद्यतन किया गया है; तथा

(ii) विदेश में जांच से संबंधित उपबंधों को शामिल किया गया है।

(ग) संशोधनकारी प्रोटोकोल द्वारा यथा संशोधित स्वीडन के साथ डी.टी.ए.सी. भारत को स्वीडन से सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगा। जिसमें बैंकिंग सूचना तथा वह सूचना शामिल है जिसमें स्वीडन का कोई घरेलू हित नहीं है। विदेश में कर जांच संबंधी अनुच्छेद दोनों देशों को, इस प्रयोजनार्थ एक देश के अधिकारियों को दूसरे देश में क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देकर, सक्षम बनायेगा।

[हिन्दी]

रसोई के लिए बायो-गैस

3064. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश के दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई के लिए बायो-गैस उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने गांवों को रसोई हेतु बायो-गैस प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार देश में बायो-गैस रसोई चूल्हे के बेहतर विपणन के लिए निवेश करने हेतु कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी, हां। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई के लिए ईंधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने के लिए 'राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एन.बी.एम.एम.पी.)' नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण, टर्न-की जॉब शुल्क, तथा संचार और प्रसार के लिए सहायता के अलावा बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संस्थापित पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) एन.बी.एम.एम.पी. द्वारा सभी पणधारियों के लिए प्रशिक्षण के आयोजन, जानकारी का प्रसार और बायोगैस संयंत्रों एवं बायोगैस चुल्हों का पांच वर्षों के लिए नि:शुल्क देखभाल करने वाले टर्न की कार्यकर्त्ताओं के लिए टर्न की शुल्क के माध्यम से बेहतर कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा, बायोगैस संयंत्र मालिकों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित बायोगैस रसोई चूल्हे प्राप्त करना अपेक्षित है जो बाजार अथवा बायोगैस कार्यक्रम कार्यान्वयन विभागों/एजेंसियों से उपलब्ध हैं।

विवरण

पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की वर्षवार संख्या			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (जनवरी, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	13699	16275	15346	10488
2.	अरूणाचल प्रदेश	162	175	150	14
3.	असम	10450	6732	6581	4335
4.	बिहार	200	350	3285	-
5.	छत्तीसगढ़	3433	3832	4779	1254
6.	गोवा	31	18	65	21
7.	गुजरात	10556	6105	2631	2482

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	1422	1379	1819	929
9.	हिमाचल प्रदेश	245	445	426	243
10.	जम्मू और कश्मीर	155	114	136	193
11.	झारखंड	1030	913	750	150
12.	कर्णाटक	10323	14464	12363	8778
13.	केरल	4085	3941	3483	2047
14.	मध्य प्रदेश	15114	16742	12415	6584
15.	महाराष्ट्र	11235	21456	22220	9262
16.	मेघालय	825	1275	1390	170
17.	मिजोरम	50	100	100	461
18.	नागालैंड	605	1171	1325	396
19.	ओडिशा	5296	6050	7186	2828
20.	पंजाब	7250	23700	14173	6735
21.	राजस्थान	176	275	498	73
22.	सिक्किम	555	358	635	136
23.	तमिलनाडु	1740	1493	1531	391
24.	त्रिपुरा	47	89	117	68
25.	उत्तर प्रदेश	3252	4603	4759	1282
26.	उत्तराखंड	1225	2082	2114	687
27.	पश्चिम बंगाल	16748	17000	19986	7135
28.	दिल्ली/नई दिल्ली	-	1	1	-
29.	पुदुचेरी	5	-	-	-
	कुल	119914	151138	140264	77019

वैद्यनाथन समिति

3065. श्री शिवराज भैया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुद्धार पैकेज के संबंध में वैधनाथन कार्यदल-II की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) देश में दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एल.टी.सी.सी.एस.) को पुनरुज्जीवित करने के लिए कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना का सुझाव देने के लिए सरकार ने जनवरी, 2005 में एक कार्य बल का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 2006 में प्रस्तुत कर दी। कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 के कार्यान्वयन के बाद सरकार द्वारा एल.टी.सी.सी.एस. पैकेज को संशोधित किय गया था। तथापि, सरकार ने एल.टी.सी.सी.एस. के लिए अलग से पैकेज की अर्थक्षमता एवं प्रासंगिकता पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है और सितम्बर, 2009 में एक कार्यबल का गठन किया है जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है। एल.टी.सी.सी.एस. के लिए पुनरुद्धार पैकेज का मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

इथेनॉल की खरीद

3066. श्री एस. अलागिरी :
श्री लक्ष्मण टुडु :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण के लिए इसकी कितनी मांग की गई, तथा इस हेतु किए गए अनुबंधों और इथेनॉल की वास्तविक खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि इसमें कोई कमी हुई हो तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) अपेक्षित ब्यौरे निम्नानुसार है:

(करोड़ लीटर में)

अवधि	ओ.एम.सीज. की एथेनॉल की आवश्यकता	ओ.एम.सीज. द्वारा अधिप्राप्ति के लिए एथेनॉल की अंतिम रूप से निर्धारित मात्रा	ओ.एम.सीज. को प्राप्त हुए एथेनॉल की मात्रा
नवम्बर 2009-सितम्बर 2010	68.90	27.56	5.60
अक्टूबर 2010-सितम्बर 2011	105.10	55.87	36.25
अक्टूबर 2011-सितम्बर 2012	100.08	41.22	30.57

(ख) कमी के कारणों में एथेनॉल की अपर्याप्त घरेलू उपलब्धता, राज्य सरकारों द्वारा एथेनॉल की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंध और एथेनॉल के आपूर्तिकर्ताओं से समिति प्रस्ताव प्राप्त होना आदि हैं।

(ग) सरकार ने दिनांक 22.11.2012 को निर्णय लिया है कि एथेनॉल का अधिप्राप्ति मूल्य अब से तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज.) और एथेनॉल के आपूर्तिकर्ताओं के बीच तय किया जाएगा और घरेलू आपूर्ति के कमी होने की स्थिति में ओ.एम.सीज. और रसायन कंपनियां एथेनॉल का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

निवेश ट्रैकिंग प्रणाली

3067. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री रतन सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए निवेश ट्रैकिंग प्रणाली ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो आज तक पता लगाए गए निवेश और उससे प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रणाली में कोई खामियां सामने आई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) ऐसी प्रणालीगत समस्याओं का दक्षतापूर्ण समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) मई, 2012 में, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए एवं इससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए एक निवेश ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित की थी।

दिनांक 01.10.2012 की स्थिति के अनुसार, बैंकों ने केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और बैंक के स्तर पर लंबित मंजूरियों वाले 109 परियोजनाओं सहित गैर-सरकारी क्षेत्र में 185 परियोजनाओं के बारे में सूचित किया था।

सरकार ने दिनांक 02.01.2013 को निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सी.सी.आई.) का गठन किया है जो उनके समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पहचान किए गए महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी करना था।

ऑयल इंडिया लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी

3068. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :
श्री ए. साई प्रताप :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) में सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है;

(ख) क्या सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड में अपनी कुछ हिस्सेदारी को बेचने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड में विनिवेश का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हिस्सेदारी की उक्त मात्रा को बेचने के बाद राजकोष में कितनी राशि की वृद्धि होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) वर्तमान में, ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) में सरकार की इक्विटी 68.43% है।

(ख) से (घ)भारत सरकार की विनिवेश नीति के अनुसार, ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) की 10% चुकता इक्विटी पूंजी का बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओ.एफ.एस.) पद्धित के माध्यम से दिनांक 01.02.2013 को विनिवेश किया गया था। इस सौदे में प्राप्त कुल राशि 3141.51 करोड़ रुपए थी।

[हिन्दी]

खनिज संबंधी रियायतें

3069. श्री मधु सूदन यादव : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एम.एम. डी.आर.) अधिनियम, 1957 की धारा-5 (1) के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज संबंधी रियायत के मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी रही;

(ख) इनमें से ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिसमें अधिनियम की धारा 11(2) के अंतर्गत प्रथम आवेदक को खनिज संबंधी रियायत प्रदान की गई और इसके उपरान्त अधिनियम की धारा 11 (5) के अंतर्गत राज्य सरकारों की राय के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा खनिज-वार उक्त रियायत प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार को केवल अधिनियम की धारा-11 (5) के अंतर्गत उद्योगों की ही स्थापना करने के लिए समझौता ज्ञापन के आधार पर खनिज संबंधी रियायतें प्रदान करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 'ख' और 'ग' में विनिर्दिष्ट खनिज (विकास और विनियमन) (एम.एम.डी.आर.) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के अंतर्गत ऐसे मामलों की संख्या जिनमें केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन दिया गया निम्नवत है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (11.03.2013 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	32	1	5	1	39
2.	असम	1	0	0	0	1
3.	छत्तीसगढ़	9	7	10	6	32
4.	गोवा	1	0	0	0	1
5.	गुजरात	1	1	1	0	3
6.	झारखंड	2	2	2	0	6
7.	कर्णाटक	4	16	8	1	29
8.	केरल	3	1	0	0	4
9.	मध्य प्रदेश	83	35	51	22	191
10.	महाराष्ट्र	25	0	2	12	39
11.	मणिपुर	0	0	6	0	6
12.	ओडिशा	3	3	0	0	6

1	2	3	4	5	6	7
13.	राजस्थान	24	9	9	1	43
14.	तमिलनाडु	0	0	0	7	7
15.	उत्तर प्रदेश	4	1	0	0	5
16.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	1
	कुल	192	76	94	51	413

(ख) एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 (अधिनियम) की धारा 11(2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि गैर-अधिसूचित क्षेत्र में जिस आवेदन का आवेदन पहले प्राप्त हुआ है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अधिनियम की धारा 11(5) में यथा प्रावधान एक गैर-अधिसूचित क्षेत्र के लिए बाद के आवेदन की संस्तुति करने के लिए अपवाद है। तथापि एक अधिसूचित क्षेत्र में आवेदन आमंत्रित करने के मामले में अधिनियम की धारा 11(2) के अंतर्गत प्राथमिकता देने के उद्देश्य से सभी आवेदनों को उसी दिन प्राप्त किया हुआ मान लिया जाएगा। अधिनियम की विनिर्दिष्ट उपधाराओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा संसूचित पूर्व अनुमोदन का कोई पृथक अभिलेख नहीं रखा जाता है।

(ग) अधिनियम की धारा 11(5) के अंतर्गत केवल उद्योग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन के आधार पर मामलों में पूर्व अनुमोदन संसूचित करने के संबंध में खान मंत्रालय में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता हैं।

एल.आई.सी. उत्पादों के लिए मानक

3070. **श्री पूर्णमासी राम :**
श्री देवजी एम. पटेल :
श्री कामेश्वर बैठा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने जीवन बीमा उत्पादों को उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए नए मानक तैयार किए हैं/तैयार करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मानक पालिसी धारकों के लिए किस प्रकार के लाभप्रद होंगे; और

(घ) उक्त मानकों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सूचित किया है कि जीवन बीमा उत्पादों को उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए दो विनियम बनाए गए हैं, नामत: (i) दिनांक 18.02.2013 को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा उत्पाद सम्बद्ध) विनियम 2013 और (ii) दिनांक 18.02.2013 को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा उत्पाद असम्बद्ध) विनियम 2013।

(ग) पालिसी धारकों के लिए विनियामवली के उपबंध निम्नलिखित तरीके से सहायक हैं:

- पारदर्शिता लाने के लिए उत्पाद वर्गीकरण को परिभाषित किया जाता है।
- न्यूनतम मृत्यु लाभ यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया जाता है कि पालिसीधारक की मृत्यु होने पर लाभार्थी एक उचित राशि प्राप्त करेगा।
- दीर्घावधि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कमीशन को प्रीमियम भुगतान अवधि से जोड़ा जाता है।
- पालिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए और अभ्यर्पण मूल्य और निधि आधारित समूह उत्पादों के संबंध में अभ्यर्पण दंड निर्धारित किया जाता है।

- पालिसी धारकों को ज्ञात निर्णय लेने में सहायता करने के लिए पालिसीधारक के लिए प्रकटन संबंधी मानदण्डों को मजबूती दी गई है।
- प्रतिफल में कटौती पर सीमाओं के विशिष्टीकरण के जरिए परिवर्तनशील बीमा उत्पादों के ग्राहकों के लिए बेहतर प्रतिफल।
- बंद यूनिट लिंक्ड पालिसियों के पुनरुज्जीवन को बढ़ावा देने के लिए पुनरुज्जीवन अवधि को अवरुद्धता अवधि से परे बढ़ाया जाता है।

(घ) इरडा ने यह भी सूचित किया है कि मौजूदा उत्पादों जो नई नियमावली के अनुसार नहीं हैं, में समूह उत्पादों के लिए 30 जून, 2013 से पहले आशोधन और अलग-अलग उत्पादों के लिए 30 सितम्बर, 2013 से पहले आशोधन करना होगा।

[अनुवाद]

आर.टी.ई. की निगरानी

3071. श्री जगदीश ठाकोर : क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, (आर.टी.ई.) की निगरानी का कार्य राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन के मामले में एन.सी.पी.सी.आर. को कार्रवाई करने के लिए न्यायिक शक्ति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्या क्षेत्रों ने बाल अधिकारों की रक्षा के लिए आयोगों की स्थापना नहीं की है; और

(च) यदि हां, तो उस तंत्र का ब्यौरा क्या है जिसके द्वारा ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आर.टी.ई. की निगरानी किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 31 के अंतर्गत राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग को बालकों की शिक्षा के अधिकारों की निगरानी के लिए आदेश दिया गया है।

(ग) और (घ) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13(1)(त्र) के अंतर्गत अपने कार्यकलापों का निष्पादन करने के उद्देश्य से एन.सी.पी.सी.आर. के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत सिविल कोर्ट के बाद का विचारन करने और विशेष रूप से निम्न मामलों के संबंध में नामत: सभी अधिकार सुरक्षित है:

I. किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर उपस्थिति के लिए बाध्य करना और शपथ पत्र के आधार पर उससे पूछताछ करना;

II. शपथ पत्र की जांच पड़ताल तथा पेशी करना;

III. शपथ पत्र के आधार पर सबूत प्राप्त करना;

IV. किसी भी न्यायालय या कार्यालय से जारी दस्तावेजों या सार्वजनिक रिकार्ड की प्रति की मांग करना; तथा

V. गवाहों या दस्तावेजों की जांच पड़ताल का अधिकार देना।

(ङ) जिन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन नहीं किया हैं वे हैं (i) आन्ध्र प्रदेश (ii) अरूणाचल प्रदेश (iii) गुजरात (iv) हिमाचल प्रदेश (v) जम्मू और कश्मीर (vi) केरल (vii) मणिपुर (viii) मेघालय (ix) मिज़ोरम (x) नागालैंड (xi) त्रिपुरा (xii) उत्तर प्रदेश (xiii) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह (xiv) चण्डीगढ़ (xv) दादरा और नगर हवेली (xvi) दमन और दीव (xvii) लक्षद्वीप (xviii) पुदुचेरी। चूंकि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता, इस राज्य के लिए इस अधिनियम के तहत राज्य आयोग का गठन करना आवश्यक नहीं है।

(च) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 27(2) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जब तक संबंधित सरकार राज्य बालक संरक्षण आयोग का गठन नहीं करती है, तब तक नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यकलापों के निष्पादन के उद्देश्य के लिए शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण नामक वैक्लपिक प्राधिकरण स्थापित करेगी।

[हिन्दी]

अवैध परिसम्पत्तियों को जब्त करना

3072. श्री महाबल मिश्रा :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री भूदेव चौधरी :
श्रीमती दर्शना जरदोश :
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कारखानों में आयकर छापों के दौरान अथवा सीमा-शुल्क केन्द्रों पर जब्त/बरामद अवैध समान/परिसम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन मामलों में अभियोजनों और प्रदत्त दंड का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभियोजन के दौरान आरोपित को दोषमुक्त होने के मामलों का ब्यौरा क्या है और इस सिलसिले में संगत/संबंधी कानून में विद्यमान खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) वित्त वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान (दिसम्बर, 2012 तक) आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों में क्रमश: 963.50 करोड़ रू. 774.98 करोड़ रू., 905.60 करोड़ रू. तथा 453.54 करोड़ रू. की अस्पष्ट परिसम्पत्तियों को जब्त किया गया।

(ख) अस्पष्ट परिसम्पत्तियों की जब्ती से ही आयकर अधिनियम, 1961 [अधिनियम] के अन्तर्गत अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता है। जब्त की गई अस्पष्ट परिसम्पत्तियों सहित तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई के दौरान और तलाशी के बाद की जाने वाली जांच के दौरान भी इकट्ठा किए गए साक्ष्यों का प्रयोग, अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम में विहित अर्द्धन्यायिक प्रक्रियाओं के बाद कुल आय के आकलन के लिए किया जाता है। अधिनियम के अध्याय XXII में अपराधों एवं अभियोजनों का प्रावधान है। अधिनियम में विहित शर्तें पूरी होने पर समुचित मामलों में अभियोजन शुरू किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, वित्त वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान निर्णीत 1548 अभियोजन मामलों में से दोषसिद्धि और संयोजित मामलों की संख्या 868 है, जो अधिनियम के तहत अभियोजन के संबंध में पर्याप्त सफलता दर्शाती है। इस संबंध में और सुधार को ध्यान में रखते हुए वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा विशेष अदालतों और विशेष लोक अभियोजकों के लिए समर्थकारी प्रावधानों की शुरूआत सहित कई उपाय किए गए हैं।

एन.एस.टी.एफ.डी.सी. को निधियां जारी करना

3073. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्यों के अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड को इक्विटी की हिस्सेदारी और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बकाया राशि जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष (2012-13) के दौरान क्रमश: 5,4,18 और 14 राज्यों से अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को अनुदान राशि निर्मुक्त करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, किसी भी अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमकी कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई थी। वर्ष 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष (2012-13) के दौरान, क्रमश: 8, 10 और 4 अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को निधियां निर्मुक्त की गई थीं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रस्ताव प्राप्त और राज्य अनुसूचित जनजाति जनजाति वित्त और विकास निगमों (एस.टी.एफ.डी.सी.) को निर्मुक्त निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		प्रस्तावित राशि	निर्मुक्त राशि	प्रस्तावित राशि	निर्मुक्त राशि	प्रस्तावित राशि	निर्मुक्त राशि	प्रस्तावित राशि	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त निगम लि.	2047.00	0.00	15225.00	0.00	23607.00	0.00	32043.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक विकास और वित्त निगम लि.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	राशि का उल्लेख नहीं किया गया	0.00	राशि का उल्लेख नहीं किया गया	0.00
3.	असम प्लेन्स जनजातीय विकास निगम लि.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़ राज्य अंत्या व्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	567.37	2000.00	300.00	500.00	0.00
5.	गोवा राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम लि.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	राशि का उल्लेख नहीं किया गया	300.00	राशि का उल्लेख नहीं किया गया	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम	17.28	0.00	56.69	0.00	221.94	210.78	64.00	0.00
7.	जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	राशि का उल्लेख नहीं किया गया	0.00	105.00	350.00
8.	झारखण्ड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम लि.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	343.64	राशि का उल्लेख नहीं किया गया	300.00	राशि का उल्लेख नहीं किया गया	350.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	कर्णाटक अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि.	159.00	0.00	193.00	268.80	159.00	300.00	1207.00	350.00
10.	केरल राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि.	4.02	0.00	12.25	0.00	40.27	32.60	21.88	0.00
11.	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवम् विकास निगम	2381.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	468.90	1912.00	0.00	1912.00	0.00
12.	शब्बारी आदिवासी वित्त व विकास महामंडल मर्यादित, नासिक	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	4848.00	300.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00
13.	मेघालय कोप एपेक्स बैंक लि.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	108.30	राशि का उल्लेख नहीं किया गया	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00
14.	ओडिशा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास सहकारी निगम लि.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	170.70	237.63	300.00	237.63	0.00
15.	राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वित्त विकास सहकारी निगम लि.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	200.00	300.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00
16.	सिक्किम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लि.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	राशि का उल्लेख नहीं किया गया	300.00	राशि का उल्लेख नहीं किया गया	0.00
17.	त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम लि.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	46.02	राशि का उल्लेख नहीं किया गया	0.00	499.66	350.00
18.	पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त निगम	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	342.00	राशि का उल्लेख नहीं किया गया	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0.00

[अनुवाद]

पी.एन.जी. नेटवर्क का विस्तार

3074. श्री पी.टी. थॉमस :
श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल शोधन कंपनियों और विपणन कंपनियों ने अपने तेल और गैस पाइपलाइन नेटवर्क का कितना विस्तार किया है;

(ख) क्या सरकार के पास आगामी पांच वर्षों के लिए पाइपलाइन नेटवर्क के संबंध में कोई स्पष्ट रूपरेखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पी.एन.जी. कनैक्शन से युक्त घरों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल प्रतिशतता कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) सरकार ने देश में पाइपलाइन आधारभूत संरचना की योजना बनाने, उसे प्राधिकृत करने और मानीटर करने के लिए विनियामक निकाय के तौर पर पी.एन.जी.आर.बी. अधिनियम, 2006 के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियाम बोर्ड (पी.एन.जी.आर.बी.) की स्थापना की है। पी.एन.जी.आर.बी. ने पिछले 2 वर्षों में निम्नलिखित प्राकृतिक गैस और प्रेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों तथा राज्य में स्वामित्व वाले तेल रिफाइनरियों और विपणनकर्ता कम्पनियों के लिए केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार की स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र/प्राधिकार प्रदान करने के संबंध में निबंधन और शर्तें जारी की हैं:-

क्र.सं.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक उत्पाद पाइपलाइनें/ प्राकृतिक गैस पाइपलानें	प्राधिकृत कंपनी
1.	रिवाडी-कानपुर पेट्रोलिय और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	एच.पी.सी.एल.
2.	अवा-सालावास पेट्रोलिय और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	एच.पी.सी.एल.
3.	कोटा-जोबनेर पेट्रोलिय और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	बी.पी.सी.एल.
4.	मंगलौर-हस्सन-मैसूर सोल्लुर एल.पी.जी. पाइपलाइन	एच.पी.सी.एल.
5.	उरण-चाकन-शिकरापुर एल.पी.जी. पाइपलाइन	एच.पी.सी.एल.
6.	पारादीप-संभलपुर-रायपुर-रांची पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	आई.ओ.सी.एल.
7.	सूरत-पारादीप प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	गेल
8.	दाभोल-बंगलौर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	गेल
9.	कोचि-कूट्टानाड-मंगलौर-बंगलौर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	गेल

(ख) और (ग) पी.एन.जी.आर.बी. द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें अगले 5 वर्ष में चालू किए जाने की संभावना है:-

क्र.सं.	पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन/पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	कंपनी का नाम
1.	दादरी-बवाना-नांगल पाइपलाइन	गेल
2.	चैनसा-झज्जर-हिसार पाइपलाइन	गेल
3.	दाभोल-बंगलौर पाइपलाइन	गेल
4.	कोच्चि-कूट्टानाड-बंगलौर-मंगलौर पाइपलाइन	गेल
5.	जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन	गेल
6.	मल्लावरम-भोपाल-भीलवाड़ा-विजयपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	जी.एस.पी.एल. इंडिया ट्रांस्को लिमिटेड
7.	मेहसाणा-भटिंडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	जी.एस.पी.एल. इंडिया गैसनेट लिमिटेड
8.	भटिंडा-जम्मू-श्रीनगर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	जी.एस.पी.एल. इंडिया गैसनेट लिमिटेड
9.	सूरत-पारादीप प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	गेल
10.	रिवाड़ी-कानपुर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	एच.पी.सी.एल.
11.	अवा-सलावास पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	एच.पी.सी.एल.
12.	कोटा-जोबनेर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	बी.पी.सी.एल.
13.	मंगलौर-हस्सन-मैसूर-सोल्लुर एल.पी.जी. पाइपलाइन	एच.पी.सी.एल.
14.	उरण-चाकन-शिकापुर एल.पी.जी. पाइपलाइन	एच.पी.सी.एल.
15.	पारादीप-संभलपुर-रायपुर-रांची पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	आई.ओ.सी.एल.

(घ) 31.01.2013 को घरेलू उपयोग के लिए प्रदत्त पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पी.एन.जी.) की राज्यवार प्रतिशतता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पी.एन.जी. प्राप्त परिवारों की प्रतिशतता
1	2
हरियाणा	0.21%

1	2
आन्ध्र प्रदेश	0.01%
असम	0.37%
गुजरात	9.16%
मध्य प्रदेश	0.01%

1	2
महाराष्ट्र	2.80%
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	8.96%
राजस्थान	0.00%
त्रिपुरा	1.49%
उत्तर प्रदेश	0.19%
योग	1.60%

चिकित्सा शिक्षा

3075. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम.सी.आई.) ने एक सुधार दस्तावेज जारी किया है जिसमें देश में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में कुछ बड़े परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एस.सी.आई. ने उपर्युक्त प्रयोजन हेतु कोई कार्य-समूह गठित किया था;

(ग) यदि हां, तो भारत में अवर-स्नातक स्तर की चिकित्सा शिक्षा को विश्वस्तरीय बनाने के लिए उक्त कार्य-समूह द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) एम.सी.आई.प/सरकार द्वारा इन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एन.सी.आई.) के शासी मंडल द्वारा गठित पूर्वस्नातक कार्यदल ने चार नए शिक्षण घटकों को शामिल करने की सिफारिश की है अर्थात्:- (i) बुनियादी पाठ्यक्रम; (ii) शघ्र नैदानिक एक्सपोजर; (iii) नैदानिक कौशल शिक्षण; और (iv) पूर्वस्नातक पाठ्यक्रम सामग्री में समानांतर और शीर्ष एकीकरण।

कार्यदल की सिफारिशों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के शासी मंडल ने शैक्षिक परिषद में चर्चा के पश्चात स्वीकार कर लिया है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सिफारिशों पर प्राप्त सुझाव के आधार पर कुछ परिवर्तन शामिल करने के पश्चात पूर्वास्नातक चिकित्सा शिक्षा के विनियमों में संशोधन कर लिया है। संशोधित विनियमों को केन्द्र सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित किया जाएगा।

(ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एस.सी.आई.) एक संविधिक निकाय है जिसका उत्तरदायित्व देश में उच्च शिक्षा के उच्च मानकों की स्थापना और अनुपालन करना तथा चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता देना है। परिषद देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपायों का प्रस्ताव करती है और तदनुसार सरकार के पूर्व अनुमोदन सहित इन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता

3076. कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री हरिभाऊ जावले :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पेट्रोलियम और अनुमानित भंडार कितना है और अब तक इसकी कितने प्रतिशत मात्रा का अन्वेषण किया गया है;

(ख) देश में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की कुल कितनी आवश्यकता और मांग है;

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की कुल आवश्यकता/मांग का कितने प्रतिशत स्वदेशी स्रोतों और कितने प्रतिशत आयात से पूरा किया जा रहा है; और

(घ) इसके आयात का प्रतिशत कम करने और स्वदेश में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) वर्ष 1993 में ओ.एन.जी.सी. द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, भारत में कुल 26 तलछटीय बेसिनों में से 15 तलछटीय बेसिनों का हाइड्रोकार्बन स्रोत लगभग 28 बिलियन टन तेल और तेल समतुल्य है। दिनांक 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार देश के जमीनी और अपतट क्षेत्रों में किए गए अन्वेषण कार्यकलापों के कारण इनमें से लगभग 9.84 बिलियन टन (अर्थात 35%) तत्स्थान भंडारों की पुष्टि की गई है।

अब तक, देश में कुल 3.14 मिलियन वर्ग कि.मी. तलछटीय क्षेत्र में से लगभग 2.23 मिलियन वर्ग कि.मी. क्षेत्र (अर्थात 71%) नामांकन और उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) व्यवस्था के तहत अन्वेषण के लिए प्रदान किया गया है।

(ख) 12वीं योजना दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2013-14 के लिए देश में पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग निम्नवत् है:

उत्पाद	मांग (मिलियन मीट्रिक टन में)
1	2
एल.पी.जी.	18.36
एम.एस.	17.53
नाफ्था/एन.जी.एल.	11.42
ए.टी.एफ.	6.59
एस.के.डी.	7.63
एच.एस.डी.ओ.	68.65
एल.डी.ओ.	0.40
ल्यूब्स	2.77
पोल्स	7.90
बिटूमिन	5.54
पेट कोक	7.51
अन्य	6.13
योग (पेट्रोलियम उत्पाद)	160.44

(ग) देश में वर्ष 2011-12 के दौरान पेट्रोलियम के कुल उपभोग 148 एम.एम.टी. के 24.2% को स्वदेशी स्रोतों के माध्यम से पूरा किया गया था और उपभोग के शेष 72.8% को कच्चे तेल के आयात माध्यम से पूरा किया गया था।

(घ) आयात को घटाने और देश में तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. भावी नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.)/खुली रकबा लाइसेंस नीति (ओ.ए.एल.पी.) बोली दौरों के माध्यम से अन्वेषण के लिए और अधिक गैर-अन्वेषित क्षेत्रों की पेशकश करना।

ii. कोल बेड मीथेन (सी.बी.एम.), शेल गैस/तेल और हाइड्रेड्स आदि जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का अन्वेषण करना।

iii. तेल पी.एस.यूज. द्वारा विदेशों में तेल और गैस परिसंपत्तियां अर्जित करना।

iv. तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (तापी) राष्ट्रपारीय पाइपलाइन के माध्यम से गैस प्राप्त करना।

[अनुवाद]

डेबिट कार्ड संबंधी मानक

3077. श्री सी. शिवासामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों को उनके कतिपय श्रेणियों के ग्राहकों के डेबिट कार्ड जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश/निदेश जारी किए हैं/करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मानकों को और कठोर करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने बैंकों को सलाह दी है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना उसके दिनांक 12.12.2012 के परिपत्र सं. डी.बी.ओ.डी. एफ.एस.डी. बी.सी. 66/24.01.019/2012-13 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अध्यधीन सहब्रांड डेबिट कार्ड सहित डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। दिशा-निर्देशों की एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

भारत की क्रेडिट रेटिंग

3078. श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री पी. विश्वनाथन :
श्री के. सुगुमार :
श्री पी. कुमार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन सरकरी क्षेत्र के बैंकों जिनका प्रथम स्तर की पूंजी में 8 प्रतिशत से कम पूंजी पर्याप्त अनुपात (सी.ए.आर.) है, का बैंक-वार और संबंधित प्रतिशत-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का अपनी प्रथम स्तरीय पूंजी की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए इसमें और अधिक पूंजी लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन सरकारी क्षेत्र के बैंकों जिनका पूंजी पर्याप्त अनुपात अपेक्षा से कम है को भी इसी प्रकार की रियायत प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ङ) 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया को छोड़कर जिसका सी.ए.आर. 7.79% था, सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) का टियर-I पूंजी पर्याप्त अनुपात (सी.ए.आर.) 8% से अधिक था। सरकार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को पर्याप्त रूप से पूंजीकृत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है इसके लिए और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार ने 13 पी.एस.बी. में 12,517 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेष करने का निर्णय लिया है।

मद्यपान रोकने के लिए टीका

3079. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में मद्यपान जनित बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने के का प्रस्ताव है;

(ग) क्या मद्यपान की समस्या पर काबू पाने के लिए चिली में विकसित किए गए एक वैयक्तिक टीके का नैदानिक अध्ययन शीघ्र ही भारत में भी किए जाने का समाचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देशभर के बाजारों में यह टीका कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को मद्यपान सेवन के प्रतिकूल परिणामों की जानकारी है। तथापि, मद्यपान सेवन के कारण बढ़ती स्वस्थ्य समस्याओं संबंध में कोई अध्ययन मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं। समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उक्त विषय पर किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इन्कार किया है।

(ग) से (ड.) औषद्य महानियंत्रक (भारत) ने बताया है कि मद्यपान की समस्या पर काबू पाने के लिए चिली में विकसित किए गए एक वैयक्तिक टीके के संबंध में भारत में क्लीनिकल अध्ययन करने के लिए किसी प्रकार की अनुमति मांगने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

[अनुवाद]

डीजल के बल्क उपयोगकर्ता

3080. श्री प्रदीप कुमार सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डीजल के मूल्य को आंशिक रूप से विनियंत्रित करते हुए तेल विपणन कंपनियों को प्रतिमाह डीजल मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सेवा प्रदाताओं को बल्क उपभोक्ता श्रेणी की परिभाषा से छूट देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्य प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) डीजल की बिक्री पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (ओ.एम.सीज.) की अल्प वसूली को कम करने के लिए दिनांक 17 जनवरी, 2013 को सरकार ने ओ.एम.सीज. को (क) अगले आदेशों तक डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में 40 पैसे से 50 पैसे प्रति लीटर माह वृद्धि करने (विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में यथा लागू वैट को छोड़कर) और (ख) ओ.एम.सीज. के संस्थापनों से सीधे तौर पर थोक आपूर्तियों लेने वाले सभी उपभोक्ताओं को गैर-राजसहायता प्राप्त बाजार निर्धारित मूल्यों पर तत्काल प्रभाव से डीजल की बिक्री करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। तदनुसार, इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आई.ओ.सी.एल.) ने खूदरा उपभोक्ताओं के लिए डीजल के मूल्य में क्रमश: 18 जनवरी, 2013 और दिनांक 16 जनवरी, 2013 और 16 फरवरी, 2013 को 0.45 रुपए प्रति लीटर (वैट को छोड़कर) की वृद्धि की है। ओ.एम.सीज. ने थोक उपभोक्ताओं को गैर राजसहायता प्राप्त बाजार निर्धारित मूल्य पर डीजल की बिक्री करने के निर्णय को भी कार्यान्वित कर दिया है।

(ग) और (घ) सरकार को गुजरात राज्य सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें राज्य परिवहन उपक्रमों (एस.टी.यूज.) के सामने गैर राजसहायता प्राप्त बाजार निर्धारित मूल्य पर डीजल की खरीद पर आ रही परेशानियों को रेखांकित किया गया है। यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है कि वे राज्य परिवहन उपक्रमों (एस.टी.यूज.) को राज्य करों को युक्तिसंगत बनाने सहित उचित उपलब्ध कराएं।

[हिन्दी]

तेल और गैस का संरक्षण

3081. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पदों की खपत का आंकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए कोई योजना

तैयार की है/करने का प्रस्ताव किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उस अवधि के संबंध में, जबकि खपत और उत्पादन की दृष्टि से देश के पेट्रोलियम भंडारों का पूर्ण उपयोग हो चुका होगा, कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भावी पीढ़ियों के लिए तेल भंडारों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से संबंधित कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के अनुमानित उपभोग का ब्यौरा निम्नवत् है:-

क्र.सं.	वर्ष	12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का अनुमानित उपभोग (मिलियन मीट्रिक टन)
1.	2012-13	152.937
2.	2013-14	160.436
3.	2014-15	168.635
4.	2015-16	176.972
5.	2016-17	186.209

तेल और गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन और ऐसे संबद्ध कार्यकलाप जो पूंजी प्रधान हैं और जिनमें महंगी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की आवश्यकता है, उनमें सरकार विदेशी कंपनियों सहित राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ निजी कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1993 में ओ.एन.जी.सी. द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, भारत में कुल 26 तलछटीय बेसिनों में से 15 तलछटीय बेसिनों का हाइड्रोकार्बन स्रोत लगभग 28 बिलियन टन तेल और तेल समतुल्य है। दिनांक 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार है कि दिनांक 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार तेल और गैस के शेष निकासी योग्य भंडारों और वर्तमान तेल और गैस उत्पादन की दर के आधार पर देश में तेल भंडार अगले 20 वर्ष तक बने रहने की संभावना है और गैस भंडार अगले लगभग 28 वर्षों तक के लिए बने रहने की संभावना है। तथापि, अन्वेषण और विकास कार्यकलापों के दौरान सतत रूप से मिलने वाले आंकड़ों से इन भंडारों को को उन्नत किया जाएगा। इसी प्रकार तेल और गैस की मांग/उपभोग में भी कई गुना वृद्धि होगी।

डीजल की कालाबाजारी

3082. श्री सुदर्शन भगत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीजल की दोहरी मूल्य-नीति से देश में डीजल की कालाबाजारी बढ़ी है;

(ख) यदि हां, ती तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) डीजल की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज.) द्वारा बताया गया है, थोक उपभोक्ताओं के लिए मूल्य में संशोधन के बाद देश में डीजल की कालाबाजारी की सूचनाएं नहीं हैं।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनिवार्य वस्तु अधिनियमप, 1955 के तहत जारी मोटर स्प्रिट तथा हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण विनियमन तथा कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 में अपमिश्रण, अनाधिकृत बिक्री/खरीद, चोरी आदि के लिए दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित विभिन्न अनियमितताओं/कदाचारों को रोकने के लिए सरकार ने कई शुरूआतें की हैं जैसे कि खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन, खुदरा बिक्री केन्द्रों का तीसरा पक्षकर अधिप्रमाणन, वैश्विक

अवस्थिति प्रणाली (जी.पी.एस.) द्वारा टैंक ट्रकों के संचलन पर निगरानी।

ओ.एम.सीज. अपमिश्रण तथा कदाचारों में लिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उद्देश्य से विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एम.डी.जी.) और डीलरशिप करारों के तहत खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित और औचक निरीक्षण भी करती हैं और कार्रवाई भी करती हैं। एम.डी.जी. में अपमिश्रण, सीलों के साथ छेड़-छाड़ और वितरण इकाइयों में अनाधिकृत जुडनारों/गियरों जैसे गंभीर कदाचारों के लिए पहली बार में ही डीलरशिप को समाप्त करने की व्यवस्था है।

ओ.एम.सीज. ने एम.एस. और एच.एस.डी. ले जाने वाले टैंक ट्रकों की आवा-जाही पर निगरानी रखने के लिए जी.पी.एस. प्रणाली लगाई है। इससे ओ.एम.सीज. टैंक ट्रकों की आवा-जाही पर बारीकी से निगरानी रख सकती हैं तथा सुपुर्दगी के लिए अपेक्षित विशिष्टि समय और विशिष्ट मार्ग से किसी प्रकार के अनाधिकृत विपथन का पता लगा सकती हैं।

[अनुवाद]

ओ.पी.ए.एल. की परियोजना

3083. श्री प्रहलाद जोशी :
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओ.पी.एल.एल.) की परियोजना में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसमें विलंब के कारण आज तक परियोजना के रखरखाव और अनुरक्षण की लागत में वृद्धि हो गई है; और

(घ) विलंब के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या दांडिक कार्रवाई की जा रही है/किए जाने का प्रस्तव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) ओ.एन.जी.सी. पेट्रो एडीशन्स लिमिटेड (ओ.पी.ए.एल.) के अनुसार विभिन्न कार्य - पैकेजों के पूर्णता की समय सीमा पर आधारित पेट्रोरसायन परियोजना के लिए बोर्ड के अनुमोदन के संबंध में जनवरी, 2011 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) को अवगत करा दिया गया था, इस परियोजना का नियोजित पूर्णता कार्यक्रम अक्तूबर, 2013 है।

(ग) वर्तमान में परियोजना निर्माणाधीन है और इसके पर्याप्त तौर पर पूरा होने और चालू होने के पश्चात् ओ.पी.ए.एल. को सौंपे जाने का कार्य पैकेजों के संबंध में परियोजना की मरम्मत और अनुरक्षण, यदि कोई हो, की जिम्मेदारी संबंधित संविदाकारों की है। इस प्रकार आज तक कोई ऐसी लागत वहन नहीं की गई है।

(घ) किसी प्रकार के विलंब हेतु, संविदाकार संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार परिनिर्धारित नुकसान के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

पवन-ऊर्जा केन्द्रों की उत्पादन-क्षमता

3084. श्री चार्ल्स डिएस. : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक देश में स्थापित किए गए पवन ऊजा केन्द्रों की संख्या और उत्पादन-क्षमता का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पवन ऊर्जा केन्द्रों द्वारा उत्पादित कितनी विद्युत को जनरल ग्रिड को भेजा गया;

(ग) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ पवन ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान

देश में लगभग 8000 पवन टरबाइनों को शामिल करते हुए 8393 मेगावाट की कुल पवन ऊर्जा क्षमता संस्थापित की गई है। राज्य-वार और वर्ष-वार संस्थापित क्षमताएं संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान पवन ऊर्जा केन्द्रों (विंड फार्म) द्वारा 87.16 बी.यू. विद्युत का उत्पादन किया गया और ग्रिड को दिया गया। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां देश में पवन ऊर्जा परियोजनाएं संस्थापित करने में रूचि ले रही हैं। भारतीय पवन टरबाइन विनिर्माता एसोसिएशन (आई.डब्ल्यू.टी.एम.ए.) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार देश में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा पहले ही लगभग 711 मेगावाट की कुल क्षमता की संस्थापना की गई है। वर्ष 2013-14 के लिए 3000 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से कुछ परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से प्राप्त हो सकती हैं।

विवरण

पवन विद्युत की राज्य-वार संस्थापित क्षमता और उत्पादन

राज्य	वर्ष 2009-10 के दौरान संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वर्ष 2010-11 के दौरान संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वर्ष 2011-12 के दौरान संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कुल विद्युत उत्पादन (मेगावाट)
आन्ध्र प्रदेश	14	55	54	1.026
गुजरात	297	313	790	14.389
कर्णाटक	145	254	207	11.393
केरल	1	7	0	0.264
मध्य प्रदेश	17	47	101	0.562
महाराष्ट्र	139	239	416	13.182
राजस्थान	350	437	546	7.041
तमिलनाडु	602	998	1083	39.307
कुल	1565	2350	3197	87.162

[हिन्दी]

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण में गुणवत्ता-नियंत्रण

3085. श्री कमल किशोर 'कमांडो' : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ई.एम.आर.एस.) के निर्माण में निर्धारित मानकों पर खरी न उतरने वाली घटिया सामग्री के उपयोग पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(च) देश में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की जांच के लिए सरकार द्वारा क्या निगरानी-तंत्र स्थापित किया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह) : (क) से (च) जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ई.एम.आर.एस.) की स्थापना करने के लिए अनुदान प्रदान करता है, तथापि, भवन निर्माण और ई.एम.आर.एस. के प्रबंधन सहित कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। ई.एम.आर.एस. के मौजूदा दिशानिर्देशों में यह निर्धारित है कि "बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" की अनुसूची में यथानिर्धारित "भवन" के संबंध में किसी स्कूल के मानदंडों एवं मानकों का पूर्णत: सुनिश्चित संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अत:, देश में ई.एम.आर.एस. के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों की होती है। उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार इस मंत्रालय को ई.एम.आर.एस. के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

पी.डी.एस. किरोसिन का आवंटन

3086. श्रीमती दर्शना जरदोश :
श्री हरिन पाठक :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों को पी.डी.एस. के आवंटन के लिए नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किरोसिन के आवंटन का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह नीति रसोई गैस के कवरेज तथा राज्यों की जनसंख्या पर आधारित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रसोई गैस/पी.एन.जी. के कवरेज का आकलन करने के लिए स्वतंत्र सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो उन घरों का ब्यौरा क्या है जहां अनेक रसोई गैस/पी.एन.जी. के कनेक्शन हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, हां। घरेलू एल.पी.जी. कनेक्शनों में हुई वृद्धि, पूर्व वर्षों में पी.डी.एस. मिट्टी तेल का छोड़ा गया कोटा और गैर-एल.पी.जी. एवं और गैर-पी.एन.जी. आबादी के लिए पी.डी.एस. मिट्टी तेल के आबंटन को समिति करने जैसे कारकों के आधार पर पी.डी.एस. मिट्टी तेल कोटा को तर्कसंगत बनाया जाता है।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान पी.डी.एस. मिट्टी तेल कोटा के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया पर आधारित साफ्टवेयर का प्रयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां एक नाम/एक पते पर बहु-कनेक्शनों (एल.पी.जी./पी.एन.जी.) को चिन्हित करने का प्रयास कर रही हैं। यदि वे कनेक्शन उपयुक्त सत्यापन के पश्चात् जाली/बेनामी/नकली पाए जाते हैं तो उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है।

(ङ) बहु-कनेक्शनों जिससे अत्यधिक राजसहायता प्राप्त घरेलू एल.पी.जी. का विपथन होता है, को रोकने के उद्देश्य से, सरकार ने दिनांक 10.09.2009 को अधिसूचित तरलीकृत पेट्रोलियम गैस

(आपूर्ति और वितरण) आदेश, 2000 को संशोधित कर दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रति परिवार को केलव एक एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

एक ही परिवार में बहु-कनेक्शन सिद्ध होने पर एक कनेक्शन को छोड़कर अन्य सभी कनेक्शनों को बंद कर दिया जाता है और तत्पश्चात् समाप्त कर दिया जाता है।

विवरण

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार पी.डी.एस. एस.के.ओ. का आबंटन (कि.ली. में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7236	7248	7248	7272
2.	आन्ध्र प्रदेश	465996	530808	595800	664476
3.	अरुणाचल प्रदेश	11556	11628	11736	11783
4.	असम	328152	330708	331176	331392
5.	बिहार	817212	820320	824760	827265
6.	चंडीगढ़	3960	7332	9168	9227
7.	छत्तीसगढ़	186240	186600	186972	187382
8.	दादरा और नगर हवेली	2280	2484	3036	3579
9.	दमन और दीव	912	2016	2328	2663
10.	दिल्ली	53904	61380	138900	173777
11.	गोवा	5460	19776	22680	24684
12.	गुजरात	673584	673584	920556	954329
13.	हरियाणा	95076	157260	172632	186107
14.	हिमाचल प्रदेश	25140	32472	40260	58424
15.	जम्मू और कश्मीर	94698	95082	95082	96794
16.	झारखण्ड	269988	270276	270852	271089
17.	कर्णाटक	522888	539544	562812	592822

1	2	3	4	5	6
18.	केरल	125196	197124	225096	277959
19.	लक्षद्वीप	1008	1020	1020	1022
20.	मध्य प्रदेश	625980	626412	626412	626881
21.	महाराष्ट्र	945720	1258812	1564176	1640416
22.	मणिपुर	25344	25344	25344	25370
23.	मेघालय	25944	26064	26136	26162
24.	मिजोरम	7836	7836	7920	7942
25.	नागालैण्ड	17100	17100	17100	17113
26.	ओडिशा	399768	400944	403140	403919
27.	पुदुचेरी	4668	10440	15732	15740
28.	पंजाब	103884	272556	28396	301590
29.	राजस्थान	510960	511404	511644	511984
30.	सिक्किम	6348	6588	6600	7153
31.	तमिलनाडु	482244	551352	633648	717580
32.	त्रिपुरा	39180	39264	39300	39501
33.	उत्तर प्रदेश	1592148	1592700	1593768	1594413
34.	उत्तराखंण्ड	37932	107520	111060	115451
35.	पश्चिम बंगाल	964464	964728	965388	965724
	कुल आबंटन	9480006	10365726	11254878	11698985

डेबिट क्रेडिट कार्डो पर फोटो लगाना

3087. श्री सी. शिवासामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षोपाय के रूप डेबिट/क्रेडिट कार्डों पर फोटो लगाने पर प्रस्ताव सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर पी.एस.बी. की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आई.बी. आई.) द्वारा परामर्श दिया गया है कि गुम/चोरी हुए कार्डों के दुरूपयोग की घटनाओं को कम करने को ध्यान में रखते हुए उन्हें कार्डधारक की तस्वीरों वाले कार्ड जारी करने अथवा समय-समय पर विकसित होने वाले किसी और उन्नत तरीकों पर विचार करना चाहिए। जहां तक क्रेडिट कार्डो का संबंध है, बैंकों को आर.बी.आई. द्वारा परामार्श दिया गया है कि गुम/चोरी हुए कार्डों के दुरुपयोग की घटनाओं को कम करने को ध्यान में रखते हुए उन्हें (i) कार्डधारक की तस्वीकरों वाले कार्ड (ii) पी.आई.एन. सहित कार्ड तथा (iii) हस्ताक्षर लेमिनेटिड कार्ड अथवा समय-समय पर विकसित किसी अन्य उन्नत तरीकों को अपनाने पर विचार करने की सिफारिरश की गयी है।

[हिन्दी]

कर रियायत

3088. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :**
श्री रामसिंह राठवा :
श्री रूद्रमाधव राय :
श्री हरीश चौधरी :
श्री रेवती रमण सिंह :
श्रीमती रमा देवी :
राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री अमरनाथ प्रधान :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्रीमती इंग्रिड मैक्लोड :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
श्री जगदीश सिंह राणा :
श्री ए. साई प्रताप :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में उपलब्ध कर छूट/रियायत रिबेट सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में प्राप्त अनुरोधों/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी सुविधाओं के सकारात्मक प्रभाव का कोई आंकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सकरार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) प्रत्यक्ष कर संहिता (डी.टी.सी.) और इसमें समाहित बिन्दुओं पर हुई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में नयी कर व्यवस्था कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) वर्तमान में उपलब्ध कर छूट/रियायत/कटौती, की सुविधाएं आयकर अधिनियम, 1961 के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार हैं।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के विद्यमान प्रावधानों के अन्तर्गत यथाविहित विभिन्न कर छूटें/रियायतें, केन्द्र सरकार या आयकर विभाग के विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दी जाती है जो कानून के अनुसार ऐसे अनुरोधों/प्रस्तावों का निपटान करते हैं। इस प्रकार के प्राप्त अनुरोध/प्रस्तावों के ब्यौरों के संबंध में कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) प्रत्यक्ष कर छूटों एवं रियायत प्रावधानों का प्रयोजन, सामान्यतया, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अर्थिक कल्याण को सुकर बनाना तथा इसे बढ़ावा देना है। यद्यपि, आयकर अधिनियम, 1961 में प्रदान की गई प्रत्यक्ष कर छूटों/रियायत/कटौती के संबंध में राजस्व परित्याग का आकलन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किया जाता है, ऐसे प्रावधानों के सकारात्मक प्रभावों का कोई संरचनात्मक आकलनक, आयकर विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) चर्चा कागजात के साथ मसौदा प्रत्यक्ष

कर संहिता (डी.टी.सी.), 2009, लोक परामर्श व प्रतिपुष्टि के लिए 12 अगस्त, 2009 को जारी किया गया। विभिन्न पणधारकों की प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद संशोधित चर्चा कागजात जारी किया गया। संशोधित चर्चा पत्र पर प्राप्त प्रतिक्रिया पर विचार किया गया है और इस प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 में शामिल किया गया है जो संसद में लंबित है। प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक को जांच-पड़ताल के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया। प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 पर वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट मार्च, 2012 में प्राप्त हुई थी। यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

पेट्रोलियम क्षेत्र से संग्रहण

3089. श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री अर्जुन राय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों की प्रत्येक तिमाही और चालू वर्ष के दौरान पेट्रोलियम-क्षेत्र से विभिन्न करों उपकरों और अन्य स्रोतों से संग्रहित राशि कितनी है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप राजकोष में जमा की गई राशि में वृद्धि दर्ज की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में पेट्रोलियम क्षेत्र से संकलित सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क का त्रैमासिकवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	कुल राजस्व
2009-10	15966	17834	17329	20638	71767
2010-11	23852	24889	25864	28222	102827
2011-12 (अनंतिम)	30232	20803	21607	22707	95349
2012-13 (दिसम्बर तक)	23848	23843	24127	-	71818

(ख) और (ग) राजकोष की जमा राशि में केवल वर्ष 2010-11 के दौरान वृद्धि हुई है, क्योंकि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोत्तरी हो गई थी और साथ ही साथ 27.02.2010 से 24.06.2011 के दौरान कच्चे तेल पर लगने वाले आधारभूत सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 5% कर दिया गया था।

खनिजों की रॉयल्टी में अशोध्य शुल्क की भूमिका

3090. श्री हरीश चौधरी :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खनिजों हेतु राज्यों को प्रदान की जाने वाली रॉयल्टी में अशोध्य शुल्क की क्या भूमिका है;

(ख) क्या राज्यों को अशोध्य शुल्क के कारण अपने क्षेत्रों में स्थित खनिजों पर बाजार दर के अनुसार रॉयल्टी नहीं मिल रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के धारा 9(2)

के अनुसार एक खनन पट्टा क्षेत्र से उनके या उनके एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी ठेकेदार या उप-पट्टाधारी द्वारा निकाले या खपत किए गए किसी खनिज के संबंध में उस खनिज से संबंधित द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट तत्समय दर पर रॉयल का भुगतान करेगा।

इसके अतिरिक्त एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 की धारा 9क (1) के अनुसार खनन पट्टा धारक खनन पट्टेक के दस्तावेज में शामिल सभी क्षेत्रों के लिए तृतीय अनुसूची में तत्समय के लिए विनिर्दिष्ट ऐसे दर पर प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को डेड रेंट का भुगतान करेगा।

तथापि, पट्टाधारी किसी निकाले गए या खपत किए गए खनिज के लिए या तो रॉयल्टी या डेड रेंट, जो भी अधिक होगा, का भुगतान करेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

बीमा कंपनियों का लक्ष्य और उपलब्धि

3091. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी/निजी बीमा कंपनियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन और गैर-जीवन बीमा के लिए निर्धारित व्यापार लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और ऐसी बीमा कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में बीमा विनियामक प्राधिकरण द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सूचित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से अपने कुल व्यवसाय का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करने के लिए इरडा (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमाकर्ताओं की बाध्यता) विनियमन, 2002 ने बीमाकर्ताओं के लिए निर्धारित करता है। जीवन बीमा कंपनियों के मामले में पिछले तीन वर्षों के दौरान एक उदाहरण सामने आया है जहां मैसर्स भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वर्ष 2010-11 के लिए इरडा द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र संबंधी दायित्वों का अनुपालन नहीं किया है (कुल पॉलिसियों में से लक्ष्य 16% था जिसे ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त किया जाना था जबकि बीमाकर्ता ने 15.98% का लक्ष्य प्राप्त किया है)। चूंकि यह कमी नाममात्र अर्थात 0.02% की थी, प्राधिकरण ने तत्पश्चात कंपनी को अपने दायित्वों के अनुपालन की निगरानी करने की सलाह दी है।

गैर-जीवन बीमा कंपनियों के मामले में दो उदाहरण सामने आए थे पहला 2009-10 में और दूसरा 2011-12 में जहां ग्रामीण क्षेत्र के दायित्वों का अनुपालन नहीं किया गया था। इनका विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	कंपनी का नाम	ग्रामीण क्षेत्र दायित्व का ब्यौरा	कारण	इरडा द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
2009-10	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	कुल सकल प्रीमियम आय में से 7% का लक्ष्य था, जबकि 6.29% की उपलब्धि थी	साफ्टवेयर एप्लीकेशन परिवर्तन आने के कारण उपलब्धि की निगरानी करने में असमर्थता	इरडा ने 10 लाख रुपए का दंड लगाया है

1	2	3	4	5
2010-11	मैम्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	कुल सकल प्रीमियम आय में से 3% का लक्ष्य था, जबकि 0.08% की उपलब्धि थी	—	गैर-अनुपालन के लिए इरडा कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में है

[अनुवाद]

कुष्ठ रोग का उन्मूलन

3092. श्री एल. राजगोपाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005 में भारत को कुष्ठ रोग मुक्त घोषित करने के बावजूद प्रत्येक वर्ष देश से विश्व के 50 प्रतिशत कुष्ठ रोग के मामले सूचित किया किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पाए गए नए मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुष्ठ रोग मामलों की व्याप्तता दर कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश से कुष्ठ रोग को उन्मूलित करने के लिए कोई और उपाय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इस प्रयोजन हेतु आवंटित और व्यय की गई निधियां कितनी हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) वर्ष 2005 में, राष्ट्रीय स्तर पर देश में कुष्ठ रोग उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। प्रति 10,000 जनसंख्या पर कुष्ठ रोग के एक मामले से कम की व्याप्तता को उन्मूलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तथापि, उन्मूलन के बावजूद, कुष्ठ रोगों के इन मामलों का पता प्रतिवर्ष चलता रहेगा क्योंकि कुछ रोग की उदभव अवधि कुछ सप्ताहों से लेकर 20 वर्षों तक ही होती है। विश्व में अभिज्ञात कुष्ठ रोगों के नए मामलों में से, भारत में 50 प्रतिशत से अधिक मामले पाएं गए। भारत की जनसंख्या को इस अधिक संख्या हेतु एक मुख्य कारण के रूप में माना जा सकता है।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सूचित किए गए नए कुष्ठ रोग मामलों और व्याप्तता दर के राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार बारहवीं योजनावधि (2012-17) के दौरान जिला स्तर पर कुष्ठ रोग के उन्मूलन की प्राप्ति पर ध्यान संकेद्रित कर रही है। उपायों में गहन क्रियाकलापों जैसे सक्रिय मामला निष्कर्ष, समुदाय में आई.ई.सी./बी.सी.सी., मेडिकल, पैरा-मेडिकल और सामुदायिक कार्यकत्ताओं का क्षमता निर्माण और बेहतर निगरानी और पर्यवेक्षण के माध्यम से उन्नत और शीघ्र पहचान और मामला प्रबंधन शामिल है।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित, जारी निधियों और व्यय (जैसाकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है) को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए कुष्ठ रोगों के नए मामलों और उनकी व्याप्तता दर के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (जनवरी, 2013 तक)
		कुष्ठ रोग के नए मामलें	व्याप्तता दर	कुष्ठ रोग के नए मामलें	व्याप्तता दर	कुष्ठ रोग के नए मामलें	व्याप्तता दर	कुष्ठ रोग के नए मामलें
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	9012	0.60	7448	0.49	7820	0.58	6363
2.	अरूणाचल प्रदेश	24	0.43	32	0.35	28	0.21	34
3.	असम	1176	0.40	1252	0.40	1000	0.37	860
4.	बिहार	21431	1.08	20547	1.12	17801	0.89	18320
5.	छत्तीसगढ़	7641	2.20	7383	1.94	6999	1.69	5754
6.	गोवा	86	0.38	70	0.29	64	0.36	46
7.	गुजरात	7373	0.83	7309	0.79	7496	0.81	8100
8.	हरियाणा	365	0.14	321	0.13	524	0.21	495
9.	हिमाचल प्रदेश	164	0.21	214	0.27	195	0.25	135
10.	झारखण्ड	5345	0.98	4448	0.65	3615	0.59	2903

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	जम्मू और कश्मीर	159	0.13	211	0.16	175	0.16	126
12.	कर्नाटक	4408	0.49	3891	0.44	3718	0.46	2937
13.	केरल	884	0.23	931	0.27	861	0.26	679
14.	मध्य प्रदेश	5592	0.63	5708	0.60	5858	0.63	5050
15.	महाराष्ट्र	15071	0.86	15498	0.93	17892	1.07	15730
16.	मणिपुर	31	0.06	26	0.06	24	0.06	15
17.	मेघालय	20	0.11	61	0.24	41	0.23	19
18.	मिज़ोरम	10	0.13	19	0.19	13	0.10	14
19.	नागालैण्ड	79	0.26	67	0.72	90	0.38	137
20.	ओडिशा	6481	0.88	6742	0.85	8312	0.99	7109
21.	पंजाब	824	0.26	819	0.24	695	0.06	756
22.	राजस्थान	1200	0.19	1024	0.17	974	0.15	908
23.	सिक्किम	20	0.32	16	0.23	20	0.24	16
24.	तमिलनाडु	5046	0.52	4617	0.44	4082	0.42	3027
25.	त्रिपुरा	56	0.25	29	0.24	36	0.26	17
26.	उत्तर प्रदेश	27473	0.81	25509	0.79	24627	0.69	19755
27.	उत्तराखंड	587	0.38	532	0.30	499	0.28	438

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	पश्चिम बंगाल	11453	0.96	10321	0.92	12169	1.08	10208
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	15	0.34	26	0.53	27	0.55	12
30.	चण्डीगढ़	25	0.27	43	0.38	54	0.55	45
31.	दादरा और नगर हवेली	156	2.62	205	2.28	237	2.93	313
32.	दमन और दीव	2	0.09	2	0.08	3	0.12	1
33.	दिल्ली	1448	0.69	1408	0.78	1295	0.78	944
34.	लक्षद्वीप	2	0.29	0	0.00	2	0.00	0
35.	पुदुचेरी	58	0.41	71	0.34	49	0.22	47
	कुल	133717	0.71	126800	0.69	127295	0.68	111313

*प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मार्च को व्याप्तता दर की गणना की जाती है।

विवरण-II

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (28 फरवरी, 2013 तक) के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन, निमुर्क्ति और व्यय

(लाख रू. में)

क्र. सं.	नाम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13 (28 फरवरी, 2013 तक) (अनंतिम)		
		आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	214.67	193.54	192.42	205	198.91	194.78	216.02	153.56	173.85	209.61	103.61	101.48
2.	अरूणाचल प्रदेश	76.00	73.95	66.67	65	58.91	56.29	62.91	48.45	70.25	66.85	47.93	44.42
3.	असम	130.00	72.00	69.97	120	80.32	73.80	150.28	47.31	36.16	149.10	33.04	77.05
4.	बिहार	260.67	0.00	61.34	225	शून्य	73.73	818.76	565.55	69.91	731.77	0.00	21.60
5.	छत्तीसगढ़	159.79	62.91	131.08	165	136.29	123.62	203.09	98.78	156.44	167.91	0.00	4.8
6.	गोवा	12.42	7.67	9.38	14	10.96	7.60	15.16	11.37	12.02	12.14	2.92	6.33
7.	गुजरात	179.27	162.16	229.07	174	133.28	152.42	181.93	155.85	159.60	239.50	167.47	195.12
8.	हरियाणा	107.00	64.50	56.76	97	शून्य	67.61	81.71	40.18	55.24	142.93	79.20	80.10
9.	हिमाचल प्रदेश	71.80	17.75	40.16	65	23.94	35.48	67.91	48.05	37.44	58.91	15.45	15.61
10.	झारखण्ड	172.00	0.00	76.38	153	97.76	103.09	218.48	147.88	121.99	220.27	120.82	19.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	जम्मू और कश्मीर	85.54	32.00	30.84	83	47.36	21.95	84.09	9.12	16.55	102.14	72.85	20.30
12.	कर्णाटक	170.32	126.62	138.38	170	134.62	148.40	161.80	117.95	135.42	175.24	118.46	89
13.	केरल	110.00	0.00	37.58	105	56.59	51.27	94.00	30.06	54.17	87.01	49.17	14.58
14.	मध्य प्रदेश	257.08	59.50	139.09	257	156.55	194.41	255.00	130.75	138.93	319.10	114.67	119.19
15.	महाराष्ट्र	300.34	256.13	215.76	280	195.42	243.40	329.55	278.67	299.16	413.19	275.42	214.76
16.	मणिपुर	51.33	46.20	37.71	45	23.73	37.43	46.94	34.88	34.45	45.55	33.02	26.47
17.	मेघालय	41.00	30.70	26.68	41	20.55	24.51	42.10	24.90	21.00	54.62	30.38	15.52
18.	मिज़ोरम	44.42	40.67	34.19	42	31	37.18	59.46	30.54	42.68	53.23	22.29	8.79
19.	नागालैण्ड	52.23	51.70	51.70	52	51.47	51.66	55.50.	55.16	55.27	57.31	42.78	42.86
20.	ओडिशा	186.25	97.00	121.55	175	91.53	117.87	170.99	81.50	158.97	321.16	234.78	100.98
21.	पंजाब	130.30	66.00	73.02	115	74.67	86.73	132.91	68.53	98.24	174.87	126.83	85.83
22.	राजस्थान	163.73	142.33	177.73	160	108.4	138.62	157.99	136.61	101.22	138.85	47.73	83.83
23.	सिक्किम	29.64	24.72	24.62	33	17.47	22.49	45.36	45.36	38.18	35.97	21.61	25.78
24.	तमिलनाडु	200.26	93.58	127.50	190	114.54	159.25	180.73	149.98	149.09	228ए26	98.48	86.24
25.	त्रिपुरा	31.20	30.05	8.42	31	शून्य	16.82	24.89	15.53	14.20	21.48	12.37	7.67
26.	उत्तर प्रदेश	576.80	522.68	409.62	572	380.72	311.87	707.08	393.59	217.45	605.70	0.00	5.18
27.	उत्तराखंड	70.89	47.00	40.93	58	20.7	42.27	53.19	39.12	43.08	53.83	26.18	27.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	पश्चिम बंगाल	247.55	133.00	150.50	240	168.59	190.2	23396	80.37	216.13	289.09	160.89	170.44
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	17.59	0.00	6.54	17.5	8.17	6.33	7.10	1.94	4.84	12.47	6.94	0.94
30.	चण्डीगढ़	13.46	13.00	11.61	16	11.75	12.33	21.77	18.10	12.55	18.51	4.60	3.09
31.	दादरा और नगर हवेली	16.50	12.32	10.07	20	11.82	10.50	16.20	7.18	14.46	26.12	16.72	11.39
32.	दमन और दीव	8.92	1.50	4.12	10	7.85	5.29	12.23	6.81	7.70	15.37	0.00	22.22
33.	दिल्ली	92.70	10.00	37.36	100	50.55	49.87	100.80	49.35	59.79	91.27	53.46	45.72
34.	लक्षद्वीप	4.94	0.00	2.00	0	शून्य	3.10	4.46	–	2.43	12.81	8.89	2.64
35.	पुदुचेरी	14.07	13.55	9.43	14.5	9.8	8.36	16.01	10.16	11.72	17.57	7.67	17.69
	संपूर्ण भारत	4300.68	2504.73	2860.18	4110	2534.22	2880.53	5030.36	3133.16	2840.58	5369.71	2156.63	1814.36

सी.जी.एच.एस. पैनलबद्ध अस्पतालों से उपचार

3093. श्री रमेश राठौड़ :
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) औषधालयों को कोई अनुदेश दिया है कि सी.जी.एच.एस. पैनलबद्ध अस्पतालों में उपचार कराने वाले रोगियों को सीधे औषधि दी जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि सी.जी.एच.एस. पैनलबद्ध अस्पतालों के नुस्खे पर सी.जी.एच.एस. औषधालयों से रोगियों को औषधियां नहीं मिलती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारारात्मक उपाए किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ) सी.जी.एच.एस. के तहत निजी अस्पतालों को मुख्यत: सी.जी.एच.एस. लाभार्थी को अतंरग चिकित्सा उपचार मुहैया कराने के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। तथापि, सी.जी.एच.एस. में छह प्रमुख वर्गों नामत: हृदय रोग, गुर्दा संबंधी रोग, तंत्रिका संबंधी रोग, जोड़ बदलने, दुर्घटना संबंधी मामलों तथा कैंसर रोग में शल्य चिकित्सा के बाद इन अस्पतालों से अनुवर्ती उपचार की अनुमति है। तदनुसार, सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार कर रहे विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई दवाइयां सीधे औषधालयों से जारी की जाती है। शल्यचिकित्सा के बाद अन्य मामलों, में अस्पताल से छुट्टी देने पर रोगियों को सलाह के अनुसार एक माह तक की दवाइयां जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार करा रहे रोगियों को कीमोथेरेपी की दवाइंया जारी करने का भी प्रावधान है। उपर्युक्त प्रणाली सही ढंग से कार्य कर रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

3094. श्री कामेश्वर बैठा :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री आधि शंकर :
श्री देवजी एम. पटेल :
श्री बद्रीराम जाखड़ :
श्री खिलाड़ी लाल बैरवा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजना-वार और राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार बड़े शल्य चिकित्साओं और अन्य उपचारों हेतु गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सरकार द्वारा स्वीकृत और जारी कुल निधियां कितनी हैं;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत निधियां जारी नहीं की हैं;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि रोकी गई है और इसके क्या कारण हैं और इस राशि को राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने सभी केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों और संस्थानों को कोई आदेश जारी किए हैं कि जहां भी वित्तीय उपचार की राशि 1 लाख रुपये से अधिक हो तो ऐसे मामलों को राज्य रुग्णता सहायता निधि (एस.आई.ए.एफ.) को भेजने के बजाए इन्हें राष्ट्रीय आरोग्य निधि मुख्यालय को भेजें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा जरूरतमंद गरीब रोगियों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में अनावश्यक विलंब को रोकने हेतु सरकार द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपेक्षित निधि जारी किया है जिन्होंने राज्य रूग्णता सहायता निधि के दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया है:-

(1) संगम ज्ञापन (2) सोसाइटी के नियम एवं विनियम (3) सोसाइटी प्रमाण पत्र की पंजीकरण (4) दस्तावेज प्रमाणपत्र, (सोसाइटी के बैंक खाता की पास बुक की प्रतिलिपि) जिसमें इस बात की पुष्टि होती हो कि संबंधित राज्य द्वारा दिया गया अंशदान समिति के नाम जमा किया गया है। (5) केन्द्रीय सहायता के लिए विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र (6) समिति का लेखा, जो महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित है।

(घ) और (ङ) जी हां। अनावश्यक विलंब से बचने और योजना की अधिक रोगी उन्मुख बनाने के लिए वर्तमान दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है, ताकि केन्द्र सरकार के सभी अस्पताल/संस्थान ऐसे मामले, जहां वित्तीय उपचार की राशि 1 लाख रुपए से अधिक हो, को राज्य रुग्णता सहायता निधि को भेजने के बजाया राष्ट्रीय आरोग्य निधि मुख्यालय को भेज सकते हैं। इससे गरीबी रेखा के नीचे के रोगी केन्द्र सरकार के अस्पतालों/संस्थानों में समय पर तथा बेहतर उपचार प्राप्त कर सकेंगें।

विवरण

राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत आवंटित/जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश				
2.	असम				150
3.	अरुणाचल प्रदेश				50
4.	बिहार				
5.	छत्तीसगढ़	187.5			
6.	गोवा		25		
7.	गुजरात				
8.	हिमाचल प्रदेश				
9.	हरियाणा	25	25	25	25
10.	जम्मू और कश्मीर				
11.	झारखंड				
12.	कर्णाटक				

1	2	3	4	5	6
13.	केरल			75	
14.	मध्य प्रदेश				
15.	महाराष्ट्र				
16.	मणिपुर		75	125	
17.	मिज़ोरम				
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				
19.	ओडिशा				500
20.	पुदुचेरी			50	
21.	पंजाब				
22.	राजस्थान				
23.	सिक्किम				
24.	तमिलनाडु		250	127	123
25.	त्रिपुरा				
26.	उत्तर प्रदेश				
27.	उत्तराखंड			63.75	
28.	पश्चिम बंगाल	215.56	125	383.78	
29.	नागालैंड*				
30.	मेघालय*				
	कुल	428.06	500	849.53	848

*एस.आई.ए.एफ. अभी प्रकाशित नहीं किया गया है।

घरेलू एल.पी.जी. की कालाबाजारी

3095. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू प्रयोग हेतु तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.

पी.जी.) की कालाबाजारी के मामलों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार इस स्थिति के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों/अधिकारियों/सिस्टमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जरूरतमंद ग्राहकों को सब्सिडीयुक्त सिलेण्डरों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और अप्रैल-दिसम्बर, 2012 के लिए, काला बाजारी (अधिक प्रभार लेना तथा विपथन) के सिद्ध मामलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

काला बाजारी के सभी सिद्ध मामलों में एम.डी.जी., 2001 के प्रावधानों के अनुसार चूक करने वाले एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों नामत: इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.) ने बताया है कि देश में एल.पी.जी. आपूर्ति की कोई कमी नहीं है और उनके पास पंजीकृत ग्राहकों की मांग को वे पूरा कर रही हैं। तथापि, नियंत्रण से परे/अपरिहार्य कारणों से यदि कोई बैकलॉग होता है तो भरण संयंत्रों का प्रचालन रविवारों/अवकाश के दिनों को भी करके प्रभावित बाजारों को की जाने वाली आपूर्ति बढ़ाकर इसे पूरा किया जाता है।

विवरण

विगत तीन वर्षों तथा अप्रैल-दिसम्बर, 2012 के लिए कालाबाजारी (अधिक प्रभार लेना तथा विपथन) के सिद्ध मामलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे निम्नवत हैं:

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अप्रै.-दिस.-12)
1	2	3	4	5	6
1.	चण्डीगढ़	4	8	0	0
2.	दिल्ली	15	2	24	21
3.	हरियाणा	5	22	26	15
4.	हिमाचल प्रदेश	5	4	4	1
5.	जम्मू और कश्मीर	6	5	9	2
6.	पंजाब	45	37	19	11
7.	राजस्थान	27	41	61	12
8.	उत्तर प्रदेश	81	90	108	130
9.	उत्तराखंड	2	0	7	5

1	2	3	4	5	6
10.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
11.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
12.	असम	0	2	15	2
13.	बिहार	14	24	39	8
14.	झारखंड	12	4	12	10
15.	मणिपुर	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	2	1
17.	मिज़ोरम	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0
19.	ओडिशा	15	19	20	9
20.	सिक्किम	0	0	0	0
21.	त्रिपुरा	0	0	0	0
22.	पश्चिम बंगाल	16	6	29	6
23.	छत्तीसगढ़	1	9	6	6
24.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
25.	दमन और दीव	1	0	0	0
26.	गोवा	5	1	0	0
27.	गुजरात	13	32	21	22
28.	मध्य प्रदेश	52	35	36	26
29.	महाराष्ट्र	57	26	53	38
30.	आन्ध्र प्रदेश	58	38	40	20
31.	कर्णाटक	38	37	73	33

1	2	3	4	5	6
32.	केरल	19	24	19	10
33.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
34.	पुदुचेरी	3	3	4	0
35.	तमिलनाडु	44	41	75	24
	कुल योग	538	510	702	412

एनिमिया के मामले

3096. श्रीमती मेनका गांधी :

श्री वरूण गांधी :

श्रीमती ज्योति धुर्वे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों, किशोरों और महिलाओं विशेषकर गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचित मामलों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उक्त रोग को समाप्त करने हेतु शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवंटित और व्यय की गई निधियां कितनी हैं; और

(घ) देश में एनीमिया मामलों की बढ़ती संख्या को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.) से उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बच्चों एवं गर्भवर्ती महिलाओं में रक्तल्पता की प्रतिशतता में मामूली वृद्धि हुई है। तथापि, किशोर महिलाओं में रक्तल्पता की प्रतिशता में कमी आई है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) बच्चों में रक्तल्पता का कारण लौह की अधिक मात्रा वाले आहार में कमी और विभिन्न संवर्धन पद्दति के कारण आहार से लौह का कम अवशोषण है। राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) इस प्रयोजन के लिए आर.सी.एच. और एन.आर.एच.एम. फलेक्सी-पूल निधियों के तहत निधियों का आबंटन और व्यय किया जाता है। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विभिन्न क्रियाकलापों के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित की जाती है।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत लौह की कमी से होने वाली रक्तल्पता के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित गतिविधियां चलाई जा रही है:-

- रक्तल्पता की रोकथाम के लिए प्रत्येक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को लौह और फोलिक अम्ल की 100 गोलियां (बड़ी) दी जाती हैं। गर्भवती/स्तनपाल कराने वाली रक्तल्पता से गस्त महिलाओं को 100 अतिरिक्त टेबलेट दिया जाते हैं।
- 6. माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को रक्तल्पता की रोकथाम के लिए वर्ष में लौह-एवं फोलिक अम्ल सिरप की 100 खुराकें दी जाती हैं। स्वास्थ्य

केन्द्रों पर रक्तल्पता के रोगियों का उपचार किया जाता है।

- हाल में, बच्चों, किशोरों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं में लौह संपूरण और रक्ताल्पता के सम्पूरण उपचार के लिए, जीवन चक्र दृष्टिकोण के जरिए कार्यक्रम मोड में, एक प्रभावकारी रणनीति के रूप में 'राष्ट्रीय लौह प्लस पहल' शुरु की गयी है।

  सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले किशोर लड़के-लड़कियों को तथा जो किशोर लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं, उन्हें आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पर्यवेक्षित साप्ताहिक लौह एवं फोलिक अम्ल संपूरक दिए जाते हैं।

- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं, किशोरों आदि को, लौह एवं फोलिक अम्ल नियमित रूप से लेना सुनिश्चित करने, आहार की विविधता और अधिक लौह-युक्त आहार को बढ़ावा देने, जन्म से प्रथम छः माह तक शिशुओं को केवल स्तनपान को बढ़ावा देने आदि के लिए आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा ए.एन.एम. जैसे फ्रॉन्टलाइन कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण संबंधी परामर्श दिए जाते हैं।

- आंत्र-परजीवी ग्रसन के नियंत्रण के लिए पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वर्ष में दो बार, छः माह के अंतराल पर, कृमि-नाशक (अलबेंडाजोल-400 मि.ग्रा.) दिया जाता है।

- लक्षित जन-समूहों में मामूली/मध्यम/गंभीर रक्तल्पता की जांच की जाती है और इन रोगियों को उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में रेफर किया जाता है।

- गर्भवती महिलाओं में गंभीर रक्तल्पता के मामलों की पहचान और ट्रैकिंग तथा उनके समय पर उपचार के लिए राज्यों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।

- गर्भावस्था में मलेरिया के कारण होने वाली रक्तल्पता की समस्या के समाधान के लिए स्थानिक मारी वाले क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को दीर्घकालिक कीटनाशी मच्छर दानियां (एल.एल.आई.एन.)/कीटनाशी उपचारित बिस्तर मच्छरदानियां (आई.टी.बी.एन.) उपलब्ध करायी जाती हैं।

विवरण-I

एन.एफ.एच.एस.-2 और एन.एफ.एच.एस.-3 के अनुसार भारत में महिलाओं एवं बच्चों में रक्तल्पता के मामले

क्रम सं.	रक्तल्पता के मामले	एन.एफ.एच.एस.-2 (1998-99)	एन.एफ.एच.एस.-3 (2005-06)
1	2	3	4
1.	6 माह से 3 वर्ष के आयु-समूह के बच्चों में किसी प्रकार की रक्तल्पता का प्रतिशत	74.3	78.9
2.	ग्रामीण क्षेत्रों में 6 माह से 3 वर्ष के आयु-समूह के बच्चों में रक्तल्पता का प्रतिशत	75.3	80.9
3.	शहरी क्षेत्रों में 6 माह से 3 वर्ष के आयु-समूह के बच्चों में रक्तल्पता का प्रतिशत	70.8	72.2

1	2	3	4
4.	15-19 वर्ष के आयु-समूह की किशोर महिलाओं में रक्तल्पता का प्रतिशत	60.4	55.7
5.	15-19 वर्ष के आयु-समूह में रक्तल्पता से ग्रस्त शादी-शुदा (इवर मैरेड) महिलाओं का प्रतिशत	51.8	56.2
6.	ग्रामीण क्षेत्रों में 15-49 वर्ष के आयु-समूह में रक्तल्पता से ग्रस्त शादी-शुदा (इवर मैरेड) महिलाओं का प्रतिशत	53.9	57.4
7.	शहरी क्षेत्रों में 15-49 वर्ष की आयु-समूह में रक्तल्पता से ग्रस्त शादी-शुदा (इवर मैरेड) महिलाओं का प्रतिशत	45.7	50.9
8.	किसी भी प्रकार की रक्तल्पता से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत	49.7	58.7

विवरण-II

एन.एफ.एच.एस. 3 (2005-06) के अनुसार महिलाओं एवं बच्चों में रक्तल्पता

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	6-35 माह के बच्चे जो रक्तल्पता के शिकार हैं (%) एन.एफ. एच.एस.-3 (2005-06)	15-49 वर्ष की शादी-शुदा (इवर मैरेड) महिलाएं जो रक्तल्पता की शिकार हैं (%) एन.एफ.एच.एस.-3 (2005-06)
1	2	3	4
	भारत	79.2	55.3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	उपलब्ध नहीं
2.	आन्ध्र प्रदेश	79	62.9
3.	अरुणाचल प्रदेश	66.3	50.6
4.	असम	76.7	69.5
5.	बिहार	87.6	67.4
6.	चंडीगढ़	-	उपलब्ध नहीं
7.	छत्तीसगढ़	81	57.5
8.	दादरा और नगर हवेली	-	उपलब्ध नहीं
9.	दमन और दीव	-	उपलब्ध नहीं
10.	दिल्ली	63.2	44.3
11.	गोवा	49.3	38
12.	गुजरात	80.1	55.3
13.	हरियाणा	82.5	56.1
14.	हिमाचल प्रदेश	58.8	43.3
15.	जम्मू और कश्मीर	68.1	52.1
16.	झारखण्ड	77.7	69.5
17.	कर्णाटक	82.7	51.5

1	2	3	4
18.	केरल	55.7	32.8
19.	लक्षद्वीप	–	उपलब्ध नहीं
20.	मध्य प्रदेश	82.6	56
21.	महाराष्ट्र	71.9	48.4
22.	मणिपुर	52.8	35.7
23.	मेघालय	68.7	47.2
24.	मिजोरम	51.7	38.6
25.	नागालैण्ड	–	उपलब्ध नहीं
26.	ओडिशा	74.2	61.2
27.	पुदुचेरी	–	उपलब्ध नहीं
28.	पंजाब	80.2	38
29.	राजस्थान	79.6	53.1
30.	सिक्किम	56.9	60
31.	तमिलनाडु	72.5	53.2
32.	त्रिपुरा	67.9	65.1
33.	उत्तर प्रदेश	85.1	49.9
34.	उत्तराखण्ड	61.5	55.2
35.	पश्चिम बंगाल	69.4	63.2

[अनुवाद]

टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम

3097. डॉ. पी. वेणुगोपाल :

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :

श्री पी. कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टीकाकरण के विस्तारित कार्यक्रम (ई.पी.आई.) के अंतर्गत शामिल टीकों और इसके द्वारा रोग संरक्षणक की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में पेंटावेलेंट टीका युक्त हिब को कुछ राज्यों में प्रारंभ किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ई.पी.आई. के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पेंटावेलेंट टीका युक्त हिब को प्रारंभ करने का है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पेंटावेलेंट टीके की सुरक्षा विशेषकर इस टीके के प्रयोग से कुछ देशों में मृत्यु के सूचित मामलों को देखते हुए, सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाए किए गए/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) टीकाकरण के विस्तारित कार्यक्रम (ई.पी. आई.) के तहत 8 टीके उपलब्ध कराए जाते हैं। यह टीके डिफ्थीरिया, काली खांसी, टेटनस (डी.पी.टी.), पोलियो, खसरा, बाल्यावस्था टी.बी. का गंभीर रूप (बेसिलस केल्मेटी-ग्यूरिन अर्थात बी.सी.जी.), हेपेटाइटिस बी., जापानी एन्सेफेलाइटिस, और हीमोहिल्स इन्फलूएजा प्रकार ख जैसे तानिकाशोथ, न्यूमोनिया जैसे रोगों से बचाव करते हैं।

(ख) और (ग) पेंटावेलेंट टीकायुक्त हिब को केरल, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्णाटक और पुदुचेरी राज्य में शुरु किया गया है।

(घ) कुछेक राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाबा, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अपने राज्यों में ई.पी.आई. के तहत पेंटावेलेंट टीके को शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। इसका निर्णय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ङ) ई.पी.आई. के तहत उपयोग किए जाने वाले "पेंटावेलेंट टीके" को, उसकी सुरक्षा और सामर्थ्य की जांच करने के पश्चात, भारत के औषध महानिदेशक द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को जारी करने से पूर्व टीके के प्रत्येक बैच की विनिर्माता द्वारा सर्वप्रथम घरेलू जांच की जाती है और तत्पश्चात् केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला (सी.डी.एल., कसौली, हिमाचल प्रदेश) द्वारा जांच करके उसको मंजरी दी जाती है। पेंटावेलेंट टीके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टीककरण के पश्चात होने वाली सभी प्रकार की संभावित विपरीत घटनाओं, का पता लगाने के लिए जिला/राज्य/राष्ट्रीय ए.ई.एफ.आई. समिति चाहे वे संबंधित हो या न हों, द्वारा टीकाकरण के पश्चात होने वाली विपरीत घटनाओं की निगरानी और जांच भी की जाती है।

पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण

3098. **श्री पी. विश्वनाथन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इथेनॉल के रसायन क्षेत्र में विपथन के मामलों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा गन्ना उत्पादक राज्यों में इथेनॉल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए गए हैं; और

(ग) क्या कोई खुदरा पेट्रोलियम डीजल पेट्रोल में 10 प्रतिशत से अधिक इथेनॉल मिश्रण की चुनता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) बायो-ईंधन से संबंधित हैंडलिंगक कार्य के लिए उत्तरदायित्व निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	उत्तरदायित्व
1	2	3
1.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	बायो-ईंधन से संबंधित सभी नीतिगत मसलों के संबंध में नीति निर्धारण एवं समन्वय
2.	कृषि और सहकारिता विभाग	पौध सामग्री का उत्पादन, पौधशालाओं और पौधारोपण के विकास से संबंधित मुद्दे
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	बायो-ईंधन से संबंधित पौध आनुवंशिकी में अनुसंधान
4.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	बायो-ईंधन और इसके मिश्रित उत्पादों का विपणन, वितरण और खुदरा बिक्री
5.	उपभोक्ता मामले विभाग	मानक
6.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	जैव-ईंधन संयंत्र उत्पादन का समग्र समन्वय
7.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग (भूमि संसाधन विभाग)	जैव-डीजल और जैव-एथेनाल तथा प्रयोगशाला अध्ययनों के संबंध में मिशन मोड कार्यक्रम
8.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	सुखा सहने की क्षमता और उपज के लिए जटरोफा कर्कस की आनुवंशिकी में सुधार

1	2	3
9.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	शीरा रूट से शीरा, अल्कोहल - औद्योगिक और पेय
10.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	वन भूमि में जैव-ईंधन पौधरोपण
11.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	चीनी से संबंधित उद्योग

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने 10 बड़े राज्यों से पिछले तीन वर्षों के लिए शीरे से एथनोल के उत्पादन पर जानकारी दी है, जो निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	उत्पादन (लाख लीटर)
2008-09	22648.66
2009-10	17300.75
2010-11	22314.83

रसायन उद्योगों द्वारा एथनोल की कुल खपत से संबंधित सूचना रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस संबंध में "शून्य" रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ग) सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 02.1.2013 की अधिसूचना संख्या 4(ई) द्वारा तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोल में 10 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रण की अनुमति दी है, जिसकी बिक्री खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से की जा सकती है।

[हिन्दी]

भूगर्भ विज्ञानियों के रिक्त पद

3099. डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री संजय दिना पाटील :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भूगर्भ विज्ञानियों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या कितनी है;

(ख) स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर भूगर्भ विज्ञान पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों/कॉलेजों की संख्या कितनी है और इनकी दाखिला संख्या कितनी है;

(ग) क्या लंबे समय से भूगर्भ विज्ञानिकों के अनेक पद रिक्त हैं और देश में अर्हक भूगर्भ विज्ञानियों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी स्तरों पर भूगर्भ विज्ञानियों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए है/प्रस्तावित हैं?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) और भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) में भूवैज्ञानिकों के स्वीकृत और वास्तविक पद संख्या निम्नलिखित है:

संगठन का नाम	स्वीकृत पद	वास्तविक पद
जी.एस.आई.	2,147*	1,690
आई.बी.एम.	115	70

*जी.एस.आई. के लिए अनुमोदित पुनर्संरचना के अनुसार वर्ष 2012-13 तक स्वीकृत पद 2,147 है और ये 2019-20 तक बढ़कर 3,086 हो जाएगें।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) से (ङ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संबंध में

जो देश में भूवैज्ञानिकों के लिए प्रमुख नियोक्ता संगठन है, से अभी तक भूवैज्ञानिकों की किसी कमी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। भूवैज्ञानिकों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष भूवैज्ञानिक परीक्षा के माध्यम से की जाती है जिसकी वर्ष 2006 से वर्षवार स्थिति निम्नवत है:

भूवैज्ञानिक परीक्षा का वर्ष	संघ लोक सेवा आयोग की सूचित रिक्तियों की संख्या	जी.एस.आई. में प्राप्त डोजियरों की संख्या	कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यार्थियों की संख्या
2006	100	94	71
2007	175	175	148
2008	209	209	178
2009	300	289	231
2010	286	232	187 (अभी तक)
2011	300	दिनांक 17.12.2012 को स्वास्थ्य चिकित्सा परीक्षण हो चुका है और आबंटन प्रक्रियाधीन है।	
2012	50	परीक्षा आयोजित हो चुकी है। परीक्षा परिणाम अभी प्रकाशित किया जाना है।	

[अनुवाद]

महिलाओं हेतु आपराधिक प्रक्रिया विधि

3100. श्री विश्व मोहन कुमार : क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) ने महिलाओं हेतु आपराधिक प्रक्रिया निधि में एहतियाती उपाय हेतु सरकार को कोई सुझाव दिए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार एन.सी.डब्ल्यू. द्वारा कितनी जेलों का दौरा किया गया और कैदियों से मुलाकात की गई?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन का सुझाव दिया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बयान रिकार्ड करने, चिकित्सा जांच करने आदि के समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है:,

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ जेलों/महिला जेलों/महिलाओं हेतु जिला जेलों/नारी बंदी निकेतनों/महिला सुधार गृहों का दौरा किया है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

2009-10 (i) सवाई माधोपुर जेल, राजस्थान

(ii) डिस्ट्रिक्ट जेल फॉर वीमेन, शलोंग, मेघालय

(iii) जोवै डिस्ट्रिक्ट जेल, मेघालय

(iv) सिक्किम स्टेट्स प्रिजन, रॉगयेक, सिक्किम

(v) डिस्ट्रिक्ट प्रिजन, नामची, असम

2010-11 (i) सेंट्रल जेल, कोटा, राजस्थान

(ii) तिरूवंतपुरम जेल, केरल

(iii) पुदुचेरी जेल, पुदुचेरी

(iv) सेंट्रल प्रिजन, बंगलौर, कर्णाटक

(v) नारी बांदी निकेतन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

(vi) बांदी डिस्ट्रिक्ट जेल, उत्तर प्रदेश

2011-12 (i) डिस्ट्रिक्ट जेल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

(ii) सब जेल, सादा वास्को, गोवा

(iii) विमेनस करेक्शनल होम, अलीपुर, पश्चिम बंगाल

(iv) येरावाडा विमेनस प्रिजन, पूने, महाराष्ट्र

(v) जयपुर जेल, राजस्थान

(vi) बुंदी जेल, राजस्थान

(vii) उदयपुर जेल, राजस्थान

2012-13 (i) सादा जेल, गोवा

(ii) प्रोटेक्शन होम एण्ड डिस्ट्रक्ट जेल, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

(iii) सेंट्रल जेल (विमेन सेल), बंगलौर

(iv) सेंट्रल जेल फॉर विमेन, इंफाल

(v) सेंट्रल जेल नागपुर

(vi) बुंदी जेल, राजस्थान

(vii) कोटा जेल, राजस्थान

(viii) जयपुर जेल, राजस्थान

(ix) बाईकुला जेल, मुम्बई

(x) सेंट्रल जेल, कोयम्बटूर, तमिलनाडु

(xi) स्पेशल सब जेल, अलप्पुजा केरल

(xii) येरावाडा सेंट्रल जेल, पुणे, महाराष्ट्र

[हिन्दी]

गैस पाइपलाइन

3101. **श्री समीर भुजबल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) ने नासिक औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हेतु प्रस्ताव किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्वीकृति में विलंब, यदि कोई हो के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) गेल (इंडिया) लि. नासिक से गुजर रही किसी परियोजना को कार्यान्वित नहीं कर रही है। तथापि, गेल की मौजूदा दहेज-उरान पाईपलाइन नासिक से लगभग 100 किमी. की दूरी से गुजर रही है।

[अनुवाद]

अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करना

3102. **श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकसित देशों जैसे यूरोप और अमरीका जैसे देशों में आई आर्थिक समस्या/संकट ने देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के संबंध

में कोई आंकलन किया गया है/किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशी अर्थव्यवस्थाओं के प्रभाव से अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए अपनाई गई/अपनाए जाने हेतु प्रस्तावित आर्थिक नीति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) यूरो और अन्य विकसित देशों में उत्पन्न संकट से व्यापार, वित्तीय और विश्वस्त माध्यमों से भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा बढ़ा है, रुपये के विनिमय दर से अस्थिरता और कमी आई है तथा वास्तविक स.घ.उ. विकास कम हुआ है। चालू खाता घाटा 2010-11 में स.घ.उ. का 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में स.घ.उ. का 4.2 प्रतिशत हो गया था, जो 2012-13 के पूर्वार्ध में और अधिक बढ़कर स.घ.उ. का 4.6 प्रतिशत हो गया है। प्रति अमरीकी डॉलर रुपये की औसत विनिमय दर 2011-12 में 44,37-52.68 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष में (फरवरी, 2013 तक) 51.81 रुपये से 55.56 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर के दायरे में है। सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर (2004-05 के स्थिर मूल्य की उपादान लागत पर) 2011-12 के 6.2 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में घटकर 5.0 प्रतिशत होने का अनुमान है।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ-साथ सरकार भी वैश्विक घटनाक्रम और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव पर कड़ी नजर रखती है। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने, पूंजी प्रवाह बढ़ाने, सोने का आयात कम करने और देश में निवेश हेतु अधिक अनुकूल माहौल बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

मेडिकल सीटें

3103. डॉ. अनूप कुमार साहा :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और चिकित्सा कॉलेजों से स्नातक और स्नातकोत्तर पर सीटों की संख्या में वृद्धि करने और नए विषयों को प्रारंभ करने की अनुमति हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्राप्त ऐसे प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार के पास अब तक लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं और उक्त अवधि के दौरान, प्रस्ताव और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इन्हें कब तक शामिल किए जाने संभावना है; और

(ङ) क्या ओस्मानिया और वारंगल चिकित्सा कालेजों सहित कुछ चिकित्सा कॉलेजों को मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी हां। केन्द्र सरकार को शैक्षिक वर्ष 2013-14 के लिए सरकारी/निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक सीटों की वृद्धि के लिए 60 प्रस्ताव और स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि करने/आरंभ करने के लिए 1799 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि के लिए प्राप्त और अनुमोदन प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(घ) शैक्षिक वर्ष 2013-14 के लिए स्नातक सीटों के लिए अनुमति प्रदान करने की अंतिम तारीख 15 जून 2013 और स्नातकोत्तर सीटों की 31 मार्च 2013 है। पिछले शैक्षिक वर्ष के लिए प्राप्त प्रस्तावों को अगले शैक्षिक वर्ष के लिए लंबित नहीं छोड़ा जाता।

(ङ) 2013-14 के लिए स्नातक सीटों में वृद्धि हेतु प्रस्ताव 60 प्रस्तावों में उस्मानिया और वारंगल मेडिकल कॉलेजों में सीट वृद्धि के प्रस्ताव शामिल हैं और उन पर निर्धारित अवधि में निर्णय लिया जाएगा।

विवरण-I

विगत दो वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान स्नातक सीटों में बढ़ोतरी के लिए प्राप्त/अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या				
		2011-12		2012-13		2013-14
		प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त	अनुमोदित	प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	1	15	5	11
2.	असम	0	0	0	0	0
3.	बिहार	4	0	2	1	4
4.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0
5.	दिल्ली	2	1	0	0	0
6.	गोवा	1	0	1	1	0
7.	गुजरात	3	1	3	2	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0	0
9.	हरियाणा	1	1	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	0	0
11.	झारखंड	3	1	0	0	1
12.	कर्णाटक	20	8	8	3	10
13.	केरल	8	2	1	1	1
14.	मध्य प्रदेश	4	1	1	1	2
15.	महाराष्ट्र	13	4	8	4	4
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0
17.	ओडिशा	0	0	1	0	3

1	2	3	4	5	6	7
18.	पुदुचेरी	3	0	1	0	1
19.	पंजाब	1	1	2	0	3
20.	राजस्थान	7	4	0	0	5
21.	तमिलनाडु	7	1	4	3	5
22.	उत्तर प्रदेश	7	4	3	2	4
23.	उत्तराखंड	0	0	0	0	2
24.	पश्चिम बंगाल	10	2	1	1	2
25.	सिक्किम	1	0	0	0	0
	कुल	104	33	51	24	60

विवरण-II

विगत दो वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों तथा बढ़ाई गई स्नातकोत्तर सीटों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या				
		2011-12		2012-13		2013-14
		प्राप्त	बढ़ाई गई सीटें	प्राप्त	बढ़ाई गई सीटें	प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	376	263	215	235	195
2.	असम	0	0	15	32	43
3.	बिहार	65	58	25	7	27
4.	छत्तीसगढ़	2	0	3	0	0
5.	दिल्ली	3	1	0	0	17
6.	गोवा	25	14	24	1	18
7.	गुजरात	61	54	54	53	64
8.	हिमाचल प्रदेश	24	39	18	29	10

1	2	3	4	5	6	7
9.	हरियाणा	9	5	2	1	12
10.	जम्मू और कश्मीर	8	4	9	8	15
11.	झारखंड	0	0	1	5	28
12.	कर्णाटक	562	534	231	270	328
13.	केरल	177	188	127	226	110
14.	मध्य प्रदेश	82	123	30	46	101
15.	महाराष्ट्र	335	349	131	99	179
16.	मणिपुर	0	0	0	0	1
17.	ओडिशा	52	48	44	65	62
18.	पुदुचेरी	149	76	58	63	74
19.	पंजाब	52	66	29	36	46
20.	राजस्थान	102	74	63	60	54
21.	तमिलनाडु	280	296	118	64	176
22.	उत्तर प्रदेश	121	85	106	111	140
23.	उत्तराखंड	39	51	30	3	32
24.	पश्चिम बंगाल	65	74	57	13	61
25.	सिक्किम	7	14	3	8	0
26.	त्रिपुरा	18	19	2	8	6
	कुल	2614	2435	1395	1443	1799

[हिन्दी]

टीका उत्पादन

3104. श्रीमती रमा देवी :
श्री नीरज शेखर :
श्री यशवीर सिंह :

राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संस्थान-वार और टीका-वार पारचर इंस्टीट्यूट ऑफ

इण्डिया, कन्वूर, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली और बी. सी.जी. टीका प्रयोगशाला, चेन्नई द्वारा उत्पादित टीकों के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा आवश्यक मात्र में टीकों की आपूर्ति करने में असमर्थ होने के कारण वर्तमान में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यू.आई.पी.) हेतु निजी स्रोतों से उच्च मूल्यों पर टीके खरीदने पड़ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मांग को पूरा करने और इनके मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में टीका उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पाश्चात इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली और बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला, चैन्नई द्वारा उत्पादित टीकों के उत्पादन का संस्थान-वार और टीका वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) मौजूदा नीति के अनुसार, सार्वजनिक टीका क्षेत्र संस्थानों को उनके द्वारा उत्पादित टीकों (डी.पी.टी.टी. तथा बी.सी.जी.) हेतु पहले आर्डर दिए जाते हैं। उनके आर्डर किए गए टीकों की मात्रा उनकी क्षमता के अनुरूप होती है। प्रतिस्पर्धी दरों पर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नीजि विनिर्माताओं से खरीदी जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान, बी.सी.जी. गिंडी को छोड़कर सार्वजनिक टीका क्षेत्र संस्थानों से टीकों की अधिप्राप्ति अनंतिम दर पर की गई है, जिसमें आर्डर निविदा प्रक्रिया द्वारा निजी विनिर्माताओं को दिए गए।

(घ) टीका उत्पादन में वृद्धि और उसे सी.जी.एम.पी. के अनुरूप बनाने हेतु, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र टीका उत्पादन इकाइयों को अपने अधिकार में ले लिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिनांक 26.04.2012 को 594 करोड़ रूपये की लागत पर एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, एच.एल.एल. लाईफ-केयर निमिटिड के अनुषंगी कंपनी के रूप में एकीकृत टीका परिसर (आई.वी.सी.) की स्थापना को मंजूरी दी है। परियोजना पूरी होने पर, आई.वी.सी., पेन्टावेलेंट कोम्बिनेशन (डी. पी.टी. प्लस हेप बी. प्लस एच.आई.बी.), बी.सी.जी. खसरा, हेपाटाइटिस बी, मानव-अलर्करोग, एच.आई.बी. और जापानी इन्सेफिलाइटिस टीके तैयार करेगा। इन इकाइयों और आई. वी.सी. का पुनरुत्थान पूरा होने के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र ईकाइयों से की गई आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए टीकों के मूल्य को विनियमित किया जा सकाता है।

विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पश्चात इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (पी.आई.आई.) कुन्नुर, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आई.), कसौली, तथा बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला, चैन्नई द्वारा संस्थान वार और टीका वार टीकों का उत्पादन

संस्थान का नाम तथा उत्पादित टीका	उत्पादित हुए टीकों की मात्रा, वर्ष-वार			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
पी.आई.आई., कुन्नूर				
डी.पी.टी. टीका	शून्य	शून्य	शून्य	199.41 लाख खुराक

1	2	3	4	5
बी.सी.जी.वी.एल, चैन्नई				
बी.सी.जी. टीका	शून्य	118.56 लाख खुराक*	14.17 लाख खुराक	73.33 लाख खुराक
सी.आर.आई., कसौली				
डी.पी.टी. टीका	शून्य	64,05,960	1,00,99,400	1,00,22,060
टी.टी. टीका	शून्य	59,40.060	1,24,32,120	1,49,15,730
टायफाइड (ए.के.डी.) टीका	शून्य	शून्य	1,90,380	शून्य
येलो फीवर वैक्सीन	शून्य	शून्य	1,22,290**	65,000***

* इन बैचों में से, जांच हुए 35.7 लाख खुराकों को केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला को भेजा गया था जिसे असंगति के कारण पारित नहीं किया गया।

** वर्ष 2011-12 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पीले बुखार के टीकों की 1,00,000 खुराके आयायित हुई।

***वर्ष 2012-13 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पीले बुखार के टीकों की 65,000 खुराके आयायित हुई।

[अनुवाद]

पी.एन.जी. उत्पादों का मूल्य निर्धारण

3105. श्रीमती जयाप्रदा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई.जी.एल.) ने फरवरी, 2013 से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में घरेलू पी.एन.जी. के विक्रय मूल्य में वृद्धि करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रशासनिक अकुशलता और आई.जी.एल. में संभलाई लागत को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ताकि कीमत को कम किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घरेलू पी.एन.जी. का उपभोक्ता मूल्य दिनांक 10 फरवरीप, 2013 से 22 रु. प्रति एस.सी.एम. से संशोधित करके 2 मास में 30 एस.सी.एम. तक की खपत के लिए 23.50 रु. प्रति एस.सी.एम. कर दिया गया था। दो मास में 30 एस.सी.एम. के अधिक की खपत के लिए, उपभोक्ता मूल्य 34 रु. प्रति एस.सी.एम. से संशोधित करके 35.50 रु. प्रति एस.सी.एम. कर दिया गया या इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश राज्य में आने वाले नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद शहरों के लिए, घरेलू पी.एन.जी. का उपभोक्ता मूल्य, दो मास में 30 एस.सी.एम. तक की खपत के लिए 23.50 रु. प्रति एस.सी. एम. से संशोधित करके 25 रू. प्रति एस.सी.एम. कर दिया गया था। दो मास में 30 एस.सी.एम. से अधिक की खपत के लिए, उपभोक्ता मूल्य, 34 रु. प्रति एस.सी.एम. से संशोधित करके 38 रु. प्रति एस.सी.एम. कर दिया गया था। मूल्यों में

संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ, रुपये की तुलना में डालर के मूल्य में वृद्धि होने, आर-एल.एन.जी. की वर्धित मात्रा होने, बाजार में उपलब्ध आर-एल.एन.जी. के मूल्य में वृद्धि होने, आर-एल.एन.जी. की वर्धित मात्रा होने, बाजार में उपलब्ध आर-एल.एन.जी. के मूल्य में बढ़ोत्तरी होने जैसे विभिन्न कारणों से किया गया है।

(ग) और (घ) किसी भी नगर में पी.एन.जी./सी.एन.जी. का खुदरा मूल्य, उस नगर प्रचालनरत सी.जी.डी. कम्पनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। पी.एन.जी./सी.एन.जी. का मूल्य सरकार द्वारा न तो निर्धारित किया जाता है और न ही अनुमोदित किया जाता है। सी.जी.डी. कम्पनियां घरेलू गैस, दीर्घावधि आर.एल. एन.जी. और तत्पश्चात आर.एल.एन.जी. के परिवर्ती मिश्रण का इस्तेमाल करती हैं। पी.एन.जी./सी.एन.जी. के मूल्य में भारित, गैस (घरेलू गैस/आर.एल.एन.जी./तत्स्थान एल.एन.जी.) का औसत मूल्य, प्रचालन व्यय, विभिन्न केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय कर और उद्ग्रहण सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

विनिवेश में अनियमितताएं

3106. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के निजीकरण/विनिवेश की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) विनिवेश प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) सरकार क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण/विनिवेश की प्रक्रिया में किन्हीं अनियमितताओं की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विनिवेश की प्रक्रिया सुस्थापित है और ज्ञान के आधार पर इसमें निरंतर आधार पर सुधार किया जाता है।

सौर शहर

3107. श्री अशोक तंवर :
श्री संजय सिंह चौहान :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश भर में सौर शहरों को विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सोलर शहरों के रूप में विकसित किए जाने के लिए सरकार द्वारा चयनित/पहचान किए गए शहरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है तथा इन शहरों की पहचान/चयन किए जाने के क्या मापदंड/नियम हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव तथा इस उद्देश्य के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्थानीय निकायों को आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है और इसके कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए किसी कार्य बल का गठन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास और सहयोग के लिए किसी अन्य देश के साथ कोई समझौता किया है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) सौर शहरों के रूप में विककसित किए जाने हेतु पहचान किए गए शहरों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। शहरों की पहचान करने हेतु मंत्रालय द्वारा निर्धारित

मानदंड में 50,000 से 5 लाख के बीच जनसंख्या वाला शहर (पूर्वोत्तर राज्यों सहित विशेष श्रेणी के राज्यों को दी गई रियायत के साथ) ऊर्जा दक्षता और अक्षय ऊर्जाका संवर्धन करने में उच्च स्तर की प्रतिबद्धता के साथ पहले से आरंभ की गई पहलें और विनियामक उपाय शामिल हैं।

(ग) विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर अब तक, 43 शहरों के लिए मास्टर प्लान की तैयारी, सौर शहर सेलों और संवर्धनात्मक कार्यकलाप के लिए 20.23 करोड़ रू. की राशि मंजूर की गई है जिसमें से 4.41 करोड़ रू. जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा, 6 शहरों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के निष्पादन हेतु 14.20 करोड़ रू. की राशि मंजूर की गई है जिसमें से संबधित राज्य नोडल एजेंसियों/नगर निगमों द्वारा उपयोग करने हेतु 6.11 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

(घ) विभिन्न सौर शहरों हेतु तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान के मूल्यांकन हेतु एक मूल्यांकन समिति गठित की गई है। समिति में इस मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और शहरी विकास मंत्रालय के सदस्य शामिल हैं। अक्षय ऊर्जा के लिए कार्यक्रम ककी समग्र मॉनीटरिंग संबंधित राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से की जाती है।

(ङ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न देशों के साथ 30 समझौता ज्ञापनों/सहयोग के कार्यक्रम (पी.ओ.सी.)/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

विवरण

*54 शहरों की राज्य-वार सूची, जिनके लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है और 43 शहर (*चिन्ह के साथ) जिनके लिए मास्टर प्लान की तैयारी, सौर शहर सैलों और संवर्धनात्मक कार्यकलाप के लिए मंजूरी जारी की गई है*

क्र. सं.	राज्य	वे शहर, जिनके लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. विजयवाड़ा*
		2. महबूबनगर
2.	असम	3. गुवाहटी *
		4. जोरहाट *
3.	अरूणाचल प्रदेश	5. इटानगर*
4.	चंडीगढ़	6. चंडीगढ़
5.	छत्तीसगढ़	7. बिलासपुर *
		8. रायपुर *
6.	गुजरात	9. राजकोट *
		10. गांधी नगर *
		11. सूरत *
7.	गोवा	12. पणजी सिटी *
8.	हरियाणा	13. गुड़गांव *
		14. फरीदाबाद
9.	हिमाचल प्रदेश	15. शिमला*
		16. हमीरपुर *
10.	कर्णाटक	17. मैसूर *
		18. हुबली-धारवाड *
11.	केरल	19. तिरूवनन्तपुरम
		20. कोच्चि
12.	महाराष्ट्र	21. नागपुर *
		22. थाणे *
		23. कल्याण-डोम्बीवली *
		24. औरंगाबाद *

1	2	3
		25. नांदेड ★
		26. शिरडी ★
13.	मध्य प्रदेश	27. इंदौर
		28. ग्वालियर ★
		29. भोपाल
		30. रेवा ★
14.	मणिपुर	31. इम्फाल ★
15.	मिज़ोरम	32. आइजोल ★
16.	नागालैंड	33. कोहिमा ★
		34. दीमापुर ★
17.	ओडिशा	35. भुवनेश्वर ★
18.	पंजाब	36. अमृतसर ★
		37. लुधियाना ★
		38. एस.ए.एस. नगर (मोहाली)
19.	राजस्थान	39. अजमेर ★
		40. जयपुर
		41. जोधपुर ★
20.	तमिलनाडु	42. कोयम्बटूर ★
21.	त्रिपुरा	43. अगरतला ★
22.	उत्तराखंड	44. देहरादून ★
		45. हरिद्वार एवं ऋषिकेश ★
		46. चमोली-गोपेश्वर ★
23.	उत्तर प्रदेश	47. आगरा ★
		48. मुरादाबाद ★
		49. इलाहाबाद ★
24.	पश्चिम बंगाल	50. हावड़ा ★
		51. न्यू टाउन कोलकात्ता ★
		52. मध्यमग्राम
25.	दिल्ली	53. नई दिल्ली (एनडीएमसी)
26.	जम्मू और कश्मीर	54. लेह

[अनुवाद]

राजस्थान में नई रिफाइनरी

3108. श्री दुष्यंत सिंह :
श्री भरत राम मेघवाल :
श्री बद्रीराम जाखड़ :
श्री खिलाड़ी लाल बैरवा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार का पता लगाने के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में नई रिफाइनरियों की स्थापना करने और इस प्रयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) क्या राजस्थान में उक्त रिफाइनरियों के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (ए.पी.सी.एल.) को प्रवर्तक बनाया गया है, यदि हां, तो इस समझौते की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बाड़मेर में तेल उत्पादन से सृजित कुल राजस्व से राजस्थान को आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) ने सूचित किया है कि उनका इक्विटी भागीदारी के तौर पर राजस्थान सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में राजस्थान में 9 एम.एम.टी.पी.ए. रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव है। राजस्थान सरकार ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने वाले वर्ष से प्रति वर्ष रु. 3736 करोड़ के ब्याजमुक्त ऋण सहित वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज पर एच.पी.सी.एल. को 'सैद्धांतिक रूप में' अपना अनुमोदन दे दिया है।

(घ) हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने बताया है कि राजस्थान सरकार को अगस्त, 2009 में उत्पादन शुरू होने के बाद से कच्चे तेल के उत्पादन पर निम्नलिखित रायल्टी प्रदान की है:-

(रुपए करोड़)

2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (जनवरी, 2013 तक)
121.62	1832.03	3556.47	4232.46

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) का उत्थान

3109. श्री अजय कुमार : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात क्या है;

(ख) क्या गत दशक में इन क्षेत्रों में अ.ज.जा. के व्यावसायिक पैटर्न में बदलाव आया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातियों के उत्थान के लिए किन्हीं केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को संस्वीकृत किया है; और

(ङ.) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके तहत आवंटित निर्गमित तथा उपयोग की गई निधि का विवरण देते हुए तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह) : (क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों का राज्यवार अनुपात संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जनजातीय आबादी पर जनगणना 2011 के आंकड़ों को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, वर्ष 2004-05 के लिए उनकी आर्थिक गतिविधियों के अनुसार घरेलू वस्तुओं (प्रति 1000) का संवितरण सूचित करने वाली एन.एस.एस. की 61वीं राउंड रिपोर्ट सं. 516 संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) जनजातीय कार्य मंत्रालय दो विशेष कार्यक्रमों को प्रशासित करता है, नामत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान और पूर्वोत्तर राज्यों सहित जनजातीय जनसंख्या के उन्नयन हेतु जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता।

(1) **भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान** : इस कार्यक्रम के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन स्तर को बढ़ाने के लिए जनजातीय लोगों के कलयाण हेतु जनजातीय जनसंख्या वाले 26 राज्यों को सहायता अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। निधियों की निर्मुक्ति राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर की जाती है। इन निधियों की आवश्यकत सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई आदि जैसे क्षेत्रों की अवसंरचनात्मक गतिविधियों के लिए अनुसूचित जनजाति के लोगों की जरूरतों की पूर्ति के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने के लिए होती है।

(2) **जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टी.एस.पी. को एस.सी.ए.)** : टी.एस.पी. को एस.सी.ए. के तहत 22 टी.एस.पी. राज्य सरकारों को राज्य योजना के येगज के रूप में निधियां प्रदान की जाती हैं ताकि गरीबी रेखा से नीचे वाले

अनुसूचित जनजाति के परिवारों और स्व-सहायित समुदायों की रोजगार एवं आय सृजनकारी गतिविधियों के लिए राज्यों में जनजातीय लोगों का और तेजी से आर्थिक विकास किया जा सके। पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक उपर्युक्त 2 विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के तहत निधियों का राज्यवार आबंटन, निर्मुक्ति और उपयोजित निधियों के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-III और IV में दिए गए हैं। यह मंत्रालय पूवोत्तर क्षेत्र विशिष्ट योजना/कार्यक्रम प्रशासित नहीं करता है।

विवरण-I

पूर्वोत्तर राज्यों की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात

क्र.सं.	राज्य	कुल जनसंख्या 2001 जनगणना	अनुसूचित जनजाति की आबादी 2001 जनगणना	2001 में राज्य की कुल जनसंख्या का राज्य में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता
	भारत	1,028,610,328	84,326,240	8.2
1.	अरुणाचल प्रदेश	1,097,968	705,158	64.2
2.	असम	26,655,528	3,308,570	12.4
3.	मणिपुर	2,166,788	741,141	34.2
4.	मेघालय	2,318,822	1,992,862	85.9
5.	मिज़ोरम	888,573	839,310	94.5
6.	नागालैण्ड	1,990,036	1,774,026	89.1
7.	सिक्किम	540,851	1 1 1,405	20.6
8.	त्रिपुरा	3,199,203	993,426	31.1

विवरण-II

पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के व्यावसायिक पैटर्न में बदलाव

ग्रामीण **घरेलू सामाजिक समूहः अनुसूचित जनजाति**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्व-रोजगार			ग्रामीण मजदूर			अन्य	सभी (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित)
	कृषि	गैर-कृषि	सभी	कृषि मजदूर	अन्य मजदूर	सभी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरुणाचल प्रदेश	761	87	849	9	10	20	131	1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	656	108	765	90	69	159	77	1000
मणिपुर	769	97	866	1	4	5	127	1000
मेघालय	646	113	758	107	48	156	86	1000
मिज़ोरम	762	106	868	3	3	7	125	1000
नागालैण्ड	618	105	722	5	3	9	269	1000
सिक्किम	452	68	520	43	172	215	265	1000
त्रिपुरा	410	93	503	102	324	426	71	1000
अखिल भारतीय	393	64	457	340	113	453	89	1000

शहरी	**घरेलू सामाजिक समूहः अनुसूचित जनजाति**				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्व-रोजगार	मजदूरी/तनखा	अनियमित मजदूर	अन्य	सभी (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित)
अरुणाचल प्रदेश	216	458	29	298	1000
असम	278	609	23	89	1000
मणिपुर	270	517	15	198	1000
मेघालय	128	552	123	197	1000
मिज़ोरम	385	466	63	85	1000
नागालैण्ड	365	527	18	90	1000
सिक्किम	56	809	91	44	1000
त्रिपुरा	9	614	47	330	1000
अखिल भारतीय	263	418	173	145	1000

स्रोतः एन.एस.एस. की 61वीं राउंड रिपोर्ट सं. 516

विवरण-III

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत विगत तीन वर्षों तथा चालू वार्ष के दौरान कथित रूप से आबंटित, निर्मुक्त और उपयोजित निधियां

(13.03.2013 तक)

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		आबंटन	निर्मुक्ति	बताई गई उपयोजिता	आबंटन	निर्मुक्ति	बताई गई उपयोजिता	आबंटन	निर्मुक्ति	बताई गई उपयोजिता	आबंटन	निर्मुक्ति	बताई गई उपयोजिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	5283.00	1946.20	1946.20	5526.00	5187.70	5187.70	6324.00	7998.00	997.65	6958.00	4834.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	738.00	35.20	35.20	77200	772.00	647.08	883.00	1082.83	882.83	972.00	0.00	0.00
3.	असम	3483.00	1240.77	1240.77	3643.00	3517.96	2322.84	4169.00	3419.00	0.00	4587.00	0.00	0.00
4.	बिहार	801.00	95.00	95.00	838.00	838.00	838.00	959.00	959.00	0.00	1055.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	6966.00	2834.80	2834.80	728600	7786.00	7786.00	8338.00	9294.00	8079.30	9174.00	8534.00	0.00
6.	गोवा	171.00	0.00	0.00	17900	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	7875.00	4783.00	4783.00	8237.00	8302.00	8302.00	9426.00	9426.00	0.00	10371.00	4629.6	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	360.00	360.00	360.00	377.00	377.00	377.00	431.00	431.00	431.00	474.00	474.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1161.00	282.74	282.74	1214.00	607.00	607.00	1390.00	1390.00	411.34	1529.00	150.34	0.00
10.	झारखंड	7461.00	3730.00	3730.00	7804.00	8004.00	8004.00	8931.00	9181.00	400.00	9826.00	7369.50	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	कर्णाटक	3645.00	1823.00	1823.00	3813.00	3813.00	3813.00	4363.00	4263.00	3581.35	4800.00	4800.00	0.00
12.	केरल	387.00	387.00	387.00	40500	405.00	405.00	463.00	463.00	463.00	510.00	510.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	12870.00	6435.00	6435.00	13462.00	17311.31	17311.31	15405.00	14015.50	11396.61	16950.00	16518.04	0.00
14.	महाराष्ट्र	9027.00	2000.00	2000.00	9442.00	9442.00	8224.81	10805.00	10805.00	4421.88	11889.00	0.00	0.00
15.	मणिपुर	783.00	352.50	352.50	81900	819.00	819.00	937.00	937.00	0.00	1031.00	1031.00	0.00
16.	मेघालय	2097.00	0.00	0.00	219300	2100.00	1302.10	2510.00	2798.00	0.00	2762.00	0.00	0.00
17.	मिज़ोरम	882.00	441.00	441.00	92300	922.96	922.96	1056.00	1056.00	292.00	1162.00	810.75	0.00
18.	नागालैंड	1863.00	57659	576.59	1949.00	2047.42	2047.42	2230.00	2301.00	2301.00	2454.00	2454.00	0.00
19.	ओडिशा	8568.00	7026.00	7026.00	8962.00	11144.33	11144.33	10256.00	11347.00	4317.88	11284.00	11283.99	0.00
20.	राजस्थान	7470.00	1500.00	1500.00	781400	8351 .00	8351 .00	8942.00	7642.00	1182.36	9838.00	7737.98	0.00
21.	सिक्किम	216.00	149.20	149.20	226.00	226.00	226.00	259.00	259.00	25900	284.00	272.58	0.00
22.	तमिलनाडु	684.00	342.00	342.00	716.00	35800	35800	819.00	614.25	129.00	901.00	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	1044.00	780.00	780.00	1092.00	1358.73	1358.73	1250.00	1250.00	1250.00	1375.00	1375.00	509.95
24.	उत्तर प्रदेश	1260.00	350.00	350.00	1318.00	1200.00	1200.00	1508.00	1484.91	0.00	1659.00	200.00	0.00
25.	उत्तराखंड	270.00	120.00	120.00	282.00	250.00	134.96	323.00	0.00	0.00	35600	0.00	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	4635.00	2320.00	2320.00	484800	484800	4848.00	5548.00	6066.99	2080.22	6104.00	6104.00	0.00
	कुल योग	90000.00	39970.00	39910.00	94140.00	39988ए41	96538.24	107730.00	108483.48	42876.42	118530.00	79088.78	509.95

विवरण-IV

टी.एस.पी. को एस.सी.ए. के तहत विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कथित रूप से आबंटित, निर्मुक्त और उपयोजित निधियां

(13.03.2013 तक)

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		आबंटन	निर्मुक्ति	बताई गई उपयोजिता	आबंटन	निर्मुक्ति	बताई गई उपयोजिता	आबंटन	निर्मुक्ति	बताई गई उपयोजिता	आबंटन	निर्मुक्ति	बताई गई उपयोजिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	4404.35	1930.00	1930.00	5062.00	6746.50	5746.50	605700	6057.00	0.00	5789.00	4125.00	4125.00
2.	असम	4158.33	2883.00	2883.00	4675.00	3500.00	3500.00	5475.00	5475.00	2471.95	6233.00	4674.00	0.00
3.	बिहार	870.94	870.94	870.94	979.00	650.00	650.00	114700	1147.00	0.00	1306.00	0.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	7211.44	6322.88	6322.88	8189.00	3453.00	8453.00	9917.00	10-45.00	8305.00	9478.00	9478.00	0.00
5.	गोवा	16010	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	237.00	000	0.00
6.	गुजरात	6427.23	5635.53	5635.53	7326.00	8126.00	8126.00	8838.00	8838.00	3027.76	8448.00	7410.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	1345.10	1179.40	1179.40	1506.00	1506.00	1506.00	1851.00	1851.00	1788.33	1768.00	1262.00	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	1443.04	263.79	263.79	1622.00	489.57	489.57	1900.00	11143.00	0.00	2163.00	0.00	0.00
9.	झारखंड	9271.38	0.00	0.00	9140.00	9481.55	9481.55	10704.00	10704.00	0.00	12187.00	11413.25	0.00
10.	कर्णाटक	1647.96	164796	1647.96	1853.00	2053.00	2053.00	2170.00	211 70.00	0.00	2471.00	1853.25	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	केरल	417.33	366.10	366.10	502.00	440.00	440.00	574.00	574.00	482.00	549.00	549.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	13332.33	8722.00	8722.00	15214.00	15214.00	15214.00	15393.00	15593.85	10288.03	17525.00	17525.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	5879.67	895.91	895.91	669600	6696.00	669376	8086.00	70355.93	0.00	7728.00	0.00	0.00
14.	मणिपुर	1055.59	527.80	527.80	1187ए00	1187.00	1187.00	1390ए00	705.00	0.00	1583.00	1230.10	0.00
15.	ओडिशा	10133.53	8885.55	888555	11520.00	.12393.00	12393.00	13936ए00	14449.15	6590.24	13321.00	13321.00	0.00
16.	राजस्थान	5588.56	3400.00	3400	7273.00	8209.00	7273.00	8765.00	11340.00	853.13	8377.00	7441 .00	0.00
17.	सिक्किम	332.21	291 .38	291.38	328.00	369.00	369.00	384ए00	451.01	425.00	437.00	437.00	0.00
18.	तमिलनाडु	494.18	108.00	10800	578.00	393.05	384.25	681 .00	572.00	90.00	651.00	0.00	0.00
19.	त्रिपुरा	1632.22	1431.29	1431.29	1879.00	1879.00	1879.00	2244.00	2244.00	2094.00	2145.00	1955.00	788.59
20.	उत्तराखंड	132.35	108.14	000	149.00	0.00	0.00	174.00	0.00	000	198.00	0.00	0.00
21.	उत्तर प्रदेश	679.62	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00	894.00	0.00	000
22.	पश्चिम बंगाल	3432.54	2654.34	2654.34	3384.00	3384.00	3384.00	4721.00	4720.00	000	4512.00	2580.75	0.00
	कुल	80050.00	48124.00	48015.87	90000.00	90169.67	89222.6श्र	105400.00	96234.94	36415.44	108000.00	85254.35	4913.59

विदेशी पर्यटकों का भ्रमण

3110. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :
श्री एन. पीताम्बर कुरूप :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2013 के दौरान देश में भ्रमण के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों की अनुमानित संख्या तथा इससे अर्जित होनी वाली विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उन देशों के संबंध में कोई आंकड़ा रखती है जहां से भारत में अधिकतम विदेशी पर्यटक आते हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे देशों के नाम तथा विदेशी पर्यटकों के भ्रमण में उनकी हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान देश में मानसून और शीतकालीन पर्यटन स्थलों की पहचान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और देश में पर्यटकों के आने को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2013 के लिए विदेशी पर्यटक आगमनों (एफ.टी.ए.) का कोई अनुमान नहीं किया है। तथापि, भारत में जनवरी और फरवरी, 2013 में विदेशी पर्यटक आगमन (एफ.टी.ए.) क्रमश: 0.70 मिलियन (अनंतिम) और 0.69 मिलियन (अनंतिम) था।

भारत में जनवरी और फरवरी, 2013 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय क्रमश: 10,398 करोड़ रूपए (अनंतिम) और 10,186 करोड़ रूपए (अनंतिम) थी।

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय भारत में विदेशी पर्यटक आगमनों का राष्ट्रीयता-वार संकलन करता है। 10 शीर्ष स्रोत बाजारों से विदेशी पर्यटक आगमन और वर्ष 2009, 2010 और 2011 में उनका प्रतिशत शेयर संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2012 के लिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) मानसून और शीतकालीन पर्यटन गंतव्यों सहित पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उनके परामर्श से पहचान की गई पर्यटन परियोजनाओं के लिए पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता देता है।

देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों को कवर करते हुए भारत का एक समग्र गंतव्य के रूप में संवर्धन करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार अपनी चालू गतिविधियों के एक भाग के रूप में 'अतुल्य भारत' ब्रैंड लाइन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियानों को चलाता है। समग्र संवर्धन में विभिन्न भारतीय पर्यटन उत्पादों और गंतव्यों का संवर्धन शामिल है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय अपने विदेश स्थित कार्यालयों के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ रोड शोज, कार्यशालाओं को आयोजित करता है; और विविध भारतीय पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों के संवर्धन के लिए विभिन्न मेलों, प्रदर्शनियों और समारोहों में भाग लेता है।

पर्यटन मंत्रालय मार्केट विकास सहायता (एम.डी.ए.) स्कीम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में पर्यटन के संवर्धन के लिए स्टेकहोल्डरों को भी वित्तीय सहायता देता है।

विवरण

वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफ.टी.ए.) हेतु 10 शीर्ष स्रोत देश

	2009				2010				2011		
रैंक	देश	विदेशी पर्यटक आगमन	% शेयर	रैंक	देश	विदेशी पर्यटक आगमन	% शेयर	रैंक	देश	विदेशी पर्यटक आगमन	% शेयर
1	यू.एस.ए.	827140	16.01	1	यू.एस.ए.	931292	16.12	1	यू.एस.ए.	980688	15.54
2	यू.के.	769251	14.89	2	यू.के.	759494	13.15	2	यू.के.	798249	12.65
3	बंगलादेश	468899	9.07	3	बंगलादेश	431962	7.48	3	बंगलादेश	463543	7.35
4	श्रीलंका	239995	4.64	4	श्रीलंका	266515	4.61	4	श्रीलंका	305853	4.85
5	कनाडा	224069	4.34	5	कनाडा	242372	4.20	5	कनाडा	259017	4.11
6	फ्रांस	196462	3.80	6	जर्मनी	227720	3.94	6	जर्मनी	240235	3.81
7	जर्मनी	191616	3.71	7	फ्रांस	225232	3.90	7	फ्रांस	231423	3.67
8	आस्ट्रेलिया	149074	2.88	8	मलेशिया	179077	3.10	8	मलेशिया	208196	3.30
9	मलेशिया	135343	2.62	9	आस्ट्रेलिया	169647	2.94	9	जापान	193525	3.07
10	जापान	124756	2.41	10	जापान	168019	2.91	10	आस्ट्रेलिया	192592	3.05

[हिन्दी]

डायग्नोस्टिक परीक्षण/चिकित्सा उपचार की संशोधित दर

3011. श्री जगदीश शर्मा :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री उदय सिंह :
श्री आर. थामराईसेलवन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के लाभार्थियों के लिए एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी स्टेन्ट्स सहित विभिन्न डायनोस्टिक परीक्षण/चिकित्सा उपचार की दरों को संशोधित किया है और इनमें भारी कमी की है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी परीक्षण/उपचार-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इससे अवगत है कि सी.जी.एच.एस. के तहत पैनलब्द्ध अधिकांश निजी अस्पतालों ने उक्त संशोधित दर संबंधी परिपत्र के जारी होने के पश्चात एंजियोप्लास्टी की जरूरत वाले सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों की भर्ती बंद कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के हितों में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) नैदानिक जांचों की दरें में कोई संशोधन नहीं किया गया है। तथापि, सरकार ने कोरोनरी एंजियाप्लास्टी बैलून से एंजियोप्लास्टी के लिए विविध कोरोनरी स्टेंट और पैकेज शुल्क के संबंध में सी.जी.एच.एस. के तहत प्रतिपूर्ति के लिए अधिकतम दरों को निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार संशोधित किया है:

(i) कोरोनरी स्टेंट

(1) ड्रग इल्यूटिंग कोरोनरी स्टेंट-

21.02.2013 से 25,000/-

(2) बेयर मेटल कोरोनरी स्टेंट

कोबाल्ट स्टेंट (कोटिड और अन्य स्टेंट सहित)

21.02.2013 से 12000/-

(ii) कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और बैलून से एंजियोप्लास्टी

कोरोनरी एंजियोप्लास्टी - 50000/-रू.

बैलून से कोरोनरी एंजियोप्लास्टी - 07.02.2013 से 55000/-रू.

हृदय रोग विशेषज्ञों के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद समेकित वित्त प्रभाग के परामर्श से उपरोक्त दरें संशोधित की गई हैं।

(ग) और (घ) सी.जी.एच.एस. के पैनलबद्ध निजी अस्पतालों द्वारा एंजियोप्लास्टी उपचार से मना करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सरकार ने 14.02.2013 को, सी.जी.एच.एस. के तहत पात्र अस्पतालों को अधिक संख्या में इम्पैनल करने हेतु निरंतर इम्पैलमेंट स्कीम पुनर्जीवित की है।

ग्राम सभा का कार्यकरण

3112. श्री सुल्तान अहमद : क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनियमित रूप से ग्राम सभा की बैठक करने अथवा निर्धारित समय पर ग्राम सभा की बैठक नहीं करने के संबंध में किन्हीं ग्राम पंचायतों के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई अथवा कार्रवाई प्रस्तावित है;

(ग) क्या सरकार का ग्राम सभा ग्रामीण स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा ग्राम पंचायतों के पारदर्शी सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए ब्लॉक स्तर पर किसी समिति को गठित करने प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क) और (ख) ग्राम सभा की आयोजित की जाने वाली न्यूनतम बैठकों की संख्या के संबंध में अपने-अपने पंचायती राज कानूनों/नियमों में प्रावधान करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का कार्य है एंव ग्राम पंचायतें ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने के लिए जिम्मेवार हैं। संबंधित निर्देशों का अनुपालन या गैर-अनुपालन भी मुख्यत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित प्राधिकरणों द्वारा देखा जाना है।

(ग) इस मंत्रालय के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक सहायता

3113. श्री विजय बहादुर सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसमें से उपयोग में लायी गई वित्तीय सहायता राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। गरीबी उन्मूलन हेतु विशिष्ट रूप से आशयित एशियाई विकास बैंक की सहायता प्राप्त कोई परियोजना नहीं है।

विवरण

गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनएं

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	दाता	हस्ताक्षर करने की तारीख	समाप्ति की तारीख	क्रेडिट ऋण राशि	28.02.2013 तक संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8
				2009-10			
1.	मध्य प्रदेश जिला गरीबी-पहल परियोजना चरण-II	मध्य प्रदेश	आई.डी.ए.	20.07.2009	31.12.2014	100	56.50
2.	आन्ध्र प्रदेश गरीबी न्यूनीकरण परियोजना हेतु अतिरिक्त वित्तपोषण	आन्ध्र प्रदेश	आई.डी.ए.	29.12.009	31.01.2012	100	97.64
				2010-11			
3.	तमिलनाडु अधिकारिता तथा गरीबी न्यूनीकरण "वझंधु काट्टूवोम" परियोजना हेतु अतिरिक्त वित्तपोषण	तमिलनाडु	आई.डी.ए.	23.12.2010	30.09.2014	154	22.04

1	2	3	4	5	6	7	8
			2011-12				
4.	राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना	राजस्थान	आई.डी.ए.	24.05.2011	31.10.2016	162.7	13.89
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना	केन्द्रीय	आई.डी.ए.	18.07.2011	31.12.2016	1000.00	13.50
6.	उत्तर-पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना	नागालैण्ड, मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम	आई.डी.ए.	20.1.2012	31.03.2017	130.00	0.78
			2012-13				
7.	बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण	बिहार	आई.डी.ए.	09.07.2012	31.10.2015	100.00	1.28

[अनुवाद]

एन.डी.पी.एस. अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव

3114. **श्री सुरेश कलमाडी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन.डी.पी.एस.) में प्रस्तावित बदलाव पर अपने विचार बताने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम के क्षेत्र के तहत लाए जाने के लिए विचारित मादक पदार्थों की सूची सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नशा हेतु अफीम के अप्राधिकृत फेरी के लिए इस अधिनियम के संभावित दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) स्वापक औषधियों और मादक पदार्थों का कारोबार करने वाले वैध व्यापार एवं उद्योगों की चिंताओं का समाधान करने के लिए प्रशामक उपचार और यथोचित रक्षोपाय के लिए ओपिऑयड को उपलब्ध कराने से संबंधित विनियामक परिवर्तन किए जाने के बारे में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के विचार आमंत्रित किए गए थे। इस समय स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के दायरे में और नई स्वापक औषधियों को लाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) सामान्य तौर पर नशीली दवाओं के खतरे का सामना करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एक विधायी उपाय के रूप में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधिनियमित किया गया है जिसके अंतर्गत स्वापक औषधियों एवं मन:प्रभावी प्रदार्थ के अवैध व्यापार के लिए सख्त दण्ड की व्यवस्था की गई है। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की ही कई एजेंसियों को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन नशीली दवाओं की आपूर्ति में कमी लाने के लिए इन प्रवर्तन एजेंसियों ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं- (i) नशीली दवाओं के जाने-पहचाने मार्ग में गहन निवारक और अवरोधक प्रयास, (ii) सीमा के प्रवेश/निकास बिन्दुओं पर सख्त निगरानी और प्रवर्तन का कार्य,

(iii) आसूचना प्रणाली को सख्त बनाना, (iv) अवैध व्यापार के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग। इन नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक केन्द्र क्षेत्रीय योजना चला रहा है- जिसका नाम है ''स्कीम ऑफ एसिस्टेंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस (ड्रग्स) एब्यूज'' है, जिसका उद्देश्य इन नशीली दवाओं का व्यक्ति, परिवार, कार्यस्थल और सामान्य रूप से पूरे समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और उनको जानकारी देना है।

विदेशों में पर्यटन संबंधी रोड शो

3115. श्री मधु गौड यास्खी :
श्री किशनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में पर्यटन रोड शो आयोजित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विदेशों में आयोजित रोड शो तथा इन पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे शो के लिए चयनित भागीदारों तथा उनके चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप ऐसे देशों से पर्यटन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय, देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन करने और देश में विदेशी पर्यटक आगमनों को बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशों में महत्वपूर्ण और संभावित पर्यटक सृजनकारी बाजारों में रोड शो आयोजित करने के साथ-साथ विभिन्न क्रियाकलाप करता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में किए गए व्यय के साथ-साथ विदेशों में आयोजित रोड शो के ब्यौरे संलगन विवरण में दिए गए हैं।

(घ) मंत्रालय द्वारा रोड शो सामान्यत: भारतीय यात्रा व्यवसाय संघों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। प्रतिभागियों में इन संघों के सदस्यों के साथ-साथ विदेशों के यात्रा प्रचालक, होटलियर, भारत का संवर्धन करने वाली एयरलाइन्स और वे सब जो भारत में टूर प्रारंभ करना चाहते हैं, शामिल हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में विदेशी पर्यटक आगमनों में वृद्धि का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन	प्रतिशत वृद्धि
2010	5775692	11.8
2011*	6309222	9.2
2012**	6648318	5.4

*संशोधित।

**अनंतिम।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में विदेशो में आयोजित रोड शो और किया गया व्यय

वर्ष	देश जहां रोड शो आयोजित किए गए	किया गया व्यय (लाख रूपए में)
1	2	3
2009-10	यू.एस.ए. (न्यूयार्क, शिकागो, बॉस्टन, लास एंजिल्स, सेन फ्रांसिस्को),	568.40

1	2	3
	कनाडा (वेंकुवर, टोरंटो) फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आस्ट्रेलिया (सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिसबेन), न्यूजीलैंड (ऑकलैंड, वेलिंगगटन), जापान (टोक्यो, ओसाका), कोरिया (सियोल), चीन (हैंगज़ोऊ), सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस, दक्षिण अफ्रीका (जोहान्सबर्ग), यू.ए.ई. (दुबई), ओमान (मस्कट, सालाह), बहरीन, सऊदी अरेबिया (रियाध), कुवैत, कतार (दोहा), येमेन (सना), सीरिया (दमिश्क)	
2010-11	यू.एस.ए. (लास एजिल्व, न्यूयार्क, बॉस्टन, शिकागो), कनाडा (टोरंटो), यूके (लंदन, ग्लासगो), रशिया (समरा, नोवोसीब्रीस्क, इकाटेरिनबर्ग), कजाकिस्तान (अलामेटी), आस्ट्रेलिया (सिडनी, मेलबोर्न), न्यूजीलैंड (ऑकलैंड), चीन (गुआंगजू, कुनमिंग, चेंगदू, बीजिंग), हांग कांग, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपिन्स, ताइवान (ताईपेई)	211.97
2011-12	यू.एस.ए. (लास एजिंल्स, न्यूयार्क), यूके (लंदन, मानचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो), आयरलैंड (डब्लिन), फ्रांस (पेरिस, लियोन), स्विटज़रलैंड (जिनेवा, ज्यूरिख), इटली (रोम, बोलोंगना, टोरिनो, मिलान), रशिया (मास्को), कजाकिस्तान (अलामेटी), यूक्रेन (कीव), चीन (बिजिंग), सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ईरान (तेहरान, माशहाद, इस्फाहान), सऊदी अरेबिया (दम्मम, रियाध, जेद्दाह)	415.11
2012-13 (अब तक)	यू.एस.ए. (फोनिक्स, सेना फ्रांसिस्को, सेटल), कनाडा (वेंकूवर), ब्राजिल (साओ पॉलो), अर्जेंटीना (ब्यूनस आयर्स), यूके (लंदन, बर्मिंघम, मॉनचेस्टर), फ्रांस (पेरिस), इटली (रोम, तोरिनो, मिलान), पोलैंड (वरसां), रशिया (मॉस्को, सेंट पीटरसबर्ग), इजराइल (तेल अवीव), आस्ट्रेलिया (सिडनी, मेलबॉर्न), न्यूज़ीलैंड (ऑकलैंड), जापान (टोक्यो, ओसाका), कोरिया (सियोल), चीन (बीजिंग, शंघाई, कुनमिंग), सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, केन्या (नेरोबी), तंजानिया (दार-ए-सलाम), जोर्डन (अम्मान), यू.ए.ई. दुबई, ओमान (मस्कट), तुर्की (अंकारा, इस्तांबुल)	590.26

डीजल और पेट्रोल का मूल्य निर्धारण

3116. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में हाल डीजल और पेट्रोल मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि पर जनाक्रोश से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का सार्वजनिक परिवहन को राहत देते हुए डीजल और पेट्रोल की सब्सिडी दर में बदलाव करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) डॉ. किरीट एस. पारिख की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई सिफारिशों के आलोक में, सरकार ने दिनांक 26.06.2010 से पेट्रोल का मूल्य बाजार-निर्धारित कर दिया है। इसके बाद से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज.) अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों और बाजार दशाओं के अनुसार पेट्रोल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं। ओ.एम.सीज. अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार न केवल पेट्रोल के खुदरा बिक्री मूल्य (आर.एस.पी.) में वृद्धि की हैं बल्कि कमी भी की हैं।

सरकार ने दिनांक 25.06.2010 से ''सिद्धांत रूप में'' यह निर्णय भी लिया था कि रिफाइनरी द्वारा और खुदरा स्तर, दोनों पर डीजल का मूल्य बाजार-निर्धारित कर दिया जाएगा। तथापि, अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों में होने वाली वृद्धि तथा घरेलू स्फीतिकारी प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार द्वारा डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य को आवश्यकतानुसार बढ़ाया घटाया जाता है। तथापि, डीजल की बिक्री पर ओ.एम.सीज. की अल्प-वसूली को कम करने के लिए सरकार ने दिनांक 17 जनवरी, 2013 से ओ.एम.सीज. को (क) डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में अगले आदेशों तक 40 पैसे से 50 पैसे की सीमा में प्रति लीटर प्रतिमाह की वृद्धि (विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में यथा लागू वैट के छोड़कर) करने और (ख) ओ.एम.सीज. के संस्थापनाओं से सीधे थोक आपूर्तियां प्राप्त करने वाले सभी उपभोक्ताओं को डीजल की बिक्री गैर राजसहायता प्राप्त बाजार निर्धारित मूल्य पर करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। तदनुसार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) ने क्रमशः 18 जनवरी, 2013 और 16 फरवरी, 2013 से खुदरा उपभोक्ताओं के लिए डीजल के मूल्य में 0.45 पैसे प्रति लीटर (वैट के अलावा) की वृद्धि की है। ओ.एम.सीज. ने गैर राजसहायता प्राप्त बाजार निर्धारित मूल्य पर थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल बेचने के निर्णय को भी लागू कर दिया है। दिनांक 01.03.2013 से रिफाइनरी द्वारा मूल्य के आधार पर उपरोक्त निर्णय लागू होने के बाद भी ओ.एम.सीज. को खुदरा उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले डीजल पर 11.26 रुपए प्रति लीटर की अल्प-वसूली हो रही है।

सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें बाजार निर्धारित गैर राजसहायता प्राप्त मूल्य पर डीजल की खरीद पर राज्य परिवहन उपक्रमों (एस.टी.यूज.) को पेश आ रही कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है कि वे राज्य करों को व्यवहारिक बनाते हुए एस.टी.यूज. को उचित राहत उपलब्ध कराएं।

[हिन्दी]

धर्मार्थ संस्थाओं के लिए सब्सिडीयुक्त एल.पी.जी.

3117. श्री एंटो एंटोनी :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने धर्मार्थ संस्थाओं, विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, अस्पतालों और छात्रावासों के समक्ष सब्सिडीयुक्त तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) सिलेण्डरों को नियंत्रित किए जाने के कारण आ रही समस्याओं को नोट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार के पास सब्सिडीयुक्त एल.पी.जी. सिलेण्डरों की सीमा से इन संगठनों को छूट प्रदान करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि सब्सिडीयुक्त एल.पी.जी. सिलेण्डर इन संगठनों को प्रदान किया जाए तो सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) सरकार ने निर्णय लिया है कि

गैर घरेलू छूट प्राप्त श्रेणी (एन.डी.ई.सी.) ग्राहकों अर्थात सरकारी और नगर पालिका अस्पतालों, सभी विद्यालयों और कॉलेज के होस्टलों को सप्लाई, मध्याहन भोजन योजना, सरकारी कार्यालयों से संबद्ध कैंटीनों, रक्षा स्थापनाओं के रसोई घरों तथा भोजनालयों के अलावा पुलिस बल, बी.एस.एफ. सी.आई.एस.एफ. के भोजनालयों तथा सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाओं के अतिरिक्त विद्यालयों, कालेजों तथा अनुसंधान संस्थाओं से संबद्ध प्रयोगशालाओं को अब घरेलू एल.पी.जी. ग्राहक माना जाएगा और उन्हें दिनांक 05.02.2013 से घरेलू एल.पी.जी. ग्राहकों हेतु यथा लागू सीमा तक राजसहायता प्राप्त दरों पर ही एल.पी.जी की आपूर्ति की अनुमति होगी।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में शेष अवधि के लिए यथा आनुपातिक दर पर हकदारी होगी।

(ङ) कुल राजसहायता भार प्रति घरेलू राजसहयता प्राप्त सिलिंडर (दिल्ली में 01.03.2013 से प्रभावी) 461.58 रुपए/घरेलू राजसहायता प्राप्त सिलिंडर है।

बैंक ऋणों की वसूली

3118. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आई.बी.आई.) ने देश के सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) को निर्देश दिया है कि वे उन लोगों से धन की वसूली करें जिन्होंने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से गलत तरीके से अपने ऋण को माफ करा लिया है;

(ख) यदि हां, तो अनुपालन की स्थिति सहित तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी धोखाधड़ियों में किन्हीं व्यक्तियों/अधिकारियों की संलिप्तता पायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ङ) कृषि ऋण माफी और राहत योजना (ए.डी.डब्ल्यू.डी. आर.एस.), 2008 के कार्यान्वयन में कतिपय अधियमितताओं के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक कार्यालय के द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर सरकार ने बैंकों को तुरंत उपचारात्मक उपाय करने की सलाह देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी.आई.) को दिशा-निर्देश जारी किए थे। तदनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र के सभी बैंकों को परिपत्र जारी किए गए हैं जिसके लिए आर.बी.आई. सरकार के निदेशों का अनुपालन करने के लिए इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी थी। अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सलाह दी गई हैं:-

(i) उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए जहां ऋणग्रस्तता बहुत अधिक थी लाभार्थियों की सूचियों के पूर्ण सत्यापन की आवश्यकता है।

(ii) अधिकारियों, आंतरिक लेखापरीक्षकों और सांविधिक लेखापरीक्षकों जो सत्यापन, प्रणाणीकरण, अथवा दावों के पास करने के लिए जिम्मेदार थे की ओर से प्रशासनिक/लेखांकन में चूक करने के लिए उनकी पहचान की जाए और चूकों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।

(iii) अपात्र लाभार्थियों को दिए गए लाभों के मामले प्राथमिकता आधार पर निपटाए जाएं और राजकोष को कोई हानि न हो पाए इसे सुनिश्चित करने के लिए विधि के अनुसार पूर्ण रिकवरी की जाए।

(iv) अभिलेखों में छेड़छाड़ अथवा परिवर्तन आदि के सभी मामलों की पहचान की जाए और उच्च प्राधिकारियों द्वारा इनकी छानबीन की जाए। उन जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध विधि के अनुरूप धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई आरंभ की जाए।

बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ यदि किसी अपराध का पता चला है और यदि कोई एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है, तो मासिक रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार विशिष्ट रूप से यह सूचित करने की सलाह दी गई है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

3119. **श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :** क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के तहत यथा अधिदिष्ट अपेक्षित संख्या में निषेधकारी अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई अथवा प्रस्तावित है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) महिला और बाल विकास मंत्रालय, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 सहित महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों के क्रियान्वयन की संवीक्षा करने के लिए नियमित रूप से राज्य सरकारों, पुलिस, विधिक सेवा प्राधिकृतों के प्रतिनिधियों और अन्यों के साथ परामर्श आयोजित करता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के क्रियान्वयन की संवीक्षा के लिए मंत्रालय ने विभिन्न भागीदारों के साथ क्रमशः नवम्बर, 2011 और जनवरी, 2012 में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया है।

(ग) और (घ) अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किए हैं। दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की राज्यवार नियुक्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय नियमित रूप से इस कानून के क्रियान्वयन की संवीक्षा करता है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्त किए गए दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	नियुक्त किए गए दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	72
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	23
4.	बिहार	38
5.	छत्तीसगढ़	19
6.	गोवा	10
7.	गुजरात	26
8.	हरियाणा	66
9.	हिमाचल प्रदेश	51
10.	जम्मू और कश्मीर	अधिनियम लागू नहीं है।
11.	झारखण्ड	24
12.	कर्णाटक	29
13.	केरल	3
14.	मध्य प्रदेश	50
15.	महाराष्ट्र	1114
16.	मणिपुर	9
17.	मेघालय	7

1	2	3
18.	मिज़ोरम	शून्य
19.	नागालैण्ड	शून्य
20.	ओडिशा	51
21.	पंजाब	77
22.	राजस्थान	33
23.	सिक्किम	शून्य
24.	तमिलनाडु	31
25.	त्रिपुरा	17
26.	उत्तर प्रदेश	71
27.	उत्तराखंड	13
28.	पश्चिम बंगाल	19
	जोड़	1853

[अनुवाद]

एल.आई.सी. में निवेश

3120. श्री के. सुगुमार :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्य की स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (एल.आई.सी.) के लिए निवेश सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 42(2) के अंतर्गत सरकार को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27क, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगत के निवेश मापदण्ड निहित हैं, के सहित कतिपय धाराओं में ऐसी यथाविनिर्दिष्ट शर्तों तथा आशोधनों द्वारा बढ़ाने का अधिकार है। तदनुसार, सरकार ने अधिसूचना (सा.का.नि. संख्या 734 दिनांक 23.8.1958) जारी की थी जिसके द्वारा धारा 27क और बीमा अधिनियम की अन्य धाराओं में कतिपय आशोधनों के साथ एल.आई.सी. पर लागू किया गया था। उक्त अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया गया है। निजी कंपनियों हेतु बीमा क्षेत्र को खोलने के उपरांत विनियामक, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (इरडा) ने (निवेश) विनियमन, 2000 जारी किया है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, जिसमें सभी बीमा कंपनियों हेतु निवेश मानदण्ड निहित हैं। चूंकि एल.आई.सी. का निधि आकार व्यापक रूप से बढ़ रहा है, जो कि 2000 में डेढ़ लाख करोड़ रुपए के स्तर से बढ़कर 2012 में लगभग तेरह लाख करोड़ तक हो गया है, जो कि देश में जीवन बीमा उद्योग के पूरे निधि आकार के 80% से भी अधिक है, यह महसूस किया गया है कि निवेश की अधिकतम सीमा में एल. आई.सी. हेतु विशिष्ट सीमाओं की आवश्यकता है। पॉलिसीधारकों तथा शेयरधारकों की निधि के निवेश पर बेहतर प्रतिफल सुनिश्चित करने एवं पालिसीधारकों की सुरक्षा तथा एल.आई.सी. को बेहतर निवेश अवसर उपबध्न कराने हेतु सरकार सा.का.नि. संख्या 734 दिनांक 23.08.1958 की पुनः जांच कर रही है।

(ग) और (घ) प्रस्ताव इरडा की जांच-आधीन है तथा उनसे अनुरोध किया गया है कि एल.आई.सी. के सामने आ रही समस्याओं तथा पालिसीधारकों की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर नए सिरे से पुनर्विचार करें।

[हिन्दी]

जनसंख्या स्थिरीकरण

3121. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री पुलीन बिहारी बासके :
श्री हरिभाऊ जावले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने में परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने में निराशाजनक प्रगति दर्शायी है;

(ख) यदि हां, तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (एन.सी.पी.) की अद्यतन रिपोर्ट में देश के प्रमुख राज्यों में खतरनाक स्तर तक सामाजिक जनसांख्यिकी विषमताओं को रेखांकित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जनसंख्या स्थिरीकरण सरकार के लिए मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र रहा है। भारत ने स्वयं वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का व्यापक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वर्ष 2012 तक प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तरों को प्रापत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कुल प्रजनन दर, जो 1951 में 6.0 थी, 2010 में घटकर 2.5 रह गई है। जबकि 21 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर को पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। वहीं 7 राज्यों में टी.एफ.आर. 2.1 और 3.0 तथा 7 राज्यों में टी.एफ.आर. 3 से अधिक है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में धीमी प्रगति के कारणों में कम उम्र में विवाह तथा बच्चे का जन्म, निम्न साक्षरता और गर्भनिरोधक के प्रयोग में कमी शामिल है।

(ग) और (घ) आर.जी.आई. द्वारा किए गए वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण का मुख्य स्वास्थ्य मानदंड संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं

(ङ) भारत सरकार परिवार नियोजन की अपूर्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक सुदृढ़ सेवा प्रदान तंत्र के निर्माण में सहायता प्रदान कर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 में यथा उल्लिखित जनसंख्या स्थिरीकरण के नीतिगत ढांचे की तर्ज पर 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मजबूती के साथ कार्यान्वयन करती रही है।

देश भर में अत्यधिक ध्यान दिया जाने वाले ऐसे 264 जिलों, जहां मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के संबंध में कमजोर आर.सी.एच. संकेतक हैं, को विशेष ध्यान दिए जाने तथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए चिह्नित किया गया है।

जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. लाभार्थियों के घर पर गर्भ निरोधक मुहैया कराने में 'आशा' कर्मियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए नई योजना शुरू की गई है। इस योजना को राज्यों के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

2. शादी और पहले बच्चे के बीच तथा पहले और दूसरे बच्चे के बीच का अंतराल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आशा कर्मियों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। उनके द्वारा नव-विवाहित दंपतियों को शादी से लेकर पहले बच्चे के बीच 2 वर्ष तथा एक बच्चे वाले दंपतियों को पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के जन्म के बीच 3 वर्ष का अंतराल सुनिश्चित करने का परामर्श दिया जाता है। यह योजना पूर्वोत्तर राज्यों, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में चलायी जा रही है।

3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत अल्पावधि आई.यू.डी.सी. (5 वर्ष तक प्रभावी), सी.यू. आई.यू.सी.डी. 375 शुरू किया है।

4. सरकार द्वारा आई.यू.सी.डी. इन्सर्शन की एक नई पद्धति (पोस्ट पार्टम आई.यू.सी.डी. इन्सर्शन) शुरू किया गया है। पी.पी.आई.यू.सी.डी. सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के

तहत अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्यों के 276 जिला अस्पतालों को शामिल किया गया है।

5. समर्पित परिवार नियोजन परामर्शदाताओं की तैनाती और कार्मिकों के प्रशिक्षण द्वारा जिला अस्पतालों में पोस्ट पार्टम परिवार रियोजन सेवाओं को बढ़ावा देना।

6. जनसंख्या स्थिरता कोष (जे.एस.के.) की प्रेरणा रणनीति (उत्तरदायी पितृत्व व्यवहार) लड़कियों को देर से शादी करने (वैधानिक आयु के प्राप्त करने पर) के लिए प्रोत्साहन देकर, वैधानिक आयु की प्राप्ति के बाद शादी करने वाली तथा उनके बच्चों के जन्म में उचित अंतराल सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को पारितोषित देकर और सार्वजनिक तौर पर सम्मानित कर जनसंख्या स्थिरीकरण को बढ़ावा देती है।

7. जे.एस.के. की संतुष्टि रणनीति में निजी क्षेत्र के स्त्री रोग विशेषज्ञों तथा नसबंदी शल्य चिकित्सकों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) में बंध्यीकरण ऑपरेशन करने की अवसर प्रदान करने का प्रावधान है।

8. बंध्यीकरण के लिए मुआवजा पैकेज के तहत सभी राज्यों में सभी श्रेणियों के लिए पुरुष नसबंदी के प्रत्येक मामले में 1500/- रुपए और अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्यों में सभी श्रेणियों को और कम ध्यान दिए जाने वाले राज्यों में जन स्वास्थ्य केन्द्रों में बी.पी.एल. /एस.सी./एस.टी. आबादी को स्त्री नसबंदी के प्रत्येक मामले में 1000/- रुपए की राशि का प्रावधान है। कम ध्यान दिए जाने वाले राज्यों में ए.पी.एल. श्रेणियों में केवल जन स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री नसबंदी के लिए 650/- रुपये का पैकेज दिया गया है।

9. बंध्यीकरण के कारण संभावित किसी अनहोनी की घटना को कवर करने के लिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना।

10. बच्चों के जन्म के बीच अंतर रखने के लिए दीर्घावधि आई.यू.टी.-380-ए को बढ़ावा।

11. नॉन स्कैलपन वैसेक्टॉमी (एन.एस.वी.) तरीकों के जरिए पुरुष सहभागिता को बढ़ावा देना।

12. मिनि लैप बंध्यीकरण पद्धति के संबंध में डॉक्टरों के प्रशिक्षण देना।

13. बंध्यीकरण सेवाओं के विस्तार के लिए निजी सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध करना।

विवरण-I

प्रवृत्ति-कुल प्रजनन दर : 2005-2010

क्र.सं.	राज्य	2005	2007	2009	2010	बिन्दुवार कमी: 2005-2010
1	2	3	4	5	6	7
	सम्पूर्ण भारत	2.9	2.7	2.6	2.5	-0.4
	टी.एफ.आर. > 3 वाले राज्य					
1.	बिहार	4.3	3.9	3.9	3.7	-0.6
2.	उत्तर प्रदेश	4.2	3.9	3.9	3.7	-0.7

1	2	3	4	5	6	7
3.	दादरा और नगर हवेली	3.5	3.2	..	..	
4.	मध्य प्रदेश	3.6	3.4	3.3	3.2	-0.4
5.	मेघालय	3.2	3.1	..	..	
6.	राजस्थान	3.7	3.4	3.3	3.1	-0.6
7.	झारखंड	3.5	3.2	3.2	3.0	-0.5
	टी.एफ.आर. <3 और >2.2 वाले राज्य					
1.	छत्तीसगढ़	3.4	3.1	3.0	2.8	-0.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.5	2.7	..	..	
3.	उत्तराखंड (एन.एफ.एच.एस.-3)	2.6	..	..	..	
4.	असम	2.9	2.7	2.6	2.5	-0.4
5.	गुजरात	2.8	2.6	2.5	2.5	-0.3
6.	ओडिशा	2.6	2.4	2.4	2.3	-0.3
7.	हरियाणा	2.8	2.6	2.5	2.3	-0.5
	टी.एफ.आर.< =2.1 वाले राज्य					
1.	लक्षद्वीप	2.2	2.1	..	..	
2.	जम्मू और कश्मीर	2.4	2.3	2.2	2.0	-0.4
3.	कर्णाटक	2.2	2.1	2.0	2.0	-0.2
4.	मिज़ोरम	2.0	2.0	..	..	
5.	नागालैंड	1.7	2.0	..	..	
6.	सिक्किम	2.2	2.0	..	..	
7.	महाराष्ट्र	2.2	2.0	1.9	1.9	-0.3
8.	दमन और दीव	2.1	1.9	..	..	
9.	दिल्ली	2.2	2.0	1.9	1.9	-0.3

1	2	3	4	5	6	7
10.	आन्ध्र प्रदेश	2.0	1.9	1.9	1.8	-0.2
11.	हिमाचल प्रदेश	2.2	1.9	1.9	1.8	-0.4
12.	केरल	1.7	1.7	1.7	1.8	0.1
13.	पंजाब	2.1	2.0	1.9	1.8	-0.3
14.	पश्चिम बंगाल	2.1	1.9	1.9	1.8	-0.3
15.	चंडीगढ़	1.8	1.8	..	..	
16.	त्रिपुरा	1.6	1.7	..	..	
17.	तमिलनाडु	1.7	1.6	1.7	1.7	0.0
18.	पुदुचेरी	1.7	1.6	..	..	
19.	मणिपुर	1.7	1.6	..	..	
20.	गोवा	1.5	1.6	..	..	
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.6	1.5	..	..	

स्रोत: एस.आर.एस. आर.जी.आई.।

विवरण-II

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2011

क्र.सं.	राज्य	जन्म के समय लिंग अनुपात	0.4 वर्ष लिंग अनुपात	अशोधित जन्म दर	टीएफ आर	अशोधित मृत्यु दर	आईएम आर	यूएम आर	एमएम आर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	असम	925	956	21.9	2.6	7.2	60	78	381
2.	बिहार	919	931	26.7	3.7	7.2	55	77	305
3.	छत्तीसगढ़	951	978	23.9	2.9	7.6	53	70	275
4.	झारखंड	923	937	23.7	3.1	6.1	41	59	278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	मध्य प्रदेश	904	911	25	2.8	8	67	89	310
6.	ओडिशा	905	933	20	2.3	8.3	62	82	277
7.	राजस्थान	878	870	24.7	3.2	6.6	60	79	331
8.	उत्तर प्रदेश	904	913	25.5	3.6	8.6	71	94	345
9.	उत्तराखंड	866	877	18.6	2.3	6.6	43	55	188

स्रोत: वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, महापंजीयक और जनसंख्या आयुक्त का कार्यक्रम।

[अनुवाद]

शेयरों की खरीद

3122. श्री नीरज शेखर :
श्री यशवीर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का ध्यान प्रवर्तकों द्वारा खुली पेशकश में शेयरों की खरीद में अनियमितताओं की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनियमितताओं में संलिप्त प्रवर्तकों को विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सेबी का इन अनियमितताओं के मद्देनजर सेबी (सब्सटेंशियल एक्वीजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स) रेगुलेशन्स, 2011 (एस.ई.बी.आई.) में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) सेबी ने खुली पेशकशों में प्रवर्तकों द्वारा शेयरों की अधिग्रहण में कोई अनियमितताएं बरते जाने का मामला नहीं पाया है। तथापि, सेबी ने ऐसे मामले देखे हैं जिनमें प्रवर्तकों ने खुली पेशकश करने की शर्तें पूरी किए बिना शेयरों का अधिग्रहण किया है।

(ख) ऐसे मामलों की कुल संख्या जहां सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997/2011 का उल्लंघन देखा गया और अधिनिर्णयन की कार्यवाहियां शुरू की गईं; निम्नवत हैं:

2009-10	2010-11	2011-12	2012 आज तक
20	17	18	22

(ग) सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव सेबी के विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) सेबी (एस.ए.एस.टी.) विनियम, 2011, 23 सितम्बर, 2011 को अधिसूचित किए गए और 22 अक्तूबर, 2011 से प्रवृत्त हुए। सेबी (एस.ए.एस.टी.) विनियम, 2011 के वर्तमान उपबंध खुली पेशकश करने की शर्त पूरी किए बिना शेयरों के अधिग्रहण में हुई किन्ही अनियमितताओं पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त हैं।

सेवा कर वंचन

3123. श्री ए. सम्पत :
श्री यशवीर सिंह :

श्री एस. अलागिरी :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री नीरज शेखर :
श्री पी.के. बिजू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह आय है कि विभिन्न निजी विश्वविद्यालय और भेषज कंपनियां कई करोड रूपये के कथित सेवा कर वंचन में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

टीकों को अनैतिक बढ़ावा देना

3124. डॉ. भोला सिंह :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री बाल कुमार पटेल :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री संजय दिना पाटील :
श्री नीरज शेखर :
श्री नारनभाई कछादिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में टीका उत्पादक कंपनियों की मिली-भगत से कथित कतिपय चिकित्सकों/चिकित्सक संघ द्वारा बच्चों के लिए गैर-अनिवार्य टीकों को अनैतिक रूप से बढ़ावा दिए जाने की कुछ घटनाओं की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) देशभर में चिकित्सकों और टीका उत्पादन कंपनियों द्वारा किए जा रहे ऐसे अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के वैक्सीन से रोके जा सकने वाले 7 रोगों के लिए टीके लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देश में चुनिन्दा क्षेत्रों में जापानी ऐन्सेफेलाइटिस वैक्सीन व हीमोहिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी (हिब) वैक्सीनें प्रदान की जाती हैं। गैर-अनिवार्य वैक्सीनों के अनैतिक संवर्धन के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के ध्यान में कोई उदाहरण नहीं आया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाह्य ऋण

3125. श्री राम सुन्दर दास :
श्री शिव कुमार उदासी :
श्री कपिल मुनि करवारिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष (2012-13) के प्रत्येक महीने के दौरान दीर्घावधि और अल्पावधि बाह्य ऋण की प्रमात्रा कितनी है;

(ख) देश के बाह्य ऋण में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) बाह्य ऋण को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) विदेशी ऋण संबंधी आंकड़े एक तिमाही के अंतराल पर त्रैमासिक आधार पर प्रसारित किए जाते हैं। चालू वर्ष में दीर्घावधिक और अल्पावधिक विदेशी ऋण का तिमाही-वार ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:

सारणी: भारत का विदेशी ऋण (बिलियन अमरीकी डॉलर)

क्र.सं.	घटक	जून, 2012 के अंत में (आं.सं.)	सितंबर, 2012 के अंत में (त्व.अ.)
1.	दीर्घावधिक विदेशी ऋण	268.3	280.8
2.	अल्पावधिक विदेशी ऋण	80.5	84.5
3.	कुल विदेशी ऋण (1+2)	348.8	365.3

अ.सं. : आंशिक संशोधित, त्व. अ.:

(ख) और (ग) सितंबर, 2012 के अंत में विदेशी ऋण में वृद्धि मुख्यत: अपेक्षाकृत अधिक अनिवासी भारतीय जमाराशियों, अल्पावधिक ऋण और वाणिज्यिक उधारों के कारण हुई थी। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विदेशी ऋण प्रबंधन नीति में दीर्घ और अल्पावधिक ऋण को मॉनीटर करने, रियायती शर्तों पर दीर्घ परिपक्वता वाले सरकारी ऋण जुटाने, अंतिम प्रयोग और ऑल-इन-कास्ट प्रतिबंधों के जरिए विदेशी वाणिज्यिक उधारों को विनियमित करने और अनिवासी भारतीय जमाराशियों (एन.आर.आई.) पर ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाने पर बल दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, विदेशी ऋण नियंत्रणीय स्तर पर बना हुआ है जैसाकि 2011-12 में 19.7 प्रतिशत के ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और 6.0 प्रतिशत के ऋण शोधन अनुपात से दर्शाया गया है।

आवश्यक औषधियां

3126. श्री के.पी. धनपालन :
श्री पी. विश्वनाथन :
श्री एम.आई. शानवास :
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औषधि की आवश्यकता के निर्धारण के सिद्धांत का ब्यौरा क्या है तथा आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची (एन.एल.ई.एम.) में शामिल करने के लिए औषधियों के चयन हेतु सरकार द्वारा क्या दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार एन.एल.ई.एम. में संशोधन करने का है तथा क्या इसने इस प्रयोजन के लिए समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी संरचना क्या है एवं इसके लिए मानदण्ड सहित उक्त समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल में आवश्यक औषधियों की संशोधित सूची तैयार करने में विलंब पर अप्रसन्नता व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाए किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ) (एन.एल.ई.एम.) 2011 राष्ट्रीय अनिवार्य दवाई सूची (एन.एल.ई.एम.) का उद्देश्य यह है कि

इसमें शामिल औषधें आम जनसंख्या की आम समकालीन स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हों। यह देश में संतुलित स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। देश के इन औषधों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना स्वास्थ्य प्रशासकों की सामान्य जिम्मेदारी है। एन.एल. ई.एम. का प्राथमिक प्रयोजन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं अर्थात लागत, सुरक्षा और प्रभावोत्पादकता पर विचार करते हुए दवाइयों के तकर्क संगत इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, यह जेनेरिक नामों द्वारा प्रिस्क्रिप्शन को बढ़ावा देता है। एन.एल.ई. एम. को थेराप्यूटिक उत्पादों के इस्तेमाल की समकालीन जानकारी के संदर्भ में समय-समय पर संशोधन और अद्यतन किया जाता है। वर्ष 1996 में पहली एन.एल.ई.एम. तैयार और जारी की गई। बाद में वर्ष 2003 में इस सूची को संशोधित किया गया था।

परिवर्तनशील रोग व्याप्तता, उपचारात्मक कार्यविधियां, नई दवाईयां शुरू करने एवं कुछ दवाइयों के अस्वीकार्य जोखिम लाभ प्रोफाइल तथा थेराप्यूटिक प्रोफाइल के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए डॉ. वाई.के. गुप्ता, प्रोफेसर एवं प्रमुख, फार्माकालॉजी विभाग, एम्स, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 6 जुलाई, 2010 के आदेश के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों वाली एक कोर समिति का गठन किया गया था, ताकि एन.एल.ई., 2003 का अद्यतन किया जा सके। कोर समिति को फार्माकालोजी विभाग, एम्स और केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) द्वारा आयोजित "राष्ट्रीय अनिवार्य दवाई सूची के संशोधन के लिए राष्ट्रीय परामर्श बैठक" के जरिए दिनांक 3-4 दिसंबर, 2010 के जरिए दृष्टिकोण/सलाह प्राप्त हुए। पूरे देश के चिकित्सा और फार्मास्युटिकल संस्थानों के विभिन्न विषयों तथा अस्पतालों एवं संबंद्ध एजेंसियों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला की सिफारिशों पर सी.डी.एस.सी.ओ. में दिनांक 4 जनवरी, 2011 और 31 जनवरी, 2011 को विशेषज्ञ कोर समिति द्वारा और चर्चा की गई तथा एल.एल.ई.एम., 2011 को अंतिम रूप से तैयार किया गया।

एन.एल.ई.एम. 2011 में 348 दवाइयां हैं जो एंटिनियोप्लास्टिक, कैंसर रोधी, इम्युनोलॉजिकल, एंटिइफेक्टिव कार्डियोवास्कुरल, औप्थाल्मॉलॉजी, विरचनाएं, डाययूरेटिक्स, एंटि-एलर्जिक आदि जैसी 27 थेराप्यूटिक श्रेणियों से संबद्ध है। स्वास्थ्य परिचर्या के विभिन्न स्तरों पर अनिवार्यता के आधार पर भी दवाइयों का वर्गीकरण किया गया है अर्थात्

(i) प्राथमिक (पी), द्वीतीयक (एस) और तृतीयक (टी) स्वास्थ्य परिचर्या के लिए 181 दवाइयां।

(ii) द्वीतीयक (एस) और तृतीयक (टी) स्वास्थ्य परिचर्या के लिए 106 दवाइयां।

(iii) तृतीयक (टी) स्वास्थ्य परिचर्या के लिए 61 दवाइयां।

वर्ष 2011 के बाद एन.एल.ई.एम. को संशोधित करने के लिए किसी भ समिति का गठन नहीं किया गया है। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य दवाइयों की संशोधित सूची तैयार करने में विलंब के ऊपर कोई भी टिप्पणी की है।

तेल और गैस का अन्वेषण

3127. श्री मनोहर तिरकी :
श्री अब्दुल रहमान :
श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री नरहरि महतो :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस भण्डारों के अन्वेषण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इन्हें किस हद तक प्राप्त किया गया है;

(ख) सरकारी और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा किए गए तेल के कुओं की ड्रिलिंग की अलग-अलग संख्या कितनी है तथा इन पर कितना व्यय हुआ तथा उक्त अवधि के दौरान इनसे उत्पादित तेल और गैस की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान

तेल और प्राकृतिक गैस के भण्डारों के अन्वेषण और उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस की मांग को पूरा करने और इनके घरेलू उत्पादन को अधिकतम करने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-08 से 2011-12) के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.), आयल इंडिया लि. (ओ.आई.एल.) और निजी/संयुक्त उद्यम (पी.वी.टी./जे.वी.एस.) कंपनियों द्वारा उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) व्यवस्था के तहत तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-08 से 2011-12) के दौरान ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.एल. और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा वेधित कूपों, किए गए निवेश और तेल तथा गैस के किए गए उत्पादन के ब्यौरेक क्रमशः संलग्न विवरण-II, III, और IV में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ.) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.एल. और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए अनुमान संलग्न विवरण-V में दिए गए हैं।

देश में कच्चे तेल के उत्पादन में तेजी लाने और तेल/प्राकृतिक गैस की मांग को पूरा करने के लिए सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.)/खुला क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति (ओ.ए.एल.पी.) के विभिन्न बोली दौरों के तहत पेशकश के लिए अन्वेषण हेतु अधिकाधिक क्षेत्रों को तैयार करना।

(2) क्षैतिज कूप वेधन इत्यादि जैसी नई प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन।

(3) मौजूदा क्षेत्रों से निकासी में वृद्धि करने के लिए वर्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर)/उन्नत तेल निकासी (आई.ओ.आर.) तकनीकों का अनुप्रयोग।

(4) कोल बेड मिथेन (सी.बी.एम.), शेल गैस/तेल और गैस हाइड्रेट इत्यादि जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को खोजना।

(5) तेल पी.एस.यूज. द्वारा विदेश में तेल और गैस परिसम्पत्तियां अर्जित करना।

(6) अंतर्राष्ट्रीय तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टी.ए.पी.आई.) पाइपलाइन के जरिए गैस प्राप्त करना।

विवरण-I

ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.एल. तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए लक्ष्य और उपलब्धि

कार्यकलाप	ओ.एन.जी.सी.		ओ.आई.एल.		निजी/संयुक्त उद्यम	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
2डी लाइन किलोमीटर (एल.के.एम.)	54359	136997	6365	8141.39	63200	262692

1	2	3	4	5	6	7
3डी वर्ग किलोमीटर (एसकेएम)	76398	97061	5450	8220.93	67825	146655
अन्वेषी कूप	651	592	135	72	300	330
तेल उत्पादन मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.)	140.06	124.113	18.99	17.57	47.71	35.22
गैस उत्पादन बिलियन घन मीटर (बी.सी.एम.)	112.39	114.34	16.43	12.01	126.45	86.08
तत्स्थान भंडार वृद्धि (एम.एम.टी.ओ.ई.)*	1000.70	1197.10	161-166	113.42	975	604

* तेल समतुल्य के मिलियन मीट्रिक टन

विवरण-II

ओ.एन.जी.सी. द्वारा XI योजना अवधि के दौरान वेधित कूपों, किए गए निवेश तथा किए गए तेल और गैस उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे

क्षेत्र/राज्य	अन्वेषी कूप (सं.)	अन्वेषण निवेश करोड़ रु.	तेल उत्पादन (एम.एम.टी.)	गैस उत्पादन (बी.सी.एम.)
1	2	3	4	5
पूर्वी और पश्चिमी अपतट	177	22472.13	86.309*	85.843
आन्ध्र प्रदेश	47	1610.99	1.448	7.297
असम	78	2453.35	6.060	2.204
गुजरात	193	1639.93	29.015	9.832
हिमाचल प्रदेश	2	113.39	....	....
मध्य प्रदेश	4	296.20	....	....
मिज़ोरम	1	60.10	....	....
राजस्थान	7	216.75	....	0.069
तमिलनाडु	48	806.16	1.282	5.994

1	2	3	4	5
त्रिपुरा	32	1183.23	....	2.902
उत्तर प्रदेश	1	13.02	....	....
पश्चिम बंगाल	2	236.09	....	....

*संघनन सहित।

विवरण-III

ओ.आई.एल. द्वारा XI योजना अवधि के दौरान वेधित कूपों, किए गए निवेश तथा किए गए तेल और गैस उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे

राज्य	प्राचल	इकाई	XI योजना	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
असम	कूप	सं.	183	अन्वेषी और विकास कार्य जारी
	निवेश	रु./करोड़	3416.99	
	कच्चा तेल उत्पादन	एम.एम.टी.	17.415	
	प्राकृतिक गैस उत्पादन (एन.जी. उत्पादन.)	बी.सी.एम	10.875	
अरुणाचल प्रदेश	कूप	सं.	2	अन्वेषी और विकास कार्य जारी
	निवेश	रु./करोड़	49.80	
	कच्चा तेल उत्पादन	एम.एम.टी.	0.159	
	एन.जी. उत्पादन.	बी.सी.एम	0.101	
राजस्थान परियोजना	कूप	सं.	17	अन्वेषी और विकास कार्य जारी
	निवेश	रु./करोड़	142.46	
	कच्चा तेल उत्पादन	एम.एम.टी.	-	
	एन.जी. उत्पादन.	बी.सी.एम	1.029	

1	2	3	4	5
महानदी	कूप	सं.	1	–
	निवेश	रु./करोड़	327.76	
	कच्चा तेल उत्पादन	एम.एम.टी.	–	
	एन.जी. उत्पादन.	बी.सी.एम	–	
मिज़ोरम	कूप	सं.	–	2013-14 में वेधन योजित
	निवेश	रु./करोड़	5.61	
	कच्चा तेल उत्पादन	एम.एम.टी.	–	
	एन.जी. उत्पादन.	बी.सी.एम	–	
तमिलनाडु	कूप	सं.	–	2013-14 में वेधन योजित
	निवेश	रु./करोड़	119.57	
	कच्चा तेल उत्पादन	एम.एम.टी.	–	
	एन.जी. उत्पादन.	बी.सी.एम	–	
आन्ध्र प्रदेश	कूप	सं.	–	2013-14 में वेधन योजित
	निवेश	रु./करोड़	130.26	
	कच्चा तेल उत्पादन	एम.एम.टी.	–	
	एन.जी. उत्पादन.	बी.सी.एम	–	

विवरण-IV

निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा XI योजना अवधि के दौरान वेधित कूपों, किए गए निवेश तथा किए गए तेल और गैस उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे

क्षेत्र/राज्य	अन्वेषी कूप (सं.)	अन्वेषण निवेश मिलियन अमरीकी डालर	तेल उत्पादन (000 टन में)	गैस उत्पादन (एम.एम.एस.सी.एम.)#
1	2	3	4	5
पूर्वी अपतट	106	5418	11572.126	55364.607

1	2	3	4	5
पश्चिमी अपतट	32	1139	10298.026	27158.388
अरुणाचल प्रदेश	1	5	409.637	79.501
असम	17	175	51.275	181.056
गुजरात	82	933	752.343	2583.423
राजस्थान	60	301	12149.259	635.266
मध्य प्रदेश	0	26	0	0
पश्चिम बंगाल	0	64	0	0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	594	0	0
आन्ध्र प्रदेश	9	107	0	0
बिहार	1	58	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	21	0	0
महाराष्ट्र	0	7	0	0
मणिपुर	0	1	0	0
मिज़ोरम	1	47	0	0
नागालैंड	0	1	0	0
ओडिशा	1	5	0	0
तमिलनाडु	8	96	0	0
त्रिपुरा	6	92	0	0
उत्तर प्रदेश	1	26	0	0

#मिलियन मिट्रीक मानक घन मीटर।

विवरण-V

ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.एल. तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण और उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य

कार्यकलाप/लक्ष्य	ओ.एन.जी.सी.	ओ.आई.एल.	निजी/संयुक्त उद्यम
2डी लाइन किलोमीटर (एल.के.एम.)	28170	8650	103954
3डी वर्ग किलोमीटर (एम.के.एम.)	25713	6150	49961
अन्वेषी कूप	610	177	525
तेल उत्पादन मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.)	133.06	20.34	62.94
गैस उत्पादन बिलियन घन मीटर (बी.सी.एम.)	143.9	19.2	85.5
तत्स्थान भंडार वृद्धि (एम.एम.टी.ओ.ई.)	1080	78.14-121.42	728

रेशम के किसानों को पैकेज

3128. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रेशम के कीट का पालन करने पाले किसानों और सिल्क का धागा बनाने वालों के लिए परिक्रामी निधि का सृजन किया है/सृजन करने या कोई विशेष पैकेज देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थितिक क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) रेशम के कीट का पालन करने वाले किसानों तथा सिल्क का धागा बनाने वालों के लिए कोई परिक्रामी निधि नहीं है। तथापि, XIIवीं योजना के दौरान इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (जो कि केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है) में अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता वाले बायोवोल्टाइन रेशम उत्पादन शुरु करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन तथा धागा बनाने वालों की रंगाई तथा कोकूनों के प्रसंस्करण, धागा बनाने वाले उपस्करों तथा धागा बनाने के लिए शेड हेतु अवसंरचना सहायता शामिल है।

मीनी और माइक्रो पन बिजली संयंत्र

3129. **श्रीमती अन्नू टन्डन :** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मिनी और माइक्रो पनबिजली संयंत्र के निर्माण में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन पनबिजली संयंत्रों के निर्माण में निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सामुदायिक संस्थाओं, जैसे-पंचायतों, गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय निकायों आदि के माध्यम से 100 किलोवाट क्षमता तक की माइक्रो हाइडल परियोजनाओं एवं पनचक्कियों की संस्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। इनके लिए दी जाने वाली केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) लघु पनबिजली परियोजनाओं (एस.एच.पी.) की संस्थापना करना राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। 24 राज्यों ने अपने संबंधित राज्यों में एस.एच.पी. की संस्थापना करने के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने की अपनी नीति की घोषणा की है। विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र द्वारा अब तक 1672.18 मेगावाट की समग्र क्षमता के साथ 321 लघु पनबिजली परियोजनाएं (25 मेगावाट क्षमता तक की) संस्थापित की गई है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

लघु पनबिजली परियोजनाओं को दी जा रही केन्द्रीय वित्तीय सहायता

I. **100 किलोवाट क्षमता तक की माइक्रो हाइडल परियोजनाएं:**

क्षेत्र	सी.एफ.ए. की राशि
अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगे जिले	1,00,000/-रू. प्रति किलोवाट
पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्य (ऊपर क्रम सं. 1 के अलावा)	80,000/-रू. प्रति किलोवाट
अन्य राज्य	40,000/-रू. प्रति किलोवाट

II. **पनचक्कियां:**

पनचक्की की श्रेणी	सी.एफ.ए. की राशि
केवल यांत्रिक आउटपुट	35,000/-रू. प्रति पनचक्की
(क) विद्युत आउटपुट (5 किलोवाट तक) अथवा,	1,10,000/-रू. प्रति पनचक्की
(ख) यांत्रिक एवं विद्युत आउटपुट, दोनो (5 किलोवाट तक)	

विवरण-II

विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र द्वारा संस्थापित लघु पनबिजली परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	कुल संख्या	कुल क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	46	131.53
2.	असम	2	4.10
3.	छत्तीसगढ़	4	16.20
4.	गुजरात	3	8.60
5.	हिमाचल प्रदेश	81	334.30
6.	हरियाणा	4	10.80

1	2	3	4
7.	जम्मू और कश्मीर	2	17.50
8.	कर्णाटक	102	806.20
9.	केरल	7	45.00
10.	मध्य प्रदेश	1	2.20
11.	महाराष्ट्र	24	97.30
12.	ओडिशा	3	57.00
13.	पंजाब	23	26.70
14.	तमिलनाडु	1	0.35
15.	उत्तराखंड	13	107.95
16.	पश्चिम बंगाल	5	6.45
	कुल	321	1672.18

एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत औषधियों और उपकरणों की खरीद

3130. श्री नवीन जिन्दल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत खरीदी गई औषधियों और उपकरणों की मात्रा और मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा औषधियों और उपकरणों की खरीद के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त प्रक्रिया में कोई कमी/अनियमितता पाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ.) क्या सरकार की एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत औषधियों और उपकरणों की खरीद के लिए कोई केन्द्रीय खरीद एजेन्सी स्थापित करने की योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत औषधों व उपकरणों के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आबंटन व उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सामान्य समीक्षा मिशनों, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर की जाने वाली समीक्षाओं व लेखा-परीक्षा के माध्यम से औषधों के क्रय समेत राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। अत: राज्य अपने बजट से और इसके साथ-साथ इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एकीकृत धन सभी औषधों व उपकरणों के क्रय हेतु राज्य सरकार के नियमों तथा क्रियाविधियों का अनुपालन करते हैं। इस मंत्रालय के ध्यान में कोई विशिष्ट अनियमितता नहीं आई है। तथापि, राज्यों को औषध क्रय व वितरण में सुधार करने हेतु तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम, आई.टी. परिचालित संभार तंत्र तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली इत्यादि जैसी तगड़ी क्रय प्रणाली स्थापित करने का परामर्श दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सभी क्रयों/अधिप्रापणों के बारे में राज्य की एन.आर.एच.एम. वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकट करना सुनिश्चित करने की अनुरोध किया गया है।

(ङ.) और (च) स्वास्थ्य क्षेत्र गुणवत्तायुक्त के सामान व सेवाओं के क्रय हेतु एक स्वायत्त अभिकरण केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सी.एम.एस.एस.) को दिनांक 22.03.2012 को सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया जा चुका है। तथापि, इस सोसाइटी को अभी भी पूरी तरह से क्रियात्मक होना है।

विवरण

औषध एवं उपकरण के अधिप्रापण/क्रय के अंतर्गत उपयोग

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10 उपयोग	2010-11 उपयोग	2012-13 उपयोग	2012-13 उपयोग
1	2	3	4	5	6
क. अधिक ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले राज्य					
1.	बिहार	642.29	610.55	4,349.99	2,949,73
2.	छत्तीसगढ़	-	-	43.51	536.79
3.	हिमाचल प्रदेश	149.28	670.65	227.63	275.34
4.	जम्मू और कश्मीर	352.29	-	130.31	50.17
5.	झारखण्ड	363.18	122.46	515.66	346.33
6.	मध्य प्रदेश	652.15	1.763.25	1,325.42	1,104.68
7.	ओडिशा	1,985.54	203.20	1,821.64	945.58
8.	राजस्थान	15.50	25.22	3,364.50	183.58
9.	उत्तर प्रदेश	8,631.33	3,741.78	1,148.88	105.25
10.	उत्तराखंड	3,75	-	-	285.34
	उप योग	12,795.31	7,137.11	12,927.54	6,782.79
ख. पूर्वोत्तर राज्य					
11.	अरुणाचल प्रदेश	1,00	-	239.14	143.32
12.	असम	5,255.29	1,770.99	8,289.93	1,033,52
13.	मणिपुर	290.04	222.28	138.81	189.48
14.	मेघालय	176.54	362.54	2,557.70	691.59
15.	मिज़ोरम	217.21	55.82	807.97	80.66

1	2	3	4	5	6
16.	नागालैण्ड	377.00	15.00	1,651.81	732.97
17.	सिक्किम	377.96	114.32	56.81	-
18.	त्रिपुरा	798.69	16.94	165.84	534.70
	उप योग	7,493.73	2,557.89	13,908.01	3,406.24
ग. अधिक ध्यान केंद्रित न किए जाने वाले राज्य					
19.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	754.07	1,861.35
20.	गोवा	28.20	21.68	138.35	18.41
21.	गुजरात	1,391.47	594.03	431.59	133.46
22.	हरियाणा	-	616.32	1,887.79	1,062.15
23.	कर्णाटक	402.70	1,227,03	1,085.72	32.17
24.	केरल	800.00	501.72	885.20	90.00
25.	महाराष्ट्र	165.00	-	411.71	1,216.91
26.	पंजाब	-	5.01	1,815.33	168.77
27.	तमिलनाडु	2,478.20	4,437.22	3,039.82	1,162.62
28.	पश्चिम बंगाल	632.85	870.63	3,869.95	626.74
	उप योग	5,898.42	8,273.64	14,319.53	6,372.58
घ. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	21.38	-
30.	चंडीगढ़	18.35	-	22.10	2.96
31.	दादरा और नगर हवेली	4.39	-	10.58	9.42
32.	दमन	-	-	-	1.71
33.	दिल्ली	-	34.71	54.27	16.60

1	2	3	4	5	6
34.	लक्षद्वीप	2.77	-	7.26	-
35.	पुदुचेरी	45.25	58.01	81.70	13.93
	उप योग	70.76	92.72	197,29	44.62
	कुल योग	26,258.22	18,061.36	41,352.37	16,606.23

टिप्पणी: उपर्युक्त एफ.एम.आर. वित्तीय वर्ष 2012-13 व 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार है। अत: यह अनन्तिम है।

सरकारी प्रतिष्ठानों में नि:शक्तों के अनुकूल सुविधाएं

3131. श्री पी.के. बिजू : क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी प्रतिष्ठानों में नि:शक्त लोगों के सुचारू आवागमन हेतु निर्बाध और उपयुक्त परिवेश के सृजन के लिए स्थानीय निकायों को निर्देश देने के संबंध में राज्य सरकारों को अनुदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केरल सहित ऐसे अनुदेशों के क्रियान्वयन की राज्य-वार स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क) केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नि:शक्त लोगों से संबंधित मुद्दों, इसके नियम, नीतियां एवं कार्यक्रमों को देखने के लिए नोडल मंत्रालय है एवं नि:शक्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का संचालन करता है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 46 निर्मित क्षेत्र में अपक्षपात के मामले से संबंधित है एवं यह सरकारी प्रतिष्ठानों में नि:शक्त व्यक्तियों के सुचारू आवागमन की व्यवस्थ करने हेतु समुचित सरकारों एवं स्थानीय प्राधिकरणों को अधिदेशित करता है। वह मंत्रालय समय-समय पर उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के बारे में केन्द्रीय मंत्रालय/राज्य सरकारों को समुचित कार्यान्वयन पर जोर देता है। चूंकि यह मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) से संबंधित मामले को देखता है, इस मंत्रालय ने दिनांक 05.09.2012 को केरल राज्य समेत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभागों को सभी स्तरों के पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों को लाने के लिए अनुरोध भी किया है।

(ख) केरल से प्राप्त उत्तर से यह प्रदर्शित होता है कि 61 ग्राम पंचायतों ने ऐसी सुविधा उपलब्ध करायी है जिससे कि नि:शक्त लोग बाधा रहित आवागमन में समर्थ हो सकें।

(ग) पंचायती राज मंत्रालय इस संबंध में पक्ष समर्थन की अपनी भूमिका निभा रहा है।

तेल विपणन कंपनी को एथेनॉल की आपूर्ति

3132. श्री हरिभाऊ जावले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्थायित्व के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सी.) और एथेनॉल विनिर्माताओं के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ठेके को समाप्त करने और दीर्घावधि ठेका शुरू करने का हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक ओ.एम.सी. के लिए एथेनॉल की आपूर्ति की निर्धारित मात्रा तथा की गई वास्तविक आपूर्ति की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आपूर्ति में कमी, यदि कोई है, के ओ.एम.सी-वार कारण क्या हैं; और

(घ) ओ.एम.सी . को एथेनूल की पर्याप्त और अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) सरकार ने दिनांक 22.11.2012 को निर्णय लिया है कि पेट्रोल में एथेनॉल के 5 प्रतिशत अनिवार्य मिश्रण को पूरे देश में कार्यान्वित किया जाए और एथेनॉल का अधिप्राप्ति मूल्य अब से तेल विपणन कंपनी (ओ.एम.सीज.) और एथेनॉल के आपूर्तिकर्ताओं के बीच तय किया जाएगा ओर घरेलू आपूर्ति में कमी होने की स्थिति में ओ.एम.सीज. और रसायन कंपनियां एथेनॉल का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तदनुसार ओ.एम. सीज. को ई.बी.पी. कार्यक्रम कार्यान्वित करने का निर्देश दिया है। ओ.एम.सीज. ने दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 को एक निविदा जारी की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ओ.एम. सीज. द्वारा अधिप्राप्ति के लिए एथेनॉल की अंतिम रूप से निर्धारित मात्रा और ओ.एम.सीज. द्वारा अधिप्राप्त एथेनॉल की मात्रा का ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ लीटर में)

अवधि	ओ.एम.सीज. द्वारा अधिप्राप्ति के लिए एथेनॉल की अंतिम रूप से निर्धारित मात्रा	ओ.एम.सीज. को प्राप्त हुए एथेनॉल की मात्रा
नवम्बर 2009-सितम्बर 2010	27.56	5.60
अक्टूबर 2010-सितम्बर 2011	55.87	36.25
अक्टूबर 2011-सितम्बर 2012	41.22	30.57
अक्टूबर 2012-सितम्बर 2013	*	0.45

*दिनांक 22.11.2012 के सरकार के निर्णय के कारण जैसा उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित है, ओ.एम.सीज. द्वारा दिनांक 29.12.2012 को एक निविदा जारी की गई है।

(ग) कमी के कारणों में एथेनॉल की अपर्याप्त घरेलू उपलब्धता, राज्य सरकारों द्वारा एथेनॉल की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंध और एथेनॉल के आपूर्तिकर्ताओं से सीमित प्रस्ताव प्राप्त होना आदि हैं।

(घ) जैसा उपर्युक्त (क) के उत्तर में स्पष्ट किया गया है।

अतिरिक्त बिजली की खरीद

3133. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात द्वारा नवीकरणीय स्रोतों से पैदा हुई अतिरिक्त बिजली के बिक्री के संबंध में गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) गुजरात ने अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आर.ई.सी.) की पात्र वितरण कंपनियों को निर्धारित अक्षय विद्युत खरीद बाध्यता से अधिक ऊर्जा की खरीद करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में अभ्यावेदन दिया है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने सूचि किया है कि खरीद बाध्यता से अधिक उत्पादित की गई अक्षय ऊर्जा पर आर.ई.सी. से संबंधित मामला आयोग के पास विचाराधीन है। इस मामले को संबंधित विनियमों में संशोधन द्वारा हल किया जा सकता है जो कि एक न्यायिक-कल्प प्रक्रिया है, और आयोग द्वारा संशोधन की आवश्यकता के बारे में सार्वजनिक सुनवाई सहित उचित प्रक्रिया को अपनाने के बाद ही निर्णय लिया जाता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग

3134. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) के पास निधियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निधियों की कमी के कारण राष्ट्रीय महिला आयोग सरकार द्वारा महिलाओं के विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के लिए जागरूकता अभियान शुरू नहीं कर पा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग को सरकार द्वारा आबंटित की गई और आयोग द्वारा मांगी गई निधियां कितनी है; और

(ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग को पर्याप्त निधियां प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) महिला और बाल विकास मंत्रालय के उपलब्ध बजट प्रावधान तथा परस्पर वरीयता के अनुसार विभिन्न स्कीमों को निधियां प्रदान की जाती हैं। 11वीं योजना (2007-12) के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित 35.00 करोड़ रुपये के बजाय राष्ट्रीय महिला आयोग को 29.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। अत: यह कहने का कोई कारण नहीं है कि एन.सी.डब्ल्यू. के पास निधियों की कमी है

(ग) ऐसी कोई सूचना नहीं है कि राष्ट्रीय महिला आयोग निधियों की कमी के कारण सरकारी स्कीमों के लिए जागरूकता अभियान शुरू नहीं कर पा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार का यह प्रयास है कि उपलब्ध संसाधनों की कुल सीमा के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रर्याप्त निधियां प्रदान की जाएं।

विद्युत का विकेन्द्रित उत्पादन

3135. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी के लिए विद्युत की उपलब्धता हेतु प्रचुर मात्र में उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत का विकेन्द्रित उत्पादन एक प्रभावी समाधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा मानकीकृत ग्रामीण ग्रिडों को विशेषकर देश के विद्युत की कम उपलब्धता वाले पूर्वी और उत्तर-पर्वी क्षेत्रों में स्थापित करने के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ऑफ-ग्रिड/विकेन्द्रिकृत विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहा है।

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (आर.वी.ई.) कार्यक्रमक के तहत मंत्रालय उन दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों और विद्युतीकृत जनगणना गांवों की अविद्युतीकृत बस्तियों, जहां राज्य सरकारों द्वारा ग्रिड विस्तार को व्यवहार्य नहीं पाया गया है और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके रोशनी/आधारभूत विद्युत हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। राज्यों में अनुमोदित परियोजनाओं के लिए प्रत्येक प्रौद्योगिकी हेतु पूर्व निर्दिष्ट अधिकतम राशि के अध्यधीन, प्रणालियों की लागत की 90% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.) उपलब्ध कराई जाती है। आज क तिथि के अनुसार, कार्यक्रम के तहत ऐसे 12760 गांव/बस्तियों को मंजूरी दी गई है।

मंत्रालय गांवों में बिजली की पूरी न की गई मांग को पूरा करने के लिए बायोमास गैसीफायर आधारित वितरित/ऑफ-ग्रिड विद्युत उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहा है और अधिकतम 3 किलोमीटर का विवरण नेटवर्क बिछाने के लिए 1.00 लाख रू. प्रति किलोमीटर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अलावा 15000 रू. प्रति किलोवाट की दर से सी.एफ.ए. उपलब्ध कराता है।

दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए लघु/माइक्रो हाइडल परियोजनाओं का संवर्धन किया जाता है। देश में माइक्रको हाइडल परियोजनाओं का उपयोग करके लगभग 315 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है।

जे.एन.एन.एस.एम. की ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रिकृत सौर अनुप्रयोग स्कीम के तहत मंत्रालय 250 किलोवाट पीक तक यूनिट क्षमता के माइक्रो/मिनी ग्रिड एस.पी.वी. विद्युत संयंत्रों की संस्थापना हेतु 150रू. प्रति वाटी पीक तक सीमित, परियोजना लागत की 30% सब्सिडी उपलब्ध कराता है।

विद्युत मंत्रालय ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत 11वीं योजना अवधि के दौरान विकेन्द्रिकृत वितरित उत्पादन (डी.डी.जी.) के लिए 540 करोड़ रू. की पूंजीगत सब्सिडी के लिए अनुमोदन प्राप्त किया। ऐसे गांवों के लिए जहां ग्रिड विस्तार या तो व्यवहार्य नहीं है अथवा किफायती नहीं है, में डी.डी.जी. पारंपरिक अथवा बायोमास, बायो-ईंधन, बायोगैस, मिनी हाइड्रो, सौर आदि जैसे अक्षय स्रोत हो सकते हैं। स्कीम के अंतर्गत, सब्सिडी के रूप में कार्यान्वयन एजेंसी को कुल परियोजना लागत का 90% उपलब्ध कराया जाता है। शेष 10% का प्रबंधन कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्वयं किया जा सकता है अथवा किसी वित्तीय संस्था या आर.ई.सी. से ऋण ले सकती है।

(ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम के अंतर्गत, अब तक बिहार के गांवों में 70 चालव भूसी आधारित गैसीफायर प्रणालियां संस्थापित की गई हैं जो अब तक लगभग 200 गांवों/बस्तियों में बिजली उपलब्ध करा रही हैं।

झारखंड में 120 किलोवाट पीक की समग्र क्षमता की 2 मिनी ग्रिड सौर प्रकाशवोल्टीय (एस.पी.वी.) विद्युत परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं।

विद्युत मंत्रालय कर डी.डी.जी. स्कीम के तहत बिहार राज्य में 175 गांवों/बस्तियों को शामिल करने वाली 48 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं और पश्चिम बंगाल में 39 गांवों/बस्तियों को शामिल करने वाली 9 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय को पैकेज

3136. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय को विशेष पैकेज दिया गया है/देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) सरकार किसी मंत्रालय/विभाग को कोई पैकेज उपलब्ध नहीं कराती है। बजटीय आबंटन, उपलब्ध संसाधनों, जरूरत तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग की समावेशी क्षमता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न व्यय संबंधी मदों के लिए किए जाते हैं।

[हिन्दी]

क्रूज पर्यटन को बढ़ावा

3137. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए अब तक कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं;

(ग) क्रूज पर्यटन पर ध्यान केन्द्रित करने वाली स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इनके अंतर्गत स्वीकृत और जारी निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार किन-किन स्थानों को चिन्हित किया गया है; और

(ङ) देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा आगे कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) क्रूज पर्यटन देश में यात्रा के विकासमान क्षेत्रों में से एक है। पर्यटन मंत्रालय ने क्रूज पर्यटन की एक विशिष्ट पर्यटन उत्पाद के रूप में पहचान की है।

(ख) पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय अभिकरणों को सहायता के लिए स्कीम के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय को क्रूज पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गंतव्यों और परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावों के लिए पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में क्रूज पर्यटन पर फोकस करने वाली कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। तथापि, चालू वर्ष में क्रूज पर्यटन के लिए स्वीकृत परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) क्रूज पर्यटन पर संचालन समिति ने क्रूज पर्यटन के विकास के लिए चेन्नई, कोचीन, न्यू मैंगलूर और मोरमुगांव और मुंबई के पोर्टस की पहचान की है।

(ङ) भारत सरकार ने क्रूज शिपिंग पॉलिसी जून 2008 में अनुमोदित की थी। इस नीति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में अनुकूल वित्तीय व्यवस्था, पोर्टस पर सुविधाओं का विकास और रेल, सड़क परिवहन, वायु एवं मेट्रो द्वारा संपर्कता, आप्रवासन औपचारिकताओं की त्वरित पूर्णता, परेशानी मुक्त कस्टम क्लीयरेंस और स्वच्छ महासागार सुनिश्चित करने वाली समुचित अपशिष्ट निपटान प्रणाली शामिल है। क्रूज शिपिंग के विकास से संबंधित मामलों के समाधान के लिए जून, 2010 में सचिव (शिपिंग) की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीय संचालन समिति का गठन किया गया। पर्यटन मंत्रालय ने क्रूज पर्यटन पर एक सी.डी. तैयार की है और क्रूज शिपिंग समागमों में भाग भी लिया।

विवरण

क्रूज पर्यटन पर फोकस करने वाली परियोजनाओं के लिए चालू वर्ष में (31 जनवरी, 2013 तक) पर्यटन मंत्रालय द्वारा दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का राज्य-वार/संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	परियोजन का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय अभिकरणों को सहायता स्कीम के अंतर्गत-कोचीन पोर्ट पर डेडीकेटिड क्रूज बर्थिंग सुविधाओं का विकास	2012-13	2243.32	1121.66

1	2	3	4	5
2.	अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय अभिकरणों को सहायता स्कीम के अंतर्गत कोचीन पोर्ट पर वर्तमान पैसेंजर टर्मिनल पर क्रूज पैसेंजर सुविधा केन्द्र	2012-13	1724.66	862.33

[अनुवाद]

पेट्रोल पम्प डीलर

3138. **श्री उदय सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जेनरेटर सेटों के रखरखाव, ईंधन आदि की बिक्री पर डीलरों के कमीशन सहित पेट्रोल पंपों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बनी अपूर्व चन्द्र समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एम.डी.जी.) सहित पेट्रोल पंप डीलरों के सभी मुद्दों के समाधान के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) अन्य मामलों के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल पर डीलरों का कमीशन निर्धारित करने के लिए समुचित व्यवस्था करने हेतु एक समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के बाद 01.07.2011 से पेट्रोल पर डीजल का कमीशन 1218 रुपए प्रति किलोमीटर से संशोधित कर 1499 रुपए प्रति किलो लीटर और डीजल पर 757 रुपए प्रति किलो लीटर से 912 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया।

डीलरों के अभिवेदन सहित विभिन्न पण्य धारकों के सुझावों/अभिवेदनों/आदानों पर विचार करने के बाद बाजार अनुशासन दिशानिर्देश (एम.डी.जी.) 2012 जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

ट्रेनों में सौर विद्युत की आपूर्ति

3139. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ट्रेनों को सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए कोई कार्य योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं। तथापि, वित्त मंत्रालय के अंतर्मंत्रालयी समूह द्वारा स्वच्छ ऊर्जा कोष के अंतर्गत देश के 150 रेलवे स्टेशनों पर 10-10 किलोवाट पीक के स्टैंड अलोन एस.पी.वी. विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने और 850 मानव युक्त अविद्युतीकृत लेबल क्रांसिंग्स में से प्रत्येक पर 640 किलोवाट पीक के एस.पी.वी. पावर पैक्स स्थापित करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, देश में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करने की योजनाएं हैं जिनमें से कुछ मात्रा की आपूर्ति रेलवे को ग्रिड के माध्यम से की जा सकती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। तथापि, रेल मंत्रालय ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने में रूचि दिखलाई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

3140. श्री शिवकुमार उदासी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए मिशन के महत्वपूर्ण पहलुओं को राज्य की राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन (एन.आर.एच.एम.) की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन महत्वपूर्ण पहलुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने निधि की दूसरी किस्त जारी करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अनिवार्य बना दिया है;

(घ) ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुपालन किया है; और

(ङ) सरकार द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर दबाव बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी हां।

(ख) राज्य राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

- एन.आर.एच.एम. के तहत अनुबंध आधार पर लगाए गए सभी कर्मचारियों के नाम व पदनाम के साथ संकायवार तैनाती।
- चिकित्सा चल इकाइयों (एम.एम.यू.) का ब्यौरा-एम.एम.यू. की कुल संख्या, पंजीकरण संख्या, प्रचालक एजेंसी, मासिक कार्यक्रम और मासिक आधार पर सेवा प्रदानगी आंकड़े। रोगी परिवहन एम्बूलेंस और आपाती अनुक्रिया एम्बूलेंस-वाहनों की कुल संख्या, वाहन के प्रकार, वाहनों की पंजीकरण संख्या, मासिक आधार पर सेवित उपभोक्ता और चले किलोमीटरों सहित सेवा प्रदानगी आंकड़े।
- प्राप्त उपकरण के ब्यौरे सहित सभी प्राप्तियों का ब्यौरा।
- निर्माणाधीन/नवीकरण के अंतर्गत भवनों का ब्यौरा-कुल संख्या, लागत, कार्य करने वाली एजेंसी और कार्य निष्पादन शुल्क (यदि कोई है) सहित सुविधा केन्द्र/अस्पताल का नाम। शुरू होने की तारीख और समाप्ति की संभावित तारीख।

(ग) जी हां, यह व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की पूर्व शर्त है।

(घ) उत्तर प्रदेश और दमन व दीव को छोड़कर सभी राज्यों ने अनुपालन किया है।

(ङ) चूककर्ता राज्यों को डाक द्वारा, फोन और मेल के माध्यम से नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र के पूरे हिस्से को जारी करना अनुपालन की आकस्मिकता पर है।

निक्षेपागार प्रणाली

3141. श्री निलेश नारायण राणे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निक्षेपागार प्रणाली की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और

(ग) क्या भौतिक रूप से ट्रेडिंग को बदलकर वर्तमान प्रणाली को अपनाने के संबंध में किसी क्षेत्र से शिकायतें मिली हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भारतीय निक्षेपागार प्रणाली की विस्तृत पुनरीक्षा करने और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक व्यवहारों के संदर्भ में बेंचमार्क निर्धारित करने के लिए 15 जुलाई, 2012 को श्री एम. बालाचन्द्रन (बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व सी.एम.डी.) की अध्यक्षता में निक्षेपागार प्रणाली पुनरीक्षा समिति (डी.एस.आर.सी.) गठित की है।

(ख) डी.एस.आर.सी. के निष्कर्षो/सिफारिशें की प्रतीक्षा की जा रही हैं।

(ग) प्रतिभूति बाजार के विकास के लिए भौतिक रूप से किए जाने वाले कारोबार से हटकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मौजूदा प्रणाली को अपनाने का परिवर्तन दो निक्षेपागारों की स्थापना अर्थात 1996 में राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड और 1997 में सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की स्थापना के साथ किया गया था। यह निवेशकों द्वारा भौतिक शेयरों के कारोबार में झेली जा रही समस्याओं जैसे स्टॉकों की चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रमाणपत्रों का विकृत हो जाना, हस्ताक्षर न मिलने के कारण त्रुटिपूर्ण सुपुर्दगी का जोखिम, डाक में होने वाली देरी तथा रजिस्ट्रारों को और उनसे आवाजाही के दौरान प्रमाणपत्रों को गुम हो जाने जैसी समस्याओं के कारण आवश्यक हो गया था। उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, सेबी को हालिया वर्षों में भौतिक रूप से कारोबार से हटकर वर्तमान प्रणाली अपनाने से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

ग्रेनाइट विपणन सुविधाएं

3142. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला :** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रेनाइट के विभिन्न देशों में निर्यात के संबंध में ग्रेनाइट विपणन सुविधाओं की कमी को संज्ञान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषरूप से आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर. एक्ट) की धारा 3(ङ) के अंतर्गत ग्रेनाइट एक गौण खनिज के रूप में परिभाषित है और एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अनुसार संबंधित राज्य सरकार को गौण खनिजों के लिए नियम बनाने और खनिज रियायतों को स्वीकृत करने के लिए सभी शक्तियां दी गई हैं। तथापि केन्द्र सरकार ने ग्रेनाइट संसाधनों को संरक्षित करने और संपूर्ण देश में ग्रेनाइट के क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक गवेषण के संबंध में समान कार्य विन्यास निर्धारित करने के लिए 1 जून, 1999 को ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1999 अधिसूचित किया है।

देश में मार्केटिंग सुविधाओं, घरेलू मार्केटिंग व निर्यात, दोनों के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रावधान किए जाते है। अवसंरचना के विकास में सहायता के लिए सरकार की "निर्यात अवसंरचना और अनुप्रयुक्त गतिविधियों (ए.एस.आई.डी.ई.) के विकास हेतु राज्यों को सहायता" नामक योजना है जिसमें ग्रेनाइट सहित सभी वस्तुओं के निर्याके लिए मार्केटिंग हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

शहरी सहकारी बैंक

3143. **श्रीमती ज्योति धुर्वे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए शहरी सहकारी बैंकों (यू.सी.बी.) को लाइसेंस जारी करने के लिए निर्धारित मानदण्डों/नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख तक पूरे देश में पंजीकृत यू.सी.बी. की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से कितने यू.सी.बी. वर्तमान में कार्यरत हैं और कितने बंद हो गए हैं;

(घ) क्या अकार्यरत और कमजोर यू.सी.बी. के पुनर्वास या पुनरूद्धार के लिए कोई तंत्र है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(छ) ऐसे बैंकों के ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) शहरी सहकारी बैंकों (यू.सी.बी.) को लाइसेंस प्रदाता प्राधिकरण ने वार्षिक नीति विवरण (2004-05) में घोषणा की है कि इस क्षेत्र के लिए एक उपयुक्त विधिक एवं विनियामकीय ढ़ांचे सहित एक व्यापक नीति के लागू होने तक नये शहरी सहकारी बैंकों के लिए किसी नये प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। तब से भारतीय रिजर्व बैंक की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस विषय पर अप्रैल, 2010 में आर.बी.आई. को एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी जिसने सितम्बर, 2011 में आर.बी.आई. को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में जिन शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए उनकी संख्या 2009-10 में 31, 2010-11 में 12 एवं 2011-12 में 14 थी।

(घ) से (छ) भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं।

- समेकन/आमेलन को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के विलय की अनुमति देना तथा कमजोर शहरी सहकारी बैंकों के लिए बाहर निकालने का अबाधित मार्ग प्रदान करना;
- शहरी सहकारी बैंकों को शेयर पूंजी जुटाने की अनुमति देना;
- जमाराशियों को ईक्विटी में परिवर्तन करके कमजोर शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय पुनर्संरचना की अनुमति देना;
- शहरी सहकारी बैंकों का आर.बी.आई. और सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा दोहरे नियंत्रण की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं केन्द्रीय सरकार (बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों के लिए) के साथ समझौता ज्ञापन करना; और
- कमजोर एवं संभावित अर्थक्षम कंपनियों की पहचान करने और उनहें परिवर्तित करने के संबंध में परामर्श संबंधी व्यवस्था करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में एक कार्यबल की स्थापना करना और साथ ही गैर-अर्थक्षमत कंपनियों को बाहर निकलने का अवाधित मार्ग प्रदान करना ताकि ऐसे शहरी सहाकारी बैंकों की निगरानी की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

विवरण

दिनांक 31.03.2012 तक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा किए गए वितरण का राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत है

क्र.सं.	राज्य	यू.सी.बी. की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	103
2.	असम	8
3.	बिहार	3
4.	छत्तीसगढ़	12
5.	दिल्ली	15
6.	गोवा	6
7.	गुजरात	237
8.	हरियाणा	7

1	2	3
9.	हिमाचल प्रदेश	5
10.	जम्मू और कश्मीर	4
11.	झारखंड	2
12.	कर्नाटक	266
13.	केरल	60
14.	मध्य प्रदेश	52
15.	महाराष्ट्र	523
16.	मणिपुर	3
17.	मेघालय	3
18.	मिज़ोरम	1
19.	ओडिशा	12
20.	पुदुचेरी	1
21.	पंजाब	4
22.	राजस्थान	39
23.	सिक्किम	1
24.	तमिलनाडु	129
25.	त्रिपुरा	1
26.	उत्तर प्रदेश	70
27.	उत्तराखंड	5
28.	पश्चिम बंगाल	46

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्रों में बुनियादी सुविधाएं

3144. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र (ए.डब्ल्यू.सी.) को बुनियादी सुविधाएं जैसे दवाइयां, बर्तन, फर्नीचर और अन्य सामग्री उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ सहित राज्यों को स्वीकृत, जारी और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन प्रायोजनों के लिए प्रदान की गई निधियां अपर्याप्त हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) आई.सी.डी.एस. एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। आई.सी.डी.एस. (सामान्य) के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ स्कूल पूर्व शिक्षा किटें, चिकित्सा किटें तथा आवर्ती-आधार पर अन्य कार्यक्रम घटक शामिल हैं, को वहन करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। बर्तन तथा फर्नीचर (तराजू सहित) आदि के प्रावधान के लिए प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र 5000/- रूपये की दर से एक मुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जिसमें 22.10.2012 से प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र 7,000/- रूपये तथा प्रति लघु आंगनवाड़ी केन्द्र 5,000/- रूपये की दर से वृद्धि कर दी गई है (प्रत्येक पांच वर्ष में)।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई निधियों तथा उनके द्वारा सूचित किया गया व्यय जिसमें आई.सी.डी.एस. (सामान्य) के संबंध में उनका हिस्सा भी शामिल है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) उपर्युक्त सुविधाएं मुहैया कराने के लिए

स्कीम के लिए आबंटित की गई निधियां पर्याप्त हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित किए गए 44,400 करोड़ रूपये की तुलना में सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई.सी.डी.एस. के लिए 1,23,580 करोड़ रूपये आबंटित किए हैं। निधियों की कोई भी अतिरिक्त आवश्यकता अनुदान तथा बचत हेतु अनुपूरक मांगों से वहन की जा सकती हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 28.02.2013 की स्थिति के अनुसार) के दौरान (राज्य के हिस्सा सहित) आई.सी.डी.एस. स्कीम के लिए निर्मुक्त निधियां

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		निर्मुक्त की गई निधियां	राज्यों द्वारा (राज्य के हिस्से सहित) सूचित किया गया व्यय	निर्मुक्त की गई निधियां	राज्यों द्वारा (राज्य के हिस्से सहित) सूचित किया गया व्यय	निर्मुक्त की गई निधियां	राज्यों द्वारा (राज्य के हिस्से सहित) सूचित किया गया व्यय	निर्मुक्त की गई निधियां	राज्यों द्वारा (राज्य के हिस्से सहित) सूचित किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	36306.76	40007.13	36639.25	36852.43	44587.98	61234.05	59249.75	58436.29
2.	बिहार	29764.48	32710.1	25185.2	29650.4	46456.23	44176.11	48471.56	11289.92
3.	छत्तीसगढ़	14393.91	14381.15	12064.647	16233.02	23787.53	28526.95	28882.43	11654.89
4.	गोवा	839.01	827.87	802.74	802.05	846.52	1117.4	1141.79	863.44
5.	गुजरात	15987.35	21081.8	18932.53	22249.69	44276.047	39130.09	31092.56	25029.78
6.	हरियाणा	8176.56	11018.88	10817.842	11673.88	16360.93	17047.46	22840.8	13602.78
7.	हिमाचल प्रदेश	7088.51	8336.86	8727.11	8702.19	11903.95	13211.73	10109.08	3431.99
8.	जम्मू और कश्मीर	8329.08	8383.48	14751.62	10596.73	15008.35	13144.46	13249.95	19325.35
9.	झारखंड	128914.82	14360.21	17918	15304.85	20501.65	14841.55	15816.91	18932.91
10.	कर्नाटक	21036.48	22841.08	19388.69	26410.23	45102.14	39282.64	30727.02	28296.77
11.	केरल	14287.04	14189.21	12751.76	16581.9	29615.76	26269.61	16442.6	12274.93
12.	मध्य प्रदेश	20518.38	34346.56	31172.69	38211.43	40554.56	63100.15	80885.98	43350.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	महाराष्ट्र	32238.38	47432.87	42503.36	47659.35	76225.79	95934.75	75230.32	64923.80
14.	ओडिशा	22504.1	20791.79	21677.68	24640.66	36038.97	32265.04	31757.15	28141.83
15.	पंजाब	9260.96	10582.99	11832.38	12602.77	17257.36	20378.68	17050.01	10029.89
16.	राजस्थान	22550.03	20466.87	17014.35	24500.33	32506.33	39457.64	46196.82	25316.06
17.	तमिलनाडु	17967.07	23734.47	26319.84	22183.2	37210.68	23097.61	23442.3	21472.39
18.	उत्तराखंड	3717.73	5281.32	3857.79	5242.07	10502.09	9166.67	9168.4	6924.88
19.	उत्तर प्रदेश	51542.3	55950.04	48631.35	62800.77	90164.50	67208.57	105664.72	87125.91
20.	पश्चिम बंगाल	37016.49	37362.32	30717.03	40899.48	79235.59	67029.52	53847.98	26227.07
21.	दिल्ली	3209.81	3014.83	3644.46	3526.1	4918.64	7356.48	7585.11	5973.73
22.	पुदुचेरी	249	303.84	355.54	350.62	712.40	385.32	362.01	308.65
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	291.63	292.06	325.3	328.99	599.93	589.87	444.83	315.80
24.	चंडीगढ़	254.5	252.29	244.45	244.45	438.27	438.27	432.13	302.95
25.	दादरा और नगर हवेली	129.84	126.57	137.53	129.94	145.33	134.82	121.34	91.24
26.	दमण और दीव	56.55	56.65	58.18	58.16	82.47	82.47	63.1	51.00
27.	लक्षद्वीप	121.03	75.87	27.49	96.87	169.87	171.87	101.91	7.50
28.	अरूणाचल प्रदेश	3178.72	3521.15	63694.528	4720.91	7015.96	7743.82	5738.71	3666.78
29.	असम	23849.59	19010.81	36402.43	29525	38663.02	46138.11	46796.39	32336.53
30.	मणिपुर	3387.5	2467.68	3707.71	3783.96	5924.06	5393.12	4754.42	1896.90
31.	मेघालय	2102.15	2560.51	2482.89	2448.01	3536.73	3694.15	3339.48	1602.28
32.	मिजोरम	2089.23	1693.57	2315.96	2131.7	2714.42	2567.23	1871.15	2547.44
33.	नागालैण्ड	5025.41	2530.22	2264.01	4578.34	5930.26	4555.11	2660.74	3530.75
34.	सिक्किम	683.53	647.6	503.29	724.62	772.27	1061.33	1021.23	595.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	त्रिपुरा	7398.195	3329.42	8132.205	4306.4	6489.28	5981.08	5372.54	2641.93
	जोड़	438443.76	483967.07	478698.83	530751.50	796255.82	801913.73	801933.22	572520.8
36.	ए.के.बी.वाई. हेतु एल.आई.सी.	691.80		742.00		663.72		472.18	
37.	के.एस.वाई.	3626.27							
38.	सी.एम.यू. के लिए निपक्षिड					50.68			
	कुल जोड	442761.83	483967.07	479440.83	530751.50	796970.22	801913.73	802405.40	572520.80

[अनुवाद]

परित्यक्त बालिकाएं

3145. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के विभिन्न भागों में बालिकाओं का परित्याग किए जाने की बढ़ती घटनाओं की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में सामने आए/नोटिस किए गए ऐसे मामलों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी बालिकाओं की सुरक्षा तथा उनके समुचित पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) महिला और बाल विकास मंत्रालय, केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) नामक एक योजना चला रहा है। जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, अनाथ बच्चों के पुनर्वास, परित्यक्त अथवा छोड़ दिए गए बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए विशेषीकृत दत्तकग्रहण एजेंसियों (एस.ए.ए.) की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता, उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के दत्तक ग्रहण प्रायोज्यता और लालन पालन के माध्यम से परिवार आधारित गैर संस्थागत देखरेख का भी प्रावधान है।

[हिन्दी]

पंचायती राज संस्थाएं

3146. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा चल रही अनेक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के पूनर्मूल्यांकन के दौरान पंचायतों तथा ग्राम सभाओं को और अधिकार प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन योजनाओं को सीधे पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी.

किशोर चन्द्र देव) : (क) राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 243क एवं 243छ के अनुसार अपने-अपने पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभाओं एवं पंचायतों को अधिकारों का अंतरण कर सकती हैं, जिससे कि वे स्व-शासन की संस्था के तौर पर कार्य करने में समर्थ बन सकें। पंचायती राज मंत्रालय पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम (पी.ई.आई.एस.) के माध्यम से पंचायतों को अधिकारों का अंतरण करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करता है एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन में पंचायतों एवं ग्राम सभाओं को भूमिकाएं एवं जिम्मेवारियों को निर्धारित करने हेतु अन्य मंत्रालयों से संपर्क बनाए रखता है।

(ख) पंचायती राज मंत्रालय की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान की स्कीम के विकास अनुदान घटक का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

अपतटीय पवन ऊर्जा

3147. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के तटीय राज्यों में विशेषकर तमिलनाडु में निजी क्षेत्र की भागीदारी से अपतटीय पवन ऊर्जा का विकास किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी क्षेत्र में अपतटीय परियोजनाओं की स्थापना के द्वारा पवन ऊर्जा उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(घ) नई परियोजनाएं कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी, हां। आरंभिक अनुमानों से यह संकेत मिलता है कि कन्याकुमारी के निकट तथा/अथवा रामेश्वरम के उत्तर में अपतटीय पवन फार्म का विकास करने की संभाव्यता हो सकती है। सरकार द्वारा देश में एक संकेन्द्रित पद्धति में अपतटीय पवन विद्युत का विकास करने के लिए सचिव, एम.एन.आर.ई. की अध्यक्षता में एक अपतटीय पवन ऊर्जा संचालन समिति का गठन किया गया है।

(ग) सरकार द्वारा अभी तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(घ) अपतटीय पवन विद्युत के विकास से जुड़े मामलों की जटिलता को देखते हुए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

बीमा जागरूकता अभियान

3148. श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उपलब्ध जीवन तथा गैर-जीवन बीमा सुविधाओं के लाभों का देश के ग्रामीण क्षेत्रों में संतोषजनक ढंग से प्रसार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में कोई जागरूकता अभियान आरंभ किया गया है/आरंभ किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इससे प्राप्त सफलता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) जी, नहीं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा बीमाकर्ताओं को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा व्यवसाय करने के लिए अधिदेशित करते हुए एक विधिक ढांचा सुव्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है। इरडा ने सूचित किया है कि ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र तथा पिछड़े वर्गों के संबंध में बीमाकर्ताओं के दायित्वों को निर्धारित किया गया है और इसका विवरण इरडा (ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र के लिए दायित्व) विनियमावली, 2012 में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2011-12 के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जीवन बीमा पॉलिसियों में से 31% से अधिक पॉलिसियां जारी की गई हैं। गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में, 7470 करोड़ रुपए का व्यवसाय हुआ है जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित कुल गैर-जीवन बीमा व्यवसाय की प्रतिशतता लगभग 14% है।

(ग) इरडा ने यह भी सूचित किया है कि इसने बीमा के विभिन्न सिद्धांतों के संबंध में ग्राहकों में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को गति दी है और बीमा बेमिसाल अभियान नामक ब्रांड के अंतर्गत ग्राहक शिक्षा का बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। की गई पहलें निम्नलिखित हैं:-

(क) बीमा के सामान्य विषयों अर्थात जीवन बीमा, संपत्ति बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा पर और मध्यवर्तियों के बारे में 12 भारतीय भाषाओं में हैंड बुक का प्रकाशन।

(ख) स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से स्थानीय भाषाओं के प्रिंट अभियान को पूरा करना।

(ग) टी.वी. और रेडियों के जरिए बीमा के संबंध में जागरुकता पैदा करने के लिए विभिन्न भाषाओं में इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग।

(घ) एस.एच.जी./एन.जी.ओ. के साथ कार्य करते हुए उपभोक्ता निकायों के जरिए ग्राहक जागरुकता सेमिनार प्रायोजित करना और जमीनी स्तर पर लोगों में प्रसार के लिए उनके जरिए सभी वस्तुओं का वितरण।

(घ) इसके अतिरिक्त, इरडा ने सूचित किया है कि छोटे शहरों और आंतरिक क्षेत्रों में जागरुकता फैलाने की आवश्यकता को देखते हुए विजयवाड़ा, आइजोल, पलक्काड, बिलासपुर, मुंगेर, रांची आदि जैसे स्थानों पर कुछ सेमिनार भी आयोजित की गई थी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में किए गए व्यवसाय का ब्यौरा निम्नलिखित है:

	कुल औद्योगिक प्रीमियम	ग्रामीण क्षेत्र प्रीमियम	%
गैर जीवन	रुपये करोड़ में		
वित्तीय वर्ष 2011-12	52876	7470	14.1
वित्तीय वर्ष 2010-11	44124	4594	10.4
वित्तीय वर्ष 2009-10	35697	3673	10.3
जीवन	पालिसियों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्र में पॉलिसियां	%
वित्तीय वर्ष 2011-12	44191864	13983265	31.6
वित्तीय वर्ष 2010-11	48136948	14982638	31.1
वित्तीय वर्ष 2009-10	53127637	14425404	27.2

पश्चिम तट पर तेलशोधन संयंत्र

3149. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल निगम (आई.ओ.सी.) का विचार पश्चिम तट पर एक तेल शोधक संयंत्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय तेल निगम (आई.ओ.सी.) की तेल शोधन क्षमता में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी. एल.) ने सूचित किया है कि वर्तमान में, पश्चिमी तट पर रिफाइनरी की स्थापना के लिए उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) आई.ओ.सी.एल. ने बताया है कि नवम्बर, 2013 में पारादीप में 15 एम.एम.टी.पी.ए. की ग्रास रूट रिफाइनरी के चालू होने के साथ ही कंपनी की कुल परिशोधन क्षमता 54.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़कर 69.2 एम. एम.टी.पी.ए. हो जाएगी। इसके अलावा, कंपनी ने गुजरात की कोयाली रिफाइनरी की क्षमता को 13.7 एम.एम.टी.पी.ए. से बढ़ाकर 18 एम.एम.टी.पी.ए. करने के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया है।

बी.पी.एल. तथा अन्त्योदय परिवारों को सहायता

3150. श्री शिवकुमार उदासी :
श्री रवनीत सिंह :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रसोई गैस का उपयोग करने वाले बी.पी. एल. तथा अन्त्योदय परिवारों की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन सभी परिवारों को रसोई गैस राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों, नामत: इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आई.ओ.सी.), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) ए.पी.एल./बी.पी.एल. परिवारों की खपत के आंकड़े अलग से नहीं रखते।

(ख) और (ग) राजीव गांधी ग्रामीण एल.पी.जी. वितरण योजना (आर.जी.जी.एल.वी.वाई.) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बी. पी.एल. परिवारों को नए घरेलू एल.पी.जी. कनेक्शन जारी करने के लिए, एक बारगी अनुदान मुहैया कराने की योजना लागू है। योजना के अनुसार, घरेलू एल.पी.जी. सिलिंडर और प्रैशर रेगुलेटर के लिए जमानत राशि ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.एल., गेल, बी.पी.सी.एल. एच.पी.सी.एल. और आई.ओ.सी. की नैगम सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) से प्राप्त अंशदानों के जरिए सृजित निधि से दी जाती है।

दिनांक 01.01.2013 की स्थिति के अनुसार ओ.एम.सीज. ने अपनी सी.एस.आर. निधि से 1925.50 लाख रुपये का व्यय करके 135278 एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किए हैं।

[हिन्दी]

बैंकों में सरकारी शेयर का प्रतिशत

3151. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में सरकार की इक्विटी शेयरधारिता का प्रतिशत बैंक-वार कितना है;

(ख) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकारी शेयरधारिता में कमी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार की शेयरधारिता का बैंक-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	बैंक का नाम	शेयरधारिता का प्रतिशत
1.	इलाहाबाद बैंक	55.24
2.	आन्ध्रा बैंक	58.00
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	54.31
4.	बैंक ऑफ इंडिया	62.72
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	78.95
6.	केनरा बैंक	67.72
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	79.15
8.	कार्पोरेशन बैंक	58.52
9.	देना बैंक	55.24
10.	इंडियन बैंक	80.00
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	69.62
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	58.00
13.	पंजाब नेशनल बैंक	56.10
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	78.16
15.	सिंडीकेट बैंक	66.17
16.	यूको बैंक	65.19
17.	युनियन बैंक ऑफ इंडिया	54.35
18.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	81.55
19.	विजया बैंक	55.02
20.	भारतीय स्टेट बैंक	61.58
21.	आई.डी.बी.आई. बैंक लि.	70.52

(ख) और (ग) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

बड़ी जमाराशि की वृद्धि दर

3152. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सरकारी क्षेत्र के किन्हीं बैंकों द्वारा अपने बड़े जमाओं (बल्क डिपॉजिट) को कम करने के संबंध में निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने की कोई घटना सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे बैंकों के विरूद्ध सरकार द्वारा बैंक-वार कार्यवाही की गई है/की जा रही है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता में सुधार के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों (पी.एस.बी.) का 06.07.2012 को एक परामर्शी जारी किया है जिनमें उन्हें अपने लाभ प्रदता में सुधार लाने के उद्देश्य से अपनी उच्च लागत जमा राशियों को कम करने की सलाह दी गई है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अपनी बड़ी जमाराशि को चरणबद्ध रूप से कुल जमा के 15 प्रतिशत तक लाने में असमर्थता नहीं दर्शायी है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि करने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसके साथ कार्य निष्पादन सम्बद्ध दीर्घावधिक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया है, जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए मूल उत्पादक मानदण्डों के संबंध में दीर्घावधिक लक्ष्यों को प्राप्त करना अपेक्षित है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आर.बी.आई. द्वारा यह सलाह दी गई है कि वे उनके विभिन्न परिपत्रों जैसे पूंजी पर्याप्तता के संबंध में विवेकपूर्ण मानदण्ड, अग्रिमों के संबंध में आय की पहचान करने तथा आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण (आई.आर.ए.सी.) संबंधी विवेकपूर्ण मानदण्ड, बैंकों के निवेश पोर्टफोलियों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन

के लिए मानदण्ड, निवेश मानदण्ड, ऋण तथा अग्रिमों के संबंध में मानदण्ड आदि के लिए जारी किए गए विनियामकीय दिशा-निद्रेशों का सावधानीपूर्वक पालन करें। आर.बी.आई. ने नये एन.पी.ए. सृजित होने पर रोक लगाने के लिए बैंकों को ऋण मूल्यांकन तथा ऋण उपरांत निगरानी करने तथा सभी श्रेणियों की मौजूदा एवं पुराने अनुप्रयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) को कम करने के लिए अधिक यथार्थ पद्धति अपनाने की सलाह दी है।

[हिन्दी]

तेल तथा गैस परियोजनाओं में विदेशी निवेश

3153. श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल तथा गैस परियोजनाओं में विदेशी निवेश की स्वीकृति 30 दिन के अंदर प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों ने इस नीति के अनुमोदन पश्चात् इस ओर अपनी अभिरूचि दर्शाई है; और

(ग) उक्त उपाय से देश में तेल और गैस उत्पादन में किस प्रकार वृद्धि होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए मौजूदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) नीति में मौजूदा क्षेत्रगत नीति की शर्त पर तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों के अन्वेषण्ण कार्यकलापों, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के विपणन, पाइपलाइनों से संबंधित बुनियादी सुविधाओं, एल.एन.जी. पुनर्गैसीकरण संबंधी बुनियादी सुविधाओं, निजी क्षेत्र में पेट्रोलियम शोधन के लिए 100% ऑटोमेटिक रूट की अनुमति है।

तथापि, 30 दिन में अनुमोदन प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल ब्लॉकों के क्लियरेंस में विलंब

3154. श्री आधि शंकर :
श्री ए. साई प्रताप :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ तेल तथा गैस ब्लॉकों को अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) ने, पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी.ई.एल.) प्रदान करने के बाद कृष्णा-गोदावरी और महानदी बेसिनों सहित अपतट क्षेत्रों में 39 अन्वेषण ब्लाकों के संबंध में अन्वेषण और विकास कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगाए थे। ये ब्लॉक अलग-अलग कम्पनियों को अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) के विभिन्न दौरों के तहत प्रदान किए गए थे।

रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक और सुरक्षा सम्बद्ध दृष्टिकोणों के कारण प्रतिबंध लगाए थे। प्रभावित ब्लाकों के क्षेत्र-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

बेसिन का नाम	स्थान	प्रभावित ब्लाकों की संख्या
1	2	3
कृष्णा-गोदावरी	पूर्वी अपतट	22

1	2	3
महनदी-पूर्वोत्तर तट	पूर्वी अपतट	9
कावेरी	पूर्वी अपतट	3
प्रानहिता-गोदावरी	पूर्वी अपतट	2
गुजरात-सौराष्ट्र	पश्चिमी अपतट	2
अंडमान	अंडमान अपतट	1
कुल		39

उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा जमीनी क्षेत्रों में प्रदत्त 10 अन्य ब्लाकों में अन्वेषण कार्यकलापों पर प्रतिबंध/रोक लगाई गई हैं:

राज्य	प्रभावित नेल्प ब्लाकों की संख्या	कारण
नागालैंड	3	नागालैंड सरकार ने इन ब्लाकों में अन्वेषण कार्यकलाप शुरू करना या तो बंद कर दिया है या अनुमति नहीं दी है।
असम	4	पर्यावरण और वन मंत्रालय/असम सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति/वन स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।
मणिपुर	2	पर्यावरण और वन मंत्रालय/मणिपुर सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति/वन स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।
महाराष्ट्र	1	पर्यावरण और वन मंत्रालय/महाराष्ट्र सरकार द्वार पर्यावरण स्वीकृति/वन स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।
योग	10	

(ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम.ओ.पी. एंड एन.जी.) ने यह मामला रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया था। इसके अतिरिक्त, इस मामले पर विचार-विमर्श मंत्रिमडल की निवेश संबंधी समिति (सी.सी.आई.) की दिनांक 30.01.2013 को आयोजित बैठक में किया गया था। सी.सी.आई. ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को निर्देश दिए हैं कि वे एम.ओ.पी.एंड एन.जी. और एम.ओ.डी. के साथ इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श करें और सी.सी.आई. को एक मास के समय में प्रगति से अवगत कराएं। सी.सी.आई. के निर्देशों के अनुसार इस मुद्दे का समाधान करने के लिए बैठकें आयाजित की जा रही हैं।

महिला समर्थक कानून

3155. श्री वरूण गांधी : क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में महिला समर्थक कानूनों के दुरुपयोग की घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार तथा राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में शोषण को रोकने तथा महिला समर्थक कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) महिला और बाल विकास मंत्रालय को महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों और विधिक प्रावधानों के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ये अभ्यावेदन मुख्य रूप से आई.पी. सी. की धारा 498 क और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के दुरूपयोग से संबंधित हैं।

(ग) से (ङ) विधिक प्रावधानों के दुरूपयोग से निपटने के लिए भी मौजूदा कानूनों के अंतर्गत पर्याप्त सुरक्षोपाय उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

विदेशी निधियों का विपथन

3156. **श्रीमती मीना सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह आया है कि देश में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विदेश में एकत्रित निधियों का कथित रूप से दुरुपयोग अथवा विपथित निधियों का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में दुरुपयोग अथवा विपथित निधियों का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेश से एकत्रित निधियों के व्यय की निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र लागू किया गया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विदेशी एजेंसियों से प्राप्त किए गए ऋणों और अनुदानों के प्रभावी कार्यन्वयन तथा उपयुक्त उपयोग के लिए विस्तृत तंत्र स्थापित है जिसमें संवितरण की मानीटरिंग एवं परियोजना की वास्तविक तथा वित्तीय मानीटरिंग शामिल है।

विवरण

दुरुपयोग और विपथित निधियां

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ऋण राशि	द्वारा निधिपोषित	आरोप/कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	लखनऊ-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	620 मिलियन अमरीकी डालर	विश्व बैंक	विश्व बैंक की आई.एन.टी. मिशन रिपोर्ट मैसर्ज प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन्स लि. द्वारा वचनबद्ध की गई संस्वीकृति योग्य परंपराओं का हवाला देती है जिसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास भेज दिया गया है जिस मामले की जांच सतर्कता प्रभाग कर रहा है।
2.	उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलसंभर विकास परियोजना	69.62 मिलियन अमरीकी डालर	विश्व बैंक	दुर्विनियोजन का आरोप आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए उत्तराखंड सरकार को भेजा गया है।
3.	राज्य भागीदारी कार्यक्रम, छत्तीसगढ़	80 मिलियन यूरो	यूरोपीय संघ	छत्तीसगढ़ के सरगूजा जिले में बैगा जनजातीय छात्रों के लिए स्कूल किटों की अधिप्राप्ति हेतु निधियों का कथित

1	2	3	4	5
				दुरूपयोग यूरोपीय संघ द्वारा जुलाई, 2011 में सूचित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समिति द्वारा भेजी गई अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार, 62.40 लाख रुपये की अनुमानित वित्तीय अनियमितता का पता लगा था जिसके लिए अतिरिक्त कलेक्टर सरगूजा जिला व क्रय समिति के सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में तेल डिपो

3157. डॉ. बलीराम : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री के लिए ग्राम सभा/ब्लॉक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों के डिपो की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2012-13 के दौरान स्थापित डिपो की संख्या तथा वर्ष 2013-14 के लिए स्थापना हेतु प्रस्तावित डिपो की संख्या का विशेष कर पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि उनका पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री करने के लिए ग्राम सभा/ब्लाक स्तर पर कोई डिपो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। तथापि, ओ.एम.सीज. ने यह भी सूचित किया है कि ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों के 5 डिपो को वर्ष 2013-14 के दौरान चालू किए जाने की संभावना है:

क्र.सं.	डिपो स्थल	राज्य	ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्र
1	2	3	4
1.	चित्तूर	आन्ध्र प्रदेश	ग्रामीण
2.	कड़प्पा	आन्ध्र प्रदेश	ग्रामीण
3.	जसिधि	झारखंड	जनजातीय क्षेत्र
4.	बिहटा	बिहार	ग्रामीण
5.	इन्नोर	तमिलनाडु	ग्रामीण

[अनुवाद]

साधारण बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करना

3158. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायवाड :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चल रही चार सरकारी साधारण बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करने की योजना को स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन कंपनियों द्वारा कंपनी-वार कितना लाभांश घोषित किया गया तथा सरकार को भुगतान किया गया;

(घ) क्या सरकार ने इन कंपनियों को घाटे वाले अपने पोर्टफोलियों की पुनर्संरचना करने, अपने दावा प्रबंध में सुधार करने तथा सरकार द्वारा प्रचलित फर्मों में मूल्य संबंधी प्रतियोगिता से बचने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कंपनियों को कब तक सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क), (ख) और (ङ) सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करने के लिए सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सृजित एवं सरकार को भुगतान किए गए लाभांश निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

कंपनी	2009-10	2010-11	2011-12
नेशनल इंश्योरेन्स कं. लिमिटेड	43.98	शून्य	शून्य
न्यू इंडिया एश्योरेन्स कं. लिमिटेड	85.00	शून्य	40.00
ओरियन्टल इंश्योरेन्स कं. लिमिटेड	शून्य	शून्य	50.67
यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कं. लिमिटेड	142.00	30.00	78.00

(घ) सरकारी क्षेत्र की सभी चार गैर-जीवन बीमा कंपनियां पिछले कुछ समय से हामीदारी हानियां उठा रही हैं। इसलिए, उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए हानियों को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है ताकि वे लोक हित में अपने बारे में की गई परिकल्पनाओं के अनुसार अच्छी तरह से जनता और अर्थव्यवस्था की सेवा करना जारी रखें। यथोचित हामीदारी एवं प्रभावशाली दावा प्रबंधन के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनको परामर्शी अनुदेश जारी किए गए हैं।

कुपोषण/अल्पपोषण संबंधी अध्ययन

3159. श्री वैजयंत पांडा :

श्री ए.के.एस. विजयन :

श्री नवीन जिन्दल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत अनेक वर्षों से बच्चों में कुपोषण तथा अल्पोषण संबंधी उपलब्ध आंकड़ों को अद्यतन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बेहतर व सुविज्ञ नीति निर्माण तथा हस्तक्षेप सुकर बनाने के लिए देश में कुपोषण तथा अल्पपोषण संबंधी आंकड़ों को अद्यतन करने के लिए कोई सर्वेक्षण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार का सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93, 1998-99 और 2005-06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.) किया गया था और ये रिपोर्टें बच्चों में अल्प-पोषण की व्याप्तता संबंधी डाटा प्रदान करती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) के राष्ट्रीय पोषण अनुवीक्षण ब्यूरो (एन.एन.एम.बी.) भी देश में "जनसंख्या की आहार और

पौषणिक स्थिति'' के संबंध में नेमी रूप से आवधिक सर्वेक्षण करता है तथा ये रिपोर्टें बच्चों में अल्पोषण की व्याप्तता के संबंध में डाटा प्रदान करती है। ब्यूरो ने हाल ही में 2010-12 के दौरान ग्रामीण ''जनसंख्या की आहार और पौषणिक स्थिति'' संबंधी अध्ययन किया है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार मौजूदा जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण (डी.एल.एच.एस.) और वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (ए.एच.एस.) में अन्य बातों के साथ-साथ बच्चें में कुपोषण/अल्पपोषण के संबंध में अनुमान प्रदान करने के लिए नैदानिक, एंथ्रोपोमिट्रिक और जैव रासायनिक जांचों संबंधी घटक शामिल किया गया है। सामान्य: यह अनुभव किया जाता है कि डाटा संग्रहण तथा रिपोर्ट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में लगभग एक वर्ष लग जाता है।

एन.एन.एम.बी. ने फिलहाल देश में 'शहरी जनसंख्या की आहार तथा पौषणिक स्थिति' संबंधी अध्ययन शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस का आयात

3160. श्री जगदीश सिंह राणा :
श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में सउदी अरब सहित विभिन्न देशों से कच्चे तेल के आयात का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कच्चे तेल के आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने तथा इसके आयात में कमी द्वारा विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में किसी देश के साथ प्राकृतिक गैस के आयात के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान सऊदी अरब सहित विभिन्न देशों से कच्चे तेल के आयात के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान कच्चे तेल के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा (मिलियन अमरीकी डालर) के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य
2009-10	79553
2010-11	100080
2011-12	139690
2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर, 2012)*	104537

* अनंतिम आंकड़े

स्रोत: तेल कंपनियां तथा वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई.एस.) तथा पी.पी.ए.सी. द्वारा संकलित।

(ग) कच्चे तेल के उत्पादन में तेजी लाने और देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा विभिन्न उपाए किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.ए.पी.)/खुला क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति (ओ.ए.एल.पी.) के विभिन्न बोली दौरों के तहत पेशकश के लिए अन्वेषण हेतु अधिकाधिक क्षेत्रों की चिन्हित करना।

(ii) क्षैतिकज कूप वेधन इत्यादि जैसी नई प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन।

(iii) मौजूदा क्षेत्रों में निकासी में वृद्धि करने के लिए वर्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर.)/उन्नत तेल निकासी (आई.ओ.आर) तकनीकों का अनुप्रयोग।

(घ) और (ङ) भारत सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) की खरीद के लिए उन्होंने अभी हाल ही में निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए हैं:-

(i) बीस वर्षों की अवधि के लिए 3.5 एम.एम.टी. पी.ए. एल.एन.जी. के आयात के लिए सैबीन पास लिक्वीफकेशन एल.एल.सी., यू.एस. के साथ बिक्री क्रय करार।

(ii) बीस वर्षों की अवधि के लिए 2.5 एम.एम.टी. पी.ए. एल.एन.जी. के आयात के लिए सिंगापुर की गैजप्रोम मार्केटिंग एण्ड ट्रेडिंग के साथ बिक्री क्रय करार।

(iii) तीन वर्षों की अवधि के लिए तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टी.ए.पी.आई.) पाइपलाइन के जरिए 38 एम.एम.एस.सी.एम.डी. प्राकृतिक गैस के आयात के लिए तुर्कमेनगाज के साथ गैस बिक्री करार।

(iv) तीन वर्षों की अवधि के लिए 0.75 एम.एम.टी. पी.ए. एल.एन.जी. तक आयात के लिए स्पेन की गैस नेचुरल फिनोसा के साथ बिक्री क्रय करार।

(v) दो वर्षों की अत्रधि क लिए 0.36 एम.एम.टी.पी. ए. एल.एन.जी. के आयात के लिए फ्रांस की गैज दि फ्रांस के साथ बिक्री क्रय करार।

विवरण

2009-10 से 2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर, 2012) तक देश-वार कच्चे तेल का आयात

(मिलियन मीट्रिक टन)

	क्र. सं.	देश	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अनं*) अप्रैल-दिसम्बर
1	2	3	4	5	6	7
मध्य पूर्व	1.	सऊदी अरब	27.1	27.4	32.5	24.8
	2.	इराक	15.0	16.8	24.1	17.2
	3.	कुवैत	11.8	11.5	17.7	13.2
	4.	ईरान	21.2	18.5	18.1	9.7
	5.	संयुक्त अरब अमीरात	11.6	14.7	15.8	11.4
	6.	कतर	5.4	5.7	6.5	56

1	2	3	4	5	6	7
	7.	ओमान	5.4	5.1	2.6	0.4
	8.	यमन	2.9	2.9	1.3	0.6
	9.	तटस्थ जोन	3.1	2.4	-	-
	10.	सीरिया	0.2	-	-	-
		उप योग	103.7	105.0	118.6	82.9
अफ्रीका	11.	नाइजिरिया	13.2	15.8	14.1	9.9
	12.	अंगोला	9.0	10.0	9.0	6.2
	13.	मिश्र	3.1	1.8	2.8	1.7
	14.	अल्जेरिया	1.8	2.7	2.1	0.4
	15.	इक्वाटोरियल गुयाना	1.3	1.4	0.9	1.0
	16.	सूडान	1.1	1.3	0.7	01
	17.	कांगो	1.5	0.9	0.5	0.6
	18.	कैमरून	0.3	0.3	0.5	0.4
	19.	आइवरी कोस्ट	0.2	-	0.2	-
	20.	लीबिया	1.0	1.1	0.2	1.3
	21.	गैबोन	0.1	0.5	0.1	1.1
	22.	चाड	0.3	-	0.0	0.2
	23.	पश्चिम अफ्रीका	0.2	-	0.0	-
		उप योग	32.9	35.6	31.1	22.8
एशिया	24.	मेलेशिया	26	2.2	2.3	1.5
	25.	बरूनेई	0.9	0.9	1.1	1.0

1	2	3	4	5	6	7
	26.	चीन	0.1	–	0.0	1.0
	27.	सिंगापुर	0.0	–	0.0	0.1
	28.	दक्षिण कोरिया	0.3	0.1	0.0	–
	29.	जापान	–	–	–	0.2
		उप योग	4.0	3.3	3.4	3.8
दक्षिण अमरीका	30.	वेनेजुएला	7.3	10.4	9.6	15.1
	31.	ब्राजील	2.6	2.9	3.8	2.8
	32.	कोलंबिया	0.9	1.3	0.9	1.7
	33.	इक्वाडोर	1.3	0.5	0.3	0.9
	34.	पनामा	0.1	–	0.0	–
		उप योग	12.1	15.1	14.5	20.5
यूरेशिया	35.	अजरबैजान	2.3	0.8	1.0	0.7
	36.	काजाकिस्तान	0.1	–	0.0	–
	37.	रूस	1.6	0.8	0.0	0.2
		उप योग	4.0	1.5	1.0	0.8
उत्तरी अमरीका	38.	मेक्सिको	1.9	1.3	2.3	2.7
	39.	कनाडा	0.1	–	0.0	0.1
		उप योग	2.0	1.3	2.3	2.7
यूरोप	40.	अल्बानिया	–	–	0.0	0.1
	41.	नार्वे	–	0.2	–	–
	42.	टर्की	0.1	–	–	0.3

1	2	3	4	5	6	7
	43.	यू.के.	0.1	-	-	-
		उप योग	0.2	0.0	0.0	0.3
आस्ट्रेलिया	44.	आस्ट्रेलिया	0.4	1.7	0.7	0.2
कुल			159.2	163.4	171.7	134.0

*अनं: अनंतिम

स्रोत: तेल कंपनियों के लिए पी.पी.ए.सी. द्वारा संकलित आर.आई.एल.-सेजका अक्तूबर तक वास्तविक तथा नवम्बर और दिसम्बर, 2012 के लिए अनुमानित

[अनुवाद]

सरकार द्वारा खरीद की गई औषधियों की बिक्री

3161. प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्रीमती पुतुल कुमारी :
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में केन्द्र सरकार के अस्पतालों तथा इसके सम्बद्ध अस्पतालों एवं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा (सी.जी.एच.एस.) द्वारा रोगियों के उपचार के लिए खरीद की गई औषधियों की अस्पताल-वार तथा औषधालय-वार लागत कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा खरीदी गई औषधियों को बाजारों में अवैध तरीके से सस्ती दरों पर बेचे जाने के मामले सामने आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी अस्पताल-वार तथा औषधालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के कदाचार/अनियमितताओं के लिए दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार द्वारा कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान दंडित किए गए दोषियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) औषधियों के वितरण की निगरानी करने तथा इनकी कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ) जहां तक दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के तीन अस्पतालों अर्थात सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज वे संबद्ध अस्पतालों का सम्बन्ध है, इन अस्पतालों में रोगियों के इलाज के लिए खरीदी गई दवाईयों की कीमत संलग्न विवरण में दी गई है। सरकार द्वारा खरीदी गई दवाइयों को बाजार में अवैध रूप से सस्ती दरों पर बेचे जाने का कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है। अस्पतालों द्वारा खरीदी गई दवाईयों की निरीक्षण समिति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जांच की जाती है और उसके बाद स्टॉक पंजी में प्रविष्टियां की जाती है। दवाइयां सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित उचित मांग पत्र प्राप्त होने पर ही विभाग की संबंधित इकाई को जारी की जाती हैं। स्टॉक का वार्षिक वास्तविक सत्यापन किया जाता है। सभी दवाइयों/आई.वी.फ्ल्यूड पर "अस्पताल आपूर्ति बिक्री के लिए नहीं" निशान लगाया जाता है। अस्पताल के चिकित्सक द्वारा निर्धारित करने पर ही ओ. पी.डी. रोगियों को दवाइयां जारी की जाती हैं।

जहां तक सी.जी.एच.एस. का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

अस्पतालों के नाम	वर्ष	किया गया व्यय
सफदरजंग अस्पताल	2009-10	16.50
	2010-11	18.76
	2011-12	16.79
	2012-13 (28/2/13 तक)	15.74
डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	2009-10	9.95
	2010-11	10.84
	2011-12	12.73
	2012-13 (28/2/13 तक)	11.72
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज	2009-10	2.47
	2010-11	3.70
	2011-12	2.85
	2012-13 (28/2/13 तक)	2.53
कलावती सरन अस्पताल	2009-10	1.96
	2010-11	2.54
	2011-12	3.07
	2012-13 (28/2/13 तक)	2.60

जंक फूड

3162. श्री खगेन दास :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री मधु गौड यास्खी :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत "जंक फूड" को परिभाषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने अपने सभी सदस्य देशों से स्कूलों/खेल के मैदानों में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही संतृप्त वसा, शर्करा अथवा नमक की अधिकता वाले खाद्य उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक लगाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) यद्यपि ''जंक फूड'' को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि अधिक वसा, नमक व शर्करायुक्त खाद्य पदार्थों जिसमें प्रोटीन, खनिज और विटामिन थोड़ी सी मात्रा से अथवा नहीं होते हैं, को ''अस्वस्थ खाद्य पदार्थों'' के रूप में लिया जाता है तथा ये फास्ट फूड की श्रेणी से संबंधित होते हैं।

खाद्य सुरक्षा व मानक (पैकेजिंग व लेबलिंग) विनियम, 2011 के अनुसार, प्रत्येक पूर्व-पैकेज किए गए खाद्य पदार्थ के लेबल पर अवरोही क्रम में अवयवों की एक सूची होना तथा पोषण जानकारी को Kcal में कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा ग्राम/100 ग्राम अथवा मिली./100 मिली. में वसा की मात्रा का दिया जाना अपेक्षित होता है। उन खाद्य पदार्थों जिनमें हाइड्रोजेनेटेड वनस्पति, वसा अथवा बेकरी सोर्टनिंग का उपयोग किया जाता है, उनके लेबल पर ये घोषित करना अपेक्षित होता है कि इस्तेमाल किए गए हाइड्रोजेनेकित वनस्पति, वसा अथवा बेकरी सोर्टनिंग में ट्रांस-वसा है।

(ग) और (घ) मानव उपयोग के लिए सुरक्षित व पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान-आधारित मानकों को निर्धारित करने तथा उनके निर्माण, भण्डारण, वितरण, बिक्री व आयात को विनियमित करने में प्रयोजन के लिए स्थापित किए गए नोडल-अभिकरण भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई ऐसी सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) इस मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों तथा मानव संसाधन विकास मंत्री से स्कूलों और महाविद्यालयों को अपनी-अपनी कैंटीनों से अत्यधिक संतृप्त वसायुक्त खाद्य पदार्थों और कार्बोनीकृत पेयों की वापिस हटाने तथा स्वस्थ खाद्य आदतों को बढ़ावा देना व बच्चों को फलों, सब्जियों तथा साबुत अनाजों के उपभोग के लाभों के प्रति अनिवार्यत: जागरुक बनाने का अनुरोध किया है।

प्राकृतिक गैस की उपलब्धता तथा आपूर्ति

3163. श्री निशिकांत दुबे :
श्री उदय सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश ऑफशोर क्षेत्रों तथा ऑनशोर क्षेत्रों में उत्पादित प्राकृतिक गैस की मात्रा कितनी है और अगले दो वर्षों में इसका उत्पादन कितना होने का अनुमान है;

(ख) क्या देश में प्राकृतिक गैस की मांग और पूर्ति के बीच अंतर है;

(ग) यदि हां, पूरे देश में विभिन्न इकाइयों/क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस के आबंटन के मानदंड सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में प्राकृतिक गैस की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) वर्तमान में विद्युत तथा उर्वरक क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की आवश्यकता कितनी है और अगले दो वर्षों के दौरान मांग कितनी होने की संभावना है; और

(ङ) प्राकृतिक गैस के उत्पादन की लागत कितनी है तथा इन क्षेत्रों को किस दर पर गैस की बिक्री की जाती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) देश में वर्ष 2011-12 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 130.3 मिलियन मिट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एस.एस.सी.एम.डी.) था और वर्तमान वर्ष 2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन 114.1 एम.एम.एस.सी.एम.डी. था।

आगामी दो वर्षों अर्थात वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान प्राकृतिक गैस का अनुमानित उत्पादन क्रमशः लगभग 113.2 एम.एम.एस.सी.एम.डी. और 132.5 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है।

(ख) और (ग) अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 के दौरान 136.44 एम.एम.एस.सी.एम.डी. की खपत की तुलना में, घरेलू प्राकृतिक गैस की उपलब्धता मात्र लगभग 96 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है। शेष गैस का आयात किया जाता है। प्रशासित मूल्य व्यवस्था (ए.पी.एम.) गैस, गैस संयोजन समिति (जी.एल.सी.) द्वारा विभिन्न कम्पनियों को इसके बंद किए जाने तक, गैस आबंटित की जाती थी। अब ए.पी.एम. गैस का आबंटन नहीं किया जाता। जहां तक गैर-एम.पी.एम. गैस का संबंध है, जिसका उत्पादन राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के नामित ब्लाकों के नए क्षेत्रों से किया जाता है, आबंटन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशा-निर्देशों "गैर-ए.पी.एम. गैस का मूल्य-निर्धारण और वाणिज्यिक उपयोग" के अनुसार किया जाता है। नई अन्वेषण और लाइसेंसींग नीति (एन.ई.एल.पी.) गैस का आबंटन, एन.ई.एल.पी. के तहत गैस के वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए गठित अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ई.जी.ओ.एम.) द्वारा गैस उपयोग नीति के अनुसार किया जाता है।

उत्पादन में तेजी लाने और देश में प्राकृतिक गैस की मांग पूरी करने के लिए, सरकार/तेल पी.एस.यूज. द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.)/खुला क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति (ओ.ए.एल.पी.) के विभिन्न दौरों के तहत पेशकश के लिए अन्वेषण के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों के चिहन्नित करना।

(ii) कोल बेड मिथेन (सी.बी.एम.) शेल गैस: तेल और हाइड्रेट आदि जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का अन्वेषण करना।

(iii) तेल पी.एस.यूज. द्वारा विदेश स्थित तेल और गैस परिसम्पत्तियां अर्जित करना।

(iv) राष्ट्र पारीय तुर्कमेनिस्तान - अफगानिस्तान-पाकिस्तान- भारत (टी.ए.पी.आई.) पाइपलाइन के जरिए गैस प्राप्तक करना।

(घ) वर्तमान और आगामी दो वर्षों के दौरान 12वीं योजना के दस्तावेज के अनुसार, विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की मांग निम्नानुसार है:-

(एम.एम.एस.सी.एम.डी. में आंकड़े)

क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15
विद्युत	135	153	171
उर्वरक	62	110	113

(ङ) प्राकृतिक गैस के उत्पादन की लागत विभिन्न कारकों पर आधारित है जैसे रिजर्वायर का आकार, भौमिकी, और रिजर्वायर प्राचल, इस्तेमाल में आ रही निष्कर्षण प्रौद्योगिकियां और तेल की किस्म, बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं की उपलब्धता, ब्लाक/क्षेत्र (जमीनी, अपतट, गहरा समुद्र) का स्थान, प्राकृतिक गैस आदि के लिए परिवहन सुविधाएं। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) व्यवस्था के तहत मुख्य क्षेत्रों में प्रति मिलियन मिट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एम.एम.बी.टी.यू.) प्राकृतिक गैस के उत्पादन की औसत लागत, सांविधिक उद्ग्रहणों को छोड़कर, 1.71 अमरीकी डालर/एम.एम.बी.टी.यू. से 3.75 अमरीकी डालर/एम.एम.बी.टी.यू. में परिवर्ती है। तथापि, यदि सांविधिक उद्ग्रहणों को शामिल किया जाता है, तो उत्पादन लागत क्रमशः 2.24 अमरीकी डालर/एम.एम.बी.टी.यू. से 4.27 अमरीकी डालर/एम.एम.बी.टी.यू. में परिवर्ती है।

पी.एस.सी. व्यवस्था के तहत, प्राकृतिक गैस का सी.बी.एम. सहित वर्तमान बिक्री मूल्य न्यूनतम 2.67 अमरीकी

डालर/एम.एम.बी.टी.यू. से अधिकतम 6.79 अमरीकी डालर/एम. एम.बी.टी.यू. रहता है। पी.एस.सी. व्यवस्था के तहत प्राकृतिक गैस की बिक्री और मूल्य निर्धारण पर संगत पी.एस.सी. प्रावधान लागू हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) और आयल इंडिया लि. (ओ.आई.एल.) द्वारा प्राकृतिक गैस के उत्पादन की लागत क्रमश: 3.59 अमरीकी डालर/एम.एम.बी.टी.यू. और 3.48 अमरीकी डालर/एम.एम.बी.टी.यू. थी।

राष्ट्रीय तेल कम्पनियों (एन.ओ.सीज.) अर्थात ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस का मूल्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 31 मई, 2010 के पत्र द्वारा 01 जून, 2010 से प्रभावी एन.ओ.सीज. द्वारा उत्पादित ए.पी.एम. गैस का मूल्य रायल्टी के बगैर, 4.2 अमरीकी डालर/एम.एम.बी.टी.यू. निर्धारित किया था। पूर्वोत्तर के ग्राहकों के लिए, निवल ग्राहक मूल्य रायल्टी के बगैर 2.52 अमरीकी डालर/एम.एम.बी.टी.यू. निर्धारित किया गया है।

पूर्वोत्तर में, 01 जून, 2010 से ओ.आई.एल. भी निवल उष्मीय मान (एन.सी.वी.) आधार पर विद्युत और उर्वरक ग्राहकों को 2.52 अमरीकी डालर/एम.एम.बी.टी.यू. पर ए.पी.एम. गैस बेच रही है और गैर-ए.पी.एम. गैस 4.20 अमरीकी डालर/एम.एम.बी.टी.यू. (रायल्टी छोड़कर) बेच रही है।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए योजनाएं

3164. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कन्या सहित महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए चलायी जा रही विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं का मध्य प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए राज्यों द्वारा योजना एवं वर्ष-वार कितनी धनराशि मंजूर, जारी तथा उपयोग की गयी है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं का कोई मूल्यांकन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या हैं; और

(ङ) देश में इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) महिला और बाल विकास मंत्रालय बालिकाओं सहित महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए अनेक स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है। विभिन्न स्कीमों के तहत वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान राज्यों/गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को संस्वीकृत तथा निर्मुक्त की गई निधियों के ब्यौरे मंत्रालय की संबंधित वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं जो लोक सभा सचिवालय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। ये ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात wwwd@ricin पर भी उपलब्ध है। वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य वार बजट अनुमान (बीई) तथा निर्मुक्त की गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही स्कीमों को क्रियान्वित करने का मूल्यांकन तथा मानीटरन अंतर्निर्मित प्रणाली है। समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कमियों पर कार्रवाई करना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार कार्यकरण में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को समय-समय पर दिया दिशा निर्देश जारी करती रहती है और जब कभी राज्यों के दौरों के दौरान किसी प्रकार की कोई कमी ध्यान में आती है तो उन कमियों को दूर करने और स्कीम के क्रियान्वयन में सुधार लाने के लिए पत्र लिखे जाते हैं तथा पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कार्यक्रमागत, प्रबंधकीय तथा संस्थागत सुधारों पर कार्रवाई करने और प्रशासनिक तथा प्रचालनात्मक चुनौतियों का सामना

करने के उद्देश्य से, सरकार ने हाल ही में आई.सी.डी.एस. को सुदृढ़ करने और पुनर्गठित करने की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में, प्रशासनिक अनुमोदन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को अब जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर तथा सामुदायिक स्तर पर आई.सी.डी.एस. के तहत स्थापित मानीटरिंग तथा पर्यवेक्षण एवं सामुदायिक स्तर का प्रयोग राजीव गांधी किशोरी शक्तीकरण स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.) - सबला और इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) की अन्य प्रमुख स्कीमों के लिए किया जाता है।

गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही स्कीमों की पुनरीक्षा आवधिक रिपोर्टों, पुनरीक्षा बैठकों तथा अधिकारियों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, अनुदानों की दूसरी तथा तीसरी किस्त राज्य सरकारों से प्राप्त हुई निरीक्षण रिपोर्टों तथा प्रस्तुत रिपोर्टों परीक्षित लेखा विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्रों के आधार पर निर्मुक्त की जाती हैं।

(ङ) मंत्रालय समय-समय पर अपनी विभिन्न स्कीमों के लिए अध्ययनों का प्रायोजन भी करता है। सुझावों/सिफारिशों के आधार पर स्कीमों की पुनरीक्षा की जाती है तथा कारगर क्रियान्वयन हेतु अनिवार्य जानकारी भी प्रदान की जाती है। स्कीमों के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए राज्य सचिवों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

विवरण

महिला और बाल विकास मंत्रालय

वर्ष 2011-12 और 2012-13 (दिनांक 13.03.2013 तक) के दौरान बजट प्राक्कलन तथा व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना, 2011-12			
		बजट प्राक्कलन		संशोधित प्राक्कलन	
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1	2	3	4	5	6
	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमें				
क.	**बाल विकास**				
1.	राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम	85.00	73.84	110.00	93.68
2.	निपसिड	11.00	8.00	12.00	9.20
3.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	11.90	10.11	12.00	7.68
4.	देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों का कल्याण स्कीम	10.00	0.00	5.00	5.00
5.	कारा	7.00	6.29	9.00	5.57

1	2	3	4	5	6
6.	बालिकाओं हेतु बीमा सुरक्षा सहित सशर्त नकदी हस्तांतरण स्कीम (धनलक्ष्मी)	10.00	0.00	5.00	5.00
	कुल क (क)	134.90	107.89	158.00	128.64
ख.	**महिला विकास**				
7.	कामकाजी महिला होस्टल	10.00	0.50	10.00	5.78
8.	स्टेप	20.00	8.33	20.00	7.17
9.	राष्ट्रीय महिला आयोग	9.00	9.00	11.00	12.00
10.	राष्ट्रीय महिला कोष	100.00	0.00	100.00	0.00
11.	स्वधार	30.00	24.59	100.00	47.54
12.	महिलाओं तथा बच्चों के अनैतिक व्यापार के निवारण हेतु व्यापक स्कीम (उज्जवल)	10.00	9.97	12.00	6.45
13.	जेंडर बजट आयोजना और महिलाओं एवं पुरूषों संबंधी पृथक आंकड़े	1.00	0.28	1.00	0.62
14.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सहायतानुदान	90.00	77.93	60.00	38.02
15.	प्रियदर्शिनी स्कीम	26.10	0.16	15.00	9.35
	कुल ख (ख)				
ग.	**अन्य स्कीमें**				
16.	अनुसंधान, प्रकाशन और मानीटरन हेतु सहायतानुदान	2.00	1.03	2.00	1.35
17.	अभिनव कार्यों हेतु सहायतानुदान	2.00	0.38	3.00	0.30
18.	सूचना, जन प्रचार और प्रकाशन	50.00	17.68	50.00	21.37
19.	सूचना प्रौद्योगिकी	2.00	0.33	2.00	0.20
20.	पोषण शिक्षा स्कीम (खा.पो.बो.)	10.00	10.07	10.00	5.18
	कुल क (ग)	66.00	29.49	67.00	28.40
	कुल क (क+ख+ग)	487.00	268.14	554.00	283.97

1	2	3	4	5	6
ख	**केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें**				
(क)	**बाल विकास**				
21.	समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम	1000.00	14266.65	15850.00	14642.40
22.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम	330.00	0.00	102.80	7.79
23.	राष्ट्रीय पोषण मिशन	100.00	0.00	250.00	26.61
24.	समेकित बाल संरक्षण (आई.सी.पी.एस.) स्कीम	270.00	177.58	400.00	247.20
	कुल ख (ख)	10700.00	14444.23	16602.80	14924.00
(ख)	**महिला विकास**				
25.	राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण-सबला स्कीम	750.00	593.99	750.00	501.41
26.	इंदिरा गांधी मातृत्व सहायोग योजना-सशर्त मातृत्व लाभ स्कीम	520.00	290.12	290.12	74.55
27.	राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन	40.00	7.96	25.00	8.97
28.	बलात्कार पीड़ितों हेतु राहत पुनर्वास	140.00	0.00	20.00	0.00
29.	स्वयंसिद्धा	3.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ख (ख)	1453.00	892.07	1315.00	584.93
	कुल ख (क+ख)	12153.00	15336.30	17917.80	15508.93
ग	**वर्ष 2012-13 में शामिल की गई नई स्कीमें**				
30.	किशोरों के व्यापक विकास की स्कीम (सक्षम)	-	-	0.10	0.00
31.	बालिका विशिष्ट जिला कार्रवाई योजना	-	-	1.00	0.00
32.	महिला हैल्प लाइन	-	-	2.00	0.00

1	2	3	4	5	6
33.	महिला अधिकार संबंधी दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम का विकास	–	–	0.10	0.00
34.	घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं के संरक्षण का क्रियान्वयन	–	–	20.00	0.00
35.	वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर	–	–	5.00	0.00
36.	महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति	–	–	0.00	0.18
	कुल ग	0.00	0.00	28.20	0.18
	कुल जोड़ (क+ख+ग)	12650.00	15604.44	18500.00	15793.08

[अनुवाद]

ब्लड बैंक

3165. श्री के. जयप्रकाश हेगड़े :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री ए.के.एस. विजयन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी, स्वैच्छिक तथा धर्मार्थ क्षेत्र में ब्लड बैंक स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड, मानक तथा प्रक्रिया क्या है;

(ख) देश में अलग से सरकारी, स्वैच्छिक तथा धर्मार्थ क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान देश में इन ब्लड बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गयी रक्त संग्रह उपयोग की कुल मात्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी है;

(घ) क्या कई ब्लड बैंक बगैर लाइसेंस के या अपने लाइसेंसों की अवधि समाप्ति के बाद भी संचालित किए जा रहे हैं तथा यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देश में पाए गए ऐसे मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रस्तावित/सुधारात्मक एवं दंडात्मक उपाय क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) औषध और प्रसाधन नियमावली, 1945 में देश में ब्लड बैंकों की स्थापना के लिए ब्यौरेवार प्रक्रियाएं/दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

(ख) देश में लाइसेंसशुदा ब्लड बैंकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान नाको समर्थित ब्लड बैंकों और देश के सभी ब्लड बैंकों से रक्त संग्रह की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार कुल मात्रा के दो विवरण-II और III में संलग्न हैं। नाको ने सूचित किया है कि वह देश में रक्त के उपयोग का रिकॉर्ड नहीं रखता। तथापि, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आई.आर.एस.) ने अपने आई.आर.सी.एस. (एन.एच.क्यू.) ब्लड बैंक के संबंध में निम्नलिखित आंकड़े प्रदान किए हैं (12.03.2013 तक):

वर्ष	रक्त संगृहीत	रक्त उपयोग (इकाई)
2009-10	26485	25346
2010-11	29656	28752
2011-12	27964	27317
2012-13	27417	26832

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र औषध नियंत्रण प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बिना उपयुक्त लाइसेंस के संचालित ब्लड बैंकों के सिर्फ तीन मामले समाने आए हैं।

2009-2010	:	01 (लखनऊ में)
2010-2011	:	01 (सोनभद्र में)
2011-2012	:	01 (जौनपुरी में)

(ङ) उत्तर प्रदेश सरकार ने इन ब्लड बैंकों को संचालित करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है।

विवरण-I

देश में लाइसेंसशुदा ब्लड बैंक

क्र.सं.	राज्य	सरकारी ब्लड बैंक	निजी एकल ब्लड बैंक	निजी अस्पताल ब्लड बैंक	निजी धर्मार्थ ब्लड बैंक	भारतीय रेड क्रास सोसायटी
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	–	1	–	
2.	आन्ध्र प्रदेश	70	51	76	29	38
3.	अरुणाचल प्रदेश	7		1	–	
4.	असम	39	4	14	6	1
5.	बिहार	38	12	10	2	5
6.	चंडीगढ़	3		–	1	–
7.	छत्तीसगढ़	19	6	12	5	1
8.	दादरा और नगर हवेली	–		–	–	1
9.	दमण और दीव	1	–	–	–	
10.	दिल्ली	22	4	25	7	
11.	गोवा	2	2			

1	2	3	4	5	6	7
12.	गुजरात	31	26	4	78	14
13.	हरियाणा	18	8	19	12	
14.	हिमाचल प्रदेश	19	1	-	-	
15.	जम्मू और कश्मीर	25	-	1	1	
16.	झारखंड	24	4	12	1	2
17.	कर्नाटक	39	12	84	38	5
18.	केरल	34	5	103	10	
19.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	मध्य प्रदेश	51	37	32	6	4
20.	महाराष्ट्र	81	24	10	167	11
21.	मणिपुर	3	-	-	-	
22.	मेघालय	6	-	2		
23.	मिज़ोरम	8	-		2	
24.	नागालैंड	4	-	-	-	
25.	ओडिशा	67	7	13	1	
26.	पुदुचेरी	3	1	8	1	
27.	पंजाब	46	1	42	17	1
28.	राजस्थान	48	7	22	11	
29.	सिक्किम	2	-	1	-	
30.	तमिलनाडु	96	39	91	43	2
31.	त्रिपुरा	7	-		-	
32.	उत्तर प्रदेश	85	13	49	53	
33.	उत्तराखण्ड	19	4	5	1	
34.	पश्चिम बंगाल	74	15	20	14	

विवरण-II

नाको समर्थित ब्लड बैंकों के कुल रक्त संग्रह

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2010-11	2011-12	2012-13 (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3165	2333	2036
2.	आन्ध्र प्रदेश	313281	379415	316197
3.	अरुणाचल प्रदेश	4103	4548	2997
4.	असम	104593	123442	97936
5.	बिहार	116516	102317	71608
6.	चंडीगढ़	77216	77539	66874
7.	छत्तीसगढ़	51824	51109	40437
8.	दादरा और नगर हवेली	4218	5013	5022
9.	दमण और दीव	1153	1185	464
10.	दिल्ली	287557	306593	246218
11.	गोवा	15542	14918	12776
12.	गुजरात	355155	433138	369855
13.	हरियाणा	107330	121679	107315
14.	हिमाचल प्रदेश	20023	25040	22759
15.	जम्मू और कश्मीर	50140	57453	47675
16.	झारखण्ड	79559	85480	79787
17.	कर्णाटक	260450	289899	264606
18.	केरल	152544	211198	166638
19.	लक्षद्वीप	–	–	–

1	2	3	4	5
20.	नध्य प्रदेश	189966	228165	191777
21.	महाराष्ट्र	416788	566439	489695
22.	मणिपुर	21362	20812	17008
23.	मेघालय	7005	7658	7806
24.	मिजोरम	22365	22817	18487
25.	नागालैण्ड	7196	8073	8215
26.	ओडिशा	230920	180445	227823
27.	पुदुचेरी	15234	16774	16195
28.	पंजाब	224212	183142	164660
29.	राजस्थान	250920	278810	242252
30.	सिक्किम	1939	2140	2166
31.	तमिलनाडु	228114	254839	183142
32.	त्रिपुरा	24035	22534	14519
33.	उत्तर प्रदेश	317327	353896	326891
34.	उत्तराखंण्ड	61390	81527	63766
35.	पश्चिम बंगाल	542680	539830	344582
	कुल	4565841	5070180	4239187

विवरण-III

क्र.सं.	राज्यों के नाम	देश में कुल संग्रह		
		2010-11	2011-12	2012-13 (दिसम्बर तक)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3185	3199	2836

1	2	3	4	5
2.	आन्ध्र प्रदेश	640308	729843	602042
3.	अरुणाचल प्रदेश	4103	4546	2997
4.	असम	160925	185421	146497
5.	बिहार	116515	131445	109353
6.	चंडीगढ़	77216	77539	50682
7.	छत्तीसगढ़	51824	51109	40437
8.	दादरा और नगर हवेली	4218	5013	4820
9.	दमण और दीव	1153	1165	464
10.	दिल्ली	484536	500435	397313
11.	गोवा	16634	16106	12268
12.	गुजरात	763225	794572	605910
13.	हरियाणा	241728	289331	225920
14.	हिमाचल प्रदेश	21165	27213	20609
15.	जम्मू और कश्मीर	50140	57453	47675
16.	झारखण्ड	108222	116316	93815
17.	कर्नाटक	513857	585073	492979
18.	केरल	299118	372395	258731
19.	लक्षद्वीप	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	308681	355470	245478
21.	महाराष्ट्र	1039520	1325003	873966
22.	मणिपुर	21552	19210	12713
23.	मेघालय	7684	8366	7289

1	2	3	4	5
24.	मिजोरम	22365	22817	16663
25.	नागालैण्ड	7196	8073	7510
26.	ओडिशा	242961	325496	191882
27.	पुदुचेरी	23965	25630	23807
28.	पंजाब	340186	370898	295220
29.	राजस्थान	460456	524222	413131
30.	सिक्किम	3307	3512	3051
31.	तमिलनाडु	685482	711080	497548
32.	त्रिपुरा	24035	22534	14519
33.	उत्तर प्रदेश	695421	753569	627193
34.	उत्तराखंण्ड	69565	84826	63464
35.	पश्चिम बंगाल	799682	823185	518234
	कुल	8309939	8332093	6937231

अनुपूरक पोषण कार्यक्रम की समीक्षा

3166. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) की वर्तमान वितरण प्रणाली की समीक्षा करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एस.एन.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित किए जा रहे वर्तमान खाद्य पदार्थों में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से वर्ष 2009 में आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन कराया। रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर आई.सी.डी.एस. लाभार्थी प्रदायगी रजिस्टर में रिकार्ड बच्चों में 64% बच्चों को पूरक पोषण, प्रतिरक्षण एवं अल्प लाभ प्राप्त हुए। प्रदायगी रजिस्टर में रिकार्ड लगभग 78% महिलाओं (गर्भवती एवं धात्री) तथा 42% किशोरियों ने वास्तव में पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किए है।

(ग) और (घ) आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत पूरक पोषण मुख्यत: संस्वीकृत आहारीय भत्ता और लिए गए औसत आहार में अंतर को पूरा करने के लिए बनाया गया तथा घर पर बच्चों

को दिए जाने वाले किसी भोजन का विकल्प नहीं है। आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत लाभार्थी को भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.02.2009 को जारी किए गए और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 22.04.2009 के अपने आदेश के माध्यम से समर्थित पोषण संबंधि दिशानिर्देशों के अनुसार पूरक पोषण दिया जाता है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले भोजन की किस्म और आहार (पोषण मानक) निम्नानुसार हैं:

आयु समूह	भोजन की किस्म	कैलोरीज (के.कैल)	प्रोटीन (ग्रा.)
6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	सूक्ष्म पोषक तत्वों से संपुष्टीकृत आहार और/अथवा सघन ऊर्जा आहार के रूप में घर ले जाने वाला राशन	500	12-15
गंभीर रूप से अल्पवज़नी बच्चे	बच्चे को थोड़े-थोड़े अंतराल में घर ले जाने वाला राशन	800	20-25
3 से 6 वर्ष के बच्चे	1. सुबह का नाश्ता	500	12-15
	2. पका हुआ गर्म भोजन		
गंभीर रूप से अल्पवज़नी बच्चे	1. सुबह का नास्ता		
	2. पका हुआ गर्म भोजन		
	3. सूक्ष्म पोषक तत्वों से संपुष्टीकृत आहार और/अथवा सघन ऊर्जा आहार के रूप में घर ले जाने वाला राशन	800	20-25
गर्भवती और धात्री माताएं	घर ले जाने वाला राशन	600	18-20

भारत सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित किए जाने वाली खाद्य मदों को निर्धारित नहीं करती है। दिशानिर्देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, राज्य, विशेषज्ञों की राय से स्थानीय वरीयतओं, उपलब्धता आदि के अनुसार नुस्खे विकसित कर पूरक पोषण प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

एन.पी.एस. से प्राप्त लाभ

3167. श्री यशवीर सिंह :
श्री एन. पीताम्बर कुरुप :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नयी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के प्रारंभ से ही प्राधिकृत राशि प्रबंधकों द्वारा निवेशित एन.पी.एस. राशि एवं उनसे प्राप्त लाभ (परिणाम) वर्ष-वार क्या हैं;

(ख) क्या राशि प्रबंधक वांछित परिणाम प्राप्त करने में असफल रहे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एन.पी.एस. को केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए लाभकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रस्तावित कदम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) अन्तरिम पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 28 फरवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.), यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यू.टी.आई.) तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) द्वारा आरंभ से अब तक प्रबंधित की गई नई पेंशन प्रणाली (एन.पी.सी.) निधि तथा उसके लाभ का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

पेंशन निधि प्रबंधक	एनपीएस योजना	एयूएम 28 फरवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार (राशि (करोड़ रु.)	निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) 31 मार्च, 2010	आरंभ से अब तक लाभ वित्तीय वर्ष 2009-10	निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) 31 मार्च, 2011	आरंभ से अब तक लाभ वित्तीय वर्ष 2010-11	निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) 31 मार्च, 2012	आरंभ से अब तक लाभ वित्तीय वर्ष 2011-12
एस.बी.आई. पेंशन फंड प्रा.लि.	केन्द्र सरकार	6589.74	12.77	13.04%	13.80	11.35%	14.60	9.94%
	राज्य सरकार	3503.89	10.63	8.35%	11.68	9.21%	12.47	8.34%
यू.टी.आई. रिटायरमेंट सॉल्यून्स लिमिटेड	केन्द्र सरकार	5671.52	12.33	11.07%	13.37	10.19%	14.11	9.00%
	राज्य सरकार	3244.80	10.59	7.81%	11.79	9.79%	12.50	8.42%
एल.आई.सी. पेंशन फंड लिमिटेड	केन्द्र सरकार	4616.52	12.35	11.14%	13.37	10.19%	14.15	9.07%
	राज्य सरकार	3230.10	10.60	7.93%	11.74	9.53%	12.52	8.49%

(ख) जी, नहीं। एन.पी.एस. निधि प्रबंधकों से आशानुकूल वृद्धि के अनुरूप परिणाम प्राप्त हुए हैं। 2 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, 44.93 लाख अभिदाताओं के संबंध में सभी निधि प्रबंधकों द्वारा प्रबंध की जा रही परिसंपत्ति 28,493 करोड़ रुपये थी।

(ग) 1. एन.पी.एस. को आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर लाभ के तहत शामिल किया गया है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत लाभ निम्नानुसार है:-

(i) एन.पी.एस. (टीयर-) को ''ई.ई.टी.'' कर प्रबंधन प्रदान किया गया है।

(ii) एक अभिदाता का टीयर-। में अपने वेतन (मूल+महंगाई भत्ता) के 10% अंशदान को 80 सी.सी.ई. के अंतर्गत 1.00 लाख रू. की अधिकतम सीमा के तहत 80 सी.सी.डी. के अन्तर्गत आयकर से छूट प्राप्त है। इसके अलावा, नियोक्ता का 10% (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) तक का अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80 सी.सी.डी. (2) के अन्तर्गत कर्मचारी के संबंध में छूट प्राप्त है। यह छूट 1.00 लाख रूपये की सीमा से अलग है, इस प्रकार एन.पी.एस. कर के इस प्रावधान के लिए एकमात्र विकल्प है।

(iii) एन.पी.एस. न्यास को वित्त अधिनियम, 2004 (सं. 2) की धारा 10 (44), धारा 115-ण, धारा 197क तथा अध्याय 7 के उपबंध के संदर्भ में पूर्ण पारवहन प्रदान किया गया है ताकि संग्रहण के स्तर पर कोई कर भार न पड़े।

(iv) एन.पी.एस. से बाहर निकल कर वार्षिकी खरीदने पर उस संबंध में कर छूट प्राप्त है, तथापि, इससे बाहर निकलने पर एकमुश्त भुगतान तथा पेंशन से आय को कर से छूट नहीं प्राप्त है।

2. प्रस्तावित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) विधेयक, 2011 में एक प्रावधान किया गया है कि इसमें अभिदाता को अपनी 100% निधि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का विकल्प होगा और उन्हें अपनी निधि ऐसी योजनाओं में भी निवेश करने का विकल्प होगा जिनमें न्यूनतम सुनिश्चित लाभ प्राप्त हो।

[अनुवाद]

एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण के लिए अनुदान

3168. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री कमल किशोर 'कमांडो' :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में एच.आई.वी./एड्स के निवारण एवं नियंत्रण में लगे कुछेक गैर-सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है एवं तत्संबंधी कारण सहित मंजूर एवं लंबित प्रस्ताव कितने हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन संगठनों को प्रदत्त अनुदानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन गैर-सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों के कार्य एवं प्रदर्शन की निगरानी की है/मूल्यांकन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या हैं; और

(ङ) देश में आम जनता में एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) और (ख) एड्स नियंत्रण विभाग द्वारा एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटीज (एस.ए.सी.एस.) को अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटीज एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आगे गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.)/स्वैच्छिक संगठनों (वी.ओ.) को निधियां जारी करती हैं।

तथापि, एड्स नियंत्रण विभाग ने एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कुछ गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.)/स्वैच्छिक संगठनों (वी.ओ.) को प्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्रदान किया है। इस संबंध में गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में अनुमोदित तथा इसके कारणों सहित लंबित तथा प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2013 तक) के दौरान गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.)/स्वैच्छिक संगठनों (वी.ओ.) को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किए गए अनुदानों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) एड्स नियंत्रण विभाग द्वारा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी को प्रदान किए गए अनुदानों के लिए एक सुदृढ़ निगरानी और निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की गई है। राज्य एड्स नियंत्रण, सोसाइटीज और तकनीकी सहायता इकाई द्वारा इन गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.)/स्वैच्छिक संगठनों (वी.ओ.) की भी निगरानी की जाती है। राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटीज द्वारा आयोजित बाह्य मूल्यांकन के जरिए ऐसे गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.)/स्वैच्छिक संगठनों (वी.ओ.) के कार्य निष्पादन का भी मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.)/स्वैच्छिक संगठनों (वी.ओ.) को वित्तीय लेखा परीक्षा राज्य

एड्स नियंत्रण सोसाइटीज द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के जरिए की जाएगी। ऐसे निष्पादन मूल्यांकन और वित्तीय लेखा परीक्षा का विस्तृत परिणाम राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटीज के पास उपलब्ध है।

एड्स नियंत्रण विभाग द्वारा गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.)/स्वैच्छिक संगठनों (वी.ओ.) को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जा रही अनुदानों के लिए एड्स नियंत्रण विभाग राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटीज को अनुदान गतिविधियों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में निगरानी करने का निदेश देता है।

(ड.) एड्स नियंत्रण विभाग ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) के तहत एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता का सृजन करने तथा सुरक्षित बर्ताव को बढ़ावा देने के लिए एक संचार रणनीति विकसित की है। बाह्य मीडिया की सहायता से विज्ञापन-बोर्ड बस पैनेल, टेलीफोन सूचना, लोक संगीत अभियान और प्रदार्शनी वैन जैसे मास मीडिया अभियान नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। अन्तर-वैयक्तिक स्तर पर स्वयं सहायता समूहों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा, पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों तथा अन्य मुख्य पणधारकों के लिए प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

लक्षित हस्तक्षेप (टी.आई.) परियोजनाओं के भाग के रूप में क्रियान्वित बर्ताव परिवर्तन संचार के जरिए विशेष रूप से पेशेवर यौन कर्मियों (सी.एस.डब्ल्यू.), समलैंगिक पुरूषों (एम.एस.एम.), इंजेक्टिंग ड्रग उपयोगकर्ता (आई.डी.यू.) तथा ट्रक चालकों और प्रवासियों सहित उच्च जोखिमसमूहों की अति संवेदनशीलताओं को दूर किया जाता है। इसके अलावा, समेकित परामर्श और परीक्षण केन्द्र (आई.सी.आई.सी.), एस.टी.आई. क्लिनिकों और पूर्वव्यापी विषाणु निषेध उपचार (ए.आर.टी.) केन्द्रों में परामर्श देने का प्रावधान है तथा उनके पास आने वाले रोगियों को आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है। एन.ए.सी.ओ. ने भी बाह्य गतिविधियों से सहायता प्राप्त विशेष प्रदर्शन रेलगाड़ी के माध्यम से पूरे देश में एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता सृजन करने के लिए 2007-08 और 2009-10 में रेड रिब्बन एक्सप्रेस परियोजना के दो चरण आरंभ किए हैं। आर.आर.ई. का तीसरा चरण 12.01.2012 को आरंभ हुआ जो 1.14 करोड़ लोगों तक पहुंचने के बाद 12.01.2013 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

विवरण-I

एड्स नियंत्रण विभाग

एन.जी.ओ./वी.ओ. को एड्स नियंत्रण विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुदान हेतु प्राप्त प्रस्ताव

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्राप्त प्रस्तावों की सं.	21	23	12	10
अनुमोदित	3	2	1	1
एड्स नियंत्रण विभाग में लंबित	शून्य परियोजना प्रस्तावों को राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीज को अग्रेषित कर दिया गया	शून्य परियोजना प्रस्तावों को राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीज सोसायटीज को अग्रेषित कर दिया गया	शून्य परियोजना प्रस्तावों को राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीज सोसायटीज को अग्रेषित कर दिया गया	शून्य परियोजना प्रस्तावों को राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीज को अग्रेषित कर दिया गया

विवरण-II

एन.जी.ओ./वी.ओ. को एड्स नियंत्रण विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्रत्यक्ष अनुदान

क्र.सं.	वर्ष	प्रदान किए गए अनुदानों की संख्या	प्रदान किए गए अनुदानों की कुल राशि (लाख रूपए)
1.	2009-10	5	2498.28
2.	2010-11	4	3390.3
3.	2011-12	3	1717.41
4.	2012-13*	1	0.5

*फरवरी, 2012 तक।

[हिन्दी]

मोबाइल मेडिकल टीम

3169. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छह वर्ष की आयु तक के बच्चों के परीक्षण एवं उपचार के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य जांच संबंधी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) और शीघ्र हस्तक्षेप सेवा आरंभ की है। इस कार्यक्रम में 6 साल की आयु के बच्चों सहित 0-18 साल के आयु समूह के बच्चों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

- बाल स्वास्थ्य जांच सेवाएं प्रत्येक प्रखंड में तैनात किए गए समर्पित चल स्वास्थ्य दलों के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। प्रखंड स्तरीय समर्पित चल चिकित्सा स्वास्थ्य दलों प्रशिक्षित चिकित्सा और परा-चिकित्सक शामिल होंगे।

- ये दल कक्षा 1 से कक्षा 2 तक सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों की जांच के अलावा आंगनवाड़ी केन्द्रों में 0-6 साल की आयु सीमा के बच्चों की जांच करेंगें।

- आशा द्वारा नवजात शिशुओं की उन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में तथा घर-घर जाकर जन्म दोषों की जांच की जाएगी जहां प्रसव कराए जाते हैं।

- 0 से 18 साल की आयु सीमा में लगभग 27 करोड़ बच्चों को चरणबद्ध रूप से शामिल किए जाने की आशा है।

(ख) और (ग)

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) के उद्देश्य अशक्तता और अनुवर्ती प्रबंधन सहित जन्म के समय दोषों, रोग, कमी विकास में विलंब का शीघ्र पता लगाकर 0 से 18 साल की आयु समूह के बच्चों में उत्तरजीविता विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है:

- आर.बी.एस.के. में शीघ्र पहचान तथा नि:शुल्क हस्तक्षेप तथा उपचार के लिए बच्चों में व्याप्त 30 सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों को शामिल करने की संकल्पना की गई है।

- प्रखंडों से भेजे गए मामलों के प्रबंधन के लिए तथा आवश्यकता होने पर आगे प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों में भेजने के लिए जिला स्तर पर जिला शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्रों का प्रावधान किया गया है।
- महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई मौजूदा सेवाओं का भी इच्छानुसार उपयोग किया जाएगा।
- सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र वित्त वर्ष 2013-14 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संबद्ध वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में आर.बी.एस.के. के कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव कर रहे है।

[अनुवाद]

बच्चों में जन्मता विकृति-रोग

3170. **श्री रूद्रमाधव राय :**
श्री नवीन जिन्दल :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जन्म से दोष, रोगों, कमियों, आदि के मामले बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जन्म से दोष, आदि मामलों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु व रूग्णता के महत्वपूर्ण कारणों में जन्म दोष, रोग, अल्पता एवं विकलांगताएं शामिल है। वैश्विक अनुमानों के अनुसार छह प्रतिशत बच्चे जन्म दोषें के साथ जन्म लेते हैं।

(ख) से (घ) इन विकारों के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचना केन्द्रीय स्तर पर एकत्र नहीं की जा रही है। इस संबंध में देश में संचालित किए गए कोई समुदाय आधारित अध्ययन नहीं है।

(ङ) इस संबंध में सुधात्मक कदम :

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत शुरू में ही रोगों का पता लगाने व निःशुल्क उपचार के लिए बच्चों में आमतौर पर प्रचलित 30 स्वास्थ्य स्थितियों को कवर करने हेतु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बाल स्वास्थ्य जांच तथा शुरू में ही उपचार सेवाएं शुरू की है:
- 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में अनुमानतः 27 करोड़ बच्चों को चरण वार ढ़ग से कवर किए जाने की आशा है।
- खंडों से भेजे गए रोगियों के उपचार तथा इससे आगे आवश्यकता की स्थिति में तृतीय स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भेजने हेतु जिला स्तर पर जिला प्रारंभिक उपचार केन्द्रों की व्यवस्था है।
- महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता व शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विद्यमान सेवाओं का भी इष्टतम उपयोग किया जाएगा।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्य की सेवाएं क्षेत्र विशिष्ट सेवाओं के भावी नियोजन के लिए बच्चों के विभिन्न रोगों के बारे में देश-व्यापी जानपदिक रोग विज्ञानीय आंकड़े भी प्रदान करेंगी।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य बीमा योजना

3171. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बारे में कम जागरुकता स्तर पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कार्यरत जनरल इंश्योरेन्स कंपनियों द्वारा चलायी जा रही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों की कंपनी-वार एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम क्या हैं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा सूचित किए गए अनुसार, आई.आर.डी.ए. की ओर से, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के द्वारा किए गए एक अध्ययन और 29 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में फैले 30,200 उत्तरदाताओं के सर्वेक्षण के आधार पर स्वास्थ्य बीमा के संबंध में यह सूचित किया गया है कि जागरुकता का स्तर काफी कम रहा है क्योंकि इस बीमा उत्पाद के बारे में केवल 54% परिवारों ने ही सुना।

(ख) बीमा बेमिसाल अभियान ब्रांड के नाम से ग्राहक शिक्षा के अपने बहु आयामी दृष्टिकोण के भाग के रूप में ग्राहक जागरूकता में वृद्धि करने के लिए इरडा नी नीचे दिए गए अनुसार विभिन्न कदम उठाए है:

1. स्वास्थ्य बीमा विषय पर उपभोक्ता निकायों के माध्यम से उपभोक्ता जागरुकता सेमिनारों का आयोजन
2. स्वास्थ्य बीमा और सुवाह्यता संबंधी पोस्टरों का मुद्रण
3. स्वास्थ्य बीमा सहित कॉमिक-सीरीज का प्रकाशन
5. कॉमिक सीरीज का एनीमेशन फिल्म
6. उपभोक्ता जागरूकता वेबसाइट www.policyholder.gov.in शुरु करना है।

(ग) इरडा के अनुसार, राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार सूचना उपलब्ध नहीं है, तथापि, गत तीन वर्षों के लिए स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर किए गए व्यक्तियों की संख्या का कंपनी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कार्य बल का 85% असंगठित क्षेत्र में लगा हुआ है, भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों और गरीब कामगारों को स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, दिनांक 08.03.2013 की स्थिति के अनुसार, सक्रिय स्मार्ट कार्डों के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत कवरेज 3, 41, 73, 475 है।

विवरण

इरडा

000' में स्वस्थ्य बीमा पॉलिसी में शामिल व्यक्तियों की संख्या

कंपनी का नाम	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4
नेशनल	14677	23963	27555
न्यू इंडिया	6681	8164	12264
ओरियन्टल	5622	11945	17725
यूनाईटेड इंडिया	10414	23190	25377
सार्वजनिक योग	37394	67263	82921
स्टार हैल्थ	132410	129038	78073
मैक्स बुपा	0	47	215
अपोलो म्यूनिक	383	897	3119

1	2	3	4
बजाज एलियान्ज	668	1022	1376
भारती अक्सा	153	21203	515
कोलामस	4053	6781	10887
फ्यूचर जेनरली	358	346	245
एच.डी.एफ.सी. एरगो	1010	1516	1162
आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड	11434	18320	26713
इफको टोकियो	47	1744	19997
एलएंडटी जनरल	0	0	196
रहेजा क्यू.बी.ई.	0	0	0
रिलायन्स	1177	908	3126
रॉयल सुंदरम	1469	3466	6274
एस.बी.आई. जनरल	0	0	4
श्रीराम जनरल	0	0	0
टाटा ए.आई.जी.	984	804	3288
यूनिवर्सल	161	187	285
निजी योग	154307	186278	155474
कुल योग	191701	253541	238395

विदेशों में जमा काला धन

3172. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

श्रीमती रमा देवी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश स्थित बैंकों में काला धन जमा करने वालों के नामों के खुलासे की मांग करने वाले कोई आंदोलन देश में किए गए/किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या किसी बैंक ने उन 700 व्यक्तियों के नामों का खुलासा कर दिया है जिन्होंने अपना धन विदेश में जमा कर रखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ऐसे जमाकर्ताओं ने बैंकों से अपना धन निकाल लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित सुधारात्मक कदम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) सरकार के पास जनता के ऐसे अनेक अभ्यावेदन आ रहे हैं जिनमें विदेश स्थित बैंकों में काला धन जमा करवाने वालो के नाम का खुलासा की मांग की गई है।

(ख) चूंकि विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना, दोहरा कराधान परिहार समझौता (डी.टी.ए.ए.) एवं कर सूचना विनिमय समझौता (टी.आई.ई.एस.) के अंतर्गत आती है, अत: भारत सरकार संबंधित समझौतों के प्रावधानों के विरुद्ध जाकर इस तरह की सूचना का खुलासा नहीं कर सकती है। इसके अलावा, भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बैंक खातों में जमा किए गए धन जिसके संबंध में कोई सूचना उपलब्ध हो सकती है, को अप्रकट सम्पत्ति/आय कहा जा सकता है तथा जांच की समाप्ति एवं कर-निर्धारण सहित कानून की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही ऐसी संस्थाओं को काला धन जमाकर्ता कहा जा सकता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(छ) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सरकान ने बहु-स्तरीय रणनीति के तहत विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें समुचित विधायी ढ़ांचे का सृजन; अवैध निधियों से निपटने हेतु संस्थाओं की स्थापना; कार्यान्वयन हेतु तंत्र का विकास; कारगर कार्रवाई के लिए जनशक्ति को कौशल प्रदान करना और कालेधन के खिलाफ वैश्विक अभियान में सम्मिलित होना शामिल है। इस संबंध में वित्त अधिनियम, 2012 के माध्यम से किए गए विधायी उपायों में देश के बाहर धारित परिसम्पत्तियों (बैंक खातों सहित) की सूचना देने की अपेक्षा; देश के बाहर रखी गइ्र अप्रकट परिसंपत्तियों (बैंक खातों सहित) पर कर लगाने के लिए 16 वर्षों तक के कर-निर्धारण को पुनः खोलने; तलाशी के मामलों में दंड के प्रावधानों को सुदृढ़ करने; कतिपय अत्यधिक असुरक्षित मदों/क्षेत्रों को शामिल करने हेतु स्रोत पर कर संग्रहण (टी.सी.एस.) के दायरे को बढ़ानें के प्रावधान शामिल हैं। भारत सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित अनुच्छेद के दायरे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक लाने के लिए अपने दोहरे कराधान परिहार करारों (डी.टी.ए.ए.) पर अन्य देशों के साथ पुनर्वात्र्ा कर रहा है, और सूचना के आदान-प्रदान में सहायता करने एवं कर पारदर्शिता लाने के अपने प्रयासों में कई अन्य देशों के साथ नए डी.टी.ए.ए. पर हस्ताक्षर करके और कई कर क्षेत्राधिकारों के साथ कर सूचना विनिमय करार (टी. आई.ई.ए.) करके अपने संधि नेटवर्क का भी विस्तार कर रहा है। यह 2012 में कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर बहुपक्षीय अभिसमय का भी सदस्य बन गया है। विभाग के आसूचना संग्रहण तंत्र को सुधारने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों से सरकार, कर अपवंचन के संकट का बेहतर तरीके से सामना करने में कामयाब हुई है।

[अनुवाद]

व्यापार घाटा

3173. श्री आनंदराव अडसुल :

श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

श्री गजानन ध. बाबर :

श्री जोस के. मणि :

श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारत के बढ़ते व्यापार घाटे के बारे में चेतावनी दी है तथा वैश्विक हलचलों के प्रति इसकी संवेदनशीलता के बारे में भी कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के बढ़ते व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) व्यापार घाटे को पाटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज ने 18 फरवरी, 2013 को ''इंडियाज़ वाइडनिंग ट्रेड डिफिसिट इज क्रेडिट नेगेटिव, रेजिंग एक्सटर्नल वल्नेबिलिटी'' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत में व्यापार घाटे से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई है।

सरकार ने लेख में व्यक्त विचारों को नोट किया है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों में आयात, निर्यात और व्यापार संतुलन के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

2010-11 के तुलना में 2011-12 के दौरान उच्चतर व्यापार घाटे का मुख्य कारण साधारण निर्यात वृद्धि (21.3 प्रतिशत) और उच्च आयात वृद्धि (32.3 प्रतिशत) थी।

2011-12 के दौरान, वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण निर्यात वृद्धि में कमी आई। इस वर्ष के दौरान उच्च आयात वृद्धि निम्नलिखित घटकों के कारण थी:

(i) कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में वृद्धि : पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पी.ओ.एल.) आयात 46.2 प्रतिशत की वृद्धि के चलते भारत के कुल आयातों का लगभग 32 प्रतिशत हिस्सा रहे; और

(ii) सोने और चांदी के मूल्यों में वृद्धि : सोने और चांदी के आयात का मूल्य 2009-10 के 29.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2011-12 में 61.5 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। सोने और चांदी के आयात का भाग जो 2005-06 से 2008-09 तक भारत के कुल आयात का लगभग 7.5 प्रतिशत था, बढ़कर 2010-11 में 11.5 प्रतिशत हो गया। 2011-12 में, यह 44.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारत के कुल आयात का 12.6 प्रतिशत हिस्सा था।

(ङ) सरकार ने, समय-समय पर, निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से कई व्यापार नीति संबंधी उपायों की घोषणा की है।

इन उपायों में शामिल हैं-विदेश व्यापार नीति संबंधी उपाय जैसे आधार अवधि जनवरी-मार्च, 2012 की तुलना में जनवरी-मार्च, 2013 की अवधि में किए गए वृद्धिशील निर्यातों पर प्रोत्साहन देना, शून्य शुल्क निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ई.पी.सी.जी.) योजना को 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाना तथा इसके कार्यक्षेत्र को विस्तृत करना, आदि। इसके अतिरिक्त, सोने और प्लैटिनम पर सीमा शुल्क में वृद्धि, गोल्ड ई.टी.एफ. (एक्सचेंज व्यापारित फंड) से संपर्क करने हेतु गोल्ड जमा योजना में सुधार जैसे कुछ अन्य उपायों से आशा है कि देश में आयातित सोने की मात्रा कम हो पाएगी। आशा है कि इन सभी उपायों से व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी।

इस संबंध में, सरकार द्वारा घोषित कुछ महत्वपूर्ण व्यापार नीति संबंधी उपायों का उल्लेख आर्थिक समीक्षा 2012-13 के पृष्ठ 164-166 पर किया गया है, जो http://indiabudget.nic.in/es2012-13/echap-07.pdf पर उपलब्ध हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में व्यापार संतुलन के आंकड़े

(राशि मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	वर्ष	निर्यात	%वृद्धि	आयात	%वृद्धि	व्यापार संतुलन
1.	2009-2010	178,751	-3.53	288,373	-5.05	-109,621
2.	2010-2011	251,136	40.49	369,769	28.23	-118,633
3.	2011-12 (अ)	304,624	21.30	489,181	32.29	-184,558
4.	2012-13 (अप्रैल-फरवरी) (अ)	265,946	-4.03	448,037	0.25	-182,090

आंकड़े स्रोत : डी.जी.सी.आई.एस., कोलकाता, अ : अनंतिम

[हिन्दी]

रेटिंग एजेंसियां

3174. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेटिंग एजेंसियों को अपने उपभोक्ताओं को क्रेडिट रेटिंग एवं अनुसंधान से इतर शुल्क आधारित सेवा उपलब्ध कराने से दूर रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी एजेंसी ने इसका विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियम, 1999 के अनुसार, क्रेडिट रेटिंग एजंसी (सी.आर.ए.) क्रेडिट रेटिंग और शोध के अलावा शुल्क आधारित सेवाओं की पेशकश रेटिंग कंपनियों को नहीं करेगी।

इसके अलावा, सेबी के दिशानिर्देशों में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से वार्षिक प्रकटन की अपेक्षा की गई है:

(क) रेटिंग-सेवाओं और नॉनरेटिंग सेवाओं से इसकी कुल प्राप्तियां;

(ख) सी.आर.ए. और उसकी अनुषंगी कंपनी को निर्गमकर्ता से प्राप्त कुल राजस्व और उसके संदर्भ में सी.आर.ए. एवं उसकी कंपनी की नॉन-रेटिंग आय का निर्गमकर्ता-वार प्रतिशत हिस्सा; और

(ग) रेटिड निर्गमकर्ताओं के नाम जो अपने सहयोगियों के साथ रेटिंग एजेंसी और इसकी अनुषंगी कंपनियों के कुल राजस्व में 10 प्रतिशत या इससे अधिक का अंशदान करते हैं।

उक्त उपबंध किसी प्रकार के हित-टकराव से बचने और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी संबंधी कार्यकलाप और अन्य कार्यों में दूरी सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं।

(ग) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उक्त दिशानिर्देशों का विरोध नहीं किया है।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वेक्टर जन्य रोग

3175. श्री नित्यानंद प्रधान :
श्री अजय कुमार :
श्रीमती जयश्रीबेन पेटल :
श्री कमलेश पासवान :
श्री भूपेन्द्र सिंह :
श्री पन्ना लाल पुनिया :
योगी आदित्यनाथ :
श्री जोसेफ टोप्पो :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में वेक्टर जन्य रोगों अर्थात डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एवं जापानी बुखार की बहुत व्याप्ति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान प्रभावित लोगों एवं इनसे मृत लोगों की रोग एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वेक्टर जन्य रोगों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध करायी गया वित्तीय एवं तकनीकी सहायता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उक्त अवधि के दौरान उन पर सरकार द्वारा की गयी/प्रस्तावित कार्रवाई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या है; और

(ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन वेक्टर जन्य रोगों की पुनरावृत्ति रोकने तथा इस उद्देश्य के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्धित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनायी गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान वेक्टर-जनित रोगों के संबंध में सूचित मामलों तथा मौतों में वृद्धि अथवा कमी का विविध पैटर्न रहा है। चालू वर्ष और विगत तीन वर्षों के दौरान वेक्टर-जनित रोगों के संबंध में सूचित मामलों तथा मौतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IV में दिया गया है। सूचित मामले और मौतें अन्य बातों के साथ-साथ मौसमी तथा पर्यावरणिक स्थितियों,

वेक्टर की तीव्रता और रोग निगरानी, मानव निर्मित कारकों, वेक्टर नियंत्रण उपायों में सामुदायिक सहभागिता इत्यादि पर निर्भर करती है।

(ग) भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन. आर.एच.एम.) के संरक्षण में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी.डी.सी.पी.) क्रियान्वित कर रही है। राज्यों को दिशानिर्देशों, प्रशिक्षण, अतिरिक्त मानव संसाधनों तथा फील्ड दौरों के दौरान मार्गदर्शन के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। एन.बी.वी.डी.सी.पी. के दौरान डी.डी.टी., एल. एल.आई.एन. और औषधों की सामुदायिक सहायता प्रदान की जाती है। कार्यक्रम की गतिविधियों के क्रियान्वयन और कतिपय औषधों निदानों, लार्वानाशकों तथा कीटनाशकों इत्यादि के प्रापण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-V में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के संरक्षण में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन. वी.बी.डी.सी.पी.) क्रियान्वित किया जाता है। राज्य प्रतिवर्ष अपनी पी.आई.पी. (परियोजना कार्यान्वयन योजना) प्रस्तुत करते हैं जिसका मंत्रालय में मूल्यांकन किया जाता है। तथा पश्चात निधियां आबंटित की जाती है।

(ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए ध्यान देने वाले क्षेत्र एकीकृत वेक्टर प्रबंधन सहित मामलों का शीघ्र निदान और पूरा उपचार, आंतरिक अवशिष्ट छिड़काव लार्वारोधी उपाय (जैव-लार्वानाशी और लार्वीवोरस मछली का इस्तेमाल) दीर्घ समय तक चलने वाली कीटनाशी मच्छरदानियों का संवर्द्धन, डेंगू और जापानी एंसेफालाइटिस के लिए इलिसा आधारित एन.एस. 1 नैदानिक जांच शुरू करना, लोक स्वास्थ्य उपायों, टीकाकरण, सुरक्षित पेय जलापूर्ति का सुदृढ़ीकरण, जिला स्तर पर बाल चिकित्सा गहन परिचर्या एकक (आई.सी.यू.) की स्थापना और शारीरिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास (पी.एम.आर.) सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण हैं।

विवरण-I

विगत तीन वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान मलेरिया के कारण होने वाले मामलों और मौतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010		2011		2012 (अंनतिम)		2013 (6 मार्च तक अनंतिम)	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	33393	20	34949	5	24025	2	1100	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	17944	103	13950	17	6257	5	0	0
3.	असम	68353	36	47397	45	30945	13	603	0
4.	विहार	1908	1	2643	0	2419	0	79	0
5.	छत्तीसगढ़	152209	47	1 36899	42	112419	89	5982	2
6.	गोवा	2368	1	1187	3	1714	0	84	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुजरात	66501	71	89764	127	71480	19	949	0
8.	हरियाणा	18921	0	33401	1	23727	1	27	0
9.	हिमाचल प्रदेश	210	0	247	0	220	0	1	0
10.	जम्मू और कश्मीर	802	0	1091	0	859	0	12	0
11.	झारखण्ड	199842	16	160653	17	131997	11	4683	0
12.	कर्णाटक	44319	11	24237	0	16618	0	386	0
13.	केरल	2299	7	1993	2	1575	3	58	0
14.	मध्य प्रदेश	87165	31	91851	109	74440	36	435	0
15.	महाराष्ट्र	139198	200	96577	118	58499	95	3268	2
16.	मणिपुर	947	4	714	1	255	0	4	0
17.	मेघालय	41642	87	25143	53	20587	46	538	1
18.	मिज़ोरम	15594	31	8861	30	9905	25	0	0
19.	नागालैण्ड	4959	14	3363	4	2891	1	60	0
20.	ओडिशा	395651	247	308968	99	248948	74	15369	7
21.	पंजाब	3477	0	2693	3	1697	0	6	0
22.	राजस्थान	50963	26	54294	45	38137	19	150	0
23.	सिक्किम	49	0	51	0	77	0	2	0
24.	तमिलनाडु	17086	3	22171	0	15940	0	781	0
25.	त्रिपुरा	23939	15	14417	12	11345	7	110	0
26.	उत्तराखंड	1672	0	1277	1	1935	0	12	0
27.	उत्तर प्रदेश	64606	0	56968	0	46568	0	490	0
28.	पश्चिम बंगाल	134795	47	66368	19	55733	29	591	1
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	2484	0	1918	0	1551	0	109	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	चण्डीगढ़	351	0	582	0	225	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	5703	0	5150	0	5059	1	83	0
32.	दमन और दीव	204	0	262	0	186	0	3	0
33.	दिल्ली	251	0	413	0	382	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	6	0	8	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	175	0	196	1	114	0	3	0
	कुल	1599986	1018	1310656	754	1018729	476	35978	13

विवरण-II

विगत तीन वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान डेंगू के कारण होने वाले मामलों और मौतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010		2011		2012 (अंनतिम)		2013 (28 फरवरी तक अनंतिम)	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	776	3	1209	6	2299	2	73	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	346	0		
3.	असम	237	2	0	0	1058	5		
4.	बिहार	510	0	21	0	872	3	1	0
5.	छत्तीसगढ़	4	0	313	11	45	0		
6.	गोवा	242	0	26	2	39	2	9	9
7.	गुजरात	2568	1	1693	9	3067	5	77	0
8.	हरियाणा	866	20	267	3	768	2	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	3	0	0	0	73	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	3	0	17	1		
11.	झारखण्ड	27	0	36	0	42	0		
12.	कर्णाटक	2285	7	405	5	3924	21	106	0
13.	केरल	2597	17	1304	10	4172	15	476	0
14.	मध्य प्रदेश	175	1	50	0	239	6	0	0
15.	मेघालय	1	0	0	0	11	2		
16.	महाराष्ट्र	1489	5	1138	25	2931	59	151	0
17.	मणिपुर	7	0	220	0	6	0		
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	6	0		
19.	नागालैण्ड	0	0	3	0	0	0		
20.	ओडिशा	29	5	1816	33	2255	6	2	0
21.	पंजाब	4012	156	3921	33	770	9	0	0
22.	राजस्थान	1823	9	1072	4	1295	10	3	0
23.	सिक्किम	0	0	2	0	2	0		
24.	तमिलनाडु	2051	8	2501	9	12264	66		
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	9	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	960	8	155	5	342	4	0	0
27.	उत्तराखंड	178	0	454	5	110	2		
28.	पश्चिम बंगाल	805	1	510	0	6456	11		
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	25	0	6	0	24	0		
30.	चण्डीगढ़	221	0	73	0	351	2	2	0
31.	दिल्ली	6259	8	1131	8	2093	4	4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	दादरा और नगर हवेली	46	0	68	0	156	1	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0	54	0		
34.	पुदुचेरी	96	0	463	3	3506	5	271	0
	कुल	28292	110	18860	169	49602	241	1175	0

1	2	3	4	5	6

विवरण-III

*देश में नैदानिक रूप से संदेहस्पद चिकुनगुनिया के राज्यवार मामले**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010	2011	2012 (अंनतिम)	2013 (28 फरवरी तक अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	116	99	2827	331
2.	बिहार	0	91	34	
3.	गोवा	1429	664	571	148
4.	गुजरात	1709	1042	1317	59
5.	हरियाणा	26	215	9	0
6.	झारखंड	0	816	86	
7.	कर्णाटक	8740	1941	2382	113
8.	केरल	183	66	5	
9.	मध्य प्रदेश	113	280	20	0
10.	मेघालय	16	168	0	
11.	महाराष्ट्र	7431	5113	1544	188
12.	ओडिशा	544	236	129	

1	2	3	4	5	6
13.	पंजाब	1	0	1	0
14.	राजस्थान	1326	608	172	
15.	तमिलनाडु	4319	4194	5018	
16.	उत्तर प्रदेश	5	3	13	0
17.	उत्तराखंड	0	18	0	
18.	पश्चिम बंगाल	20503	4482	1381	
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	59	96	256	
20.	चंडीगढ़	0	1	0	
21.	दिल्ली	120	110	6	
22.	दादरा और नगर हवेली	0	0	100	0
23.	लक्षद्वीप	0	0		
24.	पुदुचेरी	11	42	45	14
	कुल	48176	20402	15977	858

*किसी भी मौत की सूचना नहीं है।

विवरण-IV

2010-2013 के दौरान जेई के कारण सूचित मामलों और मौतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010		2011		2012 (अंनतिम)		2013 (8 मार्च तक अनंतिम)	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	5	4	1	3	0		
2.	असम	142	40	489	113	463	100		
3.	बिहार	–		145	18	8	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	दिल्ली	0	0	9	0	0	0		
5.	गोवा	9	0	1	0	9	0		
6.	हरियाणा	1	0	12	3	3	0		
7.	झारखंड	2	2	101	5	1	0		
8.	कर्नाटक	3	0	23	0	1	0		
9.	केरल	0	0	37	3	2	0		
10.	महाराष्ट्र	0	0	6	0	3	0		
11.	मणिपुर	45	5	9	0	0	0		
12.	नागालैंड	2	0	29	5	0	0		
13.	पंजाब	0	0	0	0	0	0		
14.	तमिलनाडु	11	1	24	3	25	4		
15.	उत्तर प्रदेश	325	59	224	27	139	23	0	0
16.	उत्तराखंड	7	0	0	* 0	1	0		
17.	पश्चिम बंगाल	1	0	101	3	87	13	6	0
	कुल	555	112	1214	181	745	140	6	0

*किसी भी मौत की सूचना नहीं है।

विवरण-V

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वित्तीय सहायता

(लाख रूपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010	2011	2012 (अंनतिम)	2013 (28.02.2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1048.06	1159.24	3457 42	542.33

1	2	3	4	5	6
2.	अरूणाचल प्रदेश	963.24	88069	1526.82	48455
3.	असम	3206.06	4910.03	3774.39	993.43
4.	बिहार	2231.78	4213.38	4891.27	2657.40
5.	छत्तीसगढ़	1922.97	2117 94	4960.09	1594 83
6.	गोवा	35.81	61.08	77.90	90.03
7.	गुजरात	1116.15	267.00	501.34	524.95
8.	हरियाणा	260.46	0.00	138.50	123.11
9.	हिमाचल प्रदेश	9.55	774	16.52	19.80
10.	जम्मू और कश्मीर	2742	15.54	31.00	41.32
11.	झारखण्ड	1906.27	3586.13	5014.76	1255.17
12.	कर्नाटक	403.41	443.88	63934	367.20
13.	केरल	439.15	305.75	361 18	238.11
14.	मध्य प्रदेश	1813.99	1824.64	3919.85	811.97
15.	महाराष्ट्र	706.37	48754	436.98	731.51
16.	मणिपुर	239.75	602 04	41076	220.18
17.	मेघालय	611.29	1089.04	640.12	418.26
18.	मिज़ोरम	627.12	774.11	702.31	492.19
19.	नागालैण्ड	675.57	1287.91	997.73	566.58
20.	ओडिशा	5360.88	4324.05	7894.82	612.54
21.	पंजाब	254.69	98.07	127.38	130.22
22.	राजस्थान	1262.96	131026	1342.52	1263.84
23.	सिक्किम	11.83	137 71	22.60	32.60
24.	तमिलनाडु	681.58	372.50	341 41	126.00

1	2	3	4	5	6
25.	त्रिपुरा	765.15	1430.54	401.82	
26.	उत्तराखंड	199987	2730.95	2431 94	48341
27.	उत्तर प्रदेश	56.98	7753	85.00	41.70
28.	पश्चिम बंगाल	1794.54	2964.01	2457.13	758.95
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	61.10	40.88	0.00	0.00
30.	चण्डीगढ़	24.29	36.83	29.31	33.89
31.	दादरा और नगर हवेली	464.05	349.58	459.63	361.80
32.	दमन और दीव	60.02	23.13	34.87	61.77
33.	दिल्ली	43.77	69.60	61.09	73.65
34.	लक्षद्वीप	27.91	31.70	51.94	38.91
35.	पुदुचेरी	2.32	1980	11.40	27.78
	कुल	31116.36	38050.82	48251.14	18931.54

तेल टैंकरों की दुर्घटनाएं

3176. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में तेल टैंकरों की दुर्घटनाओं एवं उनमें मृत या घायल व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन व्यक्तियों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया जिनकी मृत्यु हो गई या जो इन दुर्घटनाओं में घायल हो गए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एल.पी.जी. एवं अन्य अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पादों के सुरक्षित परिवहन के लिए सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ.आई.एस.डी.) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिसम्बर, 2012 तक), देश में पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.), दोनों के तेल टैंकरों की 283 बड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं। इन दुर्घटनाओं के कारण 367 मौत हुई थीं।

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओ.एम.सीज.) की नीति के अनुसार, सभी सड़क दुर्घटनाओं का बीमा अम्ब्रेला पब्लिक लाइबिलिटी इन्शोरेंस (इंडस्ट्रीयल रिस्क्स) पालिसी के तहत किया जाता है जिसमें किसी एक दुर्घटना के लिए 25 करोड़ रुपए की और किसी एक वर्ष

में 50 करोड़ रुपए की कवरेज होती है। ओ.एम.सीज. सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को या जख्मी हुए व्यक्तियों को सीधे कोई मुआवजा नहीं देती। इस प्रकार वे दुर्घटनाओं के कारण प्रभावित परिवारों को बीमा कम्पनियों द्वारा दिए गए अन्त्य मुआवजे के ब्यौरे नहीं रखतीं।

(घ) एल.पी.जी. और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की सुरक्षित दुलाई के लिए, ओ.एम.सीज. टैंक ट्रक ड्राइवरों और कर्मी दल को प्रशिक्षण दे रहे हैं, वाहनों और उपकरणों की नियमित जांच कर रहे हैं, अचल और मोबाइल प्रेशर वैसल नियमों आदि के कार्यान्वित कर रहे हैं। ओ.आई.एस.डी. ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओ.एम.सीज.) द्वारा कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित मानक विकसित किए हैं:-

i. ओ.आई.एस.डी-एस.टी.डी.-151- डिजाईन, निर्माण और फिटिंग:प्रोपेन टैंक ट्रक।

ii. ओ.आई.एस.डी-आर.पी.-157- थोक पेट्रोलियम उत्पादों की दुलाई के लिए अनुशंसित प्रणाली।

iii. ओ.आई.एस.ड़ी-एस.टी.डी.-159-एल.पी.जी. टैंक ट्रक-डीजाइन/निर्माण और फिटिंगों के संबंध में सुरक्षा की आवश्यकताएं।

iv. ओ.आई.एस.डी-एस.टी.डी.-160-मौजूदा एल.पी.जी. टैंक ट्रकों पर चढ़ाई गई फिटिंगों की सुरक्षा।

v. ओ.आई.एस.डी-जी.डी.एन.-161-एल.पी.जी. टैंक ट्रक दुर्घटनाएं:बचाव और राहत कार्य।

vi. ओ.आई.एस.डी-जी.डी.एन.-165-पी.ओ.एल. टैंक ट्रक दुर्घटनाओं के लिए बचाव और राहत कार्यों के लिए दाशा-निर्देश।

vii. ओ.आई.एस.डी.-आर.पी.-167-पी.ओ.एल. टैंक ट्रक लॉरी डिजाइन और सुरक्षा।

बैंकों की वृद्धि दर

3177. श्री सी. शिवासामी :
श्री एम. कृष्णास्वामी :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष बैंकों की बढ़ती कर्जदायी राशि पिछले वर्ष की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हालिया वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम बढ़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले वर्ष के दौरान क्रेडिट एवं जमा वृद्धि के बीच अंतर का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित सुधारात्मक कदम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) सभी बैंकों के लिए अग्रिमों की वृद्धिशील वृद्धि 8.48% से (मार्च, 2011 के ऊपर दिसम्बर, 2011 की स्थिति तक) 7.29% (मार्च, 2012 के ऊपर दिसम्बर, 2012 की स्थिति तक) तक गिर गई थी। सभी बैंकों की जमा राशियों और अग्रिमों एवं उनकी वृद्धिशील वृद्धि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(रु. करोड में)

वर्ष	जमा राशि	जमा में वृद्धिशील वृद्धि	अग्रिम	अग्रिमों में वृद्धिशील वृद्धि
1	2	3	4	5
मार्च, 2010	45,77,493		32,64,907	
मार्च, 2011	53,91,920	17.79	39,92,145	22.27

1	2	3	4	5
दिसम्बर, 2011	58,03,494	7.63	43,30,857	8.48
मार्च, 2012	61,37,863	13.83	46,66,337	16.89
दिसम्बर, 2012	65,72,534	7.08	50,06,622	7.29

स्रोत: नवीनतम अद्यतन ओ.एस.एम.ओ.एस. आंकड़े।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 25.10.2011 को भारतीय निवासी के बचत बैंक जमा पर ब्याज दर को अविनियमित कर दिया है। बैंक कुछ शर्तों के अधीन अपनी बचत बैंक जमा दर को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अविनियमित व्यवस्था में, जमाकर्ता अपनी जमा राशियों पर उच्च ब्याज दर प्राप्त कर सकते हैं। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋणों को बढ़ावा देने हेतु और खुदरा ऋणों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए आवास एवं कार ऋणों पर फेस्टीवल ऑफर के जरिए विशेष रिबेट की पेशकश की गई है जो दिनांक 31.03.2013 तक प्रभावी रहेगी।

[हिन्दी]

राज्यों को केन्द्रीय ऋण

3178. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :

श्री पी.सी. गद्दीगौदर :

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :

श्री उदय प्रताप सिंह :

श्री महेश्वर हजारी :

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा दिए गए ऋण की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार राशि तथा बकाया राशि कितनी है तथा विलंब, यदि है, तो उसके आज की तिथि तक क्या कारण हैं;

(ख) ऋणों के उद्देश्य एवं ऋणों के उपयोग की वर्तमान राज्य/संघ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है;

(ग) क्या कोई राशि सरकार द्वारा माफ कर दी गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्र एवं राज्यों के बीच केन्द्रीय करों की शुद्ध आवक को साझा करने में अपनाए गए सूत्र को रेलवे, परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी लागू करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए और वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (अनंतिम) के अंत में बकाया ऋणों का वर्ष-वार ब्यौरा सलग्न विवरण-I में दिया गया है। चालू वर्ष 2012-13 (जनवरी, 2013 तक) के दौरान केन्द्र द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8136.03 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं। चूंकि राज्यों की बकाया देनदारियां वर्ष-दर-वर्ष आधार पर संकलित की जाती हैं, नवीनतम उपलब्ध वित्त वर्ष की बकाया देनदारियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनंतिम आंकड़ें तालिका-1 में दिए गए हैं। विलंब की किसी घटना की कोई सूचना नहीं है। निर्धारित प्रयोजनों के लिए ऋणों का उपयोग, राज्य और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के नियंत्रण के अध्यधीन हैं।

(ग) बारहवें वित्त आयोग ने अपनी अधिनिर्णय अवधि 2005-2010 के दौरान कुछ शर्तों के अनुपालन के अध्ययीन राज्यों के लिए ऋण समेकन और राहत सुविधा की सिफारिश

की थी। इस सुविधा में (i) 31.03.2004 तक अनुबंधित और 31.03.2005 को बकाया वित्त मंत्रालय के ऋणों का 7.5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर 20 वर्ष की नई अवधि के लिए समेकन; और (ii) राज्यों के राजकोषीय कार्यनिष्पदन के आधार पर उनके ऋणों की माफी शामिल थी। इस स्कीम के अंतर्गत 1,22,348 करोड़ रुपए के ऋण समेकित किए गए और पात्र राज्यों के 19,726 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए। ऋण समेकन और राहत सुविधा के अंतर्गत प्रदान की गई ऋण माफी का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, ऋण समेकन और राहत सुविधा के अंतर्गत ऋण माफी का लाभ अब किसी राज्य के लिए जारी नहीं रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्त आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए वित्त मंत्रालय से भिन्न मंत्रालयों द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण जो 2009-10 के अंत में बकाया थे, माफ करने की सिफारिश की है बशर्ते कि राज्य अपने राजकोषीय सुधार एवं अधिनियम बना लिए जाने/संशोधित किए जाने के बाद वर्ष 2011-12 तक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना स्कीमों की 2050.10 करोड़ रुपए की बकाया राशि माफ की गई है। माफ किए गए ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार, संघीय कर राजस्व की हिस्सेदारी का निर्धारण, वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। तेरहवें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार 2010-15 की उसकी अधिनिर्णय अवधि के दौरान राज्यों का हिस्सा, केन्द्रीय करों की विभाज्य निवल आय का 32 प्रतिशत निर्धारित किया गया है और तदनुसार, राज्य सरकारों को वार्षिक अंतरण किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, करों की निवल आय का संघ और राज्यों में विभाजन और ऐसी आय के संबंधित हिस्से का राज्यों के बीच आबंटन, 14वें वित्त आयोग का एक अधिदेश है जिसका अब गठन किया जा चुका है।

विवरण-I

वर्ष के दौरान दी गई और वर्ष के अंत में बकाया राज्य/संघ राज्य-वार ऋण राशि

(करोड़ रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12(अनंतिम)	
	दिए गए ऋण	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण	दिए गए ऋण	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण	दिए गए ऋण	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
आन्ध्र प्रदेश	875.97	14807.91	2243.92	15495.67	2719.01	17253.65
अरूणाचल प्रदेश	0.00	411.7	0.00	384.23	0.00	341.92
असम	39.93	2353.02	15.62	2245.33	30.06	1843.80

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	764.32	7979.38	781.53	8295.4	826.56	8631.83
छत्तीसगढ़	222.55	2323.94	202.76	2391.31	56.74	2279.92
गोवा	21.67	579.22	28.44	581.18	121.40	668.47
गुजरात	86.25	9859.91	159.23	9396.81	187.87	8857.28
हरियाणा	137.09	2052.84	308.27	2237.42	96.19	2171.66
हिमाचल प्रदेश	69.02	986.78	33.80	961	80.18	942.18
जम्मू और कश्मीर	29.18	1832.45	19.21	1755.33	22.71	1624.05
झारखंड	7.47	2201.5	87.71	2149.35	32.53	2027.27
कर्नाटक	680.85	9905.22	1145.19	10517.74	1267.06	11008.81
केरल	562.34	6306.68	361.40	6360.48	407.15	6393.12
मध्य प्रदेश	1344.54	10381.57	1094.48	10959.76	1032.60	11362.12
महाराष्ट्र	752.22	8851.21	819.92	9188.14	376.59	8762.89
मणिपुर	0.08	686.8	.0.03	641.75	0.00	575.60
मेघालय	0.70	312.01	2.37	293.97	10.85	271.68
मिज़ोरम	33.15	377.95	3.87	364.12	26.45	348.47
नागालैंड	0.00	363.28	0.00	342.6	5.10	280.22
ओडिशा	190.35	8276.52	209.46	7628.97	232.76	7261.24
पंजाब	71.40	3289.8	192.93	3297.42	149.50	3226.24
राजस्थान	257.89	7471.73	359.73	7377.65	337.10	7106.84
सिक्किम	0.25	185.96	0.07	175.47	5.81	155.30
तमिलनाडु	1070.62	8358.11	1447.00	9394.41	1179.74	9980.85
त्रिपुरा	3.30	480.2	3.65	441.08	6.73	397.13
उत्तराखंड	31.34	418.64	42.94	435.67	46.40	431.92

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	282.66	19450.97	363.36	18513.96	315.64	17283.12
पश्चिम बंगाल	299.87	12646.86	294.92	12343.64	442.80	12060.08
जोड़ (राज्य)	7835.01	143152.16	10226.75	144169.86	10015.53	143547.66
संघ राज्य क्षेत्र						
दिल्ली	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04
पुदुचेरी	72.00	895.08	72.00	848.66	72.00	804.17
जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	72.00	895.12	72.00	848.70	72.00	804.21

विवरण-II

समेकन (वसूलियों के लिए समायोजन के पश्चात्) के कारण राज्यों को राज्य-वार ऋण राहत और ब्याज राहत

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	ऋण समेकन	2005-06 से 2009-10 ऋण राहत
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	14061.62	2592.47
2.	अरूणाचल प्रदेश	404.16	40.42
3.	असम	2108.19	421.64
4.	बिहार	7698.69	769.86
5.	छत्तीसगढ़	1865.22	466.30
6.	गोवा	404.13	40.41
7.	गुजरात	9437.33	1731.50
8.	हरियाणा	1933.31	290.01
9.	हिमाचल प्रदेश	905.79	117.78
10.	झारखण्ड	2099.10	314.88
11.	जम्मू और कश्मीर	1524.90	0.00
12.	कर्नाटक	7166.50	1433.28
13.	केरल	4176.69	250.26
14.	मध्य प्रदेश	7261.19	1815.30
15.	महाराष्ट्र	6799.41	1359.88
16.	मणिपुर	750.81	150.16
17.	मेघालय	298.07	44.70
18.	मिज़ोरम	258.55	25.85
19.	नागालैण्ड	317.39	31.74
20.	ओडिशा	7637.97	1909.50
21.	पंजाब	3067.75	370.70
22.	राजस्थान	6174.06	926.10

1	2	3	4
23.	सिक्किम	113.45	0.00
24.	तमिलनाडु	5265.57	1316.38
25.	त्रिपुरा	444.96	89.00
26.	उत्तराखंड	261.58	26.16
27.	उत्तर प्रदेश	21278.20	3191.53
28.	पश्चिम बंगाल	8633.50	0.00
	जोड़	122348.09	19725.81

विवरण-III

2011-12 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना स्कीमों के तहत माफ किए गए बकाया ऋण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	माफ किए गए ऋण
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	88.13
2.	अरूणाचल प्रदेश	16.65
3.	असम	306.02
4.	बिहार	24.65
5.	छत्तीसगढ़	26.50
6.	गोवा	6.63
7.	गुजरात	79.89
8.	हरियाणा	35.90
9.	हिमाचल प्रदेश	34.65
10.	जम्मू और कश्मीर	57.06
11.	झारखण्ड	14.59
12.	कर्नाटक	144.89
13.	केरल	51.18
14.	मध्य प्रदेश	97.22
15.	महाराष्ट्र	181.76
16.	मणिपुर	20.56
17.	मेघालय	12.36
18.	मिज़ोरम	27.89
19.	नागालैण्ड	23.16
20.	ओडिशा	177.43
21.	पंजाब	32.68
22.	राजस्थान	139.63
23.	सिक्किम	15.95
24.	तमिलनाडु	107.89
25.	त्रिपुरा	18.44
26.	उत्तर प्रदेश	229.81
27.	उत्तराखंड	28.07
28.	पश्चिम बंगाल	110.55
	कुल	2050.10

मानव दुर्व्यापार के शिकार हुए व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्र

3179. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानव दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं एवं बच्चों के लिए देश में पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया है या सरकार का ऐसा विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) जी, हां। सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की उज्जवला योजना के अंतर्गत मानव अवैध व्यापार के पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए देश में सुरक्षा और पुनर्वास गृहों की स्थापना की है। इन पुनर्वास गृहों को आश्रय और आधारभूत सुविधाओं जैसे भोजन, वस्त्र, चिकित्सीय देखभाल, विधिक सहायता, पीड़ित यदि बच्चा है तो ऐसे मामले में शिक्षा, जैसी आधार भूत सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा पीड़ितों को वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध कराने के लिए आय के सृजन के कार्यकलाप के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में सुरक्षा और पुनर्वास गृहों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उज्जवला योजना के अंतर्गत सुरक्षा और पुनर्वास गृह

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सुरक्षा और पुनर्वास गृह
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	11
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	असम	15
4.	बिहार	1
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	दिल्ली	1
7.	कर्नाटक	26
8.	केरल	3
9.	महाराष्ट्र	16
10.	मणिपुर	6
11.	मध्य प्रदेश	1
12.	मिज़ोरम	1
13.	पंजाब	1
14.	राजस्थान	4
15.	ओडिशा	17
16.	तमिलनाडु	4
17.	उत्तर प्रदेश	7
18.	उत्तराखण्ड	1
19.	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	119

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी केन्द्रों में पहले से पकाए गए खाद्य पदार्थ

3180. श्री एम.आई. शानवास : क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों (ए.डब्ल्यू.सी.) में बच्चों को खाने के लिए बिस्कुट, आदि के रूप में पूर्व पकाए गए खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा रहे है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ए.डब्ल्यू.सी. में पूर्व पकाए गए खाद्य पदार्थ के बजाय स्थानीय रूप से खरीदे गए एवं ताजा पकाए गए

खाद्य पदार्थ उपलब्ध करना अनिवार्य है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या;

(ग) क्या सरकार ने ए.डब्ल्यू.सी. में आपूर्ति किए गए पूर्व पके खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए कोई जांच या निरीक्षण कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार पोषण मात्रा एवं गुणवत्ता वर्धित ताजा पके खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए बजटीय आबंटन बढ़ाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) भारत सरकार के दिनांक 24.02.2009 को जारी दिशानिर्देशों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 22.04.2009 के आदेश द्वारा किए गए समर्थन के अनुरूप समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के अंतर्गत अनुपूरक पोषण प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार आहार के प्रकार तथा पोषाहारीय मानक इस प्रकार है:

आयु समूह	आहार का प्रकार	कैलोरी (किलो कैलोरी)	प्रोटिन (ग्रा.)
6 माह से 3 वर्ष के बच्चे	सूक्ष्म पोषण मिश्रित आहार और/या ऊर्जा से प्रचुर आहार के रूप में घर ले जाने वाला राशन (टी.एच.आर.)।	500	12-15
गंभीर रूप से अल्पवजनी बच्चे	बच्चों को बार-बार थोड़ी मात्रा में (टी.एच.आर.) आहार दिया जाना	800	20-25
3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे	1. सुबह का नाश्ता	500	12-15
	2. पका हुआ गर्म भोजन	500	12-15
गंभीर रूप से अल्पवजनी बच्चे	1. सुबह का नाश्ता	800	20-25
	2. पका हुआ गर्म भोजन		
	3. सूक्ष्म पोषण मिश्रित आहार और/या ऊर्जा से भरपुर आहार के रूप में घर ले जाने वाला राशन (टी.एच.आर)		
गर्भवती तथा धात्री	घर ले जाने वाला राशन (टी.एच.आर.)	600	18-20

दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विशेषज्ञों के परामर्श से राज्य स्थानीय प्राथमिकताओं, उपलब्धता इत्यादि के आधार पर पूरक पोषण (रवा और बिस्किट सहित) प्रदान करता है।

(ग) निरीक्षण दौरों इत्यादि के साथ-साथ निर्धारित मासिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षाओं के माध्यम से आई.सी.डी.एस. स्कीम के कार्यान्वयन का मानीटरन किया जाता है। गुणवत्ता निर्धारण के लिए खाद्य एवं पोषण बोर्ड

(एफ.एन.बी.) की क्षेत्रीय ईकाई के द्वारा खाद्य नमूने लिए जाते हैं।

मौजूदा वर्ष 2012-13 में (दिसम्बर, 2012 तक) खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफ.एन.बी.) की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा अनुपूरक पोषण के 298 नमूने लिए गए जिनमें से 175 नमूने आई.सी.डी.एस. के पोषण मानकों के अनुरूप थे। इसके अलावा, राज्य सरकारों/अन्यों से दूध छुड़ाने/पूरक पोषण/अन्य आहारों के 4525 नमने अलग से प्राप्त हुए जिनमें से 4441 नमूने उनके गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप पाए गए है।

प्राप्त निष्कर्षों तथा प्रतिक्रियाओं के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में अवसंरचना एवं सुविधाओं सहित कमियों के सुधार एवं स्कीम कार्यान्वयन में सुधार के लिए पत्रों तथा समिक्षा बैठकों के माध्यम से कहा जाता है।

(घ) हाल ही में सरकार ने, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,23,580 करोड़ रुपयों के बजटीय आवंटन के साथ समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के सुदृढ़ीकरण तथा पुर्नगठन का अनुमोदन किया है।

विशेष श्रेणी के राज्यों तथा पूर्वोत्तर राज्यों से जिलों सहित प्रथम वर्ष (2012-13) अत्यधिक प्रभावित 200 जिलों; दूसरे वर्ष (2013-14) में अतिरिक्त 200 जिलों एवं तीसरे वर्ष (2014-15) में शेष जिलों को शामिल करते हुए तीन चरणों में सुदृढ़ीकृत एवं पुनर्गठित आई.सी.डी.एस. को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

सुदृढ़ीकृत एवं पुनर्गठित आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत उपरोक्त योजना के अनुसार अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के मानकों में 50:50 की (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10) वर्तमान लागत भागीदारी में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

श्रेणी	मौजूदा मानक (16.10.08 से प्रभावी)	चरणानुसार लागू करने के अनुसार अनुमोदन तिथि से प्रस्तावित प्रभावी मानक (प्रति लाभार्थी प्रति दिन)
(i) बच्चे (6 से 72 माह)	4 रुपये	6 रुपये
(ii) गंभीर रूप से अल्पजनीय बच्चे (6 से 72 माह)	6 रुपये	9 रुपये
(iii) गर्भवती एवं धात्री माताएं	5 रुपये	7 रुपये

[हिन्दी]

राज्यों को रॉयल्टी

3181. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

श्री हरीश चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान उत्पादित कच्चे तेल की मात्रा एवं मूल्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या है;

(ख) उक्त अवधि में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार भुगतान की गयी राशि या रायल्टी क्या है;

(ग) क्या कच्चे तेल शोधन करने वाले सरकारी क्षेत्र उपक्रम तथा अन्य निजी कंपनियां अधिक लाभ कमा रही हैं तथा राज्य, जहां से ये कंपनियां तेल निष्कर्षण कर रही हैं, रॉयल्टी के रूप में कम राशि प्राप्त कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल की मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) में उत्पादित मात्रा की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कंपनियों द्वारा यू.एस. मिलियन डालर में वसूले गए कच्चे तेल के मूल्य की राज्यवार सूची सलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान रायल्टी के रूप में करोड़ रूपये में प्रदत्त राशि की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ग) राज्य तेल कंपनियों को पट्टे पर दी गई खनन भूमि के लिए रायल्टी प्राप्त करते हैं। बदले में, पी.एस.यूज. और अन्य कंपनियां उत्पादन में निवेश करके उनके द्वारा उत्पादित तेल/गैस की बिक्री से लाभ प्राप्त करती हैं। इसलिए रायल्टी और लाभ तुलनीय नहीं है।

(घ) और (ङ) ऊपर (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्पादित कच्चे तेल की मात्रा की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		कच्चे तेल का उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1		2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	ओ.एन.जी.सी.	0.303	0.305	0.305	0.218
	ओ.आई.एल.	-	-	-	-
	निजी/जेवी	-	-	-	-
	कुल	0.303	0.305	0.305	0.218
असम	ओ.एन.जी.सी.	1.191	1.150	1.203	0.911
	ओ.आई.एल.	3.515	3.538	5.792	2.768
	निजी/जेवी	0.010	0.010	0.000	0.000
	कुल	4.716	4.698	4.995	3.679
अरुणाचल प्रदेश	ओ.एन.जी.सी.	-	-	-	-
	ओ.आई.एल.	0.033	0.023	0.026	0.017

1		2	3	4	5
	निजी/जेवी	0.100	0.090	0.090	0.080
	कुल	0.133	0.113	0.116	0.097
गुजरात	ओ.एन.जी.सी.	5.785	5.757	5.630	3.919
	ओ.आई.एल.	-	-	-	-
	निजी/जेवी	0.180	0.150	0.150	0.120
	कुल	5.965	5.907	5.780	4.039
राजस्थान	ओ.एन.जी.सी.	-	-	-	-
	ओ.आई.एल.	-	-	-	-
	निजी/जेवी	0.450	5.150	6.550	7.210
	कुल	0.450	5.150	6.550	7.210
तमिलनाडु	ओ.एन.जी.सी.	0.238	0.233	0.246	0.184
	ओ.आई.एल.	-	-	-	-
	निजी/जेवी	-	-	-	-
	कुल	0.238	0.233	0.246	0.184

*ओ.एन.सी.जी.सी./ओ.आई.एल. द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए कच्चे तेल के उत्पादन के आंकड़े 9 माह (अप्रैल-दिसंबर, 2012) के लिए और निजी/जेवी द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए कच्चे तेल के उत्पादन के आंकड़े 10 माह (अप्रैल 2012 से जनवरी, 2013) के लिए हैं।

टिप्पणी:

1. ओ.एन.जी.सी. द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों में कन्डन्सेट का उत्पादन शामिल है और संयुक्त उद्यम क्षेत्रों से उत्पादन शामिल नहीं है।

2. ओ.आई.एल. द्वारा प्रस्तुत किया गया कच्चा तेल उत्पादन सकल उत्पादन है।

3. उत्पादित कच्चे तेल की मात्रा से संबंधित आंकड़े ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.एल. और डी.जी.एच. (निजी/जे.वी. के लिए) द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्पादन आंकड़ों के आधार पर हैं।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनियों द्वारा यथा प्राप्त कच्चे तेल के मूल्य की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		कच्चे तेल का मूल्य (मिलियन डालर में)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1		2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	ओ.एन.जी.सी.	81.30	79.35	81.84	11.05
	ओ.आई.एल.	-	-	-	-
	निजी/जे.वी.	-	-	-	-
	योग	81.30	79.35	81.84	11.05
असम	ओ.एन.जी.सी.	530.89	534.70	687.40	364.41
	ओ.आई.एल.	1411.74	1479.39	1619.51	1066.20
	निजी/जे.वी.	6.61	7.48	0	0
	योग	1949.24	2021.57	2306.91	1430.61
अरुणाचल प्रदेश	ओ.एन.जी.सी.	-	-	-	-
	ओ.आई.एल.	13.16	9.78	11.33	6.39
	निजी/जे.वी.	48	56	75	67
	योग	61.16	65.75	86.33	73.39
गुजरात	ओ.एन.जी.सी.	1934.86	1367.77	1615.08	698.34
	ओ.आई.एल.	-	-	-	-
	निजी/जे.वी.	54	54.82	58	46
	योग	1988.86	1422.59	1683.08	744.34
राजस्थान4	ओ.एन.जी.सी.	-	-	-	-
	ओ.आई.एल.	-	-	-	-
	निजी/जे.वी.	205	2780	4849	5338
	योग	205	2780	4849	5338

1		2	3	4	5
तमिलनाडु	ओ.एन.जी.सी.	129.0	159.63	217.78	151.30
	ओ.आई.एल.	-	-	-	-
	निजी/जे.वी.	-	-	-	-
	योग	129.0	159.63	217.78	151.30
त्रिपुरा	ओ.एन.जी.सी.	0.33	0.63	0.91	0.38
	ओ.आई.एल.	-	-	-	-
	निजी/जे.वी.	-	-	-	-
	योग	0.33	0.63	0.91	0.38

टिप्पणी :

1. ओ.आई.एल. द्वारा प्राप्त किया गया मूल्य उक्त अवधि के लिए औसत निवल प्राप्तियों से सकल उत्पादन का गुणा करके है।
2. तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सी.) की अल्प वसूलियों की हिस्सेदारी के कारण दिए गए छूट से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा वहन किए गए निवल मूल्य प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से कम होते हैं। ओ.एन.जी.सी./ओ.आई.एल. के मामले में, सकल मूल्य (छूट से पूर्व मूल्य) और निवल मूल्य (छूट के बाद मूल्य) भिन्न होंगे।
3. पी.एस.सी. व्यवस्था क्षेत्रों के अपने उत्पादन से ओ.एन.जी.सी./ओ.आई.एल. द्वारा वहन किया गया कच्चे तेल का मूल्य निजी/संयुक्त उद्यम में शामिल होता है।
4. राजस्थान राज्य में ओ.एन.जी.सी./ओ.आई.एल. के नामांकित क्षेत्रों से कच्चे तेल/कन्डन्सेट के उत्पादन की कोई सूचना नहीं है। पी.एस.सी. व्यवस्था में भागीदारी हित (पी.आई.) सहित उत्पादन से मूल्य निजी/जे.वी. में शामिल है।
5. कंपनियों द्वारा यथा प्राप्त कच्चे तेल के मूल्य से संबंधित आंकड़े ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.एल. और डी.जी.एच. (निजी/जे.वी. के लिए) द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय आंकड़ों के आधार पर हैं।

विवरण-III

विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्पादित कच्चे तेल पर रायल्टी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		कच्चे तेल का उत्पादन पर भुगतान की गई रायल्टी (करोड़ रूपए में)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1		2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	ओ.एन.जी.सी.	85.55	52.09	104.74	12.07

1		2	3	4	5
	ओ.आई.एल.	-	-	-	-
	निजी/जेवी	-	-	-	-
	कुल	85.55	52.09	104.74	12.07
असम	ओ.एन.जी.सी.	386.89	373.51	522.83	323.10
	ओ.आई.एल.	1039.88	1047.03	1218.82	894.09
	निजी/जेवी	6.53	6.13	-	-
	कुल	1433.3	1426.67	1741.65	1217.19
अरुणाचल प्रदेश	ओ.एन.जी.सी.	-	-	-	-
	ओ.आई.एल.	7.57	3.75	1.13	5.55
	निजी/जेवी	30	37.4	53.56	2.51
	कुल	37.57	41.15	54.69	8.06
गुजरात	ओ.एन.जी.सी.	1405.73	817.24	1470.32	612.58
	ओ.आई.एल.	-	-	-	-
	निजी/जेवी	75	51.97	78.62	64.13
	कुल	1480.73	869.21	1548.94	676.71
राजस्थान3	ओ.एन.जी.सी.	-	-	-	-
	ओ.आई.एल.	-	-	-	-
	निजी/जेवी	121.62	1832.95	3559.54	4235.45
	कुल	121.62	1832.95	3559.54	4235.45
तमिलनाडु	ओ.एन.जी.सी.	98.15	116.63	169.97	137.53
	ओ.आई.एल.	-	-	-	-
	निजी/जेवी	-	-	-	-
	योग	98.15	116.63	169.97	134.53

1		2	3	4	5
त्रिपुरा	ओ.एन.जी.सी.	0.03	0.11	0.13	0.09
	ओ.आई.एल.	–	–	–	–
	निजी/जेवी	–	–	–	–
	योग	0.03	0.11	0.13	0.09

टिप्पणी:

1. निजी/संयुक्त उद्यम (जे.वी.) के तहत वर्ष 2012-13 में गुजरात और अरूणाचल प्रदेश सरकार को भुगतान की गई रायल्टी सितम्बर, 2012 तक है और राजस्थान सरकार को जनवरी, 2013 तक है।
2. वर्ष 2012-13 के दौरान गुजरात/अरूणाचल प्रदेश और राजस्थान सरकारों को भुगतान योग्य भिन्न रायल्टी की गणना अभी की जानी है, इसको वित्त वर्ष 2012-13 के अंत में किया जाएगा।
3. राजस्थान राज्य में, ओ.एन.जी.सी. द्वारा किया गया रायल्टी का भुगतान निजी/जेवी में शामिल है क्योंकि उत्पादन केवल पी.एस.सी. व्यवस्था से है और ओ.एन.जी.सी. के नामांकित क्षेत्रों से कच्चे तेल का कोई उत्पादन नहीं है।
4. अरूणाचल प्रदेश राज्य में, ओ.आई.एल. द्वारा किया गया रायल्टी का भुगतान निजी/जेवी हिस्से में शामिल नहीं है।
5. उत्पादित कच्चे तेल पर रायल्टी से संबंधित आंकड़े ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.एल. और डी.जी.एच (निजी/जेवी के लिए) द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय आंकड़ों के आधार पर हैं।

प्राकृतिक गैस का खुदरा मूल्य निर्धारण

3182. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्राकृतिक गैस के खुदरा मूल्य निर्धारण के लिए कुछेक मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैस के उत्पादन हेतु उत्पादक कंपनियों के लिए निर्धारित लाभ अनुपात क्या हैं;

(घ) क्या देश में विभिन्न गैस उत्पादन कंपनियां विभिन्न दरों पर उपभोक्ताओं को गैस बेच रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) वर्तमान में, देश में घरेलू गैस के लिए मोटे तौर पर तीन प्रमुख मूल्य निर्धारण व्यवस्थाएं हैं-प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) और गैर-ए.पी.एम., एन.ई.एल.पी. पूर्व तथा एन.ई.एल.पी. (नई अन्वेषण लाइसेंस नीति) के तहत गैस का मूल्य निर्धारित किया जाता है। ए.पी.एम. और गैर-ए.पी.एम. गैस का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। जहां तक एन.ई.एल.पी. और एन.ई.एल.पी. पूर्व गैस का संबंध है, इसका मूल्य निर्धारण सरकार और संविदाकार के बीच हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) की शर्तों से प्रशासित होता है। जहां तक आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एन.एन.जी.) की का संबंध है, आवधिक संविदाओं के तहत आयातित एल.एन.जी. का मूल्य एल.एन.जी. विक्रेता और खरीददार के बीच किए गए बिक्री और खरीद करार (एस.पी.ए.) के द्वारा प्रशासित होता है। स्पाट कार्गोज परस्पर सहमत वाणिज्यिक शर्तों पर खरीदे जाते हैं, किसी

नगर में पी.एन.जी./सी.एन.जी. का खुदरा मूल्य उस नगर में प्रचालनरत सी.जी.डी. कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। पी.एन.जी./सी.एन.जी. का मूल्य गैस के भारित/औसत मूल्य (घरेलू गैस/आर.एल.एन.जी./स्पाट एल.एन.जी.), प्रचालन व्यय, विभिन्न केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय करों तथा उद्ग्रहणों के कार्यान्वित होता है और कंपनी दर कंपनी भिन्न होता है।

(ग) संविदा के पक्षकार लाभ गैस में उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) के प्रावधानों के अनुसार हिस्सेदारी करते हैं। एक पक्षकार के गैस में हिस्से का परिकलन संविदाकार द्वारा संविदा हेतु कार्यवाही वर्ष के अन्त में वास्तव में हासिल किए गए निवेश गुणकों (आई.एम.) के आधार पर किया जाता है। (आई.एम. निवल औसत निवेश द्वारा विभाजित निवल औसत आय के समतुल्य है।)

(घ) और (ङ) गैर-ए.पी.एम. गैस की कीमत भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न होती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में ए.पी.एम. उपभोक्ताओं को ए.पी.एम. गैस आपूर्ति मूल्य में 40% तक राजसहायता प्रापत होती है। इसके अलावा, परिवहन प्रभारों सहित उतराई तक की लागत उपभोक्ता-दर-उपभोक्ता भिन्न होती है। विभिन्न गैस स्रोतों से प्राप्त घरेलू गैस का उपभोक्ता मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

स्रोत	ग्राहक	गैस मूल्य
1	2	3
एन.ओ.सीज.(ए.पी.एम.)	पूर्वोत्तर से बाहर के ग्राहक	4.2 डालर/एम.एम.बी.टी.यू.
एन.ओ.सीज.(ए.पी.एम.)	उत्तर-पूर्व में ग्राहक	2.52 डालर/एम.एम.बी.टी.यू.
एन.ओ.सीज.(एम.डी.पी.)	पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र (एच.वी.जे./ डी.वी.पी.एल. द्वारा कवर किए गए महाराष्ट्र, गुजरात ओर अन्य राज्य को शामिल करते हुए)	5.25 डालर/एम.एम.बी.टी.यू.
एन.ओ.सीज.(एम.डी.पी.)	दक्षिणी क्षेत्र (केजी बेसिन)	4.5 डालर/एम.एम.बी.टी.यू.
एन.ओ.सीज.(एम.डी.पी.)	दक्षिणी क्षेत्र (कावेरी बेसिन)	4.75 डालर/एम.एम.बी.टी.यू.
एन.ओ.सीज.(एम.डी.पी.)	पूर्वोत्तर	4.2 डालर/एम.एम.बी.टी.यू.
एन.ओ.सीज.(एम.डी.पी.)	(राजस्थान, दक्षिणी गुजरात एवं गुजरात में पृथक ग्राहक, जो चिन्हित अपतट क्षेत्रों से गैस प्राप्त कर रहे हैं।)	5 डालर/एम.एम.बी.टी.यू.
पी.एम.टी.	पी.एम.टी. का भारत औसत मूल्य	5.65 डालर/एम.एम.बी.टी.यू.
रव्वा	गेल	3.5 डालर/एम.एम.बी.टी.यू.
रव्वा सैटलाइट	गेल	4.3 डालर/एम.एम.बी.टी.यू.

1	2	3
सी.बी./ओ.एम.-2(कैर्न्स)	जी.पी.ई.सी. (गुजरात फागुत्थान एनर्जी कार्पोरेशन)	4.456 डालर/एम.एस.सी.एफ.
	जी.जी.सी.एल./जी.टी.सी.एल.	5.327 डालर/जी.जे.
	जी.जी.सी.एल.-जी.टी.सी.एल.-जी.बी.ए. गैस	6.512 डालर/जी.जे.
हजीरा (नाइको)	गुजरात स्टेट एनर्जी जनरेशन	4.86 डालर/एम.सी.एफ.
	जी.एस.पी.सी. गैस	2.029 डालर/एम.सी.एफ.
सी.बी.-ओ.एन.एन.-2000/2	जी.जी.सी.एल.	6 डालर/एम.एस.एफ.
ढोल्का	लघु उपभोक्ता	5.72 रू./एम.सी.एम.
कनवाड़ा	लघु उपभोक्ता	11.01 और 13.42 रू./एस.सी.एम.
बड़कोल	लघु उपभोक्ता	10 एवं 10.48 रू./एस.सी.एम.
उत्तरी बलोल (एच.ओ.ई.सी.)	जी.एस.पी.सी.	4.541 रू./एम.सी.एम.
के.जी-डी6	सभी उपभोक्ता	4.2 डालर/एम.एम.बी.टी.यू.
फोकोस	गेल	5 डालर/एम.एम.बी.टी.यू.
पी.वाई.-1 (एच.ओ.ई.सी.)	गेल	3.75 डालर/एम.एम.बी.टी.यू.

टिप्पणी :

* ए.पी.एम. मूल्यों में रायल्टी शामिल है और विपणन मार्जिन शामिल नहीं है।
* सभी मूल्य विपणन मार्जिन को छोड़कर हैं।
* पन्ना-मुक्ता गैस मूल्य 5.73 डालर/एम.एम.बी.टी.यू. है और मिड ताप्ती गैस मूल्य 5.57 डालर/एम.एम.बी.टी.यू. है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मूल्यांकन

3183. श्री पी. करूणाकरन :

श्री कपिल मुनि करवारिया :

श्री पशुपति नाथ सिंह :

डॉ. संजय सिंह :

राजकुमारी रत्ना सिंह :

श्री यशवंत लागुरी :

श्री राम सुन्दर दास :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.

आर.एच.एम.) के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) एन.आर.एच.एम. के कार्यान्वयन में क्या कमियां पायी गईं तथा सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये हैं;

(घ) क्या एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत कुछ राज्य निष्पादन में पिछड़ रहे है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च ध्यान केन्द्रित जिलों में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) की कार्यप्रणाली की अन्य के साथ वार्षिक सामान्य समीक्षा मिशन (सी.आर.एम.), संयुक्त समीक्षा समिति, अन्तरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आई.आई.पी.एस.) मुम्बई द्वारा आयोजित एन.आर.एच.एम. के समवर्ती मूल्यांकन, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा मूल्यांकन अध्ययन के माध्यम से समीक्षा की गई। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां विवरण-I के रूप में संलग्न हैं।

एन.आर.एच.एम. का अंतिम मूल्यांकन नवम्बर, 12 में आयोजित 6ठी सामान्य समीक्षा मिशन के माध्यम से किया गया था। मोटे तौर पर सकारात्मक निष्कर्ष और पाई गई कमियां तथा सुधारात्मक उपाय विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

(घ) और (ङ) संलग्न विवरण-I में दिए गए ब्यौरे से देखा जा सकता है कि अन्तराज्यीय अंतर के साथ क्षेत्रों में असमान प्रगति हुई है। कुछ राज्यों ने अत्यंत खराब स्वास्थ्य संकेतकों से आरंभ किया। अन्य महत्वपूणई कारणों में मानव संसाधन की कमी विशेषकर डॉक्टरों और विशेषज्ञों की तथा कमजोर योजना व क्रियान्वयन क्षमताएं आदि शामिल है। ये राज्य स्वास्थ्य के विविध सामाजिक निर्धारक तत्वों में सामान्यत: पीछे चल रहे हैं।

(च) • राज्यों को उच्च फोसक जिलों में प्रति व्यक्ति अधिक धनराशि प्रदान करने की आवश्यकता है।

• मानव संसाधनों की तर्कसंगत तैनाती के लिए राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

• दुर्गम, अल्पसेवित और जनजातीय क्षेत्रों में सेवारत स्वास्थ्य कार्मिक को विविध मौद्रिक और गैर मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। सामान्य डॉक्टरों का स्नातकोत्तर डिग्री के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:

(i) दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्षों तक सेवा प्रदान करने वाले सरकारी सेवारत, चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत आरक्षण, और

(ii) स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक के अधिकतम 30 प्रतिशत तक दुर्गम अथवा कठिन क्षेत्रों में सेवा में प्रत्येक वर्ष के संबंध में प्राप्तांकों के 10 प्रतिशतक की दर से प्रोत्साहन।

• ई.ए.जी. राज्यों में जे.एस.वाई. भुगतान सार्वभौमिकक रूप से किया जाता है जबकि गैर ई.ए.जी. राज्यों में सिर्फ एस.सी./एस.टी./बी.पी.एल. महिलाएं पात्र हैं।

• उच्च फोकस, संवेदनशील जनजातीय और एल. डब्ल्यू.ई. प्रभावित क्षेत्रों में एम.एम.यू. की तैनाती हेतु शिथिलीकृत मानदंड विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

• राज्यों को उच्च फोकस वाले जिलों में और उच्च रोगी भार वाले सुविधा केन्द्रों में सुविधा केन्द्रों की पहले प्रचालित करने तथा उच्च फोकस वाले जिलों एवं प्रसव बिन्दुओं को प्रदत्त उच्चतम प्राथमिकता देकर मानव संसाधन की तर्कसंगत और समान तैनाती सुनिश्चित करने हेतु परामर्श दिया गया हैं।

बाल कुपोषण के उच्च प्रसार वाले जनजातीय और उच्च फोकस जिलों हेतु वरियता के आधार पर जिला अस्पतालों (और/या एफ.आर.यू.) में पोषण पुनर्वास केन्द्रों (एन.आर.सी.) को स्थापित किया जाना है।

विवरण-I

एन.आर.एच.एम. (चरण-1 के तहत मुख्य लक्ष्य और उपलब्धियां)

क्र.सं.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	मातृ मृत्युदर को 100/100, 000 जीवित जन्मों तक कम किया	212 (एस.आर.एस. 2007-09)
2.	शिशु मृत्यु दर को 30/1000 जीवित जन्मों तक कम किया	44 (एस.आर.एस. 2011)
3.	टी.एफ.आर. 2.1 से कम किया	2.5 (एस.आर.एस. 2010)
4.	मलेरिया मृत्यु दर में कमी की दर - 60%	72% मृत्यु दर में कमी
5.	काला अजार मृत्यु दर में कमी दर-100%	84 मृत्यु दर में कमी
6.	फाइलेरिया/माइक्रोफाइलेरिया कमी दर - 80%	62% मृत्यु दर में कमी
7.	डेंगू मृत्यु दर में कमी दर-50%	2006 से 184 से 2012 में 247 तक वृद्धि
8.	मोतियाबिंद ऑपरेशनों में प्रतिवर्ष 46 लाख तक वृद्धि	प्रतिवर्ष 60 लाख से अधिक मोतियाबिंद के ऑपरेशन
9.	4 लाख महिला मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) रखना	8 लाख आशा कर्मी संलग्न किए गए
10.	कुष्ठ रोग प्रसार में कमी करके प्रति 10,000 पर एक व्यक्ति हो गई	2011-12 तक प्रसार दर प्रति 10,000 पर 0.80 हो गई
11.	क्षयरोग डाट्स श्रृखंला-संपूर्ण मिशन अवधि के माध्यम से 86 प्रतिशत उपचार दर बनाए रखी गई	88 प्रतिशत उपचार दर

नोट: लक्ष्य क्रियान्वयन के लिए मौजूदा एन.आर.एच.एम. के ढांचे पर आधारित है।

क्र.सं.	राज्य	शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) 2011	कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) 2010
1	2	3	4
	अखिल भारत	44	2.5
1.	आन्ध्र प्रदेश	43	1.8
2.	असम	55	2.5
3.	बिहार	44	3.7
4.	छत्तीसगढ़	48	2.8

1	2	3	4
5.	गुजरात	41	2.5
6.	हरियाणा	44	2.3
7.	झारखंड	39	3.0
8.	कर्णाटक	35	2.0
9.	केरल	12	1.8
10.	मध्य प्रदेश	59	3.2
11.	महाराष्ट्र	25	1.9
12.	ओडिशा	57	2.3
13.	पंजाब	30	1.8
14.	राजस्थान	52	3.1
15.	तमिलनाडु	22	1.7
16.	उत्तर प्रदेश	57	3.5
17.	पश्चिम बंगाल	32	1.8
18.	अरूणाचल प्रदेश	32	..
19.	दिल्ली	28	1.9
20.	गोवा	11	..
21.	हिमाचल प्रदेश	38	1.8
22.	जम्मू और कश्मीर	41	2.0
23.	मणिपुर	11	..
24.	मेघालय	52	..
25.	मिज़ोरम	34	..
26.	नागालैंड	21	..
27.	सिक्किम	26	..
28.	त्रिपुरा	29	..
29.	उत्तराखंड	36	..
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23	..
31.	चंडीगढ़	20	..
32.	दादरा और नगर हवेली	35	..
33.	दमन और दीव	22	..
34.	लक्षद्वीप	24	..
35.	पुदुचेरी	19	..

..= अनुपलब्ध

क्र.सं.	राज्य	मातृ मृत्यु अनुपात (एम.एम.आर.) 2007-09
1	2	3
	अखिल भारत	212
1.	असम	390
2.	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड	359
3.	राजस्थान	318
4.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	269
5.	बिहार/झारखंड	261
6.	ओडिशा	258
7.	कर्णाटक	178
8.	पंजाब	172
9.	हरियाणा	153

1	2	3
10.	गुजरात	148
11.	पश्चिम बंगाल	145
12.	आन्ध्र प्रदेश	134
13.	महाराष्ट्र	104
14.	तमिलनाडु	97
15.	केरल	81

मलेरिया से हुई मौतें

लक्ष्य: 2012 तक मलेरिया मृत्यु दर में कमी -60%

आधार : वर्ष 2006 के दौरान मलेरिया से हुई 1707 मौतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012 के दौरान हुई मौतें
1	2	3
1.	बिहार	0
2.	छत्तीसगढ़	89
3.	हिमाचल प्रदेश	0
4.	जम्मू और कश्मीर	0
5.	झारखंड	11
6.	मध्य प्रदेश	36
7.	ओडिशा	74
8.	राजस्थान	19
9.	उत्तर प्रदेश	0
10.	उत्तराखंड	0
11.	अरुणाचल प्रदेश	5
12.	असम	13
13.	मणिपुर	0
14.	मेघालय	46
15.	मिज़ोरम	25
16.	नागालैंड	1
17.	सिक्किम	0
18.	त्रिपुरा	7
19.	आन्ध्र प्रदेश	2
20.	गोवा	0
21.	गुजरात	19
22.	हरियाणा	1
23.	कर्नाटक	0
24.	केरल	3
25.	महाराष्ट्र	95
26.	पंजाब	0
27.	तमिलनाडु	0
28.	पश्चिम बंगाल	29
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
30.	चंडीगढ़	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1
32.	दमन और दीव	0
33.	दिल्ली	0

1	2	3
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुदुचेरी	0
	कुल	476

उपलब्धि : 72% मृत्यु दर में कमी

काला आजार से हुई मौतें

लक्ष्य : 2012 तक मलेरिया मृत्यु दर में कमी -100%

आधार : वर्ष 2006 के दौरान मलेरिया से हुई 187 मौतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012 के दौरान हुई मौतें
1	2	3
1.	बिहार	27
2.	छत्तीसगढ़	0
3.	हिमाचल प्रदेश	0
4.	जम्मू और कश्मीर	0
5.	झारखंड	1
6.	मध्य प्रदेश	0
7.	ओडिशा	0
8.	राजस्थान	0
9.	उत्तर प्रदेश	0
10.	उत्तराखंड	1
11.	अरुणाचल प्रदेश	0
12.	असम	0
13.	मणिपुर	0
14.	मेघालय	0
15.	मिज़ोरम	0
16.	नागालैंड	0
17.	सिक्किम	0
18.	त्रिपुरा	0
19.	आन्ध्र प्रदेश	0
20.	गोवा	0
21.	गुजरात	0
22.	हरियाणा	0
23.	कर्नाटक	0
24.	केरल	0
25.	महाराष्ट्र	0
26.	पंजाब	0
27.	तमिलनाडु	0
28.	पश्चिम बंगाल	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
30.	चंडीगढ़	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0
32.	दमन और दीव	0
33.	दिल्ली	0
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुदुचेरी	0
	कुल	29

उपलब्धि : 84% मृत्यु दर में कमी

माइक्रोफ्लेरिया/फ्लेरिया से हुई मौतें

लक्ष्य 2012 तक माइक्रोफ्लेरिया मृत्यु दर में कमी -80%

आधार : वर्ष 2006 के दौरान हुई 0.98 मौतें

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011(%) के दौरान फाइलेरिया दर
1	2	3
1.	बिहार	सूचित नहीं
2.	छत्तीसगढ़	0.10
3.	झारखंड	0.64
4.	मध्य प्रदेश	0.23
5.	ओडिशा	0.43
6.	उत्तर प्रदेश	0.24
7.	असम	0.17
8.	आन्ध्र प्रदेश	0.21
9.	गोवा	0.00
10.	गुजरात	0.52
11.	कर्नाटक	0.83
12.	केरल	0.14
13.	महाराष्ट्र	0.51
14.	तमिलनाडु	0.09
15.	पश्चिम बंगाल	0.57
16.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.12
17.	दादरा और नगर हवेली	1.79
18.	दमन और दीव	0.07
19.	लक्षद्वीप	सूचित नहीं
20.	पुदुचेरी	0.00
	कुल	0.37

उपलब्धि: 62% मृत्यु दर में कमी

डेंगू की वजह से होने वाली मौतें

लक्ष्य: वर्ष 2012 तक डेंगू मृत्यु दर में कमी-50%

आधार: वर्ष 2006 के दौरान डेंगू के कारण होने वाली 184 मौतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012 के दौरान डेंगू मृत्यु
1	2	3
1.	बिहार	3
2.	छत्तीसगढ़	0
3.	हिमाचल प्रदेश	0
4.	जम्मू और कश्मीर	1
5.	झारखंड	1
6.	मध्य प्रदेश	6
7.	ओडिशा	6
8.	राजस्थान	10
9.	उत्तर प्रदेश	4
10.	उत्तराखंड	2
11.	अरुणाचल प्रदेश	0
12.	असम	5

1	2	3
13.	मणिपुर	0
14.	मेघालय	2
15.	मिज़ोरम	0
16.	नागालैंड	0
17.	सिक्किम	0
18.	त्रिपुरा	0
19.	आन्ध्र प्रदेश	2
20.	गोवा	0
21.	गुजरात	5
22.	हरियाणा	2
23.	कर्नाटक	21
24.	केरल	15
25.	महाराष्ट्र	59
26.	पंजाब	15
27.	तमिलनाडु	66
28.	पश्चिम बंगाल	11
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
30.	चंडीगढ़	2
31.	दादरा और नगर हवेली	1
32.	दमन और दीव	0
33.	दिल्ली	4
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुदुचेरी	5
	कुल	247

मोतियाबिंद सर्जरी (लाख में)

लक्ष्य : मोतियाबिंद हर साल आपरेशनों में 46 लाख वृद्धि

मोतियाबिंद सर्जरी (लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12
1	2	3	4	5
1.	बिहार	1.67	2.10	2.76
2.	छत्तीसगढ़	0.90	1.03	0.89
3.	हिमाचल प्रदेश	0.29	0.29	0.33
4.	जम्मू और कश्मीर	1.08	0.16	0.09
5.	झारखंड	0.79	0.80	0.84
6.	मध्य प्रदेश	4.09	4.30	4.54
7.	ओडिशा	1.29	1.21	1.07
8.	राजस्थान	2.17	2.52	2.81
9.	उत्तर प्रदेश	7.32	7.68	6.67
10.	उत्तराखंड	0.55	0.54	0.53
11.	अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.02	0.01
12.	असम	0.50	0.56	0.58
13.	मणिपुर	0.02	0.02	0.01
14.	मेघालय	0.02	0.02	0.03
15.	मिज़ोरम	0.02	0.02	0.02
16.	नागालैंड	0.01	0.01	0.01
17.	सिक्किम	0.01	0.00	0.00
18.	त्रिपुरा	0.06	0.07	0.07

1	2	3	4	5
19.	आन्ध्र प्रदेश	5.74	5.75	6.48
20.	गोवा	0.08	0.07	0.05
21.	गुजरात	7.34	7.81	8.06
22.	हरियाणा	1.37	1.02	2.42
23.	कर्णाटक	3.52	3.75	4.13
24.	केरल	1.08	1.13	1.21
25.	महाराष्ट्र	7.27	7.34	7.36
26.	पंजाब	1.34	3.33	3.45
27.	तमिलनाडु	6.36	5.50	5.62
28.	पश्चिम बंगाल	3.14	3.33	3.45
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.01	0.01
30.	चंडीगढ	0.10	0.10	0.10
31.	दादरा और नगर हवेली	0.06	0.06	0.05
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.76	0.90	0.44
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
35.	पुदुचेरी	0.08	0.15	0.15
	कुल	59.06	60.32	62.93

आशा चयन

लक्ष्य: 4 लाख महिला मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) को संलग्न करना

उपलब्धि: 2012 तक 8 लाख से अधिक आशा एंगेज की गईं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चयन*
1	2	3
1.	बिहार	84365
2.	छत्तीसगढ़	66023
3.	हिमाचल प्रदेश	16888
4.	जम्मू और कश्मीर	10683
5.	झारखंड	40964
6.	मध्य प्रदेश	56019
7.	ओडिशा	43303
8.	राजस्थान	51545
9.	उत्तर प्रदेश	136094
10.	उत्तराखंड	11086
11.	अरुणाचल प्रदेश	3761
12.	असम	29693
13.	मणिपुर	3878
14.	मेघालय	6258
15.	मिज़ोरम	987
16.	नागालैंड	1700
17.	सिक्किम	641
18.	त्रिपुरा	7367
19.	आन्ध्र प्रदेश	70700
20.	गोवा	0

1	2	3
21.	गुजरात	30970
22.	हरियाणा	13816
23.	कर्णाटक	34860
24.	केरल	31829
25.	महाराष्ट्र	5885
26.	पंजाब	16800
27.	तमिलनाडु	3905
28.	पश्चिम बंगाल	47402
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	407
30.	चंडीगढ़	0
31.	दादरा और नगर हवेली	126
32.	दमन और दीव	64
33.	दिल्ली	4692
34.	लक्षद्वीप	110
35.	पुदुचेरी	0
	कुल	885791

*31.12.2012 तक आशा/लिंग कार्यकर्ताओं की अनंतिम स्थिति लिंग कार्यकर्ता

कुष्ठ रोग प्रसार की दर

लक्ष्य : कुष्ठ रोग प्रसार 2005 में 1.8 प्रति 10.000 में कम करके प्रति 1 10,000 पर 1 कम उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यापतता दर/10,000
1	2	3
1.	बिहार	1.14
2.	छत्तीसगढ़	2.16
3.	हिमाचल प्रदेश	0.25
4.	जम्मू और कश्मीर	0.14
5.	झारखंड	0.71
6.	मध्य प्रदेश	0.76
7.	ओडिशा	1.27
8.	राजस्थान	0.17
9.	उत्तर प्रदेश	0.83
10.	उत्तराखंड	0.39
11.	अरुणाचल प्रदेश	0.2
12.	असम	0.34
13.	मणिपुर	0.06
14.	मेघालय	0.09
15.	मिज़ोरम	0.15
16.	नागालैंड	0.40
17.	सिक्किम	0.00
18.	त्रिपुरा	0.19
19.	आन्ध्र प्रदेश	0.65
20.	गोवा	0.27
21.	गुजरात	1.17
22.	हरियाणा	0.23
23.	कर्णाटक	0.47
24.	केरल	0.25

1	2	3
25.	महाराष्ट्र	1.21
26.	पंजाब	0.06
27.	तमिलनाडु	0.43
28.	पश्चिम बंगाल	1.18
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.26
30.	चंडीगढ़	0.57
31.	दादरा और नगर हवेली	4.58
32.	दमन और दीव	0.08
33.	दिल्ली	0.81
34.	लक्षद्वीप	0.46
35.	पुदुचेरी	0.27
	भारत	0.80

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की उपचार इलाज दर

लक्ष्यः क्षय रोग डॉट्स श्रृंखला बनाए रखना 85% उपाचार दर

उपलब्धि : वर्ष 2011 के लिए 88% उपचार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष-2011
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	87%
आन्ध्र प्रदेश	89%
अरुणाचल प्रदेश	87%
असम	83%
बिहार	88%
चंडीगढ़	87%
छत्तीसगढ़	89%
दादरा और नगर हवेली	82%
दमन और दीव	90%
दिल्ली	85%
गोवा	83%
गुजरात	88%
हरियाणा	86%
हिमाचल प्रदेश	89%
जम्मू और कश्मीर	89%
झारखण्ड	91%
कर्णाटक	83%
केरल	84%
लक्षद्वीप	100%
मध्य प्रदेश	89%
महाराष्ट्र	86%
मणिपुर	84%
मेघालय	83%
मिजोरम	99%
नागालैण्ड	91%
ओडिशा	87%
पुदुचेरी	85%

1	2
पंजाब	88%
राजस्थान	90%
सिक्किम	84%
तमिलनाडु	86%
त्रिपुरा	87%
उत्तर प्रदेश	90%
उत्तराखंण्ड	86%
पश्चिम बंगाल	86%
कुल	88%

विवरण-II

एन.आर.एच.एम. की 6ठी सामान्य समीक्षा मिशन रिपोर्ट

उपलब्धियां

- मुख्य स्वास्थ्य परिणामों, खास तौर पर बाल उत्तर जीविता और जनसंख्या स्थिरीकरण की उपलब्धि में तेजी से प्रगति हुई है।
- बहिरंग रोगियों की उपस्थिति और अंतरंग रोगियों की भर्ती में काफी बढ़ोतरी हुई है।
- विशेष रूप से गैर उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के पैकेज में विस्तार हुआ है और उनमें विभिन्न संचारी एवं गैर-संचारी रोगों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है।
- प्रसव पूर्व परिचर्या सेवाओं (ए.एन.सी.) का लाभ उठाने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या काफी बढ़ रही है।
- अनेक कार्यक्रम पहले तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तृत आउटरीच का प्रभाव अब सभी राज्यों में स्पष्ट दिखाई देता है।
- संस्थागत प्रसवों में काफी इजाफा हुआ है।
- काफी संख्या में गर्भवती महिलाओं से प्रसवपूर्व परिचर्या सेवाओं के उपयोग किए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
- कोल्ड चेन एवं टीका संभार-तंत्र सहित प्रतिरक्षण सेवाओं में काफी सुधार हुआ है।
- कुष्ठ और क्षय रोग जैसे संचारी रोगों के संबंध में सेवाओं के उपयोग में काफी इजाफा हुआ है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) के कार्यान्वयन से न केवल प्रयोक्ता शुल्कों की वापसी हुई है बल्कि जेब से किए जाने वाले खर्च में भारी कमी हुई है।
- विशेष रूप से स्वास्थ्य केन्द्रों (एस.एच.सी.) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.) और जिला अस्पताल (डी.एच.) स्तरों पर नए केन्द्रों और अवसंरचना के निर्माण में काफी प्रगति हुई है।
- कुशल सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करने तथा रखे रहने के लिए भर्ती, टास्क-शिफ्टिंग और पैंकेजों के संबंध में नए पहलों के कारण सेवा प्रदाता रिक्तियों में कमी आई है।
- सभी स्तरों पर औषधों की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है।
- लगभग सभी राज्यों में प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एस.एच.ए.) कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है।
- रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के क्षैतिज एकीकरण में, खास तौर पर जिला और राज्य स्तरों पर तथा परिधीय कार्यकर्ताओं एवं सामुदायिक स्तरों पर, सुधार होना जारी है।
- मलेरिया कार्यक्रम में घर के अंदर अवशिष्ट छिड़काव तथा मच्छरदानियों के वितरण में संतोषजनक सुधार हुआ है।

जी.ए.पी.एस.

- जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगियों का आबंटन विषम है जिसके कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.) और उप स्वास्थ्य केन्द्रों (एस.एच.सी.) में सेवाओं का उपयोग कम हो पाता है।

- कई राज्यों में, खासकर सुदूर, दुर्गम और जनजातीय इलाकों में, विशेषज्ञों तथा नर्सों की रिक्तियां काफी है।

- शहरों एवं उनके आस-पास के क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों में मानव संसाधन की तैनाती अधिक है सीजेरियन सेक्शन जैसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए कई स्वास्थ्य केन्द्रों में पूरक विशेषज्ञों की भी आवश्यकता है।

- राज्यों में शिकायत निवारण तंत्र अभी पूरी तरह विकसित नहीं है।

- परिधीय कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली दवाइयों तथा रैडिड डायग्नोस्टिक किटों (आर.डी.के.) की आपूर्ति में कमी है और अत्यधिक स्थानियक रोग वाले क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्दिष्ट कार्रवाई का अभाव है।

सुधारात्मक उपायों में निम्नलिखित शामिल है:

- राज्यों को उच्च फोकस वाले जिलों में और उच्च रोगी भार वाले सुविधा केन्द्रों में सुविधा केन्द्रों की पहले प्रचालित करने तथा उच्च फोकस वाले जिलों एवं प्रसव बिन्दुओं को प्रदत्त उच्चतम प्राथमिकता देकर मानव संसाधन की तर्क संगत और समान तैनाती सुनिश्चित करने हेतु अनुदेश दिए गए हैं।

- विशेषज्ञों की कमी से निपटना, जीवन रक्षक संवेदनाहरण दक्षताओं (एल.एस.ए.एस.) जैसे प्रशिक्षणों के जरिए उपलब्ध डॉक्टरों की बहु दक्षता। मूल आपाती प्रसूति रोग और नवजात परिचर्या (ई. एम.ओ.एन.सी.)।

- दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में कार्मिकों की उपलब्धता में उन्नयन हेतु ऐसे अगम्य और अलभ्य क्षेत्रों में तैनात स्टाफ को वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।

- सरकारी सेवा में विशेषज्ञों की संख्या में उन्नयन तथा दूरस्थ क्षेत्रों में उनकी उपलब्धता हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

  (i) दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्षों तक सेवा प्रदान करने वाले सरकारी सेवारत चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत आरक्षण, और

  (ii) स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक के अधिकतम 30 प्रतिशत तक दुर्गम अथवा कठिन क्षेत्रों में सेवा में प्रत्येक वर्ष और संबंधी में प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन।

  (iii) नए चिकित्सा कॉलेज खोलना तथा पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा कॉलेज खोलने के लिए मानकों में छूट देना।

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग

3184. **श्री नामा नागेश्वर राव :** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत के प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह दिशा-निर्देश सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों के लिए बाध्यकारी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) से (घ) जी, हां। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) प्रत्येक वर्ष के आरंभ में विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए सामान्य शुल्क-दर निर्धारित करता है। तथापि, राज्य विद्युत विनियामक आयोग संबंधित राज्य के लिए विशिष्ट विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों हेतु शुल्क-दरें निर्धारित करते हैं और सी.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित सामान्य शुल्क-दर बाध्यकारी नहीं हैं। दिनांक 27 मार्च, 2012 के अपने आदेश द्वारा सी.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकीयों हेतु सामान्य शुल्क-दर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी हेतु सामान्य शुल्क-दर

स्रोत	विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत (वित्तीय) (रू./किलोवाट घंटा)
लघु पनबिजली	3.54-4.88
पवन विद्युत	3.73-5.96
बायोमास विद्युत	5.12-5.83
खोई सह-उत्पादन	4.61-5.73
सौर ऊर्जा	10.39-12.46

पर्यटन संबंधी समिति

3185. श्री गजानन ध. बाबर :
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पर्यटन के विकास से संबंधित अंतर-मंत्रालयी मुद्दों के समाधान को सुकर बनाने के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान समिति ने क्या प्रगति की है और इसकी बैठकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) समिति द्वारा देश में पर्यटन के विकास से संबंधित अंतर-मंत्रालयी और अन्य मुद्दों को निपटाने में क्या सफलता मिली है;

(ङ) क्या सरकार का विचार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन क्षेत्र पर जोर देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) से (घ) जी, हां। देश में पर्यटन के विकास से संबंधित अंतर-मंत्रालयीय मुद्दों के समाधान को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयीय समन्वय समिति (आई.एम.सी.सी.टी.एस.) गठित की गई है।

इस समिति के सदस्य सचिव, योजना आयोग, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालयों के सचिव और राजस्व विभाग, व्यय विभाग तथा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, शामिल हैं। सचिव, पर्यटन मंत्रालय इस समिति के सदस्य संयोजक है।

आई.एम.सी.सी.टी.एस. की बैठकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) 12वीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन मंत्रालय का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमनों में भारत के वर्तमान 0.6% शेयर को बढ़ाकर कम से कम 1% करना और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन क्षेत्र में लगभग 2.5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है।

विवरण

अंतर-मंत्रालयीय समन्वय समिति (आई.एम.सी.सी.टी.एस.) की बैठकों के ब्यौरे

समिति की पहली बैठक दिनांक 19 जनवरी, 2012 को हुई थी। बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया:

(i) विदेशी पर्यटकों को वीजा जारी करने को सुगम बनाना

(ii) आगमन पर पर्यटक वीजा

(iii) आतिथ्य शिक्षा के आधार को व्यापक बनाना

पहली बैठक में की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए दिनांक 13.08.2012 को समिति की दूसरी बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया:

(i) पहली बैठक पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई।

(ii) 60 दिनों के भीतर भारत में पर्यटकों के पुनः प्रवेश पर प्रतिबंध में छूट देना।

(iii) राज्यों और उद्योग संघों द्वारा आतिथ्य क्षेत्र में उठाए गए मुद्दे।

समिति की तीसरी बैठक दिनांक 16 जनवरी, 2013 को आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया:

(i) राज्यों की सीमाओं के आर-पार कमर्शियल पर्यटक वाहनों के लिए निर्बाध यात्रा।

(ii) बिना किसी सुरक्षा संबंध मामलों वाले संभावित स्रोत देशों के लिए आगमन पर पर्यटक वीजा (टी.वी.ओ.ए.) सुविधा।

(iii) सी.बी.एस.सी. से संबद्ध स्कूलों में आतिथ्य शिक्षा का आरंभ करना।

इस समिति के अनुरोध पर रेल मंत्रालय द्वारा आगरा-जयपुर शताब्दी एक्सप्रैस चलाई गई। सी.बी.एस.ई. के 70 स्कूलों ने आतिथ्य एवं पर्यटन में व्यापक शिक्षा देना आरंभ कर दिया है। विदेशी राष्ट्रिकों (अफगानिस्तान, चीन, ईरान, पाकिस्तान, इराक, सूडान, बांग्लादेश के राष्ट्रिकों और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मूल में विदेशियों और राज्य विहीन व्यक्तियों को छोड़कर) के लिए पुनः प्रवेश पर दो महीने के अंतराल का प्रतिबंध हटा दिया गया है।

[हिन्दी]

आबंटन का विवरण

3186. श्री धनंजय सिंह :
श्री पुलीन बिहारी बासके :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बजट से किए गए आबंटन और व्यय का जिला-वार ब्यौरा देने के लिए राज्य सरकारों को आदेश जारी किया गया है/आदेश जारी किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इनके राज्य-वार अनुपालन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) सरकार ने संघ और राज्यों के मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2012 में प्रस्तुत की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भौगोलिक हिस्से संबंधी सूचना की भी सिफारिश की गई है जिसका उपयोग व्यय की अवस्थिति कैप्चर करने के लिए किया जा सकता है। सरकार को भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक सहित विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियां भी प्राप्त हुई हैं। इस समिति की सिफारिशें अभी स्वीकार की जानी हैं।

कार्बोनेटिड कोल्ड ड्रिंक्स में रसायनों का प्रयोग

3187. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बहुराष्ट्रीय कार्बोनेटिड कोल्ड ड्रिंक्स में रसायन और यौगिक पदार्थों के प्रयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कार्बोनेटिड कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसे तत्वों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) कार्बोनेटिड कोल्ड ड्रिंक्स के विनिर्माताओं द्वारा प्रत्येक पात्र पर कार्बोनेटिड कोल्ड ड्रिंक्स में प्रयोग किए गए प्रत्येक रसायन और यौगिक पदार्थ के नाम और मात्रा का उल्लेख करना अनिवार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 का विनियम 2.10.6 तथा परिशिष्ट 'क' की तालिका 8 कार्बोनेटिड कोल्ड ड्रिंक्स के लिए विभिन्न स्वीकृत योज्यों की सीमाओं संबंधी मानक विहित करते हैं। खाद्य कारोबार प्रचालकों (एफ.बी.ओ.) से यह अपेक्षा होती है कि वे इन मानकों तथा स्वीकृत योज्यों की सीमाओं का अनुपालन करें। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से नमूने लिए जाते हैं तथा नमूनों को इन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप न पाए जाने पर उल्लंघकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

(घ) पूर्व-पैक किए गए खाद्य पदार्थों के लेबलिंग के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम, 2.2.2 में यह विहित है कि प्रत्येक पैकेट/पात्र पर खाद्य पदार्थ का नाम और उसके अवयवों की सूची लिखी होनी चाहिए। एफ.बी.ओ. के लिए इस विनियमक का अनुपालन करना अनिवार्य है।

[अनुवाद]

तेल शोधक कारखानों के उप-उत्पाद

3188. श्री मानिक टैगोर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में पूरे देश में सभी तेल शोधक कारखानों द्वारा उत्पादन किए जा रहे उप-उत्पादों की कंपनी और उत्पाद-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सभी उप-उत्पाद घरेलू बाजार में बेचे जा रहे हैं और इनका निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार/तेल कंपनियों द्वारा इन उप-उत्पादों की बिक्री करके अर्जित की गई आय का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) तेल कंपनियों ने सूचित किया है कि सल्फर उनकी रिफाइनरियों में उत्पादित किया जाने वाला प्रमुख उपोत्पाद/संयुक्त उत्पाद है। तथापि कुछ रिफाइनरियां एक उपोत्पाद के रूप में हाइड्रोजन का भी उत्पादन करती हैं। इनकी बिक्री केवल घरेलू बाजार में की जाती है।

(ग) उपोत्पादों/संयुक्त उत्पादों की बिक्री से इन कंपनियों द्वारा अर्जित राजस्व के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कम्पनी/रिफाइनरी	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड	84.7	150.8	304.78
2.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	9.87	27.89	50.02

1	2	3	4	5
3.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	18.36	38.98	88.81
4.	चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	17.21	42.50	51.16
5.	मंगलौर रिफाइनरी एन्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड	26.37	53.85	69.46
6.	नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	0.92	1.38	3.23

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम

3189. **श्री एल. राजगोपाल** : क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम का क्रियान्वयन संबंधी कोई मूल्यांकन अध्यन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं और पिछला अध्ययन किस वर्ष कराया गया था; और

(ग) सरकार द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क) पंचायती राज मंत्रालय (एम.ओ. पी.आर.) ने पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना (पी.ई.ए.आई.एस.) के तहत संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यों के माध्यम से पंचायतों को कार्यों, कोषों एवं कर्मियों के अंतरण एवं पंचायत की स्थिति रिपोर्ट (एस.ओ.पी.आर.) सहित कई अध्ययन संचालित कराये हैं। इन अध्ययनों में आन्ध्र प्रदेश शामिल है।

(ख) और (ग) राज्यों के साथ इन अध्ययन रिपोर्टों का साझा किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ बैठकों, क्षेत्र दौरों एवं अन्य फोरम के माध्यम से पंचायतों की स्थिति की आवधिक समीक्षा करता है। कमियां पाये जाने की स्थिति में, मामले को राज्य सरकारों के समक्ष उठाया जाता है। पी.ई.आई.एस.ए. के तहत पंचायतों को कार्यों, कर्मियों एवं कोषों का अंतरण करने वाले राज्यों को ऐसे मूल्यांकन के आधार पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

डीजल की बिक्री में हेराफेरी

3190. **श्री हंसराज गं. अहीर** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डीजल के बड़े उपभोक्ताओं को परिभाषित किया है, यदि हां, तो इसकी परिभाषा क्या है;

(ख) क्या डीजल की थोक बिक्री के लिए स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण उद्योगों और व्यापारियों सहित बड़े उपभोक्ताओं द्वारा राजसहायता प्राप्त दरों पर सीधे डीजल की खरीद के कतिपय मामले जानकारी में आये हैं; और

(ग) बड़े ग्राहकों द्वारा पेट्रोल पंपों से डीजल की अवैध खरीद को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) मार्च, 2012 की उद्योग निष्पादन समीक्षा [इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आई.ओ.सी. एल.) द्वारा जारी] के अनुसार, यह देखा गया है कि देश में वर्ष 2011-12 के दौरान डीजल की कुल बिक्री का लगभग 17.77% बिक्री सीधे थोक उपभोक्ताओं को की गई थी। अल्प वसूलियों को कम करने के उद्देश्य से, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज.) को ओ.एम. सीज. के डिपो/विपणन संस्थापनों से सीधे थोक आपूर्तियां प्राप्त

करने वाले सभी उपभोक्ताओं को दिनांक 17/18-1-2013 से गैर राजसहायता प्राप्त बाजार निर्धारित मूल्य पर डीजल की बिक्री करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

(ख) जैसा कि आई.ओ.सी.एल. द्वारा सूचित किया गया है, उद्योगों और व्यापारियों से ऐसे कोई प्रश्न प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) मंत्रालय ने ओ.एम.सीज. को अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों से राजसहायता प्राप्त डीजल विपथन को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और सभी आवश्यक उपाय करने की सलाह दी है।

एल.एन.जी. की आपूर्ति

3191. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुन: गैसीकरण सुविधाओं की वर्तमान क्षमता और विस्तार योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) की वर्तमान मांग और आपूर्ति और इसकी मूल्य निर्धारण पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एल.एन.जी. की वर्तमान लागत प्रणाली की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को देश में एल.एन.जी. की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई अपतटीय हिस्सेदारी प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) वर्तमान पनु:गैसीकरण क्षमता 14.8 एम.एम.टी.पी.ए. है और वर्ष 2016-17 तक इसके 50 एम.एम.टी.ए. तक बढ़ने की संभावना है।

(ख) से (घ) अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 की अवधि के दौरान, देश में विभिन्न क्षेत्रों द्वारा लगभग 40 एम.एम.एस.सी.एम.डी. आर.एल.एन.जी. की खपत की गई है। आवधिक संविदाओं के तहत आयातित एल.एन.जी. का मूल्य एल.एन.जी. विक्रेता और क्रेता के बीच बिक्री और क्रय करार (एस.पी.ए.) द्वारा अधिशासित होता है, जबकि स्पाट कार्गो की खरीद पारस्परिक रूप से सहमत वाणिज्यिक शर्तों पर की जाती है।

(ङ) और (च) ओ.एन.जी.सी. ने मंगलौर में 2-3 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता का या तो फ्लोटिंग या अभितटीय आर.एल.एन.जी. टर्मिनल लगाने की संभावना का पता लगाने के लिए मित्सुई और बी.पी.सी.एल. के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है।

[अनुवाद]

घाटे में चल रहे डिस्कॉम

3192. श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न विद्युत वितरण कंपनियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) द्वारा किए गए ऋण वितरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई कंपनियां सही समय पर ऋण नहीं चुका पाई हैं;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरासन सरकारी बैंकों को हुई हानि सहित बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (एन.पी.एज.) के रूप में परिवर्तित होने वाली ऋण राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार/बैंकों द्वारा इन ऋणों की अतिशीघ्र वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित प्रारूप में सूचना नहीं रखी जाती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) द्वारा एकत्रित सूचना के अनुसार 31.12.2012 तक की

स्थिति के अनुसार देश में विभिन्न बिजली वितरण कम्पनियों को संवितरित ऋण 1,37,191 करोड़ रूपए है तथा कुल एन. पी.ए. 76.98 करोड़ रुपए थे। एन.पी.ए. बैंक-वार ब्यौरा निम्नानुसार है;

बैंक का नाम	राशि (करोड़ रुपए में)
सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	30.63
कॉर्पोरेशन बैंक	8.82
यूनियन बैंक	37.52
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	0.01
कुल एन.पी.ए.	76.98

कई बैंकों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में कुछ देरी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। बैंकों द्वारा दबावग्रस्त वितरण कम्पनियों के लेखों की आर.बी.आई. मापदण्डों के अनुरुप पुनर्संरचना की गई थी।

(ङ) ऋण-ग्रस्त सरकारी वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय काया-पलट हासिल करने के उद्देश्य से, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने उनकी वित्तीय पुनर्संरचना हेतु योजना अनुमोदित की है। योजना में परिवर्ती वित्त तंत्र के माध्यम से सहायता द्वारा ऋण की पुनर्संरचना करने से काया-पटल हासिल करने के लिए सरकारी डिस्कॉम तथा राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय निहित हैं।

चिकित्सा/दंत कॉलेजों में अनियमितताएं

3193. डॉ. संजय सिंह :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर निजी क्षेत्र में कतिपय चिकित्सा और दंत कॉलेजों में अनियमितताओं, कदाचारों तथा अपेक्षित मानकों का अनुपालन नहीं करने/पूरा नहीं करने के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम.सी.आई.) द्वारा दोषी चिकित्सा और दंत कालेजों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितने चिकित्सा तथा दंत कॉलेजों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मान्यता रद्द की गई; और

(ङ) सरकार ने देश में चिकित्सा और दंत कॉलेजों के कार्यकरण को सरल बनाने के लिए क्या उपाए किए/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार को वर्ष 2009 से चिकित्सा व दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के विरूद्ध अनियमितताओं, कदाचारों तथा अपेक्षित मानकों का अनुपालन नहीं करने/पूरा नहीं करने के बारे में क्रमशः लगभग 58 व 24 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ऐसी शिकायतों की जांच करने के पश्चात यदि अपेक्षित हो तो मौजूदा सुविधाओं की जांच करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद महाविद्यालयों का निरीक्षण करती है। दोषी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों को अनुमति के नवीकरण की मंजूरी नहीं दी जाती है, कारण बताओं नोटिस जारी किए जाते हैं, महाविद्यालयों को 2 वर्ष के लिए छात्रों के नए बैचों को प्रवेश देने से वंचित कर दिया जाता है अथवा इन परिषदों की सिफारिशों पर ऐसे महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी जाती है।

(घ) भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद की सिफारिशों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान 5 दंत-चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी गई है। ब्यौरा इस प्रकार है:

क्रम सं.	राज्य	दंत-चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	2
2.	ओडिशा	1
3.	उत्तर प्रदेश	1
4.	उत्तरांचल	1

(ङ) हाल ही में सरकार ने देश में चिकित्सा व दंत-चिकित्सा महाविद्यालयों की कार्यप्रणाली को सरल व कारगर बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

देश में चिकित्सा/दंत महाविद्यालयों के खिलाफ 2009 से आज तक प्राप्त शिकायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य के नाम	चिकित्सा कॉलेजों में शिकायतों की सं.	दंत महाविद्यालय की मान्यता के संबंध में शिकायतों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	--
2.	राजस्थान	3	3
3.	पंजाब	3	--
4.	मध्य प्रदेश	5	2
5.	पुदुचेरी	7	--
6.	उत्तर प्रदेश	9	5
7.	तमिलनाडु	5	--
8.	हरियाणा	1	4
9.	कर्णाटक	4	1
10.	महाराष्ट्र	2	2
11.	गुजरात	4	1
12.	केरल	2	--
13.	त्रिपुरा	1	--
14.	ओडिशा	2	--
15.	उत्तराखंड	1	--
16.	झारखण्ड	1	--
17.	बिहार	1	5
18.	हिमाचल प्रदेश	--	1
	योग	58	24

विवरण-II

विगत कुछ वर्षों के दौरान, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में मुख्य सुधार लाया है। चिकित्सा कॉलेजों के काम-काज का विनियमन आई.एम.सी. अधिनियम, 1956 के सांविधिक प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों द्वारा किया जाता है। हालिया लिए गए कदम इस प्रकार हैं:

(i) संकाय सदस्यों को शिक्षण हेतु आधुनिक शिक्षा प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु समर्थ बनाने के लिए चिकित्सा शिक्षा यूनिटों अथवा विभागों की स्थापना;

(ii) चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करने हेतु चिकित्सीय नीतिशास्त्र संबंधी संहिता शुरू करना।

(iii) निरीक्षण प्रक्रिया को सुचारू बनाने तथा गौपनीयता बनाए रखने हेतु विभिन्न यू.जी./पी.जी. निरीक्षणों

के लिए यादृच्छिक रूप से एम.सी.आई. निरीक्षकों की नियुक्ति हेतु एम.सी.आई. द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार करना।

देश में दंत चिकित्सा शिक्षा के मानक के उन्नयनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

(i) ग्रामीण सेवा के लिए तीन माह से संघटक के साथ इंटर्नशिप कार्यक्रम का पुन:आरंभ।

(ii) नए दंत कॉलेज की स्थापना के लिए रोड द्वारा 10 किमी के भीतर मेडिकल कॉलेज को संबद्ध करना बशर्ते कि मेडिकल कॉलेज के साथ एक से अधिक दंतक कॉलेज को न जोड़ा गया है।

(iii) ओरल और मैक्सिलोफेसियल सर्जरी के लिए दंत कॉलेज को एम.सी.आई. द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी मेडिकल कॉलेज से जोड़ा जाएगा।

(iv) वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दूरस्थ शिक्षा पहल आरंभ की जा रही है।

(v) विविध यूजी/पीजी निरीक्षणों के लिए यादृच्छिक रूप से डी.सी.आई. निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए डी.सी.आई. द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है ताकि निरीक्षण प्रक्रिया को सुचारू किया जा सके और गोपनीयता बनाई रखी जा सके।

(vi) दोहरे संकाय की आशंका से बचने के लिए डी.सी.आई. ने सभी दंत कॉलेजों को पहले ही दिशा-निर्देरश जारी किए हैं कि वे अपनी वेबसाइट पर संकाय और सीटों आदि के संबंध में जानकारी दर्शाएं।

जाली मुद्रा नोट

3194. श्री जोस के. मणि : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुद्रा नोटों की सुरक्षा संबंधी विशेषताओं की प्राप्ति प्रक्रिया की समीक्षा हेतु गठित की गई बनर्जी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति की मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का क्रियान्वयन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों का कब तक क्रियान्वयन किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) शैलभद्र बनर्जी समिति की मुख्य सिफारिशें और उन पर की गई कार्रवाई नीचे दर्शायी गई हैं:

(i) **करेंसी निदेशालय का सृजन :** वित्त मंत्रालय में करेंसी निदेशालय का गठन किया गया है।

(ii) **सुरक्षा विशेषताओं का अधिग्रहण :** सुरक्षा विशेषताओं के चयन की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है।

(iii) **अनुसंधान और विकास कार्यकलाप :** भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एस.पी.एम.सी.आई.एल.) की विभिन्न यूनिटों तथा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड (बी.आर.बी.एन.एम.पी.एल.) में अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

(iv) **अधिप्राप्ति संहिताओं की समीक्षा :** एस.पी.एम.सी.आई.एल. और बी.आर.बी.एन.एम.पी.एल. की अधिप्राप्ति संहिताओं की समीक्षा की गई है।

(v) **स्वदेशीकरण :** मैसूर में संयुक्त उपक्रम बैंक नोट कागज मिल स्थापित की जा रही है और एस.पी.एम., हौशंगाबाद में नई कागज इकाई स्थापित की जा रही है।

(vi) **एफ.सी.ओ.आर.डी. का सृजन :** भारतीय जाली करेंसी नोटों की समस्या का मुकाबला करने के

लिए कार्यकलापों के समन्वयन हेतु गृह मंत्रालय में भारतीय जाली करेंसी नोट समन्वय केन्द्र (एफ.सी.ओ.आर.डी.) स्थापित किया गया है।

(vii) **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रचार अभियान :** भारतीय रिजर्व बैंक ने नकली नोटों और असली बैंक नोटों में आसानी से अंतर जानने के लिए आम जनता को शिक्षित करने हेतु मल्टी मीडिया अभियान शुरू किया है।

[हिन्दी]

जेनेरिक दवाएं

3195. श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री अमरनाथ प्रधान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जेनेरिक दवाएं रोगियों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) औषधालयों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेची/आपूर्ति की जा रही हैं और यही दवाएं केमिस्टों और थोक व्यापारियों को 30 से 70 प्रतिशत की छूट के साथ उपलब्ध करायी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति विनिर्दिष्ट की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है/प्रस्तावित हैं; और

(ङ) सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली दवाओं के जेनेरिक नामों को प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, वेबसाइट और एक केन्द्रीकृत काल सेंटर के माध्य से बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) सी.जी.एच.एस., मेडिकल स्टोर संगठन, मेडिकल स्टोर डिपो, एच.एस.सी.सी. से थोक में दवाएं प्राप्त करता है और 40% तक की छूट पर इसकी फार्मूलरी के अनुसार सीधे विनिर्माता से भी प्राप्त करता है। वे दवाएं जो फार्मूलरी से बाहर हैं या सी.जी.एच.एस. औषधालयों में उपलब्ध नहीं है, उन्हें एम.आर.पी. पर 10.5% से 29% की छूट पर औषधालय स्तर पर प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। छूट दरें तथा पारदर्शी संविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।

(ग) और (घ) सी.जी.एच.एस. दवाओं को प्राप्त करने के लिए एक अत्यधिक व्यापक और पारदर्शक बोली प्रक्रिया अपनाता है जिसके बार प्रत्याशित बोली लगाने वालों के संस्थान की वास्तविक जांच करता है। दर संविदा को अंतिम रूप देने के दौरान निर्धारित प्रक्रियाओं का बारीकी से अनुपालन किया जाता है। सी.जी.एच.एस. को अधिकतम छूट देने वाले बोलीकर्त्ता को आपूर्ति ठेका प्रदान किया जाता है।

(ङ) सरकार अधिकतम संभव सीमा तक जेनेरिक दवाएं देने हेतु प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अस्पतालों और सी.जी.एच.एस. औषधालयों में कार्यरत डॉक्टरों/विशेषज्ञों को समय-समय पर परिपत्र/निर्देश जारी करती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार जेनेरिक दवाओं के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करने के लिए पूरे देश में जन औषधि भंडार खोले जा रहे हैं।

2. 2011 में अनिवार्य दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एन.एल.ई.एम.) प्रकाशित की गई जिसमें उनके जेनेरिक नामों से 348 सामान्यतः प्रयुक्त दवाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

शेल गैस परिसंपत्ति का अर्जन

3196. श्रीमती जयाप्रदा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (जी.ए.आई.एल.) ने उत्तरी अमरीका में शेल गैस परिसम्पत्तियों को अर्जित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में वित्तीय बोली प्रस्तुत कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। गेल ने सूचित किया है कि उन्होंने उत्तरी अमेरिकी अपस्ट्रम/एल.एल.जी. अवसरों की संयुक्त तौर पर खोज करने के लिए दिनांक 02.02.2013 को ई.डी.एफ. ट्रेडिंग के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) करार किया है। गेल और ई.डी.एफ. ट्रेडिंग उपयुक्त उद्यम, वित्तीय विश्लेषण पर आधारित निवेश अवसरों की खोज करेंगे तथा इसको अंतिम रूप देंगे और इसके पश्चात् उपयुक्त निवेश व्यवस्था का निर्माण करेंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्वाइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स

3197. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में क्रेडिट और डेबिट कार्डों की संख्या बिक्री टर्मिनलों (पी.ओ.एस.) की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने कार्ड भुगतानों की स्वीकृति हेतु पी.ओ.एस. टर्मिनलों की स्थापना करने के लिए सरकारी बैंकों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है/निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त योजना के संभावित लाभ क्या हैं; और

(च) देश में पी.ओ.एस. टर्मिनलों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के अनुसार, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बिक्री केन्द्र टर्मिनलों की संख्या निम्नानुसार है:-

फरवरी, 2013 के अनुसार	वास्तविक संख्या
क्रेडिट कार्डों के बकाये की संख्या	192314613
डेबिट कार्डों के बकाये की संख्या	325438209
पी.ओ.एस. टर्मिनलों की संख्या	819268

आर.बी.आई. ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए पी.ओ.एस. स्थापित करने संबंधी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

आर.बी.आई. को सुकर बनाने के लिए भी सभी श्रेणियों और प्रकार के दुकानदारों को प्रोत्साहित करने के लिए डेबिट कार्डों से संबंधित दुकानदार छूट दर (एम.डी.आर.) की अधिकतम सीमा निर्धारित की है।

फर्जी पैन कार्ड

3198. श्री कौशलेन्द्र कुमार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नकली स्थायी खाता संख्या (पी.ए.एन.) कार्डों के विरूद्ध कोई अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसकी क्या उपलब्धियां रही; और

(ग) नकली पी.ए.एन. कार्डों के खतरे से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रह हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, हां।

एक सतत प्रक्रिया के रूप में, पहचान के सबूत (पी.ओ. आइ.) एवं पते के सबूत (पी.ओ.ए.) के रूप में के.वाई.सी. दस्तावेजों की वास्तविकता को जानने के लिए पैन के आबंटन के उपरान्त तीसरी पार्टी द्वारा फील्ड सत्यापन कराया जाता है। के.वाई.सी. संबंधी सबूतों के सत्यापन नहीं हो पाने की सूचना, विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध करायी जाती है ताकि कर-निर्धारिती सूचना प्रणाली (ए.आई.एस.) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस पैन के संबंध में 'फर्जी' अंकित किया जा सके।

इसके अलावा, पैन आबंटन सॉफ्टवेयर प्रक्रिया में एक अंतर्निहित (इन-बिल्ट) विशेषता है जो कि एक सतत प्रक्रिया के रूप में काम करती है तथा जिसके द्वारा इस बात की निगरानी रखी जाती है कि मौजूदा पैन आबंटित व्यक्तियों को पैन का आबंटन दोबारा ना किया जाए।

(ख) नकली अंकित किए गए स्थायी खाता संख्या के आंकड़े निम्नवत हैं:-

वर्ष	नकली अंकित हुए मामलों की संख्या
1.4.2009 से पूर्व	136
2009-10	37
2010-11	56
2011-12	100
2012-13 (आज की तिथि तक)	180
कुल	509

(ग) कुल पैन आबंटन में से 96.35 प्रतिशत पैन आबंटन 'व्यष्टि' आवेदकों की श्रेणी में आते हैं तथा अधिसंख्य फर्जी/नकली पैन भी व्यष्टि श्रेणी के अंतर्गत पाए गए हैं। आबंटित पैन की अलग से पहचान करने तथा फर्जी पैन एवं एक व्यष्टि को एक से अधिक पैन जारी करने करने की समस्या का समाधान निकालने तथा पैन डाटाबेस के डुप्लीकेट को समाप्त करने के लिए संशोधित पैन आवेदन प्रपत्र 49क में स्वैच्छिक 'आधार' को कैप्चर किया जाना शुरू किया गया है। पैन के डाटाबेस में 3,04,452 अनूठे आधार धारकों को जोड़ा गया है। के.वाई.सी. को सुदृढ़ बनाने हेतु एम.पी./एम.एल.ए./निगम पार्षद/राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान/पता प्रमाणपत्र का प्रारूप विहित किया गया है।

पाइपलाइन के माध्यम से गैस

3199. श्री रामसिंह राठवा :
श्री पशुपति नाथ सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का झारखंड और दिल्ली सहित प्रत्येक राज्य में उपभोक्ताओं को सीधे उनके घर पर पाइप लाइन के द्वारा एल.पी.जी. गैस उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में किसी राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-सी योजना तैयार की गई है/तेयार किए जाने कर प्रस्ताव है; और

(घ) वर्तमान में देश के अंदर पाइपलाइनों के माध्यम से गैस प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं का प्रतिशत क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं। उपभोक्ताओं को पाइपलाइन के माध्यम से एल.पी.जी. की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, रेल विपणन कंपनियां कुछ मामलों में रेटिकुलेटेड सिस्टम के माध्यम से एल.पी.जी. की आपूर्ति करती हैं।

(ख) और (ग) सरकार को राज्यों से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) दिनांक 01.02.2013 की स्थिति के अनुसार

रेटिकुलेटेड सिस्टम के माध्यम से एल.पी.जी. प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं की संख्या 1,77,059 है।

पेट्रोलियम क्षेत्र में परामर्श सेवाएं

3200. श्री अब्दुल रहमान : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय फर्म पेट्रोलियम के क्षेत्र में परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करने में लगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में कतिपय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यूज.) भी कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनसे अर्जित राशि का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सदन पटल रख रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) जी हां। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) एवं इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पेट्रोलियम क्षेत्र में परियोजना इंजीनियरी परामर्शी सेवाएं प्रदान करने में कार्यरत हैं। दिसम्बर, 2012 तक चालू वर्ष के दौरान ई.आई.एल. का परामर्श सेवाओं से कारोबार 931.58 करोड़ रू. था।

वर्ष 2011-12 के दौरान आई.ओ.सी.एल. की परामर्शी सेवाओं से कमाई 93,100 कुवैती दीनार के अतिरिक्त 534.50 लाख रुपये थी।

बाल सुधार गृहों में बंद बच्चे

3201. श्री एस.आर. जेयदुरई : क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न बाल सुधार गृहों में बंद बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार, राज्य क्षेत्र-वार विभिन्न बाल सुधार गृहों से अपनी बंदी अवधि पूरी करने के बाद छोड़े गए किशोर अपराधियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या ऐसे किशोरों का सही ढंग से पुनर्वास किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की विद्यमान नीति क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश के विभिन्न विशेष गृहों तथा पर्यवेक्षण गृहों में रह रहे बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए अभी तक कोई व्यापक अध्ययन नहीं कराया है। तथापि, मंत्रालय कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों हेतु समेकित बाल संरक्षण स्कीम आई.सी.पी.एस. नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चला रहा है जिसके तहत अन्य चीजों के साथ-साथ ऐसे बच्चों के पुनर्वास एवं पुनर्समेकन हेतु पर्यवेक्षण गृहों एवं विशेष गृहों सहित विभिन्न प्रकार के गृहों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2012-13 में कुल 5613 बच्चों को लाभ प्रदान करने वाले 183 पर्यवेक्षण गृहों एवं विशेष गृहों को और वर्ष 2012-13 में कुल मिलाकर 5449 बच्चों को लाभ प्रदान करने वाले 203 पर्यवेक्षण गृहों एवं विशेष गृहों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(ग) से (ङ) मंत्रालय विशेष गृहों से रिहा किए गए बच्चों का कोई आंकड़ा नहीं रखती है तथापि आई.सी.पी.एस. के तहत, बच्चों को जब ऐसे गृहों में रखा जाता है तो उन्हें उनका दीर्घकालीन पुनर्वास कल्याण एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए आश्रय, भोजन, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श आदि जैसी सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके अलावा, स्कीम गृहों को छोड़ने वाले बच्चों को सहायता देने के लिए पश्च

देखरेख सेवाएं प्रदान करती है क्योंकि वे संस्थागत जीवन से जीवन की मुख्य धारा में पारगमन करते हैं। ऐसे बच्चों को दिए जाने वाली सेवाओं में अन्य बातों के साथ-साथ आवास सुविधा व्यावसायिक प्रशिक्षण, कार्य स्थापन, परामर्श एवं वृत्तिका आदि शामिल हैं।

पोतों के आयात पर शुल्क

3202. **श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पोत भंजन और उनके पुनर्चक्रण के लिए कितने पोतों का आयात किया गया और इससे कितना सीमा-शुल्क एकत्र किया गया;

(ख) पोतों के पुनर्चक्रण के लिए इनका आयात करने पर कितना सीमा-शुल्क प्रभारित किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को पोतों के पुनर्चक्रण के लिए इनके आयात पर लगने वाले सीमा-शुल्क को घटाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क)

वर्ष	भंजन/पुनस्चक्रण के लिए आयातित जहाजों की संख्या	संकलित शुल्क (राशि करोड़ रू.)
2009-10	443	635
2010-11	445	1007
2011-12	511	1590
2012-13	452	1502

(ख) जहाजों के भंजन/पुनर्चक्रण पर 5% की दर से बी.सी.डी. और 12% की दर से सी.वी.डी. लगाया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। पुनस्चक्रण के लिए जहाजों के लिए किये जाने वाले आयात पर लगने वाले सीमाशुल्क को कम करने के लिए गुजरात सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। इस अनुरोध की 2013-14 बजट की प्रक्रिया के अंश के रूप में जांच-परख की गई और यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान शुल्क संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3203. **श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को देश में बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) को अनुमति देने के लिए एफ. डी.आई. संबंधी कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) आज की तारीख तक कुल कितना निवेश हुआ है; और

(ग) देश में कुल कितनी परियोजनाएं प्रक्रियाहीन हैं और कितनी चालू हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कोई प्रस्ताव अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बुलियन कारपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना

3204. **श्री एंटो एंटोनी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास स्वर्ण बैंक या बुलियन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.) को स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रस्तावित बी.सी.आई. की प्रमुख विशेषताएं क्या है; और

(घ) इसके कब तक कार्य आरंभ किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

भारत तथा विदेशों में एस.बी.आई. की शाखाएं

3205. श्री के. सुगुमार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश और विदेशों में कार्यरत भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) की शाखाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एस.बी.आई. का विचार निकट भविष्य में देश के साथ-साथ अन्य देशों में और अधिक शाखाएं खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) द्वारा सूचित किए गए अनुसार फरवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार भारत में एस.बी.आई. की 14677 शाखाएं कार्यरत हैं और विदेशों में 51 शाखाएं कार्यरत हैं। भारत तथा विदेशों में एस.बी.आई. की कार्यरत शाखाओं का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

एस.बी.आई. की भारत में 1200 शाखाएं तथा विदेशों में 8 शाखाएं खोलने की योजना है, ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

फरवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार भारत तथा विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक की कार्यरत शाखाओं की संख्या

राज्य	भारत में कार्यरत	भारत में खोलना प्रस्तावित है	देश	विदेश में कार्यरत	विदेशों में खोलना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22	0	आस्ट्रेलिया	1	
अन्ध्र प्रदेश	1329	99	बहामास	1	
अरुणाचल प्रदेश	53	2	बहरीन	2	
असम	300	49	बांग्लादेश	6	2
बिहार	761	51	बेल्जियम	1	
चंडीगढ़	38	33	चीन	2	1

1	2	3	4	5	6
छत्तीसगढ़	348	20	फ्रांस	1	
दादरा और नगर हवेली	1	1	जर्मनी	1	
दमन और दीव	7	0	हांगकांग	2	
दिल्ली	297	28	इजरायल	1	
गोवा	79	6	जापान	2	
गुजरात	1198	83	मालदीव	2	
हरियाणा	287	44	नीदरलैंड		1
हिमाचल प्रदेश	204	11	ओमान	1	
जम्मू और कश्मीर	153	14	कतर	1	
झारखण्ड	478	45	सऊदी अरब	1	
कर्णाटक	589	73	सिंगापुर	7	
केरल	405	25	दक्षिण अफ्रिका	1	
लक्षद्वीप	2	0	दक्षिण कोरिया		1
मध्य प्रदेश	1044	53	श्रीलंका	3	1
महाराष्ट्र	1264	94	यू.ए.ई.	1	
मणिपुर	28	7	यू.के.	10	2
मेघालय	92	3	संयुक्त राज्य अमेरिका	4	
मिजोरम	29	3			
नागालैण्ड	58	29			
ओडिशा	702	32			
पुदुचेरी	21	3			
पंजाब	387	33			
राजस्थान	330	32			

1	2	3	4	5	6
सिक्किम	32	1			
तमिलनाडु	894	92			
त्रिपुरा	49	9			
उत्तर प्रदेश	1762	101			
उत्तराखंण्ड	376	15			
पश्चिम बंगाल	1058	109			
कुल	**14677**	**1200**		**51**	**8**

प्रतिनिधत्व कार्यालय का उन्नयन।

मुकदमों के कारण राशि की वसूली नहीं होना

3206. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुकदमेबाजी के कारण विभिन्न प्रकार के शुल्कों तथा करों से संबंधित सरकार की बहुत बड़ी राशि की वसूली नहीं हो पा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी न्यायालय/अधिकरण/आयोग (अपील)-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी राशि का निपटान हो गया है तथा इससे कितना कर वसूला गया है; और

(घ) सरकार ने वसूल न की जा सकी सभी धनराशि को शीघ्र जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए मुकदमों के निपटान समय को कम करने हेतु क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी हां।

(ख) प्रत्यक्ष करों के संबंध में मुकदमों के कारण वसूल हीं हो पा रही राशि (दिनांक 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार) निम्नानुसार हैं:-

(रूपये करोड में)

उच्चतम न्यायालय	2599.17
उच्च न्यायालय	18216.22
आयकर अपील अधिकरण	1191.25
आयकर आयुक्त (अपील)	78605.98

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में मुकदमों के कारण वसूल नहीं हो पा रही राशि (31.12.2012 की स्थिति के अनुसार) निम्नानुसार है:-

(रूपये करोड़ में)

उच्चतम न्यायालय	8693.28
उच्च न्यायालय	12222.71

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण	78545.43
आयुक्त (अपील)	8619.38

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष करों के संबंध में अब तक निपटान की गयी और इससे वसूले गए करों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रूपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय	आयकर अपील अधिकरण
2009-10	784.56	2074.62	2070.67
2010-11	275.17	6213.58	7871.75
2011-12	1416.41	24512.34	21506.35
2012-13 (सितम्बर, 2012 तक)	192.90	4076.10	9574.58

आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निपटायी गयी अपीलों में शामिल प्रत्यक्ष कर तथा विभिन्न स्तरों पर अपीलीय निर्णय के पश्चात वसूले गए कर के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, निपटाई गई राशि तथा वसूले गए करो के संबंध में आंकड़े भी केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा वसूल न की जा सकी धनराशि को शीघ्र जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए मुकदमों के समय को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड:-

(i) आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा अपीलों के निपटान के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उच्च मांग वाली अपीलों को प्राथमिकता दी जा रहीक है, जिनकी नियमित आधार पर मॉनीटरिंग की जाती है।

(ii) आयकर आयुक्त (अपील) के कार्यभार का पुनः वितरण एवं यौक्तिकीकरण किया गया है।

(iii) आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों के शीघ्र निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं, ताकि उचित एवं समय पर अभ्यावेदन को सुनिश्चित किया जा सके।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड:-

(i) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष विभागीय अपीलों को दायर करने की प्रारंभिक सीमा क्रमशः 25 लाख रुपए, 10 लाख रूपए और 5 लाख रूपए निर्धारित की गई है। आशा की जाती है कि इससे भविष्य में अपीलों की संख्या में कमी आएगी और न्यायालयों तथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण में अप्रत्यक्ष कर मामलों के अवरूद्ध होने से रोकने में मदद मिलेगी।

(ii) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण के एक सदस्यीय खंड पीठों द्वारा सुने जाने तथा निपटाए जाने वाले मामलों की मौद्रिक सीमा को 10 लाख रूपए से बढ़ाकर 50 लाख रूपए करने के लिए वित्त अधिनियम, 2013 में विधायी संशोधन किए गए हैं।

(iii) पर्याप्त राजस्व वाले मामलों में शीघ्र सुनवाई वाले आवेदनों को जल्द निपटान हेतु दायर किया जाता है।

पेट्रोल पम्प डीलरों द्वारा दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाना

3207. **श्री उदय सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनियां विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश का कार्यान्वयन करते समय भारतीय मानक ब्यूरों अधिनियम, पेट्रोलियम अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा बाट और माप मानक अधिनियम जैसे विशेष संविधियों में निर्धारित प्रचालन नियम-पुस्तिका तथा प्रासंगिक खंडों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश (एम.डी.जी.), 2012 के अध्याय 8 में उल्लिखित हैं:- ''मौजूदा कानूनों, नियंत्रण आदेशों आदि के अन्तर्गत तेल कंपनी के अधिकारियों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के विभिन्न प्राधिकरण, अधिनियम/नियम ऐसे कानूनों/नियंत्रण आदेश का अनुपालन प्रवृत्त करने और सुनिश्चित करने के लिए डीलरशिप की जांच करने हेतु शक्ति प्रदत्त हैं। यदि जांच के बाद ऐसे प्राधिकरणों द्वारा कोई 'कदाचार या अनियमितता' सिद्ध होती है तो वह इन दिशा-निर्देशों के तहत ''कदाचार या अनियमितता'' भी मानी जाएगी और ऐसे प्राधिकरण से सलाह प्राप्त होने पर तेल कम्पनी द्वारा निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।''

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, प्राधिकरणों की सलाह के आधार पर, चूककर्त्ता डीलरों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की जाती है और चूककर्त्ता डीलरों पर उनके विरूद्ध सिद्ध कदाचारों/अनियमितताओं के लिए विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एम.डी.जी.) के संगत प्रावधानों को कार्यान्वित करने का सहारा लेते हुए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन किया जाता है।

आयकर रिटर्न भरने संबंधी नयी प्रक्रिया

3208. **श्री निलेश नारायण राणे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयकर रिटर्न भरने के लिए नये प्रक्रियाओं/प्रपत्रों को शुरू किया है/करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन नये प्रपत्रों को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) से (ग) जी, हां। पिछले वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तनों तथा पणधारकों से प्राप्त सुझावों का समावेश करने के बाद सरकार प्रत्येक वर्ष आयकर विवरणियां दाखिल करने के लिए फार्मों को अधिसूचित करती है। कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आयकर विवरणियां दाखिल करने के लिए नए फार्म मार्च 2013 के अंत तक अधिसूचित किए जाने का प्रस्ताव है।

तेल विपणन कंपनियों द्वारा कल्याणकारी कार्य

3209. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सी.) गरीबों तथा निराश्रित वृद्धि लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या सहायता प्रदान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कम्पनी-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त ओ.एम.सी. पर्यावरण की सुरक्षा तथा प्राकृतिक के संरक्षण हेतु भी योगदान कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन ओ.एम.सी. द्वारा देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी हां। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) ने नैगम सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के तहत तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों नामत: 'स्वच्छ पेय जल', स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल' तथा 'शिक्षा का प्रसार' अपनाए हैं। इंडियन ऑयल सचल स्वास्थ्य सेवा, इंडियन ऑयल टाटा केयर सेंटर, कोलकाता, 50 बैड का स्वर्ण जयंती सामुदायिक, हॉस्पीटल, मथुरा डिग्बोई, असम में 200 बैड का हॉस्पीटल, और सहम ऑयल स्कूल ऑफ नर्सिंग, डिग्बोई आई.ओ.सी.एल. के स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल अभ्युपायों में से कुछेक हैं।

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) ने भारत के विभिन्न स्थलों में मोतियाबिंद कैम्पों में सहायता प्रदान की है जिनमें अधिकांशत: गरीब और निराश्रित बुजुर्ग लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त बी.पी.सी.एल. ने राजमुन्द्री में 200 बुजुर्गों के रहने की क्षमता वाले वृद्धाश्रम के निर्माण में भी सहयोग किया है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) गरीब लोगों की स्वास्थ्य देखभाल करती है, इसके स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों के नाम सुरक्षा और नवज्योत है। सुरक्षा का उद्देश्य ट्रक ड्राइवरों में जागरूकता पैदा करना और एच.आई.बी. की रोकथाम करना है। नवज्योत का उद्देश्य भावना में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है। एच.पी.सी.एल. चल चिकित्सक वैनों के माध्यम से भी ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराती है।

(ग) से (ङ) सी.एस.आर. के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज.) कंपनी गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को सतत् रूप से कम करने के लिए उन प्रक्रियाओं, पद्धतियों, सामग्रियों और उत्पादों का प्रयोग कर रही हैं जो प्रदूषण से बचने, उसे कम करने अथवा नियंत्रित करने में सहायक हैं।

आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत ऋण

3210. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आर.आई.डी.एफ.) के अन्तर्गत विद्यालय भवनों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इसके तहत कितनी धनराशि राज्य-वार/संघ क्षेत्र-वार जारी/उपयोग की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और देश में आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत बनाए जा रहे विद्यालय भवनों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत विद्यालयों के निर्माण सहित आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है। पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत विद्यालयों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को मंजूर किए गए ऋण और संवितरण का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

आर.आई.डी.एफ.-विद्यालयों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को मंजूर किए गए ऋण

(रू. करोड़)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2009-10				वर्ष 2010-11				वर्ष 2011-12				वर्ष 2012-13			
		प्राथमिक विद्यालय		माध्यमिक विद्यालय		प्राथमिक विद्यालय		माध्यमिक विद्यालय		प्राथमिक विद्यालय		माध्यमिक विद्यालय		प्राथमिक विद्यालय		माध्यमिक विद्यालय	
		परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	173	409.24	0	0.00	0	0.00	29	93.72	0	0.00	29	93.72	0	0.00	162	146.02
2.	कर्णाटक	0	0.00	484	160.01	104	25.45	83	53.89	104	25.45	83	53.89	0	0.00	4	21.25
3.	केरल	0	0.00	12	33.14	0	0.00	7	13.87	0	0.00	7	13.87	0	0.00	11	169.55
4.	मध्य प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	40	160.75
5.	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	6	123.98	0	0.00	6	123.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6.	पुदुचेरी	24	1053	0	0.00	0	0.00	30	17.36	0	0.00	30	17.36	0	0.00	0	0.00
7.	पंजाब	0	0.00	1504	65.08	0	0.00	351	12.24	0	0.00	351	12.24	0	0.00	0	000
8.	राजस्थान	0	0.00	147	31.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9.	सिक्किम	11	3.50	15	5.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.	तमिलनाडु	0	0.00	303	210.01	0	0.00	259	195.01	0	0.00	259	195.01	0	0.00	231	200.67
11.	पश्चिम बंगाल	1805	29.10	1	0.78	6	10.26	1	0.44	6	10.26	1	0.44	0	0.00	5	5.80
	अखिल भारत योग	2013	452.37	2466	506.52	116	159.69	760	386.53	116	159.69	760	386.53	0	0.00	453	704.04

स्रोत: नाबार्ड।

विवरण-II

आर.आई.डी.एफ.-विद्यालयों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को संवितरित ऋण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (31.01.2013 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	100.134	96.280	114.68	71.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.000	3.740	0.00	0.00
3.	बिहार	12.105	3.760	0.00	0.00
4.	गोवा	0.570	1.830	0.51	0.00
5.	हरियाणा	0.000	0.000	11.57	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	0.893	0.000	0.00	0.00
7.	झारखंड	8.329	21.080	7.94	0.00
8.	कर्णाटक	130.474	156.670	131.64	50.65
9.	केरल	17.900	57.900	13.39	11.77
10.	पुदुचेरी	0.000	0.240	0.00	3.03
11.	पंजाब	48.275	64.840	13.00	0.31
12.	राजस्थान	3.890	14ए220	12.01	1.21
13.	सिक्किम	7.500	3.000	0.00	1.75
14.	तमिलनाडु	214.140	193.514	0.00	93.87
15.	पश्चिम बंगाल	9.559	12.195	0ए00	5.25
	कुल	553.77	629.27	304.74	239.55

स्रोत: नाबार्ड।

नोट : आंकड़ों में पिछले वर्षों में मंजूरी की गई परियोजनाओं के लिए संवितरण भी शामिल है।

पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना

3211. श्रीमती अन्नू टन्डन : क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कार्यान्वित पंचायत सशक्तिकरण तथा जवाबदेही प्रोत्साहन योजना (पी.ई.ए.आई.एस.) का ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता के क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2012-13 के दौरान योजना के तहत लाभों के लिए राज्यों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु मूल्यांकित सूचकांकों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें कौन-सा रैंक प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या सरकार का विचार सामाजिक लेखा-परीक्षा को पी.ई.ए.आई.एस. का अभिन्न अंग बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सूचकांकों, प्रश्नावलियों, क्षेत्र दौरों आदि जैसे प्रोत्साहन हेतु पंचायतों का चयन करने क लिए विभिन्न प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क) पंचायत सशक्तिकरण तथा जवाबदेही प्रोत्साहन योजना (पी.ई.ए.आई.एस.) एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना स्कीम है लक्ष्य () पंचायतों को कोषों, कार्यों एवं कर्मियों (3क) को अंतरित करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करना एवं () पंचायतों को अपने कार्य-करण पारदर्शी एवं सक्षम बनाने हेतु जवाबदेही की प्रणाली को स्थापित करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है। इस स्कीम को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त है।

पी.ई.ए.आई.एस. के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को एक अंतरण सूचकांक पर रैंक प्रदान किया जाता है। यह अंतरण सूचकांक राज्यों द्वारा पंचायतों को 3क अंतरण की मात्रा की माप करता है। एक स्वतंत्र संगठन द्वारा कराए गए एक अध्ययन के माध्यम से अंतरण सूचकांक पर राज्यों को रैंक प्रदान किया जाता है। वर्ष 2011-12 से, देश में सर्वोत्कृष्ट कार्य निष्पादन देने वाले पंचायतों को भी प्रोत्साहित किया गया है।

(ख) अंतरण सूचकांक पर राज्यों के मूल्यांकन में दो चरण वाली प्रक्रिया का अनुकरण किया जाता है। वे राज्य जो संविधान के अनिवार्य प्रावधानों को पूरा करते हैं, वे अंतरण की मात्रा पर आगे मूल्यांकन के पात्र बनते हैं।

(ग) वर्ष 2012-13 में राज्यों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन करने हेतु एक अध्ययन कराया गया है। अध्ययन में प्रयुक्त संसूचक संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सामाजिक लेखा-परीक्षा से संबंधित संसूचक, राज्य स्तरीय अध्ययन के साथ-साथ मॉडल पंचायत स्तरीय संसूचकों में शामिल किए गए हैं।

(ङ) मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष मॉडल संसूचक एवं प्रश्नावली में सुधार लाए गए हैं। इन्हें उपयुक्त आशोधनों के साथ अपनाए जाने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। मंत्रालय ने 11 मई 2012 को पी.ई.ए.आई.एस. के अंतर्गत संसूचकों में सुधार पर विचार करने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया। राज्य स्तरीय क्षेत्र सत्यापन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए 18-19 एवं 30-31 अक्तूबर, 2012 को दो कार्यशालाएं आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्तर की क्षेत्र सत्यापन दलों को दिशा देने के लिए 4-5 जनवरी, 2013 को एक कार्यशाला आयोजित की गई।

विवरण

पंचायत सुदृढ़ीकरण सूचकांक वर्ष 2012-13 के लिए संसूचक

क. पंचायतों का मूल ब्यौरा

ख. पंचायत चुनाव

ग. विघटन एवं उप चुनाव

घ जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य

ङ. सामानांतर निकायों/संस्थाओं में पंचायतों की भूमिका

च. पंचायतों की स्वायत्तता

छ. पंचायतों को निर्धारित कार्य एवं पंचायतों की वास्तविक भागीदारी

ज. महत्वपूर्ण स्कीमों में पंचायतों की भागीदारी

झ. पंचायतों को एन.एफ.सी. अनुदान

ञ. राज्य वित्त आयोग एवं पंचायतों को वित्तीय हस्तांतरण

ट. राजस्व लगाने एवं संग्रहित करने के लिए पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाना

ठ. पंचायतों के पास उपलब्ध निधि

ड. पंचायतों का व्यय

ढ. वित्त एवं लेखा के संबंध में हाल में उठाए गये कदम

ण. लेखा एवं लेखा परीक्षा

त. सामाजिक लेखा परीक्षा

थ. ग्राम सभा

द. पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार निरोधक

ध. पंचायतों की वास्तविक आधारभूत संरचना एवं ई-सहलग्नता

न. पंचायत अधिकारी

न. प्रशिक्षण संस्थान

प. प्रशिक्षण गतिविधि

फ. पंचायत मूल्यांकन एवं प्रोत्साहनीकरण

प्रतिरक्षण कार्यक्रम

3212. **श्री वैजयंत पांडा :**
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्री अजय कुमार :
श्री चार्ल्स डिएस. :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्र (यू.आई. पी.) के अन्तर्गत वैकसीनों की कमी होने की खबर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में यू.आई.पी. के अन्तर्गत कितने प्रतिशत बच्चों की पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान यू.आई.पी. के अन्तर्गत वैक्सीनों की खरीद हेतु वैक्सीन-वार राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र/वार कितनी धनराशि आवंटित तथा व्यय की गई; और

(ङ) देश में वैक्सीनों की पर्याप्त आपूर्ति तथा सभी बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी नहीं। देश में सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यू.आई.पी.) के अंतर्गत टीकों की कमी की कोई सूचना नहीं है।

(ग) स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना व्यवस्था के अनुसार, जनवरी, 2013 तक 73.5% लक्षित बच्चे पूरी तरह प्रतिरक्षित (इमुनाइज्ड) हो चुके हैं।

(घ) टीकों को केन्द्रीय स्तर पर प्राप्त किया गया है और वस्तु सहायता के तौर पर राज्यों को वितरित किया गया है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान यू.आई.पी. के तहत टीकों पर व्यय धनराशि का समायोजन के अनुसार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) टीकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, अग्रिम तौर पर प्राप्ति आरंभ की गई है और स्वदेशी निजी क्षेत्र की इकाइयों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से प्राप्त किया गया है। अत्यधिक निगरानी में विनिर्माता से

सीधे राज्यों को आपूर्तियों की जा रही हैं और राज्य से अतिरिक्त मांग/आपूर्तिकर्त्ता द्वारा विलंब के मामले में, उक्त की पूर्ति सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो (जी.एम.एस.डी.) में रखे गए बफर स्टॉक से की जाती है।

देश में सभी बच्चों के पूर्ण प्रतिरक्षण को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है:-

1. वर्ष 2012-13 को नेमी प्रतिरक्षण की गहनता का वर्ष घोषित किया गया है। कार्यनीति के एक हिस्से के रूप में राज्यों द्वारा प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है।

2. प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत उठाए गए अन्य कदमों में हैं, राज्यों के टीके, कोल्ड चेन उपकरण आदि के रूप में वस्तु सहायता, वैकल्पिक टीका प्रदानगी (ए.वी.डी.) को सहायता के लिए आवश्यकता आधारित केन्द्रीय निधीयन, सभी स्तरों पर सेवा प्रदायकों को क्षमता निर्माण, प्रतिकूल घटना के बाद प्रतिरक्षण (ए.ई.एफ.आई.) की रिपोर्टिंग और प्रबंधन को सुदृढ़ करना और सभी स्तर पर सहयोगी पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना, बच्चों की सामाजिक गति-शीलता में आशा की भागीदारी।

3. सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए गहन आई.ई.सी./बी.सी.सी.।

4. माता और शिशु ट्रैकिंग व्यवस्था (एम.सी.टी.एस.) के माध्यम से बच्चों के अनुवर्ती उपचार को सुदृढ़ करना।

विवरण

*2009-10 के लिए टीके पर राज्य वार व्यय राशि**

मूल्य रूपए में (लाख)

क्र.सं.	राज्य के नाम	टी-ओपीवी	डीपीटी	डीटी	टीटी	खसरा	बीसीजी	जेई	हेप-बी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	323.79	160.05	34.65	38.84	271.35	85.70	482.20	310.38
2.	बिहार	685.83	253.52	45.35	106.72	398.97	222.06	223.02	0.00
3.	छत्तीसगढ़	148.13	69.79	14.87	49.17	20.26	0.00		0.00
4.	गोवा	5.72	2.55	0.22	1.86	3.05	0.77	61.10	1.96
5.	गुजरात	260.18	85.93	34.20	29.52	161.83	51.54		7.37
6.	हरियाणा	142.40	33.84	7.44	44.39	24.82	37.12	93.17	3.33
7.	हिमाचल प्रदेश	34.77	13.01	0.89	5.52	16.21	9.31		23.88
8.	जम्मू और कश्मीर	48.59	28.18	4.36	24.84	39.69	31.76		0.00
9.	झारखंड	323.20	65.75	9.67	28.42	140.53	120.74		0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	कर्णाटक	252.28	122.35	23.80	71.22	93.00	32.76	175.97	219.65
11.	केरल	188.06	40.57	13.15	30.56	5.36	1.28		171.90
12.	मध्य प्रदेश	499.97	196.03	23.05	128.08	285.92	117.46		515.70
13.	महाराष्ट्र	98.1.78	159.96	0.00	124.01	286.45	39.31	291.32	439.30
14.	ओडिशा	269.10	96.40	23.05	92.46	144.61	90.85		3.01
15.	पंजाब	7.48	51.90	12.64	39.46	64.32	33.35		65.42
16.	राजस्थान	461.39	139.50	27.58	81.34	89.65	72.50		6.42
17.	तमिलनाडु	168.19	68.75	11.90	51.52	65.72	15.39	227.90	224.43
18.	उत्तर प्रदेश	822.25	392.01	75.09	240.43	824.19	350.54	1513.69	27.65
19.	उत्तराखण्ड	37.38	23.26	0.00	11.96	35.46	20.88		4.61
20.	पश्चिम बंगाल	447.13	162.78	37.18	70.65	274.88	170.93	437.60	380.36
21.	अरुणाचल प्रदेश	4.03	2.79	0.30	1.48	6.57	0.00		
22.	असम	299.99	66.89	22.3!	71.76	179.10	64.29		
23.	मणिपुर	5.61	5.14	0.30	2.94	6.17	3.48		
24.	मेघालय	19.91	7.59	0.58	3.09	9.61	5.31		
25.	मिज़ोरम	6.24	3.09	0.45	1.42	2.57	2.32		
26.	नागालैंड	7.48	6.72	0.89	1.97	5.67	1.90		
27.	सिक्किम	3.85	0.99	0.03	0.37	1.92	0.29		
28.	त्रिपुरा	11.01	5.95	0.73	3,72	5.92	2.43		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.66	0.66	0.00	0.37	0.91	0.38		0.86
30.	चंडीगढ़	4.86	1.05	0.15	0.00	1.52	1.16		0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.56	0.37	0.07	0.28	0.61	0.24		0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	दमन और दीव	0.44	0.37	0.00	0.00	0.36	0.06		0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.10	0.01	0.00	0.14	0.01		0.31
34.	दिल्ली	63.54	14.0!	6.84	7.36	24.29	19.29		77.47
35.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.22	0.00	0.30	1.31		4.91
	कुल	6539.74	2281.82	431.95	1365.83	3491.95	1606,72	3505.97	2488.89

*लागत समायोजन के अनुसार।

*2010-11 के लिए टीके पर राज्य वार व्यय राशि**

मूल्य रूपए में (लाख)

क्र.सं.	राज्य के नाम	टी-ओपीवी	डीपीटी	डीटी	टीटी	खसरा	बीसीजी	हेप-बी	जेई	बी-ओपीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	340.11	135.23	4.45	171.91	259.37	147.54	2 1 0.82	7.94	0.00
2.	बिहार	635.38	191. 84	0.00	168.39	332.39	269.62	0.00	20.65	1129.81
3.	छत्तीसगढ़	323.31	56.98	0.00	66.70	341.77	83.22	0.00		0.00
4.	गोवा	2.27	1.84	0.00	0.92	1.94	1.16	1.50	1.53	0.00
5.	गुजरात	598.45	101.03	2.23	170.10	339.42	118.88	43.03		64.73
6.	हरियाणा	97.18	40.89	0.00	43.08	194.75	31.89	6.52	49.77	139.46
7.	हिमाचल प्रदेश	23.51	12.27	0.00	12.06	19.37	7.83	59.46		0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	96.28	19.57	0ए00	11.57	38.70	8.70	105.08		0.00
9.	झारखंड	119.63	67.53	2.97	75.42	166.76	67.24	0.00		0.00
10.	कर्णाटक	866.49	46.54	0.00	110.12	168.65	81.18	146.05	34.63	0.00
11.	केरल	95.31	38.96	0.00	46.22	163.65	37.70	51.40	5.10	0.00
12.	मध्य प्रदेश	1345.16	52.21	0.00	129.53	263.58	123.18	190.85		0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	महाराष्ट्र	280.44	191.39	0.00	157.40	150.99	107.25	191.00	17.81	160.31
14.	ओडिशा	958.17	53.52	0.00	43.76	40.40	78.97	12.50		0.00
15.	पंजाब	221.46	6.84	0.00	19.43	39.74	30.45	160.58		0.00
16.	राजस्थान	1366.08	120.57	0.00	155.37	387.13	162.38	5.40		0.00
17.	तमिलनाडु	446.26	91.59	0.00	58.21	164.49	71.03	114.23	18.51	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	530.95	521.74	3.35	478.92	121.20	344.16	21.86	1166.77	2715.01
19.	उत्तराखण्ड	122.08	12.73	0.00	10.64	29.07	17.40	29.31	67.03	62.55
20.	पश्चिम बंगाल	599.87	78.40	0.00	71.60	110.18	58.25	173.69	28.67	0.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	3.74	0.74		0.68	7.76	2.61	0.00	6.94	
22.	असम	160.71	39.21		56.72	48.15	52.20	9.98	247.66	
23.	मणिपुर	6.84	3.43		0.86	10.26	1.45	0.00	81.40	
24.	मेघालय	16.33	5.51		5.75	18.50	4.35	0.00		
25.	मिज़ोरम	4.70	2ए69		1.41	3.47	0.99	0.00		
26.	नागालैंड	6.88	1.22		2.96	8.53	2.76	0.00	23.14	
27.	सिक्किम	1.89	1.59		0.90	1.84	0.87	0.00		
28.	त्रिपुरा	8.41	5.39		4.47	41.07	2.15	0.00		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.49		0.17	1.78	0.44	1.21		
30.	चंडीगढ़	4.35	8.33		0.46	1.85	1.16	0.00		
31.	दादरा और नगर हवेली	1.11	0.86		0.55	1.27	0.49	0.00	0.00	
32.	दमन और दीव	0.56	0.24		0.45	0.46	0.17	0.00	0.00	
33.	लक्षद्वीप	0.48	0.15		0.18	0.31	0.09	0.17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	दिल्ली	41.11	14.22		9.99	14.95	14.50	41.84		154.61
35.	पुदुचेरी	3.18	1.47		0.96	1.53	0.75	1.17		0.00
	कुल	9328.68	1927.19	13.00	2087.85	3495.27	1933.00	1577.63	1777.56	4426.47

*लागत समायोजन के अनुसार।

**2010-11 से डी.टी. को डी.पी.टी. में शामिल कर दिया गया है।

2011-12 के लिए टीके पर राज्य वार व्यय राशि*

मूल्य रूपए में (लाख)

क्र.सं.	राज्य के नाम	टी-ओपीवी	डीपीटी	टीटी	खसरा	बीसीजी	हेप-बी	जेई	पंचसंयोजक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	260.43	159.98	113.10	309.43	74.02	217.87	589.17	
2.	बिहार	422.44	300.16	216.82	1493.97	146.73	124.47	430.67	
3.	छत्तीसगढ़	183.61	88.26	52.07	181.34	46.10	55.47	0.00	
4.	गोवा	3.22	2.09	1.37	2.64	0.82	2.47	4.60	
5.	गुजरात	259.06	146.99	117.53	353.00	72.56	71.26	0.00	
6.	हरियाणा	81.90	71.68	37.26	472.92	34.82	32.13	19.01	
7.	हिमाचल प्रदेश	36.17	20.59	11.12	27.54	7.56	23.29	0.00	
8.	जम्मू और कश्मीर	41.75	39.66	18.81	44.64	15.21	34.22	0.00	
9.	झारखंड	102.60	110.76	42.65	816.11	54.74	36.40	0.00	
10.	कर्णाटक	244.10	126.99	81.85	237.44	62.29	173.42	39.42	
11.	केरल	132.88	58.05	33.10	139.79	27.81	89.97	13.04	1229.12
12.	मध्य प्रदेश	320.52	210.29	128.45	833.90	112.80	269.25	0.00	
13.	महाराष्ट्र	469.31	279.82	146.34	408.93	79.62	287.00	31.60	
14.	ओडिशा	179.81	81.83	75.49	221.18	35.69	61.25	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	पंजाब	99.76	77.91	46.46	128.82	27.83	61.77	0.00	
16.	राजस्थान	284.32	183.22	109.76	450.63	79.46	97.08	0.00	
17.	तमिलनाडु	228.36	106.65	86.04	252.21	58.97	94.27	57.12	2576.20
18.	उत्तर प्रदेश	822.48	529.66	323.58	1132.64	253.62	194.15	528.57	
19.	उत्तराखण्ड	51.73	27.78	20.52	31.48	17.90	22.25	7.41	
20.	पश्चिम बंगाल	246.87	257.91	148.24	316.64	82.96	184.76	60.16	
21.	अरुणाचल प्रदेश	7.41	5.36	1.20	37.23	3.72	2.08	1.25	
22.	असम	172.72	92.33	51.18	850.81	49.36	20.64	75.07	
23.	मणिपुर	7.55	6.46	3.27	54.15	3.44	39.87	15.55	
24.	मेघालय	17.04	11.78	5.99	76.29	4.67	4.33	0.00	
25.	मिज़ोरम	5.31	3.04	2.39	4.36	1.75	2.43	0.00	
26.	नागालैंड	6.45	4.53	2.82	41.53	14.54	3.47	1.12	
27.	सिक्किम	3.20	1.84	1.45	2.41	0.85	0.55	0.00	
28.	त्रिपुरा	5.60	7.91	3.42	35.31	3.68	5.55	0.00	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.36	0.84	0.68	1.02	0.38	0.90	0.00	
30.	चंडीगढ़	2.64	1.84	1.03	1.85	0.69	2.08	0.00	
31.	दादरा और नगर हवेली	1.99	0.81	1.11	1.49	0.55	0.35	0.00	
32.	दमन और दीव	1.87	0.37	0.51	0.97	0.38	0.69	0.00	
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.07	0.17	0.46	0.06	0.18	0.00	
34.	दिल्ली	54.00	54.00	35.31	21.80	45.05	9.72	7.94	0.00
35.	पुदुचेरी	8.66	1.44	1.42	1.49	1.32	29.16	0.00	
	कुल	4768.11	3054.18	1908.99	9009.67	1386.62	2232.98	1873.75	3875.33

*लागत समायोजन के अनुसार।

*2012-13 के लिए टीके पर राज्य वार व्यय राशि**

मूल्य रूपए में (लाख)

क्र.सं.	राज्य के नाम	टी-ओपीवी	डीपीटी	टीटी	खसरा	बीसीजी	हेप-बी	जेई	पंचसंयोजक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	367.70	171.08	90.58	265.93	135.08	149.63	86.48	
2.	बिहार	615.89	314.96	90.37	951.86	198.00	1240.87	461.77	
3.	छत्तीसगढ़	119.62	54.98	39.2,	92.05	47.98	50.61		
4.	गोवा	4.73	1.15	1.14	4.09	1.05	1.04	4.43	27.56
5.	गुजरात	257.67	127.80	52.35	834.06	72.00	132.32		1875.68
6.	हरियाणा	172.33	44.75	8.12	92.05	41.98	50.36	16.93	806.62
7.	हिमाचल प्रदेश	35.67	2.88	0.00	30.68	9.26	26.47		
8.	जम्मू और कश्मीर	44.49	2.88	8.55	71.60	17.04	26.14		323.49
9.	झारखंड	214.47	115.75	28.76	184.10	88.78	95.43	377.72	
10.	कर्णाटक	259.00	165.48	47.07	265.93	93.06	122.63	37.68	1662.72
11.	केरल	130.05	27.54	16.23	81.82	36.64	5.25	11.41	1799.56
12.	मध्य प्रदेश	426.99	222.53	70.83	1159.79	139.61	234.96		
13.	महाराष्ट्र	539.53	278.16	69.54	516.51	139.54	236.78	33.38	
14.	ओडिशा	181.50	162.81	36.96	184.10	79.58	117.77		
15.	पंजाब	117.19	5.77	3.57	127.85	4 1 .05	67.77		
16.	राजस्थान	347.19	164.73	54.37	931.6!	103.46	167.44		
17.	तमिलनाडु	271.01	68.95	38.82	291.50	66.02	10.45	62.80	2894.48
18.	उत्तर प्रदेश	989.28	373.88	42.32	2892.49	328.63	382.32	389.13	
19.	उत्तराखण्ड	45.98	0.00	0.00	61.37	9.27	14.26	10.62	
20.	पश्चिम बंगाल	279.75	175.38	54.37	470.49	139.53	173.35	584.62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	अरुणाचल प्रदेश	8.25	!.44	1.62	0.00	0.96	3.47	0.83	
22.	असम	175.29	101.24	37.29	0.00	78.01	80.16	286.47	
23.	मणिपुर	9.47	6.74	1.22	3.07	5.31	3.49	7.77	
24.	मेघालय	17.83	5.57	2.43	7.67	5.09	6.95		
25.	मिज़ोरम	7.89	5.14	1.14	9.21	2.27	5.21		
26.	नागालैंड	9.18	4.60	3.08	4.09	3.15	4.18	8.18	
27.	सिक्किम	3.05	0.86	0.73	2.05	0.90	2.09		
28.	त्रिपुरा	10.55	7.25	4.06	10.23	2.39	6.12		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.43	0.61	0.32	2.05	0.30	0.70		
30.	चंडीगढ़	5.00	1.15	1.14	6.55	1.50	2.09		
31.	दादरा और नगर हवेली	1.32	0.92	0.65	1.13	0.30	0.52		
32.	दमन और दीव	1.09	0.80	0.16	1.02	0.15	0.00		
33.	लक्षद्वीप	0.29	0.12	0.13	0.10	0.06	0.21		
34.	दिल्ली	20.75	20.74	5.68	30.68	14.99	41.43		
35.	पुदुचेरी	2.47	2.39	1.18	2.56	0.75	2.45		31.26
	कुल	5694.90	2641.02	813.98	9590.27	1903.69	2464.91	2380.21	9421.38

*लागत समायोजन के अनुसार।

[हिन्दी]

विदेशों में बैंकों की शाखाएं

3213. श्री जगदीश सिंह राणा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अन्य देशों में अपनी शाखाएं खोली हैं या खोलने का प्रस्ताव करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितना लाभ हुआ या होने की संभावना है; और

(घ) सरकार ने भारतीय बैंकों के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) 28.02.2013 की स्थिति के अनुसार, 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों की 100 शाखाएं विदेशी कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं का बैंक-वार तथा देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) बैंक विदेशी बाजार की संभाव्यता को प्रयोग में लाने, अपने विदेशी व्यापार ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के साथ इन्हें समेकित करने, विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिम को कम करने, अपने मूल आधार में सुधार लाने आदि सहित विभिन्न व्यवसाय तथा कार्यनीतिक विवेचन के लिए विदेशी कार्य-क्षेत्र में अपना कार्यालय/शाखाए खोलता है। तथापि, विदेशी कार्य-क्षेत्र में विस्तार के संबंध में निर्णय बैंकों के बोर्डों द्वारा लिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार शीघ्रता से अनुमोदन प्रदान करके; प्रत्येक मामले के गुणावगुणा के आधार पर कार्यालय/शाखाएं खोलने तथा विदेशी कार्य-क्षेत्र में बैंकों के संचालन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके भारतीय बैंकों के विदेशों में विस्तार की सुविधा प्रदान करते हैं।

विवरण

28 फरवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार विदेशी केन्द्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की देश-वार शाखाएं

देश का नाम	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ बड़ौदा	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	पंजाब नेशनल बैंक	इलाहाबाद बैंक	इंडियन बैंक	इंडियन ओवरसिज बैंक	यूको बैंक	केनरा बैंक	सिंडिकेट बैंक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अफगानिस्तान	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ऑस्ट्रेलिया	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
बहामास द्वीप (नसाउ)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
बहरीन	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
बेल्जियम	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
केमैन द्वीप समूह	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
चैनल द्वीप समूह	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
चीन	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3
फ्रांस	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
फिजी द्वीप समूह	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
हांगकांग	2	2	1	2	1	-	2	2	1	-	13
जापान	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
केन्या	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
मॉरिशस	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
सेलच्स	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
सिंगापुर	1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	6
श्रीलंका	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	4
दक्षिण अफ्रीका	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
दक्षिण कोरिया	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
सल्तनत ऑफ ओमान	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
थाईलैंड	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
यूनाईटेड किंगडम	7	10	-	-	-	-	-	-	2	1	20
संयुक्त राज्य अमेरिका	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
संयुक्त अरब अमीरात (डी.आई.एफ.सी.)	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	7
कुल	25	49	1	4	1	4	6	4	5	1	100

[अनुवाद]

आई.पी.ओ. जारी करना

3214. श्री खगेन दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दूरसंचार कम्पनी के अवसंरचनात्मक स्कंध को आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई.पी.ओ.) जारी करने के संबंध में ड्राफ्ट रेड हेरींग प्रोस्पेक्टस में कतिपय खुलासा करने के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर (बी.आर.एस.एम.) को सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बी.आर.एल.एम. ने इस पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या विभिन्न क्षेत्रों से बारंबार शिकायतें मिलने के बावजूद सेबी ने अनुमोदन प्रदान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, हां।

सेबी ने भारती एयरटेल लिमिटेड की अवसंरचना संबंधी कंपनी भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड (बी.आई.एल. योजना) की ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पकेटस की संवीक्षा की और अपनी टिप्पणियां दिनांक 26 नवम्बर, 2012 के पत्र के तहत सूचित की जिनमें बुक रनिंग लीड मैनेजर (बी.आर.एल.एम.) को अन्य बातों के साथ-साथ सलाह दी गई कि वह टिप्पणियों में उल्लिखित कतिपय प्रकटनों को शामिल/अद्‌यतन/संशोधित करें।

(ख) सेबी की टिप्पणियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को अद्‌यतन/शामिल/संशोधित करना शामिल था:

(क) लंबित इन्डस स्कीम से संबंधित जोखिम कारक; इन्फ्राटेल लिमिटेड (बी.आई.एल.) के खिलाफ विविध याचिकाएं, 122 2जी अनुज्ञप्तियों के निरसन संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड (ई.एम.एफ.) रेडिएशन, भारती एयरटेल से भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड को पट्टों और अनुज्ञप्तियों का अंतरण, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारित अपेक्षा का अनुपालन तथा समुच्चयों से संबंधित पक्षकर के लेनदेन को शामिल करने के लिए मुख्य लेखा।

(ख) शेयरों के प्रत्यक्ष मूल्य, सभी 12 शेयरधारकों को शेयरधारिता और सेबी (इम्प्लायी स्टॉक आप्शन स्कीम और इम्प्लायी स्टॉक पर्चेज स्कीम) दिशानिर्देश, 1999 के अनुसार ई.एस.ओ.पी. स्कीम में भिन्नता के बारे में ''पूंजीगत ढांचा'' शीर्षक खंड में तथ्यों का प्रकटन

(ग) टावर स्थलों पर पर्यावरण संबंधी उपयों, मौजूदा टावरों की परिभाषाओं, स्तरोन्नयन और प्रतिस्थापन आदि के बारे में ''निर्गम के उद्देश्य'' शीर्षक खंड में तथ्यों का प्रकटन।

(घ) बी.आई.एल. स्कीम के संबंध में आयकर आयुक्त द्वारा की गई अपील की तारीख तथा इंडस स्कीम के संबंध में आयकर विभाग द्वारा दायर आपत्ति संबंधी याचिका की तारीख एवं कमपास वेल शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट, आदि के समापन विषयक पुष्टि के बारे में ''इतिहास और अन्य कारपोरेट मामले'' शीर्ष खंड में तथ्यों का प्रकटन।

(ङ.) वर्ष 2010 में राजस्व और व्यय में हुई कमी के कारणों के संबंध में ''वित्तीय सूचना'' शीर्षक खंड में तत्यों का प्रकटन जिसमें निदेशकों/प्रवर्तकों/संबंधित पक्षकारों इत्यादि से देय/बकाया राशि शामिल हो और यह भी कि सहायक कंपनी भारतीय इन्फ्राटेल वेंचर लिमिटेड (बी.आई.वी.एल.) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की गई है एवं तदनुसार प्रकट कर दी गई है।

(च) प्रारंभिक यथार्थ और वह मानदंड जिसके आधार पर मुकदमेबाजियां/पिछली शास्तियों को उजागर किया जाता है, ठोस प्रकटन जो सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण हैं, उचित सचेतना में प्रयुक्त प्रारंभिक सीमा विषयक ब्यौरे, लंबित विनियामक सूचनाओं, सभी बकाया मुकदमेबाजियों की स्थिति आदि के बारे में ''विधिक तथा अन्य सूचना'' शीर्षक खंड के प्रकटन।

(छ) प्रवर्तक (भारती एयरटेल लिमिटेड) के निदेशक मंडल के अध्यक्ष्ज्ञ के रूप में श्री सुनील भारती मित्तल के संपूर्ण ब्यौरे और प्रवर्तक के अन्य निदेशकों के ब्यौरे के संबंध में ''प्रवर्तक एवं प्रवतर्क समूह'' शीर्षक खंड में प्रकटन।

इसके अलावा, बी.आर.एल.एम. से प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के श्रेणीकरण, अवरूद्ध रकम के साथ आवेदन आदि से संबंधित कतिपय ब्यौरे को पेशकश दस्तावेज में शामिल करने के लिए भी कहा गया था।

बी.आर.एल.एम. ने शुद्धिपत्र (पत्रों)/अनुपूरक (पूरकों) सहित पेशकश दस्तावेज में अद्‌यतनीकरणों/परिवर्तनों को शामिल किया था और इसकी सूचना सेबी को दिनांक 27 नवम्बर, 2012, 28 नवम्बर, 2012, 4 दिसम्बर, 2012 और 13 दिसम्बर, 2012 के पत्रों के तहत दी थी।

(ग) सेबी ने अनुमोदन दे दिया है।

(घ) कार्य प्रक्रिया के अनुसार, सेबी ने प्राप्त शिकायतें बी.आर.एल.एम. को अग्रेषित की। सेबी ने इन शिकायतों और बी.आर.एल.एम. से प्राप्त उनके उत्तरों को विश्लेषण किया। जहां कहीं अतिरिक्त प्रकटनों की आवश्यकता थीं, वहां सेबी ने बी. आर.एल.एम.को उक्त अभिव्यक्ति पत्र के तहत डी.आर.एच.पी. में प्रकटन करने की सलाह दी थी।

तदनुसार, सेबी ने डी.आर.एच.पी. की संवीक्षा का यह पता लगाने के लिए की कि क्या उनमें किए गए प्रकटन आई. सी.डी.आर. के उपबंधों की दृष्टि से प्रर्याप्त है या कतिपय अतिरिक्त प्रकटन भी अपेक्षित हैं। विश्लेषण के उपरांत सेबी ने, अन्य बातों के साथ-साथ बी.आर.एल.एम. को उक्त अभिव्यक्ति पत्र के तहत सलाह दी कि उनमें उल्लिखित कतिपय प्रकटनों को परिवर्धित/अद्यतन/आशोधित किया जाए।

वर्तमान विधिक एवं विनियामक ढांचा मूलत: प्रकटनों पर आधारित है। प्रारूप पेशकश के दस्तावेज में यह अपेक्षा की गई है कि उसमें सेबी (पूंजी का निर्गम तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट सभी प्रकटन और वचनबंध शामिल किए जाएं तथा व्यापारी बैंकर द्वारा उपयुक्त समझे गए अतिरिक्त प्रकटन भी उल्लिखित किए जाएं ताकि निवेशक निवेश संबंधी सुविज्ञ निर्णय ले सकें।

सेबी प्रकटनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारूप पेशकश दस्तावेज की जांच करता है। इसके बाद अभ्युक्तियां तैयार की जाती हैं और लीड मर्चेंट बैंकर को भेजी जाती हैं ताकि सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (आई. सी.डी.आर.) की दृष्टि से पेशकश दस्तावेज में आवश्यक फेरबदल शामिल किए जा सकें।

[हिन्दी]

मियाद समाप्त/घटिया दवाओं की खरीद

3215. श्री गोपीनाथ मुंडे :
डॉ. संजय सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्बद्ध अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) औषधालयों/अस्पतालों सहित केन्द्र सरकार के अनेक अस्पतालों में रोगियों को वितरित करने के लिए उच्चतर बट्टे दर पर मियाद खत्म होने वाली दवाओं/घटिया दवाओं की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उन अस्पतालों/औषधालयों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसे मामलों की रिपोर्ट है;

(ग) ऐसे कार्यों में कितने चिकित्सक भेषज अधिकारी और भेषज फर्म लिप्त पाये गये हैं;

(घ) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है/कर रही है; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में ऐसी अनियमितताओं से निपटने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ) जहां तक केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल व लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का संबंध है, इन अस्पतालों को मियाद खत्म होने वाली दवाओं/घटिया दवाओं की आपूर्ति करने के किसी ऐसे मामले की सूचना नहीं दी गई है। निरीक्षण समिति अस्पताल द्वारा खरीदी गई दवाओं का वास्तविक रूप से निरीक्षण करती है और केवल पर्याप्त शेल्फ लाइफ वाली औषधों को ही स्वीकार किया जाता है। आपूर्ति सहित औषधों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाली परीक्षण रिपोर्ट प्रदान की जाती है तथा अस्पताल में भी गुणवत्ता की यादृच्छिक जांच की जाती है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कुपोषण

3216. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण, जनजातीय, पिछड़े क्षेत्रों तथा झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं व बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य स्तरों पर समितियां गठित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) कुपोषण से निपटने के लिए नीति-निर्देशों, समीक्षा एवं केन्द्रीय स्तर पर पोषण हेतु मंत्रालयों में प्रभावी समन्वय के लिए वर्ष 2008 में भारत के पोषण चुनौतियों पर प्रधानमंत्री की परिषद् का गठन किया गया है

राष्ट्रीय स्तर से बुनियादी स्तर तक सुस्पष्ट संस्थागत संरचना के लिए राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 एवं राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना 1995 कार्यरत है। इसके अंतर्गत, राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन क्षेत्र के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष राज्य स्तरीय पोषण परिषद; मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली अंतर्विभागीय समन्वय समिति का गठन करने के लिए उत्तरदायी होंगी और जिला स्तर पर इसी तरह की निकायों का गठन करने पर विचार करेंगी।

राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से राज्य पोषण परिषदों इत्यादि के गठन के लिए आग्रह किया गया है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री तथा सचिव ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। इसके अलावा, समय-समय पर महिला एवं बाल विकास के राज्य मंत्रियों/सचिवों की बैठकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पोषण परिषद के गठन की जरूरतों पर बल दिया गया है।

उपलब्ध सूचना के राज्य पोषण परिषदों/समितियों के गठन की स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

राज्यों से प्राप्त नमूना सूचना के अनुसार राज्य पोषण परिषद् (एस.एन.सी.) मिशन की स्थापना की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	राज्य पोषण परिषद/मिशन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	गठित नहीं है।
2.	अरूणाचल प्रदेश	गठित है।
3.	असम	गठित नहीं है। (पोषण-बोर्ड-निदेषक सहित)
4.	बिहार	गठित नहीं है।
5.	चंडीगढ़	गठित नहीं है।
6.	छत्तीसगढ़	गठित नहीं है।
7.	दिल्ली	गठित है।
8.	गोवा	गठित नहीं है।
9.	गुजरात	पोषण मिशन प्रक्रिया में है गठित किया जा रहा है।

1	2	3
10.	हरियाणा	माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एस.एन.सी. का गठन कर दिया गया है।
11.	हिमाचल प्रदेश	गठित नहीं। अब गठित किया जा रहा है।
12.	जम्मू और कश्मीर	गठित नहीं है।
13.	झारखंड	राज्य में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति है जिसमें बाल विकास, विश्व बैंक, यूनिसेफ और जिला पोषण आदि के सदस्य शामिल हैं। यह परिचालन में है और इसकी बैठक भी हुई है।
14.	कर्णाटक	गठित है। परिचालित किया जाना है।
15.	केरल	गठित नहीं है, स्वास्थ्य सेवा प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राज्य पोषण अधिकारी की अध्यक्षता में राज्य पोषण ब्यूरो है
16.	मध्य प्रदेश	14 मई, 2010 को राज्य विधानसभा में अटल बाल आरोग्य एवं पोषण अपनाया है जिसे अटल बाल मिशन भी कहा जाता है।
17.	महाराष्ट्र	माता जी जाओ मिशन विद्यमान है।
18.	मणिपुर	गठित नहीं है।
19.	मेघालय	गठित नहीं है।
20.	मिज़ोरम	गठित है।
21.	नागालैंड	गठित नहीं है।
22.	ओडिशा	मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पोषण परिषद है।
23.	पंजाब	पंजाब के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पोषण परिषद है।
24.	राजस्थान	राज्य पोषण परिषद् का गठन कर दिया है।
25.	सिक्किम	गठित नहीं है।
26.	तमिलनाडु	एस.एल.सी. गठित कर दी गयी है।
27.	त्रिपुरा	गठित नहीं है। अब गठित किया जा रहा है।
28.	उत्तर प्रदेश	गठित नहीं है और राज्य पोषण नीति उपलब्ध है।
29.	उत्तराखंड	गठित कर दी गयी है।

1	2	3
33.	पश्चिम बंगाल	गठित नहीं है।, पश्चिम बंगाल ने चुनिंदा जिलों के लिए 2007 में एच.एस.डी.आई. के तहत राज्य पोषण रणनीति, 2008-2017 बनाई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के पोषण संबंधी ध्येयों को ध्यान में रखते हुए, और राज्य पोषण रणनीति 2008-2017, के कार्यान्वयन की सीख को ध्यान में रखते हुए राज्य पोषण नीति और राज्य पोषण परिषद् का गठन प्रक्रियाधीन है।
31.	पुदुचेरी	गठित है

[अनुवाद]

अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण

3217. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री आर. थामराईसेलवन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक इसकी उपलब्धियां क्या रही है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि कई कंपनियों ने पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का भुगतान किया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम सहित तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) करों के संग्रह के लिए निर्धारित बजट लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) वर्ष 2012-13 के लिए अप्रत्यक्ष कर के संबंध में बजट अनुमान (बी.ई.) तथा संशोधित अनुमान (आर.ई.) क्रमशः 5,05,044.34 करोड़ रु. तथा 4.69,546.09 करोड़ रु. था। चालू वित्त वर्ष में, अप्रैल 2012 से जनवरी, 2013 तक कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण 3,75,778 करोड़ रु. (यह आंकड़ा अनंतिम है तथा इनमें राजस्व विभाग द्वारा शासित उपकरों को शामिल नहीं किया गया है) था, जो संशोधित अनुमान 2012-13 की तुलना में 80% अधिक उपलब्धि दर्शाता है।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सरकार राजस्व में वृद्धि करने के उपाय कर रही है, जैसे कि, अधिनिर्णयन की लम्बिता का परिसमापन, संपुष्ट मांगों की वसूली, निर्धारितियों की लेखा-परीक्षा। अपवंचन निरोधी कार्य निष्पादकता में सुधार हेतु निर्यातित उपाय। इनमें आसूचना नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, उन मदों/सेवाओं जिनमें अपवंचन संभावित होता है कि पहचान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क तथा सेवा करों के अपवंचन के संबंध में अपराध करने के तरीकों के बारे में परिपत्र जारी करना, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, आयकर, बिक्रीकर, प्रवर्तन निदेशालय तथा वित्त आसूचना एकक जैसे अन्य प्रवर्तन अभिकरणों के साथ कर अपवंचन से संबंधित सूचना का आदान-प्रदान तथा समन्वय शामिल है।

पर्यटन परियोजनाओं को पूरा करना

3218. श्री हरिभाऊ जावले : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर की गई कुछ पर्यटन परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण को रोकने/वापस लेने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं; और

(ङ) सरकार के पास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने तथा इसके अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कौन-सा निगरानी-तंत्र है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) से (ङ) जी, हां। 10वीं पंचवर्षीय योजना की 81 पर्यटन परियोजनाएं प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं, भूमि की पहचान न होने आदि विभिन्न कारणों की वजह से अभी भी चल रही हैं। तथापि, वर्तमान नियम के अनुसार उन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियां जारी नहीं की जा रही हैं जिनके वित्त वर्ष 2010-11 तक जारी की गई निधियों के उपयोग प्रमाणपत्र लंबित है।

पर्यटन परियोजनाओं का विकास संवर्धन, कार्यान्वयन, निगरानी और समय पर पूर्णता मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय, क्षेत्रीय सम्मेलन, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा फील्ड निरीक्षणों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए भी पर्यटन मंत्रालय को राज्य स्तरीय निगरानी समितियों की आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में अस्पृश्यता

3219. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन : क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर पंजाब में आंगनवाड़ी केन्द्रों में अस्पृश्यता छूट के मामलों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने और भविष्य में इसकी पुनर्रावृति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) समेकित बाल विकास सेवा आई.सी.डी.एस. स्कीम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जो समूचे देश के सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। यह स्कीम निचले स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से (i) पूरक पोषण (ii) स्कूल पर्व अनौपचारिक शिक्षा (iii) पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा (iv) प्रतिरक्षण (v) स्वास्थ्य जांच तथा (vi) रेफरल सेवाओं सहित सेवाओं के पैकेज उपलब्ध कराते हुए 6 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों तथा गर्भवर्ती महिलाओं और धात्री माताओं के व्यापक विकास पर लक्षित है। प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं नामक तीन सेवाएं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जन-स्वास्थ्य प्रणालियों के समाभिरूप प्रदान की जाती है।

किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में अस्पृश्यता का कोई भी मालला सरकार के संज्ञान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) एक सर्वसुलभ कार्यक्रम है जो समाज के सभी वर्गों 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा गर्भवती धात्री माताओं के लिए लक्षित है।

पर्यटन में भारत की वैश्विक रैंकिंग

3220. श्री के. सुगुमार : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विपणन और ब्रान्डिंग की प्रभावशीलता के संदर्भ में पर्यटन में भारत वैश्विक रैकिंग 2006 के 59 से घटकर 2010 में 63 हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार संसाधनों के पुनर्वितरण के द्वारा गरीबी उन्मूलन करने हेतु पर्यटन क्रियाकलापों के माध्य से गरीबी के लाभ के लिए एक गरीब हितैषी पर्यटन दृष्टिकोण अपनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी) : (क) और (ख) वर्ल्ड इकानॉमिक फोरम की दि ट्रैवल एवं टूरिज्म क्पीटीटिवनेस रिपोर्ट 2011 ने विपणन और ब्रांडिग की प्रभावशीलता के संदर्भ में भारत को 63वें रैंक पर रखा है। अतुल्य भारत अभियान की प्रभावशीता को भारत मे पर्यटक आगमनों की संख्या द्वारा आंका जा सकता है जो वर्ष 2002 में, जब अतुल्य भारत ब्रैंड लाइन आरंभ की गई थी, 2.38 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2012 में 6.65 मिलियन (अनंतिम) हो कगई है। इसी अवधि में विदेशी मुद्रा आय (एफ.ई.ई.) 15064 करोड़ रूपए से बढ़कर 94487 करोड़ रूपए (अग्रिम अनुमान) हो गई। इसी अवधि में घरेलू यात्राएं भी 269.60 मिलियन से बढ़कर 850.90 मिलियन (अनंतिम) हो गई हैं।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय अपने विदेश स्थित कार्यालयों के माध्यम से रोड शो, भारत को जाने सेमिनार और कार्यशालाओं को भी आयोजित करता है और भारत में पर्यटक आगमों को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न भारतीय पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों के संवर्धन के लिए विभिन्न मेलों, प्रदर्शनियों और समारोहों में भाग लेता है।

(ग) और (घ) भारत में पर्यटन में तीव्रतर, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि का संवर्धन करने की संभाव्यता है और योजना आयोग द्वारा जारी किए गए 12वीं पंचवर्षीय योजना के 'एप्रोच पेपर' में पर्यटन को अपनी क्षमता के दोहन के लिए सक्षम बनाने के लिए संपूर्ण कार्यनीति दी गई है। यह पर्यटन से गरीबों को निवल लाभ्ज्ञ बढ़ाने के उद्देश्य से 'गरीब हितैषी पर्यटन' की अवधारणा को अपनाने पर बल देता है और सुनिश्चित करता है कि पर्यटन का विकास गरीबी में कमी लाए। इसमें रणनीति के एक व्यापक सेट की पहचान की गई है जिसमें उत्पाद और अवसंरचना विकास, कौशल विकास, मार्केटिंग, ब्रैंडिंग और संवर्धन, योजना बनाना, समाज के कमजोर वर्गों तक पर्यटन के लाभ पहुंचाने के लिए नीति और निवेश शामिल हैं। समाज के कमजोर वर्गों के युवाओं को नियोजनीय कौशल प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 'हुनर से रोजगार' स्कीम आरंभ की है।

सभापति महोदया : सभा मध्याहन 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाहन 11.35 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याहन 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री पी.सी. चाक्को** *पीठासीन हुए]*

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.0¼ बजे

(इस समय श्री लालू प्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अपराह्न 12.0½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री एस. गांधीसेलवन।

...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से सम्मिलित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुडुचेरी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुडुचेरी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

...(व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 8631/15/13]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) : महोदय, मैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2013-2014 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 8632/15/13]

...(व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) इंडियन स्ट्रेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन स्ट्रेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 8633/15/13]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्ष 2013-2014 के अनुदान मांगों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 8634/15/13]

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्ष 2013-2014 का परिणमी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 8635/15/13]

...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 8636/15/13]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) वित्त मंत्रालय के वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 8637/15/13]

(दो) संसद, राष्ट्रपति सचिवालय और उपराष्ट्रपति सचिवालय के वर्ष 2013-2014 के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 8638/15/13]

(तीन) वित्त मंत्रालय के वर्ष 2013-2014 का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 8639/15/13]

(3) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुम्बई के 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में खे गऐ। **देखिए** संख्या एल. टी. 8640/15/13]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 99 (अ) जो माल आयात हेतु विदेश व्यापार नीति 2009-2014 के पैरा 5. 11 के अंतर्गत निर्यात उपरान्त उपयोग के लिए ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (0% ईपीसीजी प्रकार) से छूट प्रदान किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 100 (अ) जो माल आयात हेतु विदेश व्यापार नीति 2009-2014 के पैरा 5. 11 के अंतर्गत निर्यात उपरान्त उपयोग के लिए ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (3% ईपीसीजी प्रकार) से छूट प्रदान किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 106 (अ) जो 19 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 114 (अ) जो 20 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई , 1996 की अधिसूचना संख्या 39/1996-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 79(अ) जो 13 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति 2009-2014 की निर्यात संवर्धन पूंजी माल योजना और संशोधन को लागू किया गया है जिसमें वे शर्तें विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जिनके अध्यधीन एक उत्तरवर्ती प्रभार के लिए उत्प्ररकों को ईपीसीजी स्कीम से संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचनाओं के अंतर्गत आयात की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 86(अ) जो 14 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो विशाखापत्तनम विमान पत्तन को उन पत्तनों की सूची में शामिल किए जाने के बारे में हैं, जहां से निर्यात संवर्धन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जारी सीमा शुल्क अधिसूचना के अंतर्गत आयात और निर्यात की अनुमति दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 8641/15/13]

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित

अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनिमय, 2012 जो 19 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/22/5429 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अऋजु व्यापार पद्धति का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 11 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/25/5455 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 8642/15/13]

(7) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की धारा उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) असम ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारियों और कर्मचारियों) सेवा विनियम, 2010 जो 6 नवंबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 294 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बलिया इटावा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 5 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एच.ओ./2011/10/पीआरएस/1086 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5122/एफ-93-पीएआईआरडी/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 8643/15/13]

(9) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 113(अ) जो 20 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 101 (अ) जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा विदेश व्यापार नीति 2009 के पैरा संख्या 5.11 के अन्तर्गत निर्यात उपरान्त उपयोग के लिए ईपीसीजी डयूटी क्रेडिट स्क्रिप (0% ईपीसीजी प्रकार) से छूट प्रदान किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्क ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 102 (अ) जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो माल के आयात हेतु विदेश व्यापार नीति 2009-2014 के पैरा संख्या 5.11 के अंतर्गत निर्यत उपरान्त उपयोग के लिए ईपीसीजी डयूटी क्रेडिट स्क्रिप (3% ईपीसीजी प्रकार) से छूट प्रदान किए जाने के बारे में तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल. टी. 8644/15/13]

...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

10. (एक) सेंट्रल कांउसिल फॉर रिसर्च इन योग एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल कांउसिल फॉर रिसर्च इन योग एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 8645/15/13]

(3) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 8646/15/13]

(5) औषधिक और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (पाँचवां संशोधन) नियम, 2012 जो 26 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 844 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धिपत्र जो 19 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 105 (अ) में प्रकशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 8647/15/13]

(7) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 8648/15/13]

...(व्यवधान)

संसदीय समितियाँ (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को छोड़कर)-कार्य सारांश★

[अनुवाद]

अपराह्न 12.03 बजे

महासचिव : महोदय मैं, संसदीय समितियाँ (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को छोड़कर)- कार्य-सारांश (1 जून, 2010 से 31 मई, 2011) के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

...(व्यवधान)

★सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8649/15/13)

अपराह्न 12.03½ बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र की समीक्षा के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति★

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत) : महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73क के अनुसरण में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं सदन के माननीय सदस्यों के लाभ के लिए यह सूचित करना चाहूंगा कि केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला की समीक्षा के संबंध में 15वीं लोक सभा की जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की 11वीं रिपोर्ट लोक सभा में 27 मार्च, 2012 को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में 13 सिफारिशें थीं। जल संसाधन मंत्रालय ने इन सिफारिशों पर जून, 2012 की स्थिति के अनुसार कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां जून, 2012 में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति को भिजवाई थीं। स्थायी समिति की रिपोर्ट (11वीं रिपोर्ट) लोक सभा के पटल पर 27 नवम्बर, 2012 को रख दी गई हैं। ...*(व्यवधान)*

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति, सभा पटल पर रखे गए मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दर्शाई गई हैं। मैं इस अनुलग्नक की पूरी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए सदनों का कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा। मै। अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए। ...*(व्यवधान)*

★ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8650/15/13

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह धाटोवार) : महोदय, मैं अपकी अनुमति से इस बात की घोषणा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि सोमवार, 18 मार्च 2013 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे:-

1. आज के आदेश पत्र से अग्रेषित किसी सरकारी कार्य पर विचार किया जाना।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड संशोधन अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्या 1) के निरनुमोदन के लिए सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा राज्य सभा द्वारा यथाप्राप्ति भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाना और पारित किया जाना।
3. दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 का संख्या 3) के निरनुमोदन हेतु सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाना और प्राप्ति करना।
4. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया जाना और इन्हें पारित किया जाना :-

   (क) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक; 2012

   (ख) राष्ट्रीय उच्च शिक्षा प्रत्यापन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010

   (ग) अग्रिम संविदा (विसयमन) संशोधन, विधेयक, 2010
5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक, 2010 मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2012 पर आगे विचार किया जाना और इसे पारित करना

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब वक्तव्य पर निवेदन

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा) : सभापति जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित विषय को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:-

(1) मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा (गुजरात) के त्वरित विकास हेतु उद्योगों की स्थापना की जाए।

(2) कृषि की सिंचाई हेतु पानी की समुचित व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : शेख सैदुल हक - उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जय प्रकाश अग्रवाल - उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री जय प्रकाश अग्रवाल - उपस्थित नहीं।

श्री ए. टी. नाना पाटील।

श्री ए. टी. नाना पाटील (जलगांव) : सभापति जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित विषयों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:-

(1) पिछले दो सालों से जलगांव एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद भी आज तक उस पर कोई एयरलाइन सेवा या कार्गो सेवा नहीं देने से वहां की जनता में असंतोष है। यह देखते हुए उन्हें तत्काल एयरलाइन सेवा और कार्गो सेवा शुरू करने के लिए सरकार निर्देश जारी करे।

(2) महाराष्ट्र में एनएच-6 धुले-अमरावती 2500 करोड़ रुपयों का टेंडर 6 जून, 2012 को मंजूर हो कर एग्रीमेंट भी हुआ है। लेकिन अभी तक कार्य आरंभ आदेश जारी नहीं किया गया है। इसके नाम पर सैंकड़ों करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पर खर्च करके गुमराह किया जा रहा है।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम) : सभापति जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित विषय को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:-

(1) गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना पर नर्मदा डैम की ऊंचाई 121 मीटर से बढ़ा कर 138 मीटर तक करने का फैसला शीघ्र लिया जाए।

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर) : सभापति जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित विषयों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:-

(1) महाराष्ट्र राज्य के उत्तर महाराष्ट्र के लिए स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडल की स्थापना करने हेत राज्य घटना के अनुच्छेद 371 (2) (अ) में संशोधन करने की आवश्यकता।

(2) महाराष्ट्र राज्य के धनगर समाज को अनुसूचित जाति की सूची में समाविष्ट करने हेतु राज्य घटना के अनुच्छेद 341 में संशोधन करने की आवश्यकता।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : सभापति जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित विषयों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:-

(1) देश की सर्वोच्च व निचली प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता समाप्त की जाए।

(2) देश के पिछड़े जिलों में जहां अनुसूचित जाति एवं

जनजाति, पिछड़े अल्पसंख्यक वर्गों की आबादी वाले इलाकों के समग्र विकास, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा आवास की व्यवस्था कराई जाए।

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : मैं अनुरोध करता हूँ कि अगले सप्ताह के कार्य में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाए:-

(एक) थोक आपूर्ति लेने वाले राज्य परिवहन निगमों सहित सभी उपभोक्ताओं को बाजार निर्धारित मूल्य पर डीजल बेचने हेतु तेल विपणन कंपनियों को प्राधिकृत करने के निर्णय को समीक्षा करने की आवश्यकता।

(दो) कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल विनियमन समिति गठित करने की आवश्यकता।

(2) धार्मिक आस्था के कारण धार्मिक आयोजनों में अत्यधिक भीड़ होने पर भगदड़ मज जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : सभापति जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित विषयों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:-

(1) एयरपोर्टों पर समान की चैकिंग के लिए एयरपोर्ट में प्रवेश द्वार के बाहर चैकिंग पोस्ट की आवश्यकता है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित विषयों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:-

(1) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उनके कार्यान्वयन की समीक्षा एवं मूल्यांकन तथा उसमें गतिशीलता लाने के लिए सदन में चर्चा की जाए।

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के प्रथम प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की गई है। उस पर सदन में चर्चा की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : शेख सैदुल हक।

शेख सैदुल हक (बर्धमान, दुर्गापुर) : मैं अनुरोध करता हूँ कि अगले सप्ताह के कार्य में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:-

(एक) राज्य सरकार के सहयोग से बर्धमान, पश्चिम बंगाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता।

(दो) बोल पहाड़ी, झारखंड में दामोदर घाटी निगम परियोजना में नए बांध का निर्माण करने की आवश्यकता।

अपराह्न 12.10 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : मैं श्री कमलनाथ की ओर से प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा 14 मार्च, 2013 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 14 मार्च 2013 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए। मैं उन सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगी, जिन्होंने बोलने के लिए सूचना दी है। लालू जी, आप बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : लालू जी, अब आप बोल सकते हैं। माननीय सदस्यगण, कृपया अपने अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.12 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री पी. सी. चाको** *पीठासीन हुए]*

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य बनाए जाने की कथित अधिसूचना के बारे में

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम 'शून्यकाल' शुरू करेंगे। श्री लालू प्रसाद जी।

सभापति महोदय : मैंने श्री लालू प्रसाद जी बोला है।

..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : बैठिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : लालू जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (सारण) : महोदय, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन में अंग्रेजी जानने वाले लोगों द्वारा कान्सपिरेंसी हुई है। पूरे भारत के गांवों से बच्चे देशी भाषाओं के रहते आईपीएस की परीक्षा देते थे। हमने, हमारे पुरखों ने, भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। ...*(व्यवधान)* जितनी भी रीजनल भाषाएं हैं, उन्हें दरकिनार करके, हिंदी को दरकिनार करके 100 नंबर का अंग्रेजी का पेपर इन्सर्ट किया है। सारे देश की रीजनल भाषाओं और हिंदी जानने वाले गांव के बच्चों के लिए साजिश के तहत ऐसा किया गया है कि जो अंग्रेजी का 100 नंबर का पेपर पास नहीं करेगा, वह मेरिट में इन्कलूड नही होगा। शुरु से ही मंडल कमीशन का दबाव हम लोगों पर पड़ा, क्रीमी लेयर बनाकर पक्षपात किया गया। यही नहीं नॉट फाउंट स्यूटेबल, नॉट टर्न अप किया गया। मेरिट में जो बच्चे बैकवर्ड क्लास से आते हैं, उन्हें आरक्षण कोटा में रखा जाता है। यह गंभीर साजितश हुई है। हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, एसपी पार्टी के शैलेन्द्र जी और तमाम सदस्यों ने भी दिया है। हम कहना चाहते हैं कि देश में हिंदी की उपेक्षा, इन्सल्ट कैसे की? यह राष्ट्र का अपमान है। इसे रोल बैक कीजिए। इससे पहले जो व्यवस्था थी, उसे कायम करने का सरकार का मैसेज जाना चाहिए। यह ठीक है कि कांस्टीटयूशनल बॉडी है। लेकिन कांस्टीयूशनल बॉडी सरकार से बाहर नहीं है, संसद से बाहर नहीं है। देश में लोगों को काफी गुस्सा है। तमाम दल के लोगों ने दल से अलग हटकर भाषा के सवाल को रखा है। जिस भी अधिकारी ने कांस्पीरेसी की है, उन्हें चिहिनत करके दंडित किया जाना चाहिए।

महोदय, शायवे वे समझ रहे हैं कि यह देश उनका है। यह देश पंजाबी, तेलुगु, तमिल, उड़ीया, बंगाली, भोजपुरी और हिंदी रीजनल भाषाओं को जानने वालों का है। हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे। हम ज्यादा भाषण करना नहीं चाहते हैं। सब सदस्यों की बात सुनने के बाद इसे रोल बैक कीजिए, हटाइए, पहले जो स्टेट्स था उसे कायम कीजिए। इस तरह का साहस हरगिज नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था कीजिए। हम सरकार से ठोस जवाब चाहते हैं।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर) : महोदय, मैं अपने आपको इस मुद्दे के साथ संबंद्ध करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपका नाम बाद में बोलूँगा, आपका नाम बोला जाएगा, श्री गोपीनाथ मुंडे जी।

[हिन्दी]

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड) : महोदय, आज सदन में यह मुद्दा उठा है। यूपीएससी में भारतीय भाषा और देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में परीक्षा होती थी लेकिन अब अंग्रेजी भाषा को कम्पलसरी किया गया है। अंग्रेजी के मार्क्स सिलैक्शन में कम्पलसरी जुड़ेंगे इसलिए जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, उन्हें तकलीफ हुई है। देश के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाओं तमिल, मराठी, कन्नड़, मैथिली, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं का प्रयोग होता है। इन सभी भाषाओं में स्टूडैन्ट्स परीक्षा देते हैं। ये कौन सा ऐसा फैसला यूपीएससी ने लिया है, जो अंग्रजी को कम्पलसरी किया और भारतीय भाषाओं को दूर किया। यह सभी भारतीय भाषाओं के साथ अन्याय है, इनजस्टिस है और जुल्म है। रूपीएससी ने सरकार से कंसल्ट किये बिना ऐसा फैसला किया है। हमारे देश में पिछड़े वर्गों, ओबीसी, शूडयूल्ड कास्ट्स, शेडयूल्ड ट्राइब्स आदि वर्गों के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अंग्रेजी लागू करने से इनके बच्चे आईएएस और आईपीएस नहीं बन पायेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई नहीं जाती है। ऐसे बच्चों को आप आईएएस और आईपीएस बनाना नहीं चाहते हैं। भारतीय भाषाओं को जानने वाले बच्चे आईएएस, आईपीएस और सैंट्रल सर्विसेज में न आ पायें, जानबूझकर इसकी व्यवस्था की गई है। चूंकि एग्जामिनेशन होने वाला है, इसलिए सरकार इस फैसले को बदलने में देरी न करे, बल्कि तुरंत इस पर फैसला लेना चाहिए कि जो पुरानी पद्धति थी, जो भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने का अधिकार था, इस देश के स्टूडैन्ट्स को वह अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अंग्रेजी अनिवार्य करके क्या आप अंग्रेजी के गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। अंग्रेज देश छोड़कर चले गये, लेकिन आप अंग्रेजी को हमारे माथे पर कम्पलसरी क्यों कर रहे हैं। आपने अंग्रेजी को कम्पलसरी किया है, उसके मार्क्स भी फाइनल लिस्ट में जोड़े जायेंगे और अंग्रेजी के मार्क्स को वेटेज दिया जायेगा और इस वेटेज के कारण ग्रामीण, आदिवासी, ओबीसी, शूडयूल्ड कास्ट्स, शेडयूल्ड ट्राइब्स आदि वर्गों के बच्चे इस परीक्षा में सिलैक्ट नहीं हो पायेंगे। यह इनजस्टिस विद भारतीय भाषा है, यह इनजस्टिस विद बैक्वर्ड क्लासेज है। इसलिए हम चाहते हैं कि अंग्रेजी के बारे में जो फैसला यूपीएससी ने लिया है, वह एक इंडिपेन्डन्ट बॉडी है, यह हम जानते हैं। लेकिन सरकार इसमें पहल कर सकती है, सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है और संसद भी हस्तक्षेप कर सकती है। संसद से बड़ा कोई नहीं है। कोई भी संस्था संसद को आन्सरेबल है। पार्लियामैन्ट सुप्रीम है।

इसलिए मेरी मांग है कि यूपीएससी द्वारा किये गये फैसले के बारे में सरकार जल्द से जल्द संसद को अवगत कराये और को आश्वासद दे कि यह फैसला वापस लिया जायेगा, ऐसा आश्वासन हम आपसे चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : महोदय, यह विषय मैं पहले भी शून्यकाल में उठा चुका हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस मुद्दे पर श्री शिवराम गौडा, श्री हंसराज गं. अहीर, श्री राकेश सिंह, श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण और डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी को स्वयं को श्री गोपीनाथ मुंडे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सबको अवसर मिलेगा।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी) : सर, मैं तेलुगु में बोलना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि ट्रांसलेशन की उपलब्ध होगी। ...*(व्यवधान)* मैं अंग्रेजी, हिन्दी और तेलुगु में बोल सकता हूँ।

सभापति महोदय : ऑर्डर प्लीज, आप मैम्बर की बात सुनिये।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली : जैसे आप हिन्दी को चाहते हैं, वैसे ही हम ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्लीज, चेयर को एड्रैस कीजिए।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली : महोदय, मैं सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि जैसे आप लोग हिंदी को चाहते हैं, वैसे ही हम लोग तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी आदि भाषाओं को चाहते हैं। इसीलिए भाषा को मदर टंग बोलते हैं। भाषा को मदर टंग इसलिए बोलते हैं, क्योंकि वह मां समान होती है। मां के भीतर भगवान है, इसलिए मां भगवान है। इसलिए भाषा को मदर टंग बोलते हैं।

अभी जो यूपीएससी एग्जाम के बारे में हमने देखा है, यह बदलाव किसी के लिए अच्छा नहीं है। हमें ऐसी थिंकिंग में कभी नहीं पड़ना है कि अंग्रेजी जानने वाले लोग बाकी लोगों से बड़े हैं, यह ठीक नहीं है। अंग्रेजी जानना अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी जानना ही क्वालिफिकेशन नहीं बनना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कामराज नाडार जी थे, जिन्हें भारत का सबसे इन्टेलेक्चुअल पोलिटीशियन माना जाता था। पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे राजनीतिज्ञ, जब भी क्राइसेस होता था तो वह कामराज नाडार से सम्पर्क करते थे। यह हिस्ट्री है। मेरे ख्याल से कामराज नाडार जी को तमिल के सिवाय और कोई भाषा नहीं आती थी और वे इसके अलावा कभी किसी भाषा में बात नहीं करते थे। हमारी राजनीति में भी बहुत से इन्टेलेक्चुअल लोग हैं, जिनका भाषा पर भले ही कमांड न हो, वे सिर्फ अपनी मदर टंग ही जानते हैं। मगर उकनी इंटलेक्चुअल उससे नहीं नाप सकते हैं। इसीलिए मैं इस सभा और सरकार से अपील कर रहा हूँ कि तेलुगू भाषाओं में यूपीएससी के जो एक्ज़ाम्स हो रहे थे, उन्हें वैसे ही करवाइए। जैसा था वैसे ही करवाइए। इंग्लिश को किसी अन्य भाषा से ज्यादा बढ़ावा दे कर, उसे उन्नत स्थान देने की कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश रहने की बहुत जरूरत है। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। इंग्लिशन को रखना है, मगर इंग्लिश को प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है। अन्य भाषाओं को समान श्रद्धा देने की जरूरत है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रामासुब्बू को भी अरूण कुमार वुंडावल्ली द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री धर्मेन्द्र यादव।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : सभापति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाएं, जो संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज हैं, उनको संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से निकलने का जो निर्णय लिया गया है, यह बहुत गलत है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी कोई निर्णय नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, यह कोई मामूली निर्णय नहीं है। हमारी संविधान सभा से जुड़े हुए लोग और स्वतंत्रता सेनानियों ने नारा दे-देकर, हमारे संविधान की रक्षा करने का निर्णय लिया था। नारे दिए थे-लोहिया जी की अभिलाषा, चले देश में देशी भाषा। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। इन सभी भावनाओं से हमने देश का संविधान बनाया। संविधान बनाने के लिए, भारतीय भाषाओं की रक्षा के लिए, हम कभी अकेले हिंदी की बात नहीं करते हैं। हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं की बात करते हैं। उसकी रक्षा के लिए, इसी सदन ने राजभाषा अधिनियम बनाया। राजभाषा अधिनियम बनाने के बाद राजभाषा समिति बनाई। सभी राष्ट्रीय कार्यालयों की जांच के लिए समिति बनाई। सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। वहीं दूसरी ओर, जिस तरह का यह कानून बनाया है, यूपीएससी ने निकले जो अधिकारी होंगे, अगर वे केवल अंग्रेजी जानने वाले होंगे, तो मैं समझ नही पा रहा हूँ कि वे हमारी भारतीय भाषाओं की रक्षा कैसे कर लेंगे? एक नहीं अनेक अत्याचार होते हैं, एक नहीं अनेक शोषण होते हैं। पहले हमारी दोहरी पढ़ाई के माध्यम

से शोषण, फिर अगर गांव-गरीब के लड़के किसी तरह अपनी क्षमता से अगर देश की सेवाओं में आ जाते हैं तो फिर से शोषण होता है। यह कोई मामूली शोषण नहीं है। हिंदी और भारतीय भाषाओं को केवल हटाया ही नहीं गया है, केवल अंग्रेजी को कंपलसरी ही नहीं किया गया है, बल्कि आप सब को जान कर आश्चर्य होगा कि उसमें जो निंबंध का पेपर होता है, उस निबंध के पेपर और अंग्रेजी के पेपर को जोड़ दिया गया है। जिस छात्र की अंग्रेजी कमज़ोर होगी, उसका निबंध का पेपर भी कमज़ोर पड़ जाएगा। एक ही पेपर है। दो सौ नंबर का निबंध का पेपर और सौ नंबर का अंग्रेजी का पेपर है। जब वे दोनों एक ही हो गए, तो तीन सौ नंबर से आपने पहले ही पीछे कर दिया। देश के अंदर कितने षडयंत्र करोगे?

सभापति महोदय, षटयंत्र करने वाले कौन लोग हैं? पूरे सदन को इस पर सोचना पड़ेगा। यह केवल प्रतियोगी छात्र-छात्राओं के साथ अन्याय नहीं है। देश के अंदर हम बड़ा संकल्प लेते हैं कि हमारे देश के 80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं। ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, यह देश के 80 फीसदी लोगों को देश की तमाम मुख्यधाराओं से दूर करने का षडयंत्र है। क्षेत्रीय भाषाओं के बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं। अरूण जी बोल रहे थे। हम अपनी सारी भारतीय भाषाओं का समर्थन करते हैं। सभापति जी, हम यह अपील करते हैं कि हिंदी की बजाय अगर हटाने का संकल्प लेना है तो अंग्रजी को हटाने का संकल्प यह सदन पारित करे, जिससे हमारे देश का स्वाभिमान, हमारे देश का संविधान बढ़ सके।

[अनुवाद]

श्री धर्मेन्द्र यादव : माननीय सदस्यगण कृपया इस विषय पर संक्षेप में कहें। श्री शरद यादव।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, इस सवाल ने देश भर को बेचैन किया है। भारतीय भाषाओं के सभी बच्चे बड़ी संख्या में मुझ से मिलते रहें हैं। आज सदन में इस मुद्दे को जिन लोगों ने उठाया है, मैं उनका आभार मानता हूँ। यह भारतीय भाषाओं का सवाल है। एक बात जान लीजिए कि हिंदुस्तान सदियों से पीछे है, इसमें बहुत बड़ा कारण अंग्रेजी का है। आदमी का चिंतन उसकी मातृभाषा से होता है। भोजपुरी हो या चाहे मैथिली हो सभी माँ की बोलिया हैं। सारी दुनिया में भाषाओं का अलग-अलग किस्म से एवल्युशन हुआ है। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। माननीय सदस्य जिस बात को कह चुके हैं, मैं उसको दोहरना नहीं चाहता हूँ।

चिदम्बरम साहब, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब से यूपीएससी में नये अध्यक्ष बने हैं, इनकी यह लगातार कोशिश रही है। आपका पता होना चाहिए कि बैकवर्ड क्लास के लोग ग्रुप ए में कुल 4.3 परसेंट हैं, कौन हाथ है, जो यह कैंची चला रहे हैं, आप देते हैं और लोग कैंची चलाते हैं। यह मामला गंभीर है, इसे सिर्फ सुधारने की जरूरत नहीं है, जैसा लोगों ने कहा, इस आदमी को यूपीएससी से, यदि आप नहीं कर सकते, यह संवैधानिक संस्था है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले दिन से उस आदमी ने यह काम किया है, यह ऐसा अंग्रेजी का मुरीद आदमी है, इसने सारी भारतीय भाषाओं को तबाह कर दिया है। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप उससे कहिए, उसे बर्खास्त कीजिए या इम्पीचमेंट करने के लिए यहां आइये, जिससे आगे आने वाला कोई आदमी इस तरह की हरकत न करे। यदि आपने इसे ठीक नहीं किया, इस आदमी का माथा ठीक नहीं किया तो हम इम्पीचमेंट लायेंगे। इसमें सब ब्यूरोक्रेट्स लोगों को बिठाते हैं, ये कोई काम नहीं करते हैं। आपने तो कास्ट सेंसस के बारे में यहां आश्वासन दिया था, यहां प्रणब बाबू नेता थे, उसका क्या हुआ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 80 फीसदी लोगों के साथ अन्याय की उम्र बहुत बढ़ गयी है। यह ऐसा अन्याय हुआ है कि पूरे देश में जो भाषायी स्कूल हैं, उनके बच्चों के रोजगार खत्म हो गये। एक ठिकाना यह बचा था, इस ठिकाने को भी इन लोगों ने बन्द करने का काम किया, इसका षडयंत्र किया। इन षडयंत्रकारियों को सजा होनी चाहिए और आप सज़ा न दे सकें तो यहां इम्पीचमेंट लाना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य गण, यह अति महत्वपूर्ण मुद्दा है परंतु अपनी अभिव्यक्ति में संयम बरतिए, कृपया अध्यक्षपीठ को बाध्य न करें, जिससे कि उन्हें आपके कथन को कार्यवाही वृत्तान्त से निकालना पड़े।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर) : सभापति महोदय, वणक्कम। यद्यपि मैं तमिल में बोलना चाहता था, तथापि तमिल दुभाषिए के उपलब्ध नहीं होने के कारण मैं अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य हूँ।

महोदय, सं.लो.से.आ. की परीक्षाएं गत वर्ष और उससे पहले के वर्षों के दौरान बिना किसी बाधा के चल रही थीं। अब इस पद्धति को परिवर्तित करने की क्या आवश्यकता है? सं.लो.से.आ. को इस पद्धति को बीच में ही परिवर्तित करने का अधिकार किसने दिया है? हम सं.लो.से.आ. की इस अधिकारवादी कार्रवाई को स्वीकार नहीं कर सकते? सं.लो.से.आ. संवैधानिक निकाय हो सकता है, परंतु ये सभी बातें जनता से जुड़ी हैं। अंग्रेजी राजभाषा नहीं है; अंग्रेजी संपर्क भाषा है।

राज्यों में क्षेत्रीय भाषाएं हैं; मेरे राज्य में, तनिक राजभाषा है। प्रत्येक राज्य की अपनी राजभाषा है। अंग्रेजी न तो राज्य की राजभाषा है और ना ही राष्ट्र की राजभाषा है। यह केवल संपर्क भाषा है। जब देश के अधिकारी कर्तव्यों में संपर्क भाषा इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी, तो क्षेत्रीय भाषाओं का क्या होगा? हम यह मांग करते रहे हैं कि सभी राज्यों की राजभाषा को इस देश की राजभाषाएं बनाया जाए।

इन परिस्थितियों में, यदि हम सं.लो.से.आ. और अन्य परीक्षाओं का नियंत्रण अंग्रेजी को देते हैं तो हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं होगा और हम अंग्रेजी से बंध जाएंगे। जैसा कि अन्य नेता बता रहे थे, हम एक बार पुन: अंग्रेजी के गुलाम हो जाएंगे।

यदि हमारे नेता डॉ. कलैंगनार एम. करूणानिधि की इच्छा थी और वह यह मांग करते रहे कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इस देश की राजभाषाएं बना दिया जाना चाहिए।

अत:, सं.लो.से.आ. को तत्काल आदेश दिया जाना चाहिए कि वह इस नई प्रक्रिया का पालन नहीं करे। इन्हीं शब्दों के साथ, मेरा कहना है कि परिवर्तन को वापस किया जाना चाहिए और यथा पूर्व स्थिति बनाए रखी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति जी, हमारे देश के अलग-अलग प्रांतों की अलग-अलग भाषाएँ हैं। हम लोगों को इस सदन में पिछले दिनों बार-बार यह मांग करनी पड़ी जब हमने देखा कि आंचलिक भाषाओं पर आक्रमण हो रहा है। परिवर्तन हुआ, सरकार ने नीति बदली कि अपनी भाषा में यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। यह जो अधिकार हमारे देश के नोजवानों को मिला, उसके लिए हमें सदन के अंदर और सदन के बाहर लड़ाई करनी पड़ी। तब सरकार के ऊपर दबाव डालकर सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, ऐसी नीति अपनानी पड़ी। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि सरकार की एक नीति है, लेकिन नारायणसामी बोलेंगे कि सरकार की क्या नीति है। एक बार नही कई बार सरकार ने बताया है कि यह नीति है कि अपनी भाषा में परीक्ष्ज्ञा दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)* लेकिन सरकार की इस नीति के विरोध में ...*(व्यवधान)* यह संवैधानिक अधिकार है हमारे देश के लोगों को कि संविधान की आठवीं अनुसूची में जिन भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उन भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। यह अधिकार हमारे देश के नागरिकों को दिया गया। आज यह अधिकार छीना जा रहा है। हम कहेंगे कि यूपीएससी का यह जो नोटिफिकेशन या सर्कुलर है, इसके द्वारा हमारे देश के नागरिकों से उनका अधिकार छीना जा रहा है, उनके अधिकार पर हमला हो रहा है,...*(व्यवधान)* इसलिए हम चिन्तित हैं। हम मांग करेंगे कि इस सदन में सरकार बताए कि यह जो सर्कुलर जारी हुआ है, उसके द्वारा जो संवैधानिक अधिकार पर हमला हुआ है, उस सर्कुलर को तत्काल वापस लें और कभी ऐसा नही होगा, ऐसा आश्वासन यह सरकार इस सदन में दे।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : दिनांक 5 मार्च, 2013 को सं.लो.से.आ. का परिपत्र सचमुच अत्यंत दुखद विषय है। हम उनको जानते हैं, जो यह जानते हैं कि जवाहर लाल नेहरू जी के कुशल नेतृत्व में दबाव बनाने के लिए कड़ा कदम उठाया गया था कि हिंदी इस देश में एकमात्र संपर्क भाषा बने। इस राष्ट्र को वास्तव में विभाजन की कगार पर ला खड़ा किया था हम सब जानते है। कि पचास और साठ के दशक में किस प्रकार से डी.के. आंदोलन में किस प्रकार से तेजी आई।

जब हमारी यह पृष्ठभूमि है, और इस देश में बहुत सारी

भाषाएं हैं जो कि समृद्ध हैं अथवा संभवत: अन्य भाषाओं से अधिक समृद्ध हैं तो यह वास्तव में दुखद विषय है कि सं. लो.से.आ. ने केवल दो भाषाओं का विकल्प चुनने का निर्णय लिया है अंग्रेजी और हिन्दी, यदि आप हिंदी नहीं जानते तो आप स्वयं को भारतीय नही कह सकते। मुझे प्रसन्नता है कि हर कोई बड़े नेताओं से लेकर मेरे जैसे छोट आदमी तक इस मानसिकता, एक विशेष भारतीय भाषा को हर किसी के ऊपर थोपने के इस कदम का विरोध करने में एक जुट है। जिसके कारण अन्नाद्रमुक नेता और तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री को यह विश्वास करके कहना पड़ा कि यह भेदभावपूर्ण अधिसूचना है उसका हम बीज जनता दल की ओर से हार्दिक समर्थन करते हैं। छात्रों और आवेदकों की अपनी मातृभाषा, अपनी-अपनी भाषाओं में लिखने का अवसर मिलना चाहिए भले ही वह मलयालम, उड़िया, बंगाली, गुरूमुखी, तमिल, तेलुगू, मराठी अथवा गुजराती हो। मैं भारतीय भाषाओं की बात कर रहा हूँ। मैं किसी अन्य भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ।

अत: यह आवश्यक है कि यह सभा इस तथ्य को स्वीकार करे कि हमें अंग्रेजी के साथ-साथ सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करना होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मान लीजिए कि आपके किसी एक कर्मकार के विरुद्ध केरल मे कोई मुकदमा होता है और उसका निर्णय मलयालम भाषा में आता है और उसे गरीब कर्मकार को उच्चतम न्यायालय में अपली करनी है। कल्पना कीजिए कि उसे इस निर्णय का अनुवाद कराने किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अत:, अंग्रेजी निश्चित रूप से संपर्क भाषा है परंतु हमें अंग्रेजी के साथ अन्य प्रत्येक अन्य भारतीय भाषा को रखना होगा ना कि सिर्फ हिंदी। यही मेरा अनुरोध है।

हम दिनांक 5 मार्च 2013 के सं.लो.से.आ. की इस अधिसूचना की निंदा करते हैं। इसके अतिरिक्त यह सभा इस बात से अवगत नहीं है कि वह अन्य और क्या परिवर्तन लाया है। परंतु इनकी भी अच्छी तरह से संवीक्षा की जानी चाहिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इसकी समीक्षा करे और इस अधिसूचना को वापस ले जो विशेष रूप से केवल उत्तर भारत की हिंदी भाषा को विशेषरूप से रेखांकित कर रही है। इसे हर किसी को अंग्रेजी के साथ बराबर अवसर देना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे) : सभापति महोदय, आदरणीय लालू जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि हर राज्य की भाषा का महत्व देना चाहिए। हमारे देश के ऊपर जो अंग्रेजों ने डेढ़ सौ साल तक राज किया है। हमने आजादी के 65 साल बाद आज इस बात को इस सदन में उठा रहे हैं, इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती है। मै। समझता हूं कि हमें इस सदन के माध्यम से उन बच्चों के पीछे खड़े रहकर उन्हें हौसला देना चाहिए कि आप चिंता मत करो, यह पूरी पार्लियामेंट आपके साथ है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि यह सर्कूलर निकलने के बाद हमारे महाराष्ट्र के बच्चे हमें पिछले दो-चार दिनों में मिले हैं, सभी दलों के सांसदों को मिले, उन्होंने कहा कि यह हमारे ऊपर अन्याय होगा। ऐसे कितने आईएएस और आईपीएस हैं, जो कहते थे कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम आईएएस या आईपीएस नहीं बन सकते थे। मैं सदन के माध्यम से विनती करता हूं कि सरकार इसके बारे में क्या कदम उठाने वाली है, इसके बारे में सदन को बताए ताकि आने वाले भविषय में यह न हो।

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : सभापति महोदय, अधिकांश सदस्यों ने सं.लो.से.आ. की इस अधिसूचना के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। दिनांक 13.03.2013 को तमिलनाडु की हमारी मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री को अ. शा. पत्र लिखा है। मैं उस पत्र से कुछ उद्धत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि : "मैं आपका ध्यान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2013 से आगे के लिए सिविल सेवा परीक्ष्ज्ञा में किए गए परिवर्तन की हाल ही में जारी की नई अधिसूचना की ओर आकर्षित करती हूँ। ये परिवर्तन अत्यंत भेदभावपूर्ण हैं और ये परिवर्तन देश के अहिंदी भाषी क्षेत्रों से सिविल सेवा परीक्षार्थियों के विरूद्ध व्यवस्था तैयार करने हेतु सोचे समझे परिवर्तन प्रतीत होते हैं।"

उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया और चार मुद्दे रखे। पहला मुद्दा यह है कि अधिकांश व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मातृभाषा में अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात् जब वे उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो उन्हें कुछ अन्य भाषा में पढ़ना पड़ता है। अधिकांश मामलों में, उन्हें अंग्रेजी माध्यम अपनाना पड़ता है। सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के कारण

[डॉ. एम. तम्बिदुरई]

आप उनके लिए सं.लो.से.आ. की परीक्षा अनिवार्य रूप से अंग्रेजी भाषा में देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अब तक, हमारे छात्रों के पास परीक्षा अपनी मातृभाषा में देने का विकल्प था वे परीक्षा में तमिल भाषा का प्रयोय कर सकते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

यह विकल्प दिया जाता है। अब छात्र गणित और रसायन जैसे विभिन्न विष्य अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। परंतु उन्हें संघ लोक सेवा आयोगी की परीक्षा अपनी मातृभाषा में देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अधिसूचना में दूसरा विषय यह है कि एक छात्र के पास तमिल साहित्य नहीं है तो वह तमिल साहित्य के विषय का विकल्प नहीं चुन सकता। यही दूसरा भेदभाव किया जा रहा है तीसरे यदि अपनी मातृभाषा में परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र में 25 से कम छात्र हैं तो छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी यह एक अन्य व्यवस्था है जो उन्होंने इस संबंध में की है। चौथे, पहले परीक्षा किसी भी भारतीय भाषा में देने का विकल्प था, परंतु अब यह प्रावधान हटा लिया गया है। अब इस अधिसूचना द्वारा लाए गए इन परिवर्तनों के कारनण लोगों, विशेषकर तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने अपने दावे को दोहराया है कि इसे वापस लेना होगा। अधिकांश लोग हिंदी को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। परंतु यह गलत है। संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं। तमिलनाडु की हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 1993 में हमारे दल में यह अनुरोध करते हुए एक संकल्प पारित किया था कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं को इस देश की राष्ट्रीय राजभाषा घोषित किया जाए हमने किसी एक भाषा के आधार पर स्वतंत्रता को संघश्र नहीं किया था तमिल, तेलुगू, मलयालम, मराठी जैसी अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए, हमें अधिकार है। पिछली बार भी हमने इस मुद्दे को उठाया था और हमने मांग की थी कि संसद को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि तमिल जैसी सभी भाषाओं को इस देश की राष्ट्रीय राजभाषा घोषित किया जाए ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं यहाँ तमिल में बोलना चाहता था परंतु मैं तमिल में नहीं बोल सका क्योंकि उसके रूपांतरण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी और इसीलिए मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। इसीलिए, इस प्रकार की भेदभावपूर्ण समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि इस सभा में यहाँ सभी भाषाओं के लिए भाषांतरण की सुविधा उपलब्ध हो। इसलिए, मैं सरकार से पुन: अनुरोध करुंगा कि सं.लो.से.आ. की अधिसूचना को वापस लिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी भाषाओं को सं.लो.से.आ. की परीक्षा लिखने के लिए सम्मिलित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री जयंत चौधरी (मथुरा) : सभापति जी, मैं मानता हूं कि हमारे देश की शक्ति इस की विविधता में है। आज सवाल यह है कि क्या हम उस विविधता को संरक्षण देना चाहते हैं या उसे समाप्त करना चाहते हैं? मैं मानता हूं कि भाषा इंसान को समाज से जोड़ती है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इस में हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। हमें इंसान बनाने में भाषा की एक बहुत बड़ी भूमिका है। यदि हम धरातल पर जा कर देखेंगे तो जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, वे गांवों की पाठशालाओं में पढ़ कर अपनी जगत मुख्यधारा में बना रहे हैं। मैं अपील करता हूं। मैं सदन की भावना के साथ खड़ा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करेगी और न्याय करेगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) : महोदय, हिन्दुस्तान में अंग्रजी भाषा के बारे में इतना प्रेम कैसे है, यह हम नहीं जानते, बहुत ज्यादा प्रेम है। सिर्फ़ प्रेम ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान में यह माना जाता है कि आप कितने अच्छे दफ्तर में मैं, सरकार में हैं, वह इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं।...*(व्यवधान)* चिदंबरम जी जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, उस के बारे में हमें कुछ नहीं बोलना है लेनिक हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की जनता की भाषा होनी चाहिए। केवल हिन्दी का सवाल नहीं है। ...*(व्यवधान)* ये गलत बात बोल रहे हैं कि हम अंग्रेजी नहीं जानते। मैं हाउस में आप से अच्छी अंगेजी बोलता हूं। सवाल यह नहीं है लेकिन हम आप को एक चीज बोलेंगे कि हम जब अंग्रेजी में बोलते हैं तब अखबार भी अच्छे से थोड़ा-बहुत छापते हैं लेकिन जब हिन्दी में बोलते हैं तो वे कुछ नहीं लिखते हैं।

सभापति जी, हिन्दी और अंग्रेजी का सवाल नहीं है। हम

जानना चाहते हैं कि जर्मनी में अंग्रेजी है क्या?...*(व्यवधान)* इटली में अंग्रेजी है क्या? हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में मातृभाषा में हमारी शिक्षा हो जाए। जो भाषा से हम मां को मां बोलते हैं , पानी को पानी बोलते हैं, वही भाषा से हमारे हिन्दुस्तान में शिक्षा होनी चाहिए। यह हिन्दी की बात नहीं है, अंग्रेजी का सवाल नहीं है। आप अंग्रेजी को आवश्यक मत कीजिए, आप इसे ऐच्छिक कीजिए।

हम एक बात लास्ट में बोलना चाहते हैं, हम जानते हैं कि सरकार क्या बोलेगी? चिदम्बरम जी बोलेंगे कि संसद को मानते हुए सरकार कुछ करेगी। आप जानते हैं, हमारे लालू बाबू की इतनी बुलंदियों के बाद सरकार को हिम्मत नहीं, जो है, वहीं रहेगा, बदल होग, हम जानते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि यूपीएससी ने जो आदेश दिया, यह आदेश सरकार के साथ बातचीत करके दिया। ...*(व्यवधान)* सरकार के साथ बातचीत करके नहीं दिया, यह हम जानना चाहते हैं? हम यह भी बताना चाहते हैं कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में स्लेबस कहते हैं, कुछ दिन पहले इसके बारे में हमने सवाल उठाया था। हम जानना चाहते हैं कि यूपीएससी जो संगठन है, वह कैसे चलेगा? सरकार के साथ सम्पर्क क्या है, हिन्दुस्तान की जनता के साथ सम्पर्क क्या है? हिन्दुस्तान की जनता के साथ हम अन्याय करते हैं, यह अनकॉंस्टीटयूशनल नहीं है, अन्याय करके हिन्दुस्तान में कोई संगठन नहीं चलेगा। जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। इस बात में हम सब एक साथ हैं।

[अनुवाद]

★डॉ. रतनसिंह अजनाला (खडूर साहिब) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं पंजाबी में बोलना चाहता हूँ।

महोदय इस देश में विनाशकारी शक्तियां हैं जो यहां की शांति और सुकुन में खलल डालने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती हैं। वे हर चीज को बर्बाद करना चाहती हैं। इन विदेशी अथवा भारतीय ताकतों ने भारतीय लोगों के साथ एक और मजाक किया है जो यू.पी.एस.सी. के परिपत्र से स्पष्ट होता है। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों की ओर से मांग की गई थी इन ताकतों का भंडाफोड़ अवश्य होना चाहिए और शरारत के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

जहाँ तक भाषा का संबंध है, मैं इस महती सभा को स्मरण दिलाना चाहूँगा कि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंदोलनों के पश्चात् भाषा के मुद्दे के आधार पर कई राज्यों का निर्माण हुआ। 15 वर्षों के बाद ही हमें 'पंजाबी सूबा' का दर्जा प्राप्त हुआ। इसलिए, भारत की सभी भाषाओं को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और यू.पी.एस.सी. द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। यही समय की मांग है जिससे कि सभी राज्यों के तथा विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले छात्र यू.पी.एस.सी. की परीक्षा में समान अवसर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

[हिन्दी]

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला) : आनर्बेल स्पीकर सर, मादरी जबान के बारे में माहरीन तालीम का और माहरीन नफ़सियात का यह मानना है कि अपनी मातृ जबान जो है, मदर टंग, उसमें आदमी, बच्चे की सलाहयते ज्यादा उजागर होती हैं, उसकी दिमागी सलाहयते ज्यादा ऊंची उड़ान लेती हैं, बजाए इसके कि उसके मुंह में हम जबरदस्ती दूसरी जबान ठोक दें। मैंने देखा कि आजादी की लड़ाई के दौरार अगर अंग्रेज पुलिस वाला हिन्दुस्तानी को गाली देता था, उसे मालूम था कि यह अंग्रेजी में नहीं समझेता तो हिन्दुस्तानी में वह बात करने की कोशिश करता था। किसी ने कहा है, "जुबाने यारेमन तुर्की, वमिन तुर्की नमिदानम।" मेरे यार की जुबान तुर्की है और मैं तुर्की जबान नहीं जानता, जो जानता हूं, वह अपने ही देश की और अपनी मादरी जबान जानता हूं। लिहाज़ा जो यहां चर्चा हुई है, ये गुलामी की जहनियत है हम में मौजूद, जहां हम सिर्फ यह समझते हैं कि जो अच्छी अंग्रेजी बोले, सारी अक्ल उसी के ठेके में पड़ गई है, सारा अक्ल उसी के ठेके में आ गया है। ये गुलामी की जंग, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिट्रेचर बहुत बड़ी बात है। किसी जुबान के खिलाफ नफरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां जो हिन्दुस्तान की जरूरत है, हिन्दुस्तानियों की जरूरत है, वे मुकामी जुबानें समझने, उसी को पढ़ने-लिखने की जरूरत है। उस जरूरत के मद्देनज़र रखते हुए यह जरूरी है कि जो भी इम्तिहान यू.पी.

★मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

[श्री शरीफ़ुद्दीन शारिकद्ध

एस.सी. के हों या दूसरे इम्तिहान हों, वे मुकामी जुबान मे, मादरी जुबान में हों, ताकि हमारे बच्चे अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़्हार कर सकें और अपनी काबलियत का लोहा मनवा सकें।

جناب شریف الدین شارق (بارہمولہ): محترمہ اسپیکر صاحب، مادری زبان کے بارے میں ماہرین تعلیم کا اور ماہرین نفسیات کا یہ ماننا ہے کہ اپنی مادری زبان جو ہے، مدرٹانگ، اس میں بچے کی صلاحیتیں زیادہ اجاگر ہوتی ہیں، اس کی دماغی صلاحیتیں زیادہ اونچی اڑان لیتی ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کے منہ میں زبردستی دوسری زبان ٹھونک دیں۔ میں نے دیکھا کہ آزادی کی لڑائی کے دوران اگر انگریز پولس والا ہندوستانی کو گالی دیتا تھا اسے معلوم تھا کہ یہ انگریزی میں نہیں سمجھے گا تو ہندوستانی میں وہ بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کسی نے کہا ہے کہ "زبان یار من ترکی، و من ترکی نا میدانم" میرے یار کی زبان ترکی ہے اور میں ترکی زبان نہیں جانتا، جو جانتا ہوں وہ اپنے ہی ملک کی اور اپنی مادری زبان جانتا ہوں۔ لہٰذا جو یہاں بحث شروع ہوئی ہے، یہ غلامی کی ذہنیت ہم میں موجود ہے، جہاں ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھی انگریزی بولے، ساری عقل اسی کے ٹھیکے میں پڑ گئی ہے، ساری عقل اسی کے حصہ میں آ گئی ہے۔ یہ غلامی کی جنگ، انگریزی پڑھنا، انگریزی لٹریچر بہت بڑی بات ہے۔ کسی زبان کے خلاف نفرت نہیں ہونی چاہئے، لیکن یہاں جو ہندوستان کی ضرورت ہے، ہندوستانیوں کی ضرورت ہے، مقامی زبانیں سمجھیں، اسی کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ جو بھی امتحان یو۔پی۔ایس۔سی۔ کے ہوں یا دوسرے امتحان ہوں، وہ مقامی زبان میں مادری زبان میں ہوں تاکہ ہمارے بچے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کر سکیں اور اپنی قابلیت کا لوہا منوا سکیں۔ (شکریہ)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सर, आज हाउस में जो तर्क हुआ है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में अंग्रेजी को अलग भाव, अलग वेटेज देने की बात की और अंग्रेजी को आवश्यक किया, हम इसके पूरी तरह खिलाफ हैं। हमारे संविधान के आठवें शैडयूल मे हमारी सारी भारतीय भाषाओं की तालिका है और यह अधिकार किसी भी भारतीय नागरिक का है कि वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सर्व भारतीय नौकरी के लिए परिक्षाएं होती हैं, वे किसी भी भारतीय भाषा में लिख सकें। हमारी भाषाओं को बहुत लड़ाई के बाद हमारे संविधान में स्वीकृति मिली। बहुत साल के बाद गुलामी की जंजीर से हमारा देश मुक्त हुआ था। आज फिर अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देना, ज्यादा बढ़ावा देना ठीक नहीं रहेगा। जैसे कुछ लोग बोले हैं, अंग्रेजी एक भाषा है, जो सीखें, वह अच्छा है, लेकिन भारतवर्ष में नौकरी के लिए भाषा आवश्यक होगी, यह बहुत ही खराब बात है, इसलिए लालू यादव जी ने जो चर्चा शुरू की थी कि इसको वापस लेना चाहिए और यूनियन पब्लिक सर्विस के किस अधिकारी ने यह काम किया, उसको ढूंढकर निकालना चाहिए। इसका मैं समर्थन करता हूं और उनके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। मुझे पता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संविधान की धारा 319 के अनुसार एक संस्था है, जैसे कम्प्ट्रॉलर एण्ड ऑडीटर जनरल है, जैसे इलैक्शन कमीशन है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, यह भी संवैधानिक संस्था है, लेकिन यह हाउस की जो पूरी सेंस है कि हमारी भारतीय भाषा की मर्यादा, हमारी राजभाषा के साथ-साथ उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए और इसका जो उल्लंघन किया, उसकी निंदा होनी चाहिए। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर) : महोदय, सदन में काफी माननीय सदस्यों ने इस पर काफी बातें कहीं हैं तो मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात सदन के सामने लाना चाहता हूं कि 1980 से पहले नये सिस्टम को जो किमेण्ड कर रहे थे, यह चल रहा था और उस समय अगर देख लिया जायेगा तो वैसे पदाधिकारी आते थे, जो अपने आपको राजा समझते थे और अपने आपको पब्लिक सर्वेंट के रूप में नहीं देखते थे। 1980 के बाद वैसे पदाधिकारी लोग आने लगे, जिनकी जनता के बीच में काम करने की इच्छा थी। इसका छोटा सा उदाहरण है। जैसे कि हम दो साल पहले जब आई.ए.एस. एकेडमी में लैक्चर देने के लिए गये थे तो वहां हमको दो लड़के मिले, एक टाटा प्लांट पुणे में वर्कर की कैटेगरी में था, जो विदेश सेवा में चला गया और रामगढ़ का लड़का था, जिनके पिताजी के पास एक पान की दुकान थी। यह नया सिस्टम जो यू.पी.एस.सी. रिकमेण्ड कर रहा है, इसके बाद हम फिर से पुराने 1980 वाले सिस्टम में चले जाएंगे। यह सुनिश्चित कर लेंगे कि गरीब परिवार के बच्चे, जो छोटे शहर से, मुफसिल शहर से जो आते हैं, उनका यू.पी.एस.सी. में पास करना असम्भव होगा। सदन की भावनाओं को रिपीट करते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पुराना सिस्टम जो चल रहा था, अभी शैडयूल एट में जितनी भी भाषाएं हैं, उसको लागू किया जाये। एक और चीज़ जो सभी लोगों ने कही कि यू.पी.एस.सी. के कांस्टीटयूशनल पोस्ट के बारे में, जो भी यू.पी.एस.सी. के चेयरमैन इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनकी जांच की जाये। एक और चीज़

है कि यू.पी.एस.सी. या जितनी भी संवैधानिक पोस्टहैं, वे ब्यूरोक्रेट्स का रिटायरमेंट होम बन गयी हैं तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि हम जब भी सुनते हैं, कांस्टीटयूशनल पोस्ट में हम लोगों कोजाल थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए ताकि देश में उचित ढंग से सबसे उचित लोगों को सलैक्ट किया जाये। सिर्फ ऐसा न हो कि जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रैट्स हैं, उनको ही वापस सिलेक्ट किया जाए।

[अनुवाद]

★**श्री ए. गणेशमूर्ति** (इरोड) : आदरणीय सभापति महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी-अभी एक मुद्दा उठाया गया है। यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। भारत की स्वाधानीता के बाद भी यह राष्ट्र, जिसे हम "भारत" के नाम से पुकारते हैं, एक जुट नहीं था। भारतीय राष्ट्र का निर्माण बहुत ही भाषाओं, बहुत सी जातियों और संस्कृतियों के मेल से हुआ। बाद में भाषा की समस्या उत्पन्न हुई।

हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह आश्वासन दिया था कि अंग्रेजी एक संपर्क भाषा होगी जब तक कि सभी क्षेत्रीय भाषाएं देश की राज-काज की भाषा नहीं बन जाती। महोदय, अब ऐसा लगता है कि वह आश्वासन अब खत्म हो गया है। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि यू. पी.एस.सी. की परीक्षा अब केवल अंग्रेजी या हिन्दी माध्यम में दी जा सकती है। जिन सदस्यों ने यहाँ भाषण दिया उन्होंने दो भिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए। कुछ सदस्यों ने कहा कि परीक्षा केवल हिन्दी में दी जानी चाहिए। अन्य विचार यह है कि परीक्षा सभी क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाने की छूट होनी चाहिए।

महोदय, इसके पहले के हमारे बीच मतभेद पैदा हो जाएं, छात्रों को अपनी पसंद की किसी भी भाषा में परीक्षा देने का विकल्प होना चाहिए। छात्रों को किसी भी क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा देने की अनुमति होनी चाहिए। जैसा कि सदस्यों द्वारा सभा में कहा गया, अंग्रेजी संवाद की भाषा है और भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सरकारी भाषा बनाना होगा।

★मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

महोदय, इस समय मैं यह एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारी सभा में तमिल से अंग्रेजी में भाषातरण करने वाले भाषांतरकार सेवानिवृत हो चुके हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद से अब तक एक वर्ष का समय बीत चुका है। अभी तक किसी को भाषांतरकार के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। इसलिए, मैं अध्यक्ष महोदया और महासचिव महोदय से अनुरोध करता हूँ कि विशेष रूप से हमारी सभा में एक भाषांतरकार की नियुक्ति यथा शीघ्र की जाए।

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला (झुंझुन) : महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। महात्मा गांधी जी ने आजादी के वक्त नारा दिया था, विदेश वस्त्रों की होली जलायी थी, चरखा लेकर गांवों में गए और कहा कि चरखे से सूत कातो और कपड़ा बनाओ। उससे पहले हरिजन की, किसान की, आदिवासी की और पिछड़े वर्ग की क्या हालत थी, उसका आज आकलन नहीं कर सकता। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब किसी फौजी की चिट्ठी आती थी, तो गांव में कोई उसको पढ़ने वाला नहीं मिलता था। मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं। चिट्ठी-पत्र लेकर, जो शहर में पढ़े-लिखे होते थे उनके पास जाना पड़ता था। आज भी गांवों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। वर्ष 1947 से पहले महात्मा जी ने नारा दिया था, इसके बाद हमारे मुल्क के दो राष्ट्र, तीन राष्ट्र हुए ...*(व्यवधान)* आप मुझे बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)* आप बोलने नहीं दीजिएगा तो मैं बैठ जाता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ओला जी हमारे आगे यूपीएससी सर्कुलर का एक मुद्दा है, आप उस पर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शीश राम ओला : मैं बोलूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि ये यूपीएससी के कौन महानुभाव है। जिन्होंने यह सलाह दी है, उसके खिलाफ ऐक्शन हो, कार्रवाई हो। ...*(व्यवधान)* हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, वह हिन्दी रहे, रहे हमारी प्रांतीय भाषा कायम रहे और क्षेत्रीय भाषा, वे सब कायम रहें। ...*(व्यवधान)* वर्ष 1947 के पहले अंग्रेजों के पास आईसीएस ऑफिसर्स होते थे। हमारी आजादी के बाद आइएएस ऑफिसर्स

[श्री शीश राम ओला]

कायम हुए। क्या आज गुलामी फिर चाहते हैं? मैं इसके घोर विरोध में हूं, मैं खिलाफ हूं, इसको तत्काल स्वीकृत किया जाए। इसे विधेयक को वापस लिया जाए और गांवों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा) : आदरणीय सभापति जी, जो भावनाएं आज सदन में व्यक्त की जा रही हैं, निश्चित रूप से देश की जो आंतरिक भावना है उसका उभार है, प्रकटीकरण है। इसलिए मैं वैसे सदस्यों का सम्मान करता हूं जिन्होंने देश की जो भाषाएं है। उनको महिमामंडित करने के लिए और जैसे कि पुरानी कहावत है कि जब कोई पढ़ा-लिखा भारतीय गुस्से में आता है तो अंग्रेजी बोलता है। मुझे लगता है कि यूपीए थोड़ा गुस्से में आई है और इसने कहा कि चलो हम अंग्रेजी की जो वरीयता है उसको सिद्ध कर के दिखा देते हैं। यूपीए को यह समझना चाहिए कि देश में गुस्सा नहीं चलेगा। इसके साथ मैं। एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हमें इन द लाँग रन कोई न कोई एक लिंक भाषा बनानी पड़ेगी। यह ठीक है कि तमिल अपनी जगह आगे बढ़े, मलायली, पंजाबी, बंगाली बढ़े, लेकिन एक लिंक भाषा तो चाहिए जिससे हम एक दूसरे के नजदीक आए। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि अगर तमिलनाडु के लोग हिन्दी में लिखते हैं तो उनको एक्सट्र वेटेज दिया जाए ताकि उनके दिन में हिन्दी पढ़ने की इच्छा पैदा हो और देश में एक राष्ट्रीय भाषा आगे बढ़ सके, वह पनप सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको धन्यवाद। हमारे समक्ष कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसलिए, श्री प्रशांत कुमार मजूमदार और डॉ. तरूण मंडल इस विषय से स्वयं को सहयाजित कर सकते हैं। अब, माननीय मंत्री।

...*(व्यवधान)*

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत नामक इस देश में बहुत सी भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं। प्रत्येक भाषा का हमारे समाज में एक अद्वितीय स्थान है और हम सभी से प्रेम करते हैं। कई मातृभाषाएं हैं और उन सभी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसलिए प्रत्येक भाषा को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि संसदीय कार्य भी क्षेत्रीय भाषाओं में होने चाहिए। हाल में यू.पी.एस.सी. द्वारा जारी परिपत्र बहुत ही खतरनाक है। पहले इस परीक्षा को क्षेत्रीय भाषाओं में भी हां दिया जा सकता था। केवल हिन्दी और अंग्रेजी को ही अधिक महत्व क्यों दिया जाए? अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी समान रूप से समृद्ध हैं और उन्हें भुलाया नहीं जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में दो ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिनका विश्व इतिहास पर गहरी छाप है - इस एक महात्मा गाँधी तथा दूसरे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। दोनों के भारतीय भाषाओं को महत्व दिया। टैगोर जी को उनकी गीतांजली के लिए नोबल पुरस्कार भी मिला। इसलिए मातृभाषा की क्षमता ऐसी होती है। इसलिए सभी भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यू.पी.एस.सी. की परीक्षा का महाध्यम केवल अंग्रेजी नहीं हो। क्योंकि यह उन छात्रों के लिए हानिकर होगा जो इन परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं और उन्हें अपनी भाषा में लिखने की अनुमति होनी चाहिए।

इसलिए मैं एक बार पुनः सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह यह सुनिश्चित करें कि तत्काल प्रभाव से यू.पी.एस.सी. के परिपत्र को वापस लिया जाए।

[हिन्दी]

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : सभापति महोदय, यूपीएससी ने जो फैसला लिया है, यह गलत है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। उन्हें इसे तुरंत वापिस लेना चाहिए। मेरे दो बिन्दु हैं। यूपीएससी के इस कदम से यह सोच पैदा हो सकती है कि यूपीए सरकार या आईएनसी इंग्लिश से बहुत प्यार करती है, उसे गंभीरता देती हैं लेकिन हम जानते है। कि पंडित नेहरू ने इंडिया में पहले बोला था कि अंग्रेजी हटाओ। वर्ष 1986 में राजीव गांधी जी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, उसमें भी अंग्रेजी की इम्पोर्टेंस कम कर दी गई। लेकिन साथ हम देश में अंग्रेजी माध्यम स्कूल और कालूज चलाए जा रहे हैं। एक इलीट क्लास पैदा हो रही है। इलीट क्लास को सुविधा देने की यूपीएससी की कोई साजिश है। यह ठीक नहीं है।

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद को हिन्दी रूपांतर।

यदि हम देश की भाषा के विकास और उसके ओरिजन के इतिहास में जाएं, देश के कुछ लोग इंग्लिश में बात करते हैं। अंग्रेजी हटाओ और अंग्रेज हटाओ एक चीज नहीं है। कवि गुरु रविन्द्र नाथ ठाकुर ने कहा था, बंगाली लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज गंगा-जमुना की तरह साथ-साथ चलती रहें तो बंगाली भाषा को विकास होगा। भारत में बंगाली लैंग्वेज सबसे रिचेस्ट है क्योंकि इंग्लिश के सहयोग से उसे उन्नत होने की सुविधा मिली। हर रीजिनल लैंग्वेज को इंग्लिश जैसी इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज, रिचेस्ट लैंग्वेज के साथ रखकर सबका गुरुत्व बढ़ाना चाहिए, किसी को कम नहीं रखना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री निशिकांत दुबे, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री राकेश सचान, श्री हरिन पाठक, श्री राजेन्द सिंह राणा और श्री अर्जुन राम मेघवाल को अनेक माननीय सदस्यगण द्वारा उठाए गए यूपीएससी से संबंधित मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने यूपीएससी के नए नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा की। ... *(व्यवधान)* आपने जो मुद्दे उठाए , उस बारे में हम यूपीएससी के अधिकारियों को बुलाकर बातचीत करके आपका मन खुश करने के लिए रास्ता निकालेंगे।*...(व्यवधान)*

अपराह्न 01.29 बजे

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री वी. नारायणसामी : मैडम, लालू जी ने तब तक नोटीफिकेशन बंद करने के लिए कहा। *...(व्यवधान)* मैं अब अंग्रेजी पढ़ूंगा। *[अनुवाद]* ताकि वे समय सकें।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई हाल की अधिसूचना के बारे में माननीय सदस्यगण द्वारा व्यक्त सभी विचारों पर ध्यान दिया है। सरकार संघ लोक सेवा आयोग की एक बैठक बुलाएगी और मामले का समाधान करेगी। इस बीच माननीय सदस्यों की राय पर विचार करते हुए हम अधिसूचना को आस्थगित रखेंगे और यथास्थिति बनाई रखी जाएगी *...(व्यवधान)*

अपराह्न 01.30 बजे

(दो) अफज़ल गुरू को फांसी देने के लिए भारत की निंदा करते हुए पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली द्वारा पारित किए गए कथित संकल्प के बारे में

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग) : मैडम, हमारे देश और इस संसद के ऊपर एक बार फिर हमला हुआ। इस बार का हमला पाकिस्तान की नैशनल असैम्बली की तरफ से हुआ है। *...(व्यवधान)* क्योंकि कल जब इस नैशनल असेम्बली के कार्यकाल के मात्र दो दिन बचे थे, तब उन्होंने अपनी नैशनल असेम्बली में एक प्रस्ताव सर्वसम्मिति से पारित किया है, जिसमें उन्होंने भारत की घोर भर्त्सना की है। जम्मू-कश्मीर जो हमारे देश का अभिन्न अंग है, उसे उन्होंने फिर हथियाने के लिए इस प्रस्ताव के माध्यम से कोशिश की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वह इसमें उनकी मदद करे।

मैं आपसे और आपके माध्यम से सारे सदन से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यह सदन भी एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करे, जिसमें पाकिस्तान को उसका जवाब मिले।

अध्यक्ष महोदया : श्री शिवराम गौडा जी अपने आपको श्री यशवंत सिन्हा जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : अध्यक्ष महोदया, यह राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित एक मामला है और हम सभी पाकिस्तान की संसद द्वारा पारित संकल्प से बहुत ही चिंतित हैं। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूँ कि अध्यक्ष महोदय संपूर्ण सभा की ओर से अध्यक्ष-पीठ द्वारा एक संकल्प पारित करने पर विचार करें।

अपराह्न 01.31 बजे

भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के संबंध में पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली द्वारा पारित संकल्प को अस्वीकार करने के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, मैं सभा के समक्ष संकल्प प्रस्तुत करती हूं:

''यह सभा पाकिस्तान की नैशनल असेम्बली द्वारा 14 मार्च, 2013 को पारित संकल्प की पूर्णतः अस्वीकार करती है। सभा नोट करती है कि पाकिस्तान ने प्रतिबद्धता जताई है कि वह भारत के विरुद्ध आतंकवाद फैलाने के लिए अपने भू-भाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा और इस प्रतिबद्धता का पालन करना ही पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंधों का आधार हो सकता है।

सभा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को अस्वीकार करती है और पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली से अपेक्षा करती है कि वह अतिवादी और आतंकवादी तत्वों को इस प्रकार का समर्थन देने से बाज आए।

सभा इस बात को दोहराती है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भू-भाग सहित संपूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य सदैव भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। भारत के आंतरिक मामलों में कहीं से भी किसी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रयास का हमारे राष्ट्र द्वारा पूर्ण दृढ़ता और एकजुटता से मुकाबला किया जाएगा।''

संकल्प स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्री पेरुम्बुदूर) : अध्यक्ष महोदया, श्रीलंकाई तमिलों के विरुद्ध अत्याचार की शर्मनाक दुखद कहानी पर 7 मार्च, 2013 को इस सभा में विस्तार से चर्चा की गई है जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया है। श्रीलंका प्रशासन द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन और अत्याचार की सभी ने निंदा की है।

महोदया, क्या आपकी अनुमति से हमने तमिलनाडु के मछुआरों पर श्रीलंका की नौसेना द्वारा किए गए अत्याचार के बारे में चर्चा की है और सरकार ने यह प्रतिबद्धता जाहिर की है और कहा है कि गिरफ्तार किए गए सभी मछुआरों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा आज रामेश्वरम के मछुआरों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। 53 से अधिक मछुआरों को अभी तक रिहा नहीं किया गया है और इस कारणवश वे हड़ताल पर ना रहे हैं।

मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर तमिलनाडु के छात्र महाविद्यालय से बाहर आ गए हैं। लाखों छात्र तरह-तरह के आंदोलन और आमरण अनशन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूँ कि आज कल तमिलों की आवाज सुनी नहीं जाती है या भारत सरकार द्वारा उन पर सही ढंग से विचार नहीं किया जाता है साथ ही पूरे विश्व में न तो श्रीलंकाई तमिलों, भारतीय तमिलों या इस प्रायद्वीप की आवाज सुनी जाती है। महोदया, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि सरकार इस मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए है।

महोदय, मैं महान संत तिरुवलूर द्वारा कहे गए एक दोहे को स्मरण करा रहा हूँ-

''नागुधर पोरूतंडस नाट्ल मिगुधिकन
मर्चेंदू इदिधर पोरूट्ट''

''मित्रता केवल हास और परिहास के लिए नहीं है बल्कि जब कोई मित्र अत्याचार करता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए, उसमें सुधार किया जाना चाहिए।'' मैं भारत सरकार में अपने मित्र से यह कहना चाहता हूँ कि कुछ गलत हो इसके पहले कुछ करने हेतु आगे आए कृपया जागरुक हों और श्रीलंका के तमिलों के साथ न्याय करें।

महोदया, यू.एन.एच.आर.सी. का सत्र चल रहा है। सभी दल के नेताओं ने एक ठोस समाधार के लिए यू.एन.एच.आर. सी में इस मुद्दे को उठाने के लिए दबाव बनाया है। उन्हें यू.एस. के उस संकल्प में संशोधन करना चाहिए जिसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय जांच की मांग की गई है। लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है तथा सरकार की इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

दिनो-दिन छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। मुझे नहीं मालूम की आगे क्या होने वाला है। मैं केवल अपने साथियों को स्मरण दिला सकता हूं कि भाषा के मुद्दे पर 1965 में क्या हुआ था। भाषा के मुद्दे पर हुए आंदोलन से कांग्रेस को बहुत अधिक हानि हुई थी। 1965 में तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार चली गई थी और अभी तक तमिलनाडु में उनकी सरकार नहीं बनी। इसलिए मैं भारत सरकार में मौजूद अपने साथियों से केवल अनुरोध कर सकता हूं कि वे यू.एन.एच. आर.सी. के सत्र के लिए स्वयं को तैयार करें, यू.एन.एच.आर. सी. के समक्ष जाएं, स्वयं इसके लिए आंदोलन चलाएं और यह सुनिश्चित करें कि जिन लोगों ने मानवाधिकारों के उल्लंघन का अपराध किया है उन्हें दंडित किया गया।

अध्यक्ष महोदया : कृपया इसे अब समाप्त कीजिए।

श्री टी.आर. बालू : महोदया, मैं शेक्सपियर को उद्धृत करना चाहूंगा, 'टुडे इस द आइडीज ऑफ मार्च, फिफ्टीन्थ ऑफ मार्च'। शेक्सपियर की रचना में ईश्वर कहता है, ओ सीजर! 'बीवेयर ऑफ आइडीज ऑफ मार्च'। मैं सिर्फ उस वाक्यांश का उल्लेख कर सकता हूं और मैं अपने मित्रों को केवल सावधान कर सकता हूँ कि वे चुप्पी न साधे, कृपया यू.एन.एच.आर.सी. में जाएं और यह सुनिश्चित करें कि संकल्प को स्वीकृत किया जाए और एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीय जांच एजेंसी नियुक्त की जाए जिससे कि छात्रों में आंदोलन के कारण कुछ गलत हो जाए, इससे पूर्व दोषियों को दंडित किया जा सके।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : महोदया, हमने इस सभा में श्री लंकाई सेना द्वारा 2009 में जातीय युद्ध में किए गए उल्लंघनों के मुद्दे पर कई बार चर्चा की है। उस समय श्री लंकाई तमिलों का नरसंहार किया गया था और उन्होंने बड़ा संकट झेला था।

महोदया, माननीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में एक भाषण दिया था कि वे श्री लंका के राष्ट्रपति, श्री राजपक्षे पर इस बात के लिए जोर देंगे कि वे 13वें संविधान संशोधन को क्रियान्वित करे जिससे तमिलों के अधिकारों की रक्षा किया जा सके। लेकिन श्री लंका को इसकी कोई चिंता नहीं है। महोदया, आपके बहुत अच्छी तरहज से जाती हैं कि उस जातीय युद्ध में श्री लंका में लगभग दो लाख तमिलों की हत्या कर दी गई थी। बहुत से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। वहाँ पर कैसे लोगों को प्रताड़ित किया गया? वहाँ कैसे बलात्कार किए गए? वहाँ बहुत तरह के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। अत: हम माननीय प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह एक प्रकार से संकल्प की शुरूआत के लिए आवश्यक कदम उठाए जिसे आगामी यू.एन.एच.आर.सी के जेनेवा सम्मेलन में पारित किया जा सके। उस संदर्भ में तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री जी को पहले ही पत्र लिख चुके हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि - चाहे जो भी संकल्प तमिलनाडु में विधानसभा में पारित हो - जब तक तमिल समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक श्री लंका पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाए। जहाँ तक छात्र आंदोलन का संबंध है यह राज्य का विषय है, और तमिलनाडु की सरकार इस संबंध में सभी कदम उठा रही है। लेकिन उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए ...*(व्यवधान)*

छात्रों की मांग क्या है? उनकी मांग है कि सरकार यू. एन.एच.आर.सी. में श्रीलंका के विरुद्ध अवश्य कए संकल्प पारित

[डॉ. एम. तम्बिदुरई]

कराए। मै। यह जानना चाहूँगा कि क्या गठबंधन के सहयोगी इस प्रतिबंध के लिए तैयार है।। वे अभी भी सरकार में शामिल हैं, लेकिन वे इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए। कृपया अब समाप्त कीजिए।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : छात्रों की एक मात्र मांग है कि श्री लंका को उसके द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए अवश्य दंडित किया जाए जो उसने तमिलों के विरुद्ध किया है। वे इसी चीज की मांग कर रहे हैं कि भारत इस बारे में कदम उठाए। तमिलनाडु की सरकार तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की और से मै। भी इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि भारत सरकार यू.एन.एच.आर. सी. में एक संकल्प लाने के लिए कदम उठाए जो शीघ्र ही जेनेवा में आयोजित होने वाला है। यही हमारी मांग है।

अध्यक्ष महोदया : श्री पी. लिंगम को डॉ. एम. तम्बिदुरई द्वारा उठाए गए मुद्दे से सहयोजित होने की अनुमति दी जाती है।

अपराह्न 1.42 बजे

झारखंड बजट (2013-14) - सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (झारखंड), 2013-2014

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (झारखंड), 2012-2013

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मद संख्या 11 से 13, झारखंड बजट, श्री निशिकांत दुबे।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : मैडम अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं आगे आकर बोलना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। आगे आकर बोलिए।

[अनुवाद]

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा) : अध्यक्ष महोदया, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदया : किस नियम के अंतर्गत?

श्री इन्दर सिंह नामधारी : नियम 376 के अंतर्गत, महोदया।

अध्यक्ष महोदया : यह क्या है?

श्री इन्दर सिंह नामधारी : महोदया, मैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2013-14 के लिए झारखंड के अनुमानित आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया है, जिस पर चर्चा होनी है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2013-14 के लिए झारखंड राज्य के लिए वार्षिक बजट लाकर एक संवैधानिक भूल की है। सभा ने साविधिक संकल्प को अनुमोदित किया है जिसमें झारखंड राज्य के संबंध में छह मास के लिए उद्घोषणा के लिए अनुमोदन की मांग की गई है?

इसका मतलब है कि यह उद्घोषणा 17 जुलाई, 2013 तक लागू रहेगी।

अनुच्छेद 356(4) में यह प्रावधान है कि कोई उद्घोषणा, जब तक इसे निरस्त नहीं कर दिया जाता है, जारी करने की तिथि से छह माह की अवधि पूरा होने के बाद समाप्त हो जाती है। एक वार्षिक बजट लाने का मतलब दो बातों से है। केन्द्र सरकार का इरादा अगले संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए झारखंड विधानसभा को निलम्बन की अवस्था में रखने का है अथवा सरकार का इरादा वहाँ पर एक निर्वाचन चुनी हुई सरकार की नियुक्ति के लिए राज्य में चुनाव नहीं कराने का है। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदया, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है क्योंकि सभा के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। मेरे विद्वान मित्र सभा को उद्धृत कर रहे हैं जिसके अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है लेकिन यह उस नियम का उल्लंघन नहीं है। कल सभा ने उद्घोषणा

को स्वीकृति प्रदान की और राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगाया गया है।

अब हमें बजट प्रस्तुत करना है। यह पहले भी अन्य राज्यों में किया गया है। हमें इस वर्ष हेतु बजट प्रस्तुत करना है। हम वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत कर रहे है। जब निर्वाचन सरकार झारखंड में सत्ता में आती है तो वह बजट में कभी भी संशोधन कर सकती है अभी हम यह नहीं कह सकते कि चुनाव कब होगा? यह निर्वाचन आयोग को तय करना है। अभी हम यह नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति क्या निर्णय लेंगे। इसलिए हमें पूरे वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करना है और जब निर्वाचित सरकार सत्ता में आती है तो निर्वाचित सरकार बजट में कभी भी संशोधन कर सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। संविधान के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं किया गया है किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। और इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि व्यवस्था के प्रश्न को खारिज किया जाए।

श्री इंदर सिंह नामधारी : सरकार लेखानुदान को क्यों नहीं लेती है? राज्य के लिए पूरे वर्ष का बजट क्यों है?

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग) : मैडम, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। यह देश की लोक सभा और सबसे महत्वपूर्ण सदन है। इस सदन ने फैसला किया कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन छः महीने के लिए लगेगा। अब दूसरी जो संवैधानिक संस्था इस देश की है, वह चुनाव आयोग है। उसे छः महीने के अंदर झारखंड में चुनाव कराना है। चुनाव आयोग अपनी इच्छा या विल इस सदन पर नहीं लाद सकता कि हम चुनाव नहीं कराएंगे, हम तो 12 महीने में कराएंगे या उसके बाद कराएंगे। इसलिए अगर छः महीने के भीतर चुनाव होना है, तो तत्काल सरकार को यह ऑप्शन है कि वहां की विधान सभा चुनाव की घोषणा करने के लिए चुनाव होना है, तत्काल सरकार को यह ऑप्शन है कि वहां की विधान सभा चुनाव की घोषणाा करने के लिए चुनाव आयोग से आग्रह करें। यह नहीं करके झारखंड का अगर पूरे साल का बजट लाया जाता है तो सरकार की नीयत के बारे में एक सवाल उठता है कि उसकी नीयत क्या है।

आप जानती हैं कि संविधान में प्रावधान है कि छः महीने के बाद, और छः महीने के लिए उसे बढ़ाया जा सकता है, केवल विशेष परिस्थिति में। झारखंड में कोई विशेष परिस्थिति नहीं है इसलिए सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए सदन में कि हम लोग छः महीने भीतर झारखंड में चुनाव कराएंगे और उसके लिए चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सरकार की नीयत में खोट है, ऐसा हमारा निष्कर्ष है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : कल गृह मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया था कि हमारा यहां निर्धारित की गई अवधि के लिए भी राष्ट्रपति शासन कायम रखने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। उन्होंने उन राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित किया जो अभी भी सरकार बना सकते हैं: "कृपया सरकार बनाइए।" राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का हमारा कोई इरादा नहीं हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन कुछ दिनों के लिए आकर्षक दिख सकता है लेकिन राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के लोगों के लिए समाधान नहीं है। हमारा इरादा छह महीने की अवधि के अंदर चुनाव कराना है जिसके लिए उद्घोषणा की गई है?

अपराह्न 1.47 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

राज्य के संबंध में पूरे वर्ष के लिए विनियोजन को अधिकृत करने हेतु विनियोग विधेयकों को अधिनियमित करने में संसद की सक्षमता

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैंने सदस्यगण और माननीय मंत्री जी की राय सुनी। इस संबंध में मैं संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (2) को उघृत करना चाहूँगी जो यह उपबंध करता है कि राज्य की शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून तब तक लागू रहेगा जब तक किसी सक्षम विधायिका द्वारा परिवर्तित या निरसित या संशोधित नहीं किया जाता। इस अनुच्छेद के उपबंध से यह स्पष्ट है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो संसद उस राज्य के लिए एक कानून अधिनियमित कर सकती है जो तब तक रहता है जब तक

कि इसे राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा अथवा राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने पर राज्य के विधामंडल द्वारा परिवर्तितत या निरस्ति या संशोधित नहीं कर दिया जाता है।

इस मामले में मेरी राय में और माननीय मंत्रीजी द्वारा दिए गए आश्वासन को भी देखते हुए संसद पूरे वर्ष हेतु विनियोग का प्राधिकृत करने हर विनियोग विधेयकों को अधिनियमित करने में सक्षम है। इसलिए मैं व्यवस्था के प्रश्न को खारिज करती हूँ।

अपराह्न 1.50 बजे

झारखंड बजट (2013-14)-सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगे (झारखंड) - 2013-14 अनुपूरक अनुदानों की मांगें (झारखंड), 2012-13—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

"कि कार्य-सूची के स्तंभ-2 में मांग संख्या 1 से 4, 6 से 12, 15 से 27, 29 से 33 तथा 35 से 60 के साथ में दिखाए गए मांग शीर्षो के संबंध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में कार्य सूची के स्तंभ 3 में दिखाए गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियाँ से अनधिक संबंधित राशियां झारखंड राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर, भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 3, 10, 16, 18 से 20, 22, 23, 25, 26, 23, 36, 40, 41, 43 से 45, 48 से 51, 53, 59, 56 और 58 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां झारखंड राज्य की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाएं"।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की मांगें-बजट (झारखंड)

मांग की संख्या और नाम		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों -बजट की राशि	
		राजस्व (रुपए में)	पूंजी (रुपए में)
1	2	3	4
1.	कृषि एवं गन्ना विकास विभा	9394103000	15000000
2.	पशुपालन विभाग	1594496000	...
3.	भवन निर्माण विभाग	860166000	1460000000
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	316061000	...
6.	निर्वाचन	252565000	...
7.	निगरानी	135170000	...

1	2	3	4
8.	नागर विमानन विभाग	230101000	...
9.	सहकारिता विभाग	829445000	165000000
10.	ऊर्जा विभाग	17536491000	7668800000
11.	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	208871000	100000000
12.	वित्त विभाग	419569000	254000000
15.	पेंशन	30612600000	...
16.	राष्ट्रीय बचत	26279000	...
17.	वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	570894000	...
18.	खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	9943304000	...
19.	वन एवं पर्यावरण विभाग	3077597000	6000000
20.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	11331972000	2918028000
21.	उच्च शिक्षा विभाग	6629785000	...
22.	गृह विभाग	27867068000	995450000
23.	उद्योग विभाग	2909382000	20000000
24.	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	486809000	...
25.	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	20446000	...
26.	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	9962028000	...
27.	विधि विभाग	2091410000	...
29.	खनन एवं भूतत्व विभाग	269740000	...
30.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	17399000	1754500000
31.	संसदीय कार्य विभाग	4109000	...
32.	विधान सभा	464486000	...
33.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	173638000	...

1	2	3	4
35.	योजना एवं विकास विभाग	6424641000	...
36.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2179591000	3600000000
37.	राजभाषा विभाग	147457000	...
38.	निबंधन विभाग	197720000	...
39.	आपदा प्रबंधन विभाग	4587626000	...
40.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	3971656000	14363000
41.	पथ निर्माण विभाग	2771140000	17759406000
42.	ग्रामीण विकास विभाग	7566037000	5990000000
43.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	721872000	1701500000
44.	मानव संसाधन विकास विभाग	376333000	...
45.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	687617000	324600000
46.	पर्यटन विभाग	93145000	182500000
47.	परिवहन विभाग	1177831000	1940000000
48.	नगर विकास विभाग	12873501000	222172000
49.	जल संसाधन विभाग	3308076000	1640000000
50.	लघु सिंचाई विभाग	822297000	2986000000
51.	कल्याण विभाग	8106380000	1527200000
52.	कला संस्कृति, खेलकूद, एवं युवा कार्य विभाग	785907000	164500000
53.	मत्स्य	538056000	70000000
54.	डेयरी	1174048000	...
55.	ग्रामीण कार्य विभाग	2013654000	4884000000
56.	पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	16722833000	24500000
57.	आवास विभाग	103918000	60000000

1	2	3	4
58.	माध्यमिक शिक्षा	7409774000	423500000
59.	प्राथमिक एवं जन शिक्षा	43692380000	80000000
60.	समाज कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग	12339652000	1080000000
*कुल राजस्व/पूंजी		278998125000	7348019000

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगों (झारखंड)

मांग की संख्या और नाम		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व (रुपए में)	पूंजी (रुपए में)
1	2	3	4
1.	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	130250000	...
2.	पशुपालन	200000	...
3.	भवन निर्माण विभाग	1319200	...
10.	ऊर्जा विभाग	1250000000	1410000000
16.	राष्ट्रीय बचत	504000	...
18.	खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1430000	...
19.	वन एवं पर्यावरण विभाग	18399700	...
20.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	88300000	20570000
22.	गृह विभाग	93428000	...
23.	उद्योग विभाग	1100000	...
25.	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम	100000	...
26.	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	158415200	...
33.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	17540000	...

1	2	3	4
36.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	3000000	...
40.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	3374000	...
41.	पथ निर्माण विभाग	12146500	200000000
43.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	58769000	...
44.	मानव संसाधन विकास विभाग	1600000	...
45.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2000000	...
48.	नगर विकास विभाग	9500000	...
49.	जल संसाधन विभाग	...	230000000
50.	लघु सिंचाई विभाग	...	61000000
51.	कल्याण विभाग	367800000	...
53.	मत्स्य	128500000	...
54.	डेयरी	19580000	...
56.	पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	400000	...
58.	माध्यमिक शिक्षा	400000	...
कुल राजस्व/पूंजी		2366255600	1921570000

अध्यक्ष महोदया : अब श्री निशिकांत दुबे बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया जी। मैं थोड़ा ही बोलूंगा, लेकिन साढ़े तीन करोड़ जनता का सवाल है और माननीय यशवंत जी और नामधारी जी ने जो कहा वह आपने सुना। यदि विधान सभा नहीं चल रही है तो वहां की जनता की आवाज को आपको सुनना चाहिए। अभी आपने कहा कि वोट ऑन एकाउंट नहीं लेना है, इलैक्टिड गवर्नमेंट के लिए हमने खुली छूट दी हुई है। जो कल होम मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, कितना कंफ्यूजन कांग्रेस में है। मैं आपके बजट भाषण पर बाद में जाऊंगा, उन्होंने कहा कि 28 लोगों ने कहा कि विधान सभा भंग हो जानी चाहिए। अब ये 11 आदमी डॉ. अजय कुमार जी की पार्टी के थे, उन्होंने कहा कि ये 11 आदमी भी चुनाव के पक्ष में हैं और इसके बाद कहा कि दो छोटी-छोटी पार्टियां थीं जिनके एक-एक एमएलए हैं, उन्होंने भी कहा कि यह विधान सभा भंग हो जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, 82 सदस्यों की सदन में खुद गवर्नर की रिपोर्ट कह रही है कि होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कल इसकी चर्चा की कि 41 लोग कहते हैं कि

चुनाव कराइये, तो क्या ऐसी मजबूरी है कि एसेम्बली को डिजोल्व नहीं कर रहे हैं, होर्स-ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यदि आपमें संविधान के प्रति आस्था है तो आप सरकार बनाइये, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस पिछले वर्ष 2009 में चुनाव लड़ चुकी हैं। आपके एक एमपी यहां जीतकर आये हैं। आप मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बना चुके हैं, एनओ सिक्का, हरिनारायण राय आदि सबके साथ आप सरकार बनाइये और यदि नहीं बना सकते हैं तो आप असेम्ब्ली को डिजोल्व कीजिए। वोट ऑन एकाउंट आप लेते तो आपके लिए सुविधा होती। क्या स्थिति आपने झारखंड की कर दी है?

मैडम, मैं देवघर से हूं, द्वादश ज्योतिर्लिंग का एक लिंग है शक्तिपीठ है, पार्श्वनाथ हैं जहां तेइसवें तीर्थंकर से निर्वाण प्राप्त किया। महात्मा गांधी देवघर में अपना आश्रम खोलना चाहते थे, महर्षि अरविंद पांडिचेरी जाने से पहले देवघर में थे, विवेकानंद जी शिकागो जाने से पहले देवघर में थे, ईश्वरचंद विद्यासागर झारखंड में पैदा हुए। रवीन्द्र नाथ टैगोर अपना शांति-निकेतन वहां बनाना चाहते थे। हम लोग सिद्धू, कानू, विरसा-मुंडा, तिलका-मांझी इस तरह की परम्परा के वाहक रहे हैं लेकिन आज झारखंड का यदि नाम आता है तो मधु-कोड़ा को लोग याद करते हैं, हरिनारायण राय को याद करते हैं, एनओ सिक्का को याद करते हैं, करप्शन को याद करते हैं। पूरा का पूरा झारखंड आपने बर्बाद कर रखा है। आपका कंफ्यूजन इस पूरे बजट में है। आप कह रहे हैं कि दो बार आपने राष्ट्रपति शासन लगाया तो आपने वहां कंसोलिडेशन करने का प्रयास किया, झारखंड को रास्ते पर लाने का काम किया। लेकिन इसके आगे की जो लाइन है, वह बड़ी रोचक है। फिस्कल एंड रैवेन्यू डैफिसिट बोलते-बोलते आपने कह दिया *[अनुवाद]* "राजस्व और वित्तीय घाटे का संकेट एफआरबीएम अधिनियम द्वारा विधि सीमा के अंदर है।" *[हिन्दी]* 28 महीने से आपकी सरकार नहीं चल रही थी, 28 महीने से राष्ट्रपति शासन नहीं चल रहा था, 28 महीने से हमारा शासन चल रहा था। इसका मतलब यह है कि स्टेट को फिस्कल डैफिसिट से हमने कंट्रोल रखा, रैवेन्यू में कंट्रोल रखा है, यह सब हमारी देन है। क्योंकि केन्द्र का जो फिस्कल डैफिसिट है वह 5.2 है, हमारा 2.3 है। इसका मतलब यह है कि हमने उसे कंट्रोल रखा है। आपने इसके रीजन्स दिये हैं, रीजन्स यह दिया कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आपने पिछले साल के बजट एस्टीमेट और रैवेन्यू एस्टीमेट में जो 90 हजार करोड़ रुपये घटाये, क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं कि झारखंड में आपने कितना प्रतिशत पैसा नहीं दिया है।

सेंटर के सर्व-शिक्षा-अभियान में जो 65 और 35 का हिस्सा होना चाहिए था उसमें आपने कितना पैसा नहीं दिया है। आपने हमारा पैसा काटा है। इंदिरा आवास में आपने हमारा पैसा काटा है, वृद्धावस्था पेंशन में आपने हमारा पैसा काटा है, बीआरजीएफ प्रोग्राम में आपने हमारा पैसा काटा है और यही कारण है कि हम पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हमारे ऊपर चार्ज लगा रहे हैं। आज झारखंड के लोगों की स्थिति क्या हो गयी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है। महोदया, आपकी कविताएं भी मैं सुनता रहता हूं। झारखंड के लोगों की स्थिति इस कविता से स्पष्ट है।

"पेट पीठ दोनों मिलकर रहे एक,
चल रहा लकुटिया टेक,
मुट्ठीभर दाने को,
भुख मिटाने को।"

आपके सामने हम तरह रहे हैं कि आप हमें पैसा दीजिए और हम आपके आधार पर बजट बनाते हैं लेकिन आप हमें पैसा देने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। आप हमें ठगने का प्रयास करते हैं। चाहे एक्सिलिरेटेड इर्रिगेशन बैनिफिट प्रोग्राम हो, चाहे बीआरजीएफ हो, चाहें सेंटर और स्टेट का हिस्सा देने की बात हो, हमें आपने हमेशा भ्रम में रखने का काम किया है। वहां का प्रशासन बजट तो बहुत लम्बे-लम्बे बना रहा है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, मैं बिंदुवार इस पर आना चाहता हूं।

सबसे पहले हैल्थ की बात है। हैल्थ में पूरे देश में 108 नम्बर का एम्बुलेंस चालू हो गयी है लेकिन हमारे यहां आज तक यह फैसला नहीं हो पाया कि यह नोमिनेशन के बेसिज पर दिया जाएगा या टेंडर के बेसिज पर दिया जाएगा। आज आपको एम्बुलेंस कहीं भी, किसी भी अस्पताल में नजर नहीं आयेगी। मैं जहां से सांसद हूं वहां के अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है। देवघर जहां के लिए चार-पांच करोड़ रुपये हर वर्ष

[श्री निशिकांत दुबे]

जाते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि पांच साल पहले उस अस्पताल को बनाने का काम बंद हो गया है, आज तक वह चालू नहीं हो पाया है। महोदया, वर्ष 2010 में एक हॉस्पीटल का शिलान्यास हो गया, चूंकि इस बजट में दिया गया है कि हम दो मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल बना रहे हैं। यह बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं। क्या आपने वर्ष 2010, 2011, 2012 या 2013 का बजट देखा है? ये बजट आपके देखने लायक है? मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि दुमका में वर्ष 2010 में शिलान्यास हो गया, लेकिन आज वर्ष 2013 तक, तीन साल से वहां एक ईंट नहीं रखी गई है और उसके लिए बजट में प्रोवीज़न किया गया है। कहीं भी आपको एएनएम और जीएनएम के स्कूल और कॉलेजिस नहीं दिखाए देंगे। आपने लक्ष्मी लाडली योजना के लिए पैसा दिया है और हेल्थ से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा विषय है। लाडली लक्ष्मी योजना में पैसा दिया जा रहा है, लेकिन जब उसका सैकिण्ड इन्स्टॉलमेंट देने की बात आयी तो वहां बच्चियां ही नजर आयीं। बच्चियां इसलिए नजर नहीं आयीं क्योंकि उनकी डेथे हो चुकी थी। मृत्यु दर वहां इतनी ज्यादा है। आप किस तरह का हेल्थ का बजट बनाना चाहते हैं। लोगों को वहां सुविधा नहीं मिली है, लेकिन आपने एनआरएचएम के नाम पर बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बना दिए हैं। किसी भी हॉस्पीटल में आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। किसी भी हॉस्पीटल में आपको नर्स और कम्पाउंडर दिखायी नहीं देंगे। किसी भी हॉस्पीटल में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। किसी भी जिला अस्पताल में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी और आप कहते हैं कि हम इसमें बजट दे रहे हैं। यह आपकी भी गलती है, क्योंकि आप एनआरएचएम का पैसा देते हैं और आप कहते हैं कि दस हजार रुपये प्रत्येक गांव में छिड़काव के लिए दिया जा रहा है। कभी आपने देखा है कि क्या वहां डीडीटी का छिड़काव हो रहा है या नहीं? यह झारखण्ड की स्थिति है और इसीलिए मैं चाहता था कि यहां डिस्कशन करके यह बजट पास हो।

अपराह्न 1.59 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय, *पीठासीन हुए*]

महोदय, अब मैं एजुकेशन पर आता हूं। एजुकेशन की क्या हालत है? 203 जगहों पर मॉडल कॉलेजिस बनने हैं, जो कि भारत सरकार को बनाने हैं, लेकिन मॉडल कालेज का एक भी बिल्डिंग आज तक नहीं बना है। पूरे झारखण्ड राज्य में एक भी बिल्डिंग नहीं बनी है। आपने 203 मॉडल स्कल के लिए जो पैसा दिया है, जो कि प्रत्येक ब्लॉक हेडक्वार्टर में बनना है। उस मॉडल स्कूल के लिए 42 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार देती है। जबकि सारा का सारा पैसा केन्द्र सरकार को देना है। एक भी स्कूल ऐसा नही है, जिसमें आपको टीचर नजर आएगा। पिछले साल भी झारखण्ड सरकार ने कहा कि अपने बजट में 138 करोड़ रुपये रखते हैं। हम लगातार लिखते रहे, क्योंकि शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से हमारा डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है और इसलिए हमारे यहां मॉडल कॉलेज होना चाहिए। मॉडल कालेज के बारे में केन्द्र सरकार कहती है कि 65 परसेंट केन्द्र सरकार देगी और 35 परसेंट राज्य सरकार देगी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछले साल के और इस साल के बजट में एक भी मॉडल कॉलेज कंसीव नहीं हुआ है। एक भी मॉडल कॉलेज नहीं हुआ है। लोगों को पढ़ने के लिए टीचर नही हैं, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। पंखे-बिजली को तो सवाल ही नहीं है। सेमेस्टर बढ़िया से नहीं चल रहा है। यह हालत प्राइमरी एजुकेशन की है। यह हालत सर्व शिक्षा अभियान की है, मिड डे मील की है। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए आपको टीचर ही नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसका एप्वाइंटमेंट ही नहीं हुआ है। आपको कहीं भी आईटीआई प्रोपर फंक्शन करतन नज़र नहीं आएगी। इन्होंने इस बजट में कहा कि पोलिटेक्नीक खोलेंगे। सात जगह पीपीपी मोड पर और तेरह जगह, आपको पता है कि वह पैसा कब का है। जिस चीज की घोषणा आपने बजट में की है, वह पैसा वर्ष 2010 में पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार बारह करोड़ तीस लाख रुपया देने वाली है और उसमें दो करोड़ की पहली किस्त वर्ष 2010 से पड़ी है। आपने कभी पूछा कि वर्ष 2010 में तुमने पैसा रखा है और क्यों नही आज तक पोलिटेक्नीक बन पाया है। आज यह हालत झारखंड की है। आपको एक भी इंजीनियरिंग कालेज प्रोपर फंक्शन करते हुए नहीं नजर आएगा। एक पोलेटेक्नीक, आईटीआई आपको प्रोपर फंक्शन करती नजर नहीं आएगी। झारखंड सरकार ने इस साल को कौशल विकास साल बनाया हुआ है। आप कारपेंटर की बात छोड़िए, लौहार की बात छोड़िए, सुनार की बात छोड़िए, राजमिस्त्री की बात छोड़िए, बढ़ई की बात छोड़िए क्योंकि उनके

लिए जो स्किल डेवलपमेंट का सवाल ही नहीं है। जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनके लिए भी कुछ नहीं है। झारखंड की आप लोगों ने क्या हालत बना रखी है?

इसके बाद मैं रूरल डेवलपमेंट की बात कहना चाहता हूं। आज तक 9 गवर्नर वहां बदले जा चुके हैं। जब से मैं सांसद बना हूं, तब से वर्तमान के चौथे गवर्नर हैं। आप स्वयं अस्थिरता लाना चाहते हैं। जब मैं एमपी बना तब ....* थे, उसके बाद .....* बने, उनके बाद ..... और अभी .....* हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नाम रिकार्ड में नहीं जाएंगे।

श्री निशिकांत दुबे : चार साल में चार गवर्नर बदले हैं। आप स्वयं अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। क्या ....* को हमने पैदा किया? आपने मॉडल ला दिया। क्या हमने कहा कि क्रप्शन कर लीजिए।

अपराह्न 02.00 बजे

यह भी हम ही ने कहा कि करप्शन कर लीजिए। हम ही ने कहा कि झारखंड को लूट लीजिए। रूरल डवलपमेंट का लीजिए। रूरल डवलपमेंट में आपको मनरेगा में लगेगा, मैं इस सदन में बड़ी गंभीरता के साथ निगरानी के चेयरमैन के नाते कहना चाहता हूं और मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि वहां कितना करप्शन है?

निगरानी समिति के चेयरमैन के नाते मैंने वर्ष 2009 में 7 करोड़ रुपये का बैन मनरेगा में लगा दिया। बड़ा अच्छा हो गया, उसमें करप्शन था। डीडीसी की रिपोर्ट आ गई। झारखंड हाईकोर्ट में डिसीजन हो गया कि कोई पैसा नहीं दिया जाएगा जब तक निगरानी समिति तय नहीं करेगी और कल परसों से अभी मरनेगा कमिश्नर ने आदेश दिया है कि उसका काम चालू कर दीजिए। 7 करोड़ रुपये का पेमेंट कर दीजिए। करप्शन नही है। कोई बात नही है। मनरेगा का काम चल रहा है। यह झारखंड की स्थित है। पुल-पुलिया के बारे में आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पैसा दे रहे हैं। पुल-पुलिया के बारे में क्या आप बता सकते है। कि वहां जो रीजन है, रांची के अलावा रांची और जमशेदपुर, खरसांवा के इलाके को छोड़ दीजिए, सिल्ली के इलाके को छोड़ दीजिए, यह बताइए कि संथाल-परगना के 6 जिलेमें कितने पुल और पुलिया तथा कितनी रोड्स सैंक्शन हुई? यह बताइए कि पलामू, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में कितने पुल-पुलिया और रोड्स सैंक्शन हुई हैं? आपको आश्चर्य होगा और लगेगा कि एक क्षेत्र विशेष में हमने रूरल डवलपमेंट का सारा पैसा पुल-पुलिया के लिए दे दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिदम्बरम साहब को बताना चाहता हूं कि 17 जिले हैं जो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में हैं। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान का मतलब होता है कि 250 से ऊपर की जो आबादी है, वह रोड से कनैक्ट हो जाएगी, सेन्ट्रल गवर्नमेंट उसका पैसा देगी और बाकी जो 7 जिले हैं, उन 7 जिलों के लिए राज्य को सोचना चाहिए लेकिन राज्य ऐसा नहीं सोच रहा है और वह बंदरबाट कर रहा है। निशिकांत दुबे ने कुछ कहा तो उसको कर दीजिए, यशवंत जी ने कहा तो उसको कर दीजिए। कयें कर दीजिए? यदि आप राज्य का समग्र विकास करना चाहते हैं तो उस विकास के लिए आपको रूरल डवलपमेंट में कहां रोड बननी है, कहां प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत रोड नहीं जा रहा है, वहां आप मुख्य मंत्री सड़क योजना से आप उसको जोड़ने का प्रयास करिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बंदरबांट है। करप्शन है। कितने लोग इसमें इंवाल्वड हैं? आपको इसकी स्थिति पता नहीं होगी।

इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में आप प्रत्येक जिले को, 17 जिले को मान लीजिए कि आप 25 से लेकर 40 करोड़ रुपये तक देते हैं। बाकी जो 7 जिले हैं, वे 7 जिले क्या करेंगे? क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है? थाने में गाड़ियां नहीं हैं। आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा आज हम नक्सलवाद से जूझ रहे हैं और नक्सलवाद से यदि जूझ रहे हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसके लिए थाने में गाड़ियों की क्या हालत है? एसआरए जिला होने के नाते उसके फाइनेंस की क्या स्थिति है और क्या बन रहा है? केवल पुलिस आधुनिकीकरण के नाम पर 1500 करोड़ रुपया किसी एकाउंट में रखा हुआ है। वहां कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन वह खर्चा दिखाया जा रहा है कि पुलिस मॉडरेनाइजेशन के नाम पर 1500 करोड़ रुपया हमने दे दिया और वह खर्च हो गया। इस तरह से जो पैसे का मिसयूज करने की टेंडेंसी है, इसके

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री निशिकांत दुबे]

बारे में सोचिए क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है, वह बंग्लादेश से जुड़ा हुआ है। हमारा जो बॉर्डर है, वह नेपाल से जुड़ा हुआ है और जब आप गृह मंत्री थे तो मैं बोलते बोलते थक गया हूं कि मैं जिस संथाल-परगना से आता हूं, उसका बार्डर बंग्लादेश और नेपाल से जुड़ा हुआ है। जो नेपाल के पूर्व प्रधान मंत्री थे, उन्होंने खुद कहा कि दस साल जो वो एगजइल में रहे, पांच साल वह संथाल-परगना में रहे, संथाल-परगना नक्सेलाइट पैदा करता है और उसके बाद वह छत्तीसगढ़ , उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश के लिए डिस्पर्स होता है और इस तरह से पूरे देशभर में वहीं से जाता है। बंग्लादेशी इंफिल्ट्रेटर्स जो आते हैं, उनका सबसे बड़ा शरणस्थली वही है लेकिन आपके कान पर जूं नहीं रेंगती है। आपको लगता है कि स्टेट का विषय है और स्टेट कहता है कि सेंटर का विषय है। बहुत अच्छा विषय है कि हम आपसे यहां डिसकस कर रहे हैं।

इसके बाद टयूरिज्म आता है। माइन्स और मिनरल्स पर मैं बाद में आऊंगा कि आप किस तरह से हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। टयूरिज्म की बात पर अब मैं आता हूं। देवघर जहां से आता हूं, मेगॉ टयूरिस्ट डेस्टीनेशन देवधर हो गया। 2010 से 25 करोड़ रुपयो मेगॉ टयूरिस्ट डेस्टीनेशन के लिए दिया जता है। वर्ष 2010 से 12.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। क्यों 40 करोड़ रुपये की लागत से कॉम्पलैक्स बनना है? वर्ष 2013 तक उसमें काम चालू नहीं हुआ है। चाहे कोई भी टयूरिस्ट डेस्टीनेशन ले लीजिए। पारसनाथ मैंने आपका बताया। उसमें कोई काम चालू नहीं हुआ है। बॉस्कीनाथ आपको बताया यानी जो भी है, मनरू है, रांची है, सब जगह बड़े-बड़े सेंटर आपको नज़र आ रहे हैं। एक भी प्रोजेक्ट में काम शुरु नहीं हुआ और इस साल जो स्टेट प्लान का बजट है, आपका बड़ा आश्चर्य होगा कि 31 मार्च तक उसमें एक भी योजना सैंक्शन नहीं होन वाली है। जो केन्द्र सरकार पैसा दे रही है, वह पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। केन्द्र सरकार अपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देने के कारण या पैसा जमा होने के कारण यदि झारखंड सरकार से पैसा वापस मांगती है कि आप दोबारा अगली योजना में लीजिएगा क्योंकि झारखंड की तरह हम चौपट व्यवस्था में नहीं चलना चाहते हैं तो राज्य उसको पैसा लौटाने के लिए तैयार नहीं है। यानी जो पैसा दिया गया वह मेरा ही पैसा है। यह टूरिज्म का हाल है।

महोदय, एक भी योजना चालू नहीं है। मान लीजिए अगर बन भी गया तो कब चू जाएगा पता नहीं। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने खुछ ड्रिंकिग वाटर के बारे में कहा है 3.7 परसेंट पाइप वाटर चल रहा है। मैं देधर से सांसद हूं, वहां जेएनएनयूआरएम की तरफ से वाटर प्रोजेक्ट चल रहा था जो दिसंबर, 2009 में पूरा होना था। यह दिसंबर, 2013 तक पूरा हो पाएगा या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आपने 19 करोड़ रुपए का पहला इंस्टालमेंट दे दिया, दूसरा नहीं दे रहे हैं। कन्सोलिडेटिड फंड से पैसा दिया भी गया है, उसके डीपीआर का सोर्स ऐसा है कि अभी जब वह प्रोजेक्ट कम्पलीशन की हालत में है तो कहा जाता है कि सोर्स ही नहीं है, पानी ही नहीं आ पाएगा। आप कैसे विकास करेंगे?

महोदय, वहां चापाकल गड़ता है, एम.पी. और एम.एल.ए. के कहने से पांच-पांच चापाकल प्रत्येक पंचायत में दे दिए। अब बात आती है कि चापाकल कौसे गड़ता है? एक जगह का चापाकल उठाकर दूसरी जगह गाड़ दिया जाता है क्योंकि कोटा पूरा करना है। यह स्थिति है। किसी भी गांव में कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता है। मैं दूसरी जगह की बात नहीं कहता, यशवंत जी या उपाध्यक्ष महोदय आप बताएंगे। मेरे यहां जितने रूरल वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें से एक भी चालू नहीं है। यह पिछले दस साल से है। मैंने अपने यहां कहा है कि सारे अधिकारियों पर एफ.आई.आर. दर्ज की जाए। यह रूरल वाटर की स्थिति है और आप कहते हैं कि हम पानी देंगे और इसमें 200 और 300 करोड़ रुपया एलोकेट कर दिया गया है। आपने क्या एलोकेशन की है?

महोदय, यह कहा जा रहा था कि इरीगेशन में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यह बताया गया है कि ये-ये प्रोजेक्ट पूरे करेंगे और 1 लाख 45 हजार हेक्टेयर बढ़ेगा। अजय बैराज का उद्घाटन 2011 में हुआ था। 2013 में क्या बढ़ाया है? हमारे यहां पुरासी योजना चल रही है, सूखा पठार है, 1978-78 में उद्घई का शिलान्यास हो चुका है। सब में पैसा जा चुका है। कोई भी प्रोजेक्ट चालू स्थिति में नहीं है, चाहे पलामू, गुमला, रांची, संथाल परगना, गुमानी या स्वर्णरिखा प्रोजेक्ट हो। स्वर्णरिखा तो और बड़ा केस है। आज से एक साल पहले यानी 2011-12 में 335 करोड़ रुपया ए.आई.बी.पी. में दिया। ए.आई.बी.पी. से काम चालू हुआ। 2012-13 में एक रुपया भी एलोकेट नहीं

किया गया। झारखंड सरकार ने बजट बना लिया कि ए.आई. बी.पी. में पैसा मिलेगा। स्वर्णरेखा के कारण कोई दूसरा प्रोजेक्ट एस्कलेटिड इरीगेशन प्रोग्राम में नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसका पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी चपरासी की तरह चक्कर काट रहे हैं। किसी के जूं नहीं रेंग नहीं है।

आप वित्त मंत्री हैं, आप बताएं कि उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? उसी तरह से पुनासी डैम 40 साल से चल रहा है। उढ़ई का मधु लिमये जी ने 1978 में शिलान्यास किया था। सूखा पठार का 1977 शिलान्यास हुआ था। बटेश्वर पंप नहर योजना को 2013 में पूरा होना था शायद ही पूरा हो पाए। इस तरह इरीगेशन की यह स्थिति है। सीरीज़ आफ चैक डैम नाले पर नजर नहीं आएगा। उससे कोई भी पानी नहीं ले सकते हैं। रिहेबिलिटेशन और रेस्टारेशन प्रोग्राम में, ट्रिपल आर पालिसी में जिसमें बांध और तालाब बनना है। ए.आई. बी.पी. में एक बांध का भी क्लियरेंस नहीं होता है यदि हो भी जाए तो उसका ऐसा बुरा काम होता है कि पानी नहीं मिलेगा। लिफ्ट इरीगेशन के जितने प्रोजेक्ट हैं, जिस भी एरिया में हैं, एक भी प्रोजेक्ट चालू नहीं है। चाहे माइनर या मेजर इरीगेशन हो, आप क्या करेंगे?

महोदय, राजीव गांधी बिजली परियोजना में जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, झारखंड के जितने सांसद हैं ज्यादातर सभी सांसदों के क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। कभी कहते हैं कि आर्डर दे दिया है जनवरी में आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा। हम आशा से देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है जब चुनाव में जाएं तब भी न आए। एक कंपनी को पैसा दे देते हैं। एक नया पावर प्लांट नहीं आ रहा है। यह बिजली की स्थिति है। हमारी बात कौन सुनेगा?...*(व्यवधान)* यह सब्जेक्ट ही तो है। आपने बिजली के लिए पैसा एलोकेट किया है तो कौन देगा? हमारे यहां 1990 से ग्रिड बन रहा है। आपने खुद ही लिखा है कि हम राष्ट्रपति शासन में चीजें ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या केन्द्र का पैसा हम देंगे? ए.आई.बी. वी. का पैसा आप देंगे। आप जो एडवरटाइजमैन्ट कर रहे हैं, उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल और माननीय प्रधानमंत्री जी का कह रहे हैं कि आपने एकदम पूरी व्यवस्था ठीक कर दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नरेगा, मनरेगा, बिजली, पानी सब ठीक कर दिया। हम रोज जो एडवरटाइज देख रहे हैं, क्या यह कोई तरीका है। राष्ट्रपति शासन क्या कोई चुनी हुई सरकार है? आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप इन चीजों को सुनना भी नहीं चाहते है।

मुझे हरिवंशराय बच्चन की एक बहुत अच्छी कविता याद आ रही है- "तोड़-मरोड़ विरल लतिकाएं, नोंच-खसोट कुसुम कलिकाएं, जाता है अज्ञात दिशा, उड़ जाओगे, क्या तुम तूफान समझ पाओगे।" ...*(व्यवधान)* यह मैं आपके लिए कह रहा हूं। यह तूफान है, झारखंड की जनता का यह तुफान है। आपने जो ...पैदा किया और वहां के पैसे को लूट लिया, हवाला में जो पैसा चला गया, वह जो पैसा नहीं आ पा रहा है . ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : आपको श्री यशवंत सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था।

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग) : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे : यानी आप नहीं चाहते कि आपकी जगह पर यशवंत जी जाएं, यानी यशवंत जी को देश का वित्त मंत्री नहीं बनने देना चाहते है। आप यशवंत जी को मुख्यमंत्री पद पर सिमराक चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, गत 12 वर्षों से अपनी ही सरकार की निंदा कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि उनकी ऐसी मनोवृत्ति कैसे बनी हुई है। हम आपकी सहायता का प्रयास कर रहे हैं। केन्द्र सरकार की सहायता लेने का प्रयास कीजिए; जल्दी चुनाव करवाइए और नई सरकार निर्वाचित करवाइए यदि आप पिछले 20 मिनट से अपनी सरकार की निंदा कर रहे हैं, अत: आप अगले 20 मिनट तक ऐसा कर सकते हैं और मुझे कोई अथस्ति नहीं है।

श्री निशिकांत दुबे : मैं अपनी सरकार की निंदा नहीं कर रहा हूं। आपने कहा कि राष्ट्रपति शासन सदैव बेहतर होता है। अत: मै यह कह रहा हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : नहीं मैने ऐसी नहीं कहा है यह मेरा दोष नही है।

श्री निशिकांत दुबे : इसमें आप का दोष है *[हिन्दी]* हमारे यहां माइस और मिनरल्स है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मैने यह कहकर शुरूआत की थी कि राष्ट्रपति शासन इसका उत्तर नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे : महोदय, वित्त मंत्री के नाते यह बतायें, यह कहते हैं कि आपके यहां 30 परसैन्ट कोयला है, 30 परसैन्ट आयरन ओर है। हमारे यहां यूरेनियम और बॉक्साइट भी है। हमारे यहां ये जो पैसा देते हैं, वह मात्र तीन हजार करोड़ रुपये देते हैं। जी.डी.पी. में कितना परसैन्ट स्टील इंडस्ट्रज, सीमेन्ट इंडस्ट्रीज, बॉक्साइट इंडस्ट्रज या कोयला इंडस्ट्रीज महत्व रखते हैं, इनके यहां का पावर प्लान्ट बंद हो जायेगा। कितना परसैन्ट हम जी.डी.पी. में देते हैं और आप उसके बदले हमें तीन हजार करोड़ रुपये देते हैं। रेलवे को चालीस परसैन्ट रेवेन्यू हम देते हैं। रेलवे हमारे यहां एक भी प्रोजैक्ट नहीं करती है। इसमें दोष आपका है क्या बी.आर.जी.एफ. का पैसा राज्य का दोष है, क्या ए.आई.बी.पी. का पैसा राज्य का दोष है, क्या सर्व शिक्षा अभियान राज्य का दोष है, क्या इन्दिरा आवास राज्य का दोष है? आप बताइये, 90 हजार करोड़ रुपये का केन्द्र जो नुकसान किया है, जो पैसा काटा है, उसमें यदि सबसे ज्यादा किसी को धोखा दिया है तो केवल झारखंड को दिया है। हमारी सरकार दस साल नहीं रही है। तीन साल आपकी सरकार रही है और पांच साल ये सरकार चल रहे हैं। हमारी सरकार तीन साल रही है। ...*(व्यवधान)* आप विस्थापन की बात कर रहे हैं। नगरी में यदि लोगों ने पैसा ले लिया। डा. अजय जिस पार्टी के सांसद है, मैं उन्हें छेड़ना नहीं चाहता था। नगरी में लोगों ने पैसा ले लिया, वहां कालेज बनेगा कि नहीं, कॉलेज किसके लिए बनेगा, झारखंड के लोगों के लिए बनेगा या दूसरे के लिए बनेगा? वह शेड्यूल फाइव की बात कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा कि शेड्यूव फाइव में माइन्स नहीं होनी चाहिए। आपके अध्यक्ष महोदय चूंकि यहां के माननीय सांसद है, वह वहां धरने पर बैठ गये, बहुत बढ़िा बैठ गये। शेड्यूल फाइव में पैनएम को किसने क्लियरेन्स दिया। मुख्य मंत्री के नाते माननीय बाबू लाल मरांडी जी ने दिया और चूंकि इस सदन के सदस्य हैं, इसलिए उनकी पार्टी के सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड लुटवाने में आपका भी उतना बड़ा योगदान है और यहां आकर भाषण दे रहे हैं कि विस्थापन पर बातें नहीं होनी चाहिए। यहां आकर भाषण दे रहे हैं कि शूड्यूल फाइव में माइन्स नहीं होनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि देश में कैसे चलेगा, झारखंड का डैवलमैन्ट कैसे होगा, उसके बारे में आप समग्र सोच रखिये। यदि स्टील अथारिटी का कार्यालय वहां नहीं है, हैड ऑफिस नहीं है तो इसमें केन्द्र का दोष है। यदि कोल इंडिया का हैड ऑफिस नहीं है तो इनका दोष है। टाटा यदि मुम्बई में हमारा पैसा लूटकर इंकम टैक्स दे रहा है तो इसमें दोष है, क्योंकि यह सब झारखंड का पैसा है। इसके लिए डिमांड करनी चाहिए।

जहां तक पेशन फंड का सवाल है। पेंशन के लिए इनके यहां अधिकारी हैं। जिस काडर का जो अधिकारी है, उसे यह निर्णय करने का अधिकार नहीं था। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश भर में 1956 के बाद जितने राज्य बने हैं, उनका पेंशन का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। यह भी बता दें कि यह राज्य का विषय है। सन् 1956 के बाद से सारे राज्य जनसंख्या के आधार पर हैं। हमारे यहां एंप्लाई के आधार पर हो गया क्योंकि दो एंप्लाई बिहार में रह गए और एक एंप्लाई यहां रह गया। बिहार की असेंबली का किसी ने एक अमेंडमेंट दे दिया। यदि इस अमेंडमेंट को किसी ने देखा नहीं तो आप उसकी गलती सुधारेंगे या नहीं सुधारेंगे? दस हज़ार करोड़ रूपये का नुकसान है। हम मात्र सात-आठ हज़ार करोड़ रूपये का अपना रेवन्यु जनरेट कर पाते हैं। हम विकास में लगाना चहाते हैं, उसमें यदि दस हज़ार करोड़ रूपये आप ले लीजिएगा, यह आपका विषय नहीं है? उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय का विषय नहीं है? दूसरा विषय यह है कि यदि हमारे झारखण्ड में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ तो वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण नहीं हुआ है। यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण चुनाव नहीं हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन है? लेकिन आपने मेरा छह हज़ार करोड़ रूपये रख लिया है। आप पैसा देने को तैयार नहीं है। आप मिनरल माइंस में रॉयल्टी

नहीं देंगे। आप पेंशन फण्ड में हमारे साथ धोखा करेंगे। पंचायत चुनाव नहीं हुआ, उसके कारण हमारे साथ समस्या है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां की जो सिचुएशन हैप, उस सिचुएशन में हमारे यहां 70 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। 73-74 प्रतिशत महिलाएं मालन्युट्रिशन की शिकार हैं। हमारे यहां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का फर्स्ट फ़ेज का रोड़ आज तक पूरा नहीं हुआ है। मनरेगा में भयंकर लूट है। जब से राष्ट्रपति शासन शुरू हुआ है, तब से और लूट हो रही है। माननीय जयराम रमेश जी उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री निशिकांत दुबे : हमारे यहां जी.डी.पी. नहीं बढ़ पा रही है। माइंस में कुछ नहीं हो रहा है। 70 प्रतिशत लोग गरीब हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं और पिछड़े हैं। मेरा यह कहना कि यदि किसी एक राज्य को सबसे पहले स्पेशल स्टेट्स मिलना चाहिए था, वह झारखण्ड को मिलाना चाहिए था। यह हम से पहले आप किसी को स्पेशल स्टेट्स दे देंगे तो हम वहां से माइंस, मिनरल और कोयला को लाल कर देंगे। हम आपको कोयला नहीं देंगे। हम आपको आयरन-ओर नहीं देंगे, बॉक्साइट नहीं देंगे। सभा में हम कह रहे हैं कि हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि यह देश ठप्प हो जाएगा क्योंकि झारखण्ड में इतनी ताकत है। इस देश को रोकने का यदि किसी एक राज्य में अधिकार है, तो वह झारखण्ड में है। हम आपको कुछ नहीं देंगे? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : क्या आप देश को धमकी दे रहे हैं?

श्री निशिकांत दुबे : यदि आप झारखंड अथवा झारखंड की जनता की कुछ नहीं देंगे तो यह देश के लिए धमकी है। इस कारण यह है कि हम गत 65 वर्षों से कष्ट उठा रहे है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया यहां आपस में बातचीत मत कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री पी. चिदम्बरम : यह आपकी इसकी वजह आपकी अपनी सरकार है इसमें आपका दोष है।

श्री निशिकांत दुबे : नहीं, इसमें मेरा दोष नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : उपाध्यक्ष जी, आप भी झारखण्ड के रहने वाले हैं। मैं इस इल्ज़ाम का पूरा खण्डन करना चाहता हूं। पिछले दो साल से मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में आया हूं, तब से झारखण्ड के साथ कोई भेद-भाव नहीं हुआ है। ग्रामीण सड़कों के बारे में, मनरेगा के बारे में, इंदिरा आवास योजना के बारे में झारखण्ड को विशेष दर्जा दिया गया है। सांसद की ऐसी धमकी देना उचित नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, अब कृपया अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे : हमारे सत्तर प्रतिशत लोग यदि गरीब हैं, यदि बी.पी.एल. हैं तो इसमें मेरा दोष है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री निशिकांत दुबे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुष्यंत कुमार की एक कविता कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि-

''इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं हमारे, जिस तरह ये टूटे हुए आइने दिखते हैं।
आपने कालीन देखा होगा, इस देश ने कालीन देखा होगा, लेकिन मेरे पांव कीचड़ में हैं।
उस कीचड़ से निकलने के लिए हमें प्रयास करने दीजिए।''

श्री जयराम रमेश : उपाध्यक्ष महोदय, चुनी हुई सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें माननीय सदस्य से आती हैं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमारियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत झारखण्ड राज्य के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया है।

माननीय सदस्य जिस तरह से लगातार उल्लेख कर रहे थे और योजनाओं के लागू न होने के कारणों की बात कर रहे थे, उसमें स्वभावित रूप से अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे थे और वह स्वाभाविक है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर बोलिए।

श्री जगदम्बिका पाल : अभी दो महीने पहले तक उन्हीं की सरकार थी। जिन योजनाओं का पैसा गया है, उनकी ही सरकार में गया है। इस संघीय ढांचे में यह व्यवस्था है कि जो पैसा केन्द्र सरकार से जाता है, उस पैसे को खर्च करने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार उसको खर्च करती है। हमने वर्ष 2012-13 में जो पैसा दिया, 11,22,790 लाख इनका बजट अनुमान था, उसके बढ़ाकर केन्द्र सरकार ने पैसा दिया, जो केन्द्रीय अनुदान और सहायता है, मैं राज्य के उनके बजट की बात नहीं कर रहा हूं, केन्द्रीय सरकार से जो सहायता मिली है, मैं उसकी वर्ष 2012-13 में जो बजट अनुमान था, वह 11,22,790 था और हमने 11,32,191 लाख दिया है। मैं समझता हूं कि इनको तो धन्यवाद देना चाहिए था, इनको वित्त मंत्री जी को बधाई देनी चाहिए थी कि झारखण्ड राज्य के लिए, जैसा माननीय मंत्री जयराम रमेश जी ने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हों, सबमें हमने दिया है। मैं समझता हूं कि आज आप बहुत गुस्से में थे, मैं समझता हूं कि वह गुस्सा इसलिए था कि जिस तरह के सुझाव आप अपनी पिछली सरकार के मुख्यमंत्री जी को देते थे, शायद वे सुझाव नहीं मानते रहे होंगे, तो वह गुस्सा आज परिलक्षित हो रहा है। अन्यथा मैं समझता हूं कि वर्ष 2000 में झारखण्ड राज्य का गठन हुआ और वर्ष 2004 तक केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर वास्तव में झारखंड के लिए दर्द था, तो वर्ष 2000 से 2004 में क्यों नहीं झारखण्ड राज्य को भारतीय जनता पार्टी, एन.डी.ए. की सरकार ने स्पेशल स्टेटस दिया। आज हमारे मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने एक तरह से स्पेशल स्टेटस दिया है। हमने ग्रामीण सड़कों में दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे : एक तरह क्या हुआ, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस होता है।

श्री जगदम्बिका पाल : आपने वर्ष 2000 से 2004 तक, जिसे वित्त मंत्री जी बनाने की बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप अपनी बात कह चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल : आप खड़े क्यों हो गए? निशिकांत जी, आपका भविष्य उदीयमान है, कम से कम आपने कहा है, तो उसको सुनिए भी। आपने कृषि पर बहुत जोर दिया। आज जो सेंट्रल स्कीम है, ए.डी.बी., उस ए.डी.बी. में वर्ष 2013-14 में और कृषि में जो 66 परसेंट आपकी आबादी है, हमने इस बात के बजट में प्रावधान बढ़ाया है। आप उस राष्ट्रपति शासन की आलोचना कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने कहीं नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन अच्छा है। आपने कहा कि माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन है, इसलिए हम तारीफ कर रह हैं। वित्त मंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन अच्छा है। राष्ट्रपति शासन कोई उपाय नहीं है, हम चाहते हैं कि वह लोकप्रिय सरकार रहे और आज भी हम चाहते हैं कि वहां इसकी संभावनायें हों। आखिर राष्ट्रपति शासन लाने के लिए कौन गुनहगार है, कौन जिम्मेदार है? आज पूरा देश जानता है कि अगर झारखण्ड में राष्ट्रपति शासन आया है, तो वह केवल आपके कारण आया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, टोका-टाकी मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल : वहां आपकी सरकार थी, इसे कौन नहीं जानता है? जिस समय चुनाव के बाद वहां पर सरकार बनी, तब आप उनके साथ सरकार में शामिल थे। आपको यह बर्दाश्त नहीं हुआ, आप वहां की जिस सरकार में शामिल थे, डिप्टी चीफ मीनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के थे और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री थे और आपने उसे नहीं चलने दिया। आपने उस सकरार को गिराया और उस सरकार को गिराकर फिर राष्ट्रपति शासत की स्थिति बनी। फिर उन्हीं के साथ मिलकर जब आप मुख्यमंत्री बने, आप उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं और जब वे कहते हैं कि 18 महिने आपने शासन कर लिया, 18 महीने अब हमको शासन करने दीजिए। जब आपने उन्हें यह मौका नहीं दिया...

उपाध्यक्ष महोदय : आप बजट पर बोलिए।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं बजट पर ही बोलने जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो आप राष्ट्रपति शासन पर बोल रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, जब वे कह रहे थे तो उनकी बात का जवाब तो आ जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : वह चर्चा तो हो चुकी है।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल : इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य की बात उठायी, आज स्वास्थ्य में हमने 776.23 करोड़ रूपये आबंटित किये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि स्वास्थ्य में सबसे बुनियादी आवश्यकता क्या है, आज सबसे बुनियादी आवश्यकता यह है कि मॉर्टेलिटी रेट कम हो, मातृ मृत्यु दर कम हो। आज राष्ट्रीय औसत क्या है, आज मातृ मृत्यु दर का राष्ट्रीय औसत 212 है और झारखण्ड में मातृ मृत्यु दर 261 है। जहां राष्ट्रीय औसत 212 है, उसके सापेक्ष झारखण्ड में मातृ मृत्यु दर 261 है, वहां 261 महिलाओं की मौत हो रही है। जैसा हमारे अजय कुमार जी ने कहा कि वर्ष 2000 से आज तक वहां आपकी सरकारी थी, कभी भी झारखण्ड में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अगर आज भी आप वहां पर प्रसव के समय हो रही महिलाओं की जिन्दगी को नहीं बचा सकते, आप जच्चा-बच्चा के जीवन की रक्षा नहीं कर सकते तो झारखण्ड की जनता आपको कभी कुबूल नहीं करेगी। आप कहते हैं कि स्वास्थ्य में पैसा नहीं दिया गया। आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय औसत क्या है? आज राष्ट्रीय औसत महिलाओं की मृत्यु दर की 212 है और झारखंड की 261 है। इसके लिए क्या हम जिम्मेदार हैं? आप केवल मधु कोड़ा का नाम लेते रहे। आपके अर्जुन मुण्डा जी तो अभी तक मुख्य मंत्री थे। जितने भी मुख्य मंत्री हुए, आपके ही भारतीय जनता पार्टी के थे। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कमोबेश रही। जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, या तो वो मुख्य मंत्री बने। कांग्रेस ने कभी आयाराम गयाराम नहीं किया और कांग्रेस ने वहां कभी सरकार बनाने का काम नहीं किया। आप लूटने की बात कह रहे हैं. ..*(व्यवधान)* मैं आपकी तरफ देखूंगा नहीं, मैं चेयर की तरफ ही देखूंगा। जो लूटने की बात आप कह रहे हैं, वह सवाल आपको अपने नेताओं से पूछना होगा जिनको आपने दायित्व दिया, जिनको आपने जिम्मेदारी दी कि उस राज्य में मिनिरल की खरीद और लूट क्यों हुई। आपने शिक्षा की बात की। क्या आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा ड्रापआउट किस राज्य में हैं-झारखंड में हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकार जिम्मेदार है। अभी मैं पैसा बताऊंगा कि कितना मिला है। आपको मैं हर मद का पैसा बताऊँगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो बोल चुके हैं, उनको अपनी बात कहने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल : झ.रखंड राज्य में सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या है, सबसे घटिया स्तर के शिक्षक हैं। आप शिक्षक तैयार नहीं कर पाए, बी.एड. कॉलेज खोल नहीं पाए। दस सालों में जो हमने सरप्लस स्टेट बनाया था जिस तरह से वहां के खनिज और मिनिरल्स की दुलाई की जाती है, उस सरप्लस स्टेट में आप शिक्षक प्रोड्यूस नहीं कर पाए, बी.एड. कॉलेज नहीं खोल पाए, क्वालिटी एजुकेशन लिए टीचर्स नहीं दे पाए, सबसे ज्यादा ड्रापआउट बच्चों का वहां है। वहां बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल से वंचित हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : मान्यवर, मैं बजट की बात कर रहा हूं, मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं। आप विकास की बात कहते हैं। मैं कहता हूं कि भारत सरकार क्या नहीं कर रही है? आप जिस देवघर की बात कर रहे हैं कि देवघर में पूरे देश और दुनिया के लोग आते हैं, उस देवघर में बिल्कुल देश और दुनिया के लोगों की आस्था है। लेकिन उस देश और दुनिया की जिनकी आस्था है, जिस देवघर की आप झारखंड में बात करते हैं, वहां हवाई अड्डा देने का काम इसी कांग्रेस और यू.पी.ए. सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि आप इस बात से सहमत होंगे।...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे : उसके लिए झारखंड सरकार ने कहा था कि 50 करोड़ रुपये देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल : लेकिन मेहरबानी नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल : अरे ! इस तरीके से हमने तो नहीं देखा, कम से कम भारत का संस्कार है। अगर कहीं सिविल एयरपोर्ट मिल गया हो, वह हिन्दुस्तान से एयर सर्किट पर जुड़ गया हो उसके लिए कह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपये दिया है। एक एयरपोर्ट कितने का बनता है इनको अंदाज़ है?

श्री निशिकांत दुबे : हां, अंजाज़ है।

श्री जगदम्बिका पाल : कितना अंदाज़ है?

श्री निशिकांत दुबे : 350 करोड़ रुपये।

श्री जगदम्बिका पाल : उसमें से 50 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं और उसमें अभी तक झारखंड सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया है।...*(व्यवधान)*

अभी आप टूरिज़्म में मैगा प्रोजैक्ट्स की बात कर रहे थे। आज भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय ने अगर मैगा प्रोजेक्ट में 40 करोड़ रुपये भी दिए तो उस मैगा प्रोजैक्ट में जो कार्यदायी संस्थाएं होती हैं वे राज्य की होती हैं। ...*(व्यवधान)* मैं कहता हूं मेरे कपिलवस्तु में भी पांच करोड़ रुपये ही दिये। आप मुझसे ज्यादा ले गए। लेकिन आज तक राज्य सरकार यह तय नहीं कर पा रही कि हम किस कार्यदायी संस्था से काम कराएं। इसके लिए राज्य सरकार ज़िम्मेदार है। आप भारत सरकार को बधाई दीजिए। पर्यटन स्टेट का सब्जैक्ट है, एजुकेशन कनकरैन्ट का सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जैक्ट है। हम राष्ट्रीय कृषि विकास नीति के अंतर्गत पर्याप्त पैसा दे रहे हैं, विभिन्न योजनाएं दे रहे हैं। आप यह तो देखिये कि हमने वार्षिक परिव्यय को कितना बढ़ाया है। आप कह रहे हैं कि वार्षिक परिव्यय घटा दिया जबकि इस बार हमने 6 प्रतिशत वार्षिक परिव्यय बढ़ाया है। इसी तरह से हमने इनके स्टेट प्लान को बढ़ाया है। हमने हर चीज़ में वृद्धि की है। मैं कहता हूं कि इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? अगर पैसा भारत सरकार से गया और भारत सरकार से ये पैसा खर्च न कर पाएँ या यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट न दे पाएं तो जब तक यू.सी. नहीं देंगे, तब तक दूसरी किस्त नहीं मिलेगी। इनको पिछले मुख्य मंत्री को कहना चाहिए था कि पैसा भारत सरकार से जा रहा है और उसमें पैसा एक्सलरेटेड इंटीग्रेटेड बैनिफिट स्कीम में गया। आप जानते हैं कि ए.आई.बी.पी. का जो पैसा था, वह आप खर्च नहीं कर पाए। आप चैकडेम की बात कर रहे हैं। हमने इस बार बजट बढ़ाया है और चैकडेम बनेंगे। आप निश्चित तौर से संतुष्ट होंगे। आपको आश्वासन मिल गय है कि बहुत जल्दी चुनाव हो जाएंगे। हम सब यह मानकर चल रहे थे कि शायद दो-चार-छः महीने राष्ट्रपति शासन का मिल जाएगा तो जो कमियां हैं, जो कूड़-करकट है, वह साफ हो जाएगा। लेकिन आप चुनाव चाहते हैं तो ठीक है चुनाव में चलिए। आपने पिछले दस सालों में राज्य में सोशल ऑडिट नहीं करवाया है। आपने किसी विभाग का यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजा। आप कहते हैं कि विधान सभा भंग कर दीजिए। विधान सभा को भंग करने की सिफारिश चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री ही कर सकता है। जब झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन वापस ले लिया तो सरकार अल्मत में आ गयी। बी.आर.जी.एफ. की दूसरी किश्त इसलिए नहीं गयी क्योंकि उसकी यू.सी. नहीं आयी थी। झारखण्ड आज कृषि में, सिंचाई में, मॉयनोरिटीज़ में, जिस मॉयनोरिटीज़ के साथ पक्षपात होता रहा, पहली बार मायनोरिटीज़ के लिए हमने पैसे की बढ़ोतरी की है। हमने सिंचाई में भी बजट बढ़ाया है। इसी तरह से शिक्षा में श्रसर है। आप इस बात से संतुष्ट होंगे कि आपकी सरकार को करना चाहिए था, आपकी सरकार ने नहीं किया,

आज वह राष्ट्रपति शासन में होने जा रहा है। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि इस पैसे का इस्तेमाल हो जाएगा।

महोदय, इन्होंने बच्चों को टेबलेट बांटने की घोषणा कर दी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया समाप्त कीजिए। इस बिल को पास करना है। साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिल है।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं एक मिनट में भाषण समाप्त कर दूंगा। 15 नवम्बर, 2012 को इनके मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि झारखण्ड के बच्चों को टेबलेट देंगे। नवम्बर में रहे, दिसम्बर में रहे, जनवरी में रहे...*(व्यवधान)* जनवरी में ही तो राष्ट्रपति शासन लगा। ...*(व्यवधान)* आप ढाई महीने में आप टेबलेट नहीं दे सके।...*(व्यवधान)* डेढ़ महीने में कैबिनेट में नोट नहीं जा सका।...*(व्यवधान)* आपमें सरकार चलाने की कोई क्षमता नहीं है।...*(व्यवधान)* इन्होंने झरखण्ड के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। डेढ़ महीने में कैबिनेट नोट नहीं जा सका।...*(व्यवधान)* डेढ़ महीने में कैबिनेट डिसीजन नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)* आज तो इनको और इनकी पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* जबकि हम आकाश के माध्यम से टेबलेट दे रहे हैं। अभी हमने कैबिनेट सैक्रेटरी को भेजा और उन्होंने रांची में मीटिंग की। भारत सरकार के कैबिनेट सैक्रेटरी अपनी सभी सैक्रेटरीज़ को ले गए कि झारखण्ड के विभिन्न विभागों में जो पैसा दिया गया है, वह खर्च क्यों नहीं हो रहा है? योजनाएं पूरी क्यों नहीं हुई? उनकी सारी फीडबैक लेकर आए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आप अपना नोट वापस लीजिए और इसको सर्वसम्मति से पास कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : उपाध्यक्ष महोदय, झारखण्ड बजट अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं सम्मनित सदस्य निशीकांत दूबे जी और पाल साहब को विस्तार से सुन रहा था। इस बीच मैंने देखा कि पुरानी सरकार की उपलब्धियों का और राष्ट्रपति शासन की उपलब्धियों की चर्चा बड़े विस्तार से पाल साहब ने की। आपने आप में यह बात सही है कि झारखण्ड पूरे देश की शान है। यहां इतनी प्राकृतिक सम्पदा है, कोयला, यूरेनियम, बाक्साइट है। यह पूरे देश की तरह से देखा जाए तो धरोहर है। यह भी बात सत्य है कि वहां पूर्व में जितनी भी सरकारें चली हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां मैक्सिमम रही है। अगर चुनी हुई सरकार वहां से हटती है और एक वर्ष में चार-चार गवर्नर बदले जाते हैं तो यह भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी निशिकांत जी कह रहे थे कि 90,000 करोड़ रुपया घाटाया गया है। यह गलत बात है। दूसरी तरफ इन की यह भी मांग है कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्ज़ा दिया जाए। पहली बार तो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी किसी भी राज्य के विभाजन के पक्ष में नहीं रही है। अगर किसी परिस्थिति में राज्य का विभाजन हुआ है तो ऐसे राज्यों के उत्थान के लिए, झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में उत्थान के लिए विशेष राज्य का दर्ज़ा देना अति महत्वपूर्ण है। मैं इसकी सिफारिश करता हूं।

अभी बड़े विस्तार से बात हो रही थी कि जो हमारे बी.पी.एल. की रिव्यू हो रहा है। फिर से बी.पी.एल. की सूची बन रही है। बी.आर.जी.एफ. के बारे में बात हुई। पहले तो इसे राष्ट्रीय सम विकास योजना कहते है। बी.आर.जी.एफ. में पैसा इसलिए जाता है कि उस जिले का उत्थान हो।

जहां तक हेल्थ की बात की गयी है तो मेरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो आप 108 नंबर पर टेलीफोन कीजिए, मुश्किल से पांच मिनट के अंदर वहां एम्बुलेंस पहुंच जाती है। यह व्यवस्था होनी चाहिए। आज ज्यादातर ऐसे लोगों की मृत्यु हो रही है जिन्हें प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है। जब एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाते हैं तो वे दम तोड़ देते हैं। इन तमाम योजनाओं को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। संविधान में यह है कि सब को शिक्षा, सब को स्वास्थ्य और सब को रोज़गार मिले लेकिन आज भी देश को आज़ाद हुए पैंसठ वर्ष होने के बावजूद भी हम ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। इन्होंने हॉस्पीटल की बात कही। वहां हॉस्टीपटल होने चाहिए। अगर रेशियों देखा जाए तो वहां के बच्चों में कुपोषण, महिलाओं में एनीमिया अर्थात् हेमोग्लोबिन की कमी है। ऐसे अवसरों पर देखना चाहिए कि जो राज्य पिछड़े हैं वहां पर मेडिकल की सुविधाएं हों, एम्बुलेंस हो, तमाम डॉक्टर्स हों। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर के अच्छे-अच्छे निवास हों, नर्सेज हों और दवा की व्यवस्था होनी चाहिए तभी वह राज्य विकास कर सकता है।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

एजुकेशन के मामले में मॉडल स्कूल की बात कही जा रही है। केन्द्र सरकार ने 203 मॉडल स्कूल खोलने की बात कही है। ऐसे जो पिछड़े राज्य हैं और खासकर ऐसे जो ब्लॉक्स हैं जहां पर एजुकेशन न के बराबर है, तो ऐसे जिलों का चयन करके वहां पर मॉडल स्कूल खोलने की व्यस्था होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि देश के जितने भी ब्लॉक्स हैं, क्षेत्र पंचायत हैं वहां पर एक-एक मॉडल स्कूल खोलना अति आवश्यक है। यह व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। वहां पर स्कूल भवन नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, यह केवल झारखंड की बात नहीं है बल्कि अन्य राज्यों की भी बात है। अगर हम सर्व शिक्षा अभियान में हर साल बजट बढ़ा रहे हैं तो यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां पर जो बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, जिन के सिर पर छत नहीं है, जो घर से टाट-पट्टी ले कर जाते हैं और उस पर बैठ कर पढ़ते हैं तो वहां पर टीचर्स और भवन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जहां तक प्राविधिक शिक्षा की बात कही गयी है, जिस क्षेत्र में आई.टी.आई. या पॉलिटेक्नीक नहीं खुले हैं उस क्षेत्र के तमाम युवक रोज़गार से बिल्कुल वंचित हैं। उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं। अंभी कल ही जब बजट पर चर्चा हो रही थी तो कौशल विकास के बारे में आप ने कहा कि आप पचास लाख रुपये या साठ लाख रुपये महिलाओं को, नवयुवकों को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं। जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर पॉलिटेक्नीक और आई.टी.आई. की व्यवस्था हो। हमारी जो शिक्षा है वह रोज़गारपरक होनी चाहिए। आप को शिक्षा को रोज़गार से जोड़ना पड़ेगा तभी हम कौशल विकास में आगे बढ़ पाएंगे।

ग्राम विकास में पी.एम.जी.एस.वाई. की बात कही गयी। जो पिछड़े और रिमोट एरिया हैं, अगर वहां पर हमारी सड़कें दुरूस्त नहीं हैं तो वह क्षेत्र कभी विकास नहीं कर सकता। यह बात सही है कि जो राज्य बॉर्डर पर हैं, जो नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े हैं, वहां पर भी कानून-व्यवस्था के नाम पर आप को अलग बजट देना चाहिए।

पर्यटन में देवघर, पारसनाथ आदि तमाम ऐसे पर्यटन स्थलों की बात आप ने कही है। वहां पर ऐसे संसाधन जुटाने चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, कि वहां टूरिस्ट आए और वहां का राजस्व भी बढ़े।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* पावर प्लांट होना चाहिए, राज्य अपने ऊपर निर्भर हो सके। दूसरी बात पंचायत के चुनाव की है, जो मेन मुद्दा है। अगर पंचायत के चुनाव नहीं हुए तो मेरे ख्याल में गांव का विकास नहीं होगा, राज्य और देश का विकास भी नहीं हो सकता। इसलिए वहां पर पंचायत के चुनाव कराए जाएं।...*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य : हो चुके हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : वह तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। निशिकांत जी और तमाम माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दें ताकि वहां का डेवेलपमेंट हो।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई) **:** उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही गंभीर मसले पर पिछड़े हुए राज्यों के भविष्य के विषय में संसद में चर्चा हो रही है। जब संसद में किसी मुद्दे पर चर्चा होती है तो सिर्फ देश के ही लोगों की नज़र नहीं रहती, बल्कि कुछ मुद्दों पर विदेशों की भी नजर रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब झारखंड बनने की घोषणा हुई, मैं वहां विधान सभा में सदस्य के रूप में मौजूद था। उस समय अखंड बिहार था। सच यही है कि हमारे आदरणीय सांसद इन्दर सिंह नामधारी जी भी उसी विधान सभा के तत्कालीन सदस्य थे। जब विधान सभा में यह घोषणा हुई कि झारखंड का निर्माण हुआ, झारखंड हमसे अलग हुआ, झारखंड के सभी सम्मानित विधायक हमसे अलग हो जाएंगे, तो एक विदाई समारोह का आयोजन हुआ। विधान सभा में जब विदाई समारोह का आयोजन चल रहा था तो वहां का दृश्य काफी मर्मात् था। ऐसी दर्दनाक स्थिति थी, कि उस समय के तत्कालीन विधानसभा के सदस्य इन्दर सिंह नामधारी जी, जो आदरणीय सांसद है, वहां मौजूद थे। मैं यह कह सकता हूं कि इतना दर्दनाक दृश्य था कि कई-कई विधायकों को आंखों से आंसू छलक रहे थे। वहां कुछ लोग अपनी वेदना, व्यथा को सुना रहे थे, कि इस झारखंड के बनने के बाद कोई लाभ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब झारखंड का निर्माण हुआ, जिस समय झारखंड राज्य बना, उस समय हिन्दुस्तान की सर्वोच्च पंचायत में एन.डी.ए. की सरकार थी। इसी संसद भवन में एन.डी.ए. की सरकार थी और एन.डी.ए. की सरकार ने उस पिछड़े हुए राज्य की काफी मदद की। उनकी मदद से पूरे देश में यह चर्चा होने लगी और मैं तो सट्टे हुए बिहार, झारखंड का सहोदर भाई रहा हूं। मुझे मालूम है कि ऐसी चमक सड़कों पर आई, शासन-प्रशासन में इतना परिवर्तन हुआ, लोगों को लगा कि वास्तव में झारखंड बनाने का जो उद्देश्य था, कि यहां के लोगों की गरीबी, बेबसी, लाचारी, भुखमरी एवं बेरोजगारी मिटेगी। निश्चित तौर पर वहां के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, वह देखने को मिला था।

उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 2004 तक तो विकास की गाड़ी काफी तेजी से चली। जब हम लोग विधायक बन करके बिहार की सड़कों से गुजर करके सामने झारखंड के दरवाजें पर पहुंचते थे, जहां एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि झारखंड आपका स्वागत करता है। उन सड़कों पर चलने में नींद आ जाती थी। कहीं दूसरे राज्यों से झारखंड होकर निकलते थे, झारखंड की सीमा जहां प्रारंभ होती थी, अंत तक आरामदायक लगता था। लेकिन जैसे ही दूसरे राज्यों में प्रवेश करते थे, नींद टूट जाती थी, बिहार में हिचकोले मारने लगती थी। लेकिन 2005 में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, पैसे काट लिए गए। गरीबी, बेबसी और लाचारी की जो सीमाएं थीं, उन सीमाओं में कोई काटौती एवं कमी नहीं आई। वहां के करोड़ों नौजवान, जिनके हाथों में ताकत है, अपनी बूढ़ी मां को छोड़कर, बूढ़े बाप को छोड़कर जवान पत्नी छोड़कर, छोटे-छोटे बच्चों को छोड़कर वे वहां से पलायन कर गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री भूदेव चौधरी : मैं उनका दर्द सुन रहा हूं, मैं अपनी व्यथा सुना रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति आपको मालूम है, 2005 में यू.पी.ए. की सरकार थी, फिर 2008 में यू.पी.ए. की सरकार थी और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। फिर 2010 में और फिर 2013 में, 12 साल के क्रम में लगभग 8 बार मुख्यमंत्री बदले गये, 8 बार वहां के राज्यपाल बदले गये,

'जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।'

झारखण्ड ने जंग आज़ादी में अपनी अहम भूमिका अदा की, झारखण्ड के बिरसा मुण्डा को कौन नहीं जानता, जो देश का एक ऐतिहासिक पुरुष रहा है, कौन नहीं जानता तिलका मांझी को, जिन्होंने अपने तीर कमान से अंग्रेजों के सिपाहियों को खदेड़ दिया, कौन नहीं जानता सिद्धू खांडू को, जिन्होंने लड़ते-लड़ते अपनी जिंदगी गंवा दी, अपनी जवानी गंवा दी, लेकिन प्रयास जारी रहा और झारखण्ड बन गया, लेकिन आज भी मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि वहां की गरीबी, बेबसी और लाचारी में कोई कमी नहीं आई है।

आज भी वहां के 70 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। पैदा होते ही वे बीमारी के गर्त में चले जाते हैं, विकलांग पैदा होते हैं, कितनी ही मां-बहनों का तो गर्भपात हो जाता है, वहां आज भी 70-80 प्रतिशत महिलाओं के शरीर में खून नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा होते हैं तो कम उम्र के पैदा होते हैं। जंगल और जमीन, इसके अलावा तो झारखण्ड में कुछ है नहीं, लेकिन मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद देश को बनाने में आधी ताकत झारखण्ड और बिहार की लगी है। इस देश में सबसे ज्यादा खनिज सम्पदा, कोयला के खदान, लोहे का पहाड़, अभ्रक की भरमार है। झारखण्ड और बिहार की धरती से दूसरे राज्य विकसित हो गये हैं मैं यह नहीं कहता हूं कि आजादी के बाद देश में विकास नहीं हुआ, विकास तो हुआ, लेकिन जिस भारतीय जंगे आजादी में वहां के लोगों ने अपनी जवानी दे दी, कुर्बानी दे दी, उस बिहार और झारखण्ड की उपेक्षा होती रही, इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए यह आग्रह करता हूं, वहां की जनता की जिज्ञासा, इच्छा और अपेक्षा है, मैं अपने स्तर से प्रतिनिधि चुनाव करूं। आज बहुत दुख और भारी मन के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस बजट की चर्चा राज्य की विधान सभा में होनी चाहिए, वह चर्चा यहां हो रही है, यह मेरा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं आज यह विनती करना चाहता हूं, आपके माध्यम से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि लोकतंत्र जिंदा तब रहेगा, जब जनता के माध्यम से चुन कर सरकार बनेगी, इसलिए मेरी अपील है और मेरी गुज़ारिश है कि वहां

[श्री भूदेव चौधरी]

राष्ट्रपति शासन को हटाये, राष्ट्रपति शासन को हटा करके वहां लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव करायें। वहां विधान सभा फिर से शुरू हो और लोगों की इच्छा और आकांक्षा पूरी हो सके, वरना मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं:

'छेड़ने से मूक भी वाचाल हो जाता है,
टूटने पर शीशा भी काल हो जाता है,
इस तरह गरीब राज्य को मत सताओ,
वरना जलने से कोयला भी लाल हो जाता है।'

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पुलीन बिहारी बासके (झाड़ग्राम) : उपाध्यक्ष जी, मुझे आपने बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं और मेरा जो क्षेत्र है, वह झाड़ग्राम पार्लियामेंटरी कांस्टीट्वेंसी है। उसके साथ झारखण्ड प्रदेश है, वह पड़ोसी प्रदेश है, मेरे क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए आज झारखण्ड बजट के बारे में जो चर्चा हो रही है, उसके पहले तो जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रपति शासन शुरू हुआ है। उसकी जब चर्चा हो रही थी तो उसमें हम भाग नहीं ले सके। हम तो राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हैं। राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र के खिलाफ है, इसलिए मैं भी राष्ट्रपति शासन का वहां विरोध करता हूं और यह भी मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी वहां चुनाव का प्रोसैस शुरू किया जाये, ताकि चुनी हुई सरकार झारखण्ड राज्य को संभाल सके, वहां राज सके और बजट पर भी वहां चर्चा हो सके।

लेकिन मेरा कहना है कि झारखण्ड स्टेट जैसे लग रहा है कि वहां पैराडॉक्सीकल सिचुएशन है एक तरफ खनिज सम्पदा जो है, आयरन ओर है, कोयला है, और भी मिनरल्स ज्यादातर वहां पर हैं और दूसरे तरफ ह्यूमन रिसोर्स डैवलपमैंट आप देखिएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादातर वहां है और भुखमरी भी है और बेरोजगारी भी है। ऐसी हालत है और उस स्टेट मे ज्यादातर आदिवासी लोग, करीब 70 लाख से अधिक आदिवासी लोग रहते हैं। वे वहां करीब 25 परसेंट हैं और आदिवासी लोगों के लिए पीने का पानी भी नहीं है, जाने का रास्ता भी नहीं है, रहने को मकान भी नहीं है तो वे लोग कहां जाएंगे। इसीलिए तो नक्सलवाद पैदा हो जाता है, फैल जाता है और इसी को हमें भुगतना पड़ रहा है कि पिछले दो-तीन वर्षों में देखा है कि नक्सलवाद बंगाल में भी फैला हुआ है, पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट मेरा जो क्षेत्र है, बांकुरा है, पुरुलिया है, करीब 500 लोगों की नक्सलियों ने, माओवादियों ने वहां हत्या कर दी है और उनमें ज्यादा से ज्यादा आदिवासी लोग हैं। झारखंड स्टेट में भी करीब 19 डिस्ट्रिक्ट है, जहां झारखण्ड राज्य में माओवादी फैल गये हैं। इधर हम देखते हैं कि 65 हजार जो लोग हैं, वहां से उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि, जमीन से उन लोगों को हटा दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय यहां हैं, आप जानते होंगे कि माइनिंग प्रोजैक्ट के लिए जो सारन्दा प्रोजैक्ट है, उसमें कितना फोरैस्ट लैंड डाइवर्ट हो गयी है, 88.650 हैक्टेयर लैंड हाइवर्ट हो गई है। जिन्दल स्टील एण्ड पावर प्रोजैक्ट के लिए 500 हैक्टेयर लैंड और सेल के लिए 210, कुल मिलाकर के 799 हैक्टेयर फोरैस्ट लैंड को डाइवर्ट किया गया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री पुलीन बिहारी बासके : उन आदिवासी लोगों को हटा दिया गया है, बिना कोई मुआवजा दिये और वहां की जो सिचुएशन है, जो हमारे यहां बहुत सारी नदियां हैं, छोटा नागपुर से आती हैं, चण्डेल डैम है और बहुत सारे डैम है, बारिश में समय बाढ़ आती है, इससे हमको फायदा मिलेगा, क्योंकि सूखे इलाके को फायदा मिलेगा, इसलिए यह भी देखना पड़ेगा। जो फोरेस्ट एक्ट का कानून है, वह भी प्राथमिकता से लागू हो, यह भी देखना है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पुलीन बिहारी बासके : बहुत सारी बातें बोलने के लिए हैं, लेकिन मैं यह मांग करता हूं कि जो यह टीका-टिप्पणी हो रही है, चाहे एन.डी.ए. के भी जो लोग हैं और इधर के भी लोग हैं, वहां जो घोटाला है, सबसे ज्यादा करप्शन वहां हो रहा है। मनरेगा के बारे में और ग्रामीण विकास के बारे में भी बहुत बात हुयी है। यहां करप्शन बंद किया जाए। आज जिस तरह से यहां बहस हो रही है, हम कहना चाहते हैं कि झारखंड नया-नया स्टेट बना है, वहां करीब आठ मुख्यमंत्री हुए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री पुलीन बिहारी बासके : वहां करप्शन को खत्म किया जाए। जहां तक झारखंड के विकास का सवाल है, इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। मैं इसके लिए मांग करते हुए और आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं यहां झारखंड के राज्य बजट पर बोलने के लिए खड़ हुआ हूं। श्री निशिकांत दुबे ने झारखंड से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। दिनांक 14 नवंबर, 2000 को जब झारखंड राज्य को बनाने का विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो मैं इस सभा में उसका साक्षी था। उस समय हमारे दल से, एक वरिष्ठ सदस्य ने एक टिप्पणी की थी कि दिनांक 1 अप्रैल, 1937 को बिहार-ओडिशा प्रांत में से ओडिशा बनाया गया था। उस समय हम प्रसन्न थे। तदुपरांत, सभी रजवाड़ों को मिलने के साथ वर्ष 1948 में ओडिशा प्रांत का सृजन हुआ तथापि, दो रजवाड़े बिहार वापस चले गए। उस समय, हमारे एक वरिष्ठ सदस्य ने दिनांक 14 नवंबर, 2000 को कहा था कि दिनांक 14 नवंबर, 1948 की पहला रजवाड़ा भारतीय संघ से जोड़ा गया था। उसे नीकामेरी कहा गया था। पुन: दिनांक 14 नवंबर को विधि के विधान ने भूमिका अदा की है कि जो दो रजवाड़े वर्ष 1948 में बिहार को दे दिए गए थे उनका पुन: बिहार से विभाजन कर दिया गया है। अत: श्री भूदेव चौधरी से आप इस बारे में यह सुनते हुए कि उस दिन क्या हुआ था, मैं भी कानूनगो के भाषण को अब भी याद करता हूं जिन्होंने उस घटना का वर्णन किया था।

यहां मैं केवल दो मुद्दों की चर्चा करूंगा। एक छोटे राज्यों के सृजन का है। क्या यह हमारे देश के लिए सही है अथवा नहीं? भारतीय जनता पार्टी की राय है कि जितने अधिक छोटे राज्य बनाए जाएंगे उतना ही राष्ट्र के लिए बेहतर होगा। मेरी राय है कि कुछ मामलों में छोटे राज्यों ने हमारे राष्ट्र में विकास किया है। परंतु राजनीतिक क्षेत्र में, इसने इन क्षेत्रों में अधिक स्थिरता उत्पन्न नहीं की है। सबसे पहले पंजाब राज्य का विभाजन हुआ था बाद में, असम का कई राज्यों में विभाजन हुआ था यह भी साठ के दशक में हुआ था जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तदुपरांत, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान तीन नए राज्य बने थे। यह दर्शाता है कि यदि उत्तराखंड उन्नति कर सकता है यदि हिमाचंल उन्नति कर सकता है तो झारखंड में इतनी अधिक राजनीतिक अशांति क्यों है? यहां मुद्दा यह है कि यहां राजनीतिक अशांति इसलिए है क्योंकि यहां हमेशा खंडित जनादेश रहता है जो कि विभिन्न चुनावों में प्रतिबिंबित होता है। इसके बावजूद, दो बड़े राजनीतिक दल जो झारखंड में सुस्थापित है, वहां अब भी खंडित जनादेश मिल रहा है। ऐसा क्यों है। यहां एक मुद्दा जिस पर मेरे विचार से सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए।

हम जानते हैं कि जब तक झारखंड 'में स्थिर नेतृत्व नहीं होगा यदि झारखंड में स्थापित नेतृत्व सिद्ध हो जाता है केवल तभी हमें बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, हम बेहतर प्रशासन स्थापित कर पाएंगे। अब तक जो भी चर्चा की गई है, तो झारखंड के विकास के लिए निवेश उचित होगा। यह ऐसा नहीं हो रहा है। और हमारे दल बीजू जनता दल ने देश के किसी भी भाग में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का विरोध किया है।

अपराह्न 3.00 बजे

ओडिशा इसका शिकार हुआ है। ओडिशा 3 दशकों, 30 वर्षों खंडित जनादेश का शिकार रहा है। उसके पश्चात वर्ष 1980 के बाद से ओडिशा स्थिर जनादेश की और बढ़ा है और गत 30 वर्षों से हमारे राज्य में स्थिर सरकार रही है भले ही वह कांग्रेस अथवा बीजू जनता दल अथवा जनता दल की रही हो।

मेरे विचार से प्रगति होगी परंतु सभी संबंधित राजनीतिक दलों को उस स्थिति पर खरा उतरना होगा और झारखंड की स्थिरता के लिए झारखंड की प्रगति के लिए सार्वजनिक राय बनवानी होगी, हमें बेहतर जनादेश की आवश्यकता है ताकि स्थिर सरकार का गठन किया जा सके।

वित्त मंत्री ने इस सभा में हमें आश्वस्त किया है कि संप्रग सरकार का इरादा इसे छह महीनों के अंत तक जारी रखने का नहीं है। बीच में ही चुनाव हो सकते हैं परंतु मेरा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों से ही केवल यह अनुरोध है कि वे ऐसी राजनीतिक स्थिति उत्पन्न करे जहां आपको खंडित जनादेश ना मिले ताकि स्थिर सरकार का गठन किया जा सके।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कामेश्वर बैठा, कृपया संक्षेप में मुख्य-मुख्य बिंदु पर बोलिए क्योंकि समय थोड़ा कम है।

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू) : महोदय, मैं झारखंड का हूं और यह झारखंड का बजट है तो संक्षेप में क्यों बोलवा रहे हैं। इसके लिए कम से कम दस मिनट का समय दिया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : समय कम है। आप शुरु कीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह समय झारखंड का नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री कामेश्वर बैठा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे झारखंड के बजट पर बोलने का मौका दिया है इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं पहले वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बजटीय भाषण में स्वीकार किया है कि झारखंड राज्य में जंगल है। यह खनिज-संपदा से भरा हुआ है। फिर भी, झारखंड आज गरीब है। इसके लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे झारखंड को देखा और समझा है। मैं जयराम रमेश जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने मंत्री काल में अनेकों बार झारखंड का दौरा किया है और बड़े से बड़े हिस्से में घूम कर हमारे झारखंड के लोगों को देखा है। उसका एक प्रतिफल है कि उन्होंने हमारे झारखंड पलामू संसदीय क्षेत्र भंडरिया में जाकर साढ़े चार हजार इंदिरा आवास का आवंटन किया था। मैं कहना चाहता हूं कि बजट भाषण में जो पेश किया गया है वह झारखंड के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी भी मैंने निशिकांत दुबे जी का भाषण सुना, पाल जी का भाषण सुना, अभी कई और लोग भाषण देंगे। हम समझते हैं कि जब से झारखंड राज्य बना है तब से झारखंड राज्य आज भी वहीं पर है, जहां कल था। इसका कारण क्या है? हम समझते हैं कि इसका दो कारण है। झारखंड को स्वतंत्र अधिकार अधिकार का, स्वतंत्र निर्णय करने का कभी मौका नहीं दिया गया। अभी 18-18 महीने का समझौता सब लोग देख रहे हैं लेकिन कोई यह नही कह रहा है कि झारखंड मुक्ति मोरचा, बी.जे.पी. से समर्थन लिया तो क्या मात्र 18 महीने का है, नहीं। झारखंड की मूल समस्या, झारखंड में जो बी.जे.पी. और जे.एम.एम. दोनों के गठबंधन से जो सरकार चल रही थी उसमें हमारी कुछ शर्त थीं। निशिकांत दुबे जी को इस बात को बोल देना चाहिए कि वे शर्तें क्या थीं? वे आठ प्वाइंट्स थे। मैं झारखंड का विकास चाह रहा था। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बजट पर बोलिए।

श्री कामेश्वर बैठा : मैं दो बातें बोलना चाह रहा हूं। आज तक झारखंड का विकास नहीं हुआ है। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आपने जो बजट पेश किया है चाहे वह सिंचाई के सवाल पर, रोड के सवाल पर, मैं अपने पलामू संसदीय क्षेत्र के बारे में वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। आज हमारे पलामू संसदीय क्षेत्र के हालात क्या हैं, वहां की दीन-दशा कैसी है। हम समझते हैं कि यही दीन-दशा झाराखंड के बड़े हिस्से में है। अगर आपने कुछ पैसा दिया भी है तो मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं होगा। मैं जे.एम.एम. का सांसद जरूर हूं, लेकिन बजट में जितना पैसा गया, उस समय जो मंत्री रहे, चाहे * आदि सब अपने-अपने क्षेत्र में पैसे ले गए, पूरे झारखंड में पैसे वितरित नहीं किए गए। अगर आज देखेंगे तो रोड.. * के क्षेत्र में बनी है, ...* के क्षेत्र में बनी है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं, कृपया उनका नाम नहीं लिया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री कामेश्वर बैठा : महोदय, मुझे बोलने दिया जाए। हमें झारखंड के बारे में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। मैं पलामू का सांसद हूं। मुझे कम से कम पलामू संसदीय क्षेत्र के इतिहास के बारे में बताने दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री कामेश्वर बैठा : हमारा संसदीय क्षेत्र जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। पलामू संसदीय क्षेत्र में नक्सलवाद है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी, श्री जयराम को कहना चाहता हूं कि झारखंड खासकर जो अति पिछड़ा क्षेत्र था, अति उग्रवाद क्षेत्र था, वहां एक आई.आई.टी.एफ. योजना चलाई गई थी। वह योजना बंद हो गई।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कामेश्वर बैठा : कैसे समाप्त कर दें। हमें बोलने दिया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को अपनी बात लिखकर दे दीजिए और समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कामेश्वर बैठा : अपनी बात समाप्त करके मैं बैठूंगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, समय निर्धारित किया गया है। मैं झारखंड का सांसद हूं। मुझे वहां के बजट के बारे में बोलना है और आप कह रहे हैं कि समाप्त कीजिए। ...*(व्यवधान)* हमें बोलने दिया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप नाम मत लीजिए। श्री नामधारी जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कामेश्वर बैठा : आपने मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई परियोजना के लिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए और समाप्त कीजिए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2013-14 का झारखंड बजट प्रस्तुत किया है। मैं इनके बजट भाषण को पढ़ रहा था। मैं कुछ बिंदुओं पर सहमत हूं और कुछ बिंदुओं पर सहमत नहीं हूं।

[अनुवाद]

गहरे दु:ख के साथ मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि बारह वर्ष पूर्व किए गए वायदे आज भी पूरे नहीं हो पाए हैं।''

[हिन्दी]

मैं सहमत हूं। आपने यह ठीक कहा कि बारह सालों के बाद भी वहां के लोगों को जन-आकांक्षाएं पूरी नहीं हुईं।

[अनुवाद]

''माननीय सदस्यगण पूर्व में दो अवसरों पर राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान बार-बार की राजनीतिक अस्थिरता, शासन व्यवस्था में कमी और संस्थाओं के निस्फल रहने की घटना से अवगत हैं। जो भी थोड़ा समय हमे मिला उसनें में थोड़ी स्थिर व्यवस्था कायम की जाए।

मैं इस बात से असहमत हूं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं।...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात पूरी करूंगा। ''उन्होंने आगे कहा है,

''राज्य को पुन: विकास के मार्ग पर लाएं और हमने केवल सीमित सफलता प्राप्त की है।''

आपको केवल सीमित सफलता क्यों मिली है? इसका कारण है कि राष्ट्रपति शासन में भी कुछ कमी थी। मैं उन राज्यपालों के नाम नहीं लेना चाहूंगा जो गलत कार्यों पर लगे रहे।

[हिन्दी]

एक पंतगे की क्या इतनी हिम्मत कि खुद-ब-खुद आग में कूद जाए
हाथ है कुछ शमा का भी इसमें, खुद से परवाना जलता नहीं।

राष्ट्रपति शासन केवल एक नहीं हुआ, चार बार हुआ। राष्ट्रपति शासन में कैसे-कैसे काम किए गए, मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं। कम से कम उसकी पुनरावृति न हो। मुझे शंका है कि उसकी पुनरावृत्ति होगी। लेकिन आपने हाउस को आश्वस्त किया है कि हम जल्दी से जल्दी वहां पर चुनाव करवाना चाहते हैं। आपके इस कथन पर मैं विश्वास करता

[श्री इन्दर सिंह नामधारी]

हूं, क्योंकि हमने वे सीन देखे हैं। वर्ष 2009 में चुनाव के समय वहां पर राष्ट्रपति शासन था और राष्ट्रपति शासन में ऐसा सिद्ध किया गया कि चुनाव जीतने के लिए जो कुछ करना है, कर दो। वहां फ्री अनाज बांटा गया। यशवंत सिन्हा जी इसके गवाह होंगे। हजारीबाग और हमारे क्षेत्र चतरा में लाठीचार्ज हुए।...*(व्यवधान)* राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति का शासन होता है। अगर कोई समझे कि यह एक पार्टी का शासन है, तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति, जो संवैधानिक मुखिया होता है, उसका भी आप अपमान कर रहे हैं। वहां फ्री अनाज बांटकर लोगों को आपस में लड़वाया गया क्योंकि बी.पी.एल. की सूची डिफेक्टिव थी। जो गरीब थे, उनको अनाज नहीं मिला और जो धनी थे, वे अनाज लेकर चले गये। जगह-जगह पर लाठीचार्ज हुए। सैंकड़ों-हजारों लोग जेलों में चले गये। यह भी राष्ट्रपति शासन में हुआ। मैं जयराम रमेश जी की बहुत कद्र करता हूं, सम्मान करता हूं। ये झारखंड का खास ध्यान रखते हैं, लेकिन वहां थोड़ा सा दुरुपयोग हो रहा है, यह मैं आपके कानों में डालना चाहता हूं।

आपने साढ़े चार हजार इंदिरा आवास दिये, यह बड़ी अच्छी बात थी। भंडरिया एक ऐसा प्रखंड है, जहां का मैं छः बार विधायक रहा हूं। वह गढ़वा जिले में पड़ता है, लेकिन डाल्टेनगंज का पार्ट है। साढ़े चार हजार, कभी कामेश्वर बैठा जी ने भी कहा, लेकिन साढ़े चार हजार आवास बांटते समय वहां क्या ड्रामा हुआ? वहां के सांसद को सूचना नहीं दी गयी और जो निलंबित विधान सभा है, उसके विधायक के हाथों से यह कहकर दिया गया कि मैं पैसा लाया हूं, मैं इंदिरा आवास लाया हूं। जयराम रमेश जी, यह कौन सा सीन क्रिएट कर रहे हैं?.. .*(व्यवधान)* यह मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं उसे आपके कान में डाल दूं। आपकी मंशा शुद्ध हो सकती है। आप झारखंड के लिए यज्ञ कर रहे होंगे, लेकिन इस यज्ञ से लोगों के हाथ जल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप संक्षेप में बोलिए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : मैं एकदम संक्षेप में बोलूंगा। मैंने वित्त मंत्री जी के भाषण को पढ़ा है। उसे पढ़कर मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं कि

[अनुवाद]

''......राज्य को विकास के पथ पर वापस लाना हमें केवल समिति सफलता मिली।'' क्यों सीमित सफलता मिली? मैं इसे बताने की कोशिश कर रहा हूं।

[हिन्दी]

इसलिए अगर आप जल्दी चुनाव करवा दें, तो अच्छा है, क्योंकि दो महीने का टाइम कम नहीं होता। वहां कोई पार्टी आकर क्लेम नहीं रही है कि हमें सरकार बनाने दीजिए। लेकिन जब कोई पार्टी क्लेम नहीं कर रही है, तो क्या आप इंतजार करते रहेंगे कि आओ। इसका मतलब यह लगेगा कि आप इनडायरेक्टली रिमोट कंट्रोल से वहां पर शासन करना चाहते हैं, क्योंकि 12 सालों में कांग्रेस को वहां शासन करने का मौका नहीं मिला। इसलिए राष्ट्रपति शासन को आप कांग्रेस का शासन बनाना चाहते हैं। अगर इस तरह से निलंबित विधान सभा के विधायक एक-एक व्यक्ति के पास बैठकर चार-चार हजार इंदिरा आवास आंटेंगे...*(व्यवधान)* मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ। डी.सी. और वहां के जो अफसर थे, वे वहां गये। उन्होंने केवल काम शुरू किया, एक-दो आवास बांटे...*(व्यवधान)* फिर उसे निलंबित विधायक पर छोड़कर चले गये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : मेरा कहना है कि अगर सिटिंग एम.पी. हैं, तो क्या उनका हक नहीं है कि वहां उस कार्यक्रम में जायें।...*(व्यवधान)* (अनु.) उन्हे क्यों नहीं आमंत्रित किया गया।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : आप यह बताइये कि हम जो सांसद हैं, उन सबको एक बार भी राज्यपाल महोदय ने निमंत्रण दिया कि आइये, हम झारखंड के बारे में आपसे विचार-विमर्श करना चाहते हैं। क्यों नहीं वे झारखंड के सारे सांसदों को बुलाते? जो मंत्री हैं, वे उन्हें क्यों नहीं बुलाते? आप उन्हें बुलाइये।. ..*(व्यवधान)*

श्री जयराम रमेश : मैं रोज उनसे मिलता रहता हूं। झारखंड के सांसदों से रोज मिलता हूं।

श्री यशवंत सिन्हा : रोज मिलते हैं, इंडीविजुअली मिलते हैं। आप सबाके एक साथ बुलाइये। एक बार आपने बुलाया था, लेकिन उसके बाद नहीं बुलाया।...*(व्यवधान)*

श्री इन्दर सिंह नामधारी : उपाध्यक्ष महोदय, दिल में... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, तो मैं इनके चैम्बर में गया था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इसे आज पास भी करना है इसलिए आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि झारखंड की कैसे उपेक्षा होती है? मैं इनके चैम्बर में गया और कहा कि पिछले दो दशकों में हमने जितने नजदीक से उग्रवाद को देखा है, उनता शायद कोई अफसर आपको नहीं बता सकेगा, कोई डी.जी.पी. नहीं बता सकेगा। जो मैं आपको बताता हूं। एक रोड है, मनातू में, जो पलागू जिला में पड़ता है और प्रतापपुर, जो चतरा जिला में पड़ता है, यदि उसे जोड़ दें, तो चार जिलों में 50 प्रतिशत उग्रवाद समाप्त हो जाएगा। उन्होंने मुझे लिखित रूप से आश्वासन दिया कि *[अनुवाद]* मैं इसे आर.आर.पी.ई. फेज-II में समिलित कर रहा हूं *[हिन्दी]* लेकिन इनके लिखित आश्वासन के बाद भी आज तक सड़क पास नहीं हुई। यदि वह सड़क बन जाती, मैंने चिदम्बरम साहब से यह भी आग्रह किया था कि आप उस सड़क को बी.आर.ओ. से बनवा दें। उन्होंने कहा कैसे मैं राज्य शोधन दूंगा। इस पर मैंने कहा कि स्टेट को देने के बाद भी वह सड़क बन नहीं पाएगी। आज संयो से चिदम्बरम साहब और जयराम जी दोनों यहां बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बोल दिया, उन्होंने लिख दिया है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : एक तो मैं इंडिपेंडेंट मेम्बर हूं, वैसे ही कम बोलता हूं। मैं समय भी नहीं लेता हूं, क्योंकि आप सबसे अंतिम में दो मिनट का समय देंगे।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि चिदम्बरम साहब को कि राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति शासन रहने दीजिए। इस तरह से यदि नेकेड काम किये गये, तो मुझे शक है कि चिदम्बरम साहब ने जो कहा कि *[अनुवाद]* हमें केवल समिति सफलता मिली *[हिन्दी]* इससे भी कम लिमिटेड सक्सेस आपको राष्ट्रपति शासन में मिलेगी, यदि आपने ध्यान दिया तो।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर) : महोदय, मैं चिदम्बरम साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे झारखण्ड में जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। जब निशिकांत जी बोल रहे थे, तो मुझे हंसने वाली बात लग रही थी क्योंकि झारखण्ड में सबसे ज्यादा समय तक बी.जे.पी. की सरकार रही है। वहां जितनी भी विफलताएं हुई हैं, उसमें वे लोग किसी भी तरह से उस सरकार में शामिल थे। पिछले साल 15 नवम्बर की बात है, एक विज्ञापन में निकला था, जिसमें वर्तमान झारखण्ड सरकार के मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री का फोटो छपा था। यदि उस विज्ञापन को देखें, तो उसमें लिखा है कि "विकास के पथ पर अग्रसर झारखण्ड, जमीन पर उठी हकीकत।" इससे बड़ा....*

कही नहीं तो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस असंसदीय शब्द को निकाल दिया जाए।

श्री अजय कुमार : इससे ज्यादा गलत बात नहीं हो सकती है। झारखण्ड की जो स्थिति है, वहां पर 80 प्रतिशत बच्चे और महिलाएं एनिमिक हैं यदि आप देखें, तो 65 लाख लोग झारखंड से विस्थापित हुए। जहां तक हमारे दोस्तों का कहना है कि जितने ज्यादा एम.ओ.यू. साइन हुए थे, सबसे ज्यादा एम.ओ.यू....* की सरकार में साइन हुए। जिनमें गरीब आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने की उन्होंने पूरी कार्रवाई की। इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूरी याद दिलाना चाहूंगा कि 57 कोयला ब्लॉकों में से 27 कोयला ब्लॉकों का आवंटन ...* ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को आवंटित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी का नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अजय कुमार : एक सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों ने पेंशन के बारे में की थी। मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध होगा कि पेंशन का जो भार झारखण्ड पर पड़ा है, उसे पापुलेशन के आधार पर किया जाए। क्योंकि स्टेट का जब रिआर्गनाइज़ेशन हुआ था, तो स्टेट के पापुलेशन को आधार मानकर किया गया था और सिर्फ झारखण्ड में जानकारी पदाधिकारियों की संख्या लेकर किया गया था। आपसे अनुरोध है कि उसमें संशोधन किया जाए।

[**श्रीमती सुमित्रा महाजन** *पीठासीन हुईं*]

अपराह्न 3.19 बजे

झारखण्ड की स्थिति के बारे में जितना बोलूंगा, उतना ही कम होगा। आपसे अनुरोध होगा, वित्त मंत्री जी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जयराम रमेश जी तो चले गए, लेकिन एक चीज जरूर है, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राईस को आदिवासी लोगों के लिए ध्यान दिया जाए। वित्त मंत्री महोदय ने केवल महिलाओं के लिए स्पेशल बैंक के गठन की बात कही थी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आदिवासी लोगों की प्रोग्रेस के लिए एक बैंक का गठन करने की आवश्यकता बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में योजना की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। झारखण्ड में न कोई एम्स है, न कोई आई.आई.टी. है।

हम लोग बार-बार कहते हैं कि हम पिछड़े क्षेत्रों का ध्यान रखना चाहते हैं, लेकिन यह अफसोसजनक बात है कि हमारे पास सिर्फ 20 वोकेशनल हायर सेकण्डरी इंस्टीट्यूटस हैं जबकि आन्ध्र प्रदेश में 560 हैं, केरल में 500 हैं। इससे स्पष्ट होता है कि झारखण्ड को किस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। जहां तक सर्वशिक्षा अभियान में 50-50 प्रतिशत समर्थन देते हैं। आप देखते हैं कि झारखण्ड में किसी भी स्कूल में टीचर्स नहीं हैं। मैं वित्तमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पिछड़े हुए राज्य को भारत सरकार 75 प्रतिशत योगदान दे और 25 प्रतिशत राज्य सरकार दे। अभी तक सर्वशिक्षा अभियान में कभी झारखण्ड सरकार ने 50 प्रतिशत राशि देने का कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाई है। बहुत से माननीय सदस्यों ने अनेक बातें कही हैं, लेकिन मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि झारखण्ड एक ऐसा राज्य है जिसके लिए स्पेशल स्टेटस अनिवार्य है। पूरे देश में यही ऐसा प्रदेश है जहां 20 प्रतिशत लोग गांवों में कच्चे मकानों में रहते हैं और 70 प्रतिशत लोग शहर में कच्चे मकान में रहते हैं। अन्य किसी प्रदेश में इतनी खराब स्थिति नहीं है। अगर किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस की आवश्यकता है, तो वह झारखण्ड है। फाइनली, 75 लाख लोगों का विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कहीं न कहीं से, कम से कम 15000-20000 करोड़ रूपये विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए देने के बारे में सरकार सोचे, नहीं तो यह अनर्थ झारखण्ड की जनता के साथ चलता ही जाएगा।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदया, मैं उन 9 सदस्यों का अभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया जिसकी शुरूआत श्री निशिकांत दुबे ने की थी तथा अंत श्री अजय कुमार ने किया था।

जैसा कि मैं अपने भाषण में चुका हूं जिसे मैंने पढ़ा नहीं था बल्कि सभा पटल पर रख दिया था कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसने बड़े-बड़े वादे किए थे। यह बहुत समृद्ध राज्य है लेकिन संभवत: गरीबी लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा यही है। और संभवत: भारत का सबसे खराब प्रशासन भी यही है। इस बात को स्वीकार करने में कोई शर्म की बात नहीं है। दो बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। जैसा कि मैंने कहा, हमने भरपूर प्रयास किया। लेकिन मैं यह दावा नहीं करता कि हमें बड़ी सफलता मिली वास्तव में, इस अवधि के दौरान मैंने रांची तथा झारखंड राज्य में कुछ भागों का कई बार दौरा किया। लेकिन मैंने पाया कि संस्थाएं स्पष्ट रूप से स्वरूप हो चुकी थीं। बिल्कुल निचले स्तर से उनका निर्माण करने की जरूरत थी। राष्ट्रपति शासन के दौरान यह संभव नही। यह केवल एक ऐसी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के द्वारा ही संभव था जो विधायकों और सांसदों के पूर्ण सहयोग से जनता के कल्याण के प्रति समर्पित हो।

आज हमने एक बजट प्रस्तुत किया है। वर्ष 2009-10 में थी जब वहां राष्ट्रपति शासन था हमने पूरे साल के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। लेकिन मुझे सबसे अधिक खुशी होगी यदि वहां पर एक चुनी हुई विधायिका, सरकार बनने के बाद,

इस बजट में संशोधन करे। यही सही काम होगा। लेकिन इन परिस्थितियों में मैं हर संभव कार्य कर रहा हूं। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों तथा सलाहकारों से भी चर्चा की थी। मैंने अन्य सलाहकारों स भी चर्चा की थी जो पुलिस तथा सुरक्षा मामलों की देख-रेख करते है। दोनों अच्छे अधिकारी हैं। जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, वे शासन व्यवस्था में सुधार के लिए पूरा प्रयास करेंगे।

मैं श्री निशिकांत दुबे द्वारा सरकारों को तथा अपनी पार्टी की तथा अपनी पार्टी की वकालत करने के लिए किए गए असाधारण प्रयास से चकित हूं। मैं मानता हूं कि अपनी पार्टी का बचाव करना उनका धर्म बन गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनके सारे अच्छे लोग मिलकर भी इस अव्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते।

महोदया, मुझे यह देखकर बहुत निराशा हुई कि झारखंड में संशोधित आकलन की भी प्रथा नहीं है। बजट आकलन ही संशोधित आकलन होगा। यही हाल झारखंड की आज की लेखा परीक्षा का भी है। तथापि, मैंने किसी तरह सलाहकारों की मदद से उपलब्ध सीमित समय में इसे ठीक करने की कोशिश की है।

मैं बहुत लम्बा भाषणा नहीं देना चाहता। ए.आई.वी.पी. के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। उदाहरण के लिए स्वर्ण सेवा बहु-उद्देशीय परियोजना के अंतर्गत 335 करोड़ रूपये 2011-12 में जारी किए गए थे। वर्ष 2012-13 में हमें झारखंड सरकार से निधि जारी करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। यह किसकी गलती है?

श्री निशिकांत दुबे : नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, मैं उन्हें बता रहा हूं। हमारे हर बात का उनके द्वारा विरोध नहीं किया जाना चाहिए। वर्ष 2012-13 में निधि जारी करने के लिए हमे कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सलाहकारों को कह दिया गया है कि धन आवंटित कर दिया गया है। आज, हमने 309 करोड़ रूपये बजट प्रावधान के द्वारा केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी किया है। झारखंड बजट और योजना कमी भी पूरी नहीं की गई है क्योंकि वे अपने संसाधन का प्रबंध नहीं कर सकते और नहीं वे उन संसाधनों का उपयोग कर सकते है जो उन्हे केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है। मैं संख्या में जाना नहीं चाहता। मैं यही कह सकता हूं कि मैं सच्चे मन से उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति शासन का यह काल छोटा होगा।

मेरे सहयोगी श्री जयराम रमेश ने श्री यशवंत सिन्हा से बात-चीत की थी। 23 मार्च, 2013 को दोपहर झारखंड के सभी सांसदों को रांची में बैठक में बुलाया गया था ताकि वे भारत सरकार को परामर्श दे कि अगले कुछ सप्ताहों और महीनों में, जब तक चुनाव नहीं हो जात, वहां का शासन कैसे चलाया जाए। राज्यपाल को आमंत्रित किया जाएगा सलाहकारों को आमंत्रित किया जाएगा और जब तक इच्छा होगी बैठकें चलेगी, हो सकता है कि यह दो घंटे, तीन घंटे या चार घंटे की हो। मैं उनसे अपनी राय देने का अनुरोध करूगा और हम झारखंड के चुने हुए सांसदों में परामर्श के अनुसार शासन चलाने की कोशिश करेंगे।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट की प्रशंसा करता हूं और चाहता हूं कि यह बजट पास हो।

महोदया, मैं अब अनुदानों की मांगें (झारखंड) 2013-14 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है कि :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 4, 6 से 12, 15 से 27, 29 से 33 और 35 से 60 के सामने दिये गये मांग शीर्षो के संबंध में 31 मार्च, (वर्ष 2014) को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी लेखा राजस्व तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां झारखंड राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदया : अब मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें (झारखंड) 2012-13 सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है :

[श्री पी. चिदम्बरम]

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 3, 10,16,18 से 20,22,23,25,26,33,36,40,41,43, से 45,48, से 51,53,54,56 और 58 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, (वर्ष) 2013को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजीगत लेखा संबंधी राशियों अनधिक संबंधित राशियां झारखंड राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.30 बजे

झारखंड विनियोग विधेयक 2013★

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेवाओं के लिए झारखंड राज्य की संसद निधि से और में से कतिपय राशियों के भुगतान और विसयोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

महोदया प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2014-15 की सेवाओं हेतु झारखंड राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

★भारत के राजपत्र, असाधरण भाग-II खंड, 2 दिनांक 15.03.2013 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

सभापति महोदया : अब मंत्री महोदय यह प्रस्ताव ला सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेवाओं हेतु झारखंड राज्य के संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेवाओं हेतु झारखंड राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।
अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 5, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

झारखंड विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2013★

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2012-13 की सेवाओं हेतु झारखंड राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाला विधेयक पुर:स्थापित किया जाए।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:-

''कि वित्तीय वर्ष 2012-13 की सेवाओं हेतु झारखंड राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी. चिदम्बरम : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।★★

सभापति महोदया : अब मंत्री जी यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि वित्तीय वर्ष 2012-13 की सेवाओं हेतु झारखंड राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधयेक पर विचार किया जाए।''

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

''कि वित्तीय वर्ष 2012-2013 की सेवाओं हेतु झारखंड की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदया : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:-

''कि विधयेक पारित किया जाए।''

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.34 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथ संकल्पों संबंधी समिति के 32वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब, मद संख्या 15/गैर सरकारी सदस्य का कार्य। प्रो. सौगत राय।

प्रो. सौगत राय (दम दम) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

★भारत के राजपत्र, असाधरण भाग-II खंड, 2 दिनांक 15.03.2013 में प्रकाशित।

★★राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[प्रो. सौगत राय]

"कि यह सभा दिनांक 13 मार्च 2013 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 32वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा दिनांक 13 मार्च, 2013 को सभ में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 32वें प्रतिवेदन से सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 3.35 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कार्य योजना तैयार करना-जारी

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : सभापति महोदया, लगभग तीन महीने पूर्व 14 दिसम्बर को इस संकल्प पर चर्चा हो रही थी। मैं एक बार पुन: इस संकल्प को दोहराना चाहता हूं - पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करे।

महोदया, इस संकल्प पर बोलते समय मैंने सदन के ध्यान में इस बात को लाने का प्रयास किया था कि पाकिस्तान में रह रहे हिन्दुओं के संबंध में पाकिस्तान सरकार जो कहती है और पाकिस्तान की सरकार उनके साथ जो व्यवहार करती है, उसमें बड़ा भारी फर्क है। मैंने यह बात बताने की कोशिश की थी कि यदि हम कहे पर विश्वास करेंगे और जो वहां हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम वहां के हिन्दुओं के प्रति न्याय नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि इसके अनेक उदाहरण हैं, विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से जो कुछ मानवाधिकार संगठन, जो पाकिस्तान के अंदर कार्य करते हैं, हालांकि उनकी आवाज बड़ी दबी हुई रहती है, उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से जो उल्लेख किए हैं, उनमें भी इस बात की पर्याप्त चर्चा है कि पाकिस्तानक के अंदर हिन्दुओं की स्थिति बहुत खराब है। उनको किसी भी प्रकार की आजादी नहीं है।

महोदया, मुम्बई में सेन्टर फोर ह्यूमन राइट्स स्टडीज़ एण्ड अवेयरनेस नामक संगठन काम करता है। उसने इसका व्यापक अध्ययन किया है। उसका निष्कर्ष यह है कि सामान्यत सम्पूर्ण पाकिस्तान के आम आदमी के अंदर इस प्रकार की भावना बैठायी गयी है, विभिन्न माध्यमों से, शिक्षा के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, संविधान में संशोधन के माध्यम से, ज्यूडिशियरी के माध्यम से, जो वहां का परसैप्शन है, वह यह है कि हिन्दुस्तान हमारा नबंर एक शत्रु देश है। हिन्दुओं का एक मात्र घर यदि कोई बचता है, तो वह हिन्दुस्तान बचता है, इसलिए हिन्दुओं के प्रति शत्रु भाव को लेकर वह व्यवहार करते हैं। मैं समझता हूं कि आज भी हमने जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है, वह इस बात की पुष्टि करता है कि पाकिस्तान कुछ भी कहता है, वहां के नेता कुछ भी कहता हैं, कितनी भी सदाशयता उनका स्वागत करते करने में हम दिखाते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु उसके तौर-तरीके में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता। मैं समझता हूं कि पिछले दिनों की जो घटनाएं हैं, वह इसकी पुष्टि करती हैं।

महोदया, यदि मैं संक्षेप में वर्णन करूं तो हिन्दुओं के खिलाफ जो वातावरण वहां है, उसके परिणामस्वरूप वहां महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। रिंकल कुमारी, आशा कुमारी के प्रकरण विश्व विख्यात है, इसे सभी लोग जानते हैं। मैं इंडिया टुडे का एक लेख आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। अप्रैल, 2011 को एक व्यक्ति श्री मेहरचंद यहां आए थे। वे अपने साथ लगभग 135 डिब्बे ले कर आए थे, जिसमें उन हिन्दू लोगों की राख थी, जो वहां मरे थे, ताकि उनकी राख को यहां गंगा जी मे प्रवाहित कर सकें। उन्होंने एक बात कही कि मेरी पत्नी वर्ष 2009 में कैंसर से मर गई और अपने पीछे दो बेटियां छोड़ गई। पत्नी की मृत्यु के बाद एक सुबह मैंने पाया कि मेरे छोटी बेटी जो उस समय 16 साल की थी, वह

गायब है। पूछताछ करने पर मुझे बताया गया कि वह अपने से उम्र में काफी बड़े गुंडे के साथ भाग गई है। वह रातों-रात इस्लाम धर्म में धर्मांतरित हो गई। कुछ बुजुर्गों के हस्तक्षेप से मुझे उससे मिलने की इजाजत दी गई। वह रोते हुए मेरी छाती से चिपक गई। मुझे बिलकुल विश्वास नहीं था कि वह भाग गई है। वह गुंडा मेरी बेटी पर नज़र रख रहा था। मैंने बड़ी बेटी की शादी समय रहते कर दी थी और छोटी बेटी अभी बच्ची थी। काश मुझमें साहस होता और मैं अपनी बेटी के लिए लड़ पाता। स्थानीय पुलिस ने इसमें मेरी कोई सहायता नहीं की।

सभापति महोदया, ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनको ठीक से पढ़ पाना भी संभव नहीं हैं और जिनको सुनकर भी दिल दहलता है। इसी प्रकार से वहां हिन्दुओं के रीति-रिवाज हैं यानी यदि उनका कोई रिश्तेदार या कोई उनका परिवार में मरता है तो वे शवदाह नहीं कर सकते। किसी त्यौहार पर कोई शोभायात्रा नहीं निकाल सकते। पूजन नहीं कर सकते। यानी यह स्थिति वहां पर हैं। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैं उनको कोट करके अक्षरशः नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि जो लोग वहां से भागकर आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि हम छोटा-मोटा काम करते थे। जो उनके मुस्लिग ग्राहक थे, उन्होंने यह सोचकर कि यह तो हिन्दु है, इसलिए इसका रुपया वापस देने का कोई लाभ नहीं है। उन्होंने उसका पैसा देना बंद कर दिया और पूंजी समाप्त हो गई और वे लुट-पिटकर भारत आ गये। यानी आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से सब प्रकार से हिन्दुओं का उत्पीड़न वहां पर हो रहा है। दुनिया के अंदर मानवाधिकार संगठन हैं। हम स्वयं यानी भारत मानवाधिकारों के लिए बहुत लड़ता है। यदि किसी को कुछ संकट होता है तो हमारे प्रधान मंत्री जी को कई बार रात को नींद भी नहीं आती है। अच्छी बात है। इतना संवेदनशील होना चाहिए परंतु यह हैरत है कि हिन्दुओं की इस दशा के प्रति सरकार संवेदनशील क्यों नहीं होती? वहां जो हिन्दू हैं, मानवाधिकार यानी उनको जीवन का अधिकार नहीं है, विचारों की आज़ादी नहीं है, सम्पत्ति का अधिकार नहीं है और यहां तक कि न्याय प्राप्त करने की भी उनको छूट नहीं है, जैसे मैंने अभी एक प्रकरण में दो लड़कियों का जिक्र किया था। जो उनके प्रकरण से प्रकट होता है।

सभापति महोदया, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाईटेड नेशन्स ने रिफ्यूजी की एक परिभाषा दी है। मैं उस परिभाषा को पढ़ना चाहता हूं। इस परिभाषा में कहा जाता है:

[अनुवाद]

"शरणार्थी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपनी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता अथवा राजनीतिक मत से जुड़े होने से अपने जीवन पर खतरे के कारण अपने देश को छोड़कर भागने के लिए बाध्य होना पड़ता है।"

[हिन्दी]

यह यूनाईटेड नेशन्स के द्वारा दी गई शरणार्थी की परिभाषा है। मैं नहीं समझ पाता कि यह परिभाषा पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं पर लागू होती है या नहीं होती है लेकिन वे सरेआम उनको शरणार्थी मानने को तैयार नहीं हैं। यह सरकार उनके किसी भी सुख-दुख को समझते को तैयार नहीं है जबकि मैं इसमें भी आगे जाकर एक बात और कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हिन्दू ये वो लोग हैं जो देश के विभाजन के समय हमारे नेतृत्व पर भरोसा करके वहां पर रह गये थे। उनका कोई अपराध नहीं है। बाद में नेहरू लियाकत समझौता हुआ और जो सारी बातें हुईं, उनमे ऊपर भरोसा करके करके वो वहां पर रहे और यदि वे अपनी मूलभूमि के अंदर आना चाहते हैं तो शरणार्थी के नाते भी जो अन्तर्राष्ट्रीय परिभाषा है और मानवीय कर्तव्य के नाते भी तथा हमारे नेताओं के द्वारा दिये हुए वादे के अनुसार भी उनको सम्मान पूर्वक इस देश के अंदर जगह दी जानी चाहिए। ऐसा मेरा आपसे बहुत विनम्र आग्रह है।

मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि आखिर हम पाकिस्तान के व्यवहार को क्यों नहीं देखते? उसके कथन पर क्यों भरोसा करते हैं? मुझे लगता है कि कहीं हमारी सोच में वोट-बैंक की राजनीति घुसी हुई है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हम हिन्दुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को केवल हिन्दुस्तानी क्यों नहीं समझते? भारतीय क्यों नहीं समझते?

अभी अफज़न गुरु का मसला हुआ। पहले हम उसको फांसी नहीं दे रहे थे। फिर हमने फांसी दे दी। वोट-बैंक के हिसाब

[श्री राजेन्द्र अग्रवाल]

से हमन अफज़ल गुरु को मुस्लिम माना। हम उसको केवल यह मानते कि उसने हमारे देश के प्रति अपराध किया है और नियम के अनुसार, कानून के अनुसार उसको उसके अपराध के लिए जो सजा होनी चाहिए, वह उसको मिलनी चाहिए। हम क्योंकि हिन्दुस्तान के नागरिक को हिन्दू या मुसलमान मानते हैं, हम क्योंकि वोट पर निगाह रखकर अपने फैसले रखते हैं और क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं की चिंता करके हम वोट-बैंक में कोई वृद्धि नहीं कर सकते, संभवत: केवल इस कारण से पाकिस्तान का हिन्दू उपेक्षित है और उसकी तरफ की किसी का ध्यान नहीं है। जब तक सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देगी और जब तक हम अपनी मौलिक सोच को नहीं बदलेंगे कि एक तुष्टिकरण के लिए, एक वोट-बैंक की रानीति के लिए ही हम किसी खास वर्ग की चिंता न करें, बल्की यह सोचकर कि किसी खास वर्ग को भी हमारी तरह तकलीफ होती है, ऐसा सोचें। यह कैसे मान लिया गया कि यदि अफज़ल गुरु को फांसी दी गई तो सारा मुसलमान तबका नाराज हो जाएगा? यह बात सच नहीं है। कुछ लोग होंगे। ऐसे लोग जब जगह होते हैं। जब राजनीति या राजनीतिक निर्णय इस तरह के दबाव में होते हैं तो वोट बैंक की राजनीति के परिणामस्वरूप उन लोगों की चिंता भी नहीं कर पाते जिनकी चिंता करना हमारा कर्तव्य है।

महोदया, यही कारण है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच की क्यों न हो, हमने इस विषय को नहीं उठाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, वूमेन राइट्स संगठन में कभी पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं की दशा का संज्ञान ही नहीं लिया है क्योंकि हमने कभी मामला उठाया ही नहीं है। जबकि उनके लिए इन सब समस्याओं का बहुत ही फिटस्ट केस है, जिसका अध्ययन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए लेकिन हमने कभी कोशिश ही नहीं की है। सार्क पाकिस्तान भी है, हमने कभी इस मुद्दे को वहां नहीं उठाया। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि मानवाधिकार के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे नेतृत्व का भरोसा करके यदि वे आना चाहते हैं, उनकी चिंता करें। वहां के गृह मंत्री ने कह दिया कि वीज़ा गलत जारी किया गया। इस तरह की स्थिति में न वीज़ा दिया जाएगा और न सुख चैन से रहने दिया जाएगा तो उनकी चिंता कौन करेगा? हम इस बात को उठाएं, यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इन विषयों को उठाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसका संज्ञान लेंगे तभी इस समस्या का हल होगा।

महोदया, मैं कुल मिलाकर सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विषय की गंभीरता को समझे। पाकिस्तान में हिन्दुओं को शरणार्थी के नाते जो वहां से भागकर आए हैं, उन्हें उचित रूप से नागरिकता प्रदान करें। इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि यदि वे सुरक्षित नहीं हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से सुरक्षित जीवन दिया जाए।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : माननीय सभापति महोदया, मैं अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं बी.जे.पी. का समर्थन करता हूं बल्कि इसलिए कि उन्होंने संसद में अपने क्षेत्र की समस्या को बहुत धीरजपूर्वक रेज़ किया है। यह हमारे लिए सीखने की बात है कि कैसे अपने क्षेत्र की समस्या के विषय को उठाया जाता है। मुझसे पहले माननीय सदस्य बी.जे.पी. के बोले हैं। मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं क्योंकि उन्होंने बहुत से डिवाइसिव इश्यू उठाए हैं। अफजल गुरु, इसके साथ क्या ताल्लुक है? उन्होंने फिर वोट बैंक की बात की। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें करने से समस्या हल नहीं होती है। मेरे ख्याल में यह समस्या मानवीय समस्या है।

महोदया, आप जानते हैं कि देश का बंटवारा हुआ, बंगाल का बंटवारा हुआ और पंजाब का बंटवारा हुआ। पंजाब में जनसंख्या का एक्सचेंज हुआ जबकि बंगाल में नहीं हुआ और बहुत से हिन्दू ईस्ट पाकिस्तान में रह गए। अभी भी बंग्ला देश में 90 ला के करीब हिन्दू हैं। कुछ ऐसे हिस्से थे जो पूरे पाकिस्तान में चले गए। ऐसा ही हिस्सा सिंध है, आडवानी जी जहां से आते हैं, कराची से और एक एरिया बहावलपुर एरिया है। सिंध का बंटवारा नहीं हुआ था इसलिए पूरा सिंध चला गया और यहां के लोग दिल्ली, मुम्बई में आए और अब ज्यादातर सिंधी लोग कपड़े का व्यापार करते हैं। मेघवाल जी ने जिस सवाल पर सबका ध्यान आकर्षित किया वह बहुत ही गरीब लोगों के बारे में है। भील और मेघावल एस.सी. लोग हैं। ये लोग लेजिटिमेट वीज़ा लेकर हिन्दुस्तान आए थे।

ये पाकिस्तान नागरिक जरूर थे लेकिन यहां आकर वापस नहीं जाना चाहते थे। यह बात सही है कि पाकिस्तान में बहुत फंडामेंटलिस्ट लोग हैं। पाकिस्तान में जो हिन्दू बचे थे उन पर बहुत जुल्म हुए। इंडिया टुडे में 'हिन्दूज इन पाकिस्तान' बहुत बड़ा आर्टिकल निकला कि कैसे अत्याचार होता है। ये लोग वापस नहीं जाना चाहते थे, इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। करीब 17,000 लोग खास तौर से जोधपुर में ट्रांजिस्ट कैंप में रहते हैं।

मेघवाल जी के प्रस्ताव के मूल सवाल के अनुसार वह चाहते हैं कि इसे नॉर्मलाइज किया जाए। हमारे प्रांत में जो प्रॉब्लम थी, उसमें हम लाखों लोग इधर आये और वहां हमने कट ऑफ डेट 1971 रख थी। बंगलादेश के जन्म तक हम कहते हैं कि 1971 कट ऑफ डेट है, लेकिन लोगों का आना-जाना बंद करना मुश्किल है, हमारा पोरस बार्डर है, इसलिए हम लोगों को आने से रोक नहीं सकते। लेकिन अभी भी हम बंगाल या आसाम में कानून के जरिये ठोस रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन जो बचे हुए 17 हजार लोग हैं, उनमें मैंने सुना है कि भील और मेघावल में से कुछ लोग जम्मू-कश्मीर में रहते हैं। ये सब हिन्दू हैं, शेडयूल्ड कास्ट हैं और नागरिक अधिकार की प्रार्थना करते हैं। मैं समझता हूं कि जब श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन जी जवाब देंगे, वह एक मानवीय दृष्टिकोण वाले आदमी हैं और वे सोच-विचार कर इन लोगों की समस्या का निराकरण करने की कोशिश करेंगे।

यहां यूनाइटेड नेशंस कंवैन्शन वगैरह के बारे में बताया गया, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि रिफ्यूजीज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बांग्लादेश में रोहिंग्या लोग भागकर आये हैं, वे मुसलमान हैं, जो म्यांमार में रहते हैं, वही लोग आते हैं। रिलीजियस परसीक्यूशन के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना एक पुरानी परम्परा है और यूनाइटेड नेशंस हाईकमिश्नर फॉर रिफ्यूजी हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि कितने ऐसे रिफ्यूजीज रिलीजियस परसीक्यूशन के लिए आये हैं। मैं उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता। श्री अर्जुनराम मेघवाल जी बीकानेर से सांसद है और ये लोग जोधपुर में अधिक संख्या में रह रहे हैं, क्योंकि जोधपुर एक बड़ा शहर है। आप जैसलमेर जाइये, वह भी बार्डर है, वहां भी जोधपुर से जाना पड़ता है। यदि बीकानेर जाओ तो भी जोधपुर से जाना पड़ता है। जोधपुर के आसपास ये लोग बसे हुए हैं। मैं समझता हूं कि ह्यूमेनिटेरियन दृष्टिकोण से इस समस्या निदान किया जाए और मुठ्ठी भर लोगों को हिन्दुस्तान में नागरिक अधिकार दिया जाए।

इन बातों के साथ मैं मेघवाल जी के प्रस्ताव का राजनीतिक दृष्टिकोण या वोट बैंक के कारण से नहीं, बल्कि ह्यूमेनिटेरियन दृष्टिकोण से समर्थन करता हूं।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा) : महोदया, श्री अर्जुन मेघावल जी जो प्रस्ताव लेकर आये हैं कि पाकिस्तान में भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में ऐसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा आग्रह करती है कि उन्हें नागरिकता प्रदान करने हेतु तत्काल कदम उठाया जाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों के समान अन्य सुविधाएं मुहैया कराये जाने के लिए सरकार योजना तैयार करे। ऐसा जो प्रस्ताव मेघावल जी लेकर आये हैं, उसके लिए मैं उनका अभिनन्दन करता हूं और समर्थन देता हूं।

आजादी के समय हमारा देश एक अखंड हिन्दुस्तान था। लेकिन दुर्भाग्यवंश हमारे देश का पश्चिम पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान और भारत तीन भागों में बंटवारा हो गया। तब ऐसा माना जाता था कि जो जहां चाहता है, वह वहां रह सकता है। तब बहुत से लोग पश्चिम पाकिस्तान से भारत आये, बहुत से लोग पूर्वी पाकिस्तान से आये, लेकिन उस वक्त हजारों की संख्या में कत्ल हुए। जिनके कारण हमारी आजादी का जश्न दुखद बन गया। आजादी के समय पाकिस्तान में 75 लाख हिन्दू थे, लेकिन आज सिर्फ 18 लाख बचे हैं। आज पाकिस्तान की आबादी 17 करोड़ है, इसमें पहले 27 प्रतिशत हिन्दू थे, लेकिन अब सिर्फ दो प्रतिशत ही बचे हैं। पाकिस्तान से हिन्दुओं बढ़ता पलायन एक गम्भीर चिंता का विषय है। हमारे हिन्दू वहां से क्यों पलायन कर रहे हैं? वे अपनी करोड़ों की संपत्ति दोड़ कर पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आ रहे हैं। वे अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रहे हैं, बल्कि मज़बूरी में हिन्दुस्तान आ रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है। लड़कियों को किडनैप कर के ले जाते हैं और मुस्लिम युवकों के साथ उनकी शादी करवा देते हैं। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। उनके कारोबार को बंद कर देते हैं। इतना प्रताड़ित करते हैं कि उसकी वजह से वहां

[श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण]

बसे हिन्दू लोग भारत आ रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार उनको आने के लिए वीज़ा नहीं देती हैं इसलिए वह तीर्थ यात्रा के नाम पर कि हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, हमें जाने दीजिए, तब वे अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ कर हमारे देश में आते हैं। आने के बाद वे अपना दुख हमारे सामने व्यक्त करते हैं कि वहां पर हमारी कोई सलामती नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : इस संकल्प पर चर्चा के लिए नियत समय पूरा हो गया है। यदि सभा सहमत हो तो मंत्री के उत्तर सहित समय को एक घंटे तक बढ़ाया जा सकता है

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदया

सभापति महोदया : संकल्प पर चर्चा के लिए समय को एक घंटे तक बढ़ाया जता है?

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : हिन्दूओ को वहां सुरक्षा नहीं मिल रही है। उनको लूटा जाता है। उनके साथ जबरदस्ती की जाती है। महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। इन सब मुसीबतों की वजह से जब हिन्दू हिंदुस्तान में आ जाते हैं, तो उनको संरक्षण मिलना चाहिए। जो हिन्दू पाकिस्तान से आते हैं, वे ज्यादातर राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर के आस-पास आ कर बसते हैं। पहले वे हमारे देशवासी थे, हमारे भाई हैं, हमारे बंधू हैं। हमारी मांग है कि उनको नागरिकों का अधिकार मिलना चाहिए और इस भूमि पर उनको रहने की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करनी चाहिए ताकि वे सही ढंग से रह सकें।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : सभापति महोदया, मैं मेघवाल जी के रेज़लूशन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में सद्भावना और सौहार्द का वातावरण रहा है। हमारे दुनिया को आश्रय दिया है। हमारे ऋषियों की यह प्राथना रही है कि-

"सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत।"

यहां सब की मंगल कामना की गई है। त्रेता युग में जब जनकपुरी में भीषण अकाल पड़ा, तब वहां की जनता अयोध्या में आ कर बसी। अयोध्यावासियों ने उनको आश्रय दिया। भारत ने तिब्बतियों को आश्रय दिया। जिस समय लंका अशांत था, लंका के निवासियों को, तमिल भाइयों को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भारत के अंदर आश्रय दिया। नेपाल में भी जब कठिन दौर चला तब नेपालियों को भी भारत ने आश्रय दिया। पाकिस्तान में वर्ष 2008 में 160, 2009 में 104, 2010 में 373, 2011 में 478 और अप्रैल, 2012 में 370 हिन्दुओं को मार डाला गया। हाल ही में 9 जनवरी, 2013 को पाकिस्तानी रेंजर दो भारतीय सैनिकों के सिर काट कर अपने साथ ले गए। इस प्रकार का एक घिनौना वातावरण बना हुआ है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हमारे हिन्दू भाइयों को निश्चित रूप से भारत में शरण मिलनी चाहिए।

हिंदू श्ब्द का उद्गम सिंधू शब्द से हुआ है। सिंधू घाटी के अंदर रहने वाले लोग, क्योंकि फारसी के 'स' को 'ह' बोला जाता है, इसलिए सिंधू का न कह कर के उनको हिंदू कहा गया। हमारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता है, उसका भी उत्खलन होना चाहिए। जिससे हम सब को यह पता चले की हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है। जिस समय हड़प्पा की सभ्यता कितनी पुरानी है। जिस समय हड़प्पा की सभ्यता पनप रही थी, उस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से कपड़े बन कर मित्र के फ़ैरों के लिए जाया करते थे।

अपराह्न 4.00 बजे

इसी प्रकार से जब हमारी सभ्यता चरम सीमा पर थी, तब मेसोपोटामिया की सभ्यता पनप रही थी। इतनी प्राचीन सभ्यता के वासी हम लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भारत में निश्चित रूप से शरण मिलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अगले वक्ता श्री अशोक तंवर हैं। आपको सिर्फ दो मिनट तक बोलने की अनुमति दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री अशोक तंवर (सिरसा) : महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने आपको हमारे साथी अर्जुन राम मेघवाल जी के बिल के साथ सम्बद्ध करता हूं और साथ ही साथ उसके ऊपर ज्यादा चर्चा न करते हुए केवल एक बात कहना चाहता हूं। मेरी कांस्टीच्युएंसी जो सिरसा संसदीय क्षेत्र है, जब पाकिस्तान का हिन्दुस्तान से विभाजन हुआ और करीब-करीब जो 30 से 35 प्रतिशत आबादी जो वहां से माइग्रेट होकर आयी, उनके तो बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी चर्चा बहुत से माननीय सदस्यों ने की है। इसके साथ-साथ हमारे कुछ साथी ऐसे हैं, जैसे सिरसा जिले में एक अलनाबाद तहसील है, जहां करीब 66 परिवार वर्ष 1992 में आये। आज भी उनकी नागरिकता का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले उनका वैलिड वीजा होगा, फिर उसके बाद केन्द्र में मामला आएगा, मैं आपके माध्यम से सदन से यही आग्रह करना चाहता हूं...*(व्यवधान)* इसीलिए अर्जुन जी, मैंने अपने आपको आपके साथ सम्बद्ध किया है, ताकि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि इनको हम अधिकार दे सकें और आने वाले समय में इनको हिंदुस्तान की नागरिकता के माध्यम से ज्यादा सुविधायें प्रदान कर सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : धन्यवाद।

अब, माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : महोदया, मैं इस सम्मानित सभा के उन मानवीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं जिन्होंने पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा में सक्रिय भागीदारी की है।

चर्चा में कुल मिलाकर 14 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और मैं इनमें से प्रत्येक सदस्य का धन्यवाद करता हूं। मैं उनके मूल्यवान सुझाव और टिप्पणियों की अत्यंत सराहना करता हूं। मैंने प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए भाषण को ध्यानपूर्वक सुना है और मैंने सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया है। मैं उनके मूल्यवान सुझावों और टिप्पणियों के लिए उनका पुन: धन्यवाद करता हूं।

मैं इस सम्मानित सभा के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं का पूर्णत: सम्मान करता हूं। अब, मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। मैं एक-एक करके महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहता हूं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा वर्तमान मे पाकिस्तान से आ रहे विस्थापित हिन्दु परिवारों के पुनर्वास से संबंधित अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 1947 में विभाजन के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती पश्चिमी पाकिस्तान से काफी संख्या में विस्थापित लोगों की गंभीर समस्या का समाधान करने और उन्हें पुनर्वासित करने के लिए भारत सरकार ने 1950 में कतिपय अधिनियम बनाकर कुछ उपाय किए थे। जैसाकि वर्ष 1970 तक दावों के अधिकांश कार्य, मुआवजे और पुनर्वास के कर्ण कमोवेश पूरे कर लिए गए थे अत: केन्द्र सरकार ने इन सभी अधिनियमों को वर्ष 2005 में निरस्त कर दिया था वर्तमान में हमारे पास इस संबंध में कोई अधिनियम नहीं है क्योंकि इस सम्मानित सभा ने सभी अधिनियमों को निरस्त कर दिया है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार पाकिस्तानी नागरिकों जो पलयन करके भारत आते है उनके समक्ष जो समस्याएं आती हैं उनके प्रति संवर्दनशील रही हैं। उदाहरण के लिए यह निर्णय किया गया है कि 31.12.2004 से पूर्व भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के मामलों पर अलग-अलग मामले के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और यदि एक आर्वद्ध नागरिकता नियम 2009 के नियम 38 के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकारी अर्थात कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपयुक्त के समक्ष शपथ-पत्र दायर करता है तो इसे त्याग प्रमाण पत्र के स्थान पर स्वीकार किया जाएगा। संबद्ध राज्य सरकारों और संघ राज्य सरकारों से विधिवत आग्रह किया गया है कि इन मामलों पर गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई करें। वास्तव में, मंत्रालय ने भी शरणार्थी होने का दावा करने वाले विदेशी नागरिकों के मामलों पर विचार करने हेतु मानक

[श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन]

प्रचालन प्रक्रिया निर्धारित की है। इस प्रक्रिया का सरांश निम्नानुसार है:

(एक) इस प्रकार दावा करने वाले विदेशी नागरिक के बयान की संबद्ध एफ.आर.आर.ओ.एफ.आर.ओ. द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी। एफ.आर.आर.ओ./एफ.आर.ओ. दीर्घकालीन वीजा देने हेतु मामले को विदेशी व्यक्ति द्वारा दावे की तारीख के तीस दिनों के भीतर गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) को भेजेगा बशर्ते कि यह पाया जाए कि प्रथम दृष्ट्या दावा जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीय पहचान, किसी विशेष सामाजिक वर्ग की सदस्यता अथवा राजनीतिक मत के कारण सताए जाने की सुआचारित शंका के आधार पर औचित्य ठहराया जाता है।

(दो) गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) एफ.आर.आर.ओ./एफ.आर.ओ. की रिपोर्ट सहित सभी सूचनाओं और विदेश मंत्रालय (एम.ई.ए.) की सभी सूचनाओं पर विचार करेगा और दीर्घकालीन वीजा जारी किए जाने की तिथि से एक वर्ष तक की वैधता पर निर्णय लेना जिस दीर्घकालीन वीजा के लिए आदेश दिया गया है उसके मामलों के ब्यौरे को गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा साझा किया जाएगा।

(तीन) ऐसे विदेशियों के लिए दीर्घकालीन वीजा संबद्ध एफ.आर.आर.ओ./एफ.आर.ओ. के स्तर पर अधिकतम पांच वर्षों के लिए प्रतिबध नवीकृत किया जाएगा जो कि विदेशी के आचरण और सुरक्षा संबंधी विपक्षाओं के आकलन पर आधारित होगा यदि कोई प्रतिकूल रिपोर्ट आती है तो गृह मंत्रालय इस संबंध में तत्काल समुचित कार्रवाई करेगा।

(चार) भारत में वास की ऐसी अवधि के दौरान विदेशी नागरिक को हमारे देश में निजी क्षेत्र में कोई नौकरी पाने अथवा किसी शैक्षिक संस्थान में अध्ययन करने की अनुमति होगी।

(पांच) गृह मंत्रालय की विशिष्ट अनुमतिक अथवा स्वीकृति के बिना ऐसे किसी विदेशी को देश से निर्वासन नहीं किया जाएगा?

(छह) कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक आप्रवासी है वह इन दिशानिर्देशों का लाभ लेने का हकदार नहीं होगा।

श्री मेघवाल एवं अन्य सदस्यों ने 1947 में आए पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वास से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, जो जम्मू और कश्मीर बस गए हैं। चर्चा के दौरान माननीय संसद सदस्यों ने जम्मू और कश्मीर में बसे हुए पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की विभिन्न शिकायतों और मांगों पर विशेष प्रकाश डाला है।

1947 में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के आक्रमण के कारण तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान से 4,745 परिवारों ने पलायन किया और जम्मू डिवीजन के जम्मू, कथुआ और राजौरी जिलों में बस गए। उनके पलायन के बाद इनमें से कुछ परिवारों ने सरकारी और खाली पड़ी भूमि पर कब्जा कर लिया और शरणार्थी बन गए। वास्तव में, राज्य सरकार ने कतिपय शर्तो के अध्यधीन प्रति परिवार सिंचित भूमि का आठ एकड़ और असिंचित भूमि बारह एकड़ अपने पास रखने की अनुमति दे दी।

जम्मू और कश्मीर में बसे हुए पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थी जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य के स्थायी निवासी नहीं हैं इसके परिणामस्वरूप राज्य के अन्य निवासियों को मिलने वाले लाभ उन्हें नहीं मिलते हैं। 1947 में पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थी भारत के नागरिक हैं क्योंकि उन्हें संसदीय चुनावों में मत डालने का अधिकार है।

भारत सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकार को पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को राज्य का निवासी होने के लाभ देने तथा इन शरणार्थियों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र दिए जाने पर विचार करने का अनुरोध किया है। यह मुद्दा जम्मू और कश्मीर प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जम्मू और कश्मीर के मामले में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं क्योंकि जम्मू और कश्मीर को हमारे संविधान की धारा 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है।

पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की समस्याओं को कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2008 में एक पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में जम्मू और कश्मीर में बसे हुए पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के बच्चों एवं पोते/पोतियों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) से मान्यताप्राप्त तकनीकी एवं शैक्षिक संस्थानों में नामांकन कराने के मामले में रियायत दी गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) ने इस संबंध में आवश्यक प्रावधान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को भी जम्मू और कश्मीर में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न परियोजनाओं में पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भी शामिल करने की सलाह दी गई है।

मंत्रालय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसी ऋण देने वाली संस्थाओं पर उन लोगों को ऋण देने के लिए दबाव बनाने की सलाह दी है।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के पश्चिम तक जाने के लिए सीमाई क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को अनुमति दिए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। अध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है कि पिछले दिनों आपने भी इस मुद्दे को उठाया था। सरकार ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-15 के पश्चिम तक जाने के लिए सीमाई क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की अनुमति दिए जाने के अनुरोण पर विचार किया गया है। महोदया, जैसाकि आपको पता है यह सुरक्षित क्षेत्र में आता है। सुरक्षा की दृष्टि से पाकिस्तानी नागरिकों को इस क्षेत्र में आने की सीधे-सीधे अनुमति नहीं दी जा सकती है। तथापि, राजस्थान सरकार के माध्यम से प्राप्त अपेक्षित अनुमति दिए जाने के पाकिस्तानी नागरिकों के अनुरोधों पर मामला दर मामला आधार पर सुरक्षा एजेंसियों से विचार किया जाता है।

महोदया, पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए गुजरात एवं राजस्थान के जिला कलेक्टरों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने से संबंधित एक अन्य महत्पूर्ण मुद्दा उठाया गया है। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे कि कुछ सदस्यों द्वारा उठाया गया है। विशेष मामले के तौर पर राजस्थान एवं गुजरात के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के पाक नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए वर्ष 2004 में एक वर्ष के लिए गुजरात के कच्छ, पाटन, बनसकंठा, अहमदाबाद, तथा राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर के जिलाधीशों को अल्पसंख्यक हिन्दु समुदाय के पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थीं। इस प्रत्यायोजन को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2007 तक विस्तारित किया गया था। ऐसी शक्तियां किसी अन्य राज्य में प्रत्योजित नहीं की गई थीं। ऐसे लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए इन दो राज्यों को पर्याप्त समय दिया गया था।

महोदया, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय के पास कुछ ऐसे मामले आए थे जिनमें पाकिस्तानी नागरिकों को बिना पाकिस्तानी नागरिकाता छोड़े भारत की नागरिकता प्रदान की गई जिससे व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता मिल सकती है। यह हमारे संविधान के विरूद्ध है। ऐसी चूकें सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी खतरनाक हैं। आप पूर्ण रूप से इससे वाकिफ हैं।

नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का प्रावधान उपलब्ध है। सामान्य तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के परामर्श से केन्द्र सरकार को इन मामलों का निराकरण करने और स्वीकृति पत्र जारी करने में चार महीने का समय लगता है। इस प्रक्रिया को और सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने दिनांक 1.12.2001 से नागरिकता प्रदान करने के लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा शुल्क प्रारूप से संबंधित है। वर्ष 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (क) के अंतर्गत नागरिकता के लिए 5,500 रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए यह एक बार दिया जाने वाला शुल्क है। हम इसे बिल्कुल उपयुक्त समझते हैं।

[श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन]

एक अन्य अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है ज़ीवन-यापन, कार्य-अनुमति, विवाह, मृत्यु, अथवा कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए संबंध मे भारत के अन्य शहरों में जाने की अनुमति दिए जाने का मुद्दा अन्य सदस्यों द्वारा उठाया गया। मुझे सभा को इस बात की जानकारी देते हुए अत्यधिक खुशी हो रही है कि लंबी अवधि के वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को पूर्णतया निजी प्रकृति का रोजगार करने की अनुमति है। इसी तरह, ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों के बच्चों को भी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने की अनुमति है बशर्ते कि वे इस संबंध में विदेशी नागरिकों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कभी भी अन्य शहरों में सीधे-सीधे जाने की अनुमति देना सभव प्रतीत नहीं होत। तथापि, लंबि अवधि वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक अन्य शहरों में जाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से माध्यम से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

महोदया, लगभग सभी माननीय सदस्यों द्वारा पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिन्दुओं की स्थिति के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। अत: मैं उस विषय पर कोई आश्वासन नहीं नहीं दे सकता। इस मुद्दे को भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी प्रशासन में साथ समय-समय पर उठाया गया है। केवल राजनयिक चैनल के माध्यम से हम इस मुद्दे को उठा सकते हैं। अभी तो आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं।

महोदया, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के पाकिस्तानी नागरिकों वापस भेजने के प्रश्न के संबंध में मैं पुन: यह कहना चाहूंगा कि इस मुद्दों को भारत सरकार द्वारा राजनयिक चैनल के माध्यम से पाकिस्तान सरकार के स्तर पर उठाया जाएगा।

मुझे पुन: यह आश्वासन देते हुए खुशी हो रही है कि जब तक लम्बी अवधि का वीजा देने का प्रस्ताव विचाराधीन है, तब तक पाकिस्तानी नागरिकों का पाकिस्तान प्रत्यावर्तन नहीं किया जाएगा।

मैं यह बात दोहराना चाहूंगा कि भारत सरकार भारत में सभी विदेशी नागरिकों के कल्याण से जुड़े मुद्दे के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, जिसमें वे हिन्दू पाकिस्तानी नागरिक भी सम्मिलित है जिन्हें इस देश के कानूनों तथा भारत सरकार की नीतियों के तहत सहायता की जरूरत है तथा जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं एक बार पुन: माननीय अर्जुन राम मेघवाल, मदन लाल शर्मा जी, श्रीमती सुमित्रा महाजन, टी.के.एस. इलेंगोवन जी, श्री भर्तृहरि महताब, डॉ. बलीराम, डॉ. मिर्जा महबूब बेग, श्री चौधरी लाल सिंह, श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ श्री एम.डी. शारिक, राजेन्द्र अग्रवाल जी, प्रो. सौगत राय, श्री महेन्द्रसिंह चौहाण, श्री सतपाल महाराज और श्री अशोक तंवर को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रत्येक सदस्य ने इस जीवंत चर्चा में बड़ा योगदान किया है। मैं प्रत्येक को उनके योगदान के लिए तथा उनके सुझावों/टिप्पणियों के लिए धन्यवाद देता हूं।

मेरे द्वारा उल्लिखित इन तथ्यों में आलोक में मैं माननीय सदस्य मेघवाल जी से ईमानदारीपूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे अपना संकल्प वापस लें।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : पाकिस्तान में जो हिन्दू परेशान हो रहे हैं, उनको भी भूख लगी है, उनकी भी चिन्ता करें और उसके बाद घर जाने की सोचें। ये सब हमारे साथी हैं, ये इस चर्चा में यहां बैठे हैं, इसलिए मैं इनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदया, मैं अभी मंत्री जी का जवाब बहुत सावधानी से सुन रहा था। ये काफी मेहनत करके आए हैं, आम जैसे कोई मंत्री रिप्लाई देता है, उस तरह से इनका रिप्लाई नहीं था। आपने काफी मेहनत करके रिप्लाई दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन मेरे चार-पांच प्वाइंट ऐसे थे, जिनको आपने बहुत ढंग से एड्रेस नहीं किया। मेरे सिर्फ पांच प्वाइंट्स हैं। मेरे जो राजस्थान के साथी बैठे हैं, इन्हें सब पताक है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर इस समस्या से वाकिफ़ नहीं हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, सौगत राय जी चले गए, जौधपुर में ही ट्रांज़िट स्टेशन है। राजस्थान की सरकार ने भी कुछ रिकोमेंडेशन की है। मेरा यह कहना था कि पहले यह पता लगाइए कि कितने पाकिस्तानी

नागरिक राजस्थान में रह रहे हैं, क्या उसका कोई सर्वे कराएंगे? इसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। राजस्थान के अलावा वे गुजरात में कितने रह रहे हैं? सभापति जी आप स्वयं जहां से आते हैं, इन्दौर में कितने रह रहे हैं? भारत के अन्य भागों में वे कितने रह रहे हैं और वे क्यों रह रहे हैं, वे क्यों नहीं वापस जाना चाहते हैं? इसका सर्वे करा के एक लिस्ट बनाते, उसका इसमें आपने कोई जवाब नहीं दिया।

दूसरा मेरा इश्यू बड़ा महत्वपूर्ण और मार्मिक था। उसका सारांश यह था कि नेशनल कमिशन फोर जस्टिस एंड पीस की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उसमें यह लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में हिन्दुओं की न जिन्दगी सुरक्षित है, न इज्जत। आप इसमें चिन्ता नहीं करेंगे। खाली यह कह देन से, *[अनुवाद]* वे पाकिस्तानी नागरिक हैं। मंत्री महोदय जी, यह पर्याप्त नहीं है। *[हिन्दी]* ये वे लोग हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। जब देश के टुकड़े हुए, तब से वहां रह गए। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, कई लोगों से मैं मिला हूं। मेघवाल, भल, चारण, राजपूत और सिंधी समाज के वे लोग हैं। मैं उनसे मिला हूं, वे कहते हैं कि हमारा क्या कसूर था। मेघवाल और भील तो यह कहते हैं कि हम मजदूरी करने के लिए बहावलपुर गये हुए थे और जब डिवीज़न हुआ, हम डिवाइड हुए तो हमें कहा गया कि आप यहां रहो, कोई प्रोब्लम नहीं है। अभी राजेन्द्र अग्रवाल जी सही कह रहे थे, नेहरू-लियाकत समझौता हुआ, बोले कि आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, आप यहां पाकिस्तान में आराम से जिन्दगी बसर कर सकते हैं। आज उनकी हालत क्या है, आज हालत यह है कि वे किसी के यहां काम करते हैं तो उनको कहते हैं कि आप को मजदूरी नहीं दी जाएगी तो वे कहते हैं क्या दोगे, वे कहते हैं कि खाली खाना खाओ और गुजर-बसर करो। क्या आदमी खाली खाना खाने के लिए वहां रहेगा? उनकी क्या गलती थी? मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा है, एज़ ए.डी.एम. भी देखा है और उसमें अगर आप तीन पीढ़ियां पहले जाओगे तो वे लोग यहीं के रहने वाले थे, हमारे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर, यहां के रहने वाले लोग थे। वे मजदूरी करने के लिए वहां बहावल पुर चले गये और उस समय जब इनको कहा कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, यहां रहिये तो वे वहां रह गये। उनकी क्या गलती है? आज वे तकलीफ में हैं।

ये लोग कोई भगोड़े नहीं हैं, वे कोई भाग कर नहीं आ रहे हैं। ये वे लोग हैं, जो पासपोर्ट से आ रहे हैं, वीज़ा से आ रहे हैं, कोई रामदेव जी के दर्शन करने आ रहा है, कोई हिंगलाज़ माता के दर्शन करने आ रहे हैं, ये वे लोग हैं। अभी कुम्भ में मेला हुआ तो वे कुम्भ के स्नान करने के लिए आये, वे लोग हैं। वे जोधपुर, जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, वह उनका गृह जिला है। वहां वे ट्रांजिट कर रहे हैं और वहां ट्रांजिट कर रहे हैं तो जो जोधपुर की जनता है, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जोधपुर की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वह इतने लोगों का प्रबन्ध कर रही है। वहां टेंट लगा हुआ है, उनको खाना खिला रहे हैं, उनके रहने की, नहाने की, धोने की व्यवस्था की जा रही है। अभी मेरे ठीक सामने अशोक तंवर साहब बैठे हैं, एलनाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर और एस.पी. साहब ने उनको धमकाया, वे कई सालों से वहां एलनाबाद में रह रहे थे तो वहां पर एक लोक सीमांत संगठन के हिन्दू सिंह सोढ़ा हैं, उन्होंने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप यहां जोधपुर आ जाइये। एलनाबाद से भी 100-125 लोग जोधपुर में बैठे हैं, वहां शरण लिए हुए हैं। जब कोई प्राइवेट आदमी शरण दे रह है, वहां प्राइवेटली जोधपुर के लोग उनको शरण देने के लिए मैनेज कर रहे हैं तो भारत सरकार उन लोगों को शरण क्यों नहीं दे सकती, मेरा यक्ष प्रश्न, सभापित जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से है। *[अनुवाद]* आप इसे क्यों नहीं कर सकते है जबकि लोग निजी तौर पर इसे कर रहे हैं?

[हिन्दी]

मंत्री जी, यह कोई साधारण इश्यू नहीं है, यह बहुत गम्भीर विषय है। मेरा यह कहना है कि आप पांच बिन्दुओं के बारे में तो कम से कम मुझे आश्वासन तो देते, आपनेक मेरे से अपील कर दी कि आप इसको विथड्रा करियें कभी-कभी सरकार को यह सोचना चाहिए कि जब कोई गम्भीर विषय एक प्राइवेट रैजोल्यूशन के नाते कोई एक मैम्बर लाता है तो सरकार को गम्भीरता से उस पर विचार करना चाहिए। आपने अपने जवाब में कहा, हम यह क्या मांग रहे हैं, हम चार-पांच चीजें मांग रहे हैं कि इनको शरणार्थी का दर्जा दे दिया जायें। आप उनको रिफ्यूजी स्टेटस क्यों नहीं दे सकते, *[अनुवाद]* मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। *[हिन्दी]* वे लोग अनडिवाइडिड फैमिली के

[श्री अर्जुन राम मेघवाल]

ही लोग हैं और वे डिवाइड होने के बाद वहां चले गये या वहां रह गए। उनके पुरखे देखोगे तो उनके पुरखों की यहां जमीनें हैं। गोपाल सिंह जी शेखावत मेरे साथी हैं, यहां बैठे हैं, इनके कई रिलेटिव मुझे ओसियां में मिले थे, उन्होंने कहा कि ये चारण समाज के लोग वहां चले गये, उनके दादा यहां रहते थे। आप अगर रेवेन्यू रिकार्ड देखोगे तो इनके दादा और उनके दादा मेल खाते हैं। फिर आप उनको रिफ्यूजी स्टेटस क्यों नहीं दे सकते? मेरा आपसे कहना है कि उनको शरणार्थी का दर्जा क्यों नहीं दे सकते, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया।

दूसरा मेरा यह पाइंट था कि सिटीज़नशिप क्यों नहीं दे सकते, वे वहां नहीं जाना चाहते। मंत्री जी, आपको पता है, मैंने प्रयास किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां गये, मैं यहां इस मंच से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां गये और कांग्रेस पार्टी के लोग भी वहां गये। उन्होंने सब ने समझाया, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि, हमारी बहन-बेटी वहां सुरक्षित नहीं हैं। हम पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। अगर वे नहीं जाएंगे, तो क्या जीने का अधिकार उन्हें नहीं मिलेगा? क्या हम जबरदस्ती उन्हें वहां भेजेंगे कि आप मरने के लिए पाकिस्तान जाइए?

महोदय, यह बात ठीक नहीं है। जब मैं उनसे जाकर मिला तो बहुत मार्मिक पीड़ा होती है, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। ये जो एलनाबाद से आये हैं, उनके तो साथ में बच्चे हैं, उनको एलनाबाद से खदेड़ दिया गया, अगर जोधपुर वाले सुरक्षा करने वाले नहीं हो, शरणार्थी शिविर चलाने वाले नहीं हों तो वे कहां जायेंगे? मेरी दूसरी बात यह थी कि आप उन्हें नागरिकता क्यों नहीं दे सकते और यह अधिकार आप डी.एम. को क्यों नहीं दे सकते? आपने कहा कि वर्ष 2004 से वर्ष 2007 तक हमने डी.एम. को अधिकार दिया था, तो आपने इसकी प्रक्रिया को इतना जटिल क्यों रखा? अब तक कुछ नागरिकताएं मिली हैं, तो कुछ और भी ले लेते। अब ये जो लोग आये हैं, ज्यादातर रिंकल केस के बाद आये हैं। यह जो रिंकल केस हुआ, उससे आए हैं, ये हमने नहीं बुलाये हैं। आप यह समझ रहे होंगे कि हम उन्हें बुला रहे होंगे, नहीं। रिंकल केस के बाद एक वातावरण बना, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट संगठन सक्रिय हुए और पाकिस्तान में माइनेरिटीज, जो हिन्दू वहां रह रहे हैं और ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ हिन्दू परेशान है, वहां पारसी भी परेशान है, वहां ईसाई भी परेशान है। मंत्री जी, वहां ईसाई भी परेशान है।...*(व्यवधान)* जितने भी पाकिस्तान में माइनेरिटीज हैं, वे सब परेशान हैं। ...*(व्यवधान)* सतपाल महाराज जी आप सही कह रहे हैं, मैंने तो पहले ही बोला है कि वहां क्रिश्चन भी परेशान हैं।...*(व्यवधान)* जोशी जी, मुस्लिम कम परेशान हैं।...*(व्यवधान)* यादव साहब, आप तो राजस्थान के प्रभारी हो, आप एक बार जोधपुर जाकर तो देखो कि उनकी हालत क्या है? ज्योति जी, शायद आप तो जोधपुर गये होंगे...*(व्यवधान)* नहीं, नहीं, बाकी लोग इतने परेशान नहीं हैं, ये वाकई में बहुत परेशान है और इनकी परेशानी हमें मानवीय आधार पर हल करनी चाहिए। मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि इसकी पॉवर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं दे सकते? आपकी मिनिस्ट्र ऑफ होम अफेयर्स के लोग कहते हैं कि नो, नो वी कैन नॉट डेलिगेट इट, क्यों भाई? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहले नागरिकता देते थे। जो एम.एच.ए. ने रूल्स और रेग्युलेशन बनाये हैं, ये उसी के तहत तो देंगे। एम.एच.ए. रूल बनाता है तो बन्दूक का लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता है, वह बन्दूक लेकर किसी को मार भी सकता है, फिर भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर आप रिलाई करते हो। नागरिकता देने की पॉवर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं दे सकते, नागरिकता देने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पॉवर क्यों नहीं दे सकते? मेरा यह कहना है। आप कर रहके हैं कि हमने वर्ष 2004 में दिया गया, वर्ष 2007 में दिया, अब नहीं देंगे, इसका आपने कोई आश्वासन नहीं दिया।

आपने फीस बढ़ायी। आपने फीस किसके लिए बढ़ायी? ये पाकिस्तान में भागे हुए लोग हैं। ये जबरदस्ती यहां आ गये या कोई आतंकवादी हैं, कोई अनरेस्ट फैलपा रहे हैं या कोई अव्यवस्था फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है।...*(व्यवधान)* वे बढ़ी हुई फीस नहीं दे सकते हैं। ये अधिकतर वीकर सैक्शन ऑफ दी सोसायटी के लोग हैं। अब जो वहां पाकिस्तान में रह गये

हैं, ये वह लोग हैं। आपने बहुत फीस बढ़ा दी है। यह सुझाव, सलाह आपको किसने दी? आप कम से कम फीस तो वापस ले लो, जो पुरानी फीस है, उसमें बात कर लो। आज अगर एक फैमिली में पांच लोग हैं, तो उनको लाख, सवा लाख रूपये फीस देनी पड़ती है, उनके पास फीस नहीं है। मैं उनसे मिला था कि आपको इस फीस में क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि हम तो वैसे ही बेघर है, हमारे पास कोई घ्र नहीं है। हम अगर नागरिकता भी लेने जाये डेढ़ लाख रूपये कहा से लायेंगे तो हम फार्म भी नहीं भर सकते। मंत्री जी, आप थोड़ा मानवीय आधार पर सोचिये। मंत्री जी आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं एक बार आपसे मिला हूं, आपमें मानवीय आधार पर सैंसिबल सोच है तो फिर आप इस मामले में क्यों नहीं सोच रहे हो? आपको किसी ने ऐसा कह दिया है कि ऐसा मत सोचो तो आप ज्यादा उन डिपेंड मत रहो, आपको अपने विवेके के आधार पर निर्णय करो। अभी इन्होंने क्या किया, जब यह बिन्दु हमने यहां उठाया, इसके बाद इस्लामाबाद में एक एक्शन हुआ। क्या हुआ, भारतीय दूतावास, यह तो आपका ही है, विदेश मंत्रालय के लोग यहां बैठे होंगे...*(व्यवधान)* यह सरकार का है, मेरा तो है ही, सबका है। मैंने गलती मान ली है, इनको नागरिकता दिला दो तो आप जो कहोंगे, वह हम मानेंगे।...*(व्यवधान)* यहां इज्याज सिंह जी भी बैठे हैं, आप जो कहेंगे, हम उसे मानेंगे। मैं कह रहा हूं कि इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास वीजा नहीं दे रहा है। अब जो लोग आ रहे हैं, उन्हें वीजा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बहुत जटिलताएं पैदा कर दी हैं। डिवाइडेड फैमिली में अगर कोई मेंबर मर जाता है तो भी उन्हें वीजा नहीं देते हैं। कुछ डिवाइडेड फैमिली हो गई, कोई यहां रह गया, कोई पाकिस्तान चला गया। अब कोई कहता है कि मेरे फादर की मृत्यु हो गयी, अपना वह जो भारतीय दूतावास का आदमी है, वह यह कहता है कि किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर लाओ कि आपके फादर की डेथ हो गयी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आप क्या आदेश जारी कराते हैं? वह आदमी कहां से लाएगा? गजटेड ऑफिसर से वेरिफाई कराने के लिए, आप इस तरह की जटिलताएं पैदा मत करिए। जब हम ने यह विषय उठाया तो आपने एक और जटिलता पैदा कर दी। लोग जोधपुर में ही परेशान नहीं हैं बल्कि ऐलनाबाद और इंदौर में भी लोग परेशान है। आपने गुजरात में लांग टर्म वीजा की बात कही, उनकी रोजगार की बात कही। अभी-अभी जोधपुर में एक केस आया, बद्री जी यहां बैठे हैं वे जानते हैं सनलाइट हॉस्पिटल में सिंध से स्टडी किए हुए कुछ डॉक्टर्स काम करते थे उनको निकाल दिया गया। उनको बोला गया कि आप लोग तो पाकिस्तानी हैं। वे आप के पास भी आए होंगे। ये हमारे सब साथी हमारे समर्थन के लिए बैठे हैं। ये हमारे अगेनस्ट में नहीं है। हमारे साथी हमारे समर्थन में वोट करेंगे।...*(व्यवधान)* अभी मंत्री जी ने जे. एंड के. के एक विषय में कहा कि वहां के उस समय के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप जम्मू-कश्मीर में रहिए। हम आपको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। जो जम्मू-कश्मीर से पंजाब आ गए, वे इस देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मंत्री जी जो जम्मु-कश्मीर में रह गए उनकी क्या गतली है। आप उनको दो एकड़ लैंड दे रहे हैं। 65 साल में उनकी फैमिली बड़ी हो गई तो वे दो एकड़ लैंड में क्या करेंगे? आपकी क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत उनको लोन भी नहीं मिलता है, वे नागरिक नहीं है। आप कौन सी स्कीम के तहत उनको लोन दे रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। वे नागरिक नहीं हैं। हमारा यह कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं रूथी। उस समय के मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग यहां रहिए, आप को सारी सुविधाएं देंगे। वे बेचारे वहां रह गए। लाल सिंह चौधरी यहां नहीं हैं वे कहते हैं कि वे एम.पी. के चुनाव में तो वोट दे सकता है, लेकिन वे एम. एल.ए. के चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। वे चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, वोड डाल नहीं सकते हैं, ऐसी काहे कि नागरिकता है? अगर धारा 370 आड़े आती है तो इसमें भी संशोधन करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* सतपाल महाराज जी कह रहे हैं कि वे निकाय के चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। हमारे सभी साथी सदन में मेरे साथ हैं। सभापति महोदया, आप भी मेरे साथ हैं, मंत्री जी भी साथ हैं तो यह संकल्प क्यों नहीं पास हो रहा है? मेरा यह यक्ष प्रश्न आप के माध्यम से है।

सभापति महोदया : क्या आप यह विद्ड्रा कर रहे हैं?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मंत्री जी कुछ आश्वासन देंगे, तभी विद्ड्रा करूंगा।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मेघवाल जी, ये सभ मुद्दे जिन्हें आपने अभी उठाया है, वस्तुत: आपने इन्हें उस दिन भी उठाया था जब आपने संकल्प प्रस्तुत किया था। मैंने अपने उत्तर में इन सभी मुद्दों को कवर किया है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : आपने इन्हें कवर तो किया है परन्तु आपने मुझे आश्वासन नहीं दिया है।

श्री मुल्लापल्ली राम चन्द्रन : मैं आपको क्या आश्वासन दे सकता हूं?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं उनके लिए शरणार्थी के दर्जे की मांग करता हूं। क्या आप उन्हें शरणार्थी का दर्जा देंगे?

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : इस समय हम इस मुद्दे पर विल्कुल विचार नहीं कर सकते।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : नागरिकता के बारे में आपकी क्या कार्य योजना है?

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : नागरिकता के बारे में बिल्कुल ही कोई समस्या नहीं है। मैंने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या संबंधित ज़िला के जिला मैजिस्ट्रेट को यह शक्ति आप दे सकते हैं?

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : इस समय पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता से संबंधित कोई समस्या नहीं है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : आपको मुझे कुछ आवश्वासन देना पड़ेगा।

[हिन्दी]

सतपाल महाराज जी, कह रहे हैं कि मैं मंत्री होता तो यह दे देता...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : यदि आपकी कोई विशिष्ट समस्या हो तो आप मुझे बता सकते है। मैं उस पर विचार करूंगा। मैं इसे ठीक करूंगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : यह कोई विशिष्ट समस्या नहीं है, यह आम समस्या है मेरा प्रश्न यह है कि आप पाकिस्तान से आने वाले पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को शरणार्थी का दर्जा नहीं दे रहे हैं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : हम शरणार्थी का दर्जा नहीं दे सकते।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : आप नागरिकता नहीं दे रहे हैं। आप नागरिकता दे रहे हैं लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है।

सभापति महोदया : आप उनसे केवल वापस लेने का अनुरोध कीजिए।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मेघवाल जी, पूरी विनम्रता के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना 'संकल्प' वापस ले लिजिए।

सभापति महोदया : क्या आप संकल्प वापस ले रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मंत्री जी आप कुछ तो आश्वासन दीजिए तो मैं यह विद्ड्रा कर लूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं इसे विद्ड्र कर सकता हूं लेकिन मेरी आत्मा यह एलाउ नहीं कर रही है इसलिए मैं अपनी आत्मा के अनुसार सदन में आचरण करूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : प्रश्न यह है

''पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं

को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही है सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समयबद्ध कार्य-योजना तैयार करे।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अपराह्न 4.35 बजे

(दो) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर नियंत्रण रखने हेतु कदम

[अनुवाद]

सभापति महोदया : सभा अब मद संख्या 17, अर्थात आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए कदम पर चर्चा देंगे।

श्री महेन्द्र कुमार राय :

श्री महेन्द्र कुमार राय (जलपाइगुडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा मुद्रास्फीति की दर से निरन्तर वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में परिणामस्वरूप वृद्धि पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है तथा सरकार से आग्रह करती है कि वह आवश्यक वस्तुओं के बढ़ रहे मूल्यों पर नियंत्रण रखने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और उसे सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए।''

अपराह्न 4.36 बजे

[**श्री इन्दर सिंह नामधारी** *पीठासीन हुए*]

***श्री महेन्द्र कुमार राय :** इस सम्माननीय सभा में आज अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे अनुमति प्रदान करने हेतु आरदणीय सभापति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। भारत को आजादी प्राप्त किए हुए 65 वर्ष हो गए हैं लेकिन देश अभी भुखमरी, गरीबी और कुपोषण से अभिशप्त हैं। हम जानते हैं कि भुखमरी के शिकार एक चौथाई से अधिक लोग भारत में रहते हैं। क्या हमें अपना वांछित लक्ष्य प्राप्त हो गया है? आजादी के इतने वर्षों के बाद भी 70 प्रतिशत आबादी 20 रूपए प्रतिदिन भी व्यय नहीं कर सकते? राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991 से 2011 तक 2,90,740 किसानों ने आत्महत्या क्यों कर ली हैं? 78% आबादी भोजना, उपचार और आवास से वंचित है। आज मुद्रास्फीर्ति की दर 6.84% (फरवरी 2013 तक) है। हम कहां जा रहे हैं यह कैसा देश है? स्वभावत: ये सवाल हमें परेशान करते हैं। आज ज्वलंत समस्या मूल्य वृद्धि विशेषकर आवश्यक वस्तुओं की है। महंगाई आसमान छू रही है। सरकार उदासीन है। इस मूल्य वृद्धि के पीछे क्या कारण है। 90के दशक में जब सरकार के नवउदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाई तो इससे मूल्यों में वृद्धि आरम्भ हुई। इसलिए यह आर्थिक नीति इस प्रकार की अनियंत्रित मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। संप्रग सरकार की मुख्य विशेषता सभी आवश्यक वस्तुओं का मूल्य वृद्धि है। आम आदमी इसके कारण भारी समस्या का सामना कर रहा है। सरकार अपनी भूमिका रूपी ढ़ंग से नहीं अदा कर रही है और स्थितियां से निपटने के कुछ भी नहीं कर रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न और 14 अन्य आवश्यक वस्तुओं का देशवासियों में वितरण किया जा सकता है। लेकिन केन्द्रीय सरकार इस दिशा में कुछ भी नहीं कर रही है। वस्तुत: सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास कर रही है।

दूसरी बात यह है कि वायदा व्यापार में वस्तुओं को सम्मिलित किये जाने की जो अनुमति दी गई है उसे शीघ्र ही प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। लंबित सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बजाए यह हास्यास्पक्ष औचित्या का सहारा ले रही है। और सरकार कहती हैं कि महंगाई में वृद्धि हो रही है क्योंकि किसानों को दिया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ गया है या लोगों की क्रम शक्ति बढ़ गई है। यह आम आमदी की दुर्दशा पर मद्दा मजाक है। ये ओचित्य लोगों को धोखा देने का शर्मनाक दृष्टांत है। वर्ष 2011 में धान का

---

*मूलत: बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपातंरण।

[श्री महेन्द्र कुमार राय]

न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1080 रूपए था लेकिन खुले बाजार में मूल्य 24 रूपए से अधिक था। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1120 रूपए था जबकि खेले बाजार में यह 20 रूपये से अधिक था। जब दल्हनों का मूल्य खुले बाजार में 60 रूपए से 100 रूपए था। तब न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल 30 रू. था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घटाकर यह तक दिया कि चूकि लोगों की आय आर्थिक विकास के कारण बढ़ी है। इसलिए इसके मूल्य में भी वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि यह अस्वीकार्य है। आर्थिक विकास से कौन लाभान्वित हो रहा है? कार्पोटेट या बड़े उद्योगपति कामगार और श्रमिक अभी भी इसी मुश्किल में हैं। सरकार की नीतियों के कारण कल कारखाने बंद हो रहे हैं, लाखों कामगार बेरोजगार हो रहे हैं। एक ओर विकास हो रहा है तो दूसरी ओर ठेके मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। उनका पारिश्रमिक कम है और उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है। 947 श्रमिक असंगठित क्षेत्र से हैं। लेकिन सरकार उनकी सहायता के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो वर्ष 2013 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। विश्व के कई संगठन इस संबंध में हमें सावधान कर चुके हैं। लेकिन भारत सरकार अभी भी विचलित नहीं है। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने संसदय के संयुक्त सत्र में अपने संबोधन में महंगाई के मुद्दे का जिक्र किया और यह हल्की टिप्पणी की कि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे घट रही है लेकिन यह अभी भी एक समस्या है और इस मामले में केवल इतना ही उल्लेख किया गया है। विश्व बैंक खाद्यान्न की बढ़ती लागत की वास्तविकता को स्वीकार करता है और वे चेतावनी जारी कर रहे हैं। खाद्य और कृषि संगठन कहता है कि यद्यपि खाद्यान्नों की मुद्रास्फीर्ति की दर वर्ष 2012 के अंत तक कम हो चुकी है लेकिन हाल के दिनों में यह सर्वाधिक थी। दालों का भंडारण भी बहुत ज्यादा आशाजनक नहीं है। भूमि प्रकृति बदल रही है। कृषि पर सरकार का निवेश कम हुआ है और सट्टेबाजी से जुड़े व्यापार में वृद्धि हुई है यह भारत के साथ-साथ अन्य विकसित देशों में भी है। भूमि की प्रवृत्ति पूरे विश्व में बदल रही है। अमेरिका, एण्ड यूके आदि में गेहूं के उत्पादन में सूखे के कारण कमी आई है। इसलिए खाद्यान्नों की लागत बढ़ रही है। दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप में जैव-ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भूमि प्रकृति में बदलाव आ रहा है। पूंजपति लोग जैव-ईंधन हेतु अफ्रीकी देशों में जमीन खरीद रही है। इसरो पूरे विश्व में खाद्य संकट और गहराएगा। भूमि में फसलों से जैव-ईंधन पैदा करने के लिए बदलाव किया जा रहा है। यह वास्तव में में बहुत बड़ी समस्या है।

सरकार सट्टेबाजी व्यापार को रोकने में अक्षम है। वायदा व्यापार केवल हमारे देश में खाद्यान्नों का अमान पैदा करेगा। यह प्रवृत्ति वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्यान्नों की आसमान छुती कीमतों के पीछे एक बड़ा कारण था। विभिन्न रिपोर्टें दर्शाती है कि किसी विशेष बैंक ने गेहूं, मक्का आदि में वर्ष 2012 में सट्टेबाजी बाजार में 54 करोड़ से 80 लाख डालर का मुनाफा कमाया है। गोल्डमैन क्षेत्र 40 करोड़ डालर का लाभ कमाया था। रिपोर्ट कहती है कि 400 बिलियन डालर से अधिक सट्टेबाजी से अर्जित किया गया है जो वास्तव में वास्तविक उत्पादन से 20 से 30 गुना अधिक है।

भारत में क्या तस्वीर है? सरकार सदैव अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का बहाना बनाती है। वास्तव में कारण बिल्कुल आवंटित है। ब्रिक्स देशों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दर्शाता हैं कि भारत में मुद्रास्फीर्ति की दर अस्पष्ट रूप से 11.17% रही है। चीन में यह दर 1.9% जो कि कम है, दक्षिण अफ्रीका में यह 5.75% है; ब्राजील में यह 6.15% है; रूस में यह 6.54% है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 और 2012-13 में खाद्यान्नों का थोक मूल्य सूचकांक बढ़कर 11.88% हो गया है। खाद्यान्नों का मूल्य बढ़कर 18% सब्जियों का बढ़कर 28.9%, दालों का बढ़कर 19% चीनी का बढ़कर 13% हो गया है और यह थोक दर है तथा यह खुदरा बाजार में बहुत अधिक है। चीनी के विनियंत्रण से चीनी के मूल्य में और अधिक होगी। पेट्रोल और डीजल के विनियंत्रण मुद्रा स्फीर्ति बढ़ेगी। वर्ष 2009 में जब संप्रगना सत्ता में आई थी तब से पेट्रोल के मूल्य में 19 बार वृद्धि हुई है। पेट्रोल के मूल्य में 120% और डीजल के मूल्य में 67% तक वृद्धि की गई।

25 आवश्यक वस्तुओं को वायदा कारोबार के दायरे में लाने की अनुमति दी गई है। इनमें गेहूं, चीनी, अनाज, खाद्य तेल सरसों के बीज, कुछ मसाले, आलू और प्याज सम्मिलित हैं। खाद्य सामग्रियों को इस सूची से तत्काल हटाया जाना चाहिए। भारी खाद्य संकट गहराता जा रहा है। अत: खाद्य वस्तुओं की सट्टेबाजी नहीं की जानी चाहिए। सरकार पर चावल के वायदा कारोबार से प्रतिबंध हटाने का भी दबाव है। सरकार को इस दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लेख है कि दिनांक 1 फरवरी 2013 तक देश में 6.62 करोड़ टन खाद्यान्न का स्टॉक है। यह लक्ष्य का तिगुना है जो कि केवल 2 करोड़ टन था। गेहूं 3.07 करोड़ टन है चावल 3.53 करोड़ टन है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आसन्न वैश्विक खाद्य संकट के दृष्टिगत भारत सरकार पर दबाव बना रही हैं। वे आपसे भंडारित खाद्यान्नों का खुलकर निर्यात करने के लिए कह रही हैं। सभी बड़ी कार्पोरेट कंपनियां, उद्योगपति सरकार को बाध्य करने का प्रयास कर रहे है। वर्ष 2012 में खाद्यान्नों के निर्यात से 11,80,000 करोड़ रूपये प्राप्त हुए। निर्यात की दर 1800 से 2000 रूपये प्रति क्विंटल थी और किसानों के किस दर पर राजसहायता का भुगतान किया गया था? मात्र 1285 रूपये प्रति क्विंटल। आज किसानों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है जबकि व्यापारी भारी मुनाफा कमा रह हैं। ऐसा तब है जब विश्व के एक चौथाई भूख लोग भारत में रह रहे हैं। वे भुखमरी और कुपोषण से पीड़ित हैं और वे दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं। अत:, हमारी मांग है कि जनता के बीच पी.डी.एस. के माध्यम से खाद्यान्नों का विवरण किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक परिवार को 2 रूपये/कि.ग्रा. की दर से कम से कम 35 कि.ग्रा. अनाज मिल सके। ए.पी.एल.-बी.पी.एल. के अंतर को दूर किया जाना चाहिए और सभी परिवारों को खाद्यान्नों के उपलब्ध स्टॉक से सस्ती दर पर 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न दिया जाना चाहिए हम जानते हैं कि गेहूं और धान भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में सड़ रहे हैं; स्टॉक को चूहे खा रहे हैं यद्यपि उच्च न्यायालय ने सरकार को इस स्टाक को गरीब लोगों में वितरित करने का निदेश दिया है तथापि सरकार ने ऐसा करने में कोई इच्छा नहीं दिखाई है। खाद्यन्नों की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोका जा सकता है यदि इस 6 करोड़ टन अनाज को पी.डी.एस. के माध्यम से वितरित किया जाएं खाद्यान्नों का अत्यधिक निर्यात हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है। सरकार मूल्य वृद्धि के प्रति पूर्णत: उदासीन है।

ईंधन के मूल्य में वृद्धि अन्य सभी वस्तुओं के मूल्यों में तेज वृद्धि का मुख्य कारण है। पेट्रोल के मूल्य को पहले ही नियंत्रनमुक्त किया जा चुका है जबकि डीजल के मूल्य को नियंत्रण मुक्त करने के लिए केलकर समिति की सिफारिश को भी निकट भविष्य में कार्यान्वित कर दिया जाएगा अत: ईंधन के मूल्य वियार्मित रूप से बढ़ते जा रहे हैं। इस बजट सत्र के शुरू होने से ठीक पहले वृद्धि की गई थी। सरकार का ईंधन के मूल्य नियंत्रित करने चाहिए और नियंत्रण मुक्त करने की नीति समाप्त कर देनी चाहिए। सरकार को डीजल और पेट्रोल के मूल्यों को निर्धारित करना चाहिए। सरकार द्वारा ईंधन पर उपकर से अवैध रूप से 1 लाख करोड़ रूपये से अधिक अर्जित किए जाते हैं यदि यह ईंधन के मूल्य को नियंत्रित करे तो यह कर घट जाएगा, जिससे परिवहन लागत और सभी वस्तुओं की लागत घटेगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सर्वव्यापीकरण किया जानाा चाहिए। जमाखोरी और इससे संबंधित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कदम उठाएं जाने चाहिए। कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। बीजों, उर्वरकों कीटनाशकों पर राजसहायता में भी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि खाद्य उत्पादन बढ़े। श्रमिकों की छंटनी पर रोक लगाई जानी चाहिए। एक तरफ हम यह देखते हैं कि हमारे देश में अरबपति व्यापारियों की संख्या बढ़ रही है जबकि दूसरी तरफ छंटनी किए गए श्रमिकों की संख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। अत: वामपंथी हमारा दल भाकपा (भा) मांग करती है कि कर्मकार की न्यूनतम मजदूरी 10,000/- रूपये प्रतिमाह होनी चाहिए। कर्मकार आंदोलन कर रहे है; बैठक कर रहे हैं जबसे और यात्राएं अयोजित की जा रही हैं। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।

हम आधार कार्डों के माध्यम से बी.पी.एल. परिवारों के राजसहायता के भुगतान का भी विरोध करते हैं। इस मनोरथ पूरा नहीं होगा हम जानते हैं कि 70 प्रतिशत जनसंख्या प्रतिदिन केवल 20 अथवा उस कम रूपये खर्च कर सकती है। अत: ए.पी.एल. के अंत को दूर किया जाना चाहिए और उन्हें पी.

[श्री महेन्द्र कुमार राय]

डी.एस. के एक ही दायरे में लाया जाना चाहिए। यह अति आवश्यक है। इस सभा में बजट पारित किया जा चुका है। यदि हम बजट का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि वर्ष 2009-10 में वायदा कारोबार 12,17949 करोड़ रूपये का था जो वर्ष 2010 में बढ़कर 14,56,390 करोड़ रूपये हो गया था इस वर्ष के बजट में फार्वर्ड ट्रेडिंग को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया क्या है और सरकार इस मुद्दे पर मौन बनी हुई है। वर्ष 2012-13 के अशोधित प्राक्कलन आवश्यक वस्तुओं पर राजसहायता राशि 96,880 करोड़ थी। इस बजट में यह राशि घटाकर 65000 करोड़ कर दी गई है। माननीय मंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि डीजल के मूल्य को बाजार द्वारा निर्धारित करने की भी अनुमति दी जाएगी। वर्ष 2012-13 के संशोधित प्राक्कलन के अनुसार खाद्य राजसहायता 85,000 करोड़ थी; इसमें मामूली से वृद्धि करके इसे इस वर्ष 90000 करोड़ रूपये कर दिया गया है। हमारी मांग है कि इसमें और वृद्धि की जानी चाहिए। यदि हम प्रत्येक परिवार को 2 रूपये प्रति कि.ग्रा. की दर से 35 कि.ग्रा. अनाज प्रतिमाह देना चाहते हैं तो हमे 9 करोड़ टन खाद्यान्न और 73,500 करोड़ की राजसहायता की आवश्यकता होगी। अत: 45000 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। अत: यदि हम 135,000 करोड़ खर्च करने में समर्थ है तो हम प्रत्येक परिवार को 2 रूपये प्रति कि.ग्रा. की दर से 35 किलों खाद्यान्न देने की स्थिति में होगा। इस बजट में खाद्य सुरक्षा हेतु मात्र 10,000 करोड़ रूपये निर्धारित किए मात्र है जो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है।

कृषि व्यय में प्रतिवर्ष कमी आ रही है। वर्ष 2011-12 में खाद्यान्न उत्पादन की मात्रा 25 करोड़ 93 लाख टन थी। वर्ष 2012-13 में यह घटकर 25 करोड़ 1 लाख टन रह गई। प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता भी घट रही है। वर्ष 1991 में यह 510 ग्राम थी जो वर्ष 2011 में घटकर 463 ग्राम हो गई। बजट में प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता में वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है। वर्ष 2012 में मनरेगा हेतु आबंटिन राशि 31,000 करोड़ रूपए थी वर्ष 2013 में इस मात्र 2000 करोड़ बढ़ाकर 33,000 करोड़ रूपए किया गया था आज जनता के लाभ हेतु इससे और वृद्धि की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में नरेगा परियोजनाओं में अत्यंत भ्रष्टाचार है। लोगों को उनकी देय राशि नहीं मिल रही है। वर्ष 2012-13 में ग्रामीण विकास विभाग हेतु आबंटन 76,376 करोड़ था जो संशोधित प्राक्कलन में 55000 करोड़ रूपये था जबकि इस वर्ष के बजट में यह 80,194 करोड़ रूपए पर निर्धारित किया गया है। वर्ष 2011-12 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए 61,427 करोड़ रूपए आबंटित किए गए थे; (संशोधित अनुमान 56,223 करोड़ रुपए था)। इस महत्वपूर्ण विभाग के लिए बजट में सिर्फ 65,869 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है। वर्ष 2013-14 के बजट में कुल बजटीय आबंटन 16,65,297 करोड़ रूपए है जबकि योजना परिव्यय 5,55,322 करोड़ रुपए है। अत: यह बजट दिशाहीन है; इसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोई बात नहीं कही गयी है।

अत: यह गलत संकेत है। जबसे हमे स्वतंत्रता मिली है गठित की गई विभिन्न समितियों ने उल्लेख किया है कि मुद्रास्फीति की दर 3% - 4% से अधिक नहीं होनी चाहिएं। लेकिन हमने देखा है कि यह 6% अथवा कभी-कभी 7% तक चला गया है। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जहां एक तरफ करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ कामगारों एवं आम लोगों की आय धीरे-धीरे कम होती जा रही है। लोग तेजी से बेराजगार हो रहे हैं। आउटसोर्सिंग एक नई सनक है। उद्योगपति एवं कॉर्पोरेट घराने और अमीर हो रहे हैं जबकि गरीब लोग और गरीब वे दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। विकास अभी भी दुर्भाग्यशाली लोगों से दूर है। इस संकट से उबरने के लिए सरकार को पर्याप्त उपाय करने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह चर्चा शुरू करने का अवसर देने के लिए मैं आपके प्रति पुन: आभार प्रकट करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

''कि यह सभा मुद्रास्फीति की दर में निरन्तर वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में परिणामस्वरूप वृद्धि पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है तथा सरकार से आग्रह करती है कि वह आवश्यक वस्तुओं के बढ़ रहे मूल्यों पर नियंत्रण रखने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और उसे सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए।''

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा) : सभापति महोदय, जो महेन्द्र कुमार राय जी प्रस्ताव लेकर आए हैं कि मुद्रास्फीति की दर से निरन्तर वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप वृद्धि पर उन्होंने अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है और सरकार से आग्रह किया है कि वह आवश्यक वस्तुओं को बढ़े हुए मूल्यों पर नियंत्रण रख तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने हेतु आवश्यक कदम उठाए, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं। मैं महेन्द्र कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि वह बहुत अच्छा विषय लेकर आए हैं।

आज़ादी केपहले हमारी जब परिस्थिति खराब थी तो हम सोचते थे कि हम गुलाम हैं और अंग्रेज ही हमारी इस खराब परिस्थिति के लिए जिम्मेवार हैं तथा इसके कारण ही हमारा विकास नहीं हो रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद हम ही शासक हो गये और हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे देश का सर्वांगीण विकास होगा और सभी लोगों का विकास होगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज आज़ादी के 65 सालों के बाद भी परिस्थिति बिल्कुल निराशाजनक है। हमारे हिन्दुस्तान में दो हिन्दुस्तान का जन्म हुआ है। एक अमीर भारत और एक गरीब भारत। एक ऐसा भारत है जहां ढ़ाई हजार की डिश भी लोग खा सकते हैं और एक लाख रुपये की टाई भी पहन सकते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिनके अपने बूट की डोरी भी चांदी की होता है लेकिन दूसरी ओर पांच करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें रात का भोजन भी नसीब नहीं होता है और वे रात को भूखे सोते हैं। इस तरह से बिल्कुल विषम परिस्थिति है।

हमारी जो कल्पना थी और राम राज्य आएगा, कल्याण राज्य आएगा और देश में हर कोई सुखी होगा। ऐसा आज परिस्थिति नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा विषय लेकर आए हैं और मैं कहना चाहता हूं कि जब मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती है तब महंगाई बढ़ती है। पिछले तीन-चार महीनों में अगर देखें तो मुद्रास्फीति की डब्ल्यू.पी.आई. कम हो रही है और सी.पी.आई. बढ़ रही है। खाद्यान्नों के भाव भी बढ़ रहे हैं। आज सामान्य लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है। वे दो समय का भोजन भी कहां से लाएं? यह उनके लिए एक गंभीर समस्या हो गई है।

अब मैं किसानों के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे देश में ज्यादातर 70 प्रतिशत किसान हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। आज किसान इतना दुखी है कि वह पैदावार करता है, उसे कई बार उसका लागत मूल्य भी नहीं मिलता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि वहां टमाटर की खूब खेती होती है। जब मैं गया तो उन्होंने बताया कि हमसे एक रुपये किलो में टमाटर मांगते हैं उन्होंने जो टमाटर थे, वे पशुओं को खिला दिए और अखबार में फोटो की भी आई थी यदि किसान वहां से बाजार में अपनी उपल लेकर जाएं तो उन्हें काफी महंगा पड़ता है। इसलिए एक तरफ ऐसी स्थिति है और दूसरी ओर दिल्ली में 30 रुपये किलो टमाटर बिकते हैं। जो उत्पादन करता है, उसको सही मूल्य नहीं मिलता है।

अब मैं बी.पी.एल. के बारे में बात करना चाहूंगा। बी.पी.एल. में इतनी गलत नीतियां हैं कि जो सही यानी वास्तव में गरीब लोग हैं, वे बी.पी.एल. से बाहर हैं और जो गरीब नहीं हैं जिनके पास अच्छे साधन हैं, वे बी.पी.एल. की कैटेगरी में हैं। हम जब अपने क्षेत्र का दौरान करते हैं तो वहीं एक फरियाद हमें हर जगह से मिलती है कि सर, हम गरीब हैं लेकिन हमारी नीति ऐसी है कि अगर किसी के घर में एक बल्ब जलता हो या उस व्यक्ति के घर में कोई दीवार सीमेंट की हो या उसके घर में अगर एक 200 रुपये का सैकेंड हैंड पंखा हो जो मच्छरों को भगाने के लिए उसने ले रखा है और जो बहुत सही हालत में नहीं है तो वह भी अगर उसके पास होगा तो वह बी.पी.एल. की कैटेगरी में नहीं आएगा। यह कितनी गलत नीति है? अगर किसी के पास ये सब चीजें हैं तो क्या वह पैसे वाला व्यक्ति कहलाएगा? गलत नीतियों के कारण जो वास्तव में गरीब लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति में खेड़े गरीब लोग हैं, वे इस श्रेणी में नहीं आते और उनको जो लाभ मिलना चाहिए, वह उनको नहीं मिल रहा है। चाहे बी.पी.एल. या ए.पी.एल. हों, गरबों का राशन प्रति मास मिलना चाहिए। पी.डी.एस. की सार्वजनिक प्रणाली में गड़बड़ी मिलती है। कई बार अनाज बाहर से ही बाजार में बिक जाता है, जिनके पास पहुंचना चाहिए, वहां नहीं पहुंचता है। इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पी.डी.एस. सिस्टम कम्प्यूटराइज्ड है। यहां बहुत

[श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण]

अच्छा काम किया गया है। जब यहां के मुख्यमंत्री जी ने विवरण दिया तो पता चला कि यहां यहां अच्छा काम हो रहा है। पूरे देश में वितरण प्रणाली में सुधार लाया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

महोदय, कुपोषण की समस्या काफी बढ़ी है। आज ज्यादातर महिलाएं एनीमिक हैं, बच्चे कुपोषित हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है, राष्ट्र के लिए कलंक की बात है। आजादी के 65 सालों बाद बच्चे कुपोषित हैं। हमें देखना होगा कि बच्चों को पूरी खुराक मिले। वितरण प्रणाली में परिवर्तन लाना चाहिए ताकि गरीबों को लाभ मिल सके।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : महोदय, मैं माननीय सदस्य महेन्द्र कुमार द्वारा रिजाल्यूशन आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में बहुत गरीबी है। हमारी पार्टी का भी नारा है- गरीबी हटाओं। महंगाई बढ़ने से गरीब की रसोई का बजट गड़बड़ हो जाता है। महंगाई निश्चित रूप से कम होनी चाहिए। सरकार को बड़े सार्थक और सामर्थ्यवान कदम उठाने चाहिए ताकि गरीब की रसोई के बजट में कोई गड़बड़ न हो।

महोदय, मैं उत्तराखंड से आता हूं। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति बहुत विषम है, पहाड़, घाटियां हैं और बहुत दूर के इलाके हैं। अक्सर हम सचिव से पूछते हैं कि क्या एसेंशिएल कमोडिटीज़ दूर के इलाकों में मिल रही हैं। उनका नपा तुला जवाब होता है- "सब कुछ दिया जा रहा है।" सब कुछ मिल रहा है। मिट्टी का तेल, चीनी, अनाज, सब कुछ मिल रहा है। मैं स्वर्गीय राजीव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे देश में मोबाइल टेक्नोलाजी लाए। पहले हमारे देश में लैंड लाइन से फोनक करना पड़ता था, आपको तो मालूम ही है। पहले आर्डिनरी काल होता था फिर अर्जेंट काल होता था फिर लाइटनिंग काल होती थी और बात करने में घंटों लग जाते थे। अब यह लेटेस्ट टेक्नोलाजी है कि आदमी अपनी जेब में मोबाइल फोन रखकर घूम रहा है, बातचीत कर रहा है। जब हम सुदूर इलाके के गांव से, नीति और माणा के प्रधान से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे यहां मिट्टी का तेल, चीनी और अनाज है? तो वह कहता है कि कुछ भी नहीं है। तब पता चलता है कि पी.डी.एस. सिस्टम सुदूर और आखिरी इलाके में अनाज पहुंचे और इसकी मानिटरिंग हो। उनके पास ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों और राशन की दुकानों के मोबाइल नंबर होने चाहिए ताकि वे जान सकें कि ये चीजें उपलब्ध हैं या नहीं।

महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब वहां एक किलो तोला जाता है तो एक किलो किसी को नहीं मिलता है बल्कि 800 ग्राम तोला जाता है। जब पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि सड़क से खच्चर पर माल रखकर आया है इसलिए खच्चर के मूल्य पर 200 ग्राम की कटौती कर रहे हैं। कभी पहाड़ों में, सुदूर इलाकों में पूरा एक किलो सामान नहीं मिलता है। वहां आठ सौ ग्राम ही तौला जाता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करना होगा।

इसके अलावा जो हमारे भारत की सीमाओं पर प्रहरी के रूप में बैठे हैं, जो हमारे भारत की चौकसी कर रहे हैं। जब भी कोई आक्रमण होगा, सबसे पहले उन्हें सूचना मिलेगी, जो देश के रक्षक हैं। मैं इस सदन के माध्यम से उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि उन तक अनाज पहुंचाना हमारा दायित्व है।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि देश में ब्लैक मनी के बारे में बहुत चर्चा हुई कि हमारे देश का बहुत सा कालाधन विदेशों में है। मैं समझता हूं कि सरकार को उस काले धन को देश में वापस लाने की कोई योजना बनानी चाहिए और उस कालेधन को देश में लाकर उसका उपयोग करना चाहिए। आप गरीबी हटाने में उसका उपयोग करें, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सही करने में उसका उपयोग करें तो बड़ा फायदा होगा। सैकिंड वर्ल्ड वार में जर्मनी बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया था, वहां सारे मकान टूट कर समाप्त हो गये थे और जर्मनी के लोगों को बड़ी चिंता हो गई थी कि जर्मनी को कैसे खड़ा करेंगे। तब उन्होंने एक नियम बनाया कि कोई भी आदमी अगर इंफ्रास्ट्रकचर में ब्लैक मनी का इनवैस्टमैन्ट करेगा तो उससे हम कुछ नहीं पूछेंगे, उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा और रातों-रात जर्मनी खड़ा हो गया। इस तरह से जो कालाधन विदेशों में हैं, उसका भी उपयोग करना चाहिए। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में, देश के अंदर पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम

को सही करने में यदि इस पैसे का उपयोग होगा तो निश्चित रूप से इससे देश का बड़ा फायदा होगा।

सभापति महोदय, मैं ऐसे स्थान से आता हूं, जहां बड़ी गरीबी है और मैं समझता हूं कि लोग अवसरों के अभाव में निकल नहीं पा रहे हैं। उन्हें दो घर संभालने पड़ते हैं, एक घर दिल्ली में संभालना पड़ता है, चूंकि वे दिल्ली में काम करते हैं, और पहाड़ों पर दूसरे घर में पैसा भेजते हैं। हमारा सारा उत्तराखंड मनीऑर्डर इकोनोमी पर टिका हुआ है। लोग सेना में भर्ती हैं, वे लोग मनीऑर्डर भेजते हैं, उनके मां-बाप वहां अपना पालन-पोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे एक वाकया याद आया कि एक महिला ने इसलिए आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके पति ने उसे साड़ी लाकर नहीं दी। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि साड़ी न मिलने पर महिला ने आत्महत्या कर ली, हमारे पहाड़ों में इतनी गरीबी है। निश्चित रूप से वहां का विकास होना चाहिए।

सभापति महोदय : उत्तराखंड के बारे में बाहर के लोगों की बहुत अच्छी भावना है, आप ये पर्दाफाश क्यों कर रहे हैं।

श्री सतपाल महाराज : नहीं, मैं वहां की वस्तुस्थिति बता रहा हूं, क्योंकि यह मेरी वेदना थी कि मैं यहां इस बात को रखूं, इसलिए आपके समक्ष मैंने इस बात रखा है। वहां बड़ी गरीबी है, लोगों के पास अवसर नहीं हैं, रोजगार नहीं हैं। उन्हें रोजगार के लिए निकलना पड़ता है। वहां के लोग सेना में भर्ती होते हैं, बाहर काम करते हैं और देश की सेवा करते हैं।

सभापति महोदय : आपके यहां इतने तीर्थयात्री जाते हैं और वे वहां खर्चा करते हैं, क्योंकि हर आदमी पैसा स्पैन्ड करने के लिए जाता है। उनसे उत्तराखंड को बहुत आमदनी होती होगी।

श्री सतपाल महाराज : उनसे कुछ लोगों को आमदनी होती है, सबको आमदनी नहीं होती और तीर्थयात्रा में कुछ लोगों को फायदा होता है, सबको फायदा नहीं होता है। मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूं जो इन तीर्थस्थानों से बहुत दूर हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दोबारा बी.पी.एल. का सर्वे होना चाहिए, जिससे कि वास्तव में जो इसके योग्य व्यक्ति हैं, उन्हें बी.पी.एल. का फायदा मिले और इसका सर्वे पूरे देश में होना चाहिए। एक बड़े साइंटिफिक पैमाने से हम इसका सर्वे करें और हमारे पास यह सूचना भी होनी चाहिए कि अति गरीब कौन हैं, ए.पी.एल. कौन हैं और बी.पी.एल. कौन हैं। यदि उसका सही मायने में साइंटिफिकली सर्वे होगा तो बड़ा फायदा होगा।

मैं अंत में यही कहना चाहूंगा-

"मेरे वतन की बहारें जवान होने दो, महान है मेरा भारत महान होने दो, किसी को सींच रहे हो, किसी पर पानी बंद, तमाम खेतों की फसलों को समान होने दो, गुबार दिल से, ख्यालों से गर्द दूर करो, नई जमीन, नया आसमान होने दो, सुभाष, गांधी जवाहर की रूह भी यही कहती है, तमाम देश को एक खानदान होने दो।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने कविताएं भी सुनाईं। लेकिन माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा, *[अनुवाद]* मेरा यह अनुरोध है कि यदि बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. की पुन: गणना की जाती है तो प्रक्रिया इतनी पारदर्शी होनी चाहिए कि यह गलती दोहरायी न जा सके क्योंकि जो हम देख रहे हैं वह बहुत गलत है।

अब, श्री शैलेन्द्र कुमार जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे श्री महेन्द्र कुमार राय द्वारा आवश्यक वस्तुओं को मूल्यों में वृद्धि पर नियंत्रण रखने के कदम के संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अगर देखा जाए तो मध्यवर्गीय और कमजोर वर्गों के लोगों के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह जिंदगी की बुनियादी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान है।

हम लोग महंगाई पर इससे पहले भी इस सदन में कई बार चर्चा कर चुके हैं। महंगाई के बारे में हमारे पहले के बड़े नेताओं ने अपने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। डॉ. राम मनोहर

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

लोहिया जी ने कहा था कि हमें महंगाई पर काबू पाना है तो दाम बांधों नीति अपनानी पड़ेगी। हर वस्तुओं के उत्पादन से ले कर बाज़ार में आने तक की उसका एक दाम फिक्स किया जाए। तभी महंगाई को रोका जा सकता है। मेरे ख्याल से अब तक उनका नारा केवल नारों में ही रह गया है। लेकिन आज तक सरकार ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, उसमें सर्वे करने वाले या महंगाई पर काबू करने वाले, तमाम योजनाओं को देश के लिए आगे बढ़ाने वाले, विकास के लिए जो देते हैं, उनका भी यह कहना है कि अगर हमें महंगाई कम करनी है तो हर वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। हमारा उत्पादन कैसे बढ़ेगा? भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। देश की आर्थिक स्थिति खेती पर ही निर्भर है। खेती को प्रोत्साहन सहित हमने आज तक क्या दिया है? पहले भी इस सदन में चर्चा हुई है कि आज भी हिन्दुस्तान की खेती योग्य जो 60 फीसदी जमीन है, हमने उसे सिंचाई से दूर रखा हुआ है। उसको सिंचाई के साधन-संसाधन नहीं दे पाए हैं। कभी-भी जब देश का उत्पाद बढ़ता है, वह किसान की स्वयं की मेहनत-मशक्कत होती है। उसमें सरकार का कोई विशेष योगदान नहीं होता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट आई कि हर किसान को चार फीसदी ब्याज पर ऋण की अदायगी कर देगा हम उसे चार फीसदी ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएंगे। मेरे ख्याल से यह बहुत अच्छा मापदण्ड नहीं है।

विदेशों में देखा गया है कि वहां की सरकारों ने खेती पर, जो उनका इंफ्रांस्ट्रक्चर है, जो प्राकृतिक संपदा है, उसके अनुरूप जो भी उत्पादन होते हैं, उस पर मूलभूत तरीके से पूरी सहूलियतें प्रदान करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं। समय-समय पर यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने से ही हम महंगाई पर काबू कर सकते हैं। अब केन्द्र सरकार यह भी कहेगी कि यह राज्यों का विषय है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, एक मिनट रूकिए। मेघवाल जी, आप अपना इतना सुंदर भाषण दे कर चले गए। लेकिन आपको हाऊस की तरफ भी तो देखना चाहिए था कि आपको भी बैठना चाहिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मैं इसीलिए वापस आया हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब जगदम्बिका पाल जी आएं और मेघवाल जी आएं तब समझिए कि जीरो आवर आने वाला है। शैलेन्द्र जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति जी, मैं कह रहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने से मंहगाई पर भी काबू पाया जा सकता है। इसको राज्य का विषय कह कर टाला जाता है। जो चोरबाजारी होती है या जमाखोरी होती है, अभी हमारे साथी आदरणीय सतपाल जी कह रहे थे कि देश का जो काला धन है, जो बाहर जमा है, उसको वापस लाने की बात है।

सभापति जी, आज देखा तो बड़े पैमाने पर जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रलिस्ट, जो बड़े-बड़े बकाएदार हैं, उनसे लाखों-करोड़ों की वसूली नहीं हो पाती है। जो गरीब है, किसान है, जो इस देश की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाता है, उसके ऊपर सभी नियम लागू करके उसको जेल जाने की स्थिति आती है, उसकी आर.सी. इश्यू हो जाती हैं ये स्थितियां हैं। महंगाई तो इतनी जबरदस्त है, इतनी चरम सीमा पर हैं कि हर व्यक्ति मूल्य चुकाने के बावजूद जो अपेक्षा करता है कि हमें ये सुविधायें मिलनी चाहिए, वे उसे नहीं मिल पाती हैं, वह उन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाता है। ऐसी तमाम दिक्कतें हैं यह देखा गया है कि सरकार की तरफ से बजट में और अन्य अवसरों पर भी देखा गया है कि कुछ चंद लोग हैं, जिन तक हम सीमित होकर रह गए हैं और उनके सामाजिक और आर्थिक सुधार की बातें तो यहां बहुत की जाती हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भर है, तो किसानों के उत्थान के लिए क्यों काम नहीं किया जाता है? किसानों के लिए तो कृषि का अलग से बजट प्रस्तुत होना चाहिए, तब जाकर हम अपने कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, इसका निर्यात कर सकते हैं और उससे विदेशी राजस्व की भी वसूली हो सकती है। इस तरह से हम देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। यह देखा गया है कि आज आजादी के 65 वर्ष बीत

जाने के बावजूद भी जो मूलभूत सुविधायें हमें मुहैया कराना चाहिए, जैसे पेयजल है, बिजली है, परिवहन है, सीवरेज सिस्टम है, सड़कें हैं और घर के करीब अगर स्कूल हो या खाना पकाने के लिए रसोई गैस हो, हम उन्हें वे सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाते हैं।

महोदया, आपने देखा होगा कि समय-समय पर पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में जो वृद्धि होती है, उस का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ते हैं। जो वस्तुएं होती हैं, स्वाभाविक है कि जो बेचने वाला होता है, वह उस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि करता है। ऐसा करना उसकी मजबूरी होती है। इन तमाम बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि की बात है, सरकार ने यह व्यवस्था भी की है कि चालीस से पचास पैसे प्रतिमाह डीजल के मूल्य में वृद्धि होगी यह फिक्स होना चाहिए। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम घटते-बढ़ते रहते हैं और इसके अनुसार सरकार दाम निश्चित करती है, लेकिन हमें कहीं न कहीं इसकी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। आज देखा जाता है कि हमारी आबादी बढ़ी है। मॉल में चले जाइए, बाजारों में देखिए कि वहां बहुत भीड़ है, लेकिन वहीं यह भी देखिए कि जो हमारे उत्पाद हैं, उनमें भी कमी आयी है। इसका मुख्य कारण महंगाई है। सरकार भी आम लोगों के भविष्य को लेकर चिंतित रहती है, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केन्द्र की सरकार हो। पहले देखा जाता था कि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती थी और अपने वेतन से वह ब्रांडेड वस्तुओं को ज्यादा खरीदता था। आज क्या कारण है कि हम ब्रांडेड वस्तुओं को नहीं खरीद पाते हैं? केवल सस्ती चीजों की तरफ हम ज्यादा भागते हैं कि हमें कम दाम पर सस्ती चीजें मिल जाएं। यही कारण है कि आज ब्रांडेड चीजों को हर व्यक्ति नहीं ले पाता है और सस्ती चीजों की ओर उसका रूझान रहता है।

सभापति महोदय : प्रो. सौगत राय।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप कंक्लूड कर लीजिए। आप तो मास्टर हैंड हैं, आप किसी भी विषय पर बोल लेते हैं।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : ये मुलायम सिंह यादव जी के राइट हैंड हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आपने राइट हैंड कहा, यह बहुत अच्छी बात है। हम यह कहना चाहते हैं कि कमाई तो बढ़ी है, हर व्यक्ति की कमाई बढ़ी है, यह हम नहीं कहते, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो इनकम है, उस पर कहीं न कहीं हम डाका डालने की कोशिश करते हैं। इस प्रवृत्ति को हमें त्यागना पड़ेगा और महंगाई की रफ्तार पर भी हमें अंकुश लगाने की जरूरत होगी। जहां तक पिछली सरकारों के बारे में देखा गया है, राजग की सरकार में मैंने देखा कि 48 फीसदी महंगा हुआ है और यू.पी.ए. के शासनकाल में महंगाई में 120 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज हमारे तमाम उत्पादन होते हैं, हमारे अनाज सड़ जाते हैं और सुप्रीम कोट को कहना पड़ता है कि जो गरीब और भूखे लोग हैं, उन्हें बांटना चाहिए। हमारे यहां भण्डारण क्षमता नहीं है, ये तमाम तरीके की दिक्कते हैं, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब इसी बजट में 500 करोड़ रूपये का प्रावधान गोदामों के लिए रखा गया है, मेरे ख्याल से यह पर्याप्त नहीं है। हमें खाद्यान्न भण्डारों क लिए ठोस प्रबन्धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी तभी जाकर हम महंगाई पर थोड़ा अंकुश लगा सकते हैं। महंगाई, घोटाले और बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है, इस ओर भी हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। दूसरी ओर सरकार ने कहा कि खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. को लाकर महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। मेरे ख्याल से वह सही नहीं है। तमाम ऐसे फुटकर व्यवसायी हैं, जिनका इससे व्यवसाय नष्ट होगा और उन पर मार पड़ेगी। बी.पी.एल. की बात कही गयी है। बी.पी.एल. का पुन: सर्वे होना चाहिए। इनको प्रत्यक्ष फायदे के बारे में सरकार को सोचना चाहिए।

इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनायी हैं, जिससे राजकोषीय घाटे को कंट्रोल किया जा सके और उससे मंहगाई को रोकें, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोग आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं ताकि किसी प्रकार से महंगाई काबू में आए। हमार दल और हमारे तमाम साथी इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपने मुझे संकल्प पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सभापति महोदया, आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण करने के उपायों के संदर्भ में संकल्प पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद।

देश में कैच-22 की स्थिति है। स्थिति ऐसी है जैसा कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार श्री रंजगराजन जी ने परसों कहा था कि यह 'स्टैगफ्लेशन' है। एक तरफ स्थिरता है और अर्थात पर्याप्त वृद्धि नहीं हो रही है। दूसरी तरफ मुद्रास्फीति बढ़ रही है। यह एक ऐसी स्थिति है। जिससे सरकार ने या किसी और ने बाहर निकालने का रास्ता नहीं दिखाया है।

यहां तक कि वित्त मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में कहा था कि खाद्य मुद्रास्फीति चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति लगभग 7 प्रतिशत है और कोर मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि खाद्य मुद्रस्फीति चिंता का विषय है और पदार्थों की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु हम आपूर्ति पक्ष को मजबूत बनाने के लिए संभव कदम उठाएंगे। दूसरी बात वित्त मंत्री जी ने कही कि वित्तीय घाटे को कम करना सबसे बड़ी समस्या है। यही 'कैच-22' स्थिति पैदा करती है। वित्तीय घाटे को कम करने के लिए वे क्या कर रहे हैं? वो सब्सिडी कम कर रहे हैं। पिछले बजट में कुल व्यय पर 12 प्रतिशत की सब्सिडी दी गई थी। इस वर्ष इसे कम कर कुल व्यय का 10 प्रतिशत कर दिया गया। वे तीन मुख्य वस्तुएं क्या हैं जिन पर सब्सिडी दी जाती है? खाद्य पदार्थ, ईंधन और उर्वरक इस वर्ष ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी कम कर दी गई है। डीजल, एल.पी.जी. के मूल्य में वृद्धि हो रही है। जिससे आम लोगों पर दवाब पड़ रहा है। उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी कम कर दी गई है। इसलिए, किसानों को बढ़े हुए मूल्य पर उर्वरक खरीदना पड़ रहा है। इसके फलस्वरूप खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि होगी।

तीसरी बात यह है कि खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी कम कर दिया गया है। प्रो. के.वी. थॉमस यहां उपस्थित हैं। वे गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। सरकार इस वर्ष खाद्य सब्सिडी विधेयक पारित करने की बात कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस वर्ष 90,000 करोड़ रूपए की खाद्य सब्सिडी से लक्षित जनसंख्या को खाद्य सब्सिडी देना संभव होगा। नहीं; इसके लिए कम से कम 1.2 लाख करोड़ रूपए की आवश्यकता होगी। इसलिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें मुख्यशीर्ष एवं खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहिए। दूसरी तरफ आपके द्वारा सब्सिडी कम करने से मूल्य वृद्धि हो रही है। कृपया दूसरा पक्ष भी देखें। क्योंकि उन्हें मूल्य कम करना है, वे वित्तीय घाटें को कम करने के लिए और क्या कर रहे हैं? वे बजट आबंटन कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे आपूर्ति पक्ष से संबंधित की कुछ कदम उठाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि आप खाद्य आपूर्ति बढ़ाएं और तब आप मूल्य कम कर सकते हैं।

कृषि का बजट न्यूनतम है। देश में किसानों ने अच्छी पैदावार की है और इसके परिणामस्वरूप ग्यारहवीं योजना के दौरान उत्पादन में 3.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई लेकिन कृषि मंत्रालय का बजट मात्र 27,000 करोड़ रूपए है। इतने कम बजट से आप उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि आप सही मायने में समग्र प्रयास करना चाहते हैं तो यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए, सरकार अपने ही जाल में फंस गई है। इसे वित्तीय घाटा कम करना है, इसलिए यह बजटीय आबंटन कम कर रही है और बजटीय आबंटन कम कम करने के कारण आपूर्ति पक्ष बाधित हो रहा है।

दूसरे पक्ष की ओर देखें। मुख्य बात केवल खाद्य उत्पादन बढ़ाना नहीं है अपितु इसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना भी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके पास गोदाम हो; सड़कें हो, और आपके पास अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हों। इस बजट में खाद्य आपूर्ति के लिए अवसंरचना विकास हेतु कितनी राशि दी गई है? इस विशाल देश में अन्न के लिए गोदाम एवं अवसंरचना विकास हेतु मात्र 5,000 करोड़ रूपए ही दिए गए हैं। इसलिए हो यह रहा है कि पिछले वर्ष 260 मिलियन टन अनाज का रिकार्ड उत्पादन हुआ और इस वर्ष 250 मिलियन टन अन्न का उत्पादन हुआ, बावजूद उसके महाराष्ट्र के कुछ भागों में भयंकर सूखा पड़ा था गोदामों एवं खुले में सड़ जाते हैं और उपभोक्ता तक नहीं पहुंचते हैं।

इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) पर प्रश्नचिन्ह

लगता है। श्री थॉमस को पता है कि इस समय देश में लगभग 5,04,000 उचित दर दुकानें हैं। क्या उनके पास आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है? यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं-यहां तक कि अपने माओवाद प्रभावित क्षेत्र में जाएं तो देखेंगे कि उचित दर दुकानें खाली पड़े हैं। उनके पास न तो चावल है न गेहूं है और न ही कोई अन्य सामान है। सप्ताह में चार दिन उचित दर दुकानें बंद रहती हैं। मैं आपको अपना एक अनुभव बताने जा रहा हूं। कल अखिल भारतीय उचित दर दुकान व्यापारी संघ एक बड़े जुलूस में दिल्ली आए। उसके 4% लाख सदस्य हैं और लगभग 2-3 लाख लोग दिल्ली में एकत्र हुए। उनमें से कुछ जो मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से थे वे मेरे पास आए। इसलिए मैं उन्हें प्रधानमंत्री के पास ले गया। उनकी एक मांग सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वव्यापी बनाना था। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार के खाद्य सब्सिडी विधेयक के अंतर्गत 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र और मात्र 50 प्रतिशत शहरी क्षेत्र आते हैं। इसलिए, यह कुल आबादी का लगभग 67 प्रतिशत है। वे इसे सर्वव्यापी बनाने की मांग कर रहे थे अर्थात सभी को सब्सिडी वाला अनाज मिले। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि : ''मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं क्योंकि न तो पर्याप्त खरीद की जा रही है और पर्याप्त स्टॉक भी नहीं है।'' प्रधानमंत्री जी ने कल स्वयं यह बात संसद में कही थी। फिर वही कैच-22 स्थिति। इसलिए, मैंने कहा कि: ''पी.डी. एस. का संचालन राज्य सरकार करती है।'' उन्होंने कहा कि : ''राज्य गेहूं और चावल का आबंटन नहीं बढ़ा रहे हैं। इसलिए, मैं क्या करूं?''

मुझे लगता है कि बजटीय बाध्यताओं; घाटा कम करने की आवश्यकता; सब्सिडी कम करने की उनकी इच्छा; और सार्वजनिक वितरण व्ययवस्था का उपयोग नहीं कर पाने की उनकी अक्षमता के कारण सरकार मजबूर है। यदि देश में मोटे तौर पर लगभग 5 लाख गांव हैं और सभी गांवों में उचित दर दुकानें हैं तो फिर आप इन सभी 5 लाख दुकानों तक अनाज की पहुंच को सुनिश्चित क्यों नहीं कर सकते हैं? यहां आप असफल हुए हैं। इसलिए जब तक आम आदमी को बढ़ रहे मूल्यों से नहीं बचाया जाता है उनकी जिन्दगी कष्टकारी रहेगी। वेतनभोगी लोगों एवं दैनिक मेहनताना कमाने वालों की जिन्दगी कष्टकारी है। दक्षिण दिल्ली में रहने वाले लोगों को मूल्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आम आदमी बढ़े मूल्यों से परेशान हैं।

मैं समस्या को उद्धृत कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा ध्येय श्री थॉमस पर दोष मढ़ना नहीं है। यहां दिल्ली में बैठे हुए हैं। राज्य सराकरों को इससे निपटना होगा। लेकिन मेरा कहना है कि यदि आप लोगों को सस्ता चावल उपलब्ध करा सकें तो स्थितियां बदल सकती हैं। हमारे राज्य में भी बहुत बड़ा क्षेत्र माओवाद से प्रभावित था। वर्तमान ममता बनर्जी की सरकार ने उस क्षेत्र के गरीब जनजातीय लोगों को गरीबी रेखा श्रेणी अंतर्गत सस्ते दामों पर चावल और गेहूं देने की योजना बनाई जिसके परिणामस्वरूप प्रसिद्ध माओवादी नेता किशनजी की मृत्यु के बाद उन्होंने आपकी कार को विस्फोट से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन हम बहुत आश्वस्त हुए जब कुछ नहीं हुआ, कोई विद्रोह अथवा कोई हिंसा नहीं ई क्योंकि जनजातीय लोग माओवादियों से हाथ मिलाने से इनकार कर रहे हैं।

उनका कहना है कि उन्हें सब्सिडी वाला चावल और गेहूं मिल रहा है और वे अब हथियार नहीं उठाएंगे। यह दर्शाता है सब्सिडी युक्त चावल और गेहूं की आपूर्ति करना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन हम ऐसा करने में असफल हैं।

मैं आपको एक उदारण देता हूं: खाद्य सामग्री के सूचकांक में 0.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। दाल का क्या मूल्य है? मसूर की दाल के मामले में यह 8 प्रतिशत था; रागी, मोटा, दानेदार अनाज के मामले में यह 7 प्रतिशत था; पॉल्ट्री चिकेन के मामले में यह 6 प्रतिशत था; चने की कीमत में 7 प्रतिशत बढ़ गई, और सभी अन्य खाद्य सामग्रियों के मूल्य बढ़ गए।

सभापति महोदय : प्रो. राय, क्या आप इस समस्या का कुछ समाधान बताएंगे अर्थात इससे कैसे निपटा जाए?

प्रो. सौगत राय : अब मैं समाधान बताऊंगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सरकार को आपूर्ति पक्ष में सुधार करना चाहिए अर्थात ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उत्पादों का उपभोक्ता तक पहुंचना सुनिश्चित हो और ऐसा करने के लिए खाद्य सामग्रियों के रख-रखाव के लिए गोदाम बनाने हेतु बेहतर अवसंरचना विकसित की जाए और गांवों के फेयर प्राइस शॉप तक इनकी आपूर्ति के लिए बेहतर सड़कें बनाई जाएं।

[प्रो. सौगत राय]

मैंने पहले ही आपसे कहा है कि देश में लगभग 5,04,000 उचित दर दुकानें प्राइस हैं। सरकार क्योंकर आम आदमी को उचित मूल्यों पर अनाज एवं अन्य खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति कर सकती है? यह असंभव नहीं है। आपको आपूर्ति को बेहतर बनाना होगा। दुर्भाग्यवश विभिन्न बाध्यताओं के कारण सरकार ऐसा नही कर पा रही है।

अंत में मैं नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ के उद्धरण से अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने ''ग्लोबलाइजेशन एण्ड इट्स डिसकंटेंट'' नामक एक किताब लिखी। हमने वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण का रास्ता है जिसका सरकार ने 1991 से अनुसरण किया है जो कि भारत में डॉ. सिंह का योगदान है। जोसेफ स्टिलिट्ज ने लिखा है:

''पश्चिम ने निजीकरण, उदारीकरण एवं स्थिरीकरण की प्रक्रिया का घोर कुप्रबंधन किया है, और इसके विचारों के अनुसरण से तीसरी दुनिया के देश एवं साम्यवादी राष्ट्रों की स्थिति वैश्वीकरण के पूर्व की स्थिति से बढ़तर हो गई है। वैश्वीकरण विश्व के गरीबों, पर्यावरण एवं स्थिरता के लिए कारगर नहीं है।'' इसलिए हम भूमंडलीकरण से प्रभावित हो रहे है और गरीब भी मुश्किल में है। मैं सरकार से अनुरोध करूगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य वस्तुओं की वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु गंभीरता से विचार करे।

सभापति महोदय : आपके उत्तम सुझाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

जगदम्बिका जी, हमने तो आपको देखकर सोचा था कि आप जीरो ऑवर के लिए आये हैं। अब देखता हूं तो इस पर भी आपके विचार सुने जायें।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं आज जीरो ऑवर में उपस्थित नहीं रहूंगा।

सभापति महोदय : पर आपके बिना जीरो ऑवर सूना-सूना लगेगा।

श्री जगदम्बिका पाल : भविष्य में आपके निर्देशों का पालन करूंगा। आज आपकी पीठ से निर्देश हो गया, भविष्य में मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं जीरो आवर में उपस्थित रहूं।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, आप हुए, अर्जुन राम मेघवाल जी हुए, कुछ नाम है, जो जीरो आवर के हीरो हैं। *[अनुवाद]* आप तो शून्य काल के नायक हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : यह आपका बड़ा प्रमाण-पत्र है। कम से कम संसदीय जीवन में पीठ से यह प्रमाण-पत्र मिले। आदरणीय शैलेन्द्र जी को, मेघावल जी को या हमें, तो निश्चित तौर से हम आपके आभारी हैं।

श्री जगदम्बिका पाल : आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, जिसकी चिंता आज पूरे देश में सभी को है। मैं समझता हूं कि इस महंगाई के बढ़ने से आम जनमानस, आम आदमी निश्चित रूप से प्रभावित होता है। उस आम आदमी की चिंता सबसे ज्यादा हमारी पार्टी को है, हमारे लोगों को है, हमारी सरकार को है। आज यह अच्छी बात है कि इस पर बहस हो रही है। आपने कहा कि सुझाव दिया जाए, क्योंकि कभी-कभी यह विषय आरोप-प्रत्यारोप का हो जाता है। जैसा शैलेन्द्र जी ने कहा कि कभी राज्य की जिम्मेदारी केन्द्र वाले डालते हैं और केन्द्र की जिम्मेदारी राज्य वाले डालते हैं। आज हम उससे ऊपर उठकर इन बातों पर चर्चा करेंगे।

निश्चित तौर से यह देश के सामने चिंता का विषय है। फूड इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति या बढ़ती हुई महंगाई से जो आम जनजीवन प्रभावित होता है। हमें इस बात को देखना होगा कि आखिर इस महंगाई का प्रमुख कारण क्या है? आज चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, इस बात के लिए निरंतर प्रयास करती है कि महंगाई पर हम उस फूड इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन को कम करें और सरकार उस दिशा में कदम भी उठा रही है। आज महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे कौन-कौन से कारण हैं? मैं समझता हूं कि पहले हमें उन महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा करनी होगी। देश में जितनी मांग होगी, अगर उसकी

तुलना में उत्पादन नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन और डिमांड में गैप होगा, तो निश्चित तौर से उसका प्रभाव महंगाई पर पड़ेगा। जब बाजार में मांग के सापेक्ष कमी हो जाती है, तो उस समय ब्लैक मार्केटियर्स और जमाखोर इसका फायदा लेते हैं। इससे जनता या जनजीवन प्रभावित होता है।

दूसरी बात यह है कि आज भी इस देश में हमारी खेती 60 से 70 परसेंट मानसून पर निर्भर करती है। *[अनुवाद]* कृषि क्षेत्र और इसका उत्पादन मौसम और प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। *[हिन्दी]* अगर आज भी सूखा पड़ जाए या देश के किसी हिस्से में बाढ़ आ जाए, तो वह भी उत्पादन को प्रभावित करती है, जिसका प्रभाव महंगाई पर पड़ता है। इसी तरीके से जो एम.एस.पी. है, जो हम किसानों को देते हैं और फिर पी.डी.एस. के थ्रू वितरण प्रणाली में देते हैं, तो वह मिनिमम सपोर्ट प्राइज भी एक कारण है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। जो सब्स्टीट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, डिमांड एंड कंजंप्शन है, सीजनल साइकल्स हैं और इंटरनेशनल प्राइसेज हैं। इसके छः महत्वपूर्ण कारण हैं। यह इस देश में या किसी भी देश में महंगाई बढ़ने का कारण बनते हैं। किसी भी पक्ष के बैठे हुए साथी हों, वे इस बात को जानते हैं कि अस्सी प्रतिशत क्रूड ऑयल आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। स्वाभाविक है कि जब हम अस्सी प्रतिशत इस देश के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी हो, आज भी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें निर्धारित करना हमारे नियंत्रण के बाहर हैं। जो ओपेक कंट्रीज हैं, वे मूल्य निर्धारित करती हैं। जब 120, 125 या 127 डॉलर प्रति बैरल क्रूड पहुंच जाता है, तो इसका बढ़ना स्वाभावित है। जो ये चिंता कर रहे हैं, हम भी इसकी चिंता करते हैं कि अगर डीजल का दाम बढ़ता है, पेट्रोल का दाम बढ़ता है, तो स्वाभावित है कि ट्रांसपोर्टेशन पर प्रभाव पड़ता है, इसकी कॉस्ट बढ़ती है। एक तरफ जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है, तो दूसरी तरफ आम उपभोक्ताओं पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है।

हमरे विद्वान साथी सौगत राय जी ने कहा कि जब फिसकल डेफिसिट को कम करने का प्रयास करते हैं, अगर हम कोई वित्तीय नियंत्रण करना चहेंगे तो उसका क्या रास्ता होगा? सब्सिडी के सिवाय कोई रास्ता नहीं हो सकता है। एक लाख चालीस हज़ार करोड़ रूपए हम अंडर रिकवरी रहें, पेट्रोलियम कंपनीज में, तो अगर हम सब्सिडी को कम करते हैं, तभी हम उस वित्तीय घाटे को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी इकॉनामी के लिए या देश की इकॉनामी के लिए निश्चित तौर से ये कदम पिछले दिनों उठाए गए, नहीं तो हम भी यही सोचते कि वर्ष 2014 का चुनाव है, जितना पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, हम पर्सनल इंकम टैक्स में स्लैब्स को बढ़ा दें। हम सब्सिडी को भी जारी रखे, वर्ष 2014 में हमारी सरकार आएगी, तब हम चिंता करेंगे या किसी की सरकार आएगी, तब वह चिंता करेगी। लेकिन हम आज जिम्मेदार हैं और हमें अपनी सरकार से ज्यादा चिंता देश की है, देश की अर्थव्यवस्था की चिंता है। इसी चिंता के कारण हमने जिम्मेदारी का एक बजट प्रस्तुत किया और जिसका बाजार में प्रभाव पड़ा है। आप देखते हैं कि आज जिस तरह से चीजों की कमी है उसका क्या सुझाव है? एडीबल ऑयल, सुगर, कैरोसिन ऑयल के दाम बढ़े। आप भी कहीं न कहीं निश्चित तौर परसहमत होंगे कि जो पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम है, कुछ राज्यों को छोड़कर, ओडिशा में यह अच्छा हे, छत्तीसगढ़ का पी.डी.एस. सिस्टम सबसे अच्छा है। कुछ और राज्यों में यह अच्छा है। अगर उन राज्यों के लिए हम केन्द्र से जो डिमांड मांगते हैं, चाहें वह व्हीट, पैडी, सुगर या कैरोसिन के लिए हो, हम देते हैं। अगर आप प्रत्येक परिवार को पांच लीटर मिट्टी का तेल मिलना चाहिए, शैलेन्द्र जी उपस्थित नहीं है, आज भी उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में पांच लीटर मिट्टी तेल प्रत्येक परिवार को नहीं मिल रहा है। उनको दो लीटर, ढ़ाई लीटर या डेढ़ लीटर तेल मिल रहा है। यह पी.डी.एस. का सिस्टम है। उनको यह तीन-तीन महीने में एक बार मिलती है। महीने में चीनी कुछ परिवारों को मिल गई और कुछ को नहीं मिली। यह तीन-तीन महीने में शायद एक बार मिलती होगी। यही हाल आदिवासी इलाकों में भी होगा। हमें पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम को ठीक करना होगा। एसेंशियल कमोडिटीज जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं, वह अधिक किस को है। उन ब्लैक मार्केटियर्स के होडर्स के खिलाफ कार्रवाई करना चाहें तो वह ऐसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट में प्रासिक्युशन करने की कार्रवाई राज्य सरकारों की है। तीन बट्टे सात जो ऐक्ट को हम क्रियान्वित नहीं कर सकते है। इसे राज्य सरकारें ही क्रियान्वित करती हैं। आपने देखा होगा कि राज्यों में बहुत ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग का काम हो रहा है लेकिन जनता के बीच में उनका सुचारु रूप से

[श्री जगदम्बिका पाल]

वितरण हो। इस बात की व्यवस्था नहीं हो रही है। एसेंशियल कमोडिटीज लोगों के बीच ठीक से पहुंचे, तीन बट्टे सात में जो होर्डिंग करते हों, ब्लैक मार्केटिंग करते हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।...*(व्यवधान)* मैं एक दो मिनट में अपनी बात कंक्लूड करूंगा।

सभापति महोदय : जगदम्किा जी, बजट के बाद क्या कुछ प्राइसेज घटे हैं?

श्री जगदम्बिका पाल : बजट के पहले जरे इंफ्लेशन दहाई में था...*(व्यवधान)* आप को होल प्राइस इंडेक्स हो या कंज्युमर प्राइस इंडेक्स हो, आप कहिएगा तो पूरा चार्ट पढ़ कर सुना देंगे।...*(व्यवधान)* आज आपने जो महत्वपूर्ण सुझाव हम लोगों से मांगे हैं कि आज ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या हैं? जिस समय एडीबल ऑयल, सुगर की कमी हो गई, पिछले साल हमने इसी सदन में चर्चा किया था कि हम ने ड्यूटी फ्री सुगर इम्पोर्ट किया था। कांडला पोर्ट से उस सुगर को उठा कर, उसको फिनिश कर के बाजारों में दे सकें। हमने 30.06.2012 को रॉ सुगर इम्पोर्ट पर ड्यूटी फ्री किया और आज तक हम उसको एक्सटेंड करते रहें। इसी तरह से हमने एडीबल ऑयल को एक्सपोर्ट के लिए बैन किया है। आखिर प्राइसेज को कंट्रोल करना है, जो चिंता का विषय है। हमारी सरकार इस बात की कोशिश करती है कि देश में किसी चीज की उत्पादन की कमी हुई हो, चाहे चीनी, दाल, दलहन या तेलहन हों, उनकी हमने इम्पोर्ट ड्यूटी के रिड्युस किया है। व्हीट, ओनियन, प्लसेज या पामोलीन की बात की बात हो, इस तरीके से हमने उस कदम को भी उठाया था। जो वायदा बाजार निशिकांत जी ने शुरु किया जिसका बहुत बड़ा प्रभाव महंगाई पर पड़ा। ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदन को यह मालूम होना चाहिए कि निशिकांत जी आ गए।

श्री जगदम्बिका पाल : यह महत्वपूर्ण विषय है और हम सभी लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं। इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों को मिल कर ...*(व्यवधान)* उत्पादन की जगह राज्य सरकार है। ...*(व्यवधान)* राष्ट्रीय कृषि विकास नीति में हम पैसा देते हैं जो देश के लिए आवश्यकता है, जैसे, प्याज, आलू वेजिटेबल्स के लिए हो, इनके लिए उत्पादन एरिया बढ़े। आज केन्द्र के पास अपनी कोई लैंड नहीं है कि केन्द्र सरकार उस उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। आज राज्यों को उत्पादन बढ़ाना होगा। राष्ट्रीय कृषि विकास नीति एवं अन्य योजनाओं में हम पैसा दे रहे हैं उस पैसे का सदुपयोग करें, राज्य अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। केन्द्र के निर्देशों के अनुसार महंगाई को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई करे जिसमें आम जनता को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) **:** सभापति महोदय, आपका धन्यवाद मैं आज यहां अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु कदम के संबंध में श्री महेन्द्र कुमार राय द्वारा लए गए संकल्प में भाग लेने के खड़ा हुआ हूं। मै समझता हूं कि श्री राय द्वारा पारित किए जाने हेतु लाया गया संकल्प, जिसे उन्होंने विस्तार से स्पष्ट किया है कि तथा इस पर विश्वास दिलाया है को समर्थन दिए जाने के संबंध में सभा में दो राय नहीं है। लेकिन मुझे इसमें संदेह है। इस संकल्प पर मंत्री जी का विचार सुनने के बाद मैं समझता हूं कि श्री राय को अंततः अपना संकल्प वापस लेना पड़ेगा। जिस दिन से मैं इस सभा में आया हूं मैंने देखा है कि इस सभा में यह परंपरा है। मुझे लगता है कि हमें यह विचार करना चाहिए और चर्चा भी करनी चाहिए कि आज हमारे देश में व्याप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में चर्चा करना क्यों अनिवार्य हो गया है। सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना शुरू कर दी है और इस योजना से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अलग कर दिया है लेकिन हमने गहराई से अध्ययन करने पर पाया है कि चरण-वार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के माध्यम से विघटित किया जा रहा है। मैं अपना एक अनुभव बयान करना चाहता हूं। ब्राजील के एक शिष्टमंडल ने जब हमारी संसद को दौरा किया था तो मुझे उनसे बातचीत करने का मौका दिया था। उन्होंने कहा कि आपके पास गरीब लोग को उपज के रूप में खाद्यान्नों के लिए वितरण हेतु एक बेहतर प्रणाली उपलब्ध है। हम धनराशि मुहैय करा रहे हैं जिससे काफी मुश्किलें पैदा हो रही हैं।" आज हमने यह किया है कि हमारे सभी विचारक और कम्पोर्टल घरानों

को प्रवृत कर हमारी सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना अपनाने जा रही है या अपना चुकी है और यह अवधारणा हमने लातिन अमेरिकी देशों विशेषकर ब्राजील से लिया हो। ब्राजील भारत की ओर देख रहा है कि हम किस तरह सफलतापूर्वक गरीब लोगों के घरों तक खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं यहां मैं सोचता हूं कि सरकार को अनिवार्य रूप से उन समस्याओं को समझना जिसका सामना ब्राजील कर रहा है और उन समस्याएं को भी समझाना चाहिए जिसका सामना हमारा देश कर रहा है ताकि गरीब और वंचित लोगों को मुश्किलों का समाना न करना पड़े।

जब हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैं समझता हूं इस संकल्प में दो विशेष भाग है एक तो आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि है कि सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या सुझाव प्रभावी कदम के संबंध श्री राय ने जो सुझाव दिया है, यह एक भाग है। दूसरा भाग आवश्यक वस्तुओं के बारे में है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और इसका सार्वभौमिकरण करने के बारे में है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनने के दशक में सामने आई। श्री नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान एक विशेष लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तैयार की गई थी। इसे वर्ष 1996-97 में अपनाया गया लोक लेखा समिति के सदस्य के साथ में जब हम विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे थे जो हमने जम्मू और कश्मीर के लोगों कश्मीर घाटी के कतिपय क्षेत्रों और लेह दोनों स्थानों के लोगों के साथ बात-चीत की। हम जम्मू के ग्रामीण क्षेत्रों में जाए। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने समिति को जोरदार तरीके से समझाने का प्रयास किया कि उनके यहां टोकन प्रणाली है। उनके पास विशेष दुकाने नहीं है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उत्पादों को बेचने के पात्र हैं।

सायं 6.00 बजे

उनके यहां टोकन प्रणाली है और सरकार बी.पी.एल. परिवारों को ये टोकन देती है। वे जो भी चाहे खरीद सकते हैं और जिसके वे पात्र हैं और नागरिक आपूर्ति विभाग में उस टोकन के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जा सकती है। वहां भी छिटपुट चोरी हो रही है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मेहताब जी, चूंकि छः बज चुके हैं, इसलिए प्राइवेट मैम्बर्स बिल का टाइम खत्म हो गया है। अगर आप बोल चुके हैं तो किसी दूसरे माननीय सदस्य का नाम लूं, लेकिन आप अपनी बात को अगले शुक्रवार तक कन्टीन्यू करना चाहते है, तो मैं आपको एलाऊ कर सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मुझे बहुत सारी बातें कहनी है।

सभापति महोदय : तब आय अगली बार अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

अगर सभा की अनुमति हो, तो सभा की कार्यवाही शून्य काल की समाप्ति तक बढ़ा दी जाती है, क्योंकि शून्य काल को चाहने वाले बहुत से लोग बैठे हुए हैं।

कई माननीय सदस्य : हां।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के तराई क्षेत्र, काशीपुर, रूद्रपुर, बाजपुर, हल्द्वानी, सितारगंज, किच्छा, वीरूमदारा व रामनगर, जो कि कृषि उत्पाद में भरपूर बेल्ट है। वहां पर एफ.डी.आई. समर्थित खरीद सैंटर की नितांत आवश्यकता है। इसके अभाव में जो किसान अपने माल को मंडी तक लेकर जाते हैं, वे बिचौलियों के बीच फंसकर औने-पौने दामों पर अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहीं-कहीं तो किसान अपनी फसल को आग लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फसल का मूल्य नहीं मिल पाता। उन्हें अपनी फसल का औचित्य नहीं मिल पाता, जिससे परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने में किसानों की बड़ी कठिनाई होती है।

[श्री सतपाल महाराज]

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह किच्छा या रामनगर में एफ.डी.आई. समर्थित, कृषि उत्पाद खरीद सैंटर की शीघ्र स्थापना करे, जिससे किसानों को बिचौलियों से बचने का मौका मिले।

[अनुवाद]

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव (बोलांगिर) : उन महीनों के दौरान जब मौसम कृषि योग्य नहीं होता है, हजारों परिवार ओडिशा के पश्चिम ज़िलों से आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों के ईट भट्ओं में रोजगार के लिए जाते हैं।

सायं 6.01 बजे

[श्री सतपाल महाराज *पीठासीन हुए*]

ये कामगार कालाहांडी बोलांगीर क्षे जो ओडिशा का एक गरीब क्षेत्र है, के पश्चिमी ओडिशा के बोलांगीर कोरापुट कालाहांडी, कंधमाल और बारगढ़ जिलों से पलयान करते हैं।

पलायन करने वाले लोगों को अग्रिम भुगतान का लालच दिया जाना है और वे बहुत ही कठोर जीवन परिस्थितियों में कार्य करने के लिए मजबूत होते हैं। वे 18 घंटे कार्य करते हैं और उसका शारीरिक हिंसा के शिकार होते हैं कामागार भोजन, स्वास्थ्य परिचर्या और बच्चों हेतु शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित होते हैं। वे बहुत ही कम पारिश्रमिक पर कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार दो कामगारों को 1000 ईंटें बनाने हेतु 367 रूपए का भुगतान किया जाना चाहिए। यह कतिपय पुर्वानुमानों पर आधारित हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि 3-4 सदस्यों के परिवार को केवल 150 रूपये से 220 रूपए दिया जाता है। यदि कामगार बाहर जाने का प्रयास करता है तो उन पर हमला किया जाता है और उन्हें मारा पीटा जाता है। इन ईंट के भट्ठों में बाल श्रम आम बात है। ईंटों को सुखाने के लिए इन्हे पलटने में बच्चों से काम कराया जाता है क्योंकि व्यस्कों के भारी हाथों से ईटों के टूटने की संभावना रहती है। बाहर से आए श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा संबंधी कानून के होने के बावजूद पलायन करने वाले लोगों की कामकाजी स्थितियों का बदतर होना जारी है।

इसके मद्देनजर मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे बाहर से आने वाले कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें जिसके वे पात्र हैं और श्रमिक अधिकारों की पात्रता को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करे। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि पश्चिमी ओडिशा में मनरेगा तथा रोजगार संबंधी अन्य कार्यक्रमों द्वारा प्रदान किए जाने वाले में वृद्धि करे। मुआवजे और इसमें अधिक लोगों को शामिल करे जिसके बारे में मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है ताकि अंधाधुंध पलायन को रोका जा सके।

श्री रमेन डेका (मंगलदोई) : महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, मंगलदोई के साथ-साथ असम से संबंधित बहुत की महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पूर्वी-पश्चिमी गलियारा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नलबारी से गुवाहाटी होते हुए गुजरता है। यह कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। वहां बहुत ही अधिक यातायात है। गुवाहाटी तक 30 किलोमीटर की यात्रा करना बहुत ही मुश्किल है। कभी-कभी वहां पहुंचने में तीन घंटे लगते हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रह्मपुत्र से दूसरे पुल की स्थिति भी यही है। यह भी नहीं बन रहा है। झालुकबाड़ी में सर्किल पर काम बहुत धीमी गति से हो रहा है जो पूर्वी-पश्चिमी गलियारे का एक भाग है। काम बहुत धीमा चल रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि कार्य जल्द शुरू किया जाना चाहिए ताकि लोगों को संचार प्रणाली का लाभ मिल सके।

दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 मजबन के बरास्ने बैहाटा चैरानी होते हुए मेरे निर्वाचन क्षेत्र से गुजर रहा है और यह अरूणाचल प्रदेश को छूता है। यह दो लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस राजमार्ग को चार लेन वाला बनाने हेतु निर्माण कार्य शुरू करें ताकि लोग बेधड़क आ जा सकें क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र उतरी किनारे की जीवन रेखा है। यह एक मात्र राजमार्ग है जो बैहाटा चैरानी से तेजपुर होते हुए अरूणाचल प्रदेश को मेरे निर्वाचन क्षेत्र से जोड़ता है। यह सड़क दो लेन वाला है और इसे सामाजिक लिहाज से भी चौड़ा किया जाना चाहिए क्योंकि चीप की सीमा इसी क्षेत्र के आस-पास है और आपातकालीन स्थिति में सैन्य कर्मियों का आवागमन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।

इसके मद्देनजर मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इन को मुद्दे को उठाए ताकि लेन संचार प्रणाली का लाभ उठा सकें।

सभापति महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल को श्री रमेन डेका द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल) : धन्यवाद सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विषय को मैं उठाना चाहती हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र अति पिछड़ा है और आज भी बहुत ज्यादा अविकसित है। मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण वहां शिक्षा का अत्यधिक अभाव है। निश्चय ही आजादी के 65 वर्ष बाद भी यह क्षेत्र पिछड़ा है। इसका मुख्य कारण यह है कि पूरा क्षेत्र पहाड़ी और वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। यहां रहने वाले अधिकांश लोग आदिवासी हैं। इसी कारण आज तक इसका विकास नहीं हुआ है। मेरी यह मांग है कि पिछले साल 2011 में हमारे यहां सेन्ट्रल स्कूल आया। हमारे पास कुछ नवोदय विद्यालय भी आए। पिछले साल सेन्ट्रल स्कूल आने के कारण, हमारी छ: टिकटें तो अभी बढ़ी हैं, लेकिन मांग अधिक होती है। मेरा विनम्र निवेदन है कि यहां सेन्ट्रल स्कूल आने के कारण इसके प्रति लोगों में बहुत ही अधिक जागारुकता आयी है। लोग अपने बच्चों को यहां शिक्षित करना चाहते हैं। मैं चाहती हूं कि पिछड़े क्षेत्र में फर्स्ट क्लास का एक सेंक्शन बढ़ाया जाए ताकि उन्हें सेन्ट्रल स्कूल की सुविधा मुहैया हो सके। उन लोगों के बच्चे, जो महंगी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें सेन्ट्रल स्कूल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें। मेरा एक और निवेदन है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय मेरे इस पिछड़े क्षेत्र में नहीं है, जिसे निश्चित ही इसी पैरामीटर में रखा गया है। मैं चाहती हूं कि मेरे यहां दस ब्लॉक हैं, उसमें से अधिक से अधिक आदिवासी बहुल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी दिये जाएं। यह मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अति लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं अभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कुछ मांग करना चाहूंगा। देश की आज़ादी में हमारे बहुत से शहीदों ने कुर्बानी दी। हमारे संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी में मौलाना टाईप के थे, इसलिए अंग्रेज भी उनकी बहुत इज्जत करते थें जब उनका इंतकाल हुआ, तो उनकी मज़ार पोर्ट ब्लेयर में बनायी गयी। मैं अभी कमेटी के टूर पर वहां गया था, तो देखा कि उसकी स्थिति बहुत खराब है। इसके बारे में मैंने वहां के ले. गवर्नर से भी बात की। मैं चाहूंगा कि उनकी मज़ार को अच्छी तरह से बनाया जाए।

सभापति महोदय : संरक्षित किया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : ताकि आज़ादी के हमारे सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। इसी तरह दुर्गा देवी थीं, जिनको दुर्गा भाभी कहते थे चन्द्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह। हमारे कौशाम्बी में शहजादपुर की थीं। उस समय आंदोलन में क्रांतिकारियों की सूचनाएं देना, उनको आर्म्स पहुंचाना, पैसा देना और लोगों को पनाह देना आदि काम करती थीं। मैं अभी गया था कम्बल वितरण कार्यक्रम में, लखौरी ईंटों का बना हुआ उनका जर्जर घर है। उनकी बहन, जिनकी उम्र लगभग 105 वर्ष होगी, आज भी जीवित हैं। मैं चाहता हूं कि जो ऐसे तमाम सपूत हैं, वीरांगनाएं हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया है, कम से कम उनके घरों को स्मारक के रूप में बनाया जाए, उनके कृत्य एवं इतिहास को लिखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ी उससे सबक ले।

दूसरे, वहां पर कड़ाधाम है, जहां पर संत मलूक दास रहते थे। उनकी एक कहावत है:

"अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज।
संत मलूका कह गए सबके दाता राम।।"

उसका भी स्मारक वहां है, जो बहुत जर्जर हालत में है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि बौद्ध सर्किट में भी अभी तक कौशाम्बी को नहीं जोड़ा गया है जहां पर बौद्ध एवं जैन लोगों के स्थान हैं। तमाम स्थानों को, जो धार्मिक एवं एतिहासिक स्थान हैं, हमारे देश के ऐसे सपूत जो आजादी के लड़ाई में बलिदान हुए हैं, उनके स्मारकों को बनाया जाए, उनको संरक्षित किया जाए और उनके नाम पर परियोजनाएं चलाई

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

जाएं। मैंने सुना है, रेल बजट में माननीय रेल मंत्री जी कह रहे थे कि शहीदों के नाम रेल रेलगाड़ियां चलें, तो मेरे ख्याल में ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति महोदय, मुझे एक बात कहने का मौका दीजिए।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं अभी आप बैठ जाइए।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान तकनीकी तथा प्राविधिक शिक्षा के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली छात्रवृत्ति में हो रही व्यापक घोटाले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, सरकार द्वारा पिछड़े अनुसूचित वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को उनकी शिक्षा में मदद करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है जिसे शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में सीधे शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के खाते में जमा कर दिया जाता है। इस छात्रवृत्ति के भुगतान में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षण संस्थानों के संचालकों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है। अनेक संस्थानों में फर्जी छात्रों के नाम चढ़ाए गए हैं। इन छात्रों का संस्थान द्वारा स्थानीय स्तर पर दी जाने वाली परीक्षा में उपस्थित दिखाया गया है, परंतु विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनुपस्थित दिखा दिया जाता है। इस प्रकार से सर्वत: फर्जी नामों के आधार पर करोड़ों रुपयों की लूट हो रही है। इस लूट के अन्य दो आयाम भी हैं। बहुत वास्तविक छात्रों को निरंतर यह कह कर टाला जाता है कि उनकी छात्रवृत्ति का पैसा अभी तक नहीं आया है और इस प्रकार के छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाता है। इसके अलावा इस घोटाले में सामान्यत: सभी वास्तविक छात्रों से शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि जमा किए जाने के बदले 5000 रुपये, 10000 रूपये से अधिक रुपये भी ले लिए जाते हैं। इस लूट के कारण अनेक निर्धन छात्रों के भविष्य तथा उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। मुझ इस संबंध में अनेक संस्थानों के प्रति शिकायतें मिली हैं। इस प्रकार की अनियमितताओं को समाचार प्रदेश एवं देश के विभिन्न स्थानों से प्राय: आते रहते हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि निर्धन वर्ग के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली छात्रवृत्ति में हो रहे घोटाले की उच्चस्तरीय तथा व्यापक जांच कराई जाए तथा इसमें लिप्त अधिकारियों एवं संस्थानों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाए ताकि निर्बल व निर्धन वर्ग के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना संभव न हो सके।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 12बी के तहत मान्यता प्रदान करता है। ऐसा ही प्रकरण मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के बीकानेर मुख्यालय स्थित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का है। प्रकरण 12बी की मान्यता के लिए विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने सिफारिश करके यहां भेजा है। इसके बाद राज्य सरकार ने भी यू.जी.सी. की सिफारिश के साथ मान्यता के लिए पत्र प्रेषित किया है। लेकिन यू.जी.सी. द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बीकानेर राजस्थान के रेगिस्तानी भूभाग का हृदयस्थल है तथा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियों में भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर पिछड़ा हुआ माना जाता है। ऐसी स्थिति में एक रेगिस्तानी इलाके का विश्वविद्यालय यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 12बी की शर्तें पूरी करता हो तथा वह प्रकरण सभी स्तरों में अभिशंसित होकर यू.जी.सी. में लंबित हो, तो मान्यता दिलवाने में प्राथमिकता से काम करने का दायित्व यू.जी.सी. का बनता है।

मैने यह विषय लोक सभा में नियम 377 के तहत भी उठाया था। उसके जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने कहा कि सम्बन्धित विश्वविद्यालय ने अभी तक आवश्यक विश्वविद्यालय सुविधाएं विकसित नहीं की है, जबकि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय ने वे सारी सुविधाएं जैसे प्रयोगशाला, पुस्तकालय इत्यादि विकसित कर ली हैं। यह मैं खुद वहां देखकर आया हूं। अत: मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि बीकानेर में स्थित इस महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय को यू.जी.सी. की धारा 12 बी के तहत मान्यता

दिलाने की व्यवस्था करें, जिससे वहां पढ़ने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राहत उपलब्ध हो सके।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली) : सभापति महोदय, यहां एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का यह अवसर देने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य दिल्ली पलायन कर गए हैं। पांच दशकों से भी अधिक समय से, वे स्थायी रूप से यहां रहे हैं और वे दिल्ली के अधिवासी बन गए हैं। वे नगर निगम पंचायत और संसदीय चुनावों में मतदान जैसे अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं परंतु ऐसे में उन्हें उपर्युक्त चुनाव लड़ने का विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है। अपने मूल राज्य की सीमा पर करने के बाद उनका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों का विशेषाधिकार छिन जाता है। पांच दशकों से भी अधिक समय तक प्रवास वाले राज्य के कानून का पालन करने वाले और अधिवासी होने के बावजूद उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है और वे अपनी विशिष्ट पहचान गंवाने के लिए बाध्य ही जाते हैं।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 16(4) द्वारा आश्वस्त अनुरक्षण के लाभ, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला मूलभूत अधिकार है वह उन्हें नहीं दिया जाता है। क्योंकि दिल्ली राज्य शैक्षिक संस्थानों सरकारी नियुक्तियों में अनुरक्षण प्रदान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त इन समुदायों को जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु सरकार और अन्य दक्षिणी राज्यों के समुचित प्राधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्रों को भी दिल्ली में स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

यह यहां पर रह रहे लोगों के सामने आो वाली बहुत बड़ी समस्या है? सिंगापुर में भी भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। यदि वे वहां रह रहे हैं तो उन्हें वहां चुनाव लड़ने का अधिकार है परंतु दिल्ली में नहीं है।

अत:, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन, करने के लिए उपयुक्त विधान लाए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए निर्धारित आरक्षण उन्हें तब भी उपलब्ध हो जब वे अपने जन्म स्थान से अन्य राज्यों में पलायन करें।

[हिन्दी]

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर) : सभापति जी, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार एवम् उत्तर प्रदेश की संयुक्ति महत्वाकांक्षी योजना, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) योजना संबंधी है। जिसके माध्यम से पंचायती स्तर पर ग्रामीण खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा की जा रही है। परन्तु इसका संचालन करने वालों को आज की महंगाई के समय में भी काफी कम मानदेय मिल रहा है। देश में 4600 की जनसंख्या के आधार पर पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान को संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 90 प्रतिशत चयनित गांवों में यह योजना चल रही है। इस योजना में खेल के सामानों एवम् उपकरणों की रख-रखाव एवं नए तथा अच्छे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी संविदा पर नियुक्त क्रीड़ाश्री की है खेलों के प्रति रूझान बढ़कर खिलाड़ियों को प्रेरित करने की जिम्मेदारी भी क्रीड़ाश्री की है, परंतु आज की महंगाई में इन क्रीड़ाश्री के केवल 500 रुपए प्रतिमाह का मानदेय मिलता है। 500 रुपए में पंचायत क्रीड़ा एवं खेल योजना के अंतर्गत नियुक्त संविदा क्रीड़ाश्री तन्मयता के साथ कैसे कम कर सकता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त योजना में संविदा पर कार्यरत क्रीड़ाश्री का मानदेय बढ़ाकर 8000 रुपए प्रति किया जाए तथा इन्हें नियमित भी किया जाए, ताकि ये दिल लगाकर इस योजना इस योजना को सफल बना सकें।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : महोदया, मैं, दो राज्यों से जुड़ा मुद्दा उठाना चाहता हूं। यह दक्षिणी ओडिशा और आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पोलवरम सिंचाई परियोजना से दक्षिणी के लोगों का जीवन बड़ी कठिनाई में पड़ गया है। परियोजना को पर्यावरणीय अनापत्ति देते समय कोई

[श्री तथागत सत्पथी]

[हिन्दी]

जनसुनवाई नहीं की गई थी जहां तक जलमग्रता हेतु वन भूमि के अन्य प्रयोग का संबंध है यह परियोजना वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करती है। धारा प्रतिकूल परियोजनाएं नहीं होने के कारण जो कि ओडिशा राज्य के भीतर हैं- जिन्हें आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा नहीं चलाया गया है, बड़ा जलाशय बनाया जाएगा जिसे बड़ी मात्रा में ओडिशा में पृष्ठजलमग्रता होगी जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित होंगे।

जल दुर्लभ संसाधन है और हमारा कर्त्तव्य है कि हम इसका अत्यंत किफ़ायत से प्रयोग करें। मैं जल संसाधन मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह माध्यस्थ के रूप में कार्य करे और दोनों राज्य सरकारों के आपसी समझौते से मामले को हल करने के लिए प्रोत्साहित करे। ऐसे मामलों को न्यायालय नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि इनसे केवल दोनों राज्यों के करदाताओं पर अतिरिक्त भार पड़ता है किसी निर्णय पर पहुंचने में अनेक वर्ष लग जाते हैं और इससे मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधनों की निरंतर बर्बादी होगी।

दोनों राज्य सरकारें बांध निर्माण के उत्तरदायित्वों को बांट सकती हैं ताकि दोनों राज्यों की जनता को सामान रूप से लाभ हो सके। दोनों राज्यों द्वारा विस्थापित लोगों को अदा किए गए मुआवजे सहित लागत वहन की जा सकती है जहां मेरे विचार से भारत सरकार और अधिकांश राज्यों को हानि उठाते हैं। क्योंकि जब लोग विस्थापित तो हैं। मुआवजे का कभी भी समय पर और समुचित भुगतान नहीं किया किया जाता है। इस तरह आवश्यक मामले का समाधान किया जा सकता है और परियोजना का कार्य रोके बिना, दोनों राज्यों के लोगों को लाभ हो सकता है क्योंकि पेयजल और सिंचाई जल की कमी है।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा) : सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि जब पुरी दुनिया अंधकार युग में पाषाण युग में थी, तब हमारे देश में कृषि का जन्म हुआ था, विकास हुआ था। कई सदियों से अच्छे खाद्यान्न हमारे देश में तैयार होते आए हैं। लेकिन जब से हरित क्रान्ति के नाम से अधिक उत्पादन करने हेतु रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशककों का प्रयोग शुरू हुआ है, जब से समाज व्याधियां बढ़ने लगी हैं। पहले 70 के दशक तक न तो गांव में कीटनाशक थे और न ही कैंसर जैसी व्याधियां थीं।

महोदय, हरित क्रांति बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कुटिल चाल है। ये हमारे ग्रामीण समाज को पंगु बनाकर अपनी तिजोरियां भरने का काम करती हैं तथा जिसको सरकार का समर्थन एवं संरक्षण मिल रहा है।

महोदय, अधिक उत्पादन के लालच में उर्वरकों तथा कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग होने लगा है। जिसके कारण जमीन की उर्वरा शक्ति तेजी से खत्म होती जा रही है। जमीन अनउपजाऊ तथा बंजर बन रही है। उत्पादित खाद्यान्न स्वादहीन तथा जहरीले बन रहे हैं। हरी सब्जियां तथा फल भी सलामत नहीं रहे। सब्जियों के विकास तथा फलों को पकाने के लिए हार्मोन्स तथा कैमीकल्स प्रयोग में लाए जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं।

महोदय, तीन दशक पहले देश में कैन्सर के इक्का-दुक्का मामले होते थे और वह भी जीवन के संध्याकाल में। परंतु अब तो इस कैमीकलयुक्त जहरीले खुराक ने कैंसर, लीवर, किडनी, हृदय के रोग जैसी गंभीर बीमारियां आम बात हो गई हैं। बीमारियों ने बच्चे, बूढ़े और जवान सबको अपने चपेट में ले रखा है। कभी-कभी तो चिकित्सक भी बीमारियों के नहीं समझ सकते।

महोदय, हरितक्रांति से शायद थोड़ा उत्पादन जरूर बढ़ा होगा, लेकिन अब जमीन की उर्वरा शक्ति खलास होने से उत्पादन कम होता जा रहा है। लोगों का स्वास्थ्य गंभीर रूप से बिगड़ रहा है, जो हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। अगर समाज एवं तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो फिर ज्यादा उत्पादन करने का क्या फायदा?

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कृषि में प्रयोग हो रहे रासायनिक खाद्य, कीटनाशकों, नए कैमीकल्स के ऊपर अंकुश या रोक लगाई जाए। बाजार में बिक रही सब्जियों, फलों तथा खाद्यान्नों की नियामक संस्था का गठन करके नियमित जांच करनी चाहिए। नुकसान करने वाले फलों, सब्जियों को नष्ट करके दोषी लोगों को सजा देनी चाहिए तथा जनजागृति अभियान द्वारा लोगों को जागृत करना चाहिए तथा जैविक कृषि को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए।

श्री सुभाष बापूराव वानखेडे (हिंगोली) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री का ध्यान दिन प्रतिदिन

बी.एस.एन.एल. की बिगड़ती स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र हिंगोली, महाराष्ट्र में किनवट, महागांव, उमरकैत, हिमायतनगरी, नखलैत और पूरी ट्राईबल क्षेत्र है। बी. एस.एन.एल. के टॉवर्स सही मात्रा में नहीं होने की वजह से इसकी सेवा बुरी तरह से पिछड़ गई और बी.एस.एन.एल. के उपभोक्ता बुरी तरह से प्रभावित हैं। मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखकर इस स्थिति अवगत कराया था और मेरे निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय क्षेत्र में 50 टॉवर स्थापित किये जाने की मांग थी।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि महाराष्ट्र में बी.एस.एन.एल. प्रणाली पूरी तरह से ठप्प हो गई है। बाकी दूसरी संस्थाएं या रिलायंस इत्यादि की सेवाएं भी हैं और अगर टॉवर्स हैं तो डीजल नहीं हैं और अगर डीजल है तो वहां वॉचमैन नहीं है। टॉवर्स की जो उसकी कैपेसिटी है, वह बहुत कम है। लेकिन उसके उपभोक्ता यानी कनैक्शंस की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। बी.एस.एन.एल. के कर्मचारियों और अधिकारियों को मैं दोष नहीं दूंगा। लेकिन उनका इस तरफ ध्यान नहीं है और ज्यादा से ज्यादा टॉवर वे बंद रखते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जितने बी.एस.एन.एल. के टॉवर्स हैं, उनको अधिक से अधिक सक्षम बनाया जाए और संचार सुविधाओं में सुधार लाया जाए। मेरा आपसे निवेदन है।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : सभापति महोदय, कुश्ती एथेंस में हुए पहले ओलंपिक से लेकर अब तक के आयोजनों में शामिल रही है। खासकर भारत में इस खेल का इतिहास बहुत पुराना है और आज भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ी अच्छी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। पिछले दो ओलंपिक और वैश्विक स्पर्धा में हमारे पहलवानों ने दुनिया के अखाड़ों में देश का सम्मानजनक जगह दिलायी थी। कुश्ती में भारत एक ताकतवर देश बनकर सामने आया। उससे भविष्य को लेकर कुछ बेहतर उम्मीद जगी थी। भारत सहित दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय खेल कुश्ती को 2020 के ओलंपिक में शामिल न करने की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सिफारिश तमाम भारतीयों को हैरान करने वाली है। आई. ओ.सी. की सिफारिश का अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती जगत ने कड़ा विरोध जताया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में लोकप्रिय खेल कुश्ती को ओलंपिक से हटाने की यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है। किसी भी खेल को ओलंपिक में शामिल कराने के लिए दवाब समूह की जरुरत पड़ती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आई.ओ.सी. के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में कुश्ती की पैरवी करने के लिए भारत सहित किसी अन्य कुश्ती प्रेम देश का प्रतिनिधि मौजूदा नहीं था। भारत में लोकप्रिय खेल के प्रति शर्मनाक बात है। मेरा आग्रह है कि सरकार द्वारा कुश्ती खेल को 2020 के ओलंपिक में शामिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पर दबाव डालकर उन्हे भारत के खेलों को ठेस पहुंचाने वाला निर्णय लेने से रोका जाए।

सभापति महोदय : श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ श्री अर्जुन राम मेघावल, श्री भर्तृहरि महताब और श्री राजाराम पाल को भी एसोशिएट किया जाए।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि महाराष्ट्र में ओ.बी.सी. यानी अन्य पिछड़ी जाति के लिए जो आरक्षण प्रणाली देश में अपनाई गई गई थी, उसमें हमें 33 प्रतिशत आरक्षण देना है। महाराष्ट्र ने इस नीति को अपनाया था लेकिन महाराष्ट्र में तीन जगहों पर जो मेरा चुनाव क्षेत्र है- चन्द्रपुर और यावतमाल में, वहां पर इसका प्रतिशत कम किया गया है और साथ में गड़चिरोली भी है। यहां छः प्रतिशत, 11 प्रतिशत और 14 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। कुल मिलाकर तीन जिलों में 17,22 और 11 परसेंट आरक्षण है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को सूचित करे कि महाराष्ट्र में इन तीन जिलों में आरक्षण कम किया गया है और अन्य पिछड़ा जाति वर्ग पर अन्याय हो रहा है। इससे विद्यार्थियों और नौकरी पाने वालों को तकलीफ हो रही है। मेरी मांग है कि उन्हें अधिकार मिले। केन्द्र सरकार चाहे तो वहां अन्य पिछड़ा जाति आयोग के अधिकारी भेजकर जांच करके निर्देश दिया जाए ताकि 27 परसेंट आरक्षण लागू किया जाए।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत अत्यंत विषय के बारे में कहना चाहता हूं।

[श्री राजाराम पाल]

बेरोजगारी राष्ट्रीय समस्या है। इस सदन में आए दिन महंगाई, भ्रष्ट्राचार पर चिंतन करते हैं लेकिन शिक्षित बेरोजगार की परेशानी की चर्चा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। आज पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहुएं, रोजगार सेवक, शिक्षक मित्र और कृषक मित्र ऐसे पढ़े लिखे नौजवान और नवयुवतियां है जो रोजगार पाने के लिए, समाज की सेवा करते हैं। इन्हें सरकार 3000 रुपए मानदेय देती है और वह भी समय से नहीं देती है। वहीं आशा बहुओं को मात्र डिलीवरी, बच्चा पैदा कराने, अस्पताल ले जाने में केवल 500 रुपए दिए जाते हैं और उसमें भी 250 रुपए भाड़ा काटा जाता है। टीकाकरण के नाम पर 100 रुपए मिलते हैं।

सभापति महोदय, मैं सब शिक्षित नौजवानों और नवयुवतियों की ओर से मांग करता हूं कि इनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए इन्हें परमानेंट किया जाए। यही नौजवान नक्सलवाद का रूप लेते हैं, डकैती और अन्य धंधों में शामिल हो जाते हैं। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए परमानेंट नौकरी दी जाए और सम्मानजनक मानदेय दिया जाए।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई) : सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सदन में बहुत दिनों से चर्चा हो रही है और मुख्य रूप से किसानों की चर्चा होती है। जब भी सत्र प्रारंभ होती है तो अधिकांश समय किसानों के हित में चर्चा होती है। मैं बिहार राज्य के जमुई लोकसभा से आता हूं। बिहार दो भागों में विभक्त है-एक उत्तरी बिहार है जो बाढ़ से त्रस्त रहता है और दूसरा पश्चिमी बिहार है जो सूखे से त्रस्त है।

मैं आपको अपने क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण जलाशय योजना के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। एक बरलाल जलाशय योजना है जिसके काम की शुरुआत 1977-78 में हुई थी और करीब दो से पांच करोड़ रुपए व्यय हुआ। मात्र 70-80 फीट बांध के अभाव में इस योजना को लोग मृत समझने लगे हैं। यहां से खेतों तक नहर की खुदाई हो गई, किसानों के चेहरे पर खुशी आई कि लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई होगी। दूसरी योजना मुंगेर के तारापुर विधानसभा की है। यहां भी आज से 33 वर्ष पहले काम की शुरुआत हुई थी और एक से डेढ़ करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री से किसानों की व्यथा और दर्द से अवगत कराते हुए विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि बरनाल जलाशय और सिंधवानी जलाशय योजना का निर्माण किया जाए ताकि जो खेत बंजर हो गए हैं, पथरीले हो गए हैं वहां खेती हो सके और नौजवानों को काम मिल सके। यह क्षेत्र नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है। मेरी मांग है कि इन दोनों योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराया जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिले और मुख्यधारा से जुड़ सकें।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, मैं अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता हूं। यद्यपि मैंने इसे पिछले चार दिनों से सभा में 'शून्य काल' के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व के विषय के रूप में उठाने का प्रयास किया था परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि एक बार भी इसकी बारी नहीं आयी।

बांग्लादेश में इस्लामी कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं के मंदिरों पर दर्जनों हमले किए हैं और पूरे बांग्लादेश में सैंकड़ों घरों को जला दिया गया है तथा कुछ लोगों की मार दिया है विदेशी एंजेसियों ए.एफ.पी. द्वारा इसकी रिपोर्ट दी गई है कि बांग्लादेश पूजा उत्पादन परिषद, जी.एफ. समूह जो हिन्दू मंदिरों की देखरेख करता है ने कहा है कि 47 मंदिरों और 700 हिन्दू घरों को जला दिया गया और लूटपात की गई।

एमनेस्टी इंटरनेशल ने बांग्लादेश सरकार से अपने देश के अल्पसंख्यकों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराने की तात्कालिक अपील की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अब्बास फैज ने कहा है: ''बांग्लादेश में हिन्दू समुदाय अत्यंत पर खतरे में है। उनको सिर्फ उनके धर्म के कारण निशाना बनाया जा रहा है। हमलावर जमालत-ए-इस्लामी और इसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर से हैं।''

हाल ही में हमला कोगिला स्थित दौडकंडी में हुआ है जहां हिन्दू मंदिर में लूटपात की गई और उसे जला दिया गया और नौखली में राजगंज बाजार के अल्पसंख्यकों वाले गांव को जमात समर्थकों द्वारा आग लगा दी गई थी।

एमनेस्टी इंटरनेशल के अनुसार बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्याक कुल जनसंख्या का मात्र 8 प्रतिशत बैठती है और ऐतिहासिक रूप से इस पर हिंसा का जोखिम रहा है। इन्हें वर्ष 1971 में आज़ादी की लड़ाई और वर्ष 2001 के संसदीय चुनाव के बाद जब बी.एन.पी. और जमात गठबंधन सत्ता में आए और उस दौरान भी काफी कस्ट उठाया।

मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वे बांग्लादेश में हिन्दू समुदाय के विरूद्ध ऐसी हिंसा की निंदा करे।

दिल्ली के जामिया नगर के निवासियों ने इस हिंसा के विरूद्ध कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है वे ताख्तियां लेकर सड़क पर उतरे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की एक छात्रा नुजरत ने अन्यों के साथ प्रदर्शन किए हैं और कहा है कि भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर चिंतित हैं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बांग्लादेश सरकार पर बांग्लादेश में हिंसा को नियंत्रित करने के लिए दबाव बनाया और बंगलादोश के अल्पसंख्यकों के पक्ष में विश्व जनमत बनाए।

सभापति महोदय : श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी, श्री विष्णु पद राय, श्री हंसराज गं. अहीर , श्री रमेन डेका और श्री निशिकांत दुबे को श्री भृर्तहरि महताब द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, झारखंड में गरीबी है, विस्थापन है और नक्सलावाद है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उसके पीछे केन्द्र सरकार की गड़बड़ नीतिया हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां ईस्टर्न कोल फील्ड्स की एशिया की सबसे बड़ी खान है। लेकिन वह नुकसान में है। लेकिन हमारे यहां जो राजमहल, चित्रा कोल फील्ड्स हैं, वे प्रोफिट में हैं। उसके कारण हम लोगों को सी.एस.आर. की फैसिलिटी नहीं मिलती है। इसी तरह से कोल इंडिया का जो हैडक्वार्टर है, हम कोयले का ज्यादा उत्पादन करते हैं, वह बंगाल में है। स्टील अथारिटी का सबसे ज्यादा आयरन ओर हम देते हैं, चिड़िया माइन्स हमारे यहां हैं, उसका हैडक्वार्टर हमारे पास है। हिन्दुस्तान कापर का बॉक्साइट हमारे पास है। लेकिन उसका हैडक्वार्टर बंगाल में है। दामोदर वैली कारपोरेशन हमारे यहां से पानी ले जाती है, लेकिन उसका हैडक्वार्टर बंगाल में हैं और रेलवे को हम सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, लेकिन हमारे यहां धनबाद में जोनल हैडक्वार्टर नहीं है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, दामोदर वैली कारपोरेशन और धनबाद में रेलवे का जोनल ऑफिस और हमारे यहां ई. सी.एल. को अलग करके राजमहल कोलफील्ड्स का एक नया हैडक्वार्टर कोल इंडिया क्रिएट करे, यही मेरा सरकार से आग्रह है।

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़) : सभापति महोदय, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। किसी भी प्रदेश व क्षेत्र के विकास के लिए उसकी आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं को केन्द्र बिन्दु मानकर किये जाने वाले समग्र विकास के कार्य से ही उस क्षेत्र को वास्तविक लाभ मिलता है।

इस संबंध में मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के युवा, शिक्षित बेरोगार नवयुवकों और नवयुवतियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए संसदीय क्षेत्र में राजगढ़, खिलचीपुर, जीरापुर तथा सुसनेर के निकट उपलब्ध हजारों हैक्टेयर अनुपजाऊ गैर कृषि भूमि पर भारत सरकार के रेलवे, रक्षा तथा नागरिक उड्डयन विभागों के अंतर्गत खोले जाने वाले नवीन कल-कारखानों व उद्योगों को लगाने की मंजूरी प्रदान करे। साथ ही मेरा विशेष अनुरोध भी है कि भारत सरकार की मैन पॉवर वाली औद्योगिक परियोजनाओं को संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में स्थापित किए जाने के लिए शीघ्र ही आवश्यक सर्वे करवा जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि उक्त प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं को स्थापित किए जाने के लिए यह क्षेत्र बेहद उपयुक्त होगा।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) **:** सभापति महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अंडमान के जो नौजवान हैं, जिन्होंने बी.डी.एस. की डिग्री हासिल की है, आज उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे प्रशासन के

[श्री विष्णु पद राय]

लोग भारत के बाकी राज्यों से ले कर भर्ती किए जा रहे हैं। इसका विरोध शुरू हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हाल ही में दो पोस्ट जी.डी.एम.ओ. (डेंटल) के लिए कॉन्ट्रेक्ट में एन.आर.एच. की स्कीम के माध्यम से भर्ती की गई है। लोकल डॉक्टर को प्रिफरेंस देना है। स्वास्थ्य विभाग में दो जी.डी.एम.ओ. (डेंटल) के लिए विज्ञापन निकला था, उसी मुताबिक 16 आदमियों ने अप्लाई किया था। जिसमें अंडमान के 7 डॉक्टर्स, जिन्होंने बी.डी.एस. किया है, उन्होंने अप्लाई किया है। जिनका एक्सपिरिएंस सर्टिफिकेट भी है, सुनामी के समय सर्विस भी दिय गया। उसमें ऐसे तमिल डॉक्टर्स हैं, जिनको उपराज्यपाल के कंमडेशन सर्टिफिकेट भी दिया था। उनको नौकरी नहीं मिली। उसके बदले में राजस्थान और बाकी राज्यों से ला कर डॉक्टरों को भर्ती कर दिया गया है। एच.आर.एच.एम. की गाइडलाइंस के मुताबिक तीन साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी था, लेकिन बाहर के राज्यों के डॉक्टर्स को नौकरी दी गई है। दो डॉक्टर्स को भर्ती करना था, वे दोनों ही बी.डी.एस. डॉक्टर्स अंडमान निकोबार को मिले। मुख्य भूमि के राज्यों के डॉक्टर्स को नौकरी दी गई है। जिसका विरोध चल रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि अंडमान में हमारे पास डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को नौकरी दी जाए जो अंडमान निकोबार के हैं। अखिर में मेरी मांग है कि इस पर 10वीं आई.डी.ए. मीटिंग, जो जनवरी, 2003 में हुई थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपयी जी ने पास किया था कि ग्रुप डी और सी पोस्ट के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी भर्ती हो और उसके लिए स्टेट सर्विस सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए। दस साल बी गए हैं और यू.पी.ए. सरकार सोई हुई है। यू. पी.ए. सरकार साजिश कर के बाहर से लोगों को अंडमान में भर्ती कर रही है। मैं इसका विरोध करता हूं। आखिर में दो जी.डी.एम.ओ. (डेंटल) भर्ती की गई है, उसको कैंसल कर के अंडमान निकोबार के डॉक्टरों को नौकरी दी जाए। मेरी उपराज्यपाल महोदय, से प्रार्थना है और स्टेट सर्विस सिलेक्शन कमेटी तुरंत बनाई जाए।

श्री रवनीत सिंह (आनंदपुर साहिब) : सर, मुझे यहां से बोलने की इजाज़त दी जाए। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, जिस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से पंजाब में दलितों, लड़कियों और अब कांग्रेसी विधायकों पर हो रहे सरकारी अत्याचार पर संसद का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपने सभी नैशनल मीडिया पर देखा होगा कि चार मार्च को तरनतारण में एक दलित परिवार की लड़की, उसके पिता और भाई के साथ पुलिस वालों ने क्या व्यवहार किया था। जब वह अपनी छेड़खानी की शिकायत दर्ज करवाने पुलिस के पास गई तो उसको पीटा गया। उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी उसे जलियावालां बाग के अत्याचार के बराबर बताया है। जब वह परिवार अपनीं कंप्लेंट दर्ज करवा चुका है तो अब पंजाब सरकार और पुलिस रोज उसके पिता और भाई के ऊपर यह जोर डाल रही है कि वे अपनी एफ.आई. आर. वापस लें। अभी पंजाब में विधान सभा चल रही है। उस लड़की ने हमारे सी.एल.पी. लीडर सुनील जाखड़ जी और हमारे विधायकों से अपनी गुहार लगाई कि मुझे सी.एम. साहब या स्पीकर से मिलाया जाए। तब वे उसे विधान सभा ले गए। वहां पर सी.एल.पी. के दफ्तर में और ऑपोज़िशन लीडर के दफ्तर में बैठे हुए डेढ़ सौ पुलिस वाले विधान सभा में उसको उठाने आ गए। जब विधायकों ने उसे बचाने की कोशिश की तो नौ विधायकों को सस्पैंड कर दिया गया और छह विधायकों के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज कर दीं गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर साहब वहां पर इंटरवीन जरूर करें नहीं तो पंजाब के हालात बहुत ही बदतर हो चुके हैं। मेरी यही गुज़ारिश है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा सोमवार, 18 मार्च, 2013 को पूर्वाहन 11.00 बजे पुन: समवेत होने लिए स्थगित होती है।

सायं 6.45 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 18 मार्च, 2013
27 फाल्गुन 1934 (शक) के पूर्वाहन ग्यारह
बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री रवनीत सिंह	261
2.	डॉ. बलीराम श्री गोपीनाथ मुंडे	262
3.	श्री अनंत कुमार	263
4.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	264
5.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी श्री नित्यानंद प्रधान	265
6.	श्री तकाम संजय श्री ताराचन्द भगोरा	266
7.	श्रीमती अन्नू टन्डन	267
8.	श्री जगदानंद सिंह श्री इज्यराज सिंह	268
9.	श्री सुशील कुमार सिंह श्रीमती श्रुति चौधरी	269
10.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	270
11.	श्री वैजयंत पांडा श्री पी.के. बिजू	271
12.	श्री नवीन जिन्दल श्री किसनभाई वी. पटेल	272
13.	श्री जगदीश सिंह राणा श्री जयवंत गंगाराम आवले	273
14.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव श्रीमती भावना पाटील गवली	274
15.	श्री खगेन दास श्री वरूण गांधी	275
16.	श्री भक्त चरण दास	276
17.	श्री निशिकांत दुबे	277
18.	श्रीमती समित्रा महाजन	278
19.	श्री के. जयप्रकाश हेगडे श्री एम.आई. शानवास	279
20.	श्री आर. ध्रवनारायण	280

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	3068, 3088, 3154
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	3012, 3153, 3159, 3165
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	3020, 3075, 3162, 3173
4.	श्री आधि शंकर	3049, 3094, 3154
5.	श्री आनंदराव अडसुल	3162, 3173
6.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	3064, 3171, 3178
7.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	3021, 3081, 3139
8.	श्री हंसराज गं. अहीर	3081, 3024, 3162, 3190
9.	श्री सुल्तान अहमद	3112
10.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	3089

1	2	3
11.	श्री गजानन ध. बाबर	3020, 3162, 3173, 3185
12.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	3178
13.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	3094, 3108
14.	श्री कामेश्वर बैठा	3070, 3094
15.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	3042, 3148, 3074
16.	डॉ. बलीराम	3157
17.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	3116, 3203
18.	श्री पुलीन बिहारी बासके	3121, 3186
19.	श्री कुंवरजी भाई मोहनभाई बावलिया	2998, 3202
20.	श्री सुदर्शन भगत	3082
21.	श्री शिवराज भैया	3065
22.	श्री समीर भुजबल	3101
23.	श्री पी.के. बिजू	3123, 3131
24.	श्री कुलदीप बिश्नोई	2999, 3149
25.	श्री हेमानंद बिसवाल	3062
26.	श्रीमती बोचा मांझी लक्ष्मी	3061, 3168, 3212
27.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	3021, 3118, 3153
28.	श्री सी. शिवासामी	3058, 3077, 3087, 3177
29.	श्री हरीश चौधरी	3088, 3090, 3181
30.	श्री जयंत चौधरी	3034
31.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	3161
32.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	3027, 3182
33.	श्रीमती राजकुमारी चौहान	3009,
34.	श्री संजय सिंह चौहान	3107
35.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	3044, 3117, 3152
36.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	3158, 3217
37.	श्री भूदेव चौधरी	3072
38.	श्री निखिल कुमार चौधरी	3161
39.	श्रीमती श्रुति चौधरी	3058
40.	श्री खगेन दास	3162, 3217
41.	श्री राम सुन्दर दास	3125, 3183
42.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	3043, 3097, 3191, 3083
43	श्रीमती रमा देवी	3088, 3104, 3172, 3215
44.	श्री के.पी. धनपालन	3126
45.	श्री संजय धोत्रे	3059
46.	श्री आर. ध्रुवनारायण	3015, 3136, 3217
47.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	3033, 3096, 3143
48.	श्री चार्ल्स डिएस	3084, 3212
49.	श्री निशिकांत दुबे	3163
50.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	3056, 3165, 3192
51.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	3158, 3217
52.	श्रीमती मेनका गांधी	3096

1	2	3
53.	श्री वरुण गांधी	3096, 3155
54.	श्री एल. राजगोपाल	3092, 3189
55.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	3075, 3176
56.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	3219
57.	श्री महेश्वर हजारी	3178
58.	श्री के. जयप्रकाश हेगड़े	3165
59.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	3000, 3151
60.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	3067, 3072, 3172
61.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	3088, 3123, 3172
62.	श्री बद्रीराम जाखड़	3040, 3094, 3108, 3146
63.	श्रीमती दर्शना जरदोश	2998, 3072, 3086
64.	श्री हरिभाऊ जावले	3005, 3076, 3121, 3132, 3218
65.	श्रीमती जयाप्रदा	3093, 3105, 3196, 3048
66.	श्री नवीन जिन्दल	3130, 3159, 3170
67.	श्री प्रहलाद जोशी	3062, 3083
68.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	2992, 3051
69.	श्री सुरेश कलमाडी	3114
70.	श्री पी. करुणाकरन	3041, 3183
71.	श्री कपिल मुनि करवारिया	3062, 3125, 3183
72.	श्री राम सिंह कस्वां	3058
73.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	3102

1	2	3
74.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	3013, 3088, 3198
75.	श्री चंद्रकांत खैरे	3052
76.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	3030, 3072, 3178, 3212
77.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	3085, 3168
78.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	3073
79.	श्री विश्व मोहन कुमार	3100
80.	श्री अजय कुमार	3109, 3175, 3212
81.	श्री पी. कुमार	3078, 3097
82.	श्रीमती पुतुल कुमारी	3161
83.	श्री एन. पीताम्बर कुरुप	3110, 3167
84.	श्री यशवंत लागुरी	3090, 3183
85.	श्री एम. कृष्णास्वामी	3051, 3177
86.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	3001, 3094, 3133
87.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	3164, 3216
88.	श्री नरहरि महतो	3127
89.	श्री भर्तृहरि महताब	3059
90.	श्री प्रदीप माझी	3063, 3115, 3170
91.	श्री जोस के. मणि	3026, 3058, 3173, 3194
92.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	3088
93.	श्री दत्ता मेघे	3193
94.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	3006, 3174

1	2	3
95.	श्री भरत राम मेघवाल	3108
96.	डॉ. थोकचोम मैन्या	3051
97.	श्री महाबल मिश्रा	3072
98.	श्री सोमेन मित्रा	3025
99.	श्री गोपीनाथ मुंडे	3124, 3153, 3215
100.	श्री विलास मुत्तेमवार	3050, 3111
101.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	3058, 3121
102.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	3061, 3099, 3124
103.	श्री नामा नागेश्वर राव	3048, 3184
104.	श्री नारनभाई कछाड़िया	3124, 3195
105.	श्री संजय निरुपम	3058
106.	श्रीमती मौसम नूर	2993
107.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	3010, 3011, 3134, 3169, 3206
108.	श्री पी.आर. नटराजन	2997
109.	श्री वैजयंत पांडा	3159, 3212
110.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	3095
111.	कुमारी सरोज पाण्डेय	3076
112.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	3158, 3217
113.	श्री कमलेश पासवान	3057, 3175
114.	श्री देवजी एम. पटेल	3070, 3094
115.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	3175
116.	श्री बाल कुमार पटेल	3124

1	2	3
117.	श्री किसनभाई वी. पटेल	3063, 3115, 3170
118.	श्री हरिन पाठक	3086
119.	श्री संजय दिना पाटील	3099, 3124
120.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	3158, 3217
121.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	3068
122.	श्रीमती कमला देवी पटले	2994, 3054, 3103, 3150
123.	श्री पोन्नम प्रभाकर	2994, 3054, 3103, 3210, 3150
124.	श्री अमरनाथ प्रधान	3088, 3195
125.	श्री नित्यानंद प्रधान	3175
126.	श्री पन्ना लाल पुनिया	3028, 3175
127.	श्री एम.के. राघवन	3062
128.	श्री अब्दुल रहमान	3054, 3127, 3176, 3200, 3160
129.	श्री प्रेम दास राय	3055
130.	श्री सी. राजेन्द्रन	3127, 3160
131.	श्री पूर्णमासी राम	3070
132.	श्री जगदीश सिंह राणा	3088, 3160, 3213
133.	श्री निलेश नारायण राणे	3031, 3141, 3208
134.	श्री रमेश राठौड़	3048, 3093
135.	श्री रामसिंह राठवा	3037, 3050, 3058, 3088, 3199
136.	श्री अशोक कुमार रावत	3091, 3106, 3187

1	2	3
137.	श्री अर्जुन राय	3089
138.	श्री रुद्रमाधव राय	3063, 3072, 3088, 3170
139.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	3019, 3076, 3128
140.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	3110
141.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	3019, 3088
142.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	3127
143.	श्री एस. अलागिरी	3066, 3123
144.	श्री एस. सेम्मलई	3007
145.	श्री एस. पक्कीरप्पा	3062, 3164, 3185
146.	श्री एस.आर. जेयदुरई	3201
147.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	3002, 3095
148.	डॉ. अनुप कुमार साहा	3103
149.	श्री ए. सम्पत	3123
150.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	3004
151.	श्री हमदुल्लाह सईद	3019, 3045
152.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	3064, 3119
153.	श्री एम.आई. शानवास	3126, 3180
154.	श्री जगदीश शर्मा	3111
155.	श्री नीरज शेखर	3060, 3104, 3122, 3123, 3124
156.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2991, 3120, 3166, 3177
157.	श्री राजू शेट्टी	3038

1	2	3
158.	श्री एंटो एंटोनी	3117, 3204,
159.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	3039, 3126, 3175
160.	डॉ. भोला सिंह	3124
161.	श्री भूपेन्द्र सिंह	3029, 3126, 3175
162.	श्री दुष्यंत सिंह	3108
163.	श्रीमती मीना सिंह	3046, 3156
164.	श्री पशुपति नाथ सिंह	3183, 3199
165.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	3080, 3086
166.	श्री राधा मोहन सिंह	3035, 3072, 3081, 3179
167.	श्री रतन सिंह	3052, 3067
168.	श्री रवनीत सिंह	3019, 3150
169.	श्री उदय सिंह	3018, 3111, 3138, 3163, 3207
170.	श्री यशवीर सिंह	3060, 3104, 3122, 3123, 3167
171.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	3016
172.	श्री धनंजय सिंह	3047, 3186
173.	श्री रेवती रमण सिंह	3088
174.	राजकुमारी रत्ना सिंह	3072, 3088, 3104, 3183
175.	श्री उदय प्रताप सिंह	3178
176.	श्री विजय बहादुर सिंह	3113,
177.	डॉ. संजय सिंह	3052, 3183, 3193, 3215

1	2	3
178.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	2995, 3117, 3142
179.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	3079
180.	श्री मकनसिंह सोलंकी	3053
181.	श्री ई.जी. सुगावनम	3007, 3011, 3147, 3209
182.	श्री के. सुगुमार	3078, 3120, 3205, 3220
183.	श्रीमती सुप्रिया सुले	3061, 3099, 3124
184.	श्री एन. चेलुवराया स्वामी	3072
185.	श्री मानिक टैगोर	3013, 3014, 3188
186.	श्रीमती अन्नू टन्डन	3129, 3211
187.	श्री अशोक तंवर	3107
188.	श्री जगदीश ठाकोर	3071
189.	श्री आर. थामराईसेलवन	3023, 3111, 3197, 3217
190.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	3162, 3165
191.	श्री पी.टी. थॉमस	3074
192.	श्री मनोहर तिरकी	3127
193.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	3017, 3137

1	2	3
194.	श्री जोसेफ टोप्पो	3175
195.	श्री लक्ष्मण टुडु	3066
196.	श्री शिवकुमार उदासी	3022, 3125, 3140, 3150
197.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	3008
198.	श्री हर्ष वर्धन	3008, 3032
199.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	3003, 3181
200.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	3097
201.	श्री सज्जन वर्मा	3057
202.	श्री वीरेन्द्र कुमार	3062, 3169
203.	श्री पी. विश्वनाथन	2996, 3078, 3098, 3126, 3178
204.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	3193
205.	श्री धर्मेन्द्र यादव	3020, 3078, 3162
206.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	3161
207.	श्री मधुसूदन यादव	3069
208.	श्री मधु गौड यास्खी	3020, 3115, 3162, 3173
209.	योगी आदित्यनाथ	3175

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	261, 262
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	265, 266, 268, 273, 274
खान	:	
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	267
पंचायती राज	:	277
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	263, 264, 270, 278, 280
पर्यटन	:	271
जनजातीय कार्य	:	275
महिला और बाल विकास	:	272, 276, 279

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	2993, 2996, 2997, 3000, 3004, 3008, 3010, 3011, 3013, 3015, 3016, 3024, 3028, 3032, 3033, 3035, 3038, 3041, 3047, 3049, 3050, 3058, 3059, 3063, 3065, 3067, 3070, 3072, 3077, 3078, 3087, 3088, 3089, 3091, 3102, 3106, 3113, 3114, 3118, 3120, 3122, 3123, 3125, 3128, 3136, 3141, 3143, 3148, 3151, 3152, 3156, 3158, 3167, 3171, 3172, 3173, 3174, 3177, 3178, 3186, 3192, 3194, 3197, 3198, 3202, 3203, 324, 3205, 3206, 3208, 3210, 3213, 3214, 3217
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	2991, 2992, 3006, 3017, 3018, 3022, 3023, 3034, 3048, 3054, 3061, 3062, 3075, 3079, 3092, 3093, 3094, 3096, 3097, 3103, 3104, 3111, 3121, 3124, 3126, 3130, 3140, 3159, 3161, 3162, 3165, 3168, 3169, 3170, 3175, 3183, 3187, 3193, 3195, 3212, 3215

खान	:	3053, 35055, 3060, 3069, 3090, 3099, 3142
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	3002, 3005, 3030, 3042, 3044, 3045, 3052, 3056, 3064, 3084, 3107, 3129, 3133, 3135, 3139, 3147, 3184
पंचायती राज	:	3031, 3039, 3040, 3112, 3131, 3146, 3189, 3211
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	2998, 2999, 3003, 3007, 3009, 3012, 3019, 3021, 3026, 3027, 3029, 3036, 3043, 3057, 3066, 3068, 3074, 3076, 3080, 3081, 3082, 3083, 3086, 3095, 3098, 3101, 3105, 3108, 3116, 3117, 3127, 3132, 3138, 3149, 3150, 3153, 3154, 3157, 3160, 3163, 3176, 3181, 3182, 3188, 3190, 3191, 3196, 3199, 3200, 3207, 3209
पर्यटन	:	3014, 3110, 3115, 3137, 3185, 3218, 3220
जनजातीय कार्य	:	3001, 3051, 3073, 3085, 3109
महिला और बाल विकास मंत्रालय	:	2994, 2995, 3020, 3025, 3037, 3046, 4071, 3100, 3119, 3134, 3144, 3145, 3155, 3164, 3166, 3179, 3180, 3201, 3216, 3219

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस.– 48/32/16/2013 (एन.)
339

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और प्रिंटोग्राफ, 2966/40 बीडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली–110005 द्वारा मुद्रित।